चतुर्दश माला, खंड 23, अंक 9

सोमवार, 4 दिसम्बर, 2006
13 अग्रहायण, 1928 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 68
Dated 31 OCT 2002

(खण्ड 23 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 23, नौवां सत्र, 2006/1928 (शक)]

अंक 9, सोमवार, 4 दिसम्बर, 2006/13 अग्रहायण, 1928 (शक)

विषय		कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख		1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	163 से 166	2-31
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	162 और 167 से 181	31-84
अतारांकित प्रश्न संख्या	1665 से 1837	85-356
सभा पटल पर रखे गए पत्र		355-359
सदस्य द्वारा त्यागपत्र		359
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
भागलपुर के निकट तोड़े जा रहे 'उल्टा पुल' के मलबे के नीचे दिनांक 2.12.2006 को 3017 अप हावड़ा-जमालपुर एक्सप्रेस के यात्रियों के दबने के कारण हुई दुर्घटना		
श्री लालू प्रसाद		360-362
घटिया किस्म के खाद्यान्नों की खरीद के बारे में दिनांक 14.8.2006 के तारांकित प्रश्न संख्या 294 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण		
डा. अखिलेश प्रसाद सिंह		362
उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2006		363
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक) घरेलू उत्पादित प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण हेतु सांविधिक विनियामक की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता		
श्री डी. विट्टल राव		375

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

(दो) 'ओड राजपूत' समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री के.सी. सिंह 'बाबा' 375

(तीन) गुजरात में केसर आम उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिए जाने और कृषि-आधारित उद्योगों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री जसुभाई धनाभाई बारड़ 376

(चार) जामनगर और नई दिल्ली के बीच सुपरफास्ट ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम 377

(पांच) 'कुटुक' भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

डा. रामेश्वर उरांव 377

(छह) गुजरात में जेतलसर और डासा के बीच छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदले जाने की आवश्यकता

श्री वी.के. दुम्मर 377

(सात) 1962 के चीनी आक्रमण के बाद गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित उत्तरांचल के युवकों को रोजगार और अन्य लाभ दिए जाने की आवश्यकता

श्री चंची सिंह रावत 'बच्चदा' 378

(आठ) नागपुर में एम्स की तर्ज पर उच्च विशेषज्ञता (सुपर स्पेशियलिटी) प्राप्त वाला अस्पताल स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री हंसराज जी. अहीर 378

(नौ) बेरोजगार युवकों को रोजगार तथा अर्ह-व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने हेतु विशेष उपाय किए जाने की आवश्यकता

डा. सत्यनारायण जटिया 379

विषय		कॉलम
(दस)	उत्तर प्रदेश के महराजगंज में बीएसएनएल के प्री-पेड सिमकार्ड उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री पंकज चौधरी	380
(ग्यारह)	मध्य प्रदेश के किसानों को पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती नीता पटैरिया	380
(बारह)	विदेशों में विशेष रूप से खाड़ी देशों में स्थित इंडियन मिशन द्वारा मृत्यु प्रमाण-पत्र देने के लिए, लिए जा रहे शुल्क को घटाए जाने की आवश्यकता	
	श्री टी.के. हमजा	381
(तेरह)	केरल में चाय और कॉफी बागानों को अर्थक्षम बनाए जाने तथा श्रमिकों को बकाया मजदूरी का भुगतान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री पी. करूणाकरन	381
(चौदह)	जौनपुर रेलवे स्टेशन को फिर से चालू किए जाने तथा रेलगाड़ियों के लिए ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री पारसनाथ यादव	381
(पंद्रह)	देश में के.स.स्व.यो. औषधालयों के कार्यकरण की जांच किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रेवती रमन सिंह	382
(सोलह)	बिहार के दानापुर में जमालुद्दीन मज़ार और जमालुद्दीन चक के बीच रेलमार्ग पर रेल पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राम कृपाल यादव	382
(सत्रह)	उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे केन्द्रीय प्रायोजित विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री मित्रसेन यादव	383
(अठारह)	महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में कपास आधारित उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील	383

विषय — कॉलम

(उन्नीस) आंध्र प्रदेश के रजकोंडा में फील्ड फायरिंग रेंज बनाए जाने संबंधी प्रस्ताव वापस लिए जाने की आवश्यकता

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी 384

(बीस) आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जांच किए जाने की आवश्यकता

श्री किन्जरपु येरननायडु 385

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 2006-07 388

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 2004-05 388

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश संशोधन विधेयक, 2006

विचार करने के लिए प्रस्ताव

डा. टोकचोम मैन्या 399

श्री शैलेन्द्र कुमार 399

श्री पी.आर. किन्डिया 400

खण्ड 2 और 1 401

पारित करने के लिए प्रस्ताव 401

नियम 193 के अधीन चर्चा

(एक) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

चौधरी लाल सिंह 386

श्री शरद पवार 389-394

(दो) पंचायतों की स्थिति संबंधी रिपोर्ट-मध्यावधि समीक्षा और मूल्यांकन — 2006

श्री बसुदेव आचार्य 404

कुंवर मानवेन्द्र सिंह 414

श्री शैलेन्द्र कुमार 419

श्री गणेश प्रसाद सिंह 423

विषय

कॉलम

प्रो. एम. रामदास 426

श्री मित्रसेन यादव 431

श्री प्रबोध पाण्डा. 434

श्री जय प्रकाश 437

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन 442

श्रीमती सी.एस. सुजाता 444

डा. करण सिंह यादव 447

श्री रेवती रमन सिंह. 451

श्री रघुनाथ झा 453

श्री अधीर चौधरी 457

डा. टोमचोम मैन्या 460

श्री राम कृपाल यादव 462

श्री बापू हरी चौरे 465

श्री वरकला राधाकृष्णन. 467

श्री एल. राजगोपाल 472

चौधरी लाल सिंह 475

श्री के. फ्रांसिस जार्ज 477

श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल 479

श्री एस.के. खारवेनथन 480

डा. अरविन्द शर्मा 485

श्री ए.वी. बेल्लारमिन 487

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 491-492

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 491-504

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 505-506

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 505-508

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

सोमवार, 4 दिसम्बर, 2006/13 अग्रहायण, 1928 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

रेलगाड़ी एवं बस दुर्घटना और बारूदी सुरंग विस्फोट के बारे में

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, 2 दिसम्बर, 2006 को भागलपुर, बिहार में एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 3071 हावड़ा-जमालपुर एक्सप्रेस पर 150 वर्ष पुराने पुल के एक हिस्से के ढह जाने से 35 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए।

उसी दिन एक दूसरी दुर्घटना में कालका-शिमला राजमार्ग पर सोलन से लगभग 10 किलोमीटर दूर दिल्ली से शिमला जा रही एक बस खाई में गिर गई जिसमें लगभग 14 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए।

उसी दिन एक अन्य दुर्घटना में झारखंड के बोकारो जिले कांचकिर में हुए बारूदी सुरंग विस्फोट में लगभग 14 पुलिसकर्मी मारे गये और कुछ घायल हो गए।

यह सभा इन दुर्घटनाओं में मारे गए और घायल हुए लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती है।

यह सभा मृतकों के प्रति सम्मानस्वरूप अब मौन खड़ी होगी।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : महोदय, इस संबंध में माननीय मंत्री को वक्तव्य देने दीजिए। सभा को इसके बारे में जानने का हक है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : महोदय, मैं 12 बजे अपनी स्टेटमेंट दूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा का संचालन करने दीजिए। हम प्रश्न-काल से शुरू करेंगे। मैं आप सबसे सहयोग करने हेतु अनुरोध करूंगा। हम अधिकाधिक को शामिल करने का प्रयास करेंगे। मध्याह्न 12 बजे प्रश्नकाल के तुरन्त पश्चात् माननीय रेल मंत्री वक्तव्य देंगे। माननीय रेल मंत्री ने वक्तव्य देने के लिए मेरी अनुमति मांगी है। मैं उन्हें अनुमति दूंगा। मैं अन्य महत्वपूर्ण मामलों को भी अनुमति दूंगा जिसकी शुरुआत श्री सैयद शाहनवाज हुसैन से होगी।

आज हम मध्याह्न भोजनावकाश नहीं करेंगे। हम 'मूल्य वृद्धि' पर चर्चा जारी रखेंगे और माननीय मंत्री उसका उत्तर देंगे। अपराह्न 3 बजे तक यह समाप्त हो जाना चाहिए। अपराह्न लगभग 3 बजे पंचायतों की स्थिति पर चर्चा शुरू की जाएगी और देर रात तक इस पर चर्चा पूरी होने तक इसे जारी रखा जाएगा।

(व्यवधान)

अब प्रश्न सं. 162—श्री जी. करूणाकर रेड्डी—उपस्थित नहीं।

श्री किसनभाई वी. पटेल—उपस्थित नहीं।

प्रश्न सं. 163—श्री ब्रजेश पाठक।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

ई.एस.आई. अस्पतालों की स्थिति

*163. **श्री ब्रजेश पाठक** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) अस्पतालों की स्थिति संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अस्पतालों की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या योजनाएं तैयार की गई हैं; और

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान सुधार योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कितनी राशि आबंटित किए जाने की संभावना है?

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) देश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पतालों की स्थिति और उनका कार्यसंचालन सामान्य तौर पर संतोषजनक है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पतालों की स्थिति में सुधार लाने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई हैं:-

- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 58 के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा 123 कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल चलाये जा रहे हैं; मॉडल अस्पतालों के रूप में 17 अस्पताल, दिल्ली में 3 अस्पताल और चंडीगढ़ में एक अस्पताल कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा सीधे चलाये जा रहे हैं।

- नैदानिक और क्लिनिकल सेवाओं के लिए आधुनिक उपकरणों को मुहैया कराकर अस्पतालों का आधुनिकीकरण और उन्नयन किया जाता है। वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्तों/ राज्य चिकित्सा आयुक्तों को राज्य स्तर पर ही प्रति इकाई 15 लाख रुपये तक अस्पतालों के उपकरणों की शीघ्र मंजूरी को सुविधाजनक बनाने हेतु शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

- कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं में सुधार लाने के लिये और अधिक निधियों के साथ राज्य सरकारों को सुविधासंपन्न बनाने हेतु 1.4.2005 से प्रतिवर्ष प्रति बीमित व्यक्ति परिवार इकाई चिकित्सा देखरेख प्रदान करने हेतु उच्चतम सीमा को 750/- रुपये से बढ़ाकर 900/- रुपये कर दिया है।

- इसके अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अपनी स्वयं की लागत पर अस्पताल भवनों के निर्माण/मरम्मत और रखरखाव पर कुल व्यय कर रहा है। साथ ही, 900/- रुपये प्रति बीमित व्यक्ति प्रतिवर्ष की उच्चतम सीमा से परे राज्य सरकार और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के बीच 25,000/- रुपये प्रति इकाई के ऊपर वाले लागत के उपकरणों पर होने वाले व्यय में भी भागीदारी की जाती है।

- कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने उच्च विशेषज्ञता/विशेषज्ञता इलाज, औषधियों तथा मरहम पट्टी की खरीद और उपकरणों की मरम्मत तथा रखरखाव के लिए अग्रिम/ प्रतिपूर्ति प्रदान करने के लिये चक्रीय निधि की योजना शुरू की है।

- ऐसी उच्च विशेषज्ञता/विशेषज्ञता सेवाएं जो कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है, प्रदान करने के लिये अन्य प्रतिष्ठित सरकारी/गैर-सरकारी अस्पतालों के साथ टाई-अप व्यवस्थाएं की हैं।

- कर्मचारी राज्य बीमा निगम व्यावसायिक एजेंसियों द्वारा अस्पतालों को ग्रेड दिये जाने और आई एस ओ 9001-2000 प्रमाणन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। दिल्ली में एक ई.एस.आई. अस्पताल को पहले ही आई एस ओ प्रमाणन प्रदान कर दिया गया है।

- कर्मचारी राज्य बीमा निगम कंप्यूटरीकरण को प्रोत्साहित कर रहा है और ई.एस.आई. अस्पतालों में कंप्यूटरों की व्यवस्था पर सभी व्यय करता है।

- कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराने हेतु वर्ष 2006-07 के दौरान 1042.71 करोड़ रुपये का बजट आबंटित किया है।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक : अध्यक्ष महोदय, कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों (ई.एस.आई.) की हालत बहुत खराब है और विशेषकर उत्तर प्रदेश में जो राज्य कर्मचारी हैं, वे उन स्थानों में इलाज कराने की बजाय सरकारी अस्पतालों में, जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन हैं, अपना इलाज कराना पसंद करते हैं। इस संबंध में हमने रोजगार मंत्री जी को कई बार पत्र भी लिखा है। मैं माननीय मंत्री जी से

जानना चाहता हूं कि उन पत्रों पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री चंद्रशेखर साहू : महोदय, ज्यादातर ई.एस.आई. अस्पतालों की फंक्शनिंग राज्य सरकार के हाथ में है। हमारा ई.एस.आई. कारपोरेशन सिर्फ रु. 900 प्रति आई.पी. उन लोगों को दे रहा है। पहली तीन तिमाही में हम उन्हें देते हैं और चौथी तिमाही में हम उनसे बिल मांगते हैं ताकि उन्हें पूरी तरह से प्रतिपूर्ति दी जा सके। ई.एस.आई. अस्पतालों का अपग्रेडेशन, पूरे भारत में 123 ई.एस.आई. अस्पताल हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं, इनके अपग्रेडेशन के लिए या इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए राज्य सरकार से प्रपोजल आना चाहिए। मैं जब इस मिनिस्टरी में था।

[अनुवाद]

मैंने स्वयं पूरे देश में राज्यों के श्रम मंत्रियों तथा माननीय मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है कि प्रस्ताव भेजें तथा चीजों की निगरानी करें ताकि ई.एस.आई. अस्पतालों का कार्यकरण बेहतर हो सके। अत: हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है और पैसों की भी कोई कमी नहीं है।

उन्हें 25,000 रु. से अधिक के उपकरण की खरीद हेतु प्रस्ताव भेजने हैं। हम जो 900 रु. देते हैं उसमें 25,000 रु. की राशि के भीतर के सभी खरीद शामिल हैं किन्तु 20,000 रु. से अधिक पर यह साझेदारी आधार पर है। वह सात बार दे रहे हैं तो उन लोगों को एक बार देना है। उन्हें अस्पतालों हेतु उन्नयन, नव-निर्माण और अन्य चीजों के लिए प्रस्ताव देना है। मंत्रालय की ओर से कोई दिक्कत नहीं है। मंत्रालय अस्पतालों का उन्नयन करने हेतु पूरी तरह से तैयार है।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल था कि मेरे पत्रों पर विभाग ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? मंत्री महोदय ने इस विभाग का अभी कार्य भार संभाला है, मैं उनका स्वागत करता हूं। वह हमारे साथी हैं। मेरा दूसरा सप्लीमैंटरी है कि मेरे संसदीय क्षेत्र उन्नाव में सैंकड़ों की संख्या में चमड़े की फैक्ट्रियां और टैनरीज हैं जिन में काम करने वाले मजदूर आए-दिन बीमार रहते हैं। उनको इससे ऐसी घातक बीमारियां होती हैं जिन से उनका जीवन मुश्किल में पड़ जाता है। वहां राज्य बीमा चिकित्सालय जैसी कोई सुविधा विशेषकर श्रमिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। मैंने इस बारे में पूर्व मंत्री को भी लिखा था और आपके विभाग में मेरे पत्र उपलब्ध होंगे। आप उन्नाव जनपद में कोई ऐसा स्वतंत्र चिकित्सालय केवल श्रमिकों के लिए खुलवा दें जिससे उनका कल्याण हो सके। वहां अस्पताल खोलने के संबंध में मेरे द्वारा लिखे पत्रों पर विभाग ने क्या कार्रवाई की है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके पास जानकारी है?

श्री चंद्रशेखर साहू : अभी मेरे पास जानकारी नहीं है। मैं सामान्य तौर पर बता सकता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, जहां नया अस्पताल खोलना है वहां ज्योग्राफिकल कंडीशन देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट को इसके बारे में नोटिफिकेशन करना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट जब नोटिफिकेशन करेगी तो हम इम्मिजिएटली इस मामले को लेंगे और उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे।

श्री ब्रजेश पाठक : आप इसे करें।

श्री चंद्रशेखर साहू : हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। पहले स्टेट गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन करना पड़ेगा और उसके बाद ही इसे टेक-अप करेंगे।

श्री ब्रजेश पाठक : आप हमारे अनुरोध को आगे भेज दीजिए।

[अनुवाद]

श्री चंद्रशेखर साहू : मैं निश्चय ही इस पर गौर करूंगा।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, अपने उत्तर में मंत्री ने मजबूती से स्वीकार किया है कि ईएसआई अस्पताल अपने वांछित स्तर पर कार्य नहीं कर रहे हैं। ई.एस.आई. अस्पताल अवसंरचना, उपकरण, नैदानिक सुविधाओं इत्यादि की कमी और संबद्ध राज्य सरकारों के पास संसाधनों की कमी का सामना कर रहे हैं। क्या मैं माननीय मंत्री से यह पूछ सकता हूं कि वर्तमान में प्रतिवर्ष ई.एस.आई. निगम द्वारा कितना राजस्व सृजन किया गया है और लाभार्थियों को इसमें से कितनी प्रतिपूर्ति की जा रही है।

श्री चंद्रशेखर साहू : अपने उत्तर में मैंने बताया है कि हम इलाज, दवा और अन्य अवसंरचना पर प्रति आई.पी. 900 रु. देते हैं। जो भी माननीय कहते हैं वह सच है क्योंकि राज्य सरकारें अपने प्रस्ताव नहीं

भेज पाती हैं। जैसाकि मैंने पहले कहा है, हम अवसंरचना, उपकरण सबकुछ का उन्नयन करने को तैयार हैं किन्तु राज्य सरकारें वित्तीय कमी से जूझ रही हैं और वे हिस्सेदारी के लिए तैयार नहीं हैं। यही समस्या है। हमारी तरफ से हम पूरी रुचि ले रहे हैं क्योंकि गत वर्ष ई.एस.आई. निगम की बैठक में हमने पूरे देश में ई.एस.आई. अस्पतालों का प्रत्यक्ष नियंत्रण लेने का एक संकल्प पारित किया है ताकि हम उनका उन्नयन कर सकें। यह प्रक्रियाधीन है। हम सिद्धांत आदि बना रहे हैं ताकि हम संबद्ध राज्य सरकारों को लिखें और यदि वे सहमत होते हैं तो हम सभी अस्पतालों को अपने नियंत्रण में लेंगे। हमने प्रत्येक राज्य में एक आदर्श अस्पताल को परीक्षण आधार पर लिया है और हम इसे उन्नत कर स्तरीय बना रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से खास तौर से जोधपुर में जो ई.एस.आई. अस्पताल है, उसके बारे में पूछना चाहता हूं। जब वह हास्पिटल खुला था तो उस समय वहां कर्मचारियों की संख्या बहुत कम थी। लेकिन उसके बाद अब कर्मचारियों की संख्या बहुत बढ़ गई है, लेकिन वहां न तो कोई स्पेशलिस्ट डाक्टर है और न वहां कोई इक्युपमैन्ट्स हैं। वह नाममात्र का एक ई.एस.आई. अस्पताल है। राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को अपनी तरफ से रिकमैन्डेशन भेजी है। राजस्थान में जयपुर के बाद जोधपुर सबसे बड़ा शहर है, इसलिए वहां इस अस्पताल का अपग्रेडेशन तुरंत किया जाए और वहां स्पेशलिस्ट्स और इक्युपमैन्ट्स बढ़ाये जाएं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा क्या उनके मन में जोधपुर के ई.एस.आई. अस्पताल के अपग्रेडेशन का कोई विचार है, यदि हां, तो इसका अपग्रेडेशन कब तक किया जायेगा?

श्री चंद्रशेखर साहू : महोदय, मैंने इसका उत्तर पहले ही दे दिया है क्योंकि यदि राज्य सरकार से प्रोपोजल आया है तो हम उसके ऊपर जरूर ध्यान देंगे और जितना जल्दी हो सकेगा, हम उस पर एक्शन लेंगे। इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से प्रपोजल आना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री खगेन दास : महोदय, हमने अपने दौरे के दौरान लोक लेखा समिति की बैठक में अधिकारियों के साथ ई.एस.आई. अस्पतालों की स्थिति पर चर्चा की थी। ऐसी खबर आई थी कि मरीज विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी के कारण अस्पतालों में चिकित्सा हेतु नहीं जा रहे हैं। क्या यह सच है कि पूरे देश में ई.एस.आई. अस्पतालों में विशेषज्ञ डाक्टर नहीं हैं? यदि हां, तो उन रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है?

श्री चंद्रशेखर साहू : जहां तक श्रम मंत्रालय द्वारा संचालित ई.एस.आई. अस्पतालों का सवाल है, नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। हमने 70 से अधिक चिकित्सकों की भर्ती की है। जहां तक अन्य सुपर स्पेशियल्टी डाक्टरों का सवाल है, उनके साक्षात्कार पहले ही हो चुके हैं और उनकी नियुक्ति शीघ्र होने जा रही है। राज्य सरकारों द्वारा संभावित अस्पतालों के बारे में मैं आपको अभी ब्यौरा नहीं दे सकता हूं क्योंकि यह उन पर निर्भर है कि वे डाक्टरों और पैरा-मेडिकल कर्मचारियों की नियुक्ति करें।

परन्तु हमारे द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों के बारे में कह सकता हूं। मेरी समझ से 70 से 80 डाक्टरों की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है। अन्य पैरा-मेडिकल स्टाफ और डाक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया जारी है तथा उनकी नियुक्ति भी शीघ्र कर ली जाएगी।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष दोनों के सम्मानित सदस्यों द्वारा प्रकट की गई चिंता जायज है और मंत्री महोदय का उत्तर बराबर राज्य सरकारों की तरफ इंगित हुआ है। उन्होंने उत्तर में कहा है कि आई.पी. के लिए ई.एस.आई. अस्पतालों में नौ सौ रुपये दिए जा रहे हैं और आधारभूत ढांचे के लिए 2500 रुपय दे रहे हैं। आज की महंगाई में यह धनराशि बहुत कम है। हर चीज के दाम बढ़े हैं, दवाइयों के दाम भी बढ़े हैं। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि वास्तव में ई.एस.आई. अस्पतालों की स्थिति बहुत जर्जर है। इनके स्पेशलिस्ट डाक्टरों के अलावा अन्य जो सुविधाएं होनी चाहिए, वे उपलब्ध नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए राज्यों की पैकेज विशेष के रूप में जो डिमांड है, क्या उस आधार पर आप कोई व्यवस्था करेंगे?

श्री चंद्रशेखर साहू : सर, आई.पी. की नौ सौ रुपये धनराशि को अभी बढ़ाया गया है, पहले यह 750 रुपये थी, जिसे अभी बढ़ाकर नौ सौ रुपये किया गया है। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, हम उससे सहमत हैं, क्योंकि राज्य सरकार के फाइनेंशियल कंस्ट्रेन्ट हैं, जिसके कारण वह अभी अपग्रेड नहीं हो पा रहा है। उन्होंने जो 1/8 हिस्सा देना था, वह भी वे दे नहीं पा रहे हैं। माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, हम उस पर जरूर गौर करेंगे। ई.एस.आई. कारपोरेशन है।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : खास तौर से उत्तर प्रदेश के बारे में बतायें।

अध्यक्ष महोदय : सब जगह के लिए करेंगे।

श्री चंद्रशेखर साहू : अगली मीटिंग में इसके ऊपर हम जरूर विचार करेंगे।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदय, पुनः हमारा दुर्भाग्य है। जो मंत्री मंत्रालय के प्रभारी हैं यहां उपस्थित नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने मुझसे अनुमति ली है। वह राष्ट्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषय के लिए विदेश गए हैं। इसलिए, कभी ऐसी टिप्पणियां न करें।

श्री गुरुदास दासगुप्त : मैं इस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। परंतु मैं यह कह रहा हूं कि कामगारों का ऐसा ही दुर्भाग्य है कि प्रश्न का उत्तर अन्य मंत्री दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल ठीक है। आप उनकी चिंताओं के प्रति सजग एवं सक्रिय हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त : बात यह है कि माननीय मंत्री जी द्वैधशासन का उल्लेख कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि 153 अस्पताल राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे हैं और 17 अस्पताल केन्द्र सरकार चला रही है। इसका अर्थ है कि द्वैधशासन है। अनेक अस्पताल केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं तथा अधिकांश अस्पताल राज्य सरकारें चला रही हैं। तथा माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि स्थिति सामान्यतः संतोषजनक है। वह वक्तव्य को मात्र पढ़ रहे हैं।*....

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह सब मत कहिए। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया प्रश्न पूछिए। यह वाद-विवाद नहीं है।

श्री गुरुदास दासगुप्त : यह बिल्कुल गलत है। अधिकांश अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं, दवाएं नहीं हैं तथा सुपर-स्पेशलिटी उनकी पहुंच से बाहर है। कामगार वहां नहीं जाते हैं, पैसा बर्बाद हो रहा है और कोई निगरानी नहीं की जा रही है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं समस्या के मूल में आना चाहता हूं। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों पर जिम्मेवारी डाल रही है और राज्य सरकारें केन्द्र सरकार पर जिम्मेवारी डाल रही हैं। वर्तमान में अधिकांश ई.एस.आई. अस्पतालों में विद्यमान असंतोषजनक स्थिति तथा बढ़े हुए आबंटन के बावजूद कामकारों को उसका कोई लाभ न मिलने के मद्देनजर क्या केन्द्र सरकार एक एकीकृत कमान रखने पर विचार करेगी ताकि*...तथा द्वैधशासन समाप्त होगा?

अध्यक्ष महोदय : यह शब्द हटा दिया जाए।

श्री चंद्रशेखर साहू : पहले प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा है कि ई.एस.आई. अस्पतालों की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि ये सभी अस्पताल केन्द्र सरकार द्वारा सीधे नियंत्रित होंगे और इसके लिए एक प्रस्ताव है। वे लोग इस प्रस्ताव पर कार्य कर रहे हैं। पूरा प्रस्ताव तैयार कर लेने के पश्चात्, हम राज्य सरकारों को लिखेंगे तथा जो राज्य अपने अस्पतालों को सौंपने के लिए राजी होंगे उनके संबंधित अस्पतालों को केन्द्र सरकार पूर्णतः अपने अधिकार में ले लेगी। अपेक्षित अवसंरचना और उपकरण मौजूद हैं।

जहां तक सुपर-स्पेशलिटी का सवाल है, मैं यह कह सकता हूं कि देश में चार जोन है। इसके लिए एक प्रस्ताव पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है और वे इस पर कार्य कर रहे हैं। शीघ्र ही, पूरे देश में चार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अस्तित्व में होंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

तिलहन फसलें

+

*164. **श्री तूफानी सरोज :**
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्ष 2006-07 के लिए तिलहनों और दालों की बुवाई के संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 2006-07 में उपर्युक्त फसलों के बुवाई क्षेत्र में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कमी आई है;

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) घरेलू मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने ऐसे राज्यों के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किसी योजना पर विचार किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) जी, हां। 2006-07 की खरीफ फसलों के लिए प्रथम अग्रिम अनुमानों में निर्धारण के अनुसार खरीफ तिलहनों की उगाई के अंतर्गत क्षेत्र व्याप्ति 2005-06 में 16.79 मिलियन हैक्टेयर (प्रथम अग्रिम अनुमान) की अपेक्षाकृत 15.74 मिलियन हैक्टेयर के लगभग है। 2006-07 की रबी तिलहनों के लिए, मंत्रालय में 24 नवम्बर, 2006 को आयोजित साप्ताहिक फसल मौसम निगरानी दल की बैठक में प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार गत वर्ष इसी अवधि के दौरान 8.16 मिलियन हैक्टेयर की अपेक्षाकृत 7.48 मिलियन हैक्टेयर की क्षेत्र व्याप्ति रही। 2006-07 में तिलहनों के अंतर्गत व्याप्त कुल क्षेत्र (खरीफ एवं रबी) 2005-06 में 24.95 मिलियन हैक्टेयर के स्थान पर 2006-07 में 23.22 मिलियन हैक्टेयर रहा। ऐसा कुछ राज्यों में कम नमी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए तिलहनों के क्षेत्र का दालों की फसलों के कुल तिलहन क्षेत्रों की हस्तांतरण के कारण हुआ है। कुछ तिलहन क्षेत्र भी गेहूं के बाजार में चलने वाले अधिक मूल्यों के कारण गेहूं की फसल में हस्तांतरित हुआ है। तथापि रबी तिलहनों की बुआई की अधिकता है तथा और अधिक क्षेत्र की व्याप्ति पर विचार किया जाता है।

खरीफ दालों के लिए 2006-07 में क्षेत्र व्याप्ति 2005-06 में 10.33 मिलियन हैक्टेयर की अपेक्षाकृत लगभग 10.50 मिलियन हैक्टेयर है। 2006-07 की रबी दालों के लिए 24 नवम्बर 2006 तक गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान 7.18 मिलियन हैक्टेयर की अपेक्षाकृत क्षेत्र व्याप्ति 7.90 मिलियन हैक्टेयर है। 2006-07 में दालों के अंतर्गत कवर किया गया कुल (खरीफ एवं रबी) अब तक 2005-06 में 17.51 मिलियन हैक्टेयर के स्थान पर 18.40 मिलियन हैक्टेयर बतलाया गया है। 2006-07 में दालों के अंतर्गत कवर किया गया कुल क्षेत्र 2005-06 में लगभग 9 लाख हैक्टेयर पहले ही अधिक है।

(घ) खाद्य तेलों बारे में मांग आपूर्ति अन्तराल 2005-06 में 4.17 मिलियन टन तथा 2006 के अप्रैल से जून माह में 1.61 मिलियन टन आयात के माध्यम से पूरा किया गया। दालों के मामले में 2005-06 में 1.61 मिलियन टन तथा 2006 के अप्रैल से जून माह के दौरान 0.43 मिलियन टन के आयात के माध्यम से पूरा किया गया।

(ङ) और (च) तिलहन तथा दाल उगाने वाले राज्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के विचार से सरकार एक केन्द्रीय प्रायोजित "तिलहन, दालें, पॉम तेल तथा मक्का की एकीकृत स्कीम" (आईसोपॉम) लागू कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता विभिन्न निवेशों की खरीद के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच 75:25 के आधार पर प्रदान की जाती है।

श्री तूफानी सरोज : अध्यक्ष जी, तिलहन और दाल देश के आम लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थ है। इसके बावजूद भी कृषि क्षेत्र में तिलहन और दाल के उत्पादन में सरकार का जो सहयोग होना चाहिए, वह सहयोग किसानों को नहीं मिल पा रहा है। जीडीपी की विकास दर 9.1 प्रतिशत पर पहुंच चुकी है। वहीं कृषि क्षेत्र में विकास दर 2.6 प्रतिशत है जबकि पिछले साल कृषि क्षेत्र की विकास दर 3.7 प्रतिशत रही है। जिस तरह गत वर्ष की अपेक्षा 1.1 प्रतिशत विकास दर की जो कमी हुई है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कृषि क्षेत्र में विकास दर की जो कमी आई है, उसके क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न तिलहनों और दालों से संबंधित है। कृपया अपने आप को विषय-वस्तु तक सीमित रखें। सामान्यत: यह कृषि के अंतर्गत आता है। इसलिए, आप तिलहनों और दालों के बारे में चर्चा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : अध्यक्ष महोदय, एक बात है कि जो यहां पर बतलाया गया है कि भारत सरकार के माध्यम से ऑयलसीड्स के क्षेत्र में कुछ नहीं हो रहा है, मैं यह बताना चाहूंगा कि हम यह बात नजरअंदाज नहीं कर सकते कि यह जिम्मेदारी राज्य सरकार के

ऊपर है। जहां तक भारत सरकार की जिम्मेदारी है, उसने 01.04.2004 से ऑयल सीड्स और पल्सेज की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिये देश के 14 राज्यों में एक योजना शुरू की है। इन राज्यों के नाम आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं। इस योजना के तहत भारत सरकार राज्य सरकारों को 75 प्रतिशत अनुदान राशि देती है जबकि 25 प्रतिशत अनुदान राशि राज्य सरकार को देनी पड़ती है। इस योजना के तहत वर्ष 2004-05 में भारत सरकार ने 176 करोड़ रुपया राज्यों को दिया है, वर्ष 2005-06 में 212 करोड़ रुपया और वर्ष 2006-07 के लिये 190 करोड़ रुपये की राशि अनुदान के रूप में दी है। इस योजना को अमल में लाने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है। जैसा मैंने कहा कि भारत सरकार द्वारा दी गई अनुदान राशि 75 प्रतिशत है और जिन 14 राज्यों द्वारा इसकी मांग की गई, उनको डिमांड के मुताबिक उन्हें दी गई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री तूफानी सरोज, आप तिलहन फसलों और दालों से संबंधित अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज : अध्यक्ष महोदय, क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों के लिये तिलहन और दालों की खेती करने के लिये वित्तीय सहायता देने की कोई योजना बनाई है?

श्री शरद पवार : अध्यक्ष महोदय, जहां तक उत्तर प्रदेश के किसानों को वित्तीय सहायता दिये जाने का सवाल है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि वर्ष 2006-07 में उत्तर प्रदेश को 11 करोड़ 15 लाख रुपये की राशि दी गई है, वर्ष 2005-06 के लिये 5 करोड़ 65 लाख रुपये की राशि दी गई और वर्ष 2004-05 में 7 करोड़ 85 लाख रुपये की राशि दी गई।

अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश को जो राशि दी गई है, वह मुख्य रूप से अच्छी क्वालिटी के सीड्स और नयी ब्रीड सीड्स तैयार करने के लिये दी गई है। अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह किसानों को सहायता दे। हम राज्य सरकार को अच्छा सीड देंगे जिससे किसानों की उपज अच्छी हो सकती है। इसलिये इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हुये उत्तर प्रदेश को मदद दी गई है।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, देश में तिलहन और दालों की खेती करने के लिये कृषि योग्य भूमि की कमी है। क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना का प्रस्ताव है जिससे तिलहन और दालों की फसलों के लिये कृषि योग्य भूमि में वृद्धि की जा सके?

श्री शरद पवार : अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्लसेज की बात है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि जहां इरिगेशन की सुविधा है, वहां किसानों द्वारा तिलहन की फसल लेने की टैंडेंसी नहीं है लेकिन वहां से दूसरी फसलें लेते हैं। जो रेनफेडेड क्षेत्र हैं, वहां वे दालों की फसलें ज्यादा लेते हैं लेकिन उनका उत्पादन लिमिटेड होता है। जहां तक ऑयल सीड्स की बात है, इसका नक्शा बदल रहा है। वहां सोयाबीन, मूंगफली, सरसों की पैदावार का क्षेत्र बढ़ने में कई राज्यों में सुधार हो रहा है। लेकिन कई बार मौसम की स्थिति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जहां तक दालों का सवाल है, आप इस साल देखेंगे कि इसके उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई है। रबी और खरीफ की फसलों में बढ़ोत्तरी हुई है। कुल मिलाकर इस बार 9 लाख हैक्टेयर के आसपास ज्यादा क्षेत्र दालों के लिये आता है मगर ऑयल सीड्स के क्षेत्र में 10 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की कमी आई है। इसलिये इस साल की स्थिति को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। 01.04.2004 से जो नई योजना शुरू की गई है, मैं चाहूंगा कि राज्य सरकारों को उस योजना से ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना चाहिए। इस क्षेत्र को बढ़ाने और उसमें प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये ध्यान देने की आवश्यकता है।

चौधरी लाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जितनी सैंट्रली स्पौंसर्ड स्कीम्स बनाई हैं, उनमें दालों के लिये उसने एक इंटिग्रेटेड स्कीम दी है। इसमें हमारी स्टेट जम्मू-कश्मीर को नहीं रखा है। इसमें कहा गया है कि 75 प्रतिशत भाग आप देंगे और 25 प्रतिशत राज्य देंगे। यदि आप नहीं देंगे तो वे कहां से देंगे? मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि हमारी स्टेट में राजमां पूरी दुनिया में सबसे बेहतर किस्म का होता है। यह सबको पता भी होगा। उसके बढ़ावा देने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ऐसी किस्म आपको कहीं नहीं मिलेगी। मेरा निवेदन है कि उन 14 राज्यों के बाद क्या 15वीं स्टेट हमारी भी शामिल करेंगे?

अध्यक्ष महोदय : निवेदन करने का प्रश्न नहीं है।

[अनुवाद]

आपको मंत्री जी से पूछना होगा : "क्या आप हमारी सहायता करेंगे?"

[हिन्दी]

श्री शरद पवार : जहां पल्सेज और आइल सीड्ज का ज्यादा उत्पादन होता है, उन राज्यों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। जहां तक जम्मू-कश्मीर की बात है, वहां बड़े लिमिटेड एरिया में पल्सेज होती हैं मगर इस बारे में भी सोचने के लिए सरकार तैयार है।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब : खरीफ और रबी फसल के रूप में उपजाए जाने वाले तिलहनों का उत्पादन-क्षेत्र घट रहा है। विभिन्न कारणों से तिलहन उत्पादक तिलहन छोड़कर अन्य फसलें उगाने लगे हैं। इसका प्रमुख कारण अलाभकारी मूल्य हैं। यद्यपि कि दलहनों का उत्पादन क्षेत्र वर्ष-दर-वर्ष बढ़ता जा रहा है, तथापि, देश दालों के मामले में आत्म-निर्भर नहीं है। हम खाद्य तेल और दालों का आयात कर रहे हैं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप मानते हैं कि तिलहनों और दलहनों का उत्पादन करने वाले राज्यों को दी जा रही वित्तीय सहायता बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, विशेषकर उस वित्तीय सहायता को जो 75:25 आधार पर मुहैय्या कराई जा रही है 90:10 आधार पर किए जाने की आवश्यकता है?

श्री शरद पवार : यह नहीं भूलना चाहिए कि पूरा उत्तरदायित्व राज्यों का है। कृषि राज्य का विषय है। इसलिए जब भारत सरकार 75 प्रतिशत उत्तरदायित्व ले रही है तो राज्यों को कम से कम 25 प्रतिशत उत्तरदायित्व लेना ही चाहिए। अन्यथा इसका महत्व समाप्त हो जाएगा। इसी वजह से मैं यह कहूंगा कि यह एक सुविचारित निर्णय है।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कृषि मंत्री जी कृषि विभाग के विशेषज्ञ हैं। दलहन और तिलहन कृषि क्षेत्र के बहुत महत्वपूर्ण उत्पादन हैं और नकदी फसलें हैं। इन फसलों के संबंध में यहां प्रश्न पूछा गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि इस वर्ष इन फसलों में सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की आई है कि इन फसलों को बोने के लिए न तो पानी है, न बिजली है और न ही खाद मिली है। खाद इतनी महंगी हो गई है कि न तो वह उपलब्ध है और न किसान इसको खरीद पा रहे हैं। कागजों पर जो बात कही जा रही है कि आपने इतना रुपया खर्च किया है और विगत वर्षों के आंकड़े पेश किये हैं, उस लिहाज से कितना उत्पादन दलहन और तिलहन का बढ़ा है? उसके साथ-साथ आपने कितना आयात किया है और कितनी उपलब्धता आपके पास उत्पादन के जरिए हुई है?

श्री शरद पवार : एक तो मैंने क्षेत्र की बात सदन को बतलाई। जहां तक इंपोर्ट-एक्सपोर्ट की बात है, यह कहा गया है कि एडिबल आइल का जो गैप है, उसको पूरा करने के लिए हमें हर साल इंपोर्ट करना पड़ता है। 2001-2002 से 2006-2007 तक के सालों में आइल इंपोर्ट करने का काम इस देश में हुआ। इस वर्ष 3548 करोड़ रुपये का खाद्य तेल आयात किया गया है। पिछले वर्ष 8716 करोड़ रुपये का खाद्य तेल आयात किया गया था। वर्ष 2004-05 में 11,076 करोड़ रुपये का खाद्य तेल आयात किया गया था। जैसा मैंने कहा कि गैप है, उसे पूरा करने के लिए इंपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। जहां तक पल्सेज की बात है, उसकी स्थिति थोड़ी अलग है। उसे हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। पिछले कुछ सालों से हम पल्सेज इंपोर्ट करते थे। यह पहला साल है एक्सपोर्ट करने की स्थिति आई है क्योंकि देश की अंदरूनी स्थिति और पल्सेज की उपलब्धता पहले कम थी। इसलिए कुछ हद तक अभी एक्सपोर्ट के लिए बैन लगाया गया है, नहीं तो हर साल हम पल्सेज एक्सपोर्ट करते थे। मगर पल्सेज में कई बार कई चीजें जब देश में एवेलेबल नहीं होतीं तो इम्पोर्ट करने की इजाजत देते हैं। इस साल 730 करोड़ पए का इम्पोर्ट हुआ, पिछले साल 3240 करोड़ रुपए का इम्पोर्ट हुआ और सन् 2004-05 में 1777 रुपए का माल इम्पोर्ट हुआ है।

श्री मित्रसेन यादव : आपने यह नहीं बताया कि हमारे देश में कितना उत्पादन बढ़ा, कितना परसेंटेज बढ़ा? आपने जो पैसा खर्च किया, उसके अनुसार उत्पादन कितना बढ़ा?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप आंकड़े दे सकते हैं?

श्री शरद पवार : मैं आंकड़ा दे सकता हूं। वर्षों के दौरान उत्पादकता में अंतर रहा है। उदाहरणार्थ, पिछले वर्ष तिलहन का कुल उत्पादन 27.73 मिलियन टन था, वर्ष 2004-05 में यह उत्पादन 24.35 मिलियन टन था तथा 2003-04 के दौरान यह उत्पादन 25.19 मिलियन टन रहा। इस प्रकार यदि आप आंकड़ों को देखें जो *[हिन्दी]* सन् 2003-04 में 25 मिलियन, 2004-05 में 24 मिलियन और 2005-06 में 27 मिलियन प्रोडक्शन हुआ। कभी सेटबैक होता है, कभी प्रोडक्शन बढ़ता है, यह ऑयल सीड की स्थिति है। जहां तक पल्सेज की बात है, पल्सेज में स्टेगनेशन है और वह स्टेगनेशन सन् 2003-04 में 14 मिलियन

टन था, 2004-05 में 13.13 मिलियन टन था और 2005-06 में 13.11 मिलियन टन था। पल्सेज में हमारी उत्पादकता थोड़ी कम हुई है। मैंने पहले ही बताया कि रेनफेड एरिया में पल्सेज क्राप लेने की टैंडेंसी किसानों की है, इसका यील्ड पर असर हुआ है। हमें एक बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि हमारी जो वेरायटीज रिसर्च के माध्यम से पिछले कई सालों से डेवलप हुई है, अभी तक हमें इसमें ठीक तरह से ब्रेकथ्रु नहीं मिला, यह स्थिति है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कृषक आयोग

+

*165. **सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड :**
श्री पी.सी. थामस :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय कृषक आयोग ने अपनी पांचवीं और अंतिम रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) कृषकों संबंधी राष्ट्रीय नीति को सरकार द्वारा कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) जी, हां। पांचवीं और अंतिम रिपोर्ट अन्य बातों के साथ-साथ किसानों के जीवनयापन के अवसर और आय में सुधार करने; कृषि में युवाओं को आकर्षित करने तथा उन्हें इसी व्यवसाय से जुड़े रहने; भारतीय कृषि की प्रतिस्पर्धा में सुधार करने तथा एक अनिश्चित व्यापार वातावरण में किसानों की सह्य क्षमता (कोपिंग कैपेसिटी) को सुदृढ़ करने से संबंधित है। इस रिपोर्ट में किसानों के लिए एक संशोधित मसौदा राष्ट्रीय नीति (रिवाइज्ड ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी) भी शामिल है जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ खेती की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार करना; सभी फार्म नीतियों में मानव और लिंग संबंधी आयामों को मुख्य धारा में लाना; किसानों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली आरंभ करना; ग्रामीण भारत में समुदाय-केन्द्रित खाद्य, जल और ऊर्जा सुरक्षा प्रणाली को बढ़ाना; फसलों, फार्म पशुओं, मछली और वृक्षों की बायो सुरक्षा सुदृढ़ करना; बायो-प्रौद्योगिकी और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सतत् कृषि उत्पादों के लिए अपेक्षित आदानों की आपूर्ति के लिए भारत को एक विश्वीय स्रोतबाह्य हब बनाना; और भूमि सुधार में अधूरी कार्यसूची को पूरा करना है।

इस आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है। तथापि, आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार कई कार्यक्रम पहले से ही कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या किसानों हेतु प्रारूप राष्ट्रीय नीति में किसानों के साथ होने वाली हेरा-फेरी में कमी लाने हेतु विपणन एवं प्रबंधन संबंधी विस्तृत अध्ययन को सम्मिलित किया जाएगा।

श्री शरद पवार : महोदय, इस आयोग का गठन सरकार द्वारा किया गया है और आयोग ने कुल पांच प्रतिवेदन दिए हैं। इनमें आयोग ने निश्चित रूप से विपणन के संबंध में कुछ कहा है और इसमें यह भी कहा गया है कि हमें कृषि उत्पादों की आवाजाही पर लगे विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए ताकि किसानों को उचित मूल्य प्राप्त हो सके।

सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड : महोदय, क्या कृषि क्षेत्र संबंधी सुधारों में किसानों पर आश्रित परिवारों के सभी सदस्यों के लिए बीमा योजनाओं को शामिल किया जाएगा?

श्री शरद पवार : महोदय, आयोग की सिफारिशों में से एक है बीमा योजना में संशोधन और हमारे समक्ष यह विषय विशेष विचाराधीन है।

श्री पी.सी. थामस : महोदय, किसान आयोग की रिपोर्ट में भूमि, मृदा, जल, ऋण बीमा औने-पौने मूल्य पर बिक्री, कृषि जोखिम कोष,

प्रौद्योगिकी बाजार इत्यादि सहित कई पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है और इसमें किसानों हेतु नई नीति का भी सुझाव दिया गया है। मुझे विश्वास है कि मंत्रालय और अध्ययन करेगा और इन कई बातों को क्रियान्वित करने हेतु कदम उठाएगा। मैं इसके केवल एक पहलु के संबंध में एक सटीक प्रश्न करना चाहता हूं क्योंकि यह एक विस्तृत क्षेत्र है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, कृपया ऐसा ही कीजिए। सभी प्रश्न सटीक होने चाहिए।

श्री पी.सी. थामस : कृषि जोखिम कोष एक ऐसा पहलु है जिसका रिपोर्ट में विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

मुझे उम्मीद है कि, यह नीति में भी शामिल होगा। किसानों के समक्ष कृषि संबंधी जोखिम प्रमुख मुद्दा है। यह जोखिम प्रकृति, बाढ़ और हर चीज का है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार किसानों को प्राकृतिक आपदा के साथ-साथ कृषि उत्पादों के मूल्यों में तीव्र गिरावट के जोखिम से बचाने के लिए वास्तव में क्या विचार कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : यह रिपोर्ट विचाराधीन है।

श्री शरद पवार : वस्तुत: रिपोर्ट कई चरणों में दी गई है। अंतिम रिपोर्ट हाल में प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट में की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक यह है कि आयोग एक नई राष्ट्रीय नीति का सुझाव देने वाला है।

वस्तुत:, इस संसद ने वर्ष 2002 में राष्ट्रीय कृषि नीति को मंजूरी दी है। अब इस रिपोर्ट में और सुझाव एवं सिफारिशें दी गई हैं। हमने इसपर अंतिम रूप से विचार नहीं किया है। इन रिपोर्टों की सभी सिफारिशों को प्राप्त करने के पश्चात्, सिफारिशों को समेकित किया गया था और विभिन्न मंत्रालयों को भेजा गया था क्योंकि इसका संबंध कई मंत्रालयों से था। हमने इन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त किया और इन प्रतिक्रियाओं को अंतत: प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा नियुक्त सचिवों की समिति द्वारा निपटान किया जाएगा। सचिवों की समिति से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् इस पर उच्च स्तर पर अर्थात् प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले कृषि आयोग द्वारा चर्चा की जाएगी। इस समिति में इन सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी और फिर अंतिम प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के पश्चात्, मैं यह बताने में समर्थ होऊंगा कि किस मद को स्वीकृत किया गया है और भारत सरकार किस मद को क्रियान्वित करने वाली है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में और कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

श्री चरकल्ल राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैंने अपना हाथ उठाया है।

अध्यक्ष महोदय : तो क्या हुआ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे सामने 20 लोगों ने हाथ उठाए हैं। मैं सभी 20 लोगों को एक साथ नहीं बुला सकता हूं।

श्री चरकल्ल राधाकृष्णन : महोदय, मैंने प्रश्न पूछने के लिए हाथ उठाए हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रसन्नता है कि आपने अपने हाथ उठाए हैं।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं। भूमिहीन आदिवासी किसानों को घर के बागानों और पशु-पालन हेतु प्रत्येक परिवार को एक एकड़ भूमि उपलब्ध कराने की आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा किन कार्यक्रमों की परिकल्पना की गई है। मेरे विचार से मंत्री महोदय, प्रश्न स्पष्ट है।

श्री शरद पवार : प्रश्न स्पष्ट है, परंतु अभी भी इस पर अंतिम रूप से विचार किया जाना बाकी है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से माननीय सदस्यगण को केवल एक बात पूछ सकते हैं कि अंतिम निर्णय तक पहुंचने की समय-सीमा क्या है। सभी यह सुझाव दे रहे हैं कि 'यह करो, वह करो' और वह जवाब दे रहे हैं कि 'हम इस पर विचार करेंगे'। क्या आप उत्तर देना चाहेंगे, मंत्री महोदय?

श्री शरद पवार : जैसाकि मैंने कहा है, यह विशिष्ट प्रस्ताव सचिवों की समिति के विचाराधीन है। वहां से मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात् हम यथाशीघ्र निर्णय लेना चाहेंगे। वस्तुत:, स्वामिनाथन समिति की कुछ सिफारिशों को गत डेढ़ या दो वर्ष पूर्व ही क्रियान्वित किया जा चुका

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

है। परंतु सामान्य नीति, रिपोर्ट एवं आयोग की सिफारिशों पर अब तक विचार नहीं किया गया है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : धन्यवाद, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : आपको मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। मैं बस आपसे थोड़ा धैर्य और नियमों के अनुपालन की अपेक्षा रखता हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : क्षमा चाहता हूं महोदय, परंतु आपका ध्यान आकर्षित करने का यही एकमात्र तरीका है।

अध्यक्ष महोदय : हम उनके नाम दर्ज कर रहे हैं जो हाथ उठा रहे हैं। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि मैं तत्काल आपको बुलाऊंगा। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपने विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कैसे कार्य किया।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, स्वामिनाथन आयोग ने ब्याज की उचित दर को निर्धारित करने के मुद्दे पर गौर किया। हाल में, केरल विधान सभा ने इस प्रयोजन हेतु एक नये विधान पर विचार किए जाने की घोषणा की है। ब्याज की उचित दर को निर्धारित करने हेतु आयोग की नियुक्ति करनी होगी। ऋण राहत आयोग नियुक्त करने का मुद्दा राज्य के समक्ष है। अब, वे साक्ष्य ले रहे हैं। इसमें बैंकिंग प्रणाली शामिल है जोकि एक समवर्ती विषय है।

यदि उचित दरों को निर्धारित करके केरल विधान सभा किसानों को राहत देने में सफलता प्राप्त करने का प्रयास कर रही है, तो केन्द्रीय सरकार को ब्याज की उचित दर निर्धारित करने के संबंध में केन्द्रीय विधान लाने हेतु पहल भी करनी चाहिए क्योंकि इसमें अनुसूचित बैंक संलिप्त है और भारतीय रिजर्व बैंक भी शामिल है। राज्य विधान से इस उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सकेगा।

चूंकि यह विषय समवर्ती सूची में है, मैं माननीय मंत्री से ऋण-ग्रस्त किसानों को राहत प्रदान हेतु केरल विधान सभा के विधायी प्रयासों की तर्ज पर केन्द्रीय विधान लाने का अनुरोध करता हूं। यही मेरा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं है, आपने केवल अनुरोध किया है।

यह प्रश्न नहीं उठता परंतु कुछ जवाब दीजिए।

श्री शरद पवार : ऋणग्रस्तता एक बहुत ही गंभीर समस्या है जिससे भारतीय कृषक समुदाय आज जूझ रहा है। इस सम्माननीय सभा में इस विशेष विषय पर कई बार चर्चा की गई है। भारत सरकार ने कतिपय निर्णय लिए हैं। पूरे देश में कृषक समुदाय पर ऋणग्रस्तता के कुल भार का आकलन करने हेतु प्रतिष्ठित प्रोफेसर श्री राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई है।

अध्यक्ष महोदय : वह नहीं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।... *(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : उक्त समिति नियुक्त की गई है, और समिति से 31 दिसम्बर तक अंतरिम रिपोर्ट और 31 मई तक अंतिम रिपोर्ट देने का अनुरोध किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : किस वर्ष?

श्री शरद पवार : इस वर्ष, वस्तुत: इसकी नियुक्ति चार माह पूर्व की गई है। यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, इस प्रकार की समय-सीमा समिति को भी दी गई है।

दूसरे, ब्याज के मुद्दे के संबंध में, भारत सरकार ने ब्याज की दर को 9 प्रतिशत से 7 प्रतिशत तक घटाने का सचेतन निर्णय लिया है। यह विशेष उपबंध बहुत सी सहकारी समितियों के संबंध में लागू नहीं था। लगभग तीन सप्ताह पूर्व भारत सरकार ने भी सहकारी समितियों आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु एक निर्णय लिया जिसमें वे अपनी ब्याज दर को 3 लाख रुपये तक पर 9 प्रतिशत या 11 प्रतिशत से कम कर 7 प्रतिशत कर सकेंगे। इसलिए, हमने प्रक्रिया आरंभ कर दी हैं। राधाकृष्णन समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि डा. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय कृषक आयोग की एक महत्वपूर्ण सिफारिश भूमि सुधारों के अधूरे कार्य को पूरा किया जाना है। अब सरकार भूमि सुधारों को उल्टी दिशा में ले जा रही है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों का दुरुपयोग कर राज्य सरकारें किसानों से भूमि का अधिग्रहण कर रही हैं तथा यह भूमि उद्योगपतियों को दे रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : महोदय, भूमि सुधार के अधूरे पड़े इस कार्य को पूरा करने के लिए स्वामीनाथन समिति ने यह विशेष सिफारिश की है। इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न पूछ रहा हूं।

'विशेष आर्थिक क्षेत्र' के अधिनियम के उपबंध इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे भूमि उद्योगपतियों को दी जा रही है। इन सभी बातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि भूमि वितरण अब सरकार का कार्य नहीं रहा है। इसलिए, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि भूमि सुधारों के बारे में सरकार की क्या सोच है और भूमि सुधारों के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है एवं क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है... *(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : पहले तो यह बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्तर यह विषय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है तथा न कि कृषि मंत्रालय के अधीन। इसलिए, प्रश्न संबंधित मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए। परंतु, यह एक सिफारिश है तथा हमने सिफारिशों पर विचार किया है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : महोदय, हम मुख्यत: हमारी कृषि अर्थव्यवस्था में संकट के कारण पूरे देश में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर की जा रही आत्महत्याओं के संदर्भ में इस प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रप्पन यह केवल राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट से ही संबंधित है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : इस संदर्भ में मैं मंत्री जी से इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि यदि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाता है, तो यह दु:खी कर देने वाली समस्याओं से निपटने में काफी मददगार होगी। जैसाकि मंत्री जी ने कहा है कि विभिन्न स्तरों पर इस पर विचार किया जा रहा है, मैं यह विशेष रूप से पूछना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय लेने में कितना समय लगेगा।

दूसरे बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि किस स्वामीनाथन आयोग ने 4 प्रतिशत ब्याज की सिफारिश की है और मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार, विशेष मामले के तौर पर उस सिफारिश पर शीघ्र ही निर्णय लेगी।

श्री शरद पवार : महोदय, मैं यह पहले ही कह चुका हूं कि भारत सरकार ने इसे 11 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करने का निर्णय पहले ही कर चुकी है तथा इस निर्णय को लागू कर अधिकांश भार भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

सिफारिशों के बारे में अंतिम निर्णय लेने के संबंध में समय-सीमा बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत से मंत्री शामिल हैं। हमारा प्रयास यह है कि यथासंभव इस संपूर्ण प्रक्रिया को छह माह में पूरा कर लिया जाए।

श्री इन्नोसेन्ट थोल्लाह : महोदय, अधिकतर प्रश्न पूछ लिए गए हैं। आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। परंतु फिर से मंत्रियों, कई विशेषज्ञों तथा सचिवालय के अधीन समितियां गठित की गई हैं। आधा समय पहले ही बीत चुका है। जब तक अगली रिपोर्ट आएगी सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। कतिपय सिफारिशों को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। इनमें से एक सिफारिश देश में सभी फसलों के लिए फसल बीमा का विस्तार किया जाना है। दूसरी महत्वपूर्ण सिफारिश चार प्रतिशत ब्याज दर की है। इन दो सिफारिशों को समिति की सिफारिशों का और इंतजार किये बिना तुरंत लागू कर देना चाहिए। मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन दो सिफारिशों पर विचार कर रही है।

श्री शरद पवार : मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह राज्य का विषय है और सिफारिशों का दूरगामी प्रभाव होता है। यह एक औपचारिकता पूरी की जानी बाकी है। हमें राज्य सरकारों को विश्वास में लेना है। इन सिफारिशों पर सभी राज्यों के कृषि-मंत्रियों से चर्चा करने तथा उनके विचार जानने हेतु मैंने 22 दिसम्बर को एक बैठक बुलाई है। राज्यों तथा संबंधित मंत्रियों के विचार मिलने के बाद, हम अंतिम निर्णय लेना चाहेंगे। यह निर्णय एक मंत्री द्वारा नहीं लिया जाएगा। चार प्रतिशत ब्याज दर का ही उदाहरण ले लीजिए। अंतत: यह विशेष निर्णय वित्त मंत्री द्वारा लिया जाएगा। इसलिए इस समय यह कहना बहुत कठिन होगा कि हरेक सिफारिश को स्वीकार करने में हम सक्षम होंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न सं. 166, श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली—उपस्थित नहीं।

श्री महेश कनोडीया।

[हिन्दी]

किसानों की ऋणग्रस्तता

+

*166. **श्री महेश कनोडीया :**
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी कृषि ऋण किसानों द्वारा आत्महत्या करने का प्रमुख कारण है;

(ख) यदि हां, तो क्या डा. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय कृषक आयोग ने किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण देने और किसानों की कुछेक श्रेणी के लिए ऋण के ब्याज और मूलधन को भी माफ करने का सुझाव दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इस संबंध में गठित की गई राधाकृष्णन विशेषज्ञ ग्रुप तथा हनुमन्त राव समिति ने अपने अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(च) क्या सूखा प्रवण क्षेत्रों में किसानों के लिए सरकार द्वारा घोषित किए गए विशेष पैकेज में ऐसे किसानों को सम्मिलित नहीं किया गया है जिन पर ऋण बकाया था;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) इस पैकेज में ऋणग्रस्त किसानों को शामिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ज) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) कृषि ऋणग्रस्तता किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के मुख्य कारणों में से एक कारण है।

(ख) और (ग) डा. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ जिन बातों की सिफारिश की है वे इस प्रकार हैं:- औपचारिक ऋण प्रणाली की पहुंच का विस्तार, फसल ऋण पर ब्याज की दर को कम करके 4% तक करना, माइक्रो वित्त को आजीविका वित्त तक पुनः संरचित करना और ऋण वसूली पर ऋण-स्थगन तथा विपत्तिग्रस्त विशेष आवश्यकता वाले क्षेत्रों में तथा आपदाओं के दौरान ऋण पर ब्याज की माफी। ये सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी, नहीं।

(छ) और (ज) ये प्रश्न नहीं उठते।

श्री महेश कनोडीया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि गैर संस्थागत साहूकारों से लिए गए कर्जों से छुटकारे के लिए किसानों को कर्ज देने का जो प्रावधान किया गया है, उसके अंतर्गत कितने किसानों को अब तक कर्ज दिया गया है और विशेषकर गुजरात राज्य में कितने किसानों को कर्ज दिया गया है? माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं।

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और इस साल देश में बहुत बड़े पैमाने पर क्राप लोन का बंटवारा हो, इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। तीन साल पहले, एग्रीकल्चर क्रेडिट किस तरह से बढ़े, इस संबंध में भारत सरकार ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस की और सन् 2004-05 में एक लाख पांच हजार करोड़ रुपए के डिस्बर्समेंट का टार्गेट किया गया।

[अनुवाद]

इससे पहले कृषि फसल ऋण के लिए 86,000 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की गई थी। वर्ष 2004-05 में 1,05,000 करोड़ रुपये का कुल लक्ष्य रखा गया था। वास्तविक प्राप्ति 1,25,309 करोड़ रुपये रही। इस प्रकार वर्ष 2004-05 में 32 प्रतिशत अधिक ऋण दिया गया। वर्ष 2005-06 में 1,41,000 करोड़ रुपये का कुल लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा उपलब्धि 1,67,700 करोड़ रुपये रही। इस प्रकार 119 प्रतिशत लक्ष्य पूरा किया गया। वर्ष 2006-07 में, मेरे पास खरीफ

फसल तक के ही आंकड़े हैं। रबी फसल के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

लक्ष्य 1,75,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था, तथा सितम्बर, 2006 तक 94,345 करोड़ रुपये का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। इससे जाहिर होता है कि 53.91 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

पहली बार, भारतीय किसानों को इतना ऋण दिया गया है। लेकिन अभी भी मैं स्वयं संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि इतना अधिक ऋण दिए जाने के बावजूद भी, आज भी 60 प्रतिशत से भी अधिक किसान किसी भी वित्तीय संस्थान, चाहे वह सहकारी या राष्ट्रीयकृत या क्षेत्रीय विकास बैंक हो, से ऋण लेने की स्थिति में नहीं हैं। जब तक हम सजग निर्णय नहीं लेते तथा सभी किसानों को इस ऋण नेट में लाने का प्रयास नहीं करते हैं, तब तक हम इन शाहूकारों को नहीं रोक पाएंगे। हमें व्यापक पैमाने पर इन सब बातों पर ध्यान देना होगा।

[हिन्दी]

श्री महेश कनोडीया : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र के करीब 31 जिलों के किसानों का कर्ज माफ किया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि गुजरात राज्य में स्थित जिन जिलों में किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, क्या उन किसानों को उसका लाभ मिला है? अगर लाभ मिला है, तो उसका ब्यौरा क्या है?

श्री शरद पवार : अध्यक्ष महोदय, चार राज्यों के 31 जिलों के लिए जो स्कीम है, उसमें 6 जिले महाराष्ट्र, 6 जिले कर्नाटक, 3 जिले केरल और बाकी 10 जिले आंध्र प्रदेश के आते हैं। इन जिलों का सलैक्शन इसलिए किया गया क्योंकि देश में सबसे ज्यादा आत्महत्या के उदाहरण इन जिलों में देखने को मिले। इसलिए वहां की स्थिति अलग थी। वहां इरीगेशन का परसेंटेज बहुत कम था। इसके अलावा कोई और भी समस्या थी। इसलिए उन राज्यों की मदद के लिए भारत सरकार ने एक पैकेज तैयार किया जिसके तहत उन जिलों के किसानों पर जो फाइनेंशियल बर्डन है, उसका 50 परसेंट पैसा भारत सरकार देगी और 50 परसेंट स्टेट गवर्नमैंट देगी। इस तरह पैसे डिसबर्स करने का काम किया गया है। मुझे खुशी है कि गुजरात की परिस्थिति बहुत अच्छी है। गुजरात में किसानों द्वारा आत्महत्या करने का रेट बहुत कम है क्योंकि वहां की सरकार ने आजकल किसानों के लिए कुछ नई स्कीम्स हाथ में ली हैं जिनका फायदा वहां हमें दिख रहा है। ऐसे कई राज्य हैं जहां किसानों द्वारा आत्महत्या करने का रेट कम हो रहा है क्योंकि वहां की सरकार ने इसमें ज्यादा दिलचस्पी ली है। लेकिन इन चार राज्यों के 31 जिलों की स्थिति अलग थी, इसलिए उनको अलग तरह से दिखाया गया है।

श्री सचिन पायलट : अध्यक्ष महोदय, किसानों के कर्ज की बात सदन में चल रही है। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि जो किसान कर्ज लेता है खासकर उन राज्यों में जहां पानी की बहुत किल्लत है, ऐसे छोटे किसान जो दो-चार या पांच बीघा जमीन में खेती करते हैं, वे पानी के साधन ढूंढने यानी बोरिंग कराने के लिए कर्ज लेते हैं। कई मर्तबा ऐसा होता है कि दो हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक उनके बोरिंग कराने में खर्च हो जाते हैं, लेकिन पानी नहीं निकलता। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की मंशा ऐसे छोटे किसानों का बीमा कराने की है जिससे अगर बोरिंग कराने पर पानी न निकले, तो सरकार उनकी मदद के लिए आगे आ सके।

श्री शरद पवार : ऐसा कोई प्रपोजल अभी सरकार के सामने नहीं है।

मोहम्मद सलीम : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय खुद बता रहे हैं कि श्री स्वामीनाथन कमीशन ने यह कहा है कि क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म में अगर सुधार नहीं होता, तो किसानों द्वारा सुसाइड करने की सबसे बड़ी वजह जो कर्ज है, वह नहीं होगी। हमारा आज जो आर्गेनाइज्ड क्रेडिट सिस्टम है, वहां तक किसान नहीं पहुंचते या वह किसान तक नहीं पहुंचे। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि सरकार के वित्त मंत्री कह रहे हैं कि हम कई गुना क्रेडिट बढ़ा रहे हैं लेकिन जब खेती वायेबल नहीं है, तो किसान कर्ज वापिस नहीं कर पाते और कर्जदार बन जाते हैं।

अधिकतर जो सुसाइड्स हो रही हैं, उसकी वजह यह है कि हमारे आर्गनाइज्ड मैकेनिज्म से ज्यादा, लोग महाजनों और जो दूसरे मनीलेंडर्स हैं, उनकी कल्चेज में हैं। आप उसे कैसे तोड़ेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सलीम, कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम : आप जो तरीका बता रहे हैं, उससे आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपकी अपनी संगठित प्रणाली के अलावा, जो इनफार्मल सेक्टर्स हैं, जैसे अभी माइक्रोफाइनेंसेज के लिए नोबेल

पुरस्कार मिला है और जो माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे, राज्य सरकारों के बहुत से चैनलाइजिंग एजेंट्स हैं जो बैकवर्ड सेक्शन्स और एससी लोगों के बीच काम करते हैं, ऐसे मैकेनिज्म को क्या आप इस्तेमाल करेंगे ताकि किसानों के लिए कर्ज का फ्लो उनके माध्यम से हो और मनीलेंडर्स की जो क्लच है, वह खत्म हो?

श्री शरद पवार : महोदय, मैंने शुरू में कहा है कि यह बहुत गंभीर समस्या है, मगर सरकार का इस पर बहुत ध्यान है। मैंने जो फिगर्स दी हैं, उसमें दो साल पहले 86,000 करोड़ का डिस्बर्समेंट हुआ था, इस साल यह डिस्बर्समेंट 1,75,000 करोड़ रुपये तक आई है। इस तरह इसमें सुधार दिखाई देता है, फिर भी ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। इसमें हमारे सामने दो समस्याएं आ रही हैं। एक तो यह कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज और बैंक्स गांवों में लोनिंग करते हैं, उनमें सिक कोऑपरेटिव सोसाइटीज की संख्या ज्यादा है। उनकी हैल्थ ठीक करने के लिए वैद्यनाथन जी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गयी थी जिसकी रिकमेंडेशन्स आ गयी हैं और उनको सरकार ने स्वीकार किया है। इसे स्वीकार करते हुए सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए की राशि इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज की हैल्थ सुधारने के लिए देने की तैयारी की है। इसमें से 12,000 करोड़ रुपए राज्य सरकारों को भारत सरकार के माध्यम से सप्लाई किए जाएंगे और शेष 2,000 करोड़ रुपए की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर डाली गई है। इससे कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस की हैल्थ सुधारनी है। अगर उनकी हैल्थ ठीक हो जाएगी तो गांवों में क्रेडिट मिलने का जो रास्ता पहले बंद हो गया था, पुन: खुल जाएगा। दूसरे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से भी क्रेडिट डिस्बर्स करने के लिए, खासतौर से इसका फायदा छोटे और गरीब लोगों को ज्यादा होता है, शुरुआत इस साल बड़े पैमाने पर नाबार्ड के माध्यम से की गयी है। आज मेरे पास इसकी फिगर्स उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन अगर आवश्यकता हो तो मैं इस सदन को उपलब्ध करा सकता हूं।

श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे : महोदय, महाराष्ट्र में जिन किसानों ने आत्महत्याएं की हैं उनमें से ज्यादातर विदर्भ के किसान हैं, लेकिन महाराष्ट्र के मराठवाड़ा विभाग के भी बहुत से किसानों ने आत्महत्या की है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या विदर्भ जैसा पैकेज मराठवाड़ा विभाग के किसानों को भी दिया जाएगा और किसानों की आत्महत्याएं रोकने के लिए उन पर जो ऋण है, क्या उसे माफ किया जाएगा?

श्री शरद पवार : महोदय, आत्महत्या की समस्या देश के सामने बड़ी गंभीर समस्या है, मैंने सदन को इससे पूर्व इसके डिटेल्स दिए हैं। देश में हर साल एक लाख पन्द्रह हजार, एक लाख 20 हजार के लगभग लोग आत्महत्या करते हैं। इसमें से 16 प्रतिशत किसान होते हैं या किसान परिवार से होते हैं। इनमें से सभी केवल कृषि कारणों से ही आत्महत्या करते हैं, यह नहीं माना जा सकता है, लेकिन मेजॉरिटी में यह देखा जाता है कि उनके ऊपर कर्ज के बोझ, उनकी फसल का ठीक तरह से कीमत नहीं मिलना, फसल खराब होना जिससे उनको नुकसान होता है और उनको प्राइवेट मनीलेंडर्स से पैसा लेना पड़ता है और उसे वापस करने की क्षमता नहीं रहने पर मनीलेंडर्स का प्रेशर आना आदि रीजन्स हमारे सामने आते हैं। इसलिए जिन चार राज्यों में यह समस्या ज्यादा है, उनके लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। जहां तक बाकी राज्यों के अन्य जिलों की स्थिति है, उनके बारे में निर्णय लेने के लिए राधाकृष्णन कमेटी बनाई गयी है और इस कमेटी की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी देने के लिए टाइम लिमिट दी गई है। वह रिपोर्ट आने के बाद उनके सुझाव पर इनडेब्टेडनेस से किसानों को छुटकारा दिलाने के लिए क्या कदम उठाने की आवश्यकता है, इस पर सरकार निर्णय लेगी।

[अनुवाद]

श्री ए. कृष्णास्वामी : महोदय, राष्ट्रीय किसान आयोग ने कुछ वर्गों के किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण देने की सिफारिश की है। डा. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग की यह एक सिफारिश है।

लेकिन हमारे राज्य में मुख्यमंत्री, डा. कैलाइगनार करुणानिधि के नेतृत्व में किसानों की श्रेणियों को दरकिनार करते हुए सभी किसानों के 7,000 करोड़ रुपये के ऋण को माफ कर दिया है। इसलिए मैं केन्द्रीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास किसानों को दिए गए ऋणों को माफ करने के लिए सभी राज्यों को निदेश देने का कोई कार्यक्रम है। क्या किसानों ने ऋणों को माफ करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाएगी?

श्री शरद पवार : मैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया। सभी राज्यों को निदेश दिए जाने के संबंध में मैं सभी राज्यों से यह अपील करता हूं कि वह तमिलनाडु से कुछ सीख लें और इसके बारे में कुछ जिम्मेदारी लें। इस संबंध में यदि कोई सामूहिक निर्णय लिया जाता है तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी।

श्री ए. कृष्णास्वामी : क्या केन्द्र सरकार उसका समर्थन करेगी?

श्री शरद पवार : बिल्कुल, उन्हें केन्द्र का समर्थन मिलेगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से तैयार होकर आए हैं। मुझे नहीं पता कि आप कितने मुद्दे उठाएंगे।

अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

श्रम न्यायालय एवं न्यायाधिकरण

*162. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी :**
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कार्य कर रहे श्रम न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से प्रत्येक न्यायालय में कितने मामले लंबित हैं;

(ग) क्या श्रम न्यायालयों और न्यायाधिकरणों की संख्या में वृद्धि किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन मामलों के त्वरित निपटान के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(च) इन श्रम न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के निर्णयों को नियोक्ताओं द्वारा क्रियान्वित किए जाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) और (ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुसार, एक समुचित सरकार औद्योगिक विवादों को हल करने के लिए श्रम न्यायालयों और औद्योगिक न्यायाधिकरणों की स्थापना कर सकती है। केन्द्रीय क्षेत्र में उठाने वाले औद्योगिक विवादों के संबंध में केन्द्र सरकार, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम-न्यायालयों (सी.जी.आई.टी.) की स्थापना के लिए समुचित सरकार है। देश के विभिन्न भागों में 22 केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम-न्यायालय हैं। राज्य-वार ब्यौरे और केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम-न्यायालय-वार लंबित मामले संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ग) से (ङ) 17 मौजूदा केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम-न्यायालयों के अलावा 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पांच नये केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम-न्यायालयों की स्थापना की गई है। इस समय, 10वीं योजना के दौरान और केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम-न्यायालयों की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। इन 5 नये केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम-न्यायालयों की स्थापना औद्योगिक विवादों के निपटान में तेजी लाने के लिए की गई है। लोक अदालतों के माध्यम से विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए एक वैकल्पिक शिकायत निपटान तंत्र के रूप में एक नयी योजना भी दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू की गई है। केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम-न्यायालय इस तरीके से औद्योगिक विवादों को हल करने की तत्परता के बारे में मुकदमा करने वाले पक्षकारों को सूचित करने के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं।

(च) जब कभी पंचाटों को क्रियान्वित न करने की सूचना मिलती है, नियोजकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। कारण बताओ नोटिस का समय समाप्त होने के पश्चात्, यदि नियोजक उत्तर देने में असफल रहता है अथवा न्यायाधिकरण के आदेश के अनुपालन के लिए उस उत्तर को उचित नहीं समझा जाता है, तब मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) द्वारा अभियोजन प्रस्तावों को मंजूरी दी जाती है और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 29 का उल्लंघन करने के लिए न्यायालय में अभियोजन मामले दायर किये जाते हैं।

तथापि, यदि नियोजक लोक सेवक है तो श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अनुसार अभियोजन का प्रस्ताव मंजूरी हेतु नियोजित करने वाले मंत्रालय को संदर्भित किया जाता है।

विवरण

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण	राज्य	(9/2006) तक लंबित मामले
1	2	3
(1) मुंबई-I	महाराष्ट्र	198

1	2	3	
(2)	मुंबई-II		460
(3)	नागपुर		944
(4)	धनबाद-I	झारखंड	1723
(5)	धनबाद-II		930
(6)	जबलपुर	मध्य प्रदेश	1450
(7)	कानपुर	उत्तर प्रदेश	652
(8)	लखनऊ		387
(9)	नई दिल्ली-I	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	513
(10)	नई दिल्ली-II		472
(11)	कोलकता	पश्चिम बंगाल	202
(12)	आसनसोल		588
(13)	चंडीगढ़-I	पंजाब और हरियाणा	886
(14)	चंडीगढ़-II		1124
(15)	जयपुर	राजस्थान	149**
(16)	बंगलौर	कर्नाटक	332
(17)	एर्णाकुलम	केरल	247
(18)	चेन्नई	तमिलनाडु	599
(19)	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	772
(20)	भुवनेश्वर	उड़ीसा	418
(21)	गुवाहाटी	असम	33
(22)	अहमदाबाद	गुजरात	1867**

**जयपुर और अहमदाबाद के केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरणों के संबंध में आंकड़े जून, 2006 तक के हैं क्योंकि वहां जुलाई, 2006 से कोई पीठासीन अधिकारी नहीं है।

वनग्रामों का विकास

*167. श्री विजय कृष्ण : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनग्रामों का विकास करने के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को वनग्रामों के विकास हेतु प्रस्ताव मिले हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार विशेषकर बिहार और झारखंड से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके लिए प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई/उनके द्वारा उपयोग की गई; और

(ङ) अब तक कितने ग्रामों का विकास किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) इस बात को मान्यता देते हुए कि वनों का संरक्षण और विकास वनों पर निर्भर समुदायों के कल्याण से संबंधित है, भारत सरकार वनग्रामों को विकसित करने की उन परियोजनाओं का समर्थन कर रही है जिनका लक्ष्य लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है और इसके फलस्वरूप उन्हें मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं तथा सेवाएं, जैसे : भोजन, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सुरक्षा, प्राथमिक शिक्षा, सम्पर्क मार्ग तथा अन्य ढांचागत सुविधाएं आदि उपलब्ध कराना है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राज्यों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदित करने व निधियां जारी करने हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय के पास भेज दिया जाता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार, जारी की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। बिहार राज्य में कोई वनग्राम नहीं है।

(ङ) जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 2179 ग्रामों के विकास के लिए निधियां जारी की गई हैं।

(28.11.2006 तक की स्थिति अनुसार)

क्र. सं.	राज्य	ऐसे वनग्रामों की संख्या जिनके लिए 2005-2006 में परियोजनाएं अनुमोदित की गई	वर्ष 2005-2006 के दौरान अनुमोदित परियोजना की कुल लागत (लाख रु. में)	ऐसे वनग्रामों की संख्या जिनके लिए 2006-2007 में परियोजनाएं अनुमोदित की गई	वर्ष 2006-2007 में अनुमोदित परियोजना की कुल लागत (लाख रु. में)
1.	असम	373	4059.00	–	–
2.	छत्तीसगढ़	343	4359.00	51	1092.67
3.	गुजरात	199	1979.00	–	–
4.	झारखंड	21	130.00	–	–
5.	महाराष्ट्र	शून्य	0.00	–	–
6.	मेघालय	शून्य	0.00	23	390.71
7.	मध्य प्रदेश	679	6191.00	143	2650.06
8.	मिजोरम	27	203.00	58	870.00
9.	उड़ीसा	20	157.00	–	–
10.	त्रिपुरा	शून्य	0.00	–	–
11.	उत्तरांचल	शून्य	0.00	62	930.00
12.	उत्तर प्रदेश	शून्य	0.00	–	–
13.	पश्चिम बंगाल	170	2104.00	–	–
	कुल	1832	19182.00	347	5933.44

सार

– ऐसे वनग्रामों की कुल संख्या जिनके संबंध में परियोजनाएं अनुमोदित की गई (1832+347) = 2179

– जारी की गई कुल राशि (19182 लाख+5933.44 लाख रु.) = 251.15 करोड़ रु.

[हिन्दी]

वन क्षेत्रों में विकास कार्य

*168. श्री रामदास आठवले :
श्री कृष्ण मुरारी मोघे :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को लागू करने के पश्चात् देश के जनजातीय और वन क्षेत्रों में सड़क निर्माण और अन्य विभिन्न योजनाओं का कार्य रुक गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सरकारी योजनाओं के अंतर्गत विकास कार्यों को शुरू करने हेतु कोई विशेष रियायत प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में केन्द्र सरकार को इस संबंध में राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जनजाति गांवों/वन के आसपास के गांवों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार कतिपय आवश्यक विकासात्मक और सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत एक ही बार में सामान्य अनुमोदन प्रदान करती है। स्कूल, डिस्पैंसरी/अस्पताल, विद्युत और दूरसंचार लाइनें, पेयजल, जल कृषि, लघु सिंचाई नहर, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत, कौशल का दर्जा बढ़ाना, पावर सब-स्टेशन, संचार पोस्ट और पुलिस आऊट पोस्ट आदि प्रत्येक मामले में एक हैक्टेयर से कम वनभूमि की आवश्यकता होती है और इन मामलों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार संबंधित राज्य/संघ शासित सरकार द्वारा विचार किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघशासित सरकारों से प्राप्त 3986 विकास परियोजनाओं पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया और समयबद्ध रूप से निपटान किया गया।

[अनुवाद]

वर्षा जल संचयन

*169. **श्री सुग्रीव सिंह** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान विभिन्न राज्यों में भू-जल स्तर का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण ने वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान छत के वर्षा जल का संचयन करने (रूफ टाप वाटर हारवेस्टिंग) के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया था; और

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और राज्यों द्वारा वर्ष 2004 में संयुक्त रूप से किए गए भूजल संसाधनों के आकलन के अनुसार, 5723 भूजल संसाधन आकलन इकाइयों (ब्लाक/मण्डल/तालुका) में से 839 आकलन इकाइयां 'अतिदोहित' हैं जहां भूजल विकास की स्थिति 100% से अधिक है और मानसून पूर्व अथवा मानसून के बाद अथवा दोनों ही अवधियों में जल स्तर के दीर्घकालिक रुख में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। 226 इकाइयां 'गंभीर' हैं जहां भूजल विकास की स्थिति 90% से अधिक और 100% तक है तथा मानसून पूर्व और मानसून के बाद दोनों ही अवधियों में जलस्तर के दीर्घकालिक रुख में उल्लेखनीय गिरावट पाई गई है। सीजीडब्ल्यूबी द्वारा की गई जल स्तरों की निगरानी के अनुसार 2004-05 और 2005-06 के बीच 14 राज्यों में ब्लाकों/मण्डलों के पृथक-पृथक पाकेटों में भूजल स्तरों में गिरावट के रुख पाए गए हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। तथापि, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मेघालय और उड़ीसा में भूजल स्तर में कोई गिरावट नहीं दिखाई दी है।

(ख) और (ग) वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण में क्षमता निर्माण के एक उपाय के रूप में प्रशिक्षक तैयार करने के लिए केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करता है। सीजीडब्ल्यूए राज्यों/केन्द्र, गैर सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों, उद्योगों, शैक्षणिक संस्थानों और कल्याणकारी संगठनों को शामिल करते हुए सारे देश में वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी जनजागरूकता कार्यक्रम भी करता है। वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान क्रमश: 52 और 51 जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और 39 तथा 49 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सीजीडब्ल्यूए ने भूजल प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर कार्यकारी माडलों के प्रदर्शन के माध्यम से जागरूकता के सृजन के लिए वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान क्रमश: 3 और 8 प्रदर्शनियों में भी भाग लिया।

विवरण-I

वर्ष 2004-05 और 2005-06 में सीजीडब्ल्यूबी द्वारा किए गए आकलन के अनुसार भूजल स्तरों में गिरावट का रुख दर्शाने वाले राज्य

क्रम सं.	राज्य	अभिव्यक्ति
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	296 ब्लाकों के पृथक-पृथक पाकेटों में गिरावट का रुख देखा गया
2.	दिल्ली	7 ब्लाकों के पृथक-पृथक पाकेटों में गिरावट का रुख देखा गया
3.	गुजरात	43 तालुकों के पृथक-पृथक पाकेटों में गिरावट का रुख देखा गया
4.	हरियाणा	66 ब्लाकों के पृथक-पृथक पाकेटों में गिरावट का रुख देखा गया
5.	कर्नाटक	68 ब्लाकों के पृथक-पृथक पाकेटों में गिरावट का रुख देखा गया
6.	केरल	20 ब्लाकों के पृथक-पृथक पाकेटों में गिरावट का रुख देखा गया
7.	मध्य प्रदेश	29 ब्लाकों के पृथक-पृथक पाकेटों में गिरावट का रुख देखा गया
8.	महाराष्ट्र	8 ब्लाकों के पृथक-पृथक पाकेटों में गिरावट का रुख देखा गया
9.	पंजाब	108 ब्लाकों के पृथक-पृथक पाकेटों में गिरावट का रुख देखा गया
10.	तमिलनाडु	190 ब्लाकों के पृथक-पृथक पाकेटों में गिरावट का रुख देखा गया
11.	तमिलनाडु	175 ब्लाकों के पृथक-पृथक पाकेटों में गिरावट का रुख देखा गया
12.	उत्तर प्रदेश	50 ब्लाकों के पृथक-पृथक पाकेटों में गिरावट का रुख देखा गया
13.	उत्तरांचल	2 ब्लाकों के पृथक-पृथक पाकेटों में गिरावट का रुख देखा गया
14.	पश्चिम बंगाल	1 ब्लाक के पृथक-पृथक पाकेटों में गिरावट का रुख देखा गया

विवरण-II

2004-05 और 2005-06 के दौरान भूजल के पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन के संबंध में सीजीडब्ल्यूए/सीजीडब्ल्यूबी द्वारा किए गए जन-जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की राज्यवार संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	आयोजित किए गए जन-जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या		आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	
		2004-05	2005-06	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3	3	3	3
2.	असम	2	0	1	1
3.	बिहार	3	2	1	1
4	चंडीगढ़	2	2	1	1
5.	छत्तीसगढ़	3	3	2	3
6	दादरा और नगर हवेली	0	2	0	1
7.	दीव	0	1	0	0
8	दिल्ली	3	3	2	3

1	2	3	4	5	6
9.	गुजरात	3	2	3	3
10.	हरियाणा	1	2	0	1
11.	हिमाचल प्रदेश	2	1	2	1
12.	जम्मू और कश्मीर	3	1	1	0
13.	झारखंड	0	1	0	2
14.	कर्नाटक	3	3	3	3
15.	केरल	3	3	3	3
16.	मध्य प्रदेश	3	3	3	3
17.	महाराष्ट्र	3	1	3	2
18.	मिजोरम	0	1	0	1
19.	उड़ीसा	3	3	3	3
20.	पंजाब	0	1	0	1
21.	राजस्थान	2	3	2	3
22.	तमिलनाडु	3	3	2	3
23.	त्रिपुरा	1	1	0	1
24.	उत्तरांचल	2	1	1	1
25.	उत्तर प्रदेश	1	2	1	2
26.	पश्चिम बंगाल	3	3	2	3
	कुल	52	51	39	49

सड़क परियोजनाओं के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति

*170. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों विशेषकर बिहार सरकार से विभिन्न सड़क परियोजनाओं हेतु पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनमें से अभी तक कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई; और

(ग) शेष प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को विभिन्न राज्य सरकारों और अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ क्षेत्र से पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण मंजूरी के लिए 39 सड़क परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या इस प्रकार है:- महाराष्ट्र (1), आंध्र प्रदेश (2), कर्नाटक (1), केरल (31), मध्य प्रदेश (2), हरियाणा (1), और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (1)। बिहार राज्य सरकार से पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने हेतु कोई सड़क परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) उक्त उल्लिखित 39 प्रस्तावों में से अब तक 37 सड़क परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

(ग) मंत्रालय के पास इस समय लंबित पड़े दो सड़क प्रस्ताव हाल ही में केवल नवम्बर, 2006 में प्राप्त हुए थे। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के उपबंधों के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने के लिए अपेक्षित समय 105 दिन है यह अवधि पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट सहित अपेक्षित दस्तावेजों के साथ पूर्व आवेदन प्राप्त होने के बाद गिनी जाती है।

खनन के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति

*171. **श्री चुन्नी लाल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई खनन परियोजनाएं पर्यावरण संबंधी स्वीकृति हेतु लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष का राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वीकृति कब तक दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) पर्यावरणीय मंजूरी के लिए 31.10.2006 को लम्बित 372 खनन प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा नीचे सारिणी में दिया गया है:—

क्र. सं.	राज्य का नाम	लम्बित परियोजनाओं की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	15
2.	छत्तीसगढ़	14
3.	गोवा	33
4.	गुजरात	31
5.	हिमाचल प्रदेश	1
6.	झारखंड	17
7.	कर्नाटक	77
8.	मध्य प्रदेश	12
9.	महाराष्ट्र	25
10.	मेघालय	2
11.	उड़ीसा	23
12.	राजस्थान	117
13.	तमिलनाडु	2
14.	उत्तरांचल	1
15.	पश्चिम बंगाल	2
	कुल	372

(ग) सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्तावों पर पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने अथवा अन्यथा के लिए निर्णय लेने से पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विशेषज्ञ समिति की सिफारिश प्राप्त करने के लिए समिति द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता होगी। लम्बित प्रस्तावों पर मंजूरी में तेजी लाने के उद्देश्य से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने खनन परियोजनाओं के पर्यावरणीय आकलन के लिए 23 अगस्त, 2006 को एक अतिरिक्त विशेषज्ञ समिति गठित की है। समिति की अब तक 3 बैठकें हुई हैं।

[हिन्दी]

दिहाड़ी मजदूरों के लिए कानून

*172. श्री संतोष गंगवार : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिहाड़ी मजदूरों की सेवा शर्तों का विनियमित करने के लिए यथाशीघ्र एक कानून बनाने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया है या करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व राज्य सरकारों, मजदूर संघों तथा अन्य हिस्सेदारों के साथ परामर्श किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दालों का मूल्य

*173. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दालों के खरीद मूल्य और बाज़ार मूल्य के बीच काफी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बाज़ार में चल रहे ऊंचे मूल्यों के बावजूद कम समर्थन मूल्य देने के क्या कारण हैं; और

(घ) दालों के समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य को तर्कसंगत बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) प्रमुख दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा विपणन मूल्यों की एक तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है:-

न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा मासांत थोक मूल्य

(जनवरी-अक्टूबर 2006)

(रुपए प्रति क्विंटल)

दालें	न्यूनतम समर्थन मूल्य 2006-07	केन्द्र	न्यूनतम	अधिकतम	औसत (जन-अक्टू)
1	2	3	4	5	6
अरहर	1410	चेन्नई (त.ना.)	1900	2050	1978
		कानपुर (उ.प्र.)	1720	1900	1804
		कोलकता (प.बं.)	2250	3000	2492
मूंग	1520				
		भटिंडा (पंजाब)	3270	4280	3889
		चेन्नई (तमिलनाडु)	2426	4500	3259
		कानपुर (उ.प्र.)	2230	3180	2864
		हापुड़ (उ.प्र.)	2050	2300	2185
उड़द	1520				
		चेन्नई (तमिलनाडु)	2500	5102	3732
		मुंबई (महा.)	3625	5000	4319
		कानपुर (उ.प्र.)	2210	3425	2968
	2005-06 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य				
मसूर (लेन्टिल)	1535				
		मुंबई (महा.)	2075	2400	2282

1	2	3	4	5	6
		कानपुर (उ.प्र.)	1670	2025	1774
		कोलकता (प.ब.)	2300	2600	2433
चना	1435				
		दोहद (गुजरात)	1675	3160	2337
		जयपुर (राज.)	1675	3125	2241
		हापुड़ (उ.प्र.)	2100	2900	2401

दालों का विपणन मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक है क्योंकि दालों का घरेलू उत्पादन आवश्यकता से कम है। किसानों को उनके उत्पाद को सम्भावित क्रेताओं को बिक्री करने का अवसर प्रदान करके उनको और अधिक विकल्प देने के उद्देश्य से कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम में किए गए संशोधनों से मण्डी में अत्याधिक प्रतिस्पर्द्धा भी उत्पन्न हो गई है जिससे मूल्य बढ़े हैं।

(ग) और (घ) सरकार विभिन्न कृषि जिन्सों जिनमें दालें भी शामिल हैं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के विचारों के साथ-साथ कुछ अन्य तथ्यों जोकि समर्थन मूल्यों के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण समझे जाते हैं को ध्यान में रखकर करती है।

कृषि लागत और मूल्य आयोग, मूल्य नीति पर अपनी सिफारिशें तैयार करते समय बहुत से महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करता है जिनमें उत्पादन की लागत, निवेश मूल्यों में बदलाव, निवेश/उत्पाद मूल्य समानता, बाज़ार मूल्यों में प्रवृत्ति, मांग तथा आपूर्ति स्थिति, अंतर्फसलीय मूल्य समानता, औद्योगिक लागत ढांचे पर प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, जीवन-निर्वाह की लागत पर प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार मूल्य स्थिति तथा किसानों द्वारा भुगतान किए गए मूल्यों एवं प्राप्त किए गए मूल्यों में समानता शामिल हैं।

न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र का उद्देश्य किसानों को उनके उत्पाद के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने की गारंटी प्रदान करना है। जब बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिरने लगते हैं, भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नैफेड), भारतीय कपास निगम (सी.सी.आई.) तथा भारतीय पटसन निगम (जे.सी.आई.) जैसी नामित एजेंसियां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्पाद की खरीद करती हैं। यदि, बाजार मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक है, किसान अपना उत्पाद बाजार में ऊंचे दामों पर बेचने के लिए स्वतंत्र होते हैं।

विशेष कार्ड जारी करना

*174. श्री एन. शिवन्ना : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों को गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को विशेष हरे कार्ड जारी करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इन विशेष कार्डों को जारी करने हेतु निर्धारित किए गए मानदंडों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ उपभोक्ता वस्तुएं और छोटे भूखंड रखने वाले गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को भी इस योजना में शामिल नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों को उक्त योजना के अंतर्गत सम्मिलित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या अधिकांश राज्यों ने विशेष कार्ड जारी करने का कार्य पूरा कर लिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पहचान किए गए परिवारों को वितरण करने के लिए किसी विशिष्ट रंग के कार्डों हेतु भारत सरकार द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं। गरीबों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून, 1997 से लागू की गई थी और यह 2.50 करोड़ अंत्योदय परिवारों सहित 6.52 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों तथा 11.52 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को कवर करती है। परिवारों की यह संख्या 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार जनगणना मखपंजीयक के आबादी अनुमानों पर वर्ष 1993-94 के लिए योजना आयोग के गरीबी के अनुमानों पर आधारित है। गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना की श्रेणियों के अधीन पहचान किए गए परिवारों को अलग प्रकार के राशन कार्ड जारी करने के अनुदेश दिए गए हैं। राज्य सरकारों को उचित प्रकार के भिन्न रंग/डिजाइन विहित करने की स्वतंत्रता है।

(ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है। केन्द्र सरकार ने खाद्यान्नों की वसूली, भंडारण, ढुलाई और बल्क आबंटन आदि करने की जिम्मेदारी ले रखी है। उचित दर दुकानों के नेटवर्क के जरिए उपभोक्ताओं को इनका प्रभावी वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। राज्य के अंदर आबंटन करने, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने, राशन कार्ड जारी करने, उचित दर दुकानों के कार्यकरण की मानीटरिंग तथा पर्यवेक्षण करने सहित प्रचालनात्मक जिम्मेदारियां राज्य सरकारों की होती हैं। योजना आयोग के गरीबी अनुमानों के आधार पर प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में कवर किए जाने वाले गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या (अंत्योदय अन्न योजना सहित) राज्य सरकारों को बता दी गई है और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की पहचान करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश संलग्न विवरण-I के अनुसार सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेज दिए गए हैं। संलग्न विवरण II में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की पहचान करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

(ग) और (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 10वीं योजना के लिए की गई गरीबी रेखा से नीचे की पिछली जनगणना के अनुसार प्रत्येक परिवार की अंक आधारित रैंकिंग की विधि अपनाई गई थी जिसमें उनके जीवन की गुणवत्ता का उल्लेख किया गया था। इस प्रयोजनार्थ 13 सामाजिक-आर्थिक पैरामीटर अपनाए गए थे जिनमें उनकी भूमि का आकार, घर का प्रकार, खाद्य सुरक्षा, साफ सफाई आदि को शामिल किया गया था इनको क्रम में रखा गया था जिनके आधार पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान की गई थी।

(ङ) और (च) हिमाचल प्रदेश को छोड़कर अधिकांश राज्य सरकारों ने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने और उन्हें अलग प्रकार के राशन कार्ड जारी करने का कार्य पूरा कर लिया है। गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड जारी करने में बिहार, गोवा, उत्तर प्रदेश, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा व नगर हवेली तथा लक्षद्वीप में मामूली कमी है (अनुबंध-3)। अंत्योदय अन्न योजना श्रेणी के अधीन जिन 2.50 करोड़ परिवारों को पहचाना जाना था उनमें से विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने 2.25 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की पहचान कर ली है और उन्हें अलग प्रकार के राशन कार्ड जारी कर दिए हैं। केन्द्र सरकार अनुमोदित मानदंडों के अनुसार 2.25 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को खाद्यान्न आबंटित कर रही है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा पहचान किए गए अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की संख्या बताने वाला ब्यौरा विवरण-III के रूप में संलग्न है। शेष अंत्योदय अन्न योजना परिवारों (0.25 करोड़) की पहचान करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह काम तेजी से पूरा करने के निदेश दिए गए हैं।

विवरण-I

अंत्योदय अन्न योजना

(i) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की प्रक्रिया इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि देश में कुल आबादी का लगभग 5% भाग 2 जून की रोटी से वंचित रहता है। आबादी के इस वर्ग को भुखमरी ग्रस्त कहा जा सकता है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आबादी की इस श्रेणी के प्रति और अधिक केंद्रित और लक्षित करने के लिए एक करोड़ निर्धनतम परिवारों के लिए दिसम्बर, 2000 में 'अंत्योदय अन्न योजना' शुरू की गयी थी।

(ii) अंत्योदय अन्न योजना में राज्य के अंदर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कवर किए गए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से एक करोड़ निर्धनतम परिवारों की पहचान करने और उन्हें 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं

और 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल की अत्यधिक राजसहायताप्राप्त दरों पर खाद्यान्न प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यह अपेक्षित होता है कि वे डीलरों और खुदरा विक्रेताओं के मार्जिन सहित वितरण लागत और ढुलाई लागत वहन करें। इस प्रकार, इस स्कीम के अधीन सम्पूर्ण खाद्य राजसहायता उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जा रही है।

(iii) निर्गम का मानदंड जो प्रारंभ में 25 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति मास था, उसे 1 अप्रैल, 2002 से बढ़ाकर 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति मास कर दिया गया है।

अंत्योदय अन्न योजना का प्रथम विस्तार

50 लाख अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को शामिल करके 2003-04 में अंत्योदय अन्न योजना का विस्तार किया गया है।

(क) वे परिवार जिनकी मुखिया विधवा अथवा असाध्यरोगी या अपंग व्यक्ति अथवा 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु के व्यक्ति थे और जिनकी जीविका का सुनिश्चित साधन नहीं था या जिन्हें सामाजिक समर्थन प्राप्त नहीं था।

(ख) विधवाएं अथवा असाध्य रोग ग्रस्त व्यक्ति या 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु के व्यक्ति या अकेली महिला अथवा अकेला पुरुष जिन्हें कोई पारिवारिक अथवा सामाजिक समर्थन प्राप्त नहीं है या जिनकी जीविका का कोई सुनिश्चित साधन नहीं है।

(ग) सभी आदिम आदिवासी परिवार।

अंत्योदय अन्न योजना का दूसरा विस्तार

केन्द्रीय बजट 2004-05 में की गई घोषणा के अनुसार 1 अगस्त, 2004 से इस योजना का और विस्तार किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भुखमरी के खतरे वाले सभी परिवारों को शामिल करके 50 लाख गरीबी रेखा से नीचे के और परिवार इस योजना में शामिल किए गए हैं। इस बारे में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 3 अगस्त, 2004 को आदेश जारी किए गए हैं। अतिरिक्त अंत्योदय परिवारों की पहचान करने के लिए निम्नलिखित मानदंड अपनाए गए थे:-

(क) ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में भूमिहीन कृषि श्रमिक, छोटे किसान, कुम्हार, मोची, बुनकर, लोहार, बढ़ई, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले जैसे ग्रामीण दस्तकार/कर्मकार और अनौपचारिक क्षेत्र में दिहाड़ी आधार पर जीविका अर्जित करने वाले मालवाहक कुली, रिक्शाचालक, ठेलाचालक, फल और फूल विक्रेता, सपेरे, कबाड़ी, मोची जैसे व्यक्ति, असहाय और इसी प्रकार की अन्य श्रेणियों के परिवार।

(ख) वे परिवार जिनकी मुखिया विधवा अथवा असाध्य रोग ग्रस्त व्यक्ति या अपंग व्यक्ति या अपंग व्यक्ति अथवा 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु के व्यक्ति हैं और जिनकी जीविका का कोई सुनिश्चित साधन नहीं है अथवा जिन्हें सामाजिक समर्थन प्राप्त नहीं है।

(ग) विधवाएं अथवा असाध्य रोग ग्रस्त व्यक्ति या 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु के व्यक्ति या अकेली महिला अथवा अकेला पुरुष जिन्हें कोई पारिवारिक अथवा सामाजिक समर्थन प्राप्त नहीं है या जिनकी जीविका का कोई सुनिश्चित साधन नहीं है।

(घ) सभी आदिम आदिवासी परिवार।

दूसरे विस्तार में शामिल 50 लाख परिवारों में से 48 लाख गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का वितरण राज्यवार कर दिया गया है और शेष 2 लाख परिवारों की पहचान उन राज्यों द्वारा की जानी है जहां छोड़ देने की त्रुटि प्रकाश में आयी है।

अंत्योदय अन्न योजना का तीसरा विस्तार

केंद्रीय बजट 2005-06 में की गयी घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल, 2005 से अंत्योदय अन्न योजना का और विस्तार किया गया है ताकि गरीबी रेखा से नीचे के और 50 लाख परिवारों को कवर किया जा सके, इस प्रकार इसका कवरेज बढ़कर 2.5 करोड़ परिवार हो गया है अंत्योदय परिवारों की पहचान करने के लिए पूर्व में अपनाए गए मानदंड का इस विस्तार में भी अनुसरण किया गया है। इस वृद्धि के साथ अंत्योदय अन्न योजना के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के कुल अनुमानित परिवारों में से 38 प्रतिशत से अधिक कवर हो गए हैं।

परिवारों की पहचान करना और खाद्यान्न आवंटित करना

(i) अंत्योदय परिवारों की पहचान करने और इन परिवारों को

अलग प्रकार के राशन कार्ड जारी करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। विस्तारित अंत्योदय अन्न योजना के अधीन अंत्योदय अन्न योजना और अतिरिक्त अंत्योदय परिवारों की पहचान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। पहचान किए गए परिवारों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी किए गए अंत्योदय अन्न योजना के अलग प्रकार के राशन कार्डों के आधार पर उन्हें इस योजना के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन किया जा रहा है।

(ii) अंत्योदय अन्न योजना के अधीन परिवारों की पहचान करने की स्थिति (सामान्य, पहला विस्तार, दूसरा विस्तार और तीसरा विस्तार) संलग्न अनुबंध में दी गई है। चूककर्ता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मानीटरिंग के एक भाग के रूप में नियमित रूप से अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं।

अनुबंध

अंत्योदय अन्न योजना (सामान्य और अतिरिक्त) के अधीन पहचान किए गए परिवारों का ब्यौरा

29.11.2006 के अनुसार

(आंकड़े लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.3.2000 की स्थिति के अनुसार गरेनी परिवारों की संख्या	अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की अनुमानित संख्या					पहचान किए गए अंत्योदय अन्न योजना परिवार और जारी किए गए राशन कार्ड				
			साधारण	प्रथम* विस्तार	द्वितीय** विस्तार	तृतीय विस्तार	जोड़	साधारण	प्रथम विस्तार	द्वितीय विस्तार	तृतीय विस्तार	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	40.63	6.228	3.117	2.991	3.242	15.578	6.228	3.117	2.991	3.242	15.578
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.99	0.151	0.077	0.073	0.079	0.380	0.151	0.077	0.073	0.079	0.380
3.	असम	18.36	2.815	1.408	1.352	1.465	7.040	2.815	1.408	1.352	1.43	7.005
4.	बिहार	65.23	10.000	5.033	4.802	5.205	25.010	10.000	5.033			15.003
5.	छत्तीसगढ़	18.75	2.874	1.439	1.380	1.496	7.189	2.874	1.439	1.380	1.496	7.189
6.	दिल्ली	4.09	0.626	0.315	0.301	0.326	1.568	0.320	0.235			0.555
7.	गोवा	0.48	0.073	0.037	0.035	0.039	0.184	0.073	0.037	0.035		0.145
8.	गुजरात	21.20	3.250	1.626	1.561	1.691	8.128	3.250	1.626	1.561	1.661	8.098
9.	हरियाणा	7.89	1.209	0.606	0.581	0.629	3.025	1.209	0.606	0.581	0.528	2.924

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	हिमाचल प्रदेश	5.14	0.787	0.395	0.378	0.411	1.971	0.787	0.395	0.378	0.411	1.971
11.	जम्मू व कश्मीर	7.36	1.129	0.564	0.542	0.587	2.822	1.129	0.564	0.542	0.322	2.557
12.	झारखंड	23.94	3.665	1.841	1.762	1.911	9.179	3.665	1.841	1.762		7.268
13.	कर्नाटक	31.29	4.797	2.400	2.303	2.497	11.997	4.797	2.400	2.303	2.497	11.997
14.	केरल	15.54	2.382	1.192	1.144	1.240	5.958	2.382	1.192	1.144	1.24	5.958
15.	मध्य प्रदेश	41.25	6.324	3.164	3.037	3.291	15.816	6.324	3.164	3.037	3.120	15.645
16.	महाराष्ट्र	65.34	10.017	5.011	4.810	5.215	25.053	10.017	5.011	4.810		19.838
17.	मणिपुर	1.66	0.255	0.127	0.122	0.132	0.636	0.255	0.0127	0.122		0.504
18.	मेघालय	1.83	0.281	0.140	0.135	0.146	0.702	0.281	0.140	0.135	0.146	0.702
19.	मिजोरम	0.68	0.105	0.051	0.050	0.055	0.261	0.105	0.051	0.050	0.055	0.261
20.	नागालैण्ड	1.24	0.189	0.096	0.091	0.099	0.475	0.189	0.096	0.091	0.099	0.475
21.	उड़ीसा	32.98	5.055	2.530	2.428	2.632	12.645	5.055	2.530	2.428	2.632	12.645
22.	पंजाब	4.68	0.717	0.359	0.345	0.373	1.794	0.717	0.359	0.312		1.388
23.	राजस्थान	24.31	3.726	1.865	1.790	1.940	9.321	3.726	1.839	1.790	1.924	9.279
24.	सिक्किम	0.43	0.067	0.032	0.032	0.034	0.165	0.067	0.032	0.032	0.034	0.165
25.	तमिलनाडु	48.63	7.455	3.730	3.580	3.881	18.646	7.455	3.730	3.580	3.881	18.646
26.	त्रिपुरा	2.95	0.452	0.227	0.217	0.235	1.131	0.452	0.227			0.679
27.	उत्तर प्रदेश	106.79	16.371	8.191	7.861	8.522	40.945	16.371	8.191	7.861	8.522	40.945
28.	उत्तरांचल	4.98	0.763	0.382	0.367	0.397	1.909	0.763	0.382	0.367		1.512
29.	पश्चिम बंगाल	51.79	7.939	3.973	3.813	4.132	19.857	7.939	3.973	2.887		14.799
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.28	0.043	0.021	0.021	0.022	0.107	0.043				0.043
31.	चण्डीगढ़	0.23	0.035	0.018	0.017	0.018	0.088	0.021				0.021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.	दादरा और नगर हवेली	0.18	0.28	0.013	0.013	0.015	0.069	0.028	0.009			0.037
33.	दमन व दीव	0.04	0.006	0.003	0.003	0.003	0.015	0.006	0.003	0.003	0.003	0.015
34.	लक्षद्वीप	0.03	0.004	0.003	0.002	0.003	0.012	0.004				0.004
35.	पांडिचेरी	0.84	0.128	0.065	0.062	0.067	0.322	0.128	0.065	0.062	0.067	0.322
	जोड़	652.03	99.946	50.021	48.001	52.030	249.998	99.626	49.869	41.669	33.389	224.553

* द्वितीय विस्तार में 50 लाख परिवारों में से 48 लाख परिवारों (गरीबी रेखा से नीचे से) को राज्यवार विस्तार के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है और शेष 2 लाख परिवारों को राज्यों द्वारा पहचान की जानी है जहां बाहर करने की त्रुटि प्रकाश में आई है।

** द्वितीय विस्तार के 2 लाख परिवारों के छूटे हुए विस्तार को अंत्योदय अन्न योजना के तृतीय विस्तार में शामिल किया गया है जिसको 50 लाख परिवारों से 52 लाख परिवार कर दिया है।

विवरण-II

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान

(i) राज्य सरकारें, केन्द्रीय सरकार द्वारा अंगीकृत किए गए प्राक्कलन के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रह रहे कुटुम्बों की जिसके अंतर्गत अंत्योदय कुटुम्ब भी हैं पहचान करने के प्रयोजन के लिए उपयुक्त मार्गदर्शक सिद्धांत बनाएंगी। यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान दिया जाएगा कि इस प्रकार पहचान किए गए कुटुम्ब वास्तव में सबसे गरीब हैं। गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय कुटुम्बों की पहचान की प्रक्रिया जहां यह पहले से पूरी नहीं की गई है, इस आदेश के जारी होने के तीन मास के भीतर पूरी की जाएगी।

(ii) राज्य सरकारें प्रत्येक वर्ष अपात्र कुटुम्बों का लोप करने और कुटुम्बों को सम्मिलित करने के प्रयोजन के लिए गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय कुटुम्बों की सूचियों का पुनर्विलोकन करवाएंगी।

(iii) गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय कुटुम्बों की पहचान अथवा समीक्षा करने की प्रक्रिया हाथ में लेते समय, प्रत्येक राज्य सरकार उपयुक्त प्रोफार्मा विहित करेगी, जो कुटुम्ब के मुखिया द्वारा अथवा उसकी ओर से भरा जाएगा।

(iv) विहित प्रोफार्मा में दिए गए आंकड़ों का सत्यापन इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा अभिहित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। उक्त प्राधिकारी प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के सही होने के बारे में भी प्रमाणित करेगा।

(v) ग्राम सभाएं अपनी-अपनी अधिकारिता के अधीन क्षेत्र की बाबत अभिहित प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय प्रवर्गों के हिताधिकारियों की सूची को अंतिम रूप देंगी।

(vi) जहां ग्राम सभाएं नहीं हैं, वहां स्थानीय प्रतिनिधि निकाय अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय प्रवर्गों के हिताधिकारियों की सूची को अंतिम रूप देंगे।

(vii) राज्य सरकार का अभिहित प्राधिकारी या स्थानीय प्रतिनिधि निकाय जिसके अंतर्गत ग्राम सभा और ग्राम पंचायत भी हैं, जिन्हें हिताधिकारियों की पहचान का कार्य सौंपा गया है, वे गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय कुटुम्बों के संबंध में विहित प्रोफार्मा में जानकारी की सत्यापित और प्रमाणित करेंगे।

विवरण-III

लोक सभा में दिनांक 4.12.2006 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 174 के उत्तर के भाग (ङ) और (च) में उल्लिखित अनुबंध परिवारों, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों, उचित दर दुकानों और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जारी राशन कार्डों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000 में अनुमानित आबादी (लाख में)	गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का प्रतिशत	परिवार का आकार ...	2000 में परिवारों की संख्या (लाख में)	2000 में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या (लाख में)	राशन कार्ड (लाख में)			कॉलम 8 और 5 का अंतर	निम्न तारीख को सूचित
						गरीबी से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर	जोड़ (गरेनी+ अंअयो)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	754.66	25.68	4.77	158.21	40.63	126.24	15.58	141.82	101.19	31.8.06
अरुणाचल प्रदेश	11.92	40.86	4.93	2.42	0.99	0.61	0.38	0.99	0.00	31.3.04
असम	261.96	40.86	5.83	44.93	18.36	12.02	7.00	19.02	0.66	31.8.06
बिहार	731.11	54.96	6.16	118.79	65.23	49.99	15.00	64.99	-0.24	31.8.06
छत्तीसगढ़	249.25	42.52	5.65	44.11	18.75	15.45	7.19	22.64	3.89	31.8.06
दिल्ली	139.64	14.69	5.02	27.82	4.09	3.79	0.56	4.35	0.26	31.8.06
गोवा	15.95	14.92	4.99	3.20	0.48	0.13	0.15	0.28	-0.20	31.5.06
गुजरात	482.52	24.21	5.51	87.57	21.20	26.92	8.10	35.02	13.82	31.5.06
हरियाणा	198.31	25.05	6.30	31.48	7.89	5.29	2.92	8.21	0.32	31.8.06
हिमाचल प्रदेश	67.11	40.86	5.34	12.57	5.14	0.92	1.97	2.89	-2.25	31.7.05
जम्मू और कश्मीर	99.45	40.86	5.52	18.02	7.36	4.80	2.56	7.36	0.00	1.4.2003
झारखंड	268.31	54.96	6.16	43.56	23.94	16.68	7.27	23.95	0.01	19.9.2002
कर्नाटक	520.91	33.16	5.52	94.37	31.29	58.31	12.00	70.31	39.02	31.8.06
केरल	322.62	25.43	5.28	61.10	15.54	14.91	5.96	20.87	5.33	31.8.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मध्य प्रदेश	548.22	42.52	5.65	97.03	41.25	36.40	15.64	52.04	10.79	22.4.2003
महाराष्ट्र	911.15	36.86	5.14	177.27	65.34	53.15	19.84	72.99	7.65	28.2.04
मणिपुर	25.18	40.86	5.19	4.07	1.66	1.16	0.50	1.66	0.00	3.7.05
मेघालय	24.34	40.86	5.42	4.49	1.83	1.13	0.70	1.83	0.00	31.8.06
मिजोरम	9.52	40.86	5.70	1.67	0.68	0.42	0.26	0.68	0.00	31.8.06
नागालैण्ड	16.84	40.86	5.57	3.02	1.24	0.77	0.47	1.24	0.00	28.2.05
उड़ीसा	358.57	48.56	5.28	67.91	32.98	37.58	12.64	50.22	17.24	31.8.06
पंजाब	235.36	11.77	5.92	39.76	4.68	4.79	1.39	6.18	1.50	31.8.06
राजस्थान	535.59	27.41	6.04	88.67	24.31	15.17	9.27	24.44	0.13	2.2.06
सिक्किम	5.59	41.43	5.33	1.05	0.43	0.26	0.17	0.43	0.00	31.8.06
तमिलनाडु*	617.74	35.03	4.45	138.82	48.63	149.565	18.65	168.30	119.67	31.1.2003
त्रिपुरा	37.82	40.86	5.24	7.22	2.95	2.27	0.68	2.95	0.00	31.8.06
उत्तर प्रदेश	1626.04	40.85	6.22	261.42	106.79	65.49	40.95	106.44	-0.35	31.8.06
उत्तरांचल	75.84	40.85	6.22	12.19	4.98	3.47	1.51	4.98	0.00	31.8.06
पश्चिम बंगाल	790.06	35.66	5.44	145.23	51.79	37.62	14.80	52.42	0.63	31.12.05
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3.86	34.47	4.75	0.81	0.28	0.12	0.04	0.16	-0.12	30.6.05
चंडीगढ़	8.88	11.35	4.38	2.03	0.23	0.07	0.02	0.09	-0.14	31.7.06
दादरा और नगर हवेली	1.90	50.84	5.28	0.36	0.18	0.12	0.04	0.16	-0.02	31.5.05
दमन और दीव	1.40	15.30	5.80	0.26	0.04	0.04	0.01	0.05	0.01	31.3.2003
लक्षद्वीप	0.71	25.04	6.23	0.11	0.03	0.01	0.004	0.01	-0.02	24.9.05
पांडिचेरी	11.11	37.04	4.97	2.24	0.84	0.89	0.32	1.21	0.37	31.8.06
जोड़	9969.44		5.51	1803.78	652.03	746.64	224.54	971.18	319.15	

1* तमिलनाडु में गरीबी रेखा से ऊपर/गरीबी रेखा से नीचे के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि राज्य में गरीबी रेखा से ऊपर/गरीबी रेखा से नीचे के आधार पर कोई श्रेणीकरण नहीं किया गया है।

2. अंत्योदय अन्न योजना के आंकड़े 25.10.06 के अनुसार हैं। गरीबी रेखा से नीचे के आंकड़ों से तदनुरूपी कमी की गई है।

कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दर पर मतभेद

*175. **श्री मनोरंजन भक्त :**
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दर के मामले में सरकार और कर्मचारी प्रतिनिधियों के बीच मतभेद उभरकर सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन मतभेदों को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) इन प्रयासों के क्या परिणाम निकले हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) से (घ) जी, नहीं। वर्ष 2006-07 के लिए ब्याज दर से संबंधित मुद्दे पर कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा 7.11.2006 को आयोजित अपनी बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। चूंकि विचार-विमर्श के दौरान कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका, अत: इस मुद्दे पर कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की अगली बैठक में आगे विचार-विमर्श करने का निर्णय लिया गया था। केन्द्र सरकार को इस मुद्दे पर कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की सिफारिशें अब तक प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वर्षाजल-सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण

*176. **डा. चिन्ता मोहन :**
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई राष्ट्रीय वर्षाजल-सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्राधिकरण को क्या कार्य सौंपा गया है;

(ग) क्या सरकार ने कृत्रिम रूप से और वर्षाजल से सिंचाई होने पर भूमि से होने वाली उपज के बारे में आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो दोनों प्रकार की भूमियों पर विभिन्न फसलों की उपज दर के संबंध में फसलवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्षाजल पर आश्रित कृषि भूमि पर सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाने हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गयी है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) एन.आर.ए.ए. की द्वि-स्तरीय (टू टीयर) संरचना है। पहला स्तर शासी बोर्ड है जो कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आवश्यक नेतृत्व तथा समुचित समन्वय प्रदान करेगा। शासी बोर्ड की अध्यक्षता केन्द्रीय कृषि मंत्री और सह-अध्यक्षता केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री करेंगे। दूसरा स्तर कार्यकारी समिति का होगा जिसमें पणधारी मंत्रालयों के प्रतिनिधि और तकनीकी विशेषज्ञ होंगे। कार्यकारी समिति की अध्यक्षता एक पूर्ण कालिक सी.ई.ओ. करेगा और इसमें पांच पूर्ण कालिक तकनीकी विशेषज्ञ भी होंगे।

एन.आर.ए.ए. की स्थापना, इसके संविधान और अधिदेश से संबंधित एक आदेश 3 नवम्बर, 2006 को जारी किया गया है। आदेश की प्रति विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) कृषि उत्पादन सस्य-पारिस्थितिकी दशाओं, आदान आपूर्ति, फार्म यन्त्रीकरण, बीज की गुणवत्ता, मृदा प्रकार और फसल अवधि जैसे कारकों पर निर्भर करता है। ये कारक देश में अलग-अलग क्षेत्र के अनुसार पर्याप्त रूप से बदलते हैं। सी.आर.आई.डी.ए., आई.सी.ए.आर. द्वारा वर्षा सिंचित तथा सिंचित दशाओं दोनों में समान सस्य-जलवायवीय क्षेत्रों में जिला आंकड़ा आधार से चयनित फसलों की उपज पर सिंचाई के अनुमानित प्रभाव का आकलन किया गया है जिससे सिंचाई के प्रति फसलों की सकारात्मक (सार्थक) प्रतिक्रिया का पता चलता है। चयनित फसलवार ब्यौरा विवरण-II पर दिया गया है। तथापि, यह अनुमान है कि देश में खाद्यान्न उत्पादन लगभग 142 मिलियन हैक्टेयर कृषि भूमि से प्राप्त होता है। इसमें से 40% सिंचित है और इसका उत्पादन में 55% हिस्सा है। शेष 85 मिलियन हैक्टेयर वर्षा सिंचित है और कुल कृषि उत्पादन में इसका हिस्सा 45% है।

(ङ) प्रमुखतया विश्वसत सिंचाई कवरेज और उन्नत जल प्रबंधन प्रणालियों के जरिये कृषि की वर्षा पर पूर्ण निर्भरता को न्यूनतम बनाया जा सकता है। 10वीं योजना के लिये सिंचाई क्षेत्र के तहत संशोधित

परिव्यय 10.5 मिलियन हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता का सृजन करने के लिये 109416.94 करोड़ रु. है। इसके अलावा, कृषि मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पनधारा प्रणाली के आधार पर मृदा एवं जल संरक्षण में वृद्धि करने के लिये निम्नलिखित स्कीमें क्रियान्वित की जाती हैं:–

कृषि मंत्रालय

1. वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.)
2. नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदियों के अवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण (आर.वी.पी. एण्ड एफ.पी.आर.)
3. झूम खेती वाले क्षेत्रों के लिये पनधारा विकास कार्यक्रम (डब्ल्यू.डी.पी.एस.सी.ए.)
4. क्षारीय मृदा का सुधार (आर.ए.एस.)

ग्रामीण विकास मंत्रालय

1. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)
2. मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डी.पी.पी.)
3. समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.)

10वीं योजना के लिये 214 लाख हैक्टेयर क्षेत्र के विकास के लिये उक्त सात स्कीमों के लिये 6400.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। आरम्भिक चार वर्षों में 4851.33 करोड़ रुपये की लागत पर पहले ही 159.30 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की उपलब्धि कर ली गई है।

विवरण–I

फा. संख्या 9–2/2005–आरएफडी–IV
भारत सरकार
कृषि मंत्रालय
कृषि एवं सहकारिता विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली,
दिनांक : 3 नवम्बर, 2005

आदेश

वर्षासिंचित क्षेत्रों की समस्याओं की ओर ध्यान देने तथा ऐसे क्षेत्रों के सतत विकास के लिए, भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) गठित करने का निर्णय लिया है। यह प्राधिकरण एक दो–स्तरीय संरचना होगी जिसमें निम्नलिखित संघटन के साथ एक शासी बोर्ड और कार्यकारी समिति होगी:–

I शासी बोर्ड

1.	कृषि मंत्री	अध्यक्ष
2.	ग्रामीण विकास मंत्री	सह–अध्यक्ष
3.	जल संसाधन मंत्री	सदस्य
4.	पर्यावरण एवं वन मंत्री	सदस्य
5.	सदस्य, कृषि योजना आयोग	सदस्य
6.	सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग	सदस्य
7.	सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	सदस्य
8.	सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय	सदस्य
9.	सचिव, जल संसाधन मंत्रालय	सदस्य
10.	सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	सदस्य
11.	सचिव, पंचायती राज मंत्रालय	सदस्य
12.	अध्यक्ष, नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक)	सदस्य
13.	एक कृषक प्रतिनिधि/संगठन (कृषि मंत्रालय द्वारा नामित किया जाना है)	
14.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण	सदस्य सचिव

II कार्यकारी समिति

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण
2. निम्नलिखित क्षेत्र में पांच ख्यातिलब्ध विशेषज्ञ

(i) जल प्रबंध

(ii) कृषि/बागवानी

(iii) पशुपालन एवं मात्स्यिकी

(iv) वानिकी

(v) पनधारा विकास

3. ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय से प्रत्येक से एक प्रतिनिधि।

4. सलाहकार, कृषि योजना आयोग।

5. निदेशक, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (सीआरआईडीए), जोधपुर।

6. निदेशक, केन्द्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान (सीआरआईडीए), हैदराबाद।

7. विषय वस्तु विशेषज्ञ।

2. राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी समिति में विशेषज्ञों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक खोज समिति की सलाह पर शासी बोर्ड द्वारा की जाएगी।

3. राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) देश की बारानी और वर्षासिंचित कृषि के व्यवस्थित उन्नयन और प्रबंधन के संबंध में अत्यावश्यक जानकारी प्रदान करने वाला एक विशेषज्ञ निकाय होगा।

4. राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) एक परामर्शी, नीति निरूपण करने वाला तथा मानिटरिंग निकाय होगा जिसे विभिन्न विद्यमान स्कीमों में दिशानिर्देशों की भूमिका निभाने और वर्षासिंचित क्षेत्रों में सभी बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं सहित नई स्कीमों के निर्माण का काम सौंपा जाएगा।

5. राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) विशेष रूप से भूमिहीन और मार्जिनल किसानों से संबंधित मुद्दों पर संकेन्द्रण करेगा जो अधिकांश संख्या में वर्षासिंचित क्षेत्रों में वास करते हैं।

6. राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) बहुत से चल रहे कार्यक्रमों में समभिरूपता और सहक्रिया लाएगा और परामर्श, दिशानिर्देश करेगा तथा उनकी प्रगति मानिटर करेगा।

7. राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) उचित खेती तथा जीवनयापन प्रणाली दृष्टिकोणों सहित वर्षासिंचित क्षेत्रों के दीर्घकालीन तथा समग्र विकास के सभी पहलुओं को कवर करेगा।

8. केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग वर्षासिंचित क्षेत्रों में अपने संबंधित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) के परामर्श से करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

9. प्राधिकरण का अधिदेश इस प्रकार होगा:—

(i) वर्षा सिंचित कृषि क्षेत्रों के समग्र तथा सतत विकास के लिए एक राष्ट्रीय कार्यनीति तथा रोडमैप को निरूपण करते हुए एक संदर्शी योजना तैयार करना।

(ii) वर्षा सिंचित/शुष्कभूमि खेती प्रणालियों के विकास के लिए ई.पी.पी. सहित विभिन्न मंत्रालयों की सभी स्कीमों के लिये सामान्य दिशानिर्देश विकसित करना।

(iii) देश के वर्षा सिंचित क्षेत्रों में क्रियान्वित किए जा रहे कृषि और बंजरभूमि विकास कार्यक्रमों के भीतर और उनमें आपस में समन्वय और समभिरूपता स्थापित करना।

(iv) विभिन्न राज्यों में उन वर्षा सिंचित क्षेत्रों की पहचान करना जिनपर प्राथमिकता के साथ ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है और उन राज्यों के परामर्श से समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंध के लिये पनधारा विकास कार्यक्रम तैयार करना जिसके तहत बहुआयामी फसल, पशुधन, बागवानी, कृषि-वानिकी समेकित प्रणालियों तथा भूमिहीन खेतिहर समुदायों के लिए कार्यक्रमों पर ध्यान दिया जाएगा।

(v) आदान आपूर्ति, ऋण की उपलब्धता, उचित प्रौद्योगिकी के प्रसार तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए अन्य संबंधित आवश्यकताओं में कमियों को पहचानना।

(vi) प्राथमिकता निर्धारित करने में क्रियान्वयक एजेन्सियों का मार्गदर्शन करना तथा अपेक्षित विशिष्ट हस्तक्षेपों की मानीटरिंग करना।

(vii) वर्षा सिंचितर क्षेत्रों में केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मियों की क्षमता निर्माण हेतु योजनाओं/कार्यक्रमों का विकास करना।

(viii) वर्षासिंचित/शुष्क भूमि क्षेत्रों के साथ संबंधित राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए रूपात्मकताओं का सुझाव देना और प्राथमिकता वाली पनधाराओं के साथ संस्थागत सम्पर्क स्थापित करना।

(ix) वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए विकसित ग्रामीण ऋण/बीमा कवर/सुरक्षा कवच कार्यक्रमों के संवितरण को मानिटर करना।

(x) चालू कार्यक्रमों के मूल्यांकन सहित अनुसंधान एजेण्डा निर्धारित करना तथा जिला व निम्न स्तर के प्राधिकरणों के बीच वर्षासिंचित क्षेत्रों में समेकित कृषि के लिए अपेक्षित जानकारी का प्रसार करना।

(xi) पूर्ण पनधारा कार्यक्रमों की प्रभाविता का मूल्यांकन तथा चालू पनधारा योजना का समवर्ती मूल्यांकन करना।

10. राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) कृषि मंत्रालय में अवस्थित होगा और उसके द्वारा सेवित होगा।

11. कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी समिति के पूर्णकालिक विशेषज्ञों के अलावा अन्य किसी पद का सृजन किए बिना एनआरएए के लिए स्टाफ की उपयुक्त रूप से पुनः तैनाती करेंगे। एनआरएए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और इन दोनों मंत्रालयों के सचिवों के बीच परामर्श के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों से स्टाफ आहरित किया जाएगा।

12. राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण, अनुबंध पर अथवा प्रतिनियुक्ति आधार पर, जब भी जरूरी हो, कहीं से भी अतिरिक्त कार्मिक ले सकता है।

13. राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) का अपना स्वयं का बजट होगा। एनआरएए की स्थापना पर आरम्भिक व्यय कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की पनधारा विकास परिषद (डब्ल्यूडीसी) स्कीम के तहत वहन किया जाएगा।

(प्रेम नारायण)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

वितरण:--

1. भारत सरकार के सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के सचिव।
2. सदस्य सचिव, योजना आयोग, भारत सरकार।
3. श्री के.एल. शर्मा, उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) के शासी बोर्ड/कार्यकारी समिति के सभी सदस्य।
5. अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6. सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव।
7. सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के कृषि उत्पादन आयुक्त।
8. सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के सचिव कृषि/मृदा संरक्षण/पनधारा/ग्रामीण विकास/वन/जल संसाधन।
9. सभी राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति।
10. सभी प्रभागाध्यक्ष, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।
11. भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि इस आदेश को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

(प्रेम नारायण)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

विवरण-II

क्रीडा, आई.सी.ए.आर. द्वारा कराये गये अध्ययन के आधार पर जिला आंकड़ा आधार से समान सस्य-जलवायवी अंचलों में चयनित फसलों की उपज के मामले में सिंचाई का अनुमानित प्रभाव

फसल	अनुमानित उपज (कि.ग्रा./हेक्टयेर)		
	सिंचाई के बिना	सिंचाई सहित	प्रतिशत प्रतिक्रिया
1	2	3	4
चावल, खरीफ	1236	1630	32

1	2	3	4
चावल, रबी	445	2907	552
गेहूं	954	1554	63
जौ	1368	1658	21
मक्का	1351	1690	25
सोरगम खरीफ	405	706	74
सोरगम रबी	919	1299	41
बाजरा	925	1164	26
फिंगर मिलेट	1611	1868	16
तिल	177	263	49
एरण्ड	346	532	54
अलसी	400	429	7
तोरिया/सरसों	653	796	22
सूरजमुखी	704	1032	47
सोयाबीन	603	605	0
मूंगफली	955	1085	14
कपास	254	306	21

[अनुवाद]

औषधियों के मूल्यों में कमी

*177. **श्रीमती मनोरमा मादवराव :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 886 औषधियों के मूल्य में हाल में की गई कमी एक दिखावा मात्र साबित हुई है क्योंकि जनसामान्य को इससे कोई राहत नहीं मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या 75 प्रतिशत से अधिक मूल्य में कमी वाली अनेक औषधियों का बाजार हिस्सा मात्र 5 प्रतिशत या उससे भी कम है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अनुचित व्यवहार को रोकने तथा आम व्यक्ति को सस्ती औषधियों की उपलब्धता बेहतर करने हेतु औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 में उपयुक्त संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) फार्मा कंपनियां जेनरिक दवाओं पर ट्रेड मार्जिन थोक विक्रेताओं के लिए 15% और फुटकर विक्रेताओं के लिए 35% तक सीमित करने पर स्वेच्छा से सहमत हो गई हैं। ट्रेड मार्जिन पर इस अंकुश के कारण 11 कंपनियों द्वारा विनिर्मित अनेक दवाओं के मूल्य घटाए गए हैं। ऐसी 886 दवाओं जिनके मूल्य इन कंपनियों द्वारा स्वेच्छा से कम किए गए हैं, की सूची प्रकाशित की गई है। 886 दवाओं की यह सूची विभाग के वेबसाइट www.chemicals.gov.in पर उपलब्ध है। सूची की प्रति संसद-ग्रंथागार में भी रखी गई है। इस सूची में बड़ी संख्या में बीमारियों के उपचार में प्रयुक्त होने वाले टेबलेट, कैपसूल और सिरप इत्यादि जैसे सभी खुराक रूपों के फार्मूलेशन शामिल हैं। इनमें एंटीबायोटिक्स, कफ सिरप, दर्द-निवारक और शल्य चिकित्सा के दौरान प्रयुक्त होने वाली दवाएं, संक्रामक रोगों के उपचार तथा हाईपरटेंशन आदि के उपचार में प्रयुक्त होने वाली दवाएं शामिल हैं। यह कंपनियों की स्वैच्छिक कार्रवाई/कटौती थी जिन्होंने संबंधित दवाइयों के बाजार हिस्सेदारी के आंकड़े नहीं दिए हैं। उद्योग द्वारा ट्रेड मार्जिन घटाने का कार्य उन दवाओं पर किया गया जिन्हें व्यापार द्वारा संवर्द्धित किया जाता है (सामान्यतया इन्हें जेनरिक-जेनरिक या ब्रांडेड जेनरिक कहा जाता है) जहां इनके मार्जिन अनुसूचीबद्ध औषधों और गैर-अनुसूचीबद्ध ब्रांडशुदा औषधों की तुलना में अधिक हैं। यह सच है कि देश में कुल फार्मा बाजार में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी काफी कम है। तथापि, यहां यह उल्लेखनीय है कि अधिक ट्रेड मार्जिन को घटाने और फलस्वरूप कुछ दवाओं के मूल्यों में कमी लाने की दिशा में यह मात्र पहला कदम है। नई औषध नीति को अंतिम रूप देने के बाद कई और कदम उठाए जाने की योजना है

सरकार ने राष्ट्रीय औषध निति, 2006 का प्रारूप तैयार किया है। नीति को स्वीकृति मिलने के बाद एक नई औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश जारी किए जाने का प्रस्ताव है। इसमें आम आदमी को सस्ती दवाइयों की बेहतर उपलब्धता के लिए कई नए उपाय शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त आम आदमी को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के

लिए अन्य अनेक उपाय भी परिकल्पित हैं, उदाहरणार्थ - बीपीएल परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय रूग्णता सहायता निधि/राज्य रूग्णता सहायता निधियों, जिला रूग्णता सहायता निधि के लिए और अधिक आबंटन, केन्द्र सरकार के सभी अस्पतालों में बीपीएल परिवारों के लिए रिवाल्विंग फंड की स्थापना, राज्य भी बीपीएल परिवारों की नि:शुल्क चिकित्सा के लिए सभी सरकारी अस्पतालों में रिवाल्विंग फंड स्थापित करेंगे, अन्य राज्यों में मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के राजस्थान मॉडल का प्रतिरूपण अपनाने, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में जिला स्तरीय ड्रग बैंक योजना, कैंसर औषधि सहायता निधि आदि की स्थापना।

इसके अतिरिक्त, राज्य औषध नियंत्रकों की सहायता से औषध मूल्यों के प्रभावी मानीटरिंग एवं उनके प्रवर्तन के लिए एनपीपीए के सुदृढ़ीकरण का भी प्रस्ताव है।

उपभोक्ता जागरुकता हेतु धनराशि

*178. **श्री अनवर हुसैन** : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान उपभोक्ता जागरुकता अभियान शुरू करने हेतु क्षेत्रवार निर्धारित की गई धनराशियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश के विभिन्न क्षेत्रों में शुरू किए गए अभियानों और उन पर व्यय की गई धनराशियों का अभियानवार और क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) उपभोक्ता मामले विभाग के बजट में वर्ष 2006-07 के दौरान उपभोक्ता जागरुकता अभियान के लिए 6940 लाख रुपए की राशि आबंटित की गई है। इसमें से 6190 लाख रुपए की राशि देश के सभी क्षेत्रों में अभियान चलाने के लिए निर्धारित की गई है और 750 लाख रुपए की राशि विशिष्ट रूप से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निर्धारित की गई है।

(ख) उपभोक्ता मामले विभाग ने राज्य सरकारों तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के गीत और नाटक प्रभाग के जरिए आउटडोर प्रचार के साथ-साथ इलैक्ट्रोनिक और प्रिन्ट मीडिया दोनों का प्रयोग करके एक अभियान चलाया है।

30 नवम्बर, 2006 तक किए गए अभियान वार व्यय के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

पूर्वोत्तर क्षेत्र

– इलैक्ट्रोनिक/प्रिन्ट मीडिया	–	344 लाख रुपये
– आउटडोर प्रचार	–	97 लाख रुपये
		441 लाख रुपये

अन्य क्षेत्र

– इलैक्ट्रोनिक मीडिया	–	3526 लाख रुपये
– प्रिन्ट मीडिया	–	10 लाख रुपये
– आउटडोर प्रचार	–	767 लाख रुपये
		4303 लाख रुपये

30.11.2006 तक कुल व्यय

	–	4303 लाख रुपये
	–	441 लाख रुपये
		4744 लाख रुपये

[हिन्दी]

खाद्य पदार्थों पर राजसहायता

*179. **श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'** : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2006-07 के दौरान खाद्य पदार्थों पर दी जाने वाली राजसहायता में कटौती करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उन खाद्य पदार्थों की पहचान कर ली है जिन पर दी जाने वाली राजसहायता में कटौती किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्रदूषण के कारण मौतें

*190. श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रमुख शहरों में हो रही अत्यधिक मौतों का और पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण होने के बीच आपसी संबंध होने के बारे में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत दो वर्षों के दौरान 'महानगरों' में पर्यावरणीय प्रदूषण में कुल कितने प्रतिशत वार्षिक बढ़ोत्तरी हुई है;

(ग) पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपायों में तेजी लाने हेतु सरकार द्वारा क्या रणनीति बनाई जा रही है; और

(घ) इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने वाले प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है और इसमें सरकार द्वारा अब तक कितनी प्रगति की गयी है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) पर्यावरणीय प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर विभिन्न संस्थानों द्वारा कुछ प्रमुख शहरों में किए गए अध्ययन पर्यावरणीय प्रदूषण और मर्त्यता की घटनाओं के बीच कारण-प्रभाव संबंध होने का कोई निर्णायक वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते है।

पिछले दो वर्षों के दौरान महानगरीय शहरों में सल्फर डाइआक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के वार्षिक परिवेशी स्तर आवासीय क्षेत्र में निर्धारित मानकों के भीतर हैं; सिवाय श्वसनीय विक्षिप्त कण पदार्थों (आर एस पी एम) के, जो मुंबई, कोलकता और दिल्ली में सीमा से अधिक हो गए हैं, किन्तु चेन्नई में ये निर्धारित मानकों से नीचे हैं; जैसाकि ग्राफ विवरण से देखा जा सकता है। दिल्ली में लगभग 60% आर एस पी एम प्राकृतिक धूलकण हैं।

(ग) और (घ) प्रदूषण नियंत्रण हेतु अपनाई गई रणनीतियों और किए गए उपायों के अंतर्गत प्रदूषण उपशमन हेतु व्यापक नीति बनाना, सी एन जी और एल पी जी सहित उन्नत ऑटो-ईंधन की आपूर्ति करना, वाहन और औद्योगिक उत्सर्जन मानकों को कड़ा बनाना, विशिष्ट उद्योगों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी को अनिवार्य बनाना, म्युनिसिपल और जैव-चिकित्सीय अपशिष्टों का प्रबंधन, स्वच्छतर प्रौद्योगियों को बढ़ावा देना, वायु और जल गुणवत्ता मानीटरी स्टेशनों को सुदृढ़ बनाना, प्रदूषण भार एवं स्रोत संविभाजन अध्ययनों का मूल्यांकन करना तथा प्रमुख शहरों और अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों के संबंध में कार्य योजनाएं तैयार करना और उन्हें कार्यान्वित करना आदि शामिल हैं।

विभिन्न उपायों को अपनाने के परिणामस्वरूप, जैव-रसायनिक ऑक्सीजन मांग (बी ओ डी) के संदर्भ में वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण भार में काफी कमी आई है।

विवरण

परिवेशी वायु गुणता का रुख
(वार्षिक औसत संकेन्द्रण माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर में)

(क) सल्फर डाइआक्साइड (SO_2) स्तरों का रुख

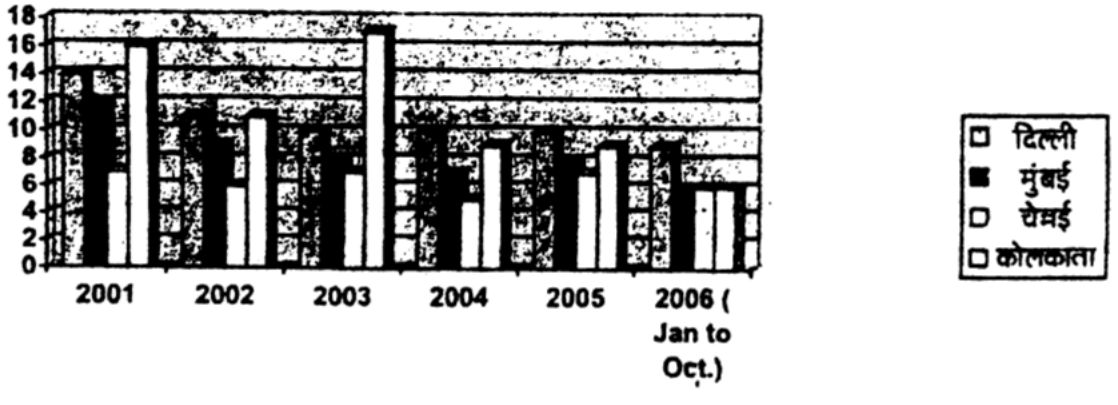

(ख) नाइट्रोजन डाइआक्साइड (NO_2) स्तरों का रुख

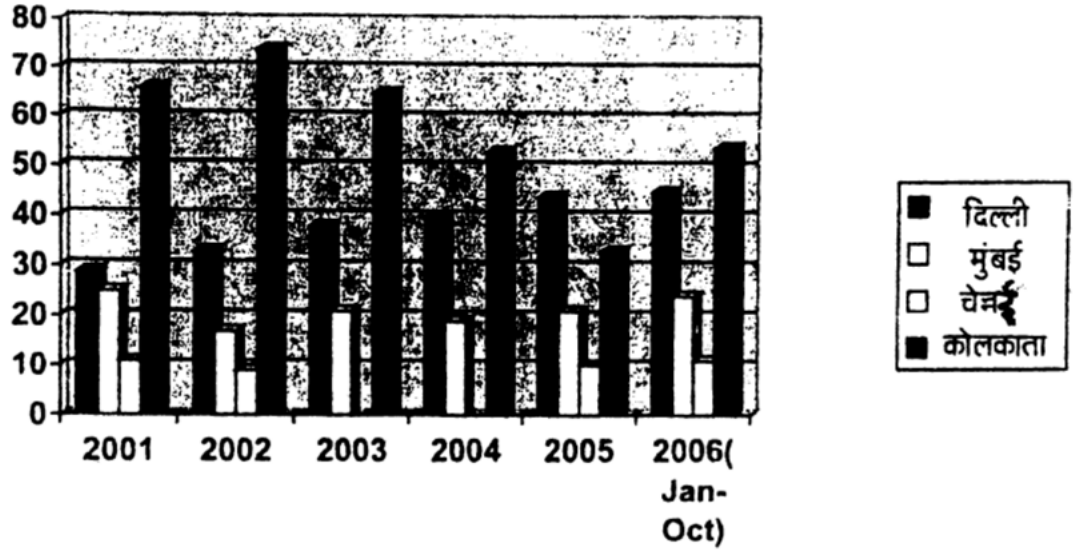

(ग) श्वसनीय विविक्तकण पदार्थ (आरएसपीएम) का रुख

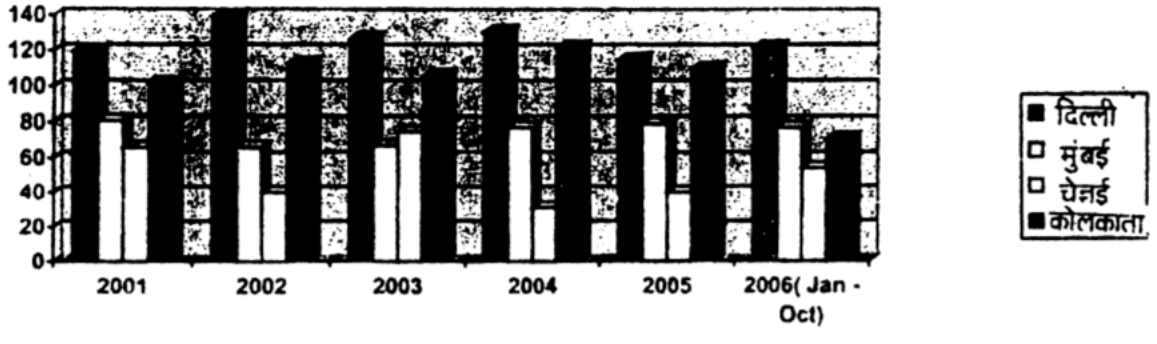

नोट : आवासीय क्षेत्रों (वार्षिक औसत) में SO_2 , NO_2 ओर आर एस पी एम का राष्ट्रीय परिवेशी गुणता मानक = 60 माइक्रो ग्राम प्रति घन मीटर

समुद्री-क्षरण रोधी योजना

*181. श्री प्रशान्त प्रधान : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार के पास समुद्र तट के संरक्षण संबंधी परियोजनाएं भेजी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार इन परियोजनाओं के क्या नाम हैं; और

(ग) गत वित्तीय वर्ष तक उपर्युक्त उल्लेखित परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) से (ग) समुद्री कटाव-रोधी संबंधी स्कीमों की आयोजना और कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। ऐसे कार्यों के महत्व को स्वीकार करते हुए बाह्य वित्तपोषण प्राप्त करने संबंधी एक स्कीम तैयार करने के दृष्टिकोण से केन्द्रीय जल आयोग ने राज्य सरकारों से गंभीर पहुंचों को अभिज्ञात करने और उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल,

महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप और पांडिचेरी ने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर एक संकल्पना टिप्पण तैयार किया गया तथा उपयुक्त बाह्य वित्तपोषण अभिकरण अभिज्ञात करने के लिए इसे आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) को भेजा गया। डीईए ने विचार किए जाने के लिए इस संकल्पना टिप्पण को एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) को भेजा। "एकीकृत तटीय प्रबंधन और संबंधित निवेश विकास" संबंधी तकनीकी अध्ययनों के लिए एडीबी ने भारत सरकार को तकनीकी सहायता दिए जाने का अनुमोदन कर दिया है। एक एडीबी इन्सेपशन मिशन ने सितम्बर-नवम्बर 2006 के दौरान राज्यों का दौरा किया। अध्ययन करने के लिए एडीबी ने परामर्शदाताओं/विशेषज्ञों को नियुक्त किया है।

जल संसाधन मंत्रालय दसवीं योजना के दौरान प्रायोगिक आधार पर एक स्कीम का भी कार्यान्वयन कर रहा है जिसके तहत केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पांडिचेरी और तमिलनाडु की विशेष गंभीर पहुंचों में समुद्री कटाव रोधी कार्यों के लिए निधि जारी की गई है। ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

बाह्य वित्त पोषण प्राप्त करने संबंधी स्कीम में शामिल किए जाने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा

राज्य का नाम	शामिल किए गए कार्यों का ब्यौरा	प्रस्ताव की राशि (रुपए करोड़ में)	प्रस्ताव में शामिल स्थान/जिले
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	(1) काकीनाडा के निकट उप्पादा और आसपास पास के गांवों में तट कटाव के निकट समुद्री दीवार का निर्माण	35.65	काकीनाडा के निकट उप्पादा और आस पास के गांवों तथा पश्चिमी गोदावरी और कृष्णा जिलों में कुछ स्थान
	(2) पश्चिमी गोदावरी जिले में चिन्नामोस्ता पालेम(V) के समुद्रीकटाव से सुरक्षा की व्यवस्थाएं		
	(3) कृष्णा जिले में कृथिवेन्नु मंडलम के गांवों की सुरक्षा के लिए ज्वारीय किनारों का निर्माण		
	(4) कृष्णा जिले में 43 कि.मी. लम्बे केट और कोना ज्वारीय किनारों की मरम्मत और पुनरुद्धार		
गोवा	(1) समुद्री दीवार का निर्माण (7.50 कि.मी.)	55.00	पर्नेम, बार्देज, सालसेटे, कनाकोना, तिसवादी तालुका
	(2) समुद्री दीवार को पुन: बनाना (1.50 कि.मी.)		

1	2	3	4
	(3) नदी तट सुरक्षा कार्य (4.00 कि.मी.)		
	(4) क्षतिग्रस्त नदी तट सुरक्षा कार्य का पुनर्निर्माण (3.00 कि.मी.)		
गुजरात	समुद्री-कटाव रोधी कार्य (61.295 कि.मी.)	400.22	बलसाड, नवासारी, सूरत, भरुच, जामनगर, भावनगर, अमरेली, जूनागढ़ जिलों के कुछ हिस्से
कर्नाटक	(1) समुद्री दीवार का निर्माण (49.875 कि.मी.)	135.95	दक्षिण कन्नड़, जिले में मंगलौर, उडुपी और कुंडापुर तालुकों तथा उत्तर कन्नड़ जिले में भटकल, हनोवर, कुंटा, अंकोला और करवार तालुकों में कुछ स्थान
	(2) क्षतिग्रस्त समुद्री दीवार का पुनर्निर्माण (17.605)		
केरल	(1) समुद्री दीवार का निर्माण (52.065 कि.मी.)	216.96	तिरुवनन्तपुरम, कोलाम, अल्लापुझा, इरनाकुलम, थ्रिस्सूर, मंजेरी, कोझिकोड, थालेसेरी, कसरगोड प्रभागों में कुछ स्थान
	(2) ग्रोइन्स का निर्माण (21 संख्या)		
	(3) समुद्री दीवार का पुनर्निर्माण (59.448 कि.मी.)		
महाराष्ट्र	समुद्री-कटाव रोधी कार्यों के लिए बंधों का निर्माण (72.36 कि.मी.)	193.801	मुंबई, उपशहरी, मुंबई, थाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिन्धुदुर्ग जिलों में कुछ स्थान
उड़ीसा	(1) खुले तटों पर समुद्री दीवार का निर्माण (66.20 कि.मी.)	304.517	गंजाम, पुरी, केन्द्रपाडा, बालासोर, जगतसिंहपुर और भद्रक जिलों में कुछ स्थान
	(2) नदियों के मुहाने पर समुद्री दीवार का निर्माण (23.35 कि.मी.)		
तमिलनाडु	13.824 कि.मी. की समुद्री दीवार/ग्रोइन्स का निर्माण	167.692	चेन्नई उत्तर, कांचीपुरम, कड्डालोर, नागापट्टिनम, थियूथुकुडी, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों में कुछ स्थान

विवरण-II

"तटीय तथा गंगा बेसिन राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों में गंभीर कटाव-रोधी कार्य" स्कीम के तहत विशेष पहुंचों में कटावरोधी कार्यों के लिए राज्य सरकारों को जारी की गई निधि

क्र. सं.	राज्य	स्कीम का नाम	अब तक जारी की गई निधि (रुपए करोड़ में)
1.	कर्नाटक	उडुपी जिले में पादुबारी में समुद्री कटाव रोकने के लिए सुरक्षा दीवार मुहैया कराना	0.50
2.	केरल	केरी सीपी 4004 और 4012 के बीच अझीकोड और ईरीयाडु (त्रिस्सूर जिला) के बीच 1680 मी. लंबाई के लिए समुद्री दीवार का निर्माण करना	0.50
3.	महाराष्ट्र	बेरोंडा रायगढ़ जिले में समुद्री कटाव रोधी बंध का निर्माण	2.30
4.	उड़ीसा	जम्बू में गोबारी लेफ्ट पर आरडी 8.670 किमी. से 10.855 किमी. तक जम्बू लवणीयधेरी की समुद्री दीवार का निर्माण	1.50
5.	पांडिचेरी	संघ राज्य क्षेत्र, पांडिचेरी में न्यू पायर के दक्षिण की ओर सीएच. 0मी (न्यूपायर) से सीएच, 300 मी और उत्तर की ओर सीएच 300 मी. से सीएच 900 मी. से मौजूदा चट्टानी रिवेटमेंट को मजबूत करना	1.00
6.	तमिलनाडु	थूथूकुडी जिले में पेरियाथलै में ग्रोइन (400 मी) का निर्माण	2.32

राज्य का नाम	शामिल किए गए कार्यों का ब्यौरा	प्रस्ताव की राशि (रुपए करोड़ में)	प्रस्ताव में शामिल स्थान/जिले
1	2	3	4
पश्चिम बंगाल	नदियों की प्यारीय पहुंचों में 10.75 कि.मी. के तट सुरक्षा कार्यों 36.50 कि.मी. के किनारा (बैंक) सुरक्षा कार्यों का निर्माण	256.23	24 परगना (दक्षिणी), 24 परगना (उत्तर) और दीघा में कुछ स्थान
लक्षद्वीप	72.57 कि.मी. के समुद्री कटाव रोधी कार्य	142.307	अगाती, अमिनी, एन्द्रोट, बित्रा, चेटलाट, कदमात, कालपेनी, कावारती, किल्तन और मिनिकॉय द्वीपसमूहों में तट रेखा का एक हिस्सा
पांडिचेरी	पांडिचेरी क्षेत्र (5.40 कि.मी.) और माहे क्षेत्र (1.00 कि.मी.) में पुनर्भरण/पुनर्निर्माण कराना और चट्टानी रिवेटमेंट का मानकीकरण	25.50	पांडिचेरी, माहे क्षेत्र में कुछ स्थान

ई.एस.आई.सी. तथा राज्यों के बीच योगदान का हिस्सा

1665. **श्री चंद्रकांत खैरे** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र, झारखंड तथा बिहार में चलाई जा रही ई.एस.आई. योजनाओं के संबंध में ई.एस.आई. का योगदान अक्सर वर्ष दर वर्ष अपने देय हिस्से से कम रह जाता है;

(ख) यदि हां, तो ई.एस.आई. निगम तथा राज्य के बीच निर्धारित योगदान का हिस्सा कितना है; और

(ग) 31 अगस्त, 2006 की स्थिति के अनुसार ई.एस.आई. योजनाओं के संबंध में महाराष्ट्र, झारखंड तथा बिहार सरकार द्वारा राज्य के देय हिस्से से ऊपर एकत्रित कितना अतिशय व्यय किया गया?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 58 के अनुसार चिकित्सा हितलाभ प्रदान करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम और राज्य सरकारों के बीच समझौते के अनुसार चिकित्सा देखरेख पर होने वाला आवर्ती व्यय कर्मचारी राज्य बीमा निगम और राज्य सरकार के बीच 7:1 के अनुपात में आपस में बांट लिया जाता है जो कि राज्य सरकार द्वारा किए गए वास्तविक व्यय और समय-समय पर निर्धारित अधिकतम सीमा, जो भी कम हो, के अधीन होगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम निर्धारित अधिकतम सीमा के अनुसार राज्य सरकार को भुगतान कर रहा है। 1.4.2005 से राज्यों को चिकित्सा देखरेख के लिए किए जाने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा 900/- रुपये प्रति बीमाकृत व्यक्ति परिवार इकाई है। महाराष्ट्र, झारखण्ड और बिहार की राज्य सरकारों द्वारा भी 900/- रुपये प्रति बीमाकृत व्यक्ति परिवार इकाई की अधिकतम सीमा और वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, के अधीन प्रतिपूर्ति की जा रही है। तथापि, औषधालयों और अस्पतालों के भवनों के निर्माण पर किये जाने वाले पूंजीगत व्यय को पूरी तरह से कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा वहन किया जाता है। इसी प्रकार, अस्पतालों और औषधालयों में प्रारंभिक उपस्करों की खरीद पर किए जाने वाले व्यय का वहन कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अतिरिक्त उपस्करों और पुराने उपस्करों के बदलने पर होने वाले व्यय को भी निर्धारित अधिकतम सीमा के उपरांत, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा वहन किया जाता है।

(ग) शून्य।

सुपारी के लिए 'एम.आई.एस.'

1666. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक सरकार से सुपारी के लिए 'मार्केट इन्टरवेंशन स्कीम' (एम.आई.एस.) घोषित किए जाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पान की खेती करने के लिए राजसहायता

1667. **श्री अनन्त नायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पान की खेती करने के लिए राजसहायता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में समेकित बागवानी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत उत्पादकों को पान के पत्ते सहित मसालों को उगाने के लिए 13,000/- रु. प्रति हैक्टेयर की दर से सहायता प्रदान की जाती है।

इस्पात की मांग

1668. श्री के.सी. पल्लानी शामी :
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में इस्पात की मांग बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के लिए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस्पात की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सेलम इस्पात संयंत्र का विस्तार करने तथा इसे आधुनिक बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) जी, हां।

(ख) परिसज्जित (कार्बन) इस्पात की घरेलू मांग प्रत्यक्ष खपत के आंकड़ों में परिलक्षित होती है। देश में पिछले 3 वर्षों के दौरान परिसज्जित (कार्बन) इस्पात की प्रत्यक्ष खपत निम्नानुसार है:-

वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06
मात्रा (मिलियन टन)	31.169	34.389	39.185
वृद्धि	7.88%	10.33%	13.94%

(स्रोत: ज्वाइंट प्लांट कमेटी)

(ग) से (ङ) सेल बोर्ड द्वारा 1,553 करोड़ रुपए की इंडीकेटिव लागत पर सेलम इस्पात संयंत्र के विस्तार को सिद्धांततः मंजूर कर दिया गया है। विस्तार योजना में 1,80,000 टन वार्षिक (टीपीए) बेदाग इस्पात स्लेब का उत्पादन करने के लिए इस्पात गलन शाला स्थापित करने और 1,46,000 टन वार्षिक (टीपीए) शीत बेल्लित बेदाग इस्पात का उत्पादन करने के लिए कोल्ड रोलिंग मिल की क्षमता बढ़ाए जाने की परिकल्पना की गई है।

ई.पी.एफ.ओ. के न्यासियों तथा मंत्रीजी के बीच बैठक

1669. श्री मोहन रावले : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कर्मचारी भविष्य नीति संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) के न्यासियों तथा माननीय मंत्री के बीच कोई बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) कर्मचारियों के हितों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीज) : (क) और (ख) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि की एक बैठक श्रम और रोजगार राज्य मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 07 नवम्बर, 2006 को आयोजित की गई थी। बैठक में, वर्ष 2006-07 के दौरान ईपीएफ सदस्यों को दी जाने वाली ब्याज दर पर चर्चा की गई थी। यह निर्णय लिया गया था कि ब्याज दर की घोषणा को तब तक के लिए स्थगित रखा जाए जब तक कि ईपीएफओ के खातों की पड़ताल करने वाली उप-समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट न दे दे। साथ ही, पेंशन मामलों पर चर्चा के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय ने सभी केन्द्रीय श्रमिक संघों के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करने का निर्णय लिया ताकि कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 की व्यापक समीक्षा की जा सके और योजना में अपेक्षित परिवर्तनों पर सहमति बनाई जा सके।

इसके अलावा, बोर्ड के समक्ष वित्त अनुपालन और अन्य मामलों संबंधी विभिन्न मुद्दे लाए गए, उन पर चर्चा की गई और समुचित निर्णय लिए गए।

(ग) चूंकि बोर्ड के समक्ष उठाए गए मामलों पर बोर्ड के सदस्यों, जिनमें कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी होते हैं, द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श के बाद ही निर्णय लिए जाते हैं, अतः कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा पूर्ण रूप से की जाती है।

आंध्र प्रदेश में एफ.एम. चैनल

1670. श्री चाडिगा रामकृष्ण : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश तथा अन्य राज्यों में कितने एफ.एम. चैनल स्थापित किए गए हैं तथा किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) आंध्र प्रदेश में एफ.एम. रेडियो चैनलों के लिए किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(ग) मौजूदा तथा प्रस्तावित स्टेशनों से सरकार को अलग-अलग कितना राजस्व मिलने की संभावना है;

(घ) क्या नए एफ.एम. रेडिया चैनलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त एफ.एम. ट्रांसमीटर स्थापित किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो और एफ.एम. ट्रांसमीटर कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) आकाशवाणी के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में 12 एफ.एम. ट्रांसमीटर स्थापित कर दिए गए हैं और 7 ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। इनके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश में 4 निजी एफ.एम. स्टेशन कार्यशील हैं और 15 चैनल प्रस्तावित हैं। देश भर में आकाशवाणी के 161 ट्रांसमीटर कार्यशील हैं और 104 नए ट्रांसमीटरों की योजना तैयार की गई है। इस समय देश में 41 निजी एफ.एम. चैनल कार्यशील हैं जबकि 255 और निजी चैनल स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) आंध्र प्रदेश में आकाशवाणी के एफ.एम. रेडियो स्टेशनों के लिए काकीनाड़ा, करीमनगर, श्रीकाकुलम, नेल्लौर, महबूबनगर, सूर्यापेट और मचेरला तथा निजी एफ रेडिया स्टेशनों के लिए हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, राजामुंदरी, तिरूपति और वारांगल को अभिज्ञात किया गया है।

(ग) वर्ष 2005-06 के दौरान आकाशवाणी के मौजूदा एफ.एम. ट्रांसमीटरों से 33.25 करोड़ रु. का राजस्व अर्जन हुआ। इस चरण पर प्रस्तावित आकाशवाणी ट्रांसमीटरों से प्राप्त होने वाले राजस्व के बारे में निर्दिष्ट करना संभव नहीं है क्योंकि इन ट्रांसमीटरों के लिए दरों के संबंध में अभी निर्णय लिया जाना है। वर्ष 2005-06 के दौरान मौजूदा निजी एफ.एम. ट्रांसमीटरों से 10.67 करोड़ रु. का राजस्व अर्जन हुआ। इस समय परिचालित 41 चैनलों से प्रत्याशित वार्षिक आय 15.24 करोड़ रु. परिगणित की गई है। इसके अतिरिक्त, निजी एफ.एम. रेडिया स्कीम के चरण-II के अंतर्गत एकमुश्त प्रवेश शुल्क और प्रवजन शुल्क के रूप में कुल 1145.48 करोड़ रु. भी प्राप्त हुए थे। सभी 266 निजी एफ.एम. चैनलों के कार्यशील होने पर प्रत्याशित वार्षिक राजस्व 38.16 करोड़ रु. होगा।

(घ) से (च) 10वीं योजना के दौरान आकाशवाणी के 133 ट्रांसमीटर प्रस्तावित थे जिससे 10वीं योजना की स्कीम के पूरे हो जाने के पश्चात् आबादी-वार एफ.एम. सिगनल की कवरेज 31.3% से बढ़कर 49.75% हो जाएगी। इनमें से 19 ट्रांसमीटर अभी तक कार्यशील हो गए हैं जिनसे 35% आबादी को कवरेज प्राप्त हो रही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में और अधिक विस्तार करने की परिकल्पना है। आकाशवाणी की सभी स्कीमों का कार्यान्वयन निधियों के अनुमोदन एवं उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

भाण्डागार क्षमता का सृजन

1671. **श्री एल. राजगोपाल** : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य भाण्डागार निगम ने हाल ही में भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के लिए 17.2 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त भण्डारण क्षेत्र बनाया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र के सृजन हेतु एफ.सी.आई. तथा आंध्र प्रदेश राज्य भाण्डागार निगम के समकक्ष दिए गए किराए का ब्यौरा क्या है;

(ग) एफ.सी.आई. द्वारा विभिन्न राज्य भाण्डागार निगमों को केन्द्रीय भाण्डागार निगम (सी.डब्ल्यू.सी.) के समकक्ष दिए गए किराए का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एफ.सी.आई. ने अन्य राज्य भाण्डागार निगमों को दिए जाने वाले किराए को बढ़ाने के बावजूद आंध्र प्रदेश राज्य भाण्डागार निगम को दिए जाने वाले किराए को वर्ष 2002 से नहीं बढ़ाया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) आंध्र प्रदेश राज्य भाण्डागार निगम को संशोधित किराए का भुगतान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हां। आंध्र प्रदेश राज्य भंडारण निगम ने 7 वर्षीय गारंटी योजना के अधीन भारतीय खाद्य निगम के लिए 17.6 लाख टन भण्डारण स्थान का सृजन करवाया था।

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने आंध्र प्रदेश राज्य भंडारण निगम द्वारा निर्मित अथवा निर्माण कराए गए गोदामों का उपयोग करने के

लिए 7 वर्षीय गारंटी देने और केन्द्रीय भण्डारण निगम के समतुल्य आंध्र प्रदेश राज्य भंडारण निगम को भंडारण प्रभारों के ऐसे भुगतान करने की सहमति दी थी बशर्ते कि गोदामों की विनिर्दिष्टयां और भंडारण की सेवाएं भारतीय खाद्य निगम द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार समान हों।

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने 1.4.2001 से 31.3.2002 तक 50 किलोग्राम की प्रति बोरी के लिए प्रति माह 1.51 रुपये की दर पर (30.20 रुपये प्रति टन) भंडारण प्रभार निर्धारित किए थे और 1.4.2002 से 50 किलोग्राम की प्रति बोरी के लिए प्रति माह 1.79 रुपये (35.80 रुपये प्रति टन) के भंडारण प्रभार निर्धारित किए थे जो केन्द्रीय भण्डारण निगम के समतुल्य थे।

(घ) जी, हां।

(ङ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा यह पाया गया था कि आंध्र प्रदेश राज्य भंडारण निगम निजी निवेशकों को गोदामों के किराए की काफी कम दर अर्थात् 2.00 प्रति रुपये प्रति वर्ग फीट प्रति माह का भुगतान कर रहा था और स्टाक और गोदामों के रखरखाव पर आंध्र प्रदेश राज्य भंडारण निगम द्वारा वहन किया गया खर्च भी सीमित था। अत: यह निर्णय किया गया था कि भुगतान को निवेशकों तथा आंध्र प्रदेश राज्य भंडारण निगम के बीच यथा सहमत सीमा+15% पर्यवेक्षण प्रभारों तक सीमित किया जाए।

यह निर्णय उन सभी राज्यों में 25.4.2006 से एक समान रूप से क्रियान्वित किया गया है जहां राज्य भंडारण निगमों ने 7 वर्षीय गारंटी योजना के अधीन प्राइवेट निवेशकों के जरिए गोदामों का निर्माण करवाया था।

(च) भारतीय खाद्य निगम ने आंध्र प्रदेश राज्य भंडारण निगम से अनुरोध किया है कि वह वर्ष 2005-06 के लिए अपने वार्षिक लेखाओं के अनुसार वास्तविक खर्च के ब्यौरे प्रदान करे। फिलहाल निवेशकों को अदा किए जा रहे वास्तविक किराए जमा 15% पर्यवेक्षण प्रभारों के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य भंडारण निगम को तदर्थ भुगतान किया जा रहा है।

यूरिया के आयात पर प्रतिबंध न हटाया जाना

1672. श्री जोआकिम बखला : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू उर्वरक उद्योग ने केन्द्र सरकार से यूरिया के आयात पर परिमाणात्मक प्रतिबंधों को न हटाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय खान्डिक) : (क) जी नहीं, उर्वरक विभाग को यूरिया के आयात पर परिमाणात्मक प्रतिबंधों को न हटाने के संबंध में उर्वरक उद्योग से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उत्पाद शुल्क की छूट

1673. श्री हितेन बर्मन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु औषधि विनिर्माताओं को अधिक उत्पाद शुल्क, उत्पादन लागत आदि के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र की औषधि विनिर्माता एसोसिएशन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या कुछ राज्यों में उत्पाद शुल्क की छूट दी गई है जबकि कुछ अन्य राज्यों में उत्पाद शुल्क काफी अधिक है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे भेदभाव के क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय खान्डिक) : (क) से (ग) पुरानी परम्परा के अनुसार एक्स फैक्ट्री मूल्य पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाए जाने के बदले औषधों के खुदरा मूल्यों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाए जाने के फलस्वरूप कुछ राज्यों में लघु औषध विनिर्माताओं को पेश आ रही समस्याओं के संबंध में सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल एवं जम्मू व कश्मीर राज्यों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में मौजूदा छूट दिए जाने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है।

सरकार द्वारा इन अभ्यावेदनों की जांच की गई थी। लघु इकाइयों को उत्पाद शुल्क तंत्र से होने वाली सख्ती को कम करने एवं उन्हें समान अवसर प्रदान करने के लिए इस विभाग ने राजस्व विभाग के विचारार्थ निम्नांकित उपायों का प्रस्ताव किया है;

(i) सभी भेषजीय उत्पादों पर उत्पाद शुल्क को 16% से घटाकर 8% करना; और

(ii) लघु इकाइयों की छूट सीमा को वर्तमान में 1 करोड़ रु. बढ़ाकर 5 करोड़ रु. करना।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णयानुसार उत्तरांचल, हिमाचल, जम्मू व कश्मीर, सिक्किम, कच्छ एवं पूर्वोत्तर राज्यों के अधिसूचित क्षेत्रों में औषधों सहित विनिर्मित उत्पादों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

[हिन्दी]

किसानों को बोनस

1674. **श्री हंसराज जी. अहीर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गेहूं का उत्पादन करने वाले किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) के अतिरिक्त बोनस देकर गेहूं की खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार धान तथा अन्य कृषि उत्पादों को खरीदने के लिए भी किसानों को बोनस देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) हां महोदय, रबी विपणन मौसम 2006-07 में किसानों को गेहूं के प्रापण के लिए 650 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर 50 रुपए प्रति क्विंटल का प्रोत्साहन बोनस दिया गया था।

(ग) और (घ) 31/3/2007 तक खरीफ विपणन मौसम में धान के प्रापण हेतु सामान्य एवं ग्रेड-ए किस्मों के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमशः 580 रुपए प्रति क्विंटल तथा 610 रुपए प्रति क्विंटल के ऊपर 40 रुपए प्रति क्विंटल का प्रोत्साहन बोनस घोषित हुआ है।

किसानों के लिए पैकेज

1675. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदर्भ के आत्महत्या बहुल क्षेत्रों के लिए माननीय प्रधान मंत्री द्वारा घोषित विशेष पैकेज के अंतर्गत किसानों को दी जाने वाली धनराशि संवितरित कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ग) यह धनराशि किसानों के बीच किस प्रकार संवितरित की गई है;

(घ) क्या किसानों के लिए पैकेज हेतु मुख्यालय को अमरावती शहर से पुणे स्थानांतरित किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

- 9.24 लाख किसानों को 1734 करोड़ रु. का ऋण वितरण।
- 9.24 लाख किसानों के 696 करोड़ रु. के बकाया ब्याज को माफ कर दिया गया है।
- एक वर्षीय ऋण स्थगन और तीन वर्षीय किश्तों में 1 जुलाई, 2006 तक के 9.24 लाख अतिदेय खातों के 1378 करोड़ रु. के ऋण की मूल धनराशि को पुर्ननिर्धारित किया गया है।

– रबी, ज्वार, गेहूं, चना, कुसुम और मक्का के लिए 1.24 लाख क्विंटल बीजों को पहले से ही वितरण केन्द्रों पर उपलब्ध कराया गया है। 2.93 लाख किसानों को 1.06 लाख क्विंटल बीज पहले से ही वितरित किए जा चुके हैं।

– राष्ट्रीय बागवानी मिशन को सभी छह आत्महत्या प्रभावित जिलों तक बढ़ाया गया है। भारत सरकार इन जिलों के लिए 27 करोड़ रु. की एक परियोजना पहले ही स्वीकृत कर चुकी है। पहली किस्त के रूप में 14.50 करोड़ रु. निर्मुक्त किए जा चुके हैं। चालू वर्ष के दौरान 5,400 है. से अधिक क्षेत्र को पहले ही विभिन्न बागवानी फसलों के तहत लाया जा चुका है।

– छह प्रभावित जिलों में सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए, ड्रिप और स्प्रिंकलर के तहत 16,000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र लाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने हाल ही में 15 करोड़ रु. की एक परियोजना को मंजूरी दी है और लगभग 2,000 हैक्टेयर क्षेत्र को पहले ही सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया जा चुका है।

– छह जिलों में कृषि विस्तार को सुदृढ़ करने के लिए इन सभी जिलों में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसियों (एटीएमए) का गठन किया गया है। चालू वर्ष के लिए विस्तार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु लगभग 4.50 करोड़ रु. मंजूर किए गए हैं।

– किसानों को सहायक आय प्रदान करने के लिए सभी छह जिलों में डेयरी तथा बकरी एवं भेड़ पालन संबंधी क्रियाकलाप चलाये गए हैं। 3000 से ज्यादा कृषक परिवारों में प्रत्येक को पहले ही एक दुधारू पशु देकर सहायता प्रदान की गई है।

– 3667 किसानों को अनुग्रह सहायता प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

एच.ओ.सी.एल. को घाटा

1676. **श्री एस.के. खारवेनथन :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड (एच.ओ.सी.एल.) को घाटा उठाना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का एच.ओ.सी.एल. का पुनरुद्धार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसका पुनरुद्धार कब तक किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सिब्बय झन्डिक) : (क) और (ख) एचओसीएल को वर्ष 2003-04 के दौरान 164.62 करोड़ रुपये की हानि हुई, वर्ष 2004-05 के दौरान इसे 6.40 करोड़ रु. का लाभ हुआ एवं वर्ष 2005-06 के दौरान 56.61 करोड़ रु. की हानि हुई।

(ग) कंपनी को बाजार की परिस्थितियों, कुछ उत्पादों जैसे फिनॉल का अन्य देशों द्वारा पाटन, कुछ प्लांटों का बंद होना एवं उच्च ब्याज लागत के कारण हानि हो रही है।

(घ) से (च) सरकार ने एचओसीएल के लिए पुनरुद्धार प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) भारत सरकार 8% विमोच्य अपरिवर्तनीय तरजीह शेयरों के रूप में 250 करोड़ रु. की इक्विटी प्रदान करेगी जिसका चौथे वर्ष से प्रत्येक वर्ष 20% की दर से विमोचन किया जाएगा और एचओसीएल इस राशि का उपयोग इन कार्यों के लिए करेगा: (i) उच्च लागत ओवरड्यू बांडों का पुनर्भुगतान (ii) 36 करोड़ रु. की लागत से लगभग 590 कर्मचारियों के लिए नए सिरे से वीआरएस की पेशकश (iii) 685 कर्मचारियों के लिए 2001 में बैंक ऑफ बड़ौदा से लिए गए 31 करोड़ रुपए के वीआरएस ऋण की अदायगी और (iv) बांडों के आंशिक पुनर्भुगतान के लिए 8 करोड़ रुपये।

(ii) 31.3.2005 तक दंड ब्याज एवं ब्याज पर ब्याज की माफी।

(iii) उच्च लागत ऋण को समाप्त करने के लिए उपयोग हेतु भारत सरकार की 100 करोड़ रु. की गारंटी को 10 वर्ष के पूर्णकाल (जारी तिथि 19.12.2001) तक जारी रखना।

बीआईएफआर ने पुनरुद्धार पैकेज के कार्यान्वयन के लिए भारतीय स्टेट बैंक को बतौर प्रचालन एजेंसी नियुक्त किया है।

चावल की खेती

1677. **श्री कुलदीप बिश्नोई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास असम के 'जोहा' चावल की विभिन्न किस्मों की खेती को प्रोत्साहन देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) चावल आधारित फसलन प्रणाली वाले क्षेत्रों (आईसीडीपी-चावल) के लिए समेकित अनाज विकास कार्यक्रम असम सहित देश के विभिन्न राज्यों में वृहद् प्रबंधन कार्यक्रम की एक उप-स्कीम के रूप में कार्यान्वयनाधीन है ताकि असम की 'जोहा' चावल सहित चावल खेती को बढ़ावा दिया जा सके। स्कीम के तहत उन्नत किस्मों और संकरों के गुणवत्ता वाले बीजों के वितरण, कृषि उपकरणों, समेकित कीट प्रबंधन सहित पद्धतियों के उन्नत पैकेज पर फील्ड प्रदर्शनों और किसानों के क्षमता निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। अति विकसित फसल उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियों पर अग्रणी प्रदर्शन भी कृषक खेतों पर आयोजित किए जाते हैं ताकि किसानों में प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाया जा सके।

ए.एस.पी.आई. को विज्ञापन न्यायालय का दर्जा

1678. **श्री कुलदीप बिश्नोई** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एडवर्टाइजिंग स्टेण्डर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया (ए.एस.सी.आई.) को "विज्ञापन न्यायालय" का दर्जा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा एएससीआई को अनुपालन न करने वालों को दण्ड देने का सक्षम बनाने के लिए विधायी तथा न्यायिक अधिकार देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार का भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ए एस सी आई) जो कि विज्ञापन उद्योग का एक स्व-विनियामक निकाय है, पर कोई नियंत्रण नहीं है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के पास एक उपभोक्ता शिकायत परिषद (सी सी सी) हैं जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोग शामिल होते हैं जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया दोनों में भ्रामक, बेईमान या अश्लील विज्ञापनों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच करते हैं और इन पर कार्रवाई करते हैं। इसलिए सरकार का भारतीय विज्ञापन मानक परिषद को विज्ञापन न्यायालय का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) सरकार द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। तथापि, दिनांक 2.8.2006 की अधिसूचना (विवरण) के तहत केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली, 1994 के अंतर्गत एक प्रावधान किया गया है जिसके अनुसार केबल सेवा में ऐसे किसी विज्ञापन का प्रसारण नहीं किया जाएगा जो भारत में प्रदर्शनार्थ भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, मुंबई द्वारा यथा स्वीकृत विज्ञापन में स्व-विनियमन हेतु संहिता का उल्लंघन करता हो।

विवरण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2006

सा.का.नि. 459(अ).—केन्द्रीय सरकार, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में–

(i) नियम 6 के उप-नियम (1) में खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परंतु कोई फिल्म या फिल्मी गीत या फिल्म प्रोमों या फिल्म ट्रेलर या संगीत वीडियो या संगीत एलबम अथवा उनके प्रोमो, चाहे भारत में बने हों या विदेश में, केबल सेवा के मार्फत् तब तक नहीं दिखाया जाएगा जब तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा, इसे भारत में अनिर्बन्धित लोक प्रदर्शन के लिए यथा उपयुक्त प्रमाणीकृत नहीं कर दिया जाता है।"

(ii) नियम 7 में उप-नियम (9) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(9) कोई ऐसा विज्ञापन, जो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद् मुंबई द्वारा समय-समय पर यथा अंगीकृत विज्ञापन की स्वत: विनियमन संहिता का अतिक्रमण करता है, केबल सेवा में नहीं दिखाया जाएगा।"

[फा.सं. 2302/1/2001/-बीसी-III(भाग)]
एन. बैजेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 729(अ), तारीख 29 सितंबर, 1994 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उसमें सा.का.नि. 459(अ), तारीख 8 अक्तूबर, 1996 और सा.का.नि. 710(अ), तारीख 8 सितंबर, 2000 तथा सा.का.नि. 282(अ), तारीख 11 मई, 2006 द्वारा संशोधित किए गए।

[हिन्दी]

सीमावर्ती क्षेत्रों पर विदेशी चैनलों का प्रभाव

1679. **श्री जसवंत सिंह बिस्नोई** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन-कौन से देश हैं जिनके चैनल भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर प्रभाव डालते हैं; और

(ख) इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा इनमें कितनी सफलता मिली है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के चैनल भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर प्रभाव डालते हैं।

(ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि विदेशी चैनलों के प्रभाव का आकलन करने हेतु वर्ष 2006 के पूर्वार्द्ध में किए गए सर्वेक्षण से यह पता चला है कि विशेषकर कश्मीर क्षेत्र में राज्य के लगभग 40% दर्शक/श्रोतागण क्यू-टी वी देखते हैं जो कि धार्मिक प्रपठन हेतु पाकिस्तान का एक धार्मिक चैनल है। तथापि, दूरदर्शन द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:-

(i) पाकिस्तान और पूर्वोत्तर के सीमावर्ती क्षेत्रों में टी वी कवरेज के विस्तार को प्राथमिकता।

(ii) उपग्रह कवरेज और डी टी एच कवरेज द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थलीय कवरेज को सुदृढ़ किया गया था।

(iii) संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से दुष्प्रचार विरोधी कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है।

[अनुवाद]

कृषि विकास केन्द्र

1680. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंचायत स्तरीय कृषि विकास केन्द्र के लिए एक मेगा परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे कृषि विकास केन्द्रों के कब तक चालू होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया) : (क) सरकार द्वारा कोई ऐसी विशिष्ट मेगा परियोजना शुरू नहीं की गई है। तथापि ऐसे कई कार्यक्रम प्रवर्तित हैं जिनका उद्देश्य देश में कृषि विकास को बढ़ावा देना है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

बीसीपीएल को पुनः चालू करना

1681. **श्री सुनील खां** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) को पुनः चालू करने हेतु कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय झान्डिक) : (क) से (ग) बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) के पुनरूद्धार की योजना है। लोक उद्यम पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआरपीएसई) ने 25.8.2006 को आयोजित अपनी बैठक में बीसीपीएल के लिए संशोधित पुनरूद्धार प्रस्ताव की सिफारिश कर दी है। कंपनी की पुनरूद्धार योजना के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

पश्चिम बंगाल में फिश लैंडिंग सेंटर

1682. **श्री सुव्रत बोस** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल तट पर मत्स्यन हेतु संभावित लैंडिंग साइट्स के संबंध में कोई प्रौद्योगिकीय व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं तथा विगत में यह अध्ययन कब किया गया था;

(ग) पश्चिम बंगाल में कौन-कौन से केंद्रों का अध्ययन किया गया है और ऐसे प्रत्येक स्थल की आर्थिक क्षमता क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) पश्चिम बंगाल के तट पर कुल 19 मछली उतारने वाले स्थानों पर समय-समय पर तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है, जिन्हें मत्स्यन बंदरगार/मछली उतरने वाले केंद्रों के विकास के लिए तकनीकी आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। पश्चिम बंगाल के तट पर सभी 19 व्यवहार्य स्थानों को विकास कार्य के लिए हाथ में लिया गया है। इनमें से, रायचौक में एक बड़ा मत्स्यन बंदरगाह, फ्रेसर गंज, दीघा (चरण-I तथा II), सुल्तानपुर (डायमंड हार्बर) में तीन छोटे मत्स्यन बंदरगाह और अन्य स्थानों में 12 मछली उतारने वाले केंद्रों का कार्य पूरा हो चुका है। विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र. सं.	मत्स्यन केंद्र का नाम	आयोजित व्यवहार्यता रिपोर्ट	भारत सरकार के अनुमोदन का वर्ष	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
	मत्स्यन बंदरगाह			
1.	रायचौक	कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट	जनवरी-71 तथा दिसंबर-73	पूरा हो चुका है
2.	फ्रेसर गंज	सीआईसीईएफ	जनवरी-89	पूरा हो चुका है
3.	दीघा (चरण-I तथा II)	सीआईसीईएफ एवं डब्ल्यूबीएफडी	फरवरी-82 तथा नवम्बर-95	पूरा हो चुका है

1	2	3	4	5
4.	सुल्तानपुर (डायमण्ड हार्बर)	डब्ल्यूबीएफडी	मार्च-2000	पूरा हो चुका है
5.	हरवुड प्वाइंट	डब्ल्यूबीएफडी	मार्च-01	कार्य प्रगति पर है
6.	पेतुआघाट	डब्ल्यूबीएफडी	मार्च-05	कार्य प्रगति पर है
	मछली उतारने वाले केंद्र			
7.	नामखाना	डब्ल्यूबीएफडी	मार्च-76	पूरा हो चुका है
8.	जालदा	डब्ल्यूबीएफडी	मार्च-84	पूरा हो चुका है
9.	न्यू जालदा	डब्ल्यूबीएफडी	मार्च-84	पूरा हो चुका है
10.	खर्पई	डब्ल्यूबीएफडी	मार्च-84	पूरा हो चुका है
11.	कालीनगर	डब्ल्यूबीएफडी	दिसम्बर-84	पूरा हो चुका है
12.	गणेशनगर	डब्ल्यूबीएफडी	दिसम्बर-84	पूरा हो चुका है
13.	रामनगर	डब्ल्यूबीएफडी	दिसम्बर-84	पूरा हो चुका है
14.	अख्योनगर	डब्ल्यूबीएफडी	दिसम्बर-84	पूरा हो चुका है
15.	जुनपुट	डब्ल्यूबीएफडी	मार्च-84	पूरा हो चुका है
16.	सुला	डब्ल्यूबीएफडी	दिसम्बर-92	पूरा हो चुका है
17.	मदनगंज	डब्ल्यूबीएफडी	दिसम्बर-92	पूरा हो चुका है
18.	ब्रजोबल्लवपुर	डब्ल्यूबीएफडी	दिसम्बर-92	पूरा हो चुका है
19.	माया गोलीनी घाट	डब्ल्यूबीएफडी	दिसम्बर-05	कार्य प्रगति पर है

सीआईसीएफ : केंद्रीय तटवर्ती मात्स्यिकी इंजीनियरिंग संस्थान (सीआईसीईएफ), बंगलौर।

डब्ल्यूबीएफडी: पश्चिम बंगाल मात्स्यिकी विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार।

चौबीस घंटे का मूवी चैनल

1683. **श्री तुकाराम गंगाधर गदाख** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन का एक 24 घंटे का मूवी चैनल खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस चैनल के कब तक चालू किए जाने की संभावना है;

(ग) इस मूवी चैनल के विज्ञापन से दूरदर्शन के राजस्व में कितनी वृद्धि होगी;

(घ) क्या सरकार दूरदर्शन चैनल पर साप्ताहिक अंग्रेजी/हॉलीवुड मूवीज़ का प्रसारण करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि. हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संपदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव दूरदर्शन के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो

1684. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन हेतु संशोधित प्रस्ताव सुझावों के लिए विधि मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में विधि मंत्रालय द्वारा क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(घ) इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस ब्यूरो का गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (घ) विधि एवं न्याय मंत्रालय के सुझाव के आधार पर वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2006 में समर्थकारी कानूनी उपबंध प्रदान किए गए हैं जो 4 सितम्बर, 2006 से प्रभावी हो गए हैं। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को गठित करने के लिए नए कानूनी उपबंधों पर आधारित संशोधित प्रस्ताव पर कार्रवाई के लिए शीघ्र कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

उड़ीसा में बाघ अभ्यारण्य की व्यवस्था

1685. श्री मिलिन्द देवरा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार में बाघों के संरक्षण और सुरक्षा के संबंध में स्थिति क्या है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने मयूरभंज जिले में सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य के कार्यकरण की समीक्षा करते वक्त उद्यान की चार दीवारी को चिन्हित नहीं किया है और प्रमुख क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले गांवों को खाली नहीं करवाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या बाघों के आंकड़ों में कोई विसंगति पाई गई है, जैसा कि बाघ अभ्यारण्य और वर्ष 2004 की नीवनतम गणना में उल्लेख किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इन आंकड़ों में ऐसी विसंगति के क्या कारण हैं और राज्य में बाघों की वास्तविक संख्या क्या है; और

(च) सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क को अधिसूचित करने का प्रस्ताव कब से लंबित है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) उड़ीसा के एकमात्र सिमलीपाल बाघ रिजर्व का स्वतंत्र विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा इंटरनेशनल यूनियन फार कन्जर्वेशन आफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस के वर्ल्ड कमीशन आन प्रोटेक्टड एरिया का फार्मेट प्रयोग करके 45 मानकों के आधार पर आकलन किया गया है जिसकी आई.यू.सी.एन. द्वारा समीक्षा की गई है। आकलन और समीक्षा दोनों संसद में प्रस्तुत की गई। उपर्युक्त के आधार पर सिमलीपाल बाघ रिजर्व को "बहुत अच्छा" श्रेणी में रखा गया है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने सिमलीपाल बाघ रिजर्व के कोर क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित करने के अपने आशय को अधिसूचित किया है परंतु इसकी अंतिम अधिसूचना ऐसे क्षेत्र में रहने वाले लोगों के अधिकारों पर समझौता होने तक लम्बित है।

(घ) और (ङ) अखिल भारतीय बाघ आकलन चार वर्ष में एक बार किया जाता है और सिमलीपाल बाघ रिजर्व के संबंध में वर्ष 2001-02 में किए गए पिछले ऐसे आकलन से संबंधित राज्य से प्राप्त आकलन आंकड़े 99 हैं। इस समय बाघों और अन्य वन्य जीवों का पर्यावास स्थिति सहित अखिल भारतीय आकलन बाघ टास्क फोर्स द्वारा संशोधित बढ़ाई गई पद्धति के अनुसार चल रहा है।

(च) राज्य सरकार ने सिमलीपाल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने

के अपने आशय को दो चरणों में दिनांक 6.8.1980 की अधिसूचना संख्या 18703/एफएफएएच और दिनांक 11.6.1986 की 19525/एफएफएएच के तहत अधिसूचित किया है। राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अंतिम अधिसूचना ऐसे क्षेत्र में रहने वाले लोगों के अधिकारों के समझौतों के कारण लम्बित है।

सामाजिक वानिकी

1686. श्रीमती प्रिया दत्त : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सामाजिक वानिकी योजना के अंतर्गत कुल कितनी भूमि पर वनरोपण किया गया है; और

(ख) गत तीन वर्षों में इस योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन ए पी) कार्यान्वित कर रहा है। यह स्कीम वन प्रभाग स्तर पर वन विकास अभिकरण (एफ डी ए) और ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जे एफ एम सी) के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। विगत तीन वर्षों (2003-04 से 2005-06) के दौरान सभी 28 राज्यों में 4.46 लाख हैक्टेयर क्षेत्र के संवर्धन के लिए 431 एफ डी ए परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। गत तीन वर्षों (2003-04 से 2005-06) के दौरान 689.59 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।

कच्छवनस्पति का पुन: पैदा किया जाना

1687. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तटीय विनियमन ज़ोन अधिसूचना लागू होने के पश्चात् अवैध रूप से नष्ट की गई कच्छवनस्पति को पुन: पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ अभी तक कितनी धनराशि आवंटित की गई है/उपयोग में लाई गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) और (ख) कच्छ वनस्पति का संरक्षण और प्रबंधन पर शत प्रतिशत वित्त पोषित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों और संघशासित प्रशासनों को सहायता प्रदान की जाती है। नए क्षेत्रों में वृक्षारोपण और प्रबंधन दोनों के लिए तथा जैविक और अजैविक दबावों द्वारा अवक्रमित क्षेत्रों के लिए सहायता प्रदान की जाती है। घटक जिनके लिए सहायता दी जाती है वे है प्रतिपूरक और वैकल्पिक जीवन-यापन सहायता, अवसंरचात्मक मजबूती, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा जागरूकता सृजन। देश व्यापी आधार पर 38 कच्छवनस्पति स्थल अभिनिर्धारित किए गए हैं।

[हिन्दी]

विनाशक बीज

1688. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "विनाशक बीज" प्रौद्योगिकी के उपयोग के कारण अनेक समस्याओं के उजागर होने की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ङ) भारत में आनुवांशिक उपयोग प्रतिबंध प्रौद्योगिकी और टर्मिनेटर प्रौद्योगिकी के उपयोग की अनुमति नहीं है। पौधा किस्म तथा कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी जेनेरा अथवा प्रजाति की कोई किस्म, जिसमें आनुवांशिक उपयोग प्रतिबंध प्रौद्योगिकी और टर्मिनेटर प्रौद्योगिकी शामिल है, पंजीकृत नहीं की जाएगी। पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत आनुवांशिक इंजीनियरी स्वीकृति समिति (जीईएसी) द्वारा किसी फिल्ड परीक्षण के लिए अनुमति दिए जाने से पहले वाणिज्यिक निर्मुक्ति के लिए विकसित किसी ट्रान्सजेनिक फसल का टर्मिनेटर जीन की अनुपस्थिति की पुष्टि हेतु परीक्षण और सत्यापन किया जाता है। "टर्मिनेटर बीज" प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में कोई रिपोर्ट जीईएसी को प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि देश में इस प्रौद्योगिकी के उपयोग की अनुमति नहीं दी गई है, अत: कोई अध्ययन आयोजित करने का प्रश्न ही नहीं होता।

[अनुवाद]

तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना

1689. श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दमन और दीव से तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना में बदलाव करने के संबंध में कोई मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, हां।

(ख) दमन और दीव प्रशासन से दमन गंगा नदी से धौला चार रास्ता अर्थात् दक्षिण नगरपालिका सीमा तक से मोती दमन के बीच पड़ने वाले तटीय विनियमन जोन क्षेत्र को 2005 में यथाअधिसूचित को तटीय जोन-III से तटीय विनिमयन जोन-II में पुन: वर्गीकृत करने की मांग का प्रस्ताव भेजा है।

(ग) उक्त प्रस्ताव को अगस्त, 2006 में राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया गया था। बाद में मंत्रालय को अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी, दमन और दीव से उक्त वर्गीकरण प्रस्ताव के बारे में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसे दमन दीव तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण को उनकी टिप्पणी के लिए भेजा गया है। उनसे अभी टिप्पणी प्राप्त की जानी है।

[हिन्दी]

पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि को प्रोत्साहन

1690. श्री के.सी. सिंह 'बाबा' : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के, विशेषकर उत्तरांचल के पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि को प्रोत्साहन देने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार दो प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं अर्थात् (i) कृषि का वृहत प्रबंधन और (ii) उत्तरांचल सहित देश के पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि के संवर्धन के लिए पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में बागवानी के समेकित विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन कार्यान्वित कर रही है। इन स्कीमों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(i) कृषि के वृहत प्रबंधन संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम इस उद्देश्य से तैयार की गई है कि केन्द्रीय सहायता को विभिन्न राज्यों के कृषि के विकास के लिए संकेन्द्रित और विशिष्ट कार्यक्रमों पर खर्च किया जा सके। इस स्कीम में इसमें समाहित 17 उप-स्कीमों के दायरे के भीतर राज्यों को उनकी क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यक्रमों का विकास करने और उन्हें कार्यान्वित करने में राज्यों को पर्याप्त लचीलापन प्रदान किया गया है। वृहत प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत समाहित 17 उप-स्कीमों के नाम और वर्ष 2006-07 के लिए निधियों के राज्यवार आबंटन और निर्मुक्ति का ब्यौरा क्रमश: विवरण I और II में दिया गया है।

(ii) पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में बागवानी के समेकित विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम इन सभी ग्यारह राज्यों में मुख्यत: एक मिशन मोड एप्रोच में बागवानी के समेकित विकास के उद्देश्य से तैयार की गई है। यह स्कीम अपने चार मिनी मिशनों के साथ एक मिशन मोड एप्रोच में कार्यान्वित की जा रही है। मिनि मिशन-I अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी विकास से संबंधित है और इसका समन्वयन और कार्यान्वयन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया जा रहा है। मिनी मिशन-2 उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने से संबंधित है और इसका समन्वयन कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा किया जाता है तथा कार्यान्वयन राज्यों के कृषि/बागवानी विभाग द्वारा किया जाता है। मिनि मिशन-3 फसलोपरान्त प्रबंधन, विपणन और निर्यात से संबंधित है और इसका समन्वयन कृषि एवं सहकारिता विभाग तथा कार्यान्वयन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, भारतीय राष्ट्रीय

कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। मिनि मिशन-4 प्रसंस्करण से संबंधित है और इसका समन्वयन तथा कार्यान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2006-07 के लिए निधियों का राज्यवार आबंटन और निर्मुक्ति का ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

देश के पहाड़ी क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही अन्य स्कीमें हैं-- (क) झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना (ख) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल तथा पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों को बीजों के संचलन पर परिवहन राजसहायता संबंधी स्कीम (ग) पूर्वोत्तर भारत में फसल उत्पाद बढ़ाने के लिए आन फार्म जल प्रबंधन संबंधी स्कीम तथा (घ) कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन पर स्कीम।

विवरण-I

कृषि के वृहत प्रबंधन संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत समाहित 17 उप-स्कीमों की सूची

1. कमजोर वर्ग सहकारी समितियों को सहायता
2. महिला सहकारी समितियों को सहायता
3. गैर-अतिदेय कवर स्कीम
4. कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि
5. अनु.जाति/अनु. जनजाति के लिए विशेष स्कीम
6. चावल आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम
7. गेहूं आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम
8. मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम
9. विशेष पटसन विकास कार्यक्रम
10. गन्ना आधारित फसल प्रणाली का सतत विकास
11. उर्वरक का संतुलित और समेकित उपयोग
12. छोटे किसानों में कृषि यंत्रीकरण का संवर्धन
13. वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना
14. सब्जी फसलों के आधारी और प्रमाणित बीज उत्पादन की स्कीम
15. नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रवण नदियों के ग्रसन क्षेत्रों में मृदा संरक्षण
16. क्षारीय मृदा का सुधार और विकास
17. राज्य भू उपयोग बोर्ड

विवरण-II

वर्ष 2006-07 के दौरान कृषि के वृहत प्रबंधन संबंधी सीएसएस के अंतर्गत निधियों का राज्यवार आबंटन और निर्मुक्ति

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आबंटन (लाख रुपए में)	निर्मुक्त राशि (लाख रुपए में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4210.00	1203.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	2200.00	1100.00
3.	असम	2000.00	1000.00
4.	बिहार	2170.00	1085.00
5.	छत्तीसगढ़	2300.00	692.00
6.	गोवा	260.00	237.50
7.	गुजरात	2810.00	454.00
8.	हरियाणा	2040.00	1350.00
9.	हिमाचल प्रदेश	2040.00	1350.00
10.	जम्मू और कश्मीर	4000.00	2551.50

1	2	3	4
11.	झारखण्ड	1660.00	830.00
12.	कर्नाटक	5990.00	2995.00
13.	केरल	3060.00	1000.00
14.	मध्य प्रदेश	4980.00	2490.00
15.	महाराष्ट्र	8730.00	4365.00
16.	मणिपुर	2200.00	1100.00
17.	मिजोरम	2500.00	1250.00
18.	मेघालय	1800.00	900.00
19.	नागालैण्ड	2500.00	1250.00
20.	उड़ीसा	2550.00	1275.00
21.	पंजाब		
22.	राजस्थान	7390.00	4368.00
23.	सिक्किम	1900.00	950.00
24.	तमिलनाडु	4590.00	3037.50
25.	त्रिपुरा	2000.00	1000.00
26.	उत्तर प्रदेश	7400.00	3700.00
27.	उत्तरांचल	2170.00	1436.00
28.	पश्चिम बंगाल	3190.00	1595.00
29.	दिल्ली		
30.	पांडिचेरी		
31.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	25.00	12.50
32.	चण्डीगढ़		
33.	दादरा और नगर हवेली	10.00	5.00
34.	दमन और दीव		
35.	लक्षद्वीप	25.00	12.50
	कुल	88700.00	44595.00

विवरण-III

वर्ष 2006-07 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में बागवानी के समेकित विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन संबंधी सीएसएस के अंतर्गत निधियों का राज्यवार आबंटन और निर्मुक्ति

राज्य	आबंटन (लाख रुपए में)	निर्मुक्त राशि (लाख रुपए में)
क. मिनी मिशन-II		
असम	1400.00	700.00
अरुणाचल प्रदेश	1400.00	700.00
मणिपुर	1700.00	850.00
मेघालय	2000.00	1000.00
मिजोरम	2000.00	1500.00
नागालैण्ड	2000.00	800.00
त्रिपुरा	1800.00	1500.00
सिक्किम	1400.00	700.00
जम्मू और कश्मीर	3500.00	883.00
हिमाचल प्रदेश	4000.00	3000.00
उत्तरांचल	4000.00	3000.00
ख. मिनी मिशन-1 व 3 और 4 के अंतर्गत परियोजना आधारित प्रस्ताव	2640.00	1117.00
कुल	27840.00	15750.00

[अनुवाद]

कृषि ऋण राहत आयोग

1691. **श्री पी. राजेन्द्रन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से कृषि ऋण राहत आयोग की स्थापना किए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

[हिन्दी]

औषधीय और सुगंधित पौधों के लिए कृषि निर्यात जोन (ए.ई.जेड.)

1692. **श्री अनंत गुढ़े** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषधीय और सुगंधित पौधों के लिए कृषि निर्यात जोन (ए.ई.जेड.) परियोजना को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजना कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात/विकास एजेंसी (ए पी ई डी ए) के पास अभी भी लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी हां, उत्तरांचल और केरल दोनों राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के आधार पर सरकार द्वारा औषधीय एवं सुगंधित पौधों के लिए दो कृषि निर्यात जोन अनुमोदित किए गए हैं। राज्यवार ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

उत्तरांचल : संचालन समिति द्वारा दिनांक 3.2.2003 को एक कृषि निर्यात जोन को मंजूरी दी गई थी। अपेडा और हर्बल अनुसंधान एवं विकास संस्थान (एच आर डी आई) के बीच हुए समझौता ज्ञापन पर दिनांक 26.3.2003 को हस्ताक्षर किए गए थे।

केरल : केरल राज्य में औषधीय एवं सुगंधित पौधों के लिए ए ई जेड की स्थापना के लिए प्रस्ताव पर विचार किया गया था और संचालन समिति का दिनांक 24.9.2004 को आयोजित बैठक में अनुमोदित कर दिया गया था। केरल की राज्य सरकार और अपेडा के बीच समझौता ज्ञापन पर दिनांक 1.1.2005 को हस्ताक्षर किए गए थे।

(ग) और (घ) उपरोक्त के अतिरिक्त अपेडा को उत्तरांचल और केरल राज्यों से कुछ और प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। प्रस्ताव वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को ए एस आई डी ई स्कीम के अंतर्गत अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए गए हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

उत्तरांचल (लाख रुपये में)

क्र. स.	परियोजना का नाम	क्रियाकलाप	कुल	वित्तपोषण समर्थन के लिए किया गया अनुरोध	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
1.	सुगंधित पौध केन्द्र, सिलाकयी, देहरादून में निर्यात संवर्धन के लिए सामान्य	सामान्य प्रसंस्करण सुविधा	305.11	240.11	

1	2	3	4	5	6
	प्रसंस्करण सुविधा के रूप में सुपर क्रिटिकल फ्ल्यूड एक्सट्रैक्शन यूनिट के लिए प्रस्ताव				
2.	गोपेश्वर (चमोली) में "हर्बल एनालिटिकल एंड टिश्यू कल्चर लैबोरेटरी" की स्थापना के लिए प्रस्ताव	टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना	438.31	100.00	
3.	परीक्षण के लिए गुणवत्ता प्रयोगशाला- इस सामान्य सुविधा का उत्पादकों/ औद्योगिकों/निर्यातकों द्वारा प्रयोग किया जाना है जिससे अंतर्राष्ट्रीय विनिर्दिशों के अनुसार हर्बल उत्पादों का मानकीकरण करने के लिए हर्बल और औषधीय पौधों का परीक्षण करने के लिए उनको सहायता मिलेगी	परीक्षण के लिए गुणवत्ता प्रयोगशाला की स्थापना	438.31	290.00	प्रस्ताव को अपेडा की प्राधिकार बैठक जो 17.11.2006 को होनी निश्चित है, में विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।
केरल					
1.	मैसर्स अगस्त्य बायोफार्म इण्डिया लिमिटेड का पालाक्काड केरल में औषधीय एवं सुगन्धित पौधों के लिए ए ई जैड के अंतर्गत औषधियों के विनिर्माण के लिए ए एस आई डी ई स्कीम के अंतर्गत परियोजना प्रस्ताव	भूमि विकास और भूमि और मशीनरी जिसमें आर एंड डी उपकरण शामिल हैं	20100.00	2725.00	

[अनुवाद]

भेषज कंपनियों को कर रियायत

1693. श्री राकेश सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में भेषज कंपनियों ने अपने अनुसंधान और विकास में निवेश हेतु भारत को महत्वपूर्ण देशों की सूची में शामिल किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन भेषज कंपनियों की मांग के अनुसार इन्हें कर ढांचे में रियायतें प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय इन्डिडक) : (क) भारत अंतर्राष्ट्रीय समांगीकृत मानकों जैसे अच्छी प्रयोगशाला परम्परा (जीएलपी), चालू अच्छी विनिर्माण परम्परा (जीएमपी), अच्छी नैदानिक परम्परा (जीसीपी) एवं पेटेंट कानूनों के बढ़ते अनुपालन के फलस्वरूप सहयोगात्मक आर एंड डी, बायोइन्फॉरमेटिक्स, संविदात्मक अनुसंधान एवं विनिर्माण तथा

नैदानिक अनुसंधान के क्षेत्र के लिए सबसे पसंदीदा स्थलों में से एक के रूप में उभर रहा है।

(ख) और (ग) आयकर अधिनियम की धारा 35 (एएबी)(1) के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार यदि बायोटेक्नोलॉजी, औषधों, भेषजों आदि के व्यापार में लगी कोई कंपनी संस्थागत आर एंड डी सुविधा पर वैज्ञानिक अनुसंधान (किसी भूमि या भवन की लागत को छोड़कर) पर कोई व्यय करती है, तो इस प्रकार किए गए व्यय के 150% के बराबर की राशि की कटौती की अनुमति है ताकि फार्मा क्षेत्र में आर एंड डी में निवेश को प्रोत्साहन मिले। इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम में धारा 80-I बी (8ए) का प्रावधान भी सन्निहित है जिसके अंतर्गत यदि कोई कंपनी वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास कार्य करती है, तो पहले कर निर्धारण वर्ष से लगातार 10 कर निर्धारण वर्षों तक ऐसे व्यापार से हुए लाभ या मुनाफे पर 100% कटौती की अनुमति है।

भोपाल गैस पीड़ितों के दावों का निपटान

1694. **श्री रायापति सांबासिवा राव** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल गैस आपदा पीड़ितों के दावों के निपटान की स्थिति क्या है;

(ख) इनके निपटान में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इनके समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) 31 अक्टूबर, 2006 की स्थिति के अनुसार भोपाल गैस रिसाव आपदा के 5,74,273 दावेदारों को 1546.62 करोड़ रुपए की राशि एवार्ड की गई है। इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय के 19 जुलाई, 2004 और 26 अक्टूबर, 2004 के आदेशों के अनुसरण में 31 अक्टूबर, 2006 तक 5,57,927 दावेदारों के बीच 1:1 के आनुपातिक आधार पर 1494.29 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई है। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर संवितरण प्रक्रिया जारी है।

(ख) और (ग) दावे के मामलों के निपटान में कोई विलंब नहीं है।

[हिन्दी]

श्रमिकों के बच्चों को तकनीकी शिक्षा

1695. **श्री हरिकेवल प्रसाद :**
श्री सुनिल कुमार महतो :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेष रूप से संगठित और असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के बच्चों के लिए ही तकनीकी शिक्षा प्रदान करने की कोई पहल की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) और (ख) श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत् रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय शिल्पकार प्रशिक्षण योजना का कार्यान्वयन कर रहा है जिसमें श्रमिकों के बच्चों सहित 14 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के बच्चे देश भर में फैले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों में चलाए जा रहे प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं। वर्तमान में 5114 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों में 107 व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

श्रीलंका से वनस्पति का आयात

1696. **श्री नवजोत सिंह सिद्धू** : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वनस्पति विनिर्माताओं से श्रीलंका से वनस्पति के आयात पर अंकुश लगाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिससे कि घरेलू उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य प्राप्त हो सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। इस संबंध में वनस्पति सलाहकार समिति और वनस्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से प्राप्त अभ्यावेदनों पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा विचार किया गया है। भारत

श्रीलंका मुक्त व्यापार करार के अधीन बेकरी सार्टनिंग और मारगेरिन सहित वनस्पति के आयात की कुल मात्रा को विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी 21.11.2006 के सार्वजनिक नोटिस संख्या 69 में उल्लेख की गई व्यवस्थाओं के अनुसार 2.5 लाख टन प्रति वर्ष के लिए सीमित कर दिया गया है।

खुदरा व्यापार में कार्पोरेट घराने

1697. **श्री रामकृपाल यादव** : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के खुदरा विक्रय केन्द्र व्यापार में बड़े कार्पोरेट घरानों को प्रवेश की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका असंगठित क्षेत्र के खुदरा विक्रय केन्द्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो असंगठित क्षेत्र के खुदरा व्यापार में कार्यरत व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) खुदरा सैक्टर में बड़े कार्पोरेट घरानों तथा अन्य घरेलू निवेशकों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है। संगठित खुदरा क्षेत्र से किफायतों के चलते मध्यस्थता लागत में कमी होगी जिससे उपभोक्ताओं और उत्पादकों/किसानों को लाभ होगा। इससे लागत प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने में भी सहायता मिलती है। इसके अलावा, संगठित खुदरा क्षेत्र से आगे चलकर रोजगार के और अवसर पैदा होंगे और रोजगार की गुणवत्ता में सुधार होगा। कुल खुदरा व्यापार में संगठित खुदरा व्यापार का हिस्सा बहुत कम है और इससे असंगठित क्षेत्र के खुदरा बिक्री केन्द्रों पर कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ग) ऊपर भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए फिलहाल कोई कार्रवाई आवश्यक प्रतीत नहीं होती।

जम्मू और कश्मीर में टिड्डी दल का धावा

1698. **श्री छेवांग थुपस्तन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर के सभी तीन क्षेत्रों को टिड्डी दल ने तबाह कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य के लिए कितनी सहायता मांगी गई है और कितनी धनराशि जारी की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया) : (क) से (ग) प्रवासी टिड्डी की आक्रमण कारगिल के झनसकर क्षेत्र में लगभग 3000 हैक्टेयर क्षेत्र तक और लेह जिले के चंगतंग घाटी में लगभग 5000 हैक्टेयर क्षेत्र तक फैला था। जैसे ही राज्य से टिड्डी आक्रमण के बारे में सूचना प्राप्त हुई, भारत सरकार ने कारगिल और लेह जिले में प्रभावित क्षेत्रों में इसके टिड्डी चेतावनी संगठन से विशेष दलों को भेजा। इन दलों ने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर प्रभावित क्षेत्रों में सर्वेक्षण, युक्तिसंगत नियंत्रण कार्यनीति और पर्यवेक्षित नियंत्रण संबंधी प्रचालन का आयोजन किया जिससे टिड्डी आक्रमण को नियंत्रित किया जा सका।

सुजलाम-सुफलाम परियोजना

1699. **श्री मधुसूदन मिस्त्री** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में अब तक सुजलाम-सुफलाम परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) इस परियोजना के लिए केन्द्र सरकार ने कितनी धनराशि प्रदान की है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इन परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नियत धनराशि का उपयोग अन्यत्र प्रयोजनार्थ किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सुजलाम-सुफलाम परियोजना को आरंभ करने से पहले राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा कोई तकनीकी अध्ययन किया गया था;

(च) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) वर्तमान में सुजलाम-सुफलाम परियोजना की स्थिति क्या है और इसे कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयप्रकाश नारायण यादव) : (क) गुजरात सरकार द्वारा वर्ष 2003-04 में शुरू की गई सुजलाम-सुफलाम परियोजना में सिंचाई वाटरशेड प्रबंधन एवं पेय जल आपूर्ति स्कीमों पर बल दिया गया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 4,291.00 करोड़ रुपए है जिसमें से 1946.33 करोड़ रुपये पेय जल आपूर्ति स्कीमों के लिए आबंटित किए गए हैं। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार इस परियोजना पर राज्य जल संसाधन विभाग एवं राज्य जल आपूर्ति विभाग द्वारा क्रमश: 2067.14 करोड़ रुपए और 984.83 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

(ख) और (ग) इस परियोजना के लिए धनराशि गुजरात सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) राज्य सरकार की सूचना के अनुसार इस परियोजना को प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने से पहले राज्य सरकार द्वारा इसके प्रत्येक घटक के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई थी।

(छ) गुजरात सरकार की सूचना के अनुसार सुजलाम-सुफलाम परियोजना के प्रमुख घटक की स्थिति निम्नलिखित है:-

(क) जल संसाधन विभाग

(i) सुजलाम-सुफलाम स्प्रेडिंग कैनाल (337 किमी. लंबी) का कार्य प्रगति पर है और इसे जून, 2007 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

(ii) दो लिफ्ट सिंचाई स्कीमों (निर्माणाधीन), (नामत: पियाज-धारोइ एवं खोरासम-सरस्वती) को पूरा कर लिया गया है। छ: निर्माणाधीन कार्य प्रगति पर हैं, जिन्हें जून, 2007 तक पूरा कर लिया जाएगा।

(iii) सुरेन्द्रनगर जिले में 71 चेक बांधों को पूरा कर लिया गया है और शेष कार्यों को अक्तूबर, 2007 में पूरा कर लिया जाएगा।

(iv) पानम उच्च स्तरीय नहर एवं कादाना उच्च स्तरीय नहर का कार्य प्रगति पर है और इन्हें दिसंबर, 2007 तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है।

(v) सरदार पटेल सहभागिता जल आपूर्ति स्कीम के अंतर्गत चेक बांधों एवं अन्य वृहद चेक बांधों का कार्य प्रगति पर है।

(vi) कच्छ जिले में, 10 बंधारों का कार्य जारी है। 30 बंधारों के लिए निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है। इस कार्य को जून, 2008 तक पूरा कर लिया जाएगा।

(vii) शेष कार्यों को निधि की उपलब्धता के अनुसार आरंभ किया जाएगा और यथाशीघ्र कार्यों को पूरा किया जाएगा।

(ख) जल आपूर्ति विभाग

4904 गांवों और 34 कस्बों को पेय जल की आपूर्ति के लिए 1946.33 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सुजलाम-सुफलाम योजना-पेय जल आपूर्ति परियोजनाओं में कुल 32 जल आपूर्ति परियोजनाओं को शामिल किया गया है, इनमें से

(i) 2 परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है तथा 3137 गांवों और 27 शहरों को शामिल करते हुए 20 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। 636 गांवों को जल की आपूर्ति आरंभ कर दी गई है।

(ii) 176 गांवों और 7 कस्बों को शामिल करते हुए 10 परियोजनाओं को अभी आरंभ किया जाना है।

(iii) इन परियोजनाओं को निधि की उपलब्धता के अनुसार मार्च, 2008 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

कोडीबेंगरे पर फिश लैंडिंग सेंटर का निर्माण

1700. श्री डी.वी. सदानन्द गौडा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार के पास कर्नाटक के कोडीबेंगरे नामक स्थान पर 179.00 लाख रुपये के एक फिश लैंडिंग सेंटर के निर्माण का संशोधित प्रस्ताव लम्बित पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना

1701. **श्री जुएल ओराम :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना का कार्य केन्द्र सरकार से सम्यक अनुमति लिए बिना और प्रभावित राज्यों की जानकारी के बिना पहले ही आरंभ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर प्रभावित राज्यों और केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उक्त परियोजना से भद्राचलम स्थित विश्व प्रसिद्ध राम मन्दिर सहित सम्पूर्ण कस्बे के जल प्लावित हो जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मन्दिर और कस्बे को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने दाएं किनारे पर स्थित नहर और स्पिलवे से संबंधित कार्यों को शुरू किया है और नदी भाग में कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है। बाद में, 8 मई, 2006 से सभी कार्य रोक दिए गए। राज्य सरकार द्वारा योजना आयोग से निवेश स्वीकृति प्राप्त करना अभी शेष है।

(ख) जल संसाधन मंत्रालय ने पोलावरम परियोजना से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और सौहार्दपूर्वक उनका समाधान करने के लिए 4 अक्तूबर, 2006 को पक्षकार राज्यों की एक अंतर्राज्यीय बैठक बुलाई। पक्षकार राज्य पोलावरम परियोजना से होने वाली जलमग्नता की मात्रा के आकलन के लिए संयुक्त सर्वेक्षण करने पर सहमत हो गए हैं।

(ग) जी, नहीं। आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि सम्पूर्ण कस्बे सहित भद्राचलम स्थित राम मंदिर इस परियोजना के कारण जलमग्न नहीं होगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एथनोल का उत्पादन

1702. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :**
श्री चिडिगा रामकृष्ण :
श्री चीवाभाई ए. पटेल :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में देश में एथनोल के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एथनोल के उत्पादन में और अधिक वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने चीनी फैक्ट्रियों को शीरा/एल्कोहल से एथनोल के उत्पादन हेतु संयंत्रों की स्थापना के लिए निम्न ब्याज दरों पर विशेष सुविधाएं/ऋण प्रदान किया है/किया जाना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन मिलों में उत्पादित एथनोल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) वर्तमान वर्ष के दौरान इथानाल का उत्पादन लगभग 550 मिलियन लीटर तक होने की आशा है। पेट्रोल के साथ इथानाल का मिश्रण करने से संबंधित स्पष्ट नीति न होने के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान इथानाल का कोई उल्लेखनीय उत्पादन नहीं हुआ है।

सरकार ने नवम्बर, 2006 से पेट्रोल के साथ 5% इथानाल मिलाने का निर्णय लिया है जो वर्तमान वर्ष के दौरान लगभग 550 मिलियन लीटर की मांग पैदा करेगा जिससे इथानाल का उत्पादन बढ़ेगा। इसके अलावा इथानाल का उत्पादन करने के लिए सुविधाएं स्थापित करने हेतु चीनी फैक्ट्रियों को चीनी विकास निधि से रियायती ऋण प्रदान किए जाते हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। चीनी विकास निधि नियमावली, 1983 मैं शीरे/एल्कोहल से इथानाल का उत्पादन करने के लिए प्लांट लगाने हेतु चीनी मिलों को वित्तीय सहायता मंजूर करने का प्रावधान है जिसमें ब्याज रियायती दर अर्थात् बैंक दर से 2% कम ब्याज लिया जाता है जो फिलहाल 4% प्रति वर्ष बैठता है। चीनी मिलें पात्र परियोजना लागत के 40% तक के लिए चीनी विकास निधि के ऋण की पात्र होती हैं जिसकी अदायगी संवितरण से एक वर्ष बाद आठ अर्धवार्षिक समान किस्तों में की जानी होती है।

(ङ) सरकार ने नवम्बर, 2006 से पेट्रोल के साथ 5% इथानाल का मिश्रण करने का निर्णय लिया है। इस मिश्रण की प्रतिशतता को दूसरे चरण में बढ़ाकर 10% करने की योजना है जिससे लगभग एक वर्ष के बाद लगभग 1200 मिलियन लीटर की मांग पैदा होने की आशा है।

[अनुवाद]

एनपीसीबीबी के चरण-II को अन्तिम रूप देना

1703. **श्री हरिभाऊ राठौड़** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना (एनपीसीबीबी) के चरण-II को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस परियोजना को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) विभाग ने राष्ट्रीय गोपशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना (एनपीसीबीबी) के चरण-II के लिए प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है। व्यय वित्त समिति की 19.5.2006 को हुई बैठक में चालू वित्तीय वर्ष से एनपीसीबीबी के चरण-II को जारी रखने की सिफारिश की गई है। परियोजना के अनुमोदन के लिए आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति के लिए नोट प्रस्तुत कर दिया गया है।

[हिन्दी]

दिल्ली दुग्ध योजना में दूध और दुग्ध उत्पादों की अनुपलब्धता

1704. **श्री आलोक कुमार मेहता** :
श्री हेमलाल मुर्मू :
डा. के. धनराजू :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ महीनों से दिल्ली दुग्ध योजना (डीएमएस) की दुकानों पर दूध और दुग्ध उत्पादों विशेषकर घी की कम आपूर्ति और अनुपलब्धता की वजह से उपभोक्ताओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना की दुकानों पर दूध और दुग्ध उत्पादों की पर्याप्त आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) तथा (ख) जी, हां। राजस्थान तथा गुजरात में बाढ़ के कारण, दिल्ली दुग्ध योजना अपने बिक्री केंद्रों में आपूर्ति के लिए दूध की पर्याप्त मात्रा नहीं खरीद सकी है।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना ने दिल्ली दुग्ध योजना के बिक्री केंद्रों में अब दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों की पर्याप्त आपूर्ति शुरू कर दी है।

फलों और सब्जियों में कीटनाशकों एवं धातुओं का पाया जाना

1705. **श्री अवतार सिंह भड़ाना** :
श्री के.एम. अरुन रशीद :
डा. राजेश मिश्रा :
श्री सज्जन कुमार :
श्री नवीन जिन्दल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके फलों और सब्जियों में कीटनाशकों, अन्य हानिकारक तत्वों और निकले एवं कैडमियम जैसी धातुओं के पाये जाने की जांच और अध्ययन करने की कोई व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई/की जाने वाली कार्यवाही क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 5 के अंतर्गत

गठित पंजीकरण समिति कीटनाशियों की प्रभावोत्पादकता और सुरक्षा के संबंध में स्वयं संतुष्ट होने के पश्चात् ही उनका पंजीकरण करती है। परीक्षित प्रयोगों के तहत सृजित विषाक्तता और अपशिष्ट के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है और खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम, 1954 और उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अधिकतम अपशिष्ट सीमाएं (एमआरएल) निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फलों और सब्जियों में कीटनाशी अपशिष्टों और अन्य हानिकारक तत्वों का निरीक्षण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के क्षेत्र में आता है। तथापि खतरनाक रसायनों और कीटनाशियों के प्रयोग की समीक्षा करने के लिए गठित अंतर मंत्रालयी समिति के निर्देशों के अनुसार जून, 2006 से कृषि उत्पाद विपणन समिति, आजादपुर, दिल्ली से सब्जियों के 33 नमूने उठाए गए और ओरगेनो-क्लोराइन, ओरगेनो-फास्फोरस और सिन्थेटिक पाइरैथरायडस कीटनाशियों के अपशिष्टों के लिए परीक्षण किया गया। इन नमूनों में से दो में 0.18 पीपीएम के स्तर के क्लोरपिरकोस के अपशिष्टों का पता लगा। इन नमूनों में से 24 नमूनों का सीसा, अरगजी और संखिया जैसी भारी धातुओं की विद्यमानता के लिए भी विश्लेषण किया गया। सब्जियों के नमूनों में पाई गई भारी धातुएं खाद्य अपमिश्रण नियमावली, 1955 के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम सीमा से कम थी।

कृषि मंत्रालय ने कीटनाशी अपशिष्टों के प्रबोधन के लिए भी स्कीम शुरू की है जिसके अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत 21 प्रयोगशालाओं को सब्जियों, जल, मीट और मीट उत्पादों तथा समुद्री उत्पादों में कीटनाशी अपशिष्टों का विश्लेषण शुरू करने के लिए उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।

[अनुवाद]

नदियों की सफाई

1706. **श्री पन्निवन रवीन्द्रन :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने करमनायर, किलीयार और पार्वती पुथानर नदियों की सफाई के लिए कार्य योजना हेतु केन्द्रीय सहायता के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) केरल सरकार से करमनायर, किलीयार और पार्वती पुथानर नदी की सफाई के लिए किसी कार्य योजना को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन/मानदण्डों की अधिसूचना

1707. **श्री स्वदेश चक्रवर्ती :**
श्री ए.के. मूर्ति :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यावरण प्रभाव आकलन (ई आई ए) मानदण्डों संबंधी नई अधिसूचना जारी कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, हां। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना राजपत्र सं. एस.ओ. 1533 (ई) के तहत 14 सितम्बर, 2006 को जारी की गई थी।

(ख) अधिसूचना की मुख्य बातें नीचे दिए अनुसार हैं:–

(i) पर्यावरणीय मंजूरी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र अपेक्षित नहीं है।

(ii) विकासात्मक परियोजनाओं का वर्गीकरण पूर्व के निवेश मानदण्डों के स्थान पर उनकी पर्यावरण प्रभाव संभाव्यता के अनुसार किया गया है।

(iii) पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया को विकेन्द्रीकृत किया गया है।

(iv) विकासात्मक परियोजनाओं को दो श्रेणियों अर्थात् श्रेणी "क" और श्रेणी "ख" में वर्गीकृत किया गया है। श्रेणी "ए" की सभी परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार स्तर पर पर्यावरणीय मंजूरी लेना अपेक्षित है जबकि श्रेणी "ख" की सभी परियोजनाओं के लिए राज्य/संघ शासित स्तर पर पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण से मंजूरी लेना अपेक्षित है।

(v) विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति और राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण के विशेषज्ञों और सदस्यों के लिए शैक्षिक अर्हता और अनुभव स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है।

(vi) पर्यावरणीय प्रक्रिया में चार स्तर शामिल होंगे नामत: परियोजना प्रस्तावों की जांच, स्कोपिंग, जन परामर्श और पर्यावरण मूल्यांकन।

(vii) जन परामर्श को स्वरूप प्रदान किया गया है और इसे और अधिक पारदर्शी बनाया गया है।

(viii) पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है।

(ix) पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया को समग्र रूप से पारदर्शी बनाया गया है क्योंकि अधिकतर दस्तावेजों को संबंधित प्राधिकरण की वेब साइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

ऊपरि यमुना पर बांध

1708. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से राजधानी में पानी और बिजली की सतत् समस्या पर गंभीरता से गौर किया और यमुना नदी के ऊपरि क्षेत्र में तीन बांधों के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के साथ उच्चस्तरीय बैठक में इस पर विचार किया है;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ विद्युत, जल संसाधन और पर्यावरण एवं वन मंत्रालयों के सचिवों वाली एक संचालन समिति का गठन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन बांधों के निर्माण की रूपरेखा तैयार कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना के कार्य के कब तक आरंभ होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) राजधानी में जल और विद्युत की समस्याओं से सरकार अवगत है। तीन भंडारण परियोजनाओं अर्थात् यमुना नदी की ऊपरी पहुंचों में रेणुका, किशाऊ और लखवर व्यासी के बारे में दिनांक 12.4.06 को माननीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में ऊपरी यमुना समीक्षा समिति की तीसरी बैठक में एक कार्यसूची मद के रूप में चर्चा की गई और इन तीनों भंडारण परियोजनाओं पर कार्य शीघ्रता से करने के लिए कार्यनीति तैयार करने के वास्ते एक संचालन समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया।

(ख) जी, हां। उपरि यमुना समीक्षा समिति की तीसरी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप केन्द्र सरकार की ओर से सचिव (जल संसाधन), सचिव (विद्युत), सचिव (पर्यावरण एवं वन) तथा उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के सिंचाई/जल संसाधन सचिवों को शामिल करते हुए एक संचालन समिति का गठन किया गया था।

(ग) और (घ) संचालन समिति ने यह इच्छा व्यक्त की है कि हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा रेणुका बांध परियोजना को शीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिए। उत्तरांचल सरकार ने किशाऊ बांध परियोजना टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कार्पोरेशन (टीएचडीसी) को सौंपने के लिए अपने निर्णय के बारे में समिति को सैद्धान्तत: सूचित किया जो कि आगे की कार्रवाई के लिए परियोजना के विभिन्न तकनीकी और लागत पहलुओं का अध्ययन कर रहा है। राष्ट्रीय जलविद्युत कार्पोरेशन (एनएचपीसी) द्वारा प्रस्तुत लखवर व्यासी परियोजना की संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के आधार पर केन्द्रीय जल आयोग के कुछ विशेष निदेशालयों की टिप्पणियां अनुपालनार्थ एनएचपीसी को भेजी गई हैं। उपरोक्त परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सकता है जो विभिन्न लागू होने वाले कारकों यथा केन्द्रीय मूल्यांकन अधिकरणों की टिप्पणियों, तकनीकी स्वीकृति तथा योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति के अनुपालन पर निर्भर करता है।

रोजगार के अवसर

1709. श्रीमती निवेदिता माने :
श्री एकनाथ गायकवाड़ :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 5 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद भी रोजगार के अवसरों में कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा होने के क्या कारण हैं और गत पांच वर्षों में जी डी पी और रोजगार अवसरों का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) और (ख) जी, नहीं। रोजगार एवं बेरोजगारी के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए जाने वाले पंचवर्षीय राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा पिछले सर्वेक्षण, जिसके परिणाम प्रकाशित किए गए हैं, वर्ष 2004-05 से संबंधित है। इन सर्वेक्षणों के अनुसार, सामान्य स्थिति दृष्टिकोण के अनुसार रोजगार, जो कि वर्ष 1999-2000 में 397 मिलियन के लगभग था वह वर्ष 2004-05 में बढ़कर 459 मिलियन हो गया है। इसलिए औसतन 10 मिलियन व्यक्ति प्रति वर्ष के लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2000-05 की अवधि के दौरान लगभग 12.4 मिलियन व्यक्ति प्रति वर्ष रोजगार उपलब्ध करवाया गया।

दूध की कमी

1710. श्री एन.एस.वी. चित्तन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेन्नई तथा कतिपय अन्य शहरों में हाल ही में दूध की कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं। चेन्नई और कुछ अन्य शहरों को हाल ही में दूध की कमी का सामना नहीं करना पड़ा था।

(ख) और (ग) उक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

निजी ब्रॉडकास्टरों पर प्रशुल्क लगाना

1711. श्री सुनिल कुमार मंडल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन निजी ब्रॉडकास्टरों पर कोई प्रशुल्क लगाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान उक्त प्रशुल्क से कितना राजस्व अर्जित किया गया; और

(घ) सरकार द्वारा इस शीर्ष के अंतर्गत राजस्व बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) डी टी एच प्लेटफॉर्म पर बने रहने के लिए प्रत्येक निजी चैनल इस समय 1 करोड़ रुपये के वार्षिक प्रसारण शुल्क का भुगतान कर रहा है।

(ग) आज की तारीख तक 1.45 करोड़ रुपये।

(घ) प्रसार भारती ने विश्व के अन्य लोक सेवा प्रसारकों के साथ इस दिशा में एक पहल की है। इसके अतिरिक्त, अन्य निजी चैनलों के कुछ अनुरोध प्रक्रियाधीन है।

फिल्म प्रमाणन हेतु दिशानिर्देश

1712. श्री हरिसिंह चावड़ा :
श्री एम. अंजनकुमार यादव :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्मों में अश्लील तथा आपत्तिजनक दृश्यों को रोकने के लिए केन्द्रीय बोर्ड द्वारा हाल ही में बोर्ड के सदस्यों की टिप्पणी जानने हेतु उन्हें नए दिशानिर्देश भेजे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन दिशानिर्देशों को कब तक अंतिम स्वीकृति प्रदान करने तथा इन्हें क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) फिल्मों में बढ़ती अश्लीलता पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5 ख (1) के प्रावधानों और इसके अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अधीन सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु फिल्मों का प्रमाणन करता है। इन दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान हैं:-

- अभद्रता, अश्लीलता अथवा भ्रष्टता द्वारा मानवीय संवेदनाओं को ठेस न पहुंचे;
- ऐसे द्विअर्थी शब्दों के प्रयोग की अनुमति नहीं है जो कि मूल अंत:वृत्ति संबंधी जरूरतों को स्पष्टत: पूरा करते हैं;
- ऐसे दृश्यों की अनुमति नहीं है जो किसी भी तरीके से महिलाओं का अपमान या अवमानना करते हों; और
- यौन विकृति दिखाने वाले दृश्यों से बचा जाना चाहिए और यदि ऐसे मामले विषय-वस्तु से निकट रूप से संबद्ध हैं, तो इन्हें न्यूनतम रखा जाना चाहिए और विस्तारपूर्वक नहीं दिखाया जाना चाहिए।

जैव उर्वरकों हेतु मानकों का निर्धारण

1713. **श्रीमती गीता पटैरिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मार्च, 2006 में जैव-उर्वरकों हेतु मानक निर्धारित किए हैं तथा राज्य सरकारों को इसकी जानकारी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन राज्यों ने इन्हें क्रियान्वित किया है तथा किन-किन राज्यों ने इन्हें अब तक क्रियान्वित नहीं किया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने दिनांक 24.3.2006 की अधिसूचना एस.ओ. 391(ई) के द्वारा जैव उर्वरकों तथा अजोटोबैक्टर, रिजोबियम, अजोसपिरिलम और फासफेट घुलनशील बैक्टीरिया में उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 में शामिल किया गया है जिससे किसानों के लिए गुणवत्ता जैव-उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विनियामक तन्त्र प्रदान हो सके और मानकों का विनियमन हो सके।

(ग) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के अनुसार राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन जैव उर्वरकों के उत्पादन और विक्रय को विनियमित करें। जैव उर्वरकों की अल्प सेल्फ लाईफ और आवश्यक सरकारी अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय सीमा पर विचार करते हुए विनिर्माताओं और विक्रेताओं को समर्थ बनाने के लिए जैव उर्वरकों से संबंधित उर्वरक (नियंत्रण) आदेश के प्रवर्तन के लिए 31.12.2006 तक समय दिया गया है।

प्रायोगिक परियोजना

1714. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल** :
श्री कृष्ण मुरारी मोघे :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का चंबल के बीहड़ों के संरक्षण का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए कोई योजना बनाई जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) से (ग) इस समय, चम्बल के बीहड़ों के संरक्षण के लिए केन्द्र सरकार के पास कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि, भारत सरकार वनों के संरक्षण, सुरक्षा और विकास के लिए चम्बल के बीहड़ क्षेत्रों सहित सभी राज्यों में राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन ए पी) और राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास नामक स्कीमें क्रियान्वित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने बीहड़ क्षेत्रों के पुनरुद्धार के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की टास्क फोर्स का गठन किया है।

पशु रोग

1715. **श्री रघुराज सिंह शाक्य** :
डा. धीरेन्द्र अग्रवाल :
श्री सुनिल कुमार महतो :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पशुओं को होने वाली विभिन्न बीमारियों से निपटने के लिए विश्व बैंक से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों विशेषकर मध्य प्रदेश तथा झारखण्ड से पशु रोगों पर नियंत्रण करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) मध्य प्रदेश और झारखंड सरकार से गोपशु रोगों के नियंत्रण के लिए वित्तीय सहायता हेतु कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, दसवीं परियोजना में चल रही केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं अर्थात् (i) पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता, और (ii) राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन योजना के तहत पशु रोग नियंत्रण के लिए धनराशि जारी करने के वास्ते इन राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त दो योजनाओं के तहत चालू वित्तीय वर्ष (2006-07) के दौरान मध्य प्रदेश और झारखंड सरकार को जारी/पुनर्वैधित राशि नीचे दी गई है:-

(लाख रुपए में)

योजना का नाम	मध्य प्रदेश		झारखंड	
	पुनर्वैधित राशि	जारी की गई राशि	पुनर्वैधित राशि	जारी की की गई राशि
एएससीएडी	138.59	50.00	160.519	0.00
एनपीआरई	0.00	25.00	30.18	0.00

[अनुवाद]

कपास की गांठों का निर्यात

1716. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि के क्षेत्र में चीन के साथ सहयोग करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चीन सरकार ने भारत से कपास की गांठें खरीदने से इंकार कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इसके परिणामस्वरूप कपास के मूल्यों में गिरावट आने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

जल स्रोत

1717. **डा. धीरेंद्र अग्रवाल :**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नए जल स्रोतों के अन्वेषण हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त संसाधनों के उचित उपयोग हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) से (ग) देश की औसत वार्षिक जल संसाधन उपलब्धता 1969 बिलियन घन मीटर के रूप में आकलित की गई है। यह अनुमान लगाया गया है कि स्थलाकृतिक, जल वैज्ञानिक और अन्य बाधाओं के कारण उपयोज्य जल 1123 बिलियन घन मीटर है जिसमें से 690 बिलियन घन मीटर सतही जल है ओर 433 बिलियन घन मीटर पुनर्भरणीय भूजल है। ऐसा माना जाता है कि औसत वार्षिक जल उपलब्धता अपरिवर्तित रहती है। विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल

संसाधनों के स्थाई विकास के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

जल, राज्य का विषय होने के कारण जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनेक उपाय किए जाते हैं जिनमें भंडारों का सृजन, जलनिकायों का पुनरुद्धार, वर्षा जल संचयन, भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण और बेहतर प्रबंधन प्रक्रियाएं अपनाना आदि शामिल हैं। अब तक 213 बिलियन घनमीटर की भंडारण क्षमता का सृजन किया गया है। मौजूदा आकलन के अनुसार, निर्माणाधीन विभिन्न परियोजनाओं की कुल अनुमानित भंडारण क्षमता लगभग 76 बिलियन घनमीटर है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों ने अन्वेषण और आयोजना के लिए विभिन्न अन्य स्कीमों को अभिज्ञात किया है तथा ऐसी स्कीमों का अनुमानित भंडारण लगभग 108 बिलियन घन मीटर है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) विभिन्न भूवैज्ञानिक संरचनाओं की क्षमताओं का आकलन करने के लिए अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग भी करता है। सीजीडब्ल्यूबी द्वारा खोदे गए अन्वेषणात्मक बोर होल्स की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

सीजीडब्ल्यूबी द्वारा खोदे गए अन्वेषणात्मक बोर होल्स की राज्यवार स्थिति (30.9.2006 की स्थिति के अनुसार)

क्रमांक	राज्य	कुल
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2258
2.	अरुणाचल प्रदेश	36
3.	असम	513
4.	बिहार	936
5.	छत्तीसगढ़	671
6.	गोवा	121
7.	गुजरात	1918
8.	हरियाणा	966
9.	हिमाचल प्रदेश	160
10.	जम्मू व कश्मीर	481
11.	झारखण्ड	486
12.	कर्नाटक	1948
13.	केरल	663
14.	मध्य प्रदेश	1482
15.	महाराष्ट्र	1613
16.	मणिपुर	38
17.	मेघालय	106
18.	मिजोरम	6
19.	नागालैंड	17
20.	उड़ीसा	1602
21.	पंजाब	438
22.	राजस्थान	2431
23.	सिक्किम	40
24.	तमिलनाडु	1364
25.	त्रिपुरा	108
26.	उत्तरांचल	185
27.	उत्तर प्रदेश	1881
28.	पश्चिम बंगाल	776
	कुल	23244
संघ राज्य		
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	60
2.	चंडीगढ़	55

1	2	3
3.	दादरा एवं नगर हवेली	13
4.	दिल्ली	693
5.	दमन एवं दीव	3
6.	पांडिचेरी	77
	कुल	901
	कुल जोड़	24145

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कृषक आयोग

1718. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय कृषक आयोग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं प्रभुता बोर्ड के गठन का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बोर्ड के सदस्य कौन-कौन होंगे तथा इसके क्रियाकलाप क्या होंगे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय कृषक आयोग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और प्रभुता बोर्ड की स्थापना की सिफारिश की है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे और कृषि, वित्त, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, पंचायती राज, वाणिज्य तथा पर्यावरण मंत्रालयों के केन्द्रीय मंत्री, सभी राजनीतिक पार्टियों के नेतागण, कुछ राज्यों के मुख्य मंत्री सदस्य होंगे और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यवसायी सदस्य सचिव होगा।

इसके प्रमुख कार्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का प्रचालन और खाद्य सुरक्षा आरक्षित भण्डार का रख-रखाव, कृषि तथा बागवानी में वृद्धि दर की समीक्षा तथा उत्तम फार्मभूमि का गैर-फार्म प्रयोजनों के लिए उपयोग जैसे मुद्दों पर ध्यान देना शामिल होगी।

[हिन्दी]

डिब्बाबंद दूध का उत्पादन

1719. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डिब्बाबंद दूध का उत्पादन करने वाली कंपनियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) से प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिन्होंने उक्त प्रमाणन प्राप्त किया है;

(ग) क्या देश में डिब्बाबंद दूध का उत्पादन करने वाली अनेक कंपनियों द्वारा उक्त प्रमाणन प्राप्त नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी चीजों का उत्पादन करने वाली कंपनियों द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करवाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के नियम 49 के उप नियम 16 के अनुसार मधुरित संघनित दुग्ध, मधुरित संघनित मखनिया दुग्ध, दुग्ध चूर्ण, मखनिया दुग्ध चूर्ण, भागत: मखनिया दुग्ध चूर्ण और भागत: मधुरित मखनिया दुग्ध को भारतीय मानक ब्यूरो के मानक चिह्न के बिना नहीं बेचा जाएगा।

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो ने दुग्ध चूर्ण (आई.एस. 1165:2002), संघटित दुग्ध (आई.एस.1166:1986), मखनिया दुग्ध चूर्ण मानक ग्रेड (आई.एस.13334 (भाग-I):1998 और मखनिया दुग्ध चूर्ण - एक्सट्रा ग्रेड (आई एस : 13334 (भाग-2):1992) की पैकिंग के लिए विभिन्न विनिर्माताओं को 203 लाइसेंस मंजूर किए हैं।

(ग) और (घ) उपभोक्ता मामले विभाग/भारतीय मानक ब्यूरो के पास देश में भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाण-पत्र के बिना डिब्बा बंद दुग्ध के उत्पादन में लगी कंपनियों के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ङ) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी प्रकार के उल्लंघन करने पर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

कृषि निर्यात में वृद्धि

1720. श्री के.सी. वेणुगोपाल राममी :
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में देश में कृषि-निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है उक्त अवधि के दौरान किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया गया है; और

(ग) क्या सरकार ने चालू दशक के दौरान कृषि निर्यात के लिए कोई संदर्शी योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में कृषि उत्पाद विशेषकर फलों और सब्जियों के उत्पादन और निर्यात को और अधिक बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, हां। कृषि निर्यात में वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान क्रमशः 7.5%, 11.6% तथा 19.7% की वृद्धि दर्ज की गयी। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) भारत सरकार कृषि-निर्यात को सीधे और जिंस बोर्डों, निर्यात संवर्धन परिषदों तथा जिंस संघों के माध्यम से बढ़ावा देती है। कृषि-उत्पादों के निर्यात में गति लाने के लिए सरकार निर्यातकों को प्रचार अभियान मण्डी सर्वेक्षण आयोजित करने, प्रतिनिधि मंडलों को बाहर भेजने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने, संभावित खरीददारों को आमंत्रित करने आदि के लिए सहायता मुहैया कराने के अलावा अवसंरचना विकास, गुणवत्ता नियंत्रण, मण्डी विकास तथा संवर्धन, पैकेजिंग, प्रचार, सूचना प्रसार आदि के लिए जिंस बोर्ड के माध्यम से विभिन्न प्रोत्साहन मुहैया कराती है। इसके अलावा, सरकार ने कृषि को मास मीडिया समर्थन के माध्यम से खेती की नवीनतम तकनीकों के बारे में किसानों को जागरूक करने की पहल की हैं। ऐसा करने के लिए कृषक समुदाय को कृषि से संबंधित सूचना और जानकारी मुहैया कराने के वास्ते दूरदर्शन का उपयोग किया जाता है। किसानों के बीच उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियां संबंधी सूचना का प्रचार करने के लिए राज्य कृषि विभाग के माध्यम से ब्लाक प्रदर्शन और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से फ्रंटलाइन प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं।

सरकार ने कृषि उत्पादों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई पहलें और हस्तक्षेप शुरू किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम एवं मक्का स्कीम (आईसोपाम), राष्ट्रीय बागवानी मिशन, समेकित बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन, लघु-सिंचाई और समेकित अनाज विकास कार्यक्रम शमिल हैं। परिवहन सहायता स्कीम तथा विशेष कृषि उपज योजना जैसी ऐसी स्कीमें कार्यान्वित की जाती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसान अपने निर्यात के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त करें और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक उनकी पहुंच में वृद्धि हो।

विवरण

वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक कृषि उत्पादों का निर्यात

मात्रा '000' मी.टन, मूल्य करोड़ रु. में

वस्तु	2003-2004		2004-2005		2005-2006	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
दलहन	153.88	328.60	246.38	553.81	444.61	1102.62

1	2	3	4	5	6	7
चावल बासमती	771.49	1993.05	1126.13	2741.94	1161.44	3030.32
चावल (बासमती के अलावा)	2640.57	2174.94	3645.87	3899.73	3905.41	4144.03
गेहूं	4093.08	2391.15	1996.00	1448.03	745.56	557.12
अन्य अनाज	604.23	397.55	1155.3	776.68	658.69	512.88
चाय	177.77	1637.35	194.55	1784.18	157.91	1632.09
कॉफी	188.45	1085.92	158.94	1007.96	177.89	1577.07
तम्बाकू अपरिष्कृत	120.64	801.41	135.32	937.71	144.06	1027.70
तम्बाकू परिष्कृत	—	295.06	—	309.04	—	302.41
डेयरी एवं कुक्कुट उत्पाद	—	415.15	—	670.55	—	1112.06
पुष्प कृषि उत्पाद	—	250.47	—	205.25	—	304.69
मसाले	267.47	1544.18	350.75	1794.11	402.84	2218.09
काजू शेल लिक्विड	4.33	5.02	5.13	11.58	4.41	6.98
काजू	99.68	1699.82	109.67	2336.15	124.10	2562.77
तिल और रामतिल	207.00	754.30	181.68	723.33	223.88	794.09
मूंगफली	176.11	544.30	167.50	501.99	185.11	500.53
गारगम मील	120.56	507.90	128.29	655.96	186.53	1042.19
खली	3249.89	3348.41	3516.09	3100.75	6969.51	4826.07
एरण्ड तेल	162.36	656.06	260.01	1028.26	253.40	934.41
चमड़ा	10.50	179.74	8.60	162.77	9.67	161.18
चीनी	1200.60	1216.59	105.11	143.90	316.85	557.10
शीरा	98.62	19.38	7.71	5.22	72.46	27.29
फल/सब्जी बीज	5.18	53.61	6.70	62.93	10.04	89.87
ताजे फल	—	784.03	—	811.42	—	1101.22

1	2	3	4	5	6	7
ताजी सब्जी	—	953.93	—	813.63	—	910.94
प्रसंस्कृत सब्जी	—	291.15	—	339.91	—	472.94
प्रसंस्कृत फल पेय	—	343.66	—	346.08	—	600.18
विविध प्रसंस्कृत वस्तुएं	—	1058.69	—	860.68	—	978.98
मांस व इससे तैयार वस्तुएं	—	1714.41	—	1734.37	—	2647.50
समुद्री उत्पाद	409.49	6105.63	379.86	5695.21	461.06	6355.84
अपशिष्ट सहित कच्चा कपास	179.61	942.37	73.60	364.49	595.88	2791.87
पटसन हेस्सियन	—	410.11	—	422.14	—	488.80
कागज/काठ उत्पाद	—	2362.58	—	3613.55	—	4431.09
कुल कृषि निर्यात		37266.52		39863.31		49802.92
कुल निर्यात में % वृद्धि		7.50		11.60		19.70

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस रिपोर्ट।

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाएं

1721. प्रो. एम. रामदास : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों के दौरान कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन योजना हेतु 1208 करोड़ रु. की आबंटन राशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम के तहत दसवीं योजना के लिए 1208 करोड़ रुपए के योजना परिव्यय में से दसवीं योजना के पहले चार वित्तीय वर्षों के दौरान 785.50 करोड़ रुपए का बजट आबंटन किया गया। इसमें से 638.525 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग कर लिया गया है।

बजट आबंटन और उपयोग का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिए गए अनुसार है:-

क्र. सं.	वर्ष	केन्द्र का हिस्सा बजट आबंटन (करोड़ में)	केन्द्र के हिस्से का उपयोग (करोड़ में)
1.	2002-03	202.00	152.157
2.	2003-04	202.00	144.020
3.	2004.05	181.50	142.449
4.	2005-06	200.00	199.899
	चार वर्षों के लिए जोड़	785.50	638.525

राज्यों को इस कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय सहायता समान हिस्सा आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। दसवीं योजना के पहले 3 वर्षों के दौरान आबंटन से उपयोग कम रहा क्योंकि मुख्यत: राज्य सरकारें अपनी वित्तीय बाधाओं के कारण अपना संगत हिस्सा उपलब्ध नहीं करा सकीं।

हड़ताल और तालाबंदी

1722. श्री नवीन जिन्दल : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हड़तालों तथा तालाबंदी की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान अब तक हड़तालों तथा तालाबंदी के कारण कार्य दिवसों तथा उत्पादन की कितनी अनुमानित हानि हुई;

(घ) क्या हड़तालों तथा तालाबंदी से बचने संबंधी तंत्र की समीक्षा की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) और (ख) जी, हां। जनवरी से सितम्बर, 2006 के दौरान हड़तालों और तालाबंदियों की कुल संख्या पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में 397 से घटकर 346 रह गई है। (जिसके नवीनतम आंकड़े उपलब्ध हैं)।

(ग) चालू वर्ष के पहले 9 माहों के दौरान हड़तालों और तालाबंदियों के कारण कार्य-दिवसों तथा उत्पादन की हानि क्रमश: 13.75 मिलियन और 181.82 करोड़ रुपये रही है।

(घ) और (ङ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1970 में औद्योगिक संबंधों को सद्भावपूर्ण बनाए रखने के लिए कानूनी ढांचे का प्रावधान है। श्रम और रोजगार मंत्रालय का केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र केन्द्रीय क्षेत्र की स्थापनाओं में सद्भावपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखने के लिए उपायों के माध्यम से लगातार प्रयास करता रहता है जिनमें उत्पादन, कार्य दिवसों और मजदूरी की न्यूनतम हानि के साथ आशंकित हड़तालों और तालाबंदियों की परिस्थितियों को टालने के लिए हस्तक्षेप करना शामिल है। वर्तमान तंत्र की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

खट्टे फल

1723. श्री के.एस. राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब में काउंसिल फार सिटरस फार एण्ड एग्रो जूसिंग द्वारा की गई पहल की तर्ज पर खट्टे फलों को उगाने संबंधी कार्यक्रम अपनाने के लिए छोटे किसानों को प्रोत्साहन देने हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत खट्टे फलों के उद्यान लगाने हेतु टिश्यू कल्चर्ड रूटस्टॉक प्लांट्स की उपलब्धता तथा आपूर्ति की क्या स्थिति है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 से कार्यान्वित की जा रही "राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम)" संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत सभी श्रेणियों के किसानों को खट्टे फलों सहित बागवानी फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(ख) यह स्कीम 18 राज्यों तथा दो केन्द्र शासित प्रदेशों में प्रचालन में है जिनमें पंजाब सहित 10 राज्यों में खट्टे फलों की एक संकेन्द्रित फसल के रूप में पहचान की गई है। एनएचएम के अंतर्गत सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में नर्सरियों की स्थापना और टिश्यू कल्चर एकर्कों के पुनर्वास की परिकल्पना की गई है ताकि किसानों को गुणवत्तापूर्ण पौध रोपण सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। जहां मॉडल नर्सरियों में प्रति वर्ष 4 लाख पौधों का उत्पादन होता है वहीं छोटी नर्सरियों को प्रति वर्ष 60,000 से 80,000 पौधों का उत्पादन करना है। खट्टे फल उत्पादक राज्यों में 216 नर्सरियां स्थापित करने और 27 टिश्यू कल्चर प्रयोगशालाओं के पुनर्वास के लिए वर्ष 2005-06 के दौरान निधियां मुहैया कराई गई हैं।

(ग) नर्सरियों की स्थापना करने और टिश्यू कल्चर प्रयोगशालाओं के पुनर्वास के लिए वर्ष 2005-06 के दौरान उपलब्ध कराई गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

(लाख रु. में)

राज्य	नर्सरियों की स्थापना		विद्यमान टिश्यू कल्चर एककों का पुनर्वास	
	वास्तविक (सं.)	वित्तीय	वास्तविक (सं.)	वित्तीय
आंध्र प्रदेश	5	90.00	1	8.00
बिहार	17	156.00	1	8.00
गुजरात	42	157.50	8	36.00
हरियाणा	6	48.00	2	16.00
झारखंड	75	348.00		
मध्य प्रदेश	20	226.50	5	40.00
महाराष्ट्र	26	234.00	6	48.00
पंजाब	6	49.00	1	8.00
राजस्थान	15	105.00		
पश्चिम बंगाल	4	72.00	3	24.00
कुल	216	1486.00	27	188.00

इस्पात/खान इकाइयों का 'सेल' में विलय

1724. श्री दुष्यंत सिंह : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुछ इस्पात तथा खनन कंपनियों का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) में विलय का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी इकाई-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विलय की प्रक्रिया शुरू कर दी है;

(घ) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस्पात तथा खनन कंपनियों के विलय हेतु विभिन्न प्रस्तावों की तकनीकी तथा वित्तीय व्यवहार्यता के मूल्यांकन के लिए सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था;

(च) यदि हां, तो इस समूह की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) से (छ) इस्पात मंत्रालय ने मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बीच विलय के विभिन्न प्रस्तावों की जांच करने और इन प्रस्तावों की व्यवहार्यता के संबंध में सिफारिशें करने के लिए श्री बी.एल. दास, पूर्व सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह गठित किया था। विशेषज्ञ समूह ने सेल के साथ निम्नानुसार विलय की सिफारिश की है और सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है:-

1. नीलांचल इस्पात निगम लि. (एनआईएनएल) का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) के साथ विलय

सचिवों की समिति (सीओएस) की दिनांक 14.07.2005 को हुई बैठक में एनआईएनएल का सेल के साथ विलय करने का निर्णय लिया गया था। सेल के निदेशक मंडल ने नकद भुगतान के जरिए एनआईएनएल की साम्या शेयर पूंजी हासिल करने और बाद में सेल के साथ इसका विलय करने के लिए अपनी दिनांक 24.3.2006 को हुई 312वीं बैठक में सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है। एनआईएनएल के कारोबार का मूल्यांकन करने के लिए इंडस्ट्रियल डवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (आईडीबीआई) को मूल्यांकनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है और मूल्यांकन का कार्य चल रहा है।

2. महाराष्ट्र इलैक्ट्रोस्मैल्ट लिमिटेड (एमईएल) का सेल के साथ विलय

सेल के निदेशक मंडल और एमईएल के निदेशक मंडल ने क्रमशः दिनांक 25.5.2006 को हुई 314वीं बैठक और दिनांक 26.05.2006 को हुई 193वीं बैठक में एमईएल

के सेल के साथ विलय को सिद्धांतत: अनुमोदित कर दिया है। दोनों कंपनियों द्वारा विलय को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

3. भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि. (बीआरएल) का सेल के साथ विलय

बीआरएल के निदेशक मंडल ने बीआरएल का सेल के साथ विलय करने के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए दिनांक 11.05.2006 को एक संकल्प पहले ही पारित कर दिया है। सेल के निदेशक मंडल ने भी अपनी दिनांक 22.09.2006 को हुई बैठक में विलय के प्रस्ताव को सिद्धांतत: अनुमोदित कर दिया है। प्रस्ताव पर बोर्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइजेज (बीआरपीएसई) द्वारा विचार किया जा रहा है।

विशेषज्ञ समूह ने स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड (सिल) का नेशनल मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएमडीसी) के साथ विलय करने की सिफारिश भी की है। सरकार ने सिल और एनएमडीसी को विलय के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया है।

उर्वरकों की बिक्री

1725. **श्री ए. साई प्रताप** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ राज्यों में किसानों को न्यूनतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर उर्वरकों की बिक्री के बारे में रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) सरकार को सांविधिक/सांकेतिक मूल्यों से अपर उर्वरकों की बिक्री के बारे में कुछ छुट-पुट मामलों को छोड़कर कोई बड़ी रिपोर्ट नहीं मिली हैं। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 (एफसीओ) के खंड 21 के अधीन उर्वरक के थैलों पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) अंकित करना अनिवार्य है और किसी भी व्यक्ति को सांविधिक/सांकेतिक मूल्य से अधिक मूल्य पर सामग्री के बेचने की अनुमति नहीं है। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्रावधान के अधीन ऐसे गतिविधियों को रोकने के लिए राज्य सरकारें पर्याप्त रूप से शक्ति संपन्न हैं। एफसीओ, 1985 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955/एफसीओ, 1985 के तहत दाण्डिक/प्रशासनिक कार्रवाई का प्रावधान है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे अपराधों को रोकें और यह सुनिश्चित करें कि किसानों को सांविधिक/सांकेतिक मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता के उर्वरक मुहैया कराना सुनिश्चित करें।

वन क्षेत्रों में पवन चक्कियां

1726. **श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन क्षेत्र के पर्वतीय शिखरों को पवन चक्कियां स्थापित करने के लिए प्रयोग किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी पवन चक्कियों की स्थापना के लिए दी गई भूमि के बदले वन विभाग को वैकल्पिक भूमि दिये जाने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) और (ख) पवन चक्की की स्थापना के प्रस्तावों को परियोजना स्थलों की तकनीकी संभाव्यताओं का पता लगाने के बाद वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अनुमोदन प्राप्त करने के लिए राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार को भेजा जाता है।

(ग) और (घ) जी, हां। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा मामला दर मामला आधार पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण के लिए समकक्ष गैर वनभूमि उपलब्ध करवाना अपेक्षित है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का लाभ

1727. **श्री चालासोधरी वल्लभनेनी** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्राधिकरण लिमिटेड ने चालू वित्तीय वर्ष में भी दूसरी तिमाही में 1443 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान इसके द्वारा कितना समग्र लाभ निर्धारित किया गया है तथा अर्जित किया गया है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) जी, हां। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में 1443 करोड़ रुपए का निवल लाभ (कर-पश्चात लाभ) अर्जित किया है।

(ख) वर्ष 2006-07 के लिए निर्धारित लक्ष्य और वर्ष 2006-07 की छमाही (छमाही-1) में सेल का वित्तीय निष्पादन निम्नानुसार है:-

विवरण	इस्पात मंत्रालय के निष्पादन बजट के अनुसार वार्षिक लक्ष्य (2006-07)	वर्ष 2006-07 की छमाही (छमाही-1) में सेल का वास्तविक वित्तीय निष्पादन
कर-पूर्व लाभ (पीबीटी)	4727	4264
कर-पश्चात लाभ (पीएटी)	3106	2829

प्राणी उद्यान में जानवरों की अधिक संख्या होना

1728. श्री प्रवेश पण्डा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय प्राणी उद्यानों में जानवरों की संख्या अधिक हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण द्वारा प्राणी उद्यानों में जानवरों की संख्या अधिक होने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, हां। कतिपय प्राणी उद्यानों में बहुप्रज प्रजनन प्रजातियों के जानवर अधिक संख्या में है।

(ख) प्राणी उद्यान को मान्यता नियमावली, 1992 प्रत्येक प्राणी उद्यान के लिए यह अनिवार्य करती है कि वह अपने संग्रह में ऐसे पशुओं और ऐसी प्रजातियों को इतनी संख्या में रखें जितनी उचित आवासीय सुविधाएं मौजूद हों। नियमावली यह भी निर्धारित करती है कि बहुप्रज प्रजनन प्रजातियों के पशुओं की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि के विरुद्ध सुरक्षोपाय लेने के क्रम में प्राणी उद्यान उपयुक्त जनसंख्या नियंत्रण उपाय अपनाएं।

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने पैन्थर, बाघ, नीलगाय, चीतल, सांबर और काला हिरण की उपयुक्त संख्या को बड़े, मध्यम और छोटे चिड़ियाघरों में रखने के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं जो निम्नलिखित हैं:-

प्राणी उद्यान की श्रेणी	बाघ/पैंथर की संख्या	नील गाय, चीतल, सांबर और काला हिरण की संख्या
बड़े चिड़ियाघर	10	20
मध्यम	6	12
छोटे	4	10

टीम लीज सर्विसेज लिमिटेड

1729. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टीम लीज सर्विसेज लिमिटेड की रिपोर्ट का अध्ययन कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) जी, हां।

(ख) टीम-लीज सर्विसेज लिमिटेड की इंडिया लेबर रिपोर्ट योजना आयोग को प्रस्तुत की जा चुकी है। रिपोर्ट में तीन परिवर्ती श्रम मांग, श्रम आपूर्ति और श्रम कानूनों का प्रयोग करते हुए बनाए गए श्रम

आर्थिक प्रणाली सूचकांक के आधार पर भारतीय राज्यों को एक क्रम दिया गया है। इसमें हमारे श्रम बाजार की वर्तमान स्थिति की जांच की गई है और यह बताया गया है कि 2020 में श्रम बल में बड़ी संख्या में लोग होंगे जिन्हें व्यापक रोजगार अवसरों की आवश्यकता होगी। इसमें आगे यह भी विश्लेषण किया गया है कि यदि वर्तमान प्रवृत्ति बनी रहती है तो इससे 2020 तक बहुत अधिक अर्थात् 30% बेरोजगारी फैल जाएगी। इसमें आर्थिक विकास को राज्यों को दिए गए क्रम से भी सम्बद्ध किया गया है और दर्शाया गया है कि विगत में अच्छी स्थिति वाले राज्यों ने अधिक विकास किया है।

योजना आयोग ने अब तक इस रिपोर्ट या इसकी किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है।

खुदरा क्षेत्र में विकास

1730. श्री के. सुब्बरायन : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों में खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों का औसत कारोबार कितना है;

(ग) देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में संगठित तथा संगठित खुदरा क्षेत्र का योगदान कितना है;

(घ) सकल घरेलू उत्पाद में खुदरा क्षेत्र के योगदान के विकास की दर कितनी है;

(ङ) क्या खुदरा क्षेत्र में कई वर्षों से तीव्र विकास देखने को मिला है; और

(च) यदि हां, तो भविष्य में इस क्षेत्र का तीव्र विकास सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुसंधान परिषद को सौंपे गए अध्ययन के अनुसार देश में संगठित और असंगठित खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या 15 मीलियन से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है। अध्ययन से यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2002 में भारत में कुल 7,40,000 करोड़ रुपए का खुदरा बाजार था। अध्ययन के अनुसार खुदरा व्यापार क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10 प्रतिशत बैठता है।

(घ) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के सकल घरेलू उत्पादन अनुमानों के अनुसार वर्ष 2004-05 के दौरान सकल घरेलू उत्पादन में व्यापार क्षेत्र की समग्र वृद्धि दर 7.5 प्रतिशत आंकी गई। सकल घरेलू उत्पाद में खुदरा क्षेत्र के हिस्से की वृद्धि दर के सरकारी अनुमान अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुसंधान परिषद के अध्ययन के अनुसार 1999-2002 के दौरान खुदरा क्षेत्र में औसतन 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई है।

(च) खुदरा क्षेत्र की निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अनेक राज्यों द्वारा मूल्य वर्धित कर प्रणाली को अपनाए जाने और माडल कृषि उत्पाद विपणन समिति जैसे विभिन्न उपाय किए गए हैं। इसके अलावा, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को संशोधित करने के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

वन विकास परियोजनाओं को स्वीकृति

1731. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत वन विकास परियोजनाओं (एफ.डी.पी.) की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितनी परियोजनाएं मध्य प्रदेश द्वारा भेजी गई हैं/स्वीकृत की गई हैं;

(ग) आज की तिथि के अनुसार मध्य प्रदेश से प्राप्त कितनी परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन ए पी) स्कीम क्रियान्वित कर रहा है जो मुख्यत: वनों के विकास पर लक्षित है। यह स्कीम वन प्रभाग स्तर पर वन विकास अभिकरण

(एफ डी ए) और ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जे एफ एम सी) के द्वि-स्तरीय विकेन्द्रित संस्थागत ढांचे के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 31.10.2006 तक 1521.10 करोड़ रुपए की कुल लागत पर 715 एफ डी ए परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

(ख) से (घ) मध्य प्रदेश राज्य से प्राप्त 51 एफ डी ए परियोजना प्रस्तावों में से, 1518 जे एफ एम सी के माध्यम से 76,520 हैक्टेयर क्षेत्र का संवर्धन करने के लिए 112.48 करोड़ रुपए की कुल लागत पर 49 एफ डी ए परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। लंबित प्रस्तावों को राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार, उनकी उपयुक्तता की शर्त पर और निधियों की उपलब्धता को देखते हुए अनुमोदित किया जायेगा।

[अनुवाद]

उपभोक्ता संरक्षण कार्य हेतु पुरस्कार

1732. डा. के. धनराजू : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु महिलाओं/महिला संगठनों हेतु कोई राष्ट्रीय पुरस्कार योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वितरित किए गए पुरस्कारों का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र सरकार ने उपभोक्ता आन्दोलन के क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किए गए उत्कृष्ट प्रयासों को मान्यता देने तथा उनको आगे आने और बड़ी मात्रा में ऐसी गतिविधियां चलाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1993 में 'महिलाओं के लिए स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण पुरस्कार नामक' वार्षिक पुरस्कार की एक स्कीम शुरू की थी। इस स्कीम के तहत क्रमश: 20,000 रु.; 10,000 रु. और 10,000 रु. के तीन नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसा कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है।

जल विकास

1733. श्रीमती अर्पणा नायक : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में जल विकास तथा प्रबंधन की स्थिति भविष्य में धूमिल होने की आशंका है; और

(ख) यदि हां, तो वाटर बोडीज के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन प्रकाश गमांग चामलिंग) : (क) देश में औसत वार्षिक जल उपलब्धता 1869 बिलियन घनमीटर (बीसीएम) आंकी गई है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 1027 मिलियन की आबादी के आधार पर प्रतिव्यक्ति जल उपलब्धता 1820 घनमीटर प्रतिवर्ष बैठती है। तथापि, देश की जल उपलब्धता में पर्याप्त अस्थाई एवं स्थानिक भिन्नताएं हैं और जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता भी वर्ष दर वर्ष कम होती जा रही है। भूजल के अतिदोहन के भी कई उदाहरण सामने आये हैं जिसके परिणामस्वरूप कुछेक क्षेत्रों में जल स्तर में गिरावट आ रही है।

(ख) जल राज्य का विषय होने के कारण, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन के लिए कई उपाय किए गए हैं जिनमें भंडारणों का सृजन, जलनिकायों का पुनरुद्धार, वर्षा जल संचयन, भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण और बेहतर प्रबंधन प्रक्रियाओं को अंगीकार करना आदि शामिल है। भारत सरकार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सहायता मुहैया कराती है। इसके अतिरिक्त, जनवरी, 2005 में भारत सरकार द्वारा ''कृषि से सीधे तौर पर जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार के लिए राष्ट्रीय परियोजना'' विषयक एक प्रायोगिक स्कीम अनुमोदित की गई है। भारत सरकार सृजित सिंचाई क्षमता और प्रयुक्त क्षमता के बीच अंतर को पाटने के लिए कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीएण्डडब्ल्यूएम) के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत भी सहायता प्रदान करती है। सरकार ने सभी दावाधारकों के बीच भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की संकल्पना का मुख्यत: प्रचार-प्रसार करने की दृष्टि से केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी सलाहकार परिषद का भी गठन किया है।

औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995

1734. **श्री ई.जी. सुगावनम :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यमान औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ) निष्प्रभावी हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विद्यमान औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 को प्रतिस्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नया औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश कब तक प्रभावी हो जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सरकार ने राष्ट्रीय औषध नीति, 2006 का प्रारूप तैयार किया है जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस नीति के आधार पर एक नया डीपीसीओ प्रख्यापित किया जायेगा।

खाद्यान्नों का परिवहन

1735. **श्री पी.एस. गड्डी :**
श्री आलोक कुमार मेहता :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण हेतु खाद्यान्नों का एक राज्य से दूसरे राज्य में अनावश्यक परिवहन के कारण खाद्य राजसहायता की बड़ी धनराशि खर्च हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्यों को राज्य के भीतर ही, जहां से खाद्यान्नों की खरीद की गई है, वितरण करने की अनुमति देने के उद्देश्य से इस नीति की समीक्षा करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह नीति कब तक लागू हो जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) गेहूं और चावल की वसूली का प्रमुख भाग पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्यों से वसूल किया जाता है। इन राज्यों से वसूल किए गए खाद्यान्नों को आवश्यक रूप से अन्य उपभोक्ता राज्यों में भेजा जाता है।

(ख) से (घ) वसूली और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुशलता में वृद्धि करने तथा गैर-पारंपरिक राज्यों में वसूली को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1997-98 में खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत वसूली योजना लागू की गई थी ताकि स्थानीय किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ मिल सकें और मार्गस्थ हानियों तथा ढुलाई लागत में बचत भी की जा सके। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण हेतु स्थानीय पसंद के खाद्यान्नों की वसूली भी संभव हो पाती है।

इस योजना के तहत राज्य सरकार स्वयं धान और चावल की सीधी खरीद करती है और भारत सरकार की ओर से लेवी चावल की वसूली करती है तथा इन खाद्यान्नों का भंडारण और वितरण भी करती है।

केन्द्र सरकार अनुमोदित लागत के अनुसार वसूली प्रचालनों पर राज्य सरकारों द्वारा किए गए समस्त खर्च को पूरा करती है। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात, केरल और कर्नाटक की राज्य सरकारें विकेन्द्रीकृत वसूली कर रही हैं।

सी.ए.एस. के अंतर्गत टेलीविजन कार्यक्रम

1736. **श्री रेवती रमन सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सी.ए.एस.) व्यवस्था के अंतर्गत भी टेलीविजन कार्यक्रम सामान्य एंटीना के जरिए भी उपलब्ध होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकारी चैनलों सहित ऐसे चैनलों से सूचना

का निर्बाध प्रसारण प्राप्त करने के दर्शकों के अधिकार के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) जी, हां। सशर्त पहुंच प्रणाली (कैस) के कार्यान्वयन से दूरदर्शन द्वारा स्थलीय रूप से प्रसारित टी वी कार्यक्रमों की सामान्य एंटिना के जरिए उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल के लिए विशेष पैकेज

1737. डा. के.एस. मनोज : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि तथा पशु-पालन हेतु विदर्भ विशेष पैकेज के अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न योजनाएं केवल डेयरी विकास हेतु ही हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस योजना को विशेषकर केरल में पशुधन की अन्य प्रजातियां हेतु विस्तारित करने का है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल राज्यों में आत्महत्या संभावित जिलों के लिए विशेष पैकेज में डेयरी और मात्स्यिकी के विकास के लिए घटक शामिल हैं। इस योजना को पशुधन की अन्य प्रजातियों पर लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आंध्र प्रदेश में दूरदर्शन केन्द्र

1738. श्री गुंडलूर निज़ामुद्दीन :
श्री एम. अंजनकुमार यादव :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में कितने दूरदर्शन केन्द्र हैं तथा उनमें से प्रत्येक का कवरेज क्षेत्र कितना है;

(ख) इन प्रत्येक केन्द्रों से कितने लोग जुड़े हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अतिरिक्त दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने तथा विद्यमान केन्द्रों का उन्नयन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) इस समय, आंध्र प्रदेश में विभिन्न शक्तियों वाले 105 टी वी ट्रांसमीटर और 3 टी वी स्टूडियो केंद्र कार्यशील हैं। इन ट्रांसमीटरों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(i) डी डी 1 - 95 (अ.श.ट्रां-9, उ.श.ट्रां-75, अ. अ.श. ट्रां-11)*

(ii) डी डी न्यूज - 10 (उ. श. ट्रां-4, अ.श.ट्रां-6)*

उपर्युक्त ट्रांसमीटरों की कवरेज रेंज निम्नानुसार है:-

ट्रांसमीटर की किस्म	शक्ति	प्राथमिक कवरेज रेंज
उ.श.ट्रां	10 किवा	70-80 कि.मी.
उ.श.ट्रां	1 किवा/5 किवा यू एच एफ	40 कि.मी.
अ.श.ट्रां	100 वाट/300 वाट/ 500 वाट	15-20 कि.मी.
अ.अ.श.ट्रां	10 वाट/50 वाट	5-6 कि.मी.

ट्रांसमीटरों के प्राथमिक कवरेज क्षेत्र से बाहर कम कवरेज उपलब्ध है। उपर्युक्त ट्रांसमीटरों द्वारा आंध्र प्रदेश की लगभग 89.7% जनसंख्या को कवर करने का अनुमान है। राज्य में क्षेत्र-वार कवरेज लगभग 82.7% है। उपर्युक्त कवरेज आंकड़ों में कम कवरेज वाले क्षेत्र शामिल हैं।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश राज्य में महबूबनगर स्थित मौजूदा अ.श.ट्रां को एक उ.श.ट्रां से प्रतिस्थापित करने और तिरूपति में एक नया टी वी स्टूडियो केंद्र स्थापित करने की परिकल्पना है।

*उ.श.ट्रां - उच्च शक्ति ट्रांसमीटर

*अ.श.ट्रां - अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

*अ.अ.श.ट्रां - अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

गुजरात को गेहूं आबंटन में कमी

1739. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 2006 के बाद से गुजरात को गेहूं के आबंटन में असामान्य कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य हेतु पूर्व-निर्धारित कोटा बहाल करने का निर्णय लिया है;

(ग) क्या गुजरात को मई तथा जून, 2006 के लिए गेहूं के आबंटन में कटौती के बदले में इसे आबंटित मोटा अनाज उपलब्ध नहीं कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा राज्य को उक्त मोटे अनाज जारी करने के लिए तुरंत क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) ये कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) जून, 2006 से आज की तारीख तक गुजरात को गेहूं के आबंटन में कोई कमी नहीं हुई है। जून, 2006 से नवम्बर, 2006 तक गेहूं के आबंटन के ब्यौरे निम्नानुसार है:–

(टन में)

जिन्स	जून, 2006			अक्तूबर/नवम्बर 2006		
	अं.अ.यो.	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	अं.अ.यो.	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.
गेहूं	11101	19954	6402	15373	21377	6402
	जोड़=37457			जोड़=43152*		

*मोटे अनाजों के बदले आबंटन के कारण वृद्धि हुई है।

(ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। राज्य सरकार के अनुरोध पर गुजरात राज्य को मई तथा जून, 2006 माह के लिए निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार मोटे अनाजों का आबंटन किया गया है:–

(टन में)

जिन्स	मई, 2006			जून, 2006		
	अं.अ.यो.	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	अं.अ.यो.	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.
मक्का	2807	935	–	2807	935	–
ज्वार	1465	488	–	1465	488	–
बाजरा	1800	600	–	–	–	–

राज्य को आबंटित खाद्यान्न का राज्य द्वारा समय पर भुगतान करने की शर्त के साथ वैधता अवधि के दौरान उठान किया जाना अपेक्षित था। यद्यपि, जून, 2006 माह के आबंटित मोटे अनाजों को भारतीय खाद्य निगम द्वारा रिलीज किया गया था, तथापि मई, 2006 माह के लिए आबंटित मोटे अनाजों की वैधता अवधि में विस्तार करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है।

उपभोक्ता संरक्षण के दायरे को व्यापक बनाना

1740. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ई-प्रशासन तथा ई-वाणिज्य के युग में उपभोक्ता संरक्षण के दायरे को व्यापक बनाने के लिए एक कानून लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इसके अंतर्गत किन सेवाओं को शामिल किया जाएगा एवं नया कानून कब तक अधिनियमित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या मसौदा कानून अन्य संबंधित मंत्रालयों एवं राज्यों के बीच परिचालित कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर मंत्रालयों एवं राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इससे उपभोक्ता को क्या लाभ मिलने की संभावना है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ङ) जी, हां। उपभोक्ता संरक्षण

अधिनियम, 1986 के उपबंधों को आगे और संशोधित करने का प्रस्ताव है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम के कार्य क्षेत्र का विस्तार करके उसमें ई-वाणिज्य सौदों को भी शामिल करने के लिए कतिपय उपबंधों का स्पष्ट प्रावधान किया जाएगा। संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों, जो सामान्यत: प्रस्तावों के समर्थक थे, के परामर्श से उपभोक्ता मामले विभाग में प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया गया और उसके बाद उन्हें विधि और न्याय मंत्रालय की सहमति के लिए भेज दिया गया है। संशोधन प्रस्तावों के अधिनियमन तक विभिन्न निहित प्रक्रियाओं को देखते हुए इस स्तर पर कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों को और अधिक संरक्षण प्रदान करना है।

केरल में अंतर्राज्यीय बाघ अभयारण्य

1741. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से राज्य में एक अंतर्राज्यीय बाघ अभयारण्य की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) से (ग) तमिलनाडु और केरल राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों और बाघ परियोजना की संचालन समिति की 23 जनवरी, 2006 को हुई इसकी 37वीं बैठक में की गई सिफारिश के अनुसार तमिलनाडु और केरल में फैले अन्नामलय परम्बीकुलम वन्यजीव अभयारण्यों को नया बाघ रिजर्व घोषित करने को "सिद्धांत रूप में अनुमोदन" प्रदान किया गया है।

[हिन्दी]

बाल श्रम पर प्रतिबंध

1742. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री बापू हरी चौरे :
श्री संजय धोत्रे :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्व में कारखानों एवं होटलों में कार्य कर रहे बाल श्रम पर प्रतिबंध लगा दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उस समय बाल श्रम में कोई कमी देखी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने के पश्चात् उस समय बाल श्रम में कितने प्रतिशत की कमी देखी गई थी?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत पहले ही बच्चों के नियोजन को निषिद्ध कर चुकी है। हाल ही में, सरकार ने होटलों में भी बच्चों का 10.10.2006 से नियोजन निषिद्ध करने संबंधी अधिसूचना जारी की है।

(ग) और (घ) भारत के महापंजीयक द्वारा की गई जनगणना ही देश में बाल श्रमिकों की जनगणना के मामले में एकमात्र प्रामाणिक आंकड़ा है। 2001 की जनगणना से पूर्व, कामकाजी बच्चों के व्यवसाय-वार आंकड़े नहीं रखे जाते थे। 1971, 1981, 1991 और 2001 के दौरान दर्ज की गई कामकाजी बच्चों की संख्या क्रमश: 1.07, 1.36, 1.12 और 1.26 करोड़ थी। तथापि 5-14 वर्ष के आयु समूह वाले कामकाजी बच्चों का उसी आयु समूह के बच्चों की जनसंख्या की तुलना में प्रतिशत 1991 और 2001 के बीच घटा है। चूंकि वर्तमान अधिसूचना, अक्तूबर, 2006 में ही जारी की गई है, इसलिए अभी इसके प्रभाव का ठीक-ठीक आकलन नहीं किया जा सकता।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों को रोजगार

1743. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार कुशल व्यक्तियों को उपलब्ध रोजगारों को प्राप्त करने के लिए उन्हें पात्र बनाने हेतु उन्हें रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) दसवीं योजना में लगभग 50 मिलियन रोजगार अवसर अर्थात् सामान्य विकास प्रक्रिया के माध्यम से 30 मिलियन तथा विशेष रोजगार सृजन योजनाओं के माध्यम से 20 मिलियन रोजगार अवसर सृजित करने की परिकल्पना की गई। इससे सरकार द्वारा निर्धारित कोटे के अनुरूप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों की भी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।

(ख) और (ग) शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) तथा शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एटीएस) के तहत देश में प्रौद्योगिकी तथा औद्योगिक विकास हेतुउ कुशल जनशक्ति आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न व्यावसायिक व्यवसायों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण कोटे के अनुरूप सीटें आरक्षित की जाती हैं। 22 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 22 अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र भी विशेष अध्यापन योजना, कम्प्यूटर प्रशिक्षण तथा टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण इत्यादि जैसे अपने अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं।

ग्रीनफील्ड इस्पात संयंत्र

1744. श्री एस.के. खारवेनचन : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ निजी कंपनियों ने ग्रीनफील्ड इस्पात संयंत्रों में निवेश के प्रति रुचि दिखाई है और इस संबंध में सरकार के साथ इस पर चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्रीनफील्ड इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए किन स्थानों की पहचान की गई है; इससे अनुमानित उत्पादन कितना होगा और इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) से (ग) जी, हां। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य सरकारों के साथ कुछ निजी कंपनियों ने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

उड़ीसा राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने वाली इस्पात संयंत्र परियोजनाओं की सूची

क्र. स.	कंपनी का नाम	स्थान	क्षमता एम टी पी ए		समझौता ज्ञापन/करार की तारीख से निर्माण सुविधाओं को चालू करने के लिये प्रत्याशित/प्रक्षेपित समय अनुसूची
1	2	3	4		5
1.	मैसर्स भूषण पावर एंड स्टील लि.	लापांगा, संबलपुर	चरण-1	1.2	2005-2007
			चरण-2	1.6	
2.	मै. आरती स्टील लि.	घटीखाल, अथाहगढ़, कटक	चरण-1	0.5	2007 तक
			चरण-2	0.5	
3.	मै. आधुनिक मेटालिक्स प्रा.लि.	चादरीहरीहरपुर, राऊरकेला, सुंदरगढ़	चरण-1	0.26	2006 तक

1	2	3	4		5
			चरण-2	0.15	
4.	मै. स्का इंडस्ट्रीज (प्रा.) लि.	गुंडिचापाड़ा, धेनकनाल	चरण-1	0.25	2006 तक
			चरण-2	0.55	
5.	मै. देव माईन्स एंड मिनरल (प्रा.) लि.	बोनाई, सुंदरगढ़		0.325	सितम्बर 2006
6.	मै. वीजा इंडस्ट्रीज लि.	झाखापुरा, दूबरी, जाजपुर		0.35	2006 तक
7.	मै. एस एम सी पावर जेनरेशन लि.	झिरमा, झारसुगुडा	चरण-1	0.25	2006 तक
			चरण-2	0.15	
8.	मै. श्याम डी आर आई पावर लि.	पंडोली, रेनगाली, संबलपुर		0.27	2007 तक
9.	मै. उद्दीसा स्पंज आयरन लि.	गुरला, गोविन्दपुर, संबलपुर	चरण-1	0.35	2007 तक
			चरण-2	0.6	
10.	मै. एस पी एस स्पंज आयरन लि.	खाडमाल ग्रोथ सैंटर, झारसुगुडा		0.29	2007 तक
11.	मै. महाराष्ट्र सिमलैस लि.	कलिंगानगर इंडस्ट्रीयल काम्प्लेक्स, दूबरी, जाजपुर	चरण-1	0.3	2007 तक
			चरण-2	0.18	
12.	मै. ओ सी एल इंडिया लि.	राजगंगपुर, सुंदरगढ़		0.25	2009 तक
13.	मै. महेश्वरी इस्पात (प्रा.) लि.	रामपी, खुनटुनी, कटक		0.25	2007 तक
14.	मै. मोनेट इस्पात लि.	मंगलपुर, धेनकनाल		0.25	2007 तक
15.	मै. आर्यन इस्पात एंड पावर (पी) लि.	बोमलाई, रेनगाली, संबलपुर		0.30	2008 तक
16.	मै. मैथान इस्पात लि.	कलिंगानगर इंडस्ट्रीयल कॉप्लेक्स, दूबरी, जाजपुर		0.27	2007 तक
17.	मै. श्री मेटालिक्स लि.	लाइडापाडा, बारबिल, क्योंझर		0.25	2007 तक

1	2	3	4	5
18.	मै. एम एस पी मेटालिक्स (पी) लि.	माराकूटा, झारसुगुडा	0.26	2007 तक
19.	मै. एक्यान इस्पात एंड पावर (पी) लि.	पांडीरीपत्थर, माराकूटा, झारसुगुडा	0.25	2007 तक
20.	मै. पटनायक स्टील एंड एलॉय लि.	पुरूनापानी, जोडा, क्योंझर	0.27	2008 तक
21.	मै. राठी उद्योग लि.	पोटापल्ली-सिकरीदी, संबलपुर	0.30	2008 तक
22.	मै. विराज स्टील एंड एनर्जी लि.	गुरुपाली, पांडालोई, संबलपुर	0.30	2008 तक
23.	मै. दीपक स्टील्स एंड पावर लि.	टेपोदीह, बारबिल, क्योंझर	0.25	2008 तक
24.	मै. कोणार्क इस्पात लि.	हिरमा, झारसुगुडा	0.25	2008 तक
25.	मै. बीके स्टील एंड पावर लि.	उलीबुरू, बारबिल, क्योंझर	0.28	2008 तक
26.	मै. बी आर जी आयरन एंड स्टील कं. (पी) लि.	खुरन्ती, धेनकनाल	0.25	2008 तक
27.	मै. जैन स्पंज (पी) लि.	दुरलागा, झारसुगुडा	0.30	2008 तक
28.	मै. जिन्दल स्टेनलैस लि.	डूबरी, जाजपुर चरण-1	0.8	2008 तक
		चरण-2	0.8	
29.	मै. कंपटा माइन्स लि.	कमांडो, कोइरा के समीप, सुंदरगढ़ तथा झाराबंद, धेनकनाल (प्रत्येक 1 एम टी पी ए)	2.00	2008 तक
30.	मै. झांड एलायस लि.	पलासपांगा, क्योंझर	0.27	2008 तक
31.	मै. इस्टर्न स्टील्स एंड पावर लि.	लाझंडाबुड, झारसुगुडा	0.25	2008 तक
32.	मै. जय बाला जी ज्योति स्टील्स लि.	तानीसर, लाटीकाटा के समीप, सुंदरगढ़	0.33	2009 तक
33.	मै. वैल स्पन पावर एंड स्टील लि.	भद्रक जिला अथवा उड़ीसा राज्य में कटक का कोई अन्य उपयुक्त स्थान	3.0	2010 तक

1	2	3	4	5	6
34.	मै. उत्तम गाल्वा स्टील लि.	उड़ीसा में स्थान स्थिति के संबंध में अभी अंतिम निर्णय लिया जाना है।		3.0	2010 तक
35.	मै. टाटा स्टील्स लि.	कलिंगानगर इंडस्ट्रीयल काम्प्लेक्स, डूबरी, जाजपुर	प्रथम मॉडयूल	3.00	2008 तक
			द्वितीय मॉडयूल-	3.00	
36.	मै. स्टरलाईट आयरन एंड स्टील कं. लि.	पलासपांगा, क्योंझर	चरण-1	3.4	2009 तक
			चरण-2	1.7	
37.	मै. इंडियन पैलेट्स लि. (एस्सार ग्रुप)	पारादीप		4.00	2010 तक
38.	मै. पोस्को इंडिया प्रोजेक्ट प्रा.लि.	पारादीप		12.00	2010 तक
39.	मै. जिन्दल स्टील एंड पावर लि.	बैनिफिकेशन प्लांट दियोझर, क्योंझर तथा स्टील प्लांट अंगुल में		6.00	2011 तक
40.	मै. भूषण स्टील एंड स्ट्रीप्स लि.	मेरामुन्डाली, धेनकनाल		3.00	2008 तक

झारखंड राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने वाली लोह और इस्पात संयंत्र परियोजनाओं की सूची

क्र. स.	कंपनी का नाम	स्थान	क्षमता एम टी पी ए	समझौता ज्ञापन/करार की तारीख से निर्माण सुविधाओं को चालू करने के लिये प्रत्याशित/प्रक्षेपित समय अनुसूची
1	2	3	4	5
1.	मै. मोनेट इस्पात लि.	हजारीबाग	(क) स्पंज लोह - 0.8	–
			(ख) इस्पात - 0.7	
2.	मै. वल्लभ स्टील्स लि.	गमहरिया	(क) स्पंज लोह - 0.3	–
			(ख) इस्पात - 0.2	

1	2	3	4	5
			(ग) कच्चा लोहा - 0.15	
3.	मै. आधुनिक अलाय एंड पावर लि.	कान्द्रा	(क) स्पंज लोहा - 1.98 (ख) इस्पात 2.6	—
4.	मै. नीनांचल	चांडील	(क) स्पंज आयरन - 0.5, (ख) इस्पात - 0.20	—
5.	मै. झारखंड इस्पात प्रा.लि.	रामगढ़	(क) स्पंज आयरन - 1.08, (ख) इस्पात - 0.20	—
6.	मै. अभिजीत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	हजारीबाग	(क) स्पंज आयरन - 0.25, (ख) इस्पात - 0.11	—
7.	मै. एएमएल स्टील एंड पावर लि.	सरायकेला-खारसावान	(क) स्पंज आयरन - 1.54, (ख) इस्पात - 0.20	—
8.	मै. कारपोरेट इस्पात अलॉय लि.	हजारीबाग	(क) स्पंज आयरन - 0.25, (ख) इस्पात - 0.11	—
9.	मैं. अन्नपूर्णा ग्लोबल लि.	पश्चिम सिंहभूम	(क) स्पंज आयरन - 0.201, (ख) इस्पात - 0.1	—
10.	मै. प्रसाद ग्रुप्स, रिसोर्सिज प्रा. लि.	पटरातू के निकट	(क) स्पंज आयरन - 0.105, (ख) इस्पात - 0.22	—
11.	मै. प्रकाश इस्पात	चाईबासा	कच्चा लोहा - 0.2	—
12.	मै. होरीजन लोहा उद्योग लि. (मैं. होरीजन एक्विजम्प लि.)	चाईबासा	स्पंज आयरन - 0.4	—
13.	मै. स्पैक्ट्रम मर्कैंटाईल प्रा. लि.	चाईबासा	स्पंज आयरन - 0.4	—
14.	मै. चाईबासा स्टील प्रा. लि.	चाईबासा	स्पंज आयरन - 0.4	—
15.	मै. छत्तीसगढ़ इलैक्ट्रिसिटी कं.लि.	कारा, रांची	(क) स्पंज आयरन - 0.45	—

1	2	3	4	5
			(ख) इस्पात - 0.4	
16.	मै. इलैक्ट्रो स्टील कास्टिंग लि.	चांडील	(क) स्पंज आयरन - 1.3,	—
			(ख) इस्पात 1.0	
17.	मै. बालाजी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लि. जयपुर	चाईबासा	(क) स्पंज आयरन - 0.12	—
18.	मै. पवनजय स्टील एंड पावर लि.	लोहरडागा	(क) स्पंज आयरन - 0.2,	—
			(ख) इस्पात - 0.4	
19.	मै. बालाजी मैटल एंड स्पंज लि.	चाईबासा	स्पंज आयरन - 1.08,	—
			इस्पात - 0.1	
20.	मै. आर.जी. स्टील्स प्रा.लि.	पटरातू के निकट	(क) स्पंज आयरन - 0.09,	—
			(ख) इस्पात - 0.06	
21.	मै. सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कं.लि.	सरायकेला-खारसावन	(क) स्पंज आयरन - 0.06, (ख) इस्पात - 0.49	—
22.	मै. हाई-ग्रेड पैलेट्स लि.	पश्चिम सिंहभूम	(क) स्पंज आयरन - 7.5	—
			(ख) इस्पात - 10	
			(ग) पैलेट प्लांट-8	
23.	मै. जीएमडब्ल्यू इंडस्ट्रीज लि.	चांडील	(क) स्पंज आयरन - 0.21,	—
			(ख) इस्पात - 0.5	
			(ग) पैलेट प्लांट - 0.5	
24.	मै. अभिन्दीता ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टमेंट लि.	रामगढ़	(क) स्पंज आयरन - 0.334	—
25.	मै. नरभेराम गैस प्लांट प्रा.लि.	जमशेदपुर	(क) स्पंज आयरन - 0.135,	—
			(ख) इस्पात - 0.045	
26.	मै. गोयल स्पंज प्रा.लि.	पश्चिम सिंहभूम	(क) स्पंज आयरन - 0.115,	—

1	2	3	4	5
			(ख) इस्पात - 0.09	
27.	मै. रूंगटा माईन्स लि.	चाईबासा	(क) स्पंज आयरन - 0.51	—
28.	मै. राज रिफ्रैक्ट्रीज	बुण्डु	स्पंज आयरन - 0.6,	—
			इस्पात - 0.06	
29.	मै. कॉन्टीस्टील लि.	चांडील	(क) स्पंज आयरन - 1.2,	—
			(ख) इस्पात - 1.14	
			(ग) द्रव इस्पात - 1.25	
30.	मै. कोहीनूर स्टील प्रा.लि.	बुलाडीह निकट	(क) स्पंज आयरन - 0.225,	—
		चांडील	(ख) इस्पात - 0.12,	
31.	मै. जिंदल स्टील एंड पावर लि.	घाटशिला	(क) स्पंज आयरन - 5.0,	—
			(ख) इस्पात - 5.0	
32.	मै. भूषण लि.	असानबोनी,	(क) स्पंज आयरन - 1.5,	—
		जमशेदपुर	(ख) इस्पात - 1.5	
33.	मै. कल्याणी स्टील लि.	सिली, रांची	(क) स्पंज आयरन - 0.23,	—
			(ख) इस्पात - 1.0	
34.	मै. टाटा स्टील लि. (ग्रीन फील्ड प्रोजैक्ट)	मनोहरपुर/चांडील	एकीकृत इस्पात संयंत्र - 12.0	—
35.	मै. टाटा स्टील लि. (एक्सटेंशन)	जमशेदपुर	एकीकृत इस्पात संयंत्र - 5.0	—
36.	मै. वी.एस. डेम्पो एंड कंपनी प्रा.लि.	मनोहरपुर	एकीकृत इस्पात संयंत्र - 0.5	—
37.	मै. मित्तल स्टील के.एन.वी.	अनिर्णीत	एकीकृत इस्पात संयंत्र - 12.0	—
38.	मै. जिंदल साऊथ-वेस्ट स्टील लि.	होसालौंग, चांडील	एकीकृत इस्पात संयंत्र - 10.0	—
39.	मै. रांची एकीकृत इस्पात लि.	सिली, निकट बुरी	एकीकृत इस्पात संयंत्र - 1.5	—

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने वाली लोहा और इस्पात संयंत्र परियोजनाओं की सूची

क्रम स.	कंपनी का नाम	स्थान	क्षमता एम टी पी ए	समझौता ज्ञापन/समझौते की तारीख से निर्माण संबंधी सुविधाओं की स्थापना हेतु प्रत्याशित/संभावित समय अनुसूची
1	2	3	4	5
1.	मै. जिंदल अर्गेनाईजेशन	रायगढ़	(क) इस्पात - 0.205	–
2.	मै. मोनेट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज	रायगढ़ व रायपुर	(क) स्पंज आयरन - 0.6, (ख) इस्पात - 0.9	–
3.	मै. भूषण लि.	रायगढ़	इस्पात - 1.2	–
4.	मै. एमएसपी स्टील एंड पावर प्राईवेट लि.	रायगढ़	(क) स्पंज आयरन - 0.4, (ख) इस्पात - 0.21	–
5.	मै. सुनील स्पंज आयरन लि.	रायगढ़	(क) स्पंज आयरन - 0.09, (ख) इस्पात - 0.1	–
6.	मै. वीसा इंडस्ट्रीज लि., रायगढ़	रायगढ़ व कोबरा	(क) स्पंज आयरन - 0.45, (ख) इस्पात - 0.2	–
7.	मै. इंड एग्रो सीनर्जी लि.	रायगढ़	स्पंज आयरन एंड स्टील बिलेट-0.4	–
8.	मै. सनविजय रोलिंग एंड इंजी. लि.	रायगढ़	(क) स्पंज आयरन - 0.32, (ख) इस्पात बिलेट, रोलिंग मिल - 0.3	–
9.	मै. अंजनी स्टील्स प्रा.लि.	रायगढ़	(क) स्पंज आयरन - 0.18, (ख) इस्पात - 0.15	–
10.	मै. एगिओ इंड् प्रा.लि.	रायगढ़	(क) स्पंज आयरन - 0.099, (ख) इस्पात गलन - 0.024	–
11.	मै. सुपीरियर स्पंज प्रा.लि.	दुर्ग	(क) स्पंज आयरन - 0.2,	–

1	2	3	4	5
			(ख) इस्पात गलनशाला - 0.3	
			(ग) कच्चा लोहा - 0.15	
			(घ) रोलिंग मिल - 0.225	
12.	मै. नवभारत ग्रुप ऑफ कंपनीज	बस्तर, कोबरा, रायपुर	(क) स्पंज आयरन - 0.5	—
13.	मै. अक्षय इन्वेस्टमेंट प्रा.लि.	राजनंदगांव	(क) स्पंज आयरन - 0.09,	—
			(ख) धमन भट्टी इकाई - 0.105	
14.	मै. वंदना एनर्जी एंड स्टील प्रा.लि.	रायपुर एंड कोबरा	(क) स्पंज आयरन - 0.15,	—
			(ख) इस्पात - अप्रयोज्य	
15.	मै. बजरंग पावर एंड इस्पात लि.	रायपुर	(क) स्पंज आयरन - 0.09,	—
			(ख) इस्पात - 0.06	
16.	मै. नेशनल स्टील एंड एग्रो इंडस्ट्रीज	दुर्ग	(क) स्पंज आयरन - 0.15,	—
			(ख) इस्पात गलनशाला - 0.15	
17.	मै. आर्यन इस्पात एंड पावर प्रा.लि.	बिलासपुर	(क) स्पंज आयरन - 0.46,	—
			(ख) इस्पात बिलेट्स - 0.348	
18.	मै. इस्पात गोदावरी लि.	रायपुर	(क) स्पंज आयरन - 0.65,	—
			(ख) इस्पात बिलेट्स/इन्गॉट्स - 0.55	
19.	मै. एलायंस इंटीग्रेटिड मेटालिक लि.	रायपुर	(क) स्पंज आयरन - 0.2,	—
			(ख) छोटा इस्पात संयंत्र - 0.15	
20.	मै. वंदना ग्लोबल लि.	रायपुर	(क) स्पंज आयरन - 0.351,	—
			(ख) फर्नेस (इन्गॉट/ बिलेट्स)-0.16752	
21.	मै. एसकेएस इस्पात प्रा.लि.	रायपुर	(क) स्पंज आयरन - 0.27,	—
			(ख) इस्पात गलनशाला - 0.21	

1	2	3	4	5
22.	मै. मैगनम स्टील लि.	दुर्ग	(क) स्पंज आयरन - 0.3, (ख) सेमी एंड रोल्ड प्रोडक्ट - 0.3	–
23.	मै. जीपीटी मैटल इंडस्ट्रीज लि.	बिलासपुर	(क) स्पंज आयरन - 0.105, (ख) धमन भट्टी - 0.66	–
24.	मै. बीईसी प्रोजैक्ट लि.	दुर्ग	(क) स्पंज आयरन - 0.135, (ख) इस्पात गलनशाला - अप्रयोज्य	–
25.	मै. छत्तीसगढ़ आयरन एंड स्टील लि.	दुर्ग/रायगढ़	(क) स्पंज आयरन - 0.105, (ख) इस्पात गलनशाला - 0.1	–
26.	मै. मेगा पावर्स बिल्डर्स प्रा.लि.	दुर्ग/रायगढ़	(क) स्पंज आयरन - 0.105, (ख) इस्पात गलनशाला - 0.1	–
27.	मै. आनंद इस्पात उद्योग प्रा.लि.	दांतेवाड़ा	(क) स्पंज आयरन - 0.15, (ख) धमन भट्टी व कंकास्ट - 0.13	–
28.	मै. फेरस इंजीनियरिंग लि.	छत्तीसगढ़	(क) स्पंज आयरन - 0.2, (ख) इस्पात गलनशाला - 0.01	–
29.	मै. जिंदल स्टील एंड पावर लि.	रायगढ़	(क) इस्पात गलनशाला - 1.25, (ख) धमन भट्टी - 1.25 (ग) वायर रॉड/रोलिंग मिल - 0.7	–
30.	मै. छत्तीसगढ़ इलैक्ट्रिसिटी कं.लि.	रायपुर	(क) स्पंज आयरन - 0.6, (ख) इस्पात संयंत्र - 1.0	–
31.	मै. प्रकाश इंडस्ट्रीज लि.	चंपा	(क) स्पंज आयरन - 0.4, (ख) इस्पात गलनशाला - 0.9 (ग) कच्चा लोहा 0.25, (घ) रोलिंग/वायर रॉड मिल - 0.6	–

1	2	3	4	5
32.	मै. बिगबॉस स्टील एंड अलॉयज लि.	जांजगीर, चंपा	स्पंज आयरन - अप्रोप्य	–
33.	मै. वसुंधरा स्टील एंड पावर लि.	बिलासपुर	एकीकृत इस्पात संयंत्र - 0.4	–
34.	मै. रेक्सॉन स्ट्रिप्स लि.	बिलासपुर	एकीकृत इस्पात संयंत्र - 0.40	–
35.	मै. छत्तीसगढ़ स्टील एंड पावर	जांजगीर, चंपा	स्पंज आयरन - 0.38	–
36.	मै. पुष्प स्टील्स एंड माईनिंग प्रा.लि.	बोराई ग्रोथ सेंटर, दुर्ग	स्पंज आयरन - 0.315	–
37.	मै. सलासर स्पंज एंड पावर लि.	रायगढ़	(क) स्पंज आयरन - 0.165, (ख) इस्पात - 0.1	–
38.	मै. श्री राधे इंडस्ट्रीज प्रा.लि.	बिलासपुर	(क) स्पंज आयरन - 0.26, (ख) इस्पात गलनशाला - 0.05	–
39.	मै. सत्पार्थ स्टील एंड पावर लि.	रायपुर	(क) स्पंज आयरन - 0.22, (ख) प्रेरण भट्टी - 0.182 (ग) रि-रोल्ड प्रोडक्ट्स 0.0314	–
40.	मै. एपीआई इस्पात एंड पावरटैक प्रा.लि.	रायपुर	(क) स्पंज आयरन - 0.315, (ख) स्पंज आयरन - 0.0864	–
41.	मै. टॉपवर्थ स्टील प्रा.लि.	दुर्ग	(क) स्पंज आयरन - 0.21, (ख) इस्पात गलनशाला - 0.1	–
42.	मै. श्री श्याम ग्लोबल प्रा.लि.	रायपुर	(क) स्पंज आयरन - 0.165, (ख) प्रेरण भट्टी - 0.072 (ग) रि-रोल्ड प्रोडक्ट्स - 0.06	–
43.	मै. क्रेस्ट स्टील एंड पावर प्रा.लि.	दुर्ग	स्पंज आयरन - 0.231	–
44.	मै. बालाजी विद्युत एंड स्पंज आयरन	रायपुर	स्पंज आयरन - 0.06	–
45.	मै. टैक्सास पावर जेन	बिलासपुर	(क) स्पंज आयरन - 0.72, (ख) प्रेरण भट्टी - 0.216	–

1	2	3	4	5
			(ग) रोलिंग मिल - 0.216	
46.	मै. टाटा स्टील	बस्तर	एकीकृत इस्पात संयंत्र - 5.00	—
47.	मै. एस्सार स्टील छत्तीसगढ़ लि.	बस्तर	एकीकृत इस्पात संयंत्र - 3.2	—

विज्ञापन के लिए नीति निर्धारित करना

1745. **श्री कुलदीप बिश्नोई** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर विज्ञापन दिखाने एवं प्रसारण दरों की कोई नीति अथवा तंत्र है;

(ख) क्या दूरदर्शन पर विज्ञापनों का प्रसारण इसके लिए आवंटित समय-सारणी के अनुरूप करने से संबंधित कोई अनुवीक्षण प्रणाली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन पर प्रसारित सभी विज्ञापन, विज्ञापनों की वाणिज्यिक संहिता की अनुरूपता में अनुमोदित किए जाते हैं और इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि दूरदर्शन की कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन न हो। जहां तक प्रसारण दरों का संबंध है, बाजार परिस्थितियों के अनुसार समय-समय पर इनका ध्यानपूर्वक अनुवीक्षण किया जाता है।

(ग) और (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि संबंधित दूरदर्शन केंद्र द्वारा समय-सारणी के अनुसार प्रसारण के समय नियमित अनुवीक्षण किया जाता है। उन्होंने आगे सूचित किया है कि प्रसारण की समाप्ति पर एक प्रसारण प्रमाण-पत्र भी जारी किया जाता है जो यथोचित रूप से बिल तैयार करने में भी मदद करता है।

चिरु का संरक्षण

1746. **श्री दलपत सिंह परस्ते** :
श्री मिलिन्द देवरा :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिरु के संरक्षण के लिए कोई भारत-चीन समझौता हुआ है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चिरु की जनसंख्या कितनी है एवं उनकी जनसंख्या के संरक्षण/वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवानराव मीना) : (क) और (ख) भारतीय शिष्ट मण्डल ने चीन का जून, 2006 के दौरान दौरा किया। बैठक के दौरान दोनों देशों ने संकटापन्न प्रजातियों विशेषकर, बड़ी बिल्लियों और तिब्बती एंटीलोप के संबंध में जो कि कन्वैंशन ऑन इन्टरनेशनल ट्रेड इन इन्डेनजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना (सी आई टी ई एस) के प्रावधानों और राष्ट्रीय विधान के अनुपालन में है, के अवैध शिकार और अवैध व्यापार के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त प्रयासों को मजबूत बनाने के लिए सहमति व्यक्त की। तथापि चिरु के संबंध में कोई विशिष्ट सहमति नहीं बनी है।

(ग) जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार तिब्बती एन्टीलोप (चिरु) दौलत बेग ओल्ड (डी.बी.ओ.) काराकोरम रेंज में लद्दाख के उत्तर में लद्दाख क्षेत्र में और लद्दाख के उत्तर पूर्व में छंग छेन्मू चाटी (हॉट स्प्रिंग) में पाए जाते हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार 200 से 250 चिरु की एक छोटी सी प्रवासी संख्या लद्दाख क्षेत्र में पाई गई है। चिरु की संख्या को बचाने के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं:—

(i) तिब्बती एंटीलोप को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में शामिल किया गया है और इस प्रकार उन्हें सुरक्षा का उच्चतम दर्जा दिया गया है।

(ii) जम्मू और कश्मीर वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1978 को वर्ष 2002 के दौरान संशोधित किया गया जिसमें तिब्बती एन्टीलोप को पुनः सूचीकरण करके अनुसूची-2 से

अनुसूची-I में डाला गया और इस प्रकार प्रजातियों को उच्चतम सुरक्षा प्रदान की गई है।

(iii) चिरु के दो प्रमुख आश्रय स्थलों को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया अर्थात् काकोरम अभयारण्य (5000 वर्ग किलोमीटर) और छंग थांग शीत मरुस्थल वन्यजीव अभयारण्य (4000 वर्ग किलोमीटर)।

(iv) मंत्रालय वन्यजीव अभयारण्य को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत "राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास" दोनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

दुधवा राष्ट्रीय पार्क के रास्ते टेलीफोन तार

1747. **श्री रवि प्रकाश वर्मा** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुधवा राष्ट्रीय पार्क से गुजरने वाली सड़क के साथ टेलीफोन तार बिछाने के लिए कोई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) जी, नहीं। दुधवा राष्ट्रीय पार्क से गुजरने वाली सड़क के साथ टेलीफोन तार बिछाने का कोई प्रस्ताव मंत्रालय में स्वीकृति हेतु प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

झील का संरक्षण

1748. **श्री पी. राजेन्द्रन** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने सास्थमकोट्टा स्थित सिंगल ताजे पानी की झील संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसके लिए कोई अनुदान प्रदान किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) जी, हां। सस्थामकोटा को राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत एक आर्द्रभूमि अभिनिर्धारित किया गया है। इस आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए केरल सरकार से 1999 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

(ख) से (घ) अभी तक इस आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए वनीकरण, प्रदूषण निवारण, खरपतवार नियंत्रण, मत्स्यकीय विकास, कैचमेंट क्षेत्र सुधार, शिक्षा और जागरूकता आदि जैसे कार्यों के लिए केरल सरकार को 36.85 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

पॉस्को के साथ समझौता ज्ञापन

1749. **श्री मिलिन्द देवरा** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में केंद्र सरकार एवं पोहांग स्टील कंपनी (पॉस्को) के प्रतिनिधियों के बीच कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पॉस्को परियोजना की समीक्षा किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) और (ख) उड़ीसा में स्थापित की जा रही मैसर्स पॉस्को इस्पात संयंत्र परियोजना की प्रगति के संबंध में विचार-विमर्श करने के लिए फॉरेन इनवेस्टमेंट इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी (एफआईआईए) की एक बैठक दिनांक 17.8.2006 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में हुई थी। बैठकर में जिन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया उनमें परियोजना के लिए भूमि के अधिग्रहण के संबंध में प्रगति, उड़ीसा सरकार तथा कंपनी द्वारा किए गए पुनर्वास संबंधी उपायों, खनन लाइसेंसों तथा विद्युत, सड़क और रेलवे लाइनों जैसी अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं के मुद्दे शामिल थे।

(ग) और (घ) इस समय पॉस्को परियोजना की समीक्षा करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सामुदायिक रेडियो को प्रोत्साहन

1750. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री सुधीर सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सामुदायिक रेडियो को प्रोत्साहन देने के लिए कानून में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने एफ एम रेडियो के दूसरे चरण में दर्ज की गई सफलता का मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एफ एम रेडियो के तीसरे चरण के लिए नीति कब तक तैयार करने एवं अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) सरकार ने पात्रता शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन शैक्षिक संस्थानों के अलावा 'गैर लाभकारी' संगठनों नामत: राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर) संस्थाओं, कृषि विज्ञान केंद्रों, समिति अधिनियम अथवा इस प्रयोजनार्थ किसी अन्य संगत अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत स्वायत्तशासी निकायों एवं लोक-न्यास तथा पंजीकृत समितियों को सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना करने हेतु अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया है।

(ग) और (घ) निजी एफ एम रेडियो स्कीम का चरण II पहले ही सफल हो चुका है। इस स्कीम के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में 245 चैनलों के परिचालन हेतु विभिन्न कंपनियों को आशय-पत्र जारी किए गए थे। इन चैनलों में से 20 चैनल पहले ही परिचालन में हैं (27.11.2006 तक की स्थिति के अनुसार) और अगले वित्त वर्ष की समाप्ति तक बाकी चैनलों को परिचालित कर दिए जाने की आशा है। यद्यपि, एक मुश्त प्रवेश शुल्क और अंतरण शुल्क के कारण इस स्कीम के अंतर्गत 1145.48 करोड़ रुपये प्राप्त किए गए थे तथापि सभी 266 चैनलों (चरण I के 21 चैनलों सहित) का परिचालन करने के लिए 38.16 करोड़ रुपये (लगभग) का वार्षिक राजस्व अर्जित होगा।

(ङ) इस चरण पर एफ एम चरण III के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है और इसके लिए समय-सारणी निर्धारित नहीं की गयी है।

बाल श्रम का पुनर्वास

1751. श्री रघुनाथ झा : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एवं विदेशों में बेचे जाने वाले डिजाइनर उत्पादों को तैयार करने के लिए कारखाने में कई बच्चे बंधुआ मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं जैसा कि दिनांक 26 अगस्त, 2006 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य कर रहे बच्चों को छुड़ाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है एवं उनके पुनर्वास के लिए कौन-कौन सी योजनाएं तैयार की गई हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) और (ख) डिजाइनर उत्पादों को तैयार करने के लिए कारखाने में बाल बंधुआ श्रमिकों सहित बंधुआ श्रमिकों के कार्य करने के संबंध में विशिष्ट रूप से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, दिल्ली सरकार द्वारा मारे गए छापों के दौरान दिल्ली की जरी इकाइयों में काम करने वाले बच्चों के कुछ मामले जानकारी में आए हैं। इनमें से अधिकतर अन्य राज्यों से आए हुए प्रवासी बच्चे हैं। इन बच्चों को कार्य से हटा दिया गया था और उनके मूल स्थान में उनके परिवारों में भेज दिया गया था।

(ग) जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में काम करते पाए गए बच्चों को कार्य से हटाया जाता है और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन सी एल पी) योजना के अंतर्गत उनका पुनर्वास किया जाता है जहां उन बच्चों को विशेष स्कूलों में डाला जाता है और उन्हें शिक्षा, पोषणाहार, वजीफा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाएं इत्यादि प्रदान की जाती हैं।

निर्माण परियोजना का पर्यावरणीय प्रभाव

1752. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की सभी निर्माण परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिशानिर्देशों के उल्लंघन के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 14 सितम्बर, 2006 की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार 20000 वर्ग मीटर के समकक्ष या इससे अधिक निर्मित क्षेत्र वाले भवन एवं विनिर्माण परियोजनाओं और 50 हैक्टेयर के समकक्ष इससे अधिक क्षेत्र एवं/या 1,50,000 वर्ग मीटर के समकक्ष या इससे अधिक निर्मित क्षेत्र का विकास परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी लेना अपेक्षित है।

(ग) पूर्व की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 1994 के उल्लंघन के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं।

(घ) इस मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/संघ शासित प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा पर्यावरण मंजूरी की शर्त निगरानी पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करते समय अनुबद्ध की जाती है और परियोजना प्रस्तावकों को छमाही अनुपालन रिपोर्ट उन्हें प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए जाते हैं।

[हिन्दी]

इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट की मात्रा

1753. **श्री हंसराज जी. अहीर :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चालू वर्ष सहित प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट सृजित होता है;

(ख) देश में बढ़ रहे इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के निपटान के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं;

(ग) क्या इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट में पाए जाने वाले पारद, शीशा एवं कैडियम जैसे हानिकारक तत्वों के संपूर्ण विनाश के लिए प्रौद्योगिकी देश में उपलब्ध है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसे अपशिष्टों के संपूर्ण विनाश को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट में पर्सनल कंप्यूटर से लेकर विभिन्न घरेलू उपकरण जैसे टी.वी., रेफ्रीजरेटर, सैल फोन आदि जैसे सामान आते हैं। देश में ई-वेस्ट को सूचीबद्ध प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा शुरू किए गए अध्ययन के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 1,46,000 टन इलेक्ट्रीकल और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर वेस्ट पैदा होता है।

(ख) से (ङ) ई-वेस्ट के सुरक्षित प्रबंधन में पुन: उपयोग, पुन: चक्रण, स्रोत वसूली और सुरक्षित भूमिभरण में अंतिम निपटान शामिल है।

बंगलौर, कर्नाटक के निकट 10 मिट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के एक ई-वेस्ट पुन: चक्रण संयंत्र और नवी मुंबई, महाराष्ट्र में ई-वेस्ट प्रबंधन और पुन: चक्रण यूनिट स्थापित की गई है। इनमें धातु प्राप्ति की सुविधा है। एक प्रमुख आई टी कंपनी ने निपटान एजेंसियों का पता लगाया है और इसने अपने ग्राहकों के लिए ई-वेस्ट के निपटान की पूरी प्रक्रिया स्थापित की है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार पारा युक्त अपशिष्ट का प्रबंधन पारा रिकवरिंग सिस्टम (वैक्युम डिस्टीलेशन) स्थापित करके और सीसे को सोल्डर में मेकेनीकल सेपरेशन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

स्वच्छ उत्पादन प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रानिक उद्योग को कम से कम अपशिष्ट पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने उद्योगों में जागरूकता पैदा करने और पर्याप्त सूचना उपलब्ध करवाने के उपाय आरम्भ किए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने "भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए पर्यावरणीय प्रबंधन" नामक एक व्यापक तकनीकी गाइड भी जारी की है।

नदियों में प्रदूषण

1754. **श्री ब्रजेश पाठक :**
श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री अवतार सिंह भड़ाना :
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :

श्री रीतेन्द्र कुमार :
श्री गणेश सिंह :
श्री छितेन बर्मन :
श्री नवीन जिन्दल :
डा. राजेश मिश्रा :
श्री वी.के. दुग्गर :
श्री सज्जन कुमार :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक झील एवं नदी की सफाई के लिए कितने कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं और इसमें अभी तक किस हद तक सफलता प्राप्त हुई है;

(ख) प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक राज्य-वार कितनी राशि आबंटित की गई है/उपयोग की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार यमुना प्राधिकरण का सृजन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत अभिकल्पित उद्देश्य क्या हैं;

(ङ) क्या केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण ने हाल ही में अपनी बैठक की है; और

(च) यदि हां, तो उसमें हुई चर्चाओं और लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) और (ख) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की 4735.42 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत पर 20 राज्यों को 160 शहरों में फैले 34 नदियों के प्रदूषित भागों में चलाई जा रही है। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम वर्ष 2001 में 12 राज्यों की 42 झीलों में 510.41 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत पर शुरू की गई थी। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत सभी नदियों के प्रदूषण उपशमन कार्य विभिन्न राज्यों में प्रगति के विभिन्न स्तरों पर है। उदाहरण के लिए गंगा नदी के किनारे नगरों में शहरी जनसंख्या में असाधारण वृद्धि के बावजूद नदी और इसके भागों की जल गुणता में गंगा कार्य योजना पूर्व इसकी गुणता की तुलना में प्रत्यक्ष सुधार हुआ है। इस संबंध में पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न मानीटरिंग स्टेशनों पर नदी की जल गुणता दर्शाने वाले मुख्य घटक जैव रसायन आक्सीजन मांग में परिवर्तन बनाम ऊर्ध्व प्रवाह में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि एक ग्राफ के रूप में विवरण-I में दी गई है। गंगा कार्य योजना के पहले चरण के अंतर्गत सृजित 865 एम एल डी शोधन क्षमता के अतिरिक्त राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत 1872 मिलियन लीटर प्रति दिन शोधन क्षमता सृजित की गई है। झीलों के संबंध में राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत संरक्षण के लिए शामिल की गई 42 झीलों में से 10 झीलों का कार्य अब तक हो चुका है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत कुल 2051.71 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत 157.03 करोड़ रुपये अब तक विभिन्न राज्यों को जारी किए जा चुके हैं। राज्यवार और कार्यक्रमवार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत यमुना कार्य योजना के लिए यमुना नदी के प्रदूषण उपशमन कार्य शामिल हैं। योजना का प्रथम चरण 2003 में 686 करोड़ रुपए की लागत पर पूरा किया गया था और इस चरण के अंतर्गत 750 एम एल डी सीवेज शोधन क्षमता सृजित की गई थी। चरण-II का कार्यान्वयन दिसम्बर, 2004 में 624 करोड़ की अनुमोदित लागत से शुरू किया गया था। यमुना कार्य योजना की प्रगति की संचालन समिति की बैठकों में केन्द्र और राज्य स्तर पर नियमित रूप से मानीटरिंग की जाती है। यमुना प्राधिकरण का सृजन करने के लिए इस समय मंत्रालय के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण का 1956 में गठन किया गया था। देश की अन्य मुख्य नदियों में घोर प्रदूषण स्तर को देखते हुए केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण को व्यापक आधार देते हुए मुख्य नदियों के प्रदूषण स्तर से निपटने और उनकी जल गुणता में सुधार के उद्देश्य से इसे 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण का नाम दिया गया। राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की संचालन समिति की 50वीं बैठक अगस्त, 2005 में आयोजित की गई थी। इस बैठक में लिए गए मुख्य निर्णयों में राज्य सरकारों के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों के परिचालन और रखरखाव को सरल बनाने के लिए राजस्व को पैदा करने के लिए विस्तृत योजना प्रस्तुत करने और राज्य में नदियों और झीलों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, राज्य सरकार और संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन की प्रक्रिया शुरू करने की शर्त रखी जाना शामिल है।

विवरण-I

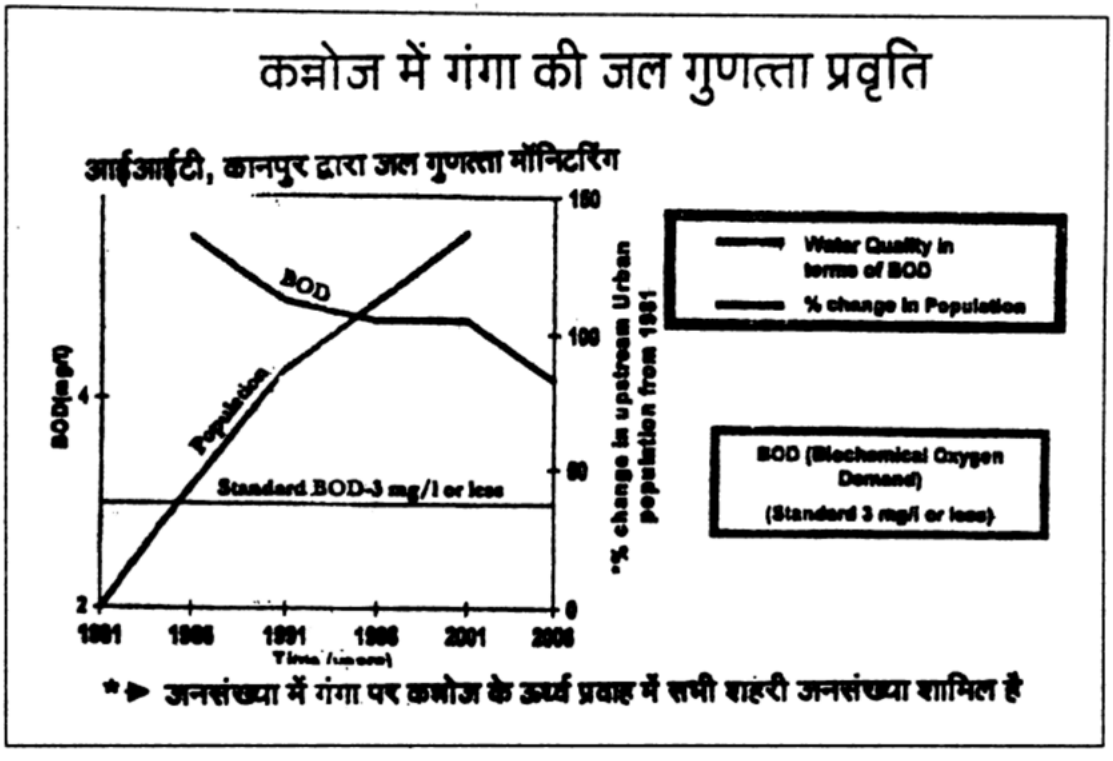
कन्नोज में गंगा की जल गुणत्ता प्रवृति
आईआईटी, कानपुर द्वारा जल गुणत्ता मॉनिटरिंग
BOD
Population
Standard BOD-3 mg/l or less
BOD(mg/l)
% change in upstream Urban population from 1991
Water Quality in terms of BOD
% change in Population
BOD (Biochemical Oxygen Demand)
(Standard 3 mg/l or less)
1991
1996
2001
2006
*▶ जनसंख्या में गंगा पर कन्नोज के ऊर्ध्व प्रवाह में सभी शहरी जनसंख्या शामिल है

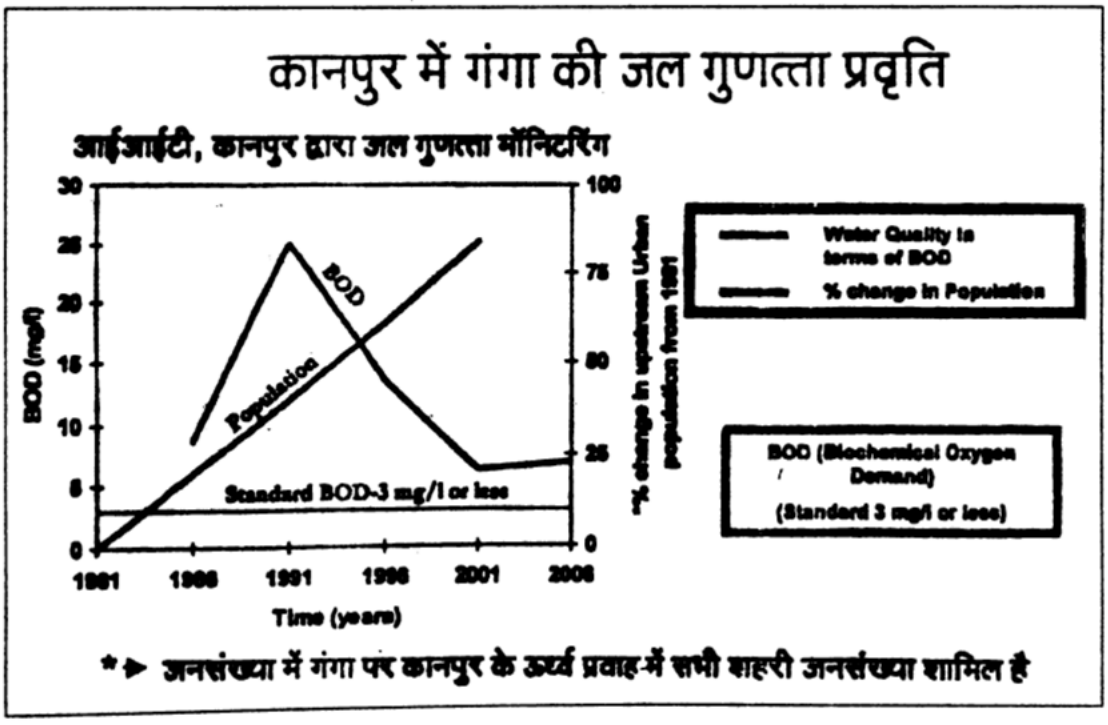
कानपुर में गंगा की जल गुणत्ता प्रवृति
आईआईटी, कानपुर द्वारा जल गुणत्ता मॉनिटरिंग
BOD
Population
Standard BOD-3 mg/l or less
BOD (mg/l)
% change in upstream Urban population from 1991
Water Quality in terms of BOD
% change in Population
BOD (Biochemical Oxygen Demand)
(Standard 3 mg/l or less)
1991
1996
2001
2006
Time (years)
*▶ जनसंख्या में गंगा पर कानपुर के ऊर्ध्व प्रवाह में सभी शहरी जनसंख्या शामिल है

इलाहाबाद में गंगा की जल गुणत्ता प्रवृति

सीपीसीबी द्वारा जल गुणत्ता मॉनिटरिंग

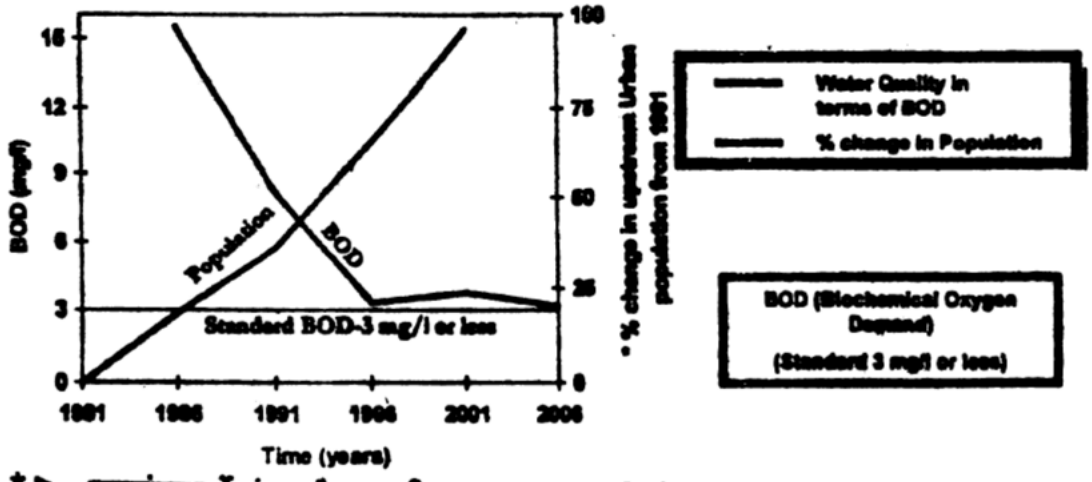

*▶ जनसंख्या में गंगा और इसकी मुख्य सहायक नदियों पर इलाहाबाद के ऊर्ध्व प्रवाह में सभी शहरी जनसंख्या शामिल है

वाराणसी में गंगा की जल गुणत्ता प्रवृति

सीपीसीबी द्वारा जल गुणत्ता मॉनिटरिंग

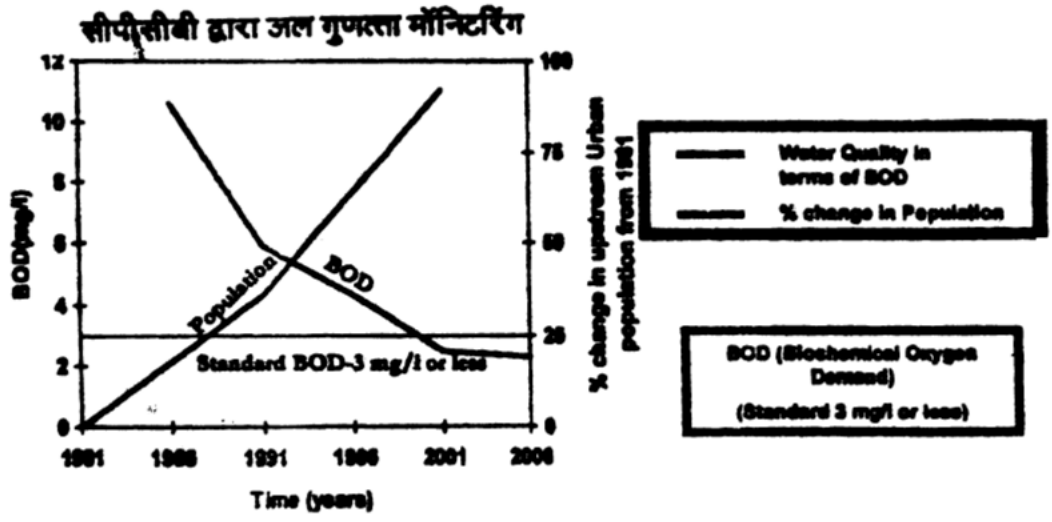

*▶ जनसंख्या में गंगा और इसकी मुख्य सहायक नदियों पर वाराणसी के ऊर्ध्व प्रवाह में सभी शहरी जनसंख्या शामिल है

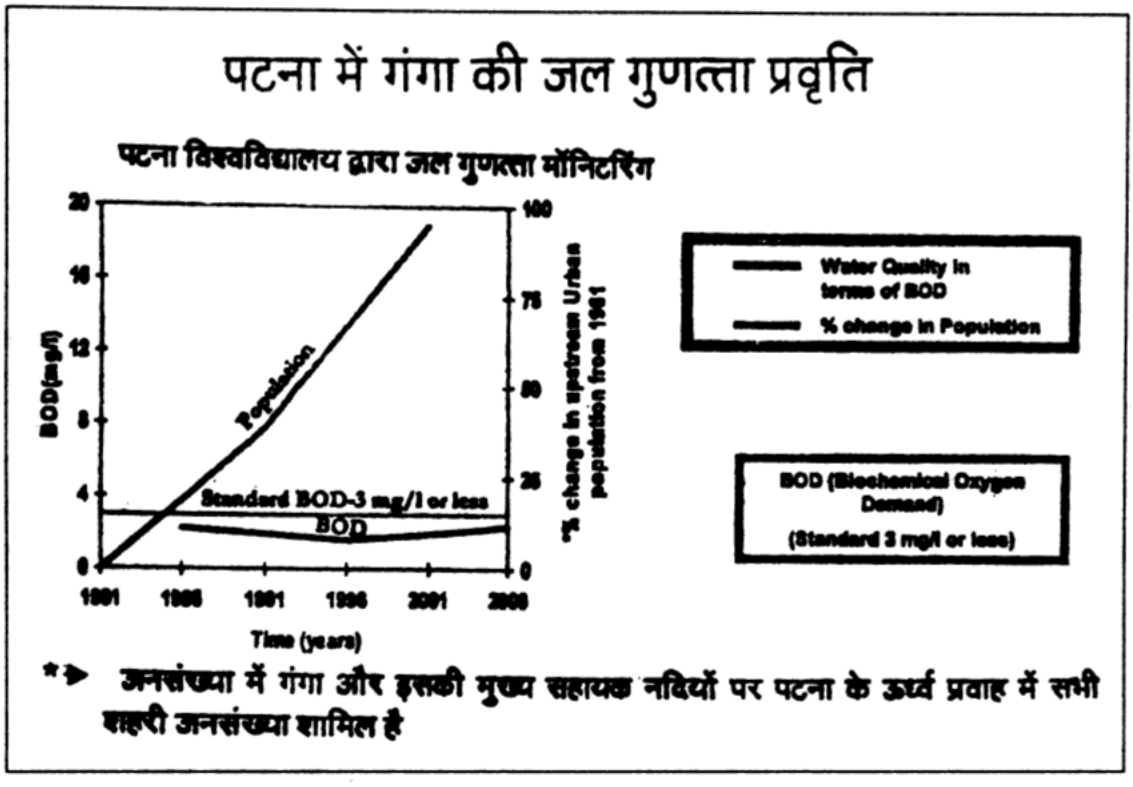

विवरण–II

राष्ट्रीय नदी/झील संरक्षण योजना के अंतर्गत जारी धनराशि

(लाख रुपए)

क्रम स.	कार्य योजना/राज्य	जारी धनराशि (10/2006 तक)
1	2	3
क.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	
1.	आंध्र प्रदेश	8772.20
2.	बिहार	307.94
3.	दिल्ली	18154.54
4.	गुजरात	8791.86
5.	गोवा	856.00
6.	हरियाणा	18098.40
7.	झारखंड	445.41
8.	कर्नाटक	4187.37
9.	केरल	78.00
10.	मध्य प्रदेश	6800.10
11.	महाराष्ट्र	9550.15
12.	उड़ीसा	2626.93
13.	पंजाब	12339.64
14.	राजस्थान	112.17
15.	तमिलनाडु	53931.12
16.	उत्तरांचल	1726.00

1	2	3
17.	उत्तर प्रदेश	40633.28
18.	सिक्किम	698.50
19.	पश्चिम बंगाल	16611.37
20.	नागालैंड	450.00
	कुल (नदी)	205170.98

ख. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना

1.	आंध्र प्रदेश	82.10
2.	जम्मू एवं कश्मीर	7154.15
3.	महाराष्ट्र	719.82
4.	तमिलनाडु	373.23
5.	कर्नाटक	2240.14
6.	उत्तरांचल	2661.17
7.	राजस्थान	1500.00
8.	मध्य प्रदेश	58.00
9.	पश्चिम बंगाल	400.00
10.	त्रिपुरा	50.00
11.	केरल	429.80
12.	उड़ीसा	21.31
	एनएलसीपी जनरल	13.66
	कुल (झील)	15703.38

सरसों के तेल के आयात में वृद्धि

1755. श्री तूफानी सरोज : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तिलहन उत्पादन वाले क्षेत्र में कमी आने के मद्देनजर सरसों तेल के आयात में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी मात्रा में इसका आयात किए जाने की संभावना है और इस प्रयोजन हेतु किन-किन देशों की पहचान की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन सरसों तेल सहित (खोपरे के तेल को छोड़कर) खाद्य तेलों के आयात की अनुमति दी है। आयात की मात्रा आयातकर्ताओं के वाणिज्यिक निर्णय पर निर्भर करती है। फिलहाल सरकारी खाते पर सरसों के तेल का आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

जैव संवर्धित फसलें

1756. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लीड :
श्री मनोरंजन भक्त :
श्री अवतार सिंह भड़ाना :
श्री असादुद्दीन ओवेसी :
श्री पी.एम. अब्दुल रशीद :
डा. राजेश मिश्रा :
श्री लाल्धन कुमार :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार नियंत्रित परीक्षणों के अंतर्गत शामिल जैव संवर्धित (जी एम) फसलों की संख्या कितनी है और इन परीक्षणों के कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ख) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को विनियामक संरचना की स्थापित किए जाने तक फसलों की जैव संवर्धित किस्मों के व्यावसायीकरण संबंधी अधिस्थगन का निदेश देते हुए नोटिस जारी किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) नियंत्रित फील्ड परीक्षणों के अंतर्गत आनुवंशिक रूप से परिवर्तित फसलों में इस समय कपास, बैंगन, बंदगोभी, आरण्डी, फूलगोभी, मक्का, मूंगफली, भिण्डी, आलू, चावल, आलू, चावल, टमाटर और सरसों शामिल हैं। सभी फसलों के लिए नियंत्रित परीक्षण दिसंबर 2006 तक पूरे हो जायेंगे।

(ख) और (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने आई ए संख्या 4/2006 में रिट याचिका संख्या 260/2005 के संबंध में 22.9.2006 के आदेश के तहत जी ई ए सी को निर्देश दिया है कि जब तक मामले की सुनवाई नहीं हो जाती और कोर्ट द्वारा और निर्देश जारी नहीं किए जाते तब तक फील्ड परीक्षणों के लिए नए अनुमोदनों को रोके रखा जाए।

(घ) मामला इस समय न्यायाधीन है।

[हिन्दी]

उद्वह सिंचाई केन्द्र

1757. **श्री रामदास आठवले :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में राज्य-वार कुल कितनी संख्या में उद्वह सिंचाई केन्द्र कार्यरत हैं और इनका स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पचास प्रतिशत से अधिक उद्वह सिंचाई केन्द्र बेकार हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में विशेषकर गुजरात में सिंचाई एवं पेयजल की स्थिति से निपटने के लिए जल उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) नवीनतम लघु सिंचाई गणना के अनुसार लिफ्ट सिंचाई स्कीमों की संख्या 19110186 है। अप्रयुक्त लिफ्ट सिंचाई स्कीमों की संख्या 2115675 है जो कि कुल लिफ्ट सिंचाई स्कीमों का 11% है। अप्रयुक्त लिफ्ट सिंचाई स्कीमों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सिंचाई राज्य का विषय है तथा सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन, वित्तपोषण, प्रचालन और अनुरक्षण का उत्तरदायित्व मुख्यत: राज्य सरकार की प्राथमिकताओं पर आधारित होता है। राज्यों द्वारा मुख्यता: संसाधनों की कमी का सामना किए जाने के कारण सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में होने वाले विलंब से चिंतित होकर केन्द्र सरकार ने ऐसी वृहद/मध्यम निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं, जो निर्माण की अंतिम अवस्था में हैं तथा राज्यों की संसाधन क्षमता से परे हैं, को केन्द्रीय सहायता (सीए) मुहैया कराने के लिए वर्ष 1996-97 में एआईबीपी शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, एआईबीपी के तहत वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मार्च, 2006 तक राज्यों को 19437.8837 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता/अनुदान मुहैया कराया है। केन्द्र सरकार द्वारा मार्च, 2006 तक गुजरात राज्य को केन्द्रीय सहायता/अनुदान के लिए 4492.522 करोड़ रुपये की राशि मुहैया कराई गई है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उपयोग में लिफ्ट सिंचाई स्कीमें
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1692414
2.	अरुणाचल प्रदेश	12
3.	असम	76263
4.	बिहार	717110
5.	छत्तीसगढ़	284018
6.	गोवा	6095
7.	गुजरात	860335
8.	हरियाणा	406192
9.	हिमाचल प्रदेश	5527

1	2	3
10.	जम्मू व कश्मीर	4303
11.	झारखण्ड	318235
12.	कर्नाटक	884916
13.	केरल	181670
14.	मध्य प्रदेश	1498114
15.	महाराष्ट्र	1694238
16.	मणिपुर	50
17.	मेघालय	76
18.	मिजोरम	215
19.	नागालैंड	140
20.	उड़ीसा	346741
21.	पंजाब	1077498
22.	राजस्थान	1007953
23.	सिक्किम	0
24.	तमिलनाडु	1504394
25.	त्रिपुरा	2600
26.	उत्तर प्रदेश	3633134
27.	उत्तरांचल	53683
28.	पश्चिम बंगाल	720774
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1261
30.	चंडीगढ़	187
31.	दादरा एवं नगर हवेली	643
32.	दमन एवं दीव	0
33.	दिल्ली	10983
34.	लक्षद्वीप	0
35.	पांडिचेरी	4737
	कुल	16994511

[अनुवाद]

कम कोलेस्ट्रोल युक्त देशी घी

1758. **श्री सुग्रीव सिंह :**
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनडीआरआई), करनाल ने कम कोलेस्ट्रोल युक्त देशी घी तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो घी की गुणवत्ता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में घी का व्यावसायिक उत्पादन कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रोफेसर के.वी. थामस) : (क) जी, हां।

(ख) देशी घी में औसत कोलेस्ट्रोल 0.3 प्रतिशत होता है। राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल में विकसित प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कोलेस्ट्रोल की मात्रा को 0.045 प्रतिशत तक घटाया जा सकता है।

(ग) इस प्रौद्योगिकी को बढ़ाया जा रहा है तथा व्यावसायिक उपयोग के लिए बेचा जायेगा।

गैर-खाद्यान्नों खाद्यान्न का निर्यात

1759. **श्री एन. शिवन्ना :** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण निर्धनों को दिए जाने वाले विशेषकर संपूर्ण ग्रामीण अभिवृद्धि योजना के अंतर्गत वितरित किए जाने वाले गैर-बासमती चावल का भारी मात्रा में रायचूर, गंगावती, बेल्लारी स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से गबन किया गया था और बिचौलियों के माध्यम से अवैध रूप से निर्यात किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी पुनरावृत्ति की रोकथाम करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इस हेतु दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम का रायचूर तथा बेल्लारी में डिपु हैं गंगावती में नहीं। गंगावती में स्थित डिपु कर्नाटक राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन राज्य भंडारण निगम का है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई जांच से पता चलता है कि कथित गैर-कानूनी निर्यातों के लिए कर्नाटक से चावल के विपणन में भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी/अधिकारी लिप्त नहीं हैं।

भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकारों अथवा उनके नामितियों को सरकार द्वारा किए गए आबंटनों के अनुसार खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) को रिलीज कर रहा है और अंतिम उपभोक्ताओं को इसके वितरण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की होती है।

महाराष्ट्र में नेशनल कोस्टल प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट

1760. **श्री मोहन रावले :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने नेशनल कोस्टल प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट को केन्द्रीय जल आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना को आवश्यक अनुमोदन प्रदान किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसका कब तक अनुमोदन किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) से (घ) राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना (एनसीपीपी) में शामिल किए जाने के लिए जुलाई, 2002 में महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड, मुम्बई से 195.50 करोड़ रुपए की लागत वाला एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव में मुम्बई, उपशहरी मुम्बई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरि और सिन्धुदुर्ग जिलों में 72.36 किमी के कटाव रोधी कार्यों का निर्माण शामिल है। इस प्रस्ताव को एनसीपीपी में शामिल करने के लिए स्वीकार्य माना गया है।

समुद्रवर्ती सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना को खाद्य संसाधनों अथवा अन्य घरेलू, संसाधनों के माध्यम से वित्तपोषण की संभावनाएं तलाश करने के दृष्टिकोण से समुद्रवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए तैयार किया जाना है। एनसीपीपी की समेकित रिपोर्ट को तैयार किया जाना समुद्रवर्ती सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अंतिम प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्भर करता है। समुद्रवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रस्ताव राज्य सरकारों के पास केन्द्रीय जल आयोग के परामर्श से अंतिम रूप दिए जाने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

संदूषित पेयजल

1761. **श्री मनोरंजन भक्त :**
श्री निखिल कुमार :
श्री शैलेन्द्र कुमार :
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :
श्री अधीर चौधरी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नल के पानी का कोई अध्ययन किया है जैसाकि दिनांक 11 नवम्बर, 2006 के 'हिंदुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या परिणाम निकले;

(ग) इसका मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीना) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी सी

थी) ने सूचित किया है कि उसने सभी संबंधितों को चारों पृथक ट्राइहेलोमिथेन्स (टी एच एम) और कुल ट्राइहेलोमिथेन्स (टी एच एम) के स्तरों को संबंध में जुलाई, 2006 के दौरान दिल्ली में नल के पानी की आपूर्ति से संबंधित स्थिति स्पष्ट कर दी थी। नल के पानी में पृथक टी एच एम्ज और कुल टी एच एम्ज के स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) पेयजल दिशा-निर्देशों और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी (यू एस ई पी ए) के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों, पर्यावरण कनाडा और यूरोपियन संघ के अनुरूप पाए गए।

(ग) और (घ) पेयजल दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित सीमा से अधिक ट्राइहेलोमिथेन यौगिक वाले पेयजल का लम्बे समय तक उपयोग, कैन्सरजनक जोखिम और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। तथापि, दिल्ली में पेयजल में ट्राइहेलोमिथेन्स के स्तर चिंता का विषय नहीं है क्योंकि ये पेयजल दिशा-निर्देशों के भीतर पाए गए।

[हिन्दी]

खाद्यान्न की उत्पादन दर

1762. डा. चिन्ता मोहन :
श्री रामचीरमल सुमन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाद्यान्नों की उत्पादन दर विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है;

(ख) यदि हां, तो देश में खाद्यान्नों की दर्ज औसत उत्पादन दर राज्य-वार कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन दर में भिन्नता के कारणों की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या प्रत्येक खाद्यान्न की उत्पादन लागत भी विभिन्न राज्यों में अलग-अलग हैं; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, हां। देश में खाद्यान्नों की औसत पैदावार के अनुसार उत्पादन दर एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग-अलग है। किलोग्राम प्रति हैक्टेयर के अनुसार खाद्यान्नों की राज्यवार औसत पैदावार (2000-01 से 2004-05 तक 5 वर्षों की औसत) संलग्न विवरण में दी गई है। यह 1657 किलोग्राम/हैक्टेयर की अखिल भारतीय औसत की अपेक्षा महाराष्ट्र में 834 किलोग्राम/हैक्टेयर से अलग पंजाब में 3974 किलोग्राम/हैक्टेयर है।

(ग) और (घ) भिन्न-भिन्न राज्यों में खाद्यान्नों की पैदावार में अंतर के लिए मुख्य कारण, बीज बदलाव दर, मशीनीकरण, उर्वरकों का उपयोग, वर्षासिंचित स्थितियों के अंतर्गत सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता, जलवायु स्थितियां तथा किसानों की प्रबंधकीय क्षमता के स्तर में अंतर होना हैं।

(ङ) और (च) प्रत्येक खाद्यान्न फसलों की उत्पादन की लागत एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग-अलग है। इन अंतरों के लिए उत्तरदायी कारण तथा भिन्न-भिन्न राज्यों में व्याप्त जलवायु स्थितियों में भिन्नताएं, हाईब्रीड/स्थानीय बीजों का उपयोग, उर्वरकों का उपयोग, प्रौद्योगिकी/पद्धतियां तथा उत्पादन की तकनीकियों को अपनाने में अंतर है।

विवरण

खाद्यान्नों की राज्यवार औसत पैदावार (2000-01 से 2004-05 पांच वर्षों की औसत)

राज्य	कुल आवंटन (करोड़ रु. में)
1	2
आंध्र प्रदेश	2013
अरुणाचल प्रदेश	1197
असम	1443
बिहार	1550
छत्तीसगढ़	919
गोवा	2443

1	2
गुजरात	1305
हरियाणा	3090
हिमाचल प्रदेश	1673
जम्मू व कश्मीर	1524
झारखण्ड	1218
कर्नाटक	1192
केरल	2110
मध्य प्रदेश	1090
महाराष्ट्र	834
मणिपुर	2328
मेघालय	1672
मिजोरम	1908
नागालैंड	1499
उड़ीसा	1146
पंजाब	3974
राजस्थान	1050
सिक्किम	1355
तमिलनाडु	1971
त्रिपुरा	2194
उत्तर प्रदेश	2086
उत्तरांचल	1665
पश्चिम बंगाल	2388
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2702
दादरा एवं नगर हवेली	1446
दिल्ली	2742
दमन एवं दीव	1571
पांडिचेरी	2305
अखिल भारत	1657

[अनुवाद]

पारिस्थितिकीय प्रणाली हेतु परियोजना प्रस्ताव

1763. **श्री पी.सी. थामस** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने पवित्र उपवनों की विशिष्ट पारिस्थितिकीय प्रणाली का संरक्षण करने हेतु शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नम्बेनारायन मीना) : (क) और (ख) केरल में पवित्र उपवनों के बचाव और संरक्षण के लिए केरल सरकार द्वारा दिनांक 21.11.2006 के पत्र के तहत 127.50 लाख रुपये के परिव्यय के साथ एक परियोजना प्रस्तुत की है। विभिन्न राज्य सरकारों से जैवविविधता के संरक्षण के लिए प्राप्त प्रस्तावों की निर्धारित प्रक्रिया और मार्गनिर्देशों के अनुसार बजटीय आबंटन को ध्यान में रखकर जांच की जाती है।

[अनुवाद]

मछलियों एवं समुद्री खाद्य का नुकसान

1764. **श्रीमती मनोरमा माधवराज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व के शीर्षस्थ वैज्ञानिकों की रिपोर्ट

का अध्ययन किया है जिसमें यह भविष्यवाणी की गई है कि अत्यधिक मत्स्यन एवं महासागरों में अत्यधिक प्रदूषण के कारण वर्ष 2048 तक मछलियां एवं अन्य समुद्री खाद्य समाप्त हो जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) डा. बोरिस वार्म, जीव-विज्ञान विभाग, डलहौजी विश्वविद्यालय, हैलीफैक्स, कनाडा और अन्य (13) ने 3 नवम्बर, 2006 को 'विज्ञान' पत्रिका के खण्ड-314 में "इम्पैक्ट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस ऑन ओशन इकोसिस्टम सर्विसेज" नामक एक अनुसंधान लेख प्रकाशित किया है।

वैज्ञानिकों ने लघु परीक्षणों से लेकर वैश्विक मात्स्यिकी तक विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध डाटा का संयोजन करके मूलभूत पारिस्थितिक प्रणाली की सेवाओं पर समुद्री जैव-विविधता में परिवर्तनों के प्रभावों का विश्लेषण किया है। इनमें 32 नियंत्रित परीक्षणों में प्राथमिक और माध्यमिक उत्पादकता, संसाधन उपयोग, पोषक तत्व चक्रण तथा पारिस्थितिक प्रणाली की स्थिरता पर समुद्री विविधता में भिन्नताओं के प्रभाव सम्मिलित हैं। 12 तटवर्ती और नदीमुख पारिस्थितिक प्रणालियों से दीर्घावधि प्रवृत्ति के विश्लेषण किए गए।

लेख के लेखकों ने देखा कि उच्चतर क्षेत्रीय प्रजातियों की प्रचुरता के साथ प्रणालियां अधिक उपयुक्त रहीं तथा पिछली सहस्राब्दि के रिकार्डों से औद्योगिकीकरण के प्रारंभ होने से देशी प्रजातियों की विविधता की गिरावट का पता चला। विस्तृत समुद्री पारिस्थितिक प्रणालियों (एल एम ई एस) के डाटा का विश्लेषण करते समय लेखकों ने देखा कि वर्ष 2003 में 29 प्रतिशत वर्तमान मछली प्रजातियां समाप्त हो गई थी। ये वो प्रजातियां थीं जिनका ग्रहण अधिकतम रिकार्ड से 10 प्रतिशत नीचे गिर गया था।

दूसरी ओर वैज्ञानिकों ने बताया कि मछली विविधता में व्यापक रूप से एल एम ई एस के आरपार 20 से 4000 प्रजातियों तक व्यापक परिवर्तन हुआ। प्रजातियों की प्रचुरता बढ़ने के साथ समाप्त होने वाली मछलियों के अनुपात में कमी आई तथा इससे अन्य मछलियों की संख्या बढ़ी। रिकवरी प्रक्रिया पर लेख में चर्चा हुई है कि किस प्रकार मत्स्य जैव-विविधता में वृद्धि हुई। संबंधित मत्स्य प्रजातियों की पूरक क्रियात्मक भूमिकाएं भी लेख में सम्मिलित की गई हैं। रिकवरी को बढ़ाने का उद्देश्य अन्य मत्स्य प्रजातियों को लक्ष्य करके, ऐसी मत्स्य प्रजातियां जिनका अधिक मात्रा में दोहन किया जा चुका है, के लिए रिकवरी के अवसर ढूंढना है। विविधता की हानि प्रक्रिया को उलटने में समुद्री रिजर्व और मात्स्यिकी संवरणों की भूमिका को प्रजातियों की बहुलता बढ़ाने में सकारात्मक परिणामों के साथ विश्लेषित किया गया है। जैव-विविधता में इन वृद्धियों के परिणामस्वरूप मत्स्य उत्पादकता में औसत मछली पकड़ से चार गुना तक वृद्धि दर्ज की गई है।

लेख के सारांश में यह स्पष्ट है कि यह अध्ययन जैव-विविधता के क्षरण के सामाजिक योगदान को प्रकाशित करना था इसी वजह से वर्ष 2048 तक समस्त टैक्सा के संभावित वैश्विक गिरावट के बारे में वहिर्वेशन पर आधारित तथ्यों को कहा गया है। तथापि, उन्होंने अध्ययन की सीमाओं के बारे में और उच्च विविधता प्रणालियों के सकारात्मक योगदानों के बारे में भी उल्लेख किया है। उपयुक्त मात्स्यिकी संख्या नियंत्रण, आवश्यक प्राकृतिक निवासों के रखरखाव और समुद्री मत्स्य गृहों के सृजन के जरिए जैव-विविधता को पुनर्स्थापित करने का तथा समुद्री जैव-विविधता और उत्पादकता में कमी की समस्या को कम करने का संकेत दिया गया है।

(ग) जहां तक भारतीय समुद्री मछलियों का संबंध है वर्ष 1990-91 के दौरान 22.99 लाख टन प्रति वर्ष ग्रहण के मुकाबले वर्ष 2003-04 के दौरान यह बढ़कर 29.42 लाख टन हो गई है, यद्यपि उत्पादन 1996-97 के बाद से ही लगातार लगभग 29 लाख टन तक पर है। समुद्री मछली के करीब 57 विभिन्न समूह देश में उपलब्ध हैं। इनमें सर्वाधिक आयल सरडाइन, मैकरेल, बाम्बे डक, क्रोकर्स, एन्कोवीज, सीर मछली और झींगों की विभिन्न प्रजातियां और सेफालोपोड्स उपलब्ध हैं।

केन्द्र और राज्य दोनों सरकारें समुद्री मछली पकड़ने की नीति को कार्यान्वित कर रही हैं और मैरीन फिशिंग रेगूलेशन एक्ट्स बंद मौसमों में (मानसून सत्र के दौरान मछली नहीं पकड़ी जाती), मेश साइज रेगूलेशंस, मछली ग्रहण वाले पोतों की विभिन्न श्रेणियों के लिए कोटा, तरूण मछली ग्रहण पर प्रतिबंध और तटीय मछली ग्रहण के अन्य उपाय, उत्तरदायी मछली पालन के लिए कोड ऑफ कन्डक्ट को तालमेल बिठायी जाती है, जो ग्रहण को टिकाऊ बनाने में समर्थ है। मात्स्यिकी क्षमता को बढ़ाने के क्रम में मछली एकत्र करने वाले यंत्र (एफ ए डी एस) और कृत्रिम जलशैल काम में लाए जाते हैं और सामुद्रिक

मत्स्य पालन, समुद्री रैंचिंग और समुद्री पिंजरों में पालन अपनाए जा रहे हैं। अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीप समूहों में ट्राउलर्स तथा अन्त:स्थलीय मात्स्यिकी के स्थान पर आगे विविध मछली प्रग्रहण तथा गहरे समुद्र में मछली प्रग्रहण को लम्बे लाइनर्स में प्रोत्साहित करके जोर दिया जा रहा है।

इनके ऐसा करने पर समुद्री मछली उत्पादन की वार्षिक संभावना 39 लाख की प्रक्षेपित क्षमता के स्थान पर करीब 30 लाख टन हो जाने की आशा है। भविष्य में मछली पैदा करने तथा स्थिर आकलित क्षमता के लिए गहरे समुद्र में मछली प्रग्रहण पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए प्रयत्न भी किए जा रहे हैं।

सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा

1765. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :**
श्री के. सुब्बारायन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार सकल घरेलु उत्पाद में कृषि का हिस्सा कितना है;

(ख) क्या इसमें गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस रुझान को रोकने और इसमें सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है/उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के नवीनतम अग्रिम अनुमानों के अनुसार, कृषि का भाग, जिसमें वानकी, लट्ठा उद्योग तथा मत्स्यन के संबंद्ध क्षेत्र शामिल हैं, वर्ष 2005-06 के लिए कुल सकल घरेलु उत्पाद में वास्तविक अवधि (1999-2000 मूल्यों पर) में 19.9 प्रतिशत था। यह 2006-07 की प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून) में 19.2% रहा।

(ख) और (ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान इसके भाग में वर्ष 2005-06 में गिरावट आकर 25.3% से 19.9% तथा 2006-07 की प्रथम तिमाही के लिए 19.2% की गिरावट हुई। इसका ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:

सारणी: भारत की कुल सकल घरेलु उत्पाद में कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों के भाग की प्रवृत्ति

वर्ष	कृषि की वास्तविक अवधि (1999-2000) मूल्यों पर कुल सकल घरेलू उत्पाद में वानकी, लट्ठा उद्योग तथा मत्स्यन के सम्बद्ध क्षेत्र में प्रतिशतता भाग भी शामिल हैं
1999-2000	25.3
2000-01	24.3
2001-02	24.4
2002-03	21.9
2003-04	22.2
2004-05	20.6
2005-06	19.9
2006-07 (अप्रैल-जून)	19.2

कुल सकल घरेलु उत्पाद में कृषि जिसमें वानकी, लट्ठा उद्योग तथा मत्स्यन के सम्बद्ध क्षेत्र के भाग में गिरावट के कारण यह तथ्य प्रस्तुत करते हैं कि निर्माण तथा सेवाओं का क्षेत्र अपेक्षाकृत कृषि क्षेत्र में अधिक हिस्सा बनाते हैं। यह भारत सहित किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था के लिए प्रत्याशित है।

(घ) सरकार द्वारा कुल सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र के भाग में गिरती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिए तथा कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में लोकनिवेश में सुधार लाने के लिए कुछ कदम/नीति उठाए हैं।

- क्षेत्रों में जैसे सिंचाई, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में जलाशय, विकास, ग्रामीण सड़क सम्पर्क, ग्रामीण विद्युतीकरण में लोक निवेश की दर में वृद्धि।
- प्रत्येक जिले में कृषि विकास केन्द्रों के माध्यम से कृषि विस्तार प्रणाली का पुन: आरम्भ।
- बागवानी तथा पुष्पोत्पादन के माध्यम से कृषि विविधिकरण।
- आधुनिक कृषि विपणनों का विकास/सुदृढ़ीकरण।
- ऋण बढ़ाने, विशेषकर ग्रामीण तथा किसान परिवारों को रियायती ब्याज दरों पर उत्पादन ऋण के बारे में बैंकों का पुनर्भिमुखीकरण।

– कृषि-मौसमी दशाओं के अनुसार उत्पादकता में सुधार लाने के लिए वैज्ञानिक अग्रिमों का शोधन सुनिश्चित करने के लिए कृषि अनुसंधान का पुनः आरंभ।

– कोरपोरेट निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ठेका खेती।

पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु विशेष पैकेज

1766. **श्री अनवर हुसैन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्यारहवीं योजना में आकाशवाणी और दूरदर्शन हेतु पूर्वोत्तर पैकेज को सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पूर्वोत्तर पैकेज के प्रथम चरण के दौरान संस्वीकृत, जारी एवं प्रयुक्त की गई धनराशि कितनी है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

(ग) पहले चरण के दौरान संस्वीकृत और प्रयुक्त की गयी राशि निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपये में)

	संस्वीकृत	प्रयुक्त
आकाशवाणी	24.80	17.56
दूरदर्शन	380.55	98.33

महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजनाएं

1767. **श्री चंद्रकांत खैरे** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में विदेशी सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान परियोजना-वार कितनी मात्रा में विदेशी सहायता प्राप्त हुई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य में उक्त सिंचाई परियोजनाओं पर उपरोक्त धनराशि में से कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(घ) सरकार के पास कितने सिंचाई प्रस्ताव लंबित पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त प्रस्तावों को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयप्रकाश नारायण यादव) : (क) से (ग) वर्तमान में महाराष्ट्र में बाह्य सहायता से सिंचाई के लिए दो परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। निर्माणाधीन बाह्य सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजनाओं के नाम तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तपोषण अभिकरण द्वारा वितरित धन राशि की मात्रा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। महाराष्ट्र सरकार जल विज्ञान परियोजना में भी सहभागी है जो विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वयनाधीन है।

(घ) और (ङ) जल संसाधन मंत्रालय में सिंचाई परियोजना के लिए बाह्य सहायता के लिए महाराष्ट्र का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

विवरण

क्र. सं.	सिंचाई परियोजना का नाम	वित्तपोषण अभिकरण का नाम	समझौता/निरस्तीकरण की तारीख	निम्नलिखित वर्षों के दौरान प्राप्त संवितरण (रुपये करोड़ में)		
				2003-04	2004-05	2005-06
1.	महाराष्ट्र लघु सिंचाई परियोजना	केएफडब्ल्यू जर्मनी	31.12.1998 31.12.2008	7.051	4.145	8.922
2.	महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधार परियोजना	विश्व बैंक	19.8.2005/ 31.3.2012	–	–	143.206

खाद्य पदार्थों की अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक्री

1768. **श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ रेस्तराओं एवं होटलों द्वारा बोतलबंद मिनरल वाटर और अन्य खाद्य पदार्थों को न्यूनतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचे जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रतिष्ठानों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) उक्त सभी प्रतिष्ठानों द्वारा न्यूनतम खुदरा मूल्य के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां। तथापि यह सूचित किया जाता है "एम आर पी" संक्षिप्ति "मेक्सिमम रिटेल प्राइस (अधिकतम खुदरा मूल्य)" के लिए है और "मिनिमम रिटेल प्राइस (न्यूनतम खुदरा मूल्य)" के लिए नहीं।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य प्रवर्तन प्राधिकारियों को विशिष्ट शिकायत के 20 मामले प्राप्त हुए। इनमें से 4 मामलों को समझौते से निपटा दिया गया है, 14 मामलों पर कार्रवाई चल रही है और 2 मामले न्यायालय के समक्ष हैं।

(ग) कार्रवाई बाट तथा माप मानक अधिनियम, 1976 और बाट तथा माप मानक (पैकेट में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के उपबंधों के अनुसार की जाती है।

मूंगफली फसल को नुकसान

1769. **श्री बाडिगा रामकृष्णा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार से राज्य में मूंगफली की फसल के नुकसान से संबंधित कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) खरीफ 2006 के दौरान बाढ़ों से आंध्र प्रदेश के विजियनगरम, कुरनूल, श्रीकाकुलम, विशाखापटनम, कृष्णा, पश्चिम गोदावरी, प्रकासम तथा गुंटूर जिलों में मूंगफली की फसल का 2544 हैक्टेयर क्षेत्र क्षतिग्रस्त हुआ था। वर्ष 2006-07 के दौरान आपदा राहत कोष के अंतर्गत प्रभावित मूंगफली किसानों को आदान राजसहायता के रूप में 55.03 लाख रुपये की सहायता दी गई है।

स्वतंत्रता सेनानियों के ऐतिहासिक भाषण

1770. **श्रीमती निवेदिता माने :**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के ऐतिहासिक भाषण मोबाइल फोन आपरेटरों को बेच दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) फिल्म प्रभाग के दूरसंचार संबंधी अधिकारों के लिए मैसर्स राजश्री मीडिया (प्रा) लि. से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। फिल्म प्रभाग ने दूरसंचार संबंधी अधिकारों आदि की बिक्री के लिए उस कंपनी के साथ एक करार किया था। मैसर्स राजश्री मीडिया (प्रा.) लि. ने 2,47,334/-रु. का एक बैंकर चैक भेजा था। तथापि, चूंकि फिल्म प्रभाग को ऐसा करार करने का अधिकार प्रापत नहीं था और दूरसंचार संबंधी अधिकारों की बिक्री उनको प्रत्यायोजित नहीं की गई थी, इसलिए फिल्म प्रभाग ने मैसर्स राजश्री मीडिया (प्रा.) लि. से प्राप्त चैक नहीं भुनाया था।

लेबलों की प्रामाणिकता

1771. **श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य :** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विनिर्माताओं के अपने उत्पादों पर लगाए गए लेबलों पर उनके द्वारा किए गए दावों की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए कोई तंत्र/अभिकरण है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा ऐसे दावों की प्रामाणिकता की निगरानी किस प्रकार से की जाती है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) जी, हां। आई एस आई चिह्नित उत्पाद के लेबलों पर विनिर्माताओं द्वारा किए गए दावों को अधिप्रमाणित करने के लिए एजेंसी भारतीय मानक ब्यूरो है। अधिप्रमाणन संगत भारती मानक के चिह्नांकन संबंधी खण्ड की अपेक्षाओं तक सीमित है। फल उत्पादों को फल उत्पाद आदेश 1955 के तहत लाइसेंस दिए जाते हैं। फल उत्पाद आदेश चिन्हित उत्पाद के लेबलों पर विनिर्माता द्वारा किए गए दावों को फल उत्पाद आदेश के तहत अधिप्रमाणित किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि व्यापार केन्द्र स्थापित किया जाना

1772. **श्री रघुराज सिंह शाक्य :**
श्री अनंत गुढ़े :
श्री श्रीचन्द कृपलानी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में कृषि-क्लीनिकों और कृषि-व्यापार केन्द्र (केवीके) स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कृषि-क्लीनिकों और कृषि-व्यापार केन्द्रों हेतु राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गई और वस्तुत: कितनी राशि का उपयोग किया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) कृषि एवं सहकारिता विभाग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु वर्ष 2002 में कृषि-क्लीनिकों और कृषि-व्यवसाय केन्द्रों की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम शुरू की है जिनके अंतर्गत कृषि और अनुषंगी क्षेत्रों में स्नातकों को प्रशिक्षण मुहैया कराया जाता है ताकि वे स्व:रोजगार उद्यम के रूप में कृषि-क्लीनिक और कृषि-व्यवसाय केन्द्र स्थापित कर सकें। उत्तर प्रदेश सहित देश में ऐसे केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

(ख) 28.11.2006 की स्थिति के अनुसार, देश में प्रशिक्षित कृषि-उद्यमियों द्वारा 3594 एसीएबीसी स्थापित किए जा चुके हैं। राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान नोडल प्रशिक्षण संस्थानों को निर्मुक्त और उनके द्वारा उपयोग की गई राज्य-वार राशि विवरण-II में दर्शाई गई है।

विवरण-I

कृषि-क्लीनिक और कृषि-व्यापार केन्द्र स्कीम स्थापित कृषि-क्लीनिकों की राज्य-वार संख्या
(28.11.2006 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्थापित कृषि-क्लीनिकों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	204
2.	असम	15
3.	बिहार	335
4.	छत्तीसगढ़	42
5.	गोवा	1
6.	गुजरात	141
7.	हरियाणा	12
8.	हिमाचल प्रदेश	7
9.	जम्मू और कश्मीर	9
10.	झारखण्ड	8
11.	कर्नाटक	564
12.	केरल	15
13.	मध्य प्रदेश	121

1	2	3
14.	महाराष्ट्र	672
15.	मणिपुर	20
16.	उड़ीसा	74
17.	पांडिचेरी	1
18.	पंजाब	12
19.	राजस्थान	475
20.	तमिलनाडु	167
21.	उत्तर प्रदेश	613
22.	उत्तरांचल	35
23.	पश्चिम बंगाल	51
	कुल	3594

विवरण-II

कृषि-क्लीनिक और कृषि-व्यापार केन्द्र स्कीम

वर्ष 2003-04 से 2006-07 तक राज्य-वार निर्मुक्तियां तथा व्यय

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2003-04		वर्ष 2004-05		वर्ष 2005-06		वर्ष 2006-07	
		निर्मुक्त राशि	व्यय	निर्मुक्त राशि	व्यय	निर्मुक्त राशि	व्यय	निर्मुक्त राशि	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	11.25	13.55	29.71	25.3	14.95	21.07	9.52	8.09
2.	असम	3.5	0	3	3.3	0	0	0	0
3.	बिहार	14.45	21.18	108.84	66.04	63.45	66.67	50.62	30.8
4.	छत्तीसगढ़	0	0	20.95	4.42	0.65	9.29	3.43	0
5.	गोवा	3.5	0	0	0	0	0	0	0
6.	गुजरात	9.95	14.42	35.12	17.51	2.55	6.65	0	0
7.	हरियाणा	3.5	0	9.23	0	0	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	3.5	0	0	0	0	0	12.87	5.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	जम्मू और कश्मीर	3.5	0	19.38	0	9.7	0	0	9.38
10.	झारखण्ड	4.5	7.44	12.46	0	0.1	3.54	0	1.95
11.	कर्नाटक	15	22.28	76.43	49.24	72.55	76.89	29.14	25.76
12.	केरल	4.5	0	18.73	4.82	0	0	0	4.45
13.	मध्य प्रदेश	14.9	0	42.38	13.19	9.11	8.46	0	10.09
14.	महाराष्ट्र	19.2	26.73	128.17	59.51	79.98	106.59	55.83	41.51
15.	मणिपुर	3.5	4.8	9.65	0	2.66	0	4.87	13.23
16.	उड़ीसा	6.4	14.4	33.69	11.9	0	11.51	0	0
17.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	पंजाब	0	1.85	11.68	0.88	0	0	0	0
19.	राजस्थान	24.65	37	96.32	34.55	56.93	99.22	16.65	15.49
20.	तमिलनाडु	10.5	3.75	23.25	12.17	25.17	25.02	17.8	17.85
21.	उत्तर प्रदेश	19.45	15.04	114.96	30.41	112.84	126.89	74.73	83.6
22.	उत्तरांचल	3.5	0	14.27	0	0	4.5	4.25	10.17
23.	पश्चिम बंगाल	10.2	9.57	24.93	10	5.87	13.08	0	1.39
24.	मैनेज के समन्वय प्रभार	0	37.93	0	10.11	0	12.83	0	4.31
25.	सेवा प्रभार	0	0	0	0	0	0	0	15.8
	कुल	189.45	225.94	833.15	353.35	456.51	592.21	279.71	299.31

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में मोटे अनाजों की प्रति व्यक्ति आपूर्ति

1773. **श्री एल. राजगोपाल** : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में निर्धन व्यक्तियों को कितनी मात्रा में चावल मुहैया कराया गया;

(ख) क्या उक्त योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़ाने हेतु चावल और गेहूं के स्थान पर मोटे अनाज विशेषकर ज्वार और रागी की प्रति व्यक्ति आपूर्ति बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान अंत्योदय अन्न योजना, गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के लिए प्रदान की गई चावल की मात्रा निम्नानुसार है:–

(हजार टन में)

वर्ष	अ.अ.यो.	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	जोड़
2003-04	337.97	1368.43	2113.08	3819.48
2004-05	476.28	1230.12	2113.08	3819.48
2005-06	620.22	1086.09	2113.08	3819.39
2006-07 (अक्तूबर, 06 तक	381.64	613.69	1232.63	2227.96

(ख) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) (ख) में उल्लिखित उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

नए समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का पंजीकरण

1774. **श्री धीरेंद्र अग्रवाल :**
श्री वी.के. दुग्गर :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए समाचार पत्रों और नयी पत्रिकाओं के मालिक भारतीय समाचार पत्र पंजीयक के पास इनका पंजीकरण करवाने में काफी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इसके क्या परिणाम निकले हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शीर्षक सत्यापन की प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो गयी है। प्रकाशन के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और इसका कम्प्यूटरीकरण जारी है। पंजीकरण हेतु अपेक्षित दस्तावेजों का ब्यौरा भी ऑनलाइन उपलब्ध है।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र को ऋण

1775. **श्री वी.एम. सिद्दीश्वर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में लगातार वृद्धि की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कृषि क्षेत्र को दिए गए ऋण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ग) क्या ऋण की उपलब्धता में की गयी वृद्धि के बावजूद कृषि उत्पादन में वर्ष-दर-वर्ष बढ़ोतरी नहीं हो पायी है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष वर्ष-वार कितनी मात्रा में कृषि उत्पादन दर्ज किया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, हां। ब्यौरा निम्नवत है:–

वर्ष	कृषि ऋण (करोड़ रु. में)	% वृद्धि
2003-04	86981	25.04
2004-05	125309	44.06
2005-06	167775	33.89

(ग) और (घ) ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान वार्षिक कृषि उत्पादन का ब्यौरा इस प्रकार है

वर्ष	खाद्यान्न उत्पादन (मिलियन मी. टन में)	तिलहन उत्पादन (मिलियन मी. टन में)	गन्ना उत्पादन (मिलियन मी. टन में)	कपास उत्पादन (मिलियन गांठें)$
2003-04	213.19	25.19	233.86	13.73
2004-05	198.36	24.35	237.09	16.43
2005-06*	208.30	27.73	278.39	19.57

स्रोत: अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली।

* चतुर्थ अग्रिम अनुमान।

$ 170 कि.ग्रा. की एक गांठ।

[हिन्दी]

पाकिस्तान द्वारा प्याज की मांग

1776. **प्रो. महादेवराव शिवणकर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने चालू वर्ष के लिए केन्द्र सरकार से प्याज की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने टन प्याज की मांग की गयी है;

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) क्या देश के व्यापारियों ने पड़ोसी देश से प्याज की बढ़ती मांग की वजह से इसकी कीमतें बढ़ा दी हैं तथा इसकी जमाखोरी शुरू कर दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) वर्तमान वर्ष के दौरान इस मंत्रालय को पाकिस्तान सरकार से प्याज की कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) कृषि जिन्सों के मूल्य मांग और आपूर्ति तथा विभिन्न अन्य वृहत-आर्थिक घटकों पर निर्भर होते हैं। अब तक प्याज की जमाखोरी की कोई सूचना नहीं मिली है। प्याज की नई खरीफ फसल की आवक पहले ही शुरू हो गई है और घरेलू मण्डी में उपलब्धता पर मूल्य सामान्य हैं।

[अनुवाद]

सिंहों की क्रास ब्रीडिंग

1777. **श्री के.वी. सिंह 'बाबा'** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा एशियाई और अफ्रीकी सिंहों की 'क्रास ब्रीडिंग' को हतोत्साहित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान संकर सिंहों की संख्या का प्राणी उद्यान-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोनयन मीना) : (क) जी, हां। सरकार द्वारा एशियाई और अफ्रीकी सिंहों के संकर प्रजनन को हतोत्साहित किया जा रहा है।

(ख) चिड़ियाघरों को मान्यता नियम, 1992 [नियम 10 (41)] संकरण (संकर प्रजनन) पशुओं की विभिन्न प्रजातियों अथवा पशुओं की उसी प्रजातियों की विभिन्न नस्लों के बीच निषेध करते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि शिखर सम्मेलन

1778. **श्री प्रबोध पाण्डा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में कृषि शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें क्या निर्णय लिए गए है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) कृषि शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 18-19 अक्तूबर, 2006 को विज्ञान भवन में कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार और एफआईसीसीआई द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का विषय "किसानों को सशक्त बनाने के लिए सुधार" था। डा. मनमोहन सिंह, भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया।

(ग) इस बात पर जोर दिया गया कि कृषि क्षेत्र में अधिक वृद्धि प्राप्त करने, उच्चतर निवेशों, प्रौद्योगिकी प्रसार को बढ़ावा देने, उपभोक्ताओं को किसानों से जोड़ने, फसल जोखिम कम करने, खासकर सार्वजनिक-निजी साझेदारी पद्धति में कृषि-निर्यात को बढ़ावा देने आदि के लिए पर्याप्त समर्थन ढांचे की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

राजस्थान से परियोजना प्रस्ताव

1779. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने जोधपुर जिले में खोजनाली शाहिदि हेतु कोई परियोजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना पर कितनी लागत आएगी; और

(ग) इस परियोजना को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) और (ख) राजस्थान सरकार से जोधपुर जिले में खोजनाली शाहिदि के लिए कोई भी परियोजना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, खेजराली, जोधपुर स्थित राष्ट्रीय पर्यावरण शहीद स्मारक के निर्माण के लिए 499.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के लिए एक परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय के पास ऐसी कोई प्रचालनात्मक स्कीम नहीं है जिसके तहत खेजराली, जोधपुर स्थित राष्ट्रीय पर्यावरण शहीद स्मारक के निर्माण के लिए प्रस्तावित परियोजना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके और तदनुसार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक को मंत्रालय द्वारा सूचित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

डेयरी विकास

1780. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित डेयरी विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों, विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इन पर क्या उपाय किए गए हैं और इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस पर क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं। पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग इस प्रकार की समेकित डेयरी विकास योजना क्रियान्वित नहीं कर रहा है।

(ख) उक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

किसानों की ऋणग्रस्तता

1781. **श्री विजय कृष्ण :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतों के अत्यधिक मशीनकरण की वजह से वहां श्रमिकों की आवश्यकता कम हुई है जिसके परिणामस्वरूप निर्धनता जैसे गंभीर परिणाम सामने आ रहे है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) ऋणग्रस्त किसान परिवारों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा किसानों को बैंक की ऋण योजनाओं को लाभ उठाने की सूचना देकर उन्हें ऋण से बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) यंत्रीकरण नई प्रौद्योगिकी को अपनाने तथा फार्म कार्यों को समय पर और नियत रूप से निपटाने के लिए तथा कृषि उत्पादन और मूल्य वर्धन प्रक्रियाओं को लाभदायक बनाने के लिए आवश्यक है। यंत्रीकरण का वर्तमान स्तर देश में वर्ष 2005-06 में 1.50 किलोवाट प्रति हैक्टेयर अनुमानित है जबकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट के अनुसार इष्टतम आवश्यकता 2 किलोवाट प्रति हैक्टेयर है। वर्ष 1996-97 के दौरान नाबार्ड द्वारा किया गया अध्ययन 189 मानव दिवस प्रति ट्रैक्टर और 170 मानव दिवस प्रति पावर टिलर का अतिरिक्त वार्षिक रोजगार सृजन दर्शाता है।

भारत जनगणना-2001 वर्ष 1991 में 210.5 मिलियन से वर्ष 2001 में 234.0 मिलियन तक कृषि कामगारों की संख्या में वृद्धि का संकेत देती है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) सरकार द्वारा 18 जून, 2004 को एक व्यापक ऋण नीति की घोषणा की गई है। यह नीति वर्ष 2004-05 से क्रियान्वित की गई है।

इस नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

- 30 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह में वृद्धि।
- विपदाग्रस्त और बकायेदार किसानों के संबंध में ऋण पुनर्संरचना करना जिससे सभी किसान नए ऋणों के पात्र बनेंगे।
- छोटे और सीमांत किसानों के पुराने और बहुत पुराने ऋण खातों के निपटान हेतु विशेष एकबारगी निपटान स्कीम।
- बैंकों को किसानों की निजी साहूकारों से लिए गए ऋणों से मुक्त करने के लिए वित्तपोषण की अनुमति।
- वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 100 किसान/शाखा की दर से वित्तपोषण करना; वर्ष में बैंकों द्वारा 50 लाख नए किसानों को वित्तपोषित किया जाना।
- कृषि एवं संबंधी क्रियाकलापों में 2 से 3 परियोजना/शाखा की दर से नए निवेश।
- किसान क्रेडिट कार्डों में सुधार और ऋण के पैमाने का निर्धारण।

वर्ष 2006-07 के दौरान कृषि ऋण प्रवाह का लक्ष्य 1,75,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है तथा सितंबर, 2006 तक उपलब्धि 94,345.54 करोड़ रुपए है, जो लक्ष्य का 53.91 प्रतिशत है।

वर्ष 2006-07 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लगभग 23.31 लाख नए किसानों तथा निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 2.05 लाख नए किसानों को वित्तपोषित किया गया है। इसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वर्ष के दौरान 8.71 लाख नए किसानों को वित्तपोषित किया है। इसके अतिरिक्त सहकारी बैंकों ने वर्ष के दौरान 6.97 लाख नए किसानों को वित्तपोषित किया है। इस प्रकार बैंकिंग प्रणाली द्वारा वर्ष के दौरान 41.04 लाख नए किसानों को वित्तपोषित किया गया है।

वर्ष 2006-07 के दौरान सितम्बर, 2006 तक विपदाग्रस्त किसानों, बकायेदार किसानों को तथा एकबारगी निपटान स्कीम के तहत 4520.77 करोड़ रुपए की धनराशि ऋण राहत के रूप में दी गई है।

सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों ने किसानों को साहूकारों से लिए गए ऋणों से मुक्त होने में सक्षम बनाने हेतु 4120 किसानों को 26.57 करोड़ रुपए अग्रिम के रूप में दिए हैं। सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए तदनुरूपी आंकड़े क्रमश: 7.85 करोड़ रुपए (5514 खाते) तथा 3.85 करोड़ रुपए (1633 खाते) हैं।

विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	ऋणग्रस्त कृषक परिवारों की अनुमानित संख्या (सैकड़ा में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	49493

1	2	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	72
3.	असम	4536
4.	बिहार	23383
5.	छत्तीसगढ़	11092
6.	गुजरात	19644
7.	हरियाणा	10330
8.	हिमाचल प्रदेश	3030
9.	जम्मू और कश्मीर	3003
10.	झारखण्ड	5893
11.	कर्नाटक	24897
12.	केरल	14126
13.	मध्य प्रदेश	32110
14.	महाराष्ट्र	36098
15.	मणिपुर	533
16.	मेघालय	103
17.	मिजोरम	184
18.	नागालैण्ड	294
19.	उड़ीसा	20250
20.	पंजाब	12069
21.	राजस्थान	27828
22.	सिक्किम	174
23.	तमिलनाडु	28954
24.	त्रिपुरा	1148
25.	उत्तर प्रदेश	69199
26.	उत्तरांचल	644
27.	पश्चिम बंगाल	34696
28.	संघ शासित प्रदेश	372
	अखिल भारत	434242

स्रोत : कृषि संबंधी आंकड़े 2005 एक नजर में।

[हिन्दी]

कृषि श्रमिकों हेतु मजदूरी की नई दरें

1782. **श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :**
प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि करने हेतु विचार किया है/स्वीकृति दी है जैसाकि 23 नवम्बर, 2006 को 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह वृद्धि मात्र कतिपय राज्यों हेतु स्वीकृत की गयी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं

(घ) क्या हाल के वर्षों में सरकार द्वारा घोषित मजदूरी दरों को सभी राज्यों द्वारा अपनाया जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) ने कृषि में नियोजित विभिन्न श्रमिक श्रेणियों के लिए औद्योगिक श्रमिक संबंधी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की दृष्टि से आकलित मूल्य वृद्धि के आधार पर 1 अक्तूबर, 2006 से परिवर्ती महंगाई भत्ते (वी.डी.ए.) को संशोधित किया

है। केन्द्रीय क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों पर यथाअनुप्रयोज्य कृषि के लिए मूल दरें और वी.डी.ए. निम्नानुसार हैं:-

क्षेत्रवार मूल + वी.डी.ए. दरें (रुपये में)

श्रेणी	क्षेत्र 'ग'	क्षेत्र 'ख'	क्षेत्र 'ग'
1	2	3	4
अकुशल	114.00+6.37 120.37	104.0+5.79 109.79	102.00+5.78 107.78
अर्द्ध-कुशल	125.00+6.95 131.95	116.00+6.38 122.38	107.00+5.81 112.81
कुशल	137.00+7.54 144.54	125.00+6.95 131.95	115.00+6.37 121.37
अति कुशल	153.00+8.41 161.41	141.00+7.82 148.82	125.00+6.78 131.78

क्षेत्र 'क', क्षेत्र 'ख' और 'ग' विवरण के अनुसार परिभाषित हैं।

(ख) से (ङ) ये दरें राज्य क्षेत्र में कृषि संबंधी अनुसूचित नियोजन पर अनुप्रयोज्य नहीं हैं क्योंकि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के तहत केन्द्र और राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपने-अपने अधिकार-क्षेत्र के अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण और संशोधन हेतु समुचित सरकारें हैं।

विवरण

"क" क्षेत्र

अहमदाबाद	(शहरी क्षेत्र)	ग्रेटर मुंबई	(शहरी क्षेत्र)	चेन्नई	(शहरी क्षेत्र)
बैंगलौर	(शहरी क्षेत्र)	हैदराबाद	(शहरी क्षेत्र)	नागपुर	(शहरी क्षेत्र)
कलकत्ता	(शहरी क्षेत्र)	कानपुर	(शहरी क्षेत्र)	दिल्ली	(शहरी क्षेत्र)
लखनऊ	(शहरी क्षेत्र)				

"ख" क्षेत्र

आगरा	(शहरी क्षेत्र)	गाजियाबाद	(शहरी क्षेत्र)	मेरठ	(शहरी क्षेत्र)
अजमेर	(शहरी क्षेत्र)	गोरखपुर	(शहरी क्षेत्र)	मुरादाबाद	(शहरी क्षेत्र)
अलीगढ़	(शहरी क्षेत्र)	गुवाहाटी		मैसूर	(शहरी क्षेत्र)
इलाहाबाद	(शहरी क्षेत्र)	गुन्टूर		नासिक	(शहरी क्षेत्र)
अमरावती	(शहरी क्षेत्र)	ग्वालियर	(शहरी क्षेत्र)	पुणे	(शहरी क्षेत्र)
औरंगाबाद	(शहरी क्षेत्र)	इन्दौर	(शहरी क्षेत्र)	पटना	(शहरी क्षेत्र)
बरेली	(शहरी क्षेत्र)	हुबली धारवाड़		रायपुर	
भावनगर/भोपाल		जबलपुर	(शहरी क्षेत्र)	राजकोट	

बीकानेर		जयपुर	(शहरी क्षेत्र)	रांची	(शहरी क्षेत्र)
भुवनेश्वर		जालंधर		शोलापुर	(शहरी क्षेत्र)
अमृतसर		जमशेदपुर	(शहरी क्षेत्र)	श्रीनगर	(शहरी क्षेत्र)
कालीकट	(शहरी क्षेत्र)	जोधपुर		सूरत	(शहरी क्षेत्र)
चंडीगढ़	(शहरी क्षेत्र)	कोल्हापुर	(शहरी क्षेत्र)	तिरुवनंतपुरम	(शहरी क्षेत्र)
कोचीन	(शहरी क्षेत्र)	कल्याण		उलहासनगर	
कोयम्बटूर	(शहरी क्षेत्र)	कोटा		वड़ोदा	(शहरी क्षेत्र)
कटक	(शहरी क्षेत्र)	लुधियाना		वाराणसी	(शहरी क्षेत्र)
दुर्गापुर		मदुरई	(शहरी क्षेत्र)	विजयवाड़ा	(शहरी क्षेत्र)
				विशाखापत्तनम	(शहरी क्षेत्र)
				वारांगल	

फरीदाबाद परिसर

क्षेत्र 'ग' में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल हैं जिनका उल्लेख सूची में नहीं किया गया है।

पाद टिप्पणी : शहरी क्षेत्र - शहरी क्षेत्र में समेकित।

[अनुवाद]

पोलावरम परियोजना

1783. श्री गुंडलूर निजामुद्दीन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश के खम्माम जिले में पोलावरम परियोजना के संबंध में उठायी गयी आपत्तियों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न स्टेकहोल्डरों द्वारा उठाई गई मुख्य आपत्तियां निम्नलिखित के संबंध में है:—

(i) प्रस्तावित स्थल की उपयुक्तता

(ii) भूमि के लिए मुआवजा

(iii) उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों में क्षेत्रों का जलमग्न होना

(iv) जन सुनवाई

पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करते समय इन पर विधिवत विचार किया गया है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

कपास उत्पादक

1784. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास उत्पादन में विश्वव्यापी वृद्धि के कारण भारतीय कपास उत्पादक कपास के आयात की संभावना के चलते कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो घरेलू कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए आयात को हतोत्साहित करने और घरेलू कपास की अधिक मांग सृजित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) वर्ष 2004-05 की तुलना में वर्ष 2005-06 में कपास उत्पादन में विश्वव्यापी कमी आई है। हालांकि भारत में उत्पादन बढ़कर वर्ष 2004-05 में 240 लाख गांठें से वर्ष 2005-06 में 270 लाख गांठें हो गया है।

(ख) उद्योग मुख्यत: बहुत अधिक मात्रा में लम्बे रेशों वाली कपास जैसे सुविन और पीमा का आयात करते हैं क्योंकि देश में इनकी कमी है। कुल आयात कुल खपत के 2 प्रतिशत से कम है। कपास का आयात घटकर वर्ष 2003-04 में 252,900 मी. टीन से वर्ष 2005-06 में 98,240 मी. टन रह गया है।

[हिन्दी]

डाक के माध्यम से सीडी/डीवीडी की बिक्री

1785. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री चन्नू हरी चौरे :
श्री संजय धोत्रे :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डाक विभाग के माध्यम से दूरदर्शन (डीडी) और आकाशवाणी की सीडी/डीवीडी के वितरण या बिक्री का है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रसार भारती और भारतीय डाक विभाग के बीच इस संबंध में किसी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) प्रसार भारती ने सीडी/वीसीडी/डीवीडी के संभावित बिक्री करने के संबंध में भारतीय डाक के साथ प्रारंभिक विचार-विमर्श किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में संशोधन

1786. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर चीनी उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इन संशोधनों से चीनी निर्माताओं के किस सीमा तक लाभान्वित होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 10 नवम्बर, 2006 की अधिसूचना द्वारा गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में संशोधन किया है। इस अधिसूचना की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) सरकार को अब तक महाराष्ट्र की सहकारी चीनी फैक्टिरियों के शीर्ष निकाय महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ लि. तथा साउथ इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (कर्नाटक) से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। इन दोनों संगठनों ने सरकार के इस कदम की सराहना की है।

(घ) इन संशोधनों से लाभ का परिमाण बताना संभव नहीं है।

विवरण

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित]

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य और सार्वजनित वितरण विभाग

सं.1349 नई दिल्ली, दिनांक 10 नवम्बर, 2006

आदेश

का.आ. 1940(अ.) - केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम गन्ना (नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2006 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में खंड 6 के पश्चात् निम्नलिखित खंड स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"**6क. पन्द्रह किलोमीटर की परिधि के भीतर दो चीनी कारखाने स्थापित करने पर निर्बन्धन** - खंड 6 में से किसी बात के होते हुए भी, किस राज्य या दो या अधिक राज्यों में किसी विद्यमान चीनी कारखाने या अन्य नए कारखाने के पन्द्रह किलोमीटर की परिधि के भीतर कोई नया चीनी कारखाना स्थापित नहीं किया जाएगा:

परंतु राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, जहां वह लोक हित में आवश्यक और समीचीन समझती है, अपने-अपने राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों के लिए पन्द्रह किलोमीटर से अधिक ऐसी दूरी या पन्द्रह किलोमीटर से अन्यून विभिन्न न्यूनतम दूरियां अधिसूचित कर सकेगी।

स्पष्टीकरण 1 - किसी विद्यमान चीनी कारखाने से प्रचालन में कोई चीनी कारखाना अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत ऐसा चीनी कारखाना भी है जिसने कोई चीनी कारखाना स्थापित करने के लिए स्पष्टीकरण 4 में विनिर्दिष्ट सभी प्रभावी उपाय किए हैं किंतु इसके अंतर्गत ऐसा चीनी कारखाना अपवर्जित है जिसने अपने गत पांच गन्ना मौसमों के लिए अपना पेराई कार्य नहीं किया है।

स्पष्टीकरण 2 - किसी नए चीनी कारखाने से कोई ऐसा चीनी कारखाना अभिप्रेत है जो कोई विद्यमान चीनी कारखाना नहीं है किंतु केन्द्रीय सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा यथा विहित औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन फाइल कर दिया है और खंड 6(ग) में यथा विनिर्दिष्ट नियत समय या विस्तारित समय के भीतर औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन के कार्यान्वयन के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनित वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के मुख्य निदेशक (चीनी) को एक करोड़ रुपये की निष्पादन प्रत्याभूति प्रस्तुत कर दी है।

स्पष्टीकरण 3 - न्यूनतम दूरी का अवधारण भारतीय द्वारा माप के अनुसार किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 4 - प्रभावी उपायों से चीनी कारखाना स्थापित करने के लिए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन को कार्यान्वित करने के लिए संबद्ध व्यक्ति द्वारा किए गए निम्नलिखित उपाय अभिप्रेत हैं:-

(क) कारखाने के नाम में उपेक्षित भूमि का क्रय;

(ख) कारखाने के लिए संयंत्र और मशीनरी के लिए फर्म आदेश देना और अपेक्षित अग्रिम का संदाय या प्रदायकर्ताओं के साथ अविखंडनीय साख-पत्र खोलना;

(ग) कारखाने के लिए सिविल संकर्म का प्रारंभ करना और भवन संनिर्माण;

(घ) बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षित अवधि उधारों की मंजूरी; और

(ङ) इस संबंध में किसी अधिसूचना के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित कोई अन्य उपाय।

(6ख) औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन करने के लिए अपेक्षाएं–

(1) केन्द्रीय सरकार के साथ औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन फाइल करने से पूर्व संबद्ध व्यक्ति गन्ना आयुक्त या निदेशक (चीनी) या संबद्ध राज्य सरकार के विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से एक यह प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा कि उस स्थल से जहां वह चीनी कारखाना स्थापित करना चाहता है और उसके समीप विद्यमान चीनी कारखानों तथा नए चीनी कारखानों के बीच की दूरी उस न्यूनतम दूरी से कम नहीं है जो यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा विहित की गई है और ऐसे प्रमाणपत्र के जारी होने के एक मास के भीतर संबद्ध व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार को औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन फाइल करेगा जिसके न हो सकने पर प्रमाणपत्र की विधिमान्यता समाप्त हो जाएगी।

(2) संबद्ध व्यक्ति औद्योगिकी उद्यमी ज्ञापन फाइल करने के पश्चात् उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के मुख्य निदेशक (चीनी) को औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन फाइल करने के तीस दिन के भीतर औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन के कार्यान्वयन के लिए प्रतिभूति के रूप में एक करोड़ रुपए की निष्पादन प्रत्याभूति खंड 6(ग) में यथाविहित नियत समय या विस्तारित समय के भीतर प्रस्तुत करेगा जिसके न हो सकने पर औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन जहां तक इस आदेश के उपबंधों का संबंध है, अमान्यताप्राप्त होगा।

6ग. औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन को कार्यान्वित करने के लिए समय-सीमा–

केन्द्रीय सरकार को औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन को फाइल करने की तारीख से प्रभावी उपाय करने के लिए नियत समय दो वर्ष होगा और वाणिज्यिक उत्पादन चार वर्ष के भीतर प्रारंभ होगा जिसके न हो सकने पर औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन जहां तक इस आदेश के उपबंधों का संबंध है, असान्यताप्राप्त होगा और निष्पादन प्रत्याभूति समपहृत हो जाएगी।

परंतु मुख्य निदेशक (चीनी), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनित वितरण मंत्रालय, संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पर, औद्योगिक उद्यमकर्ता ज्ञापन के कार्यान्वयन और उस पर वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ के लिए एक वर्ष का, किंतु एक बार में छह मास से अधिक नहीं, विस्तारण दे सकेगा।

6घ. खंड 6ख और 6ग में अधिकथित उपबंधों को कार्यान्वित न करने के परिणाम–

यदि किसी औद्योगिक उद्यमकर्ता ज्ञापन को खंड 6ग में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कार्यान्वित नहीं किया जाता है तो इसके कार्यान्वयन के लिए दी गई अनुपालन-गारंटी संबद्ध व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् समपहृत कर ली जाएगी।

6ङ ऐसे व्यक्ति को जिसके औद्योगिक उद्यमकर्ता ज्ञापन को पहले ही अभिस्वीकृत कर लिया गया है, खंड 6ख, 6ग, और 6घ का लागू होना–

(1) इस आदेश के खंड 6ख के उपखंड (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के सिवाय, खंड 6ख, 6ग और 6घ में विनिर्दिष्ट अन्य उपबंध भी ऐसे व्यक्ति को लागू होंगे जिसके औद्योगिक उद्यमकर्ता ज्ञापन को पहले ही अभिस्वीकृत कर लिया गया है जैसा कि वह इस अधिसूचना की तारीख को था, किंतु जिसने खंड 6क के स्पष्टीकरण 4 में यथाविनिर्दिष्ट प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं।

(2) ऐसा व्यक्ति जिसके औद्योगिक उद्यमकर्ता ज्ञापन को पहले ही स्वीकार कर लिया गया है जैसा कि वह इस अधिसूचना की तारीख को था, किंतु जिसने खंड 6क के स्पष्टीकरण 4 में यथाविनिर्दिष्ट प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं, इस अधिसूचना के जारी किए जाने के छह मास की अवधि के भीतर मुख्य निदेशक (चीनी), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को एक करोड़ रुपये की अनुपालन-गारंटी देगा जिसके न दे सकने पर संबद्ध व्यक्ति के औद्योगिक उद्यमकर्ता ज्ञापन की, जहां तक इस आदेश के उपबंधों का संबंध है, मान्यता समाप्त हो जाएगी।"

(फाइल संख्या 27(4)/2006-एस.टी.)

डा. जॉय आई. चीनाथ, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण:—मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण में आदेश संख्या सा.का.नि. 1126(अ.), आवश्यक वस्तु/गन्ना, तारीख 16 जुलाई, 1966 के अधीन प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् उसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया था:

1. सा.का.नि. 35/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 5.6.1967
2. सा.का.नि. 159/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 17.10.1967
3. सा.का.नि. 945/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 18.5.1968
4. सा.का.नि. 1456/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 2.8.1968
5. सा.का.नि. 402(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 25.9.1974
6. सा.का.नि. 492(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 12.9.1975
7. सा.का.नि. 542(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 27.10.1975
8. सा.का.नि. 484(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 26.7.1974
9. सा.का.नि. 799(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 13.9.1976
10. सा.का.नि. 913(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 9.12.1976
11. सा.का.नि. 197(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 29.3.1976
12. सा.का.नि. 79(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 24.2.1982
13. सा.का.नि. 695(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 9.9.1983
14. सा.का.नि. 903(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 29.11.2000
15. सा.का.नि. 113(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 20.2.2003
16. सा.का.नि. 204(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 22.3.2004

कृषि निर्यात जोन

1787. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कृषि उत्पादों का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए देश में फसल आधारित कृषि निर्यात जोन स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें किन राज्यों में स्थापित किया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया) : (क) से (ग) भारत सरकार ने देश के 20 राज्यों में 60 कृषि निर्यात जोनों को स्वीकृति प्रदान की है। इन कृषि निर्यात जोनों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है। सरकार ने वर्तमान कृषि निर्यात जोनों की समीक्षा के आधार पर यह निर्णय लिया है कि अब तब तक नए कृषि जोन की स्थापना पर विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि इसके लिए कोई मजबूत तथा अपरिहार्य कारण न बताया जाए।

विवरण

क्र.स.	राज्य का नाम	एईजेड परियोजना	जिले/क्षेत्र
1	2	3	4
1.	पश्चिम बंगाल	1. अनन्नास	दार्जलिंग, जलपाईगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर, कूच बिहर, हावड़ा

1	2		3	4
		2.	लीची	मुर्शीदाबाद, मालदा, 24 परगना (उत्तर) और 24 परगना (दक्षिण)
		3.	आलू	हुगली, वर्धमान, मिदनापुर (पश्चिम), उदय नारायणपुर, झवड़ा
		4.	आम	मलदा और मुर्शीदाबाद
		5.	आम	मलदा और मुर्शीदाबाद
		6.	दार्जीलिंग चाय	दार्जीलिंग
2.	कर्नाटक	7.	लीची	तुमकुर, बंगलौर शहरी, बंगलोर ग्रामीण, हसन, कोलार, चित्रगुड़, धारवाड़ और बागलकोट
		8.	रोज ओनियन	बंगलोर (शहरी), बंगलौर (ग्रामीण), कोलार, तुमकूर, कोडागू और बेलगाम
		9.	फूल	बंगलोर (शहरी), बंगलौर (ग्रामीण), कोलार, तुमकूर, कोडागू, और बेलगाम
		10.	वनीला	दक्षिणी कन्नड के जिले, उत्तर कन्नड़, उडुपी, शिमोगा, कोडागू, चिकमगलूर
3.	उत्तरांचल	11.	लीची	उधमसिंह नगर, देहरादून और नैनीताल
		12.	फूल	देहरादून, पंतनगर, उधमसिंह नगर, नैनीताल और उत्तरकाशी
		13.	बासमती चावल	उधमसिंह नगर, नैनीताल, देहरादून और हरिद्वार
		14.	औषधिक एवं सुगंधित पौधे	उत्तरकाशी, चामोली, पिठौरागढ़, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और उधमसिंह नगर
4.	पंजाब	15.	सब्जियां (बंदगोभी, बकोली, ओकड़ा, मटर, गाजर, बेबीकार्न, हरी मिर्च, सेम, टमाटर)	फतेहगढ़ साहिब, पाटियाला, संगरूर, लुधियाना और रोपड़
		16.	आलू	सिंघपुरा, जिराकपुर जिला, पटियाला और रामपुरा फूल सेटेलाईट सेंटर, मुक्तेश्वर, लुधियाना, जालंधर
		17.	बासमती चावल	गुरुदासपुर, अमृतसर, कपुरथला, जालंधर, होशियारपुर और नावांशाहपुर

1	2	3		4
5.	उत्तर प्रदेश	18.	आलू	आगरा, हाथरस, फरुखाबाद, कन्नौज, मेरठ, बागपत और अलीगढ़, जनपद बदायूं, रामपुर, गाजियाबाद और फिरोजाबाद
		19.	आम तथा सब्जियां	लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर और बाराबंकी
		20.	आम	सहारनपुर, मुज्जफराबाद, बीजापुर, मेरठ, बागपत और बुलंदशहर, ज्योतिफुलेनगर
		21.	बासमती चावल	बरेली, शाहजहांपुर, पीलीफीत, रामपुर, बदायूं, बिजनौर, मुरादाबाद, जेबी फुलेनगर, सहारनपुर, मुज्जफरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद और बागपत
6.	महाराष्ट्र	22.	अंगूर एवं अंगूर की बेल	नासिक, सांगली, शोलापुर, सतारा, अहमदनगर
		23.	आम	रत्नागिरी, सिंधूदुर्ग, रायगढ़
		24.	केसर आम	औरंगाबाद, बीड़, जालना, अहमदनगर, और लातूर
		25.	फूल	पुना, नासिक, कोल्हापुर और सांगली
		26.	प्याज	नासिक, अहमदनगर, पूना, सतारा, जलगांव, सोलापुर
		27.	अनार	सोलापुर के जिले, सांगली, अहमदनगर, पूना, नासिक, उस्मानाबाद और लातूर
		28.	केला	जलगांव, धुले, नादुरबार, बुलढाना, परभनी, हिनडोली, नांदेड और वरधा
		29.	संतरा	नागपुर और अमरावती
7.	आंध्र प्रदेश	30.	आम का गुदा एवं ताजी सब्जियां फल	चित्तूर
		31.	आमउ एवं अंगूर	रंगारेड्डी, मेडाक, मेहबूबनगर
		32.	आम	कृष्णा
		33.	लौकी	मेहबूबनगर के जिले, रंगारेड्डी, मेडक, करिमनगर, वारंगल, अनंतपुर और नलगोण्डा
		34.	मिर्च	गुंटूर
8.	जम्मू और कश्मीर	35.	सेब	श्रीनगर, बारामुला, अनंतनाग, कुपवाड़ा, कथुआ और फुलवाड़ा

1	2	3	4
		36. अखरोट	बारामुला, अनंतनाग, फुलवामा, बुदगाम, कुपवाड़ा, श्रीनगर, डोडा, पूंछ, उधमपुर, राजौरी और कथुआ
9.	त्रिपुरा	37. अनन्नास	कुमारघाट, मानू, मेलाघर, माताबारी और काकराबन ब्लॉक
10.	मध्य प्रदेश	38. आलू, प्याज और लहसुन	मालवा, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, शाजापुर, रतलाम, नीमच, मंदसौर और खण्डवा
		39. बीज मसाले	गुना, मंदसौर, उज्जैन, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर और नीमच
		40. गेहूं (भोपाल जोन के लिए सरबती गेहूं समेत)	उज्जैन जोन (नीमच, रतलाम, मंदसौर और उज्जैन), इंदौर जोन (इंदौर, धार, शाजापुर और देवास) और भोपाल जोन (सिहोर, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर और भोपाल)
		41. मसूर, चना	शिवपुर, गुना, विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर, छिन्दवाड़ा
		42. संतरा	छिन्दवाड़ा, होशंगाबाद, बेतूल
11.	तमिलनाडु	43. फूलों की कलमें	धरमपुरी
		44. फूल	नीलगिरी
		45. आम	मदुराई जिले, ठेनी, डिंडीगुल, वर्धननगर और त्रिरुनेलवेली
		46. काजू	कुड्डलोर, तंजावुर, पुडुकोट्टी और शिवगंगा
12.	बिहार	47. लीची, सब्जियां एवं शहर	मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, हाजीपुर, वैशाली पूर्वी, और पश्चिमी चंपारन, भागलपुर, बेगूसराय, खगारिया, सीतामढ़ी, सरन और गोपालगंज
13.	गुजरात	48. आम एवं सब्जियां	अहमदाबाद, खेदा, आनंद, बडोदरा, सूरत, नवसारी, वल्साद, भरुच, नर्मदा
		49. मूल्य संवर्धित प्याज	भावनगर जिले, सुंदरगढ़, अमरेली, राजकोट, जुनागढ़ और जामनगर जिले
		50. सीसम बीज	अमरेली, भावनगर, सुन्दरगढ़, राजकोट, जामनगर
14.	सिक्किम	51. फूल (आर्किड) एवं चेरी पीपर	पूर्वी सिक्किम
		52. अदरक	उत्तरी, पूर्वी, दक्षिण और पश्चिम सिक्किम
15.	हिमाचल प्रदेश	53. सेब	शिमला, सिरमौर, कूल्लू, मण्डी, चंबा और किन्नौर

1	2	3	4
16.	उड़ीसा	54. अदरक एवं हल्दी	कंदामल
17.	झारखण्ड	55. सब्जियां	रांची, हजारीबाग और लोहरदगा
18.	केरल	56. बागवानी उत्पाद	त्रिसुर, एर्नाकुलम, कोट्टायम, अलापुझा, पथनामथिट्टा, कोल्लम, थिरुवंथापुरम, इदुकी और पल्लाकाड्
		57. औषधीय पौधे	वायनाड्, मास्लापुरम, पालाक्काड्, त्रिसूर, एर्नाकुलम, इदुकी, कोल्लम, पथनामथिट्टा थिरुवंथापुरम
19.	असम	58. ताजे एवं संसाधित अदरक	कामरूप, नलबडी, बारपेटा, दरांग, नागांव, मोरीगांव, कारबी, अंगलोग और उत्तरी चाचर
20.	राजस्थान	59. धनिया	कोटा, बुंदी, बारान, झालावार और चित्तूर
		60. जीरा	नागौर, बारमेड़, जालोर, पाली और जोधपुर

वनों के विकास हेतु योजनाएं

1788. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार देश में वनों की रक्षा, संरक्षण और विकास के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो 2005-06 और 2006-07 में वनों के अनुरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को अभी तक राज्य-वार कुल कितनी अनुदान राशि प्रदान की गई है;

(ग) क्या 12वें वित्त आयोग ने वनों के अनुरक्षण के लिए पांच वर्षों के लिए 1000 करोड़ रु. की अतिरिक्त अनुदान राशि की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनुदान राशि के तर्कसंगत उपयोग को सुनिश्चित करने के सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, हां। मंत्रालय, देश में वनों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें क्रियान्वित कर रहा है। ये स्कीमें हैं– एकीकृत वन सुरक्षा स्कीम (आई एफ पी एस), राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन ए पी) और पूर्वोत्तर राज्यों में बांस की ग्रीगेरियस फ्लावरिंग का प्रबंधन।

(ख) वित्त वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान वनों की सुरक्षा हेतु राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को प्रदान की गई केंद्रीय सहायता का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) जी, हां। पांच वर्षों (2005-06 से 2009-10 तक) की अवधि के लिए वनों के अनुरक्षण हेतु 12वें वित्त आयोग ने 1000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त अनुदान राशि की सिफारिश की है।

(घ) 12वें वित्त आयोग द्वारा वनों के अनुरक्षण के लिए राज्यों को प्रदान किए गए अतिरिक्त सहायता अनुदान का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। सहायता अनुदान की उपयोगिता और उसे जारी किए जाने के लिए दिशानिर्देश, सहायता अनुदान की उचित उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए एक मानीटरी तंत्र का प्रावधान रखते हैं।

विवरण-I

वित्त वर्ष 2005-06 और 2006-07 में वनों के अनुरक्षण हेतु उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत प्रदान की गई सहायता							
		2005-06				2006-07			
		एकीकृत वन सुरक्षा स्कीम	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास	पूर्वोत्तर राज्यों में ग्रीगेरियस फ्लावरिंग ऑफ बेम्बूज का प्रबंधन	एकीकृत वन सुरक्षा स्कीम (30.11.2006 तक)	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (31.11.2006 तक)	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास (27.11.2006 तक)	पूर्वोत्तर राज्यों में ग्रीगेरियस फ्लावरिंग ऑफ बेम्बूज का प्रबंधन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	175.00	754.00	104.245	शून्य	शून्य	376.00	101.36	शून्य
2.	बिहार	128.88	342.00	शून्य	शून्य	12.53	293.00	शून्य	शून्य
3.	छत्तीसगढ़	104.31	1763.00	359.817	शून्य	400.00	315.00	214.31	शून्य
4.	गुजरात	192.00	1205.00	275.93	शून्य	200.00	386.00	236.45	शून्य
5.	गोवा	शून्य	शून्य	14.40	शून्य	29.01	शून्य	5.00	शून्य
6.	हरियाणा	75.00	435.00	24.20	शून्य	58.19	604.00	48.45	शून्य
7.	हिमाचल प्रदेश	180.186	908.00	283.83806	शून्य	शून्य	581.00	184.53	शून्य
8.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	528.00	113.50	शून्य	शून्य	207.00	168.68	शून्य
9.	झारखंड	75.00	785.00	124.90	शून्य	112.263	857.00	98.54	शून्य
10.	कर्नाटक	119.63	2303.00	474.9931	शून्य	122.88	362.00	414.62	शून्य
11.	केरल	125.00	499.00	284.5412	शून्य	200.00	414.00	206.17	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	125.00	1261.00	613.553	शून्य	200.00	408.00	329.02	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	महाराष्ट्र	शून्य	1469.00	241.68	शून्य	शून्य	797.00	217.60	शून्य
14.	उड़ीसा	110.00	1205.00	325.649	शून्य	76.38	384.00	143.22	शून्य
15.	पंजाब	शून्य	397.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16.	राजस्थान	100.00	726.00	192.62	शून्य	120.00	247.00	156.22	शून्य
17.	तमिलनाडु	150.00	2092.00	197.20	शून्य	158.40	609.00	189.58	शून्य
18.	उत्तर प्रदेश	49.25	1704.00	345.63	शून्य	150.00	204.00	232.20	शून्य
19.	उत्तरांचल	150.00	1310.00	85.65	शून्य	463.22	351.00	78.65	शून्य
20.	पश्चिम बंगाल	140.00	592.00	313.9437	शून्य	190.17	402.00	214.22	शून्य
21.	अरुणाचल प्रदेश	274.66	289.00	144.845	10.00	181.68	141.00	73.54	शून्य
22.	असम	400.00	550.00	193.205	325.00	150.26	704.00	72.87	शून्य
23.	मणिपुर	128.80	630.00	101.03	241.00	354.29	511.00	67.27	103.40
24.	मेघालय	80.00	518.00	59.30	171.00	150.00	284.00	38.20	शून्य
25.	मिजोरम	300.00	1006.00	221.28	300.00	79.71	581.00	70.50	516.60
26.	नागालैंड	54.00	537.00	1.50	210.00	237.72	205.00	8.00	80.80
27.	सिक्किम	शून्य	623.00	118.84	525.00	141.70	461.00	89.02	206.50
28.	त्रिपुरा	16.00	427.00	शून्य	शून्य	162.915	263.00	31.60	शून्य
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	63.55	शून्य	शून्य	शून्य	57.75	शून्य
30.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31.	दादरा और नगर हवेली	8.26	शून्य	20.00	शून्य	3.8552	शून्य	14.50	शून्य
32.	दमन और दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
33.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	दिल्ली	शून्य	शून्य	19.50	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
35.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	3260.98	24858.00	5319.34	1782.00	3959.0532	10946.00	3762.35	907.30

विवरण-II

वनों के अनुरक्षण हेतु सहायता अनुदान
(बारहवां वित्त आयोग)

(करोड़ रु.)

राज्य	वन क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-10
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	44637	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	65.00
अरुणाचल प्रदेश	68045	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00
असम	27714	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	40.00
बिहार	5720	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
छत्तीसगढ़	56448	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	85.00
गोवा	2095	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	3.00
गुजरात	15152	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00
हरियाणा	1754	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	2.00
हिमाचल प्रदेश	14360	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00
जम्मू और कश्मीर	21237	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	30.00
झारखंड	22637	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	30.00
कर्नाटक	36991	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	55.00
केरल	15560	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00

1	2	3	4	5	6	7	8
मध्य प्रदेश	77265	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	115.00
महाराष्ट्र	47482	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	70.00
मणिपुर	16926	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	30.00
मेघालय	15584	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	30.00
मिजोरम	17494	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
नागालैंड	13345	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
उड़ीसा	48838	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	75.00
पंजाब	2432	0.40	1.40	0.40	0.40	0.40	2.00
राजस्थान	16367	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
सिक्किम	3193	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	8.00
तमिलनाडु	21482	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	30.00
त्रिपुरा	7065	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	15.00
उत्तर प्रदेश	13746	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00
उत्तरांचल	23938	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	35.00
पश्चिम बंगाल	10693	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	15.00
कुल राज्य	668200	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1000.00

प्लास्टिक के कच्चे माल की कमी

1789. **श्री एस.के. खारवेलचन :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण के लिए कच्चे माल की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले कुछ महीनों से कच्चे माल की कीमतें कई गुना बढ़ गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इसकी कीमत घटाने और प्लास्टिक के कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(च) क्या देश के विभिन्न भागों में प्लास्टिक के कच्चे माल के उद्योग खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे स्थान कौन-कौन से हैं; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय झान्डिक) : (क) से (ङ) प्लास्टिक के कच्चे माल का विनिर्माण घरेलू उद्योग द्वारा किया जाता है और इसका खुले आम लाइसेंस के अंतर्गत आयात भी किया जा सकता है। तथापि, अखिल भारतीय प्लास्टिक विनिर्माता एशोसिएशन (एआईपीएमए), अखिल भारतीय प्लास्टिक उद्योग एशोसिएशन्स कमोडिटी प्लास्टिक के मूल्य में अनावश्यक एवं बारंबार वृद्धि के बारे में प्रतिवेदन दिया है और पॉलीमर के निर्यात को परिसीमित करने, सीमा शुल्क को वर्तमान 5% स्तर से घटा कर 0% तक लाने, पीवीसी रेसिन पर पाटनरोधी शुल्क हटाने और उत्पाद शुल्क को 16% से घटा कर 8% करने का अनुरोध किया है। रसायन एवं पेट्रोरसायन विनिर्माता एशोसिएशन ने बताया है कि मूल्य में अस्थिरता वैश्विक घटना है और यह केवल भारत से ही संबंधित नहीं है। पेट्रोरसायन उद्योग विनियममुक्त व लाइसेंसमुक्त है। आज की स्थिति के अनुसार सरकार ने प्लास्टिक के कच्चे माल के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। प्लास्टिक का कच्चा-माल बाजारोन्मुखी है और इनके मूल्य सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं किए जाते हैं।

(च) से (ज) सरकार ने असम के लपेटकटा में असम गैस क्रैकर परियोजना लगाने की मंजूरी दी है जो पॉलीमर का उत्पादन करेगी।

उपभोक्ता संरक्षण परिषद में सुधार

1790. श्री वी. करुप्पाकर रेड्डी :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेहतर उपभोक्ता संरक्षण के लिए केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण संरक्षण परिषद के कार्यकरण के प्रभाव को सुदृढ़ बनाने और विस्तार करने के लिए कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में गठित विभिन्न ग्रुपों की स्थिति क्या है और इन कार्य ग्रुपों के द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ग) उक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(घ) क्या एक नई उपभोक्ता नीति बनाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक बनाए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां। केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का पुनर्गठन किया गया है और उसके सदस्यों की संख्या को 150 से घटाकर 35 कर दिया गया है ताकि बार-बार बैठक आयोजित करना सुकर हो सके और सार्थक तथा विषय केन्द्रित चर्चाएं हो सकें।

(ख) केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के कार्यकरण को मजबूत बनाने तथा उसकी प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए ऐसा कोई कार्यदल गठित नहीं किया गया।

(ग) ऊपर (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा तैयार की गई प्रारूप राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति को अन्य मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ङ) इस स्तर पर समय सीमा नहीं बताई जा सकती।

[हिन्दी]

श्रम न्यायालयों में रिक्त पद

1791. श्री रामदास आठवले : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में वर्तमान में श्रम न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों के कई पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख तक राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पद कितने हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाया जाना प्रस्तावित है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ओस्कर फर्नांडीस) : (क) से (ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुसार केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय क्षेत्र में होने वाले औद्योगिक विवादों के संबंध में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों (सी जी आई टी) की स्थापना करने के लिए समुचित सरकार है। कुल 22 सी जी आई टी में से निम्नलिखित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों (सी जी आई टी) में उनके नामों के सामने दी गई तिथियों से पीठासीन अधिकारी के पद रिक्त हैं:—

	सी जी आई टी	कब से
(i)	सी जी आई टी-I, धनबाद	1.9.2006
(ii)	सी जी आई टी-II, धनबाद	28.10.2006
(iii)	सी जी आई टी, अहमदाबाद	1.7.2006
(iv)	सी जी आई टी, जयपुर	4.7.2006

सी जी आई टी में पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7, 7-क, 7-ख तथा 7-ग के उपबंधों के अनुसार की जाती है। सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में दिए गए उपबंधों के अनुसार, पहले ही पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने संबंधी कार्रवाई शुरू कर दी है।

[अनुवाद]

स्पंज आयरन संयंत्र

1792. श्री सुग्रीव सिंह : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आज की तारीख में स्पंज आयरन संयंत्रों की राज्य-वार तथा स्थान-वार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन संयंत्रों में स्पंज आयरन की प्रतिष्ठापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन संयंत्रों में से प्रत्येक के द्वारा निर्यात किए गए स्पंज आयरन की मात्रा कितनी है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार आज की तारीख में स्पंज लोहा इकाइयों की कुल संख्या 241 है। इन इकाइयों का राज्य-वार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इन संयंत्रों में पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान स्थापित क्षमता तथा स्पंज लोहे के वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(हजार टन)

मद	2003-04	2004-05	2005-06
स्थापित क्षमता	9985	12971	18951
वास्तविक उत्पादन	8085	10296	12649

(स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति)

(ग) उक्त अवधि के दौरान स्पंज लोहे के निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(हजार टन)

वर्ष	निर्यात
2003-04	8.905
2004-05	29.800
2005-06	41.454

(स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति)

विवरण

राज्य	इकाइयों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	16
छत्तीसगढ़	51

1	2
गोवा	4
गुजरात	1
झारखंड	33
कर्नाटक	21
महाराष्ट्र	7
उड़ीसा	73
तमिलनाडु	4
पश्चिम बंगाल	31
योग	241

भूजल का अत्यधिक दोहन

1793. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अवतराव पाटील शिवाजीराव :
श्री संतोष गंगवार :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से भूजल के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए विधान अधिनियमित करने का आग्रह किया है जैसा कि दिनांक 29 सितंबर, 2006 के 'दि हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा भूजल संसाधन के विकास और इसे बढ़ाने को विनियमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयप्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। जल संसाधन मंत्रालय ने राज्यों द्वारा उपयुक्त भूजल कानून के अधिनियमन को सरल बनाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के विकास और प्रबंधन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए माडल बिल का प्रारूप परिचालित किया है। प्रारंभ में यह बिल 1970 में परिचालित किया गया था जिसे अपनाए जाने के लिए वर्ष 1992, 1996 तथा 2005 में पुन: परिचालित किया गया।

केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों को संबोधित दिनांक 11.9.2006 के अपने पत्र में हालांकि देश के विभिन्न भागों में भूजल की अंधाधुंध निकासी पर चिंता व्यक्त की है तथा भूजल के अतिदोहन को रोकने के लिए भूजल कानून अधिनियमित करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया है।

(ग) अब तक आंध्र प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों द्वारा भूजल कानून अधिनियमित किए गए हैं। राज्य/संघ राज्य सरकारों के उत्तर संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा भूजल के विकास को विनियमित करने तथा इसके संवर्धन के उपाय इस प्रकार हैं:–

- पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत गठित केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) अतिदोहित, गंभीर, अर्द्ध गंभीर क्षेत्रों में नए उद्योगों/परियोजनाओं को लगाकर के भूजल की निकासी का विनियमन कर रहा है।

- केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन के लिए देश में 20 गंभीर रूप से अतिदोहित क्षेत्रों को अधिसूचित किया है। इन अधिसूचित क्षेत्रों में प्राधिकरण के विशेष अनुमोदन के बिना नए भूजल निकासी संरचनाओं की संस्थापना की अनुमति नहीं है।

- केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने विभिन्न राज्यों में भूजल निकासी संरचनाओं के पंजीकरण के लिए 51 अतिदोहित क्षेत्रों को भी अधिसूचित किया है जिसमें भूजल स्तरों में काफी गिरावट दर्शाई गई है और विनियमन के लिए वांछित कार्रवाई की आवश्यकता है।

- केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए सभी

आवश्यक उपायों को करने के वास्ते अतिदोहित ब्लाकों वाले राज्यों के सभी मुख्य सचिवों को निदेश जारी किए हैं।

– किए गए विभिन्न अध्ययनों के आधार पर भूजल स्तर की गिरावट वाले ऐसे क्षेत्रों, जहां लगातार गिरावट हो रही है, को चिन्हित करने तथा पुनर्भरण के लिए व्यवहार्य क्षेत्रों के वास्ते "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की मास्टर योजना" नामक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें देश में भूजल के पुनर्भरण की आवश्यकता वाले कुल 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की पहचान की गई है। यह अनुमान लगाया गया है कि भूजल के संवर्धन के लिए वार्षिक रूप से लगभग 36 बीसीएम अधिशेष मानसून अपवाह का पुनर्भरण किया जा सकता है। यह दस्तावेज सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है।

– बोर्ड ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मैनुअल/दिशा-निर्देश का परिचालन किया है ताकि वे भूजल स्तरों में गिरावट के रुख को रोकने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कृत्रिम पुनर्भरण स्कीम तैयार कर सकें।

– केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड राज्य सरकार के अधिकरणों, शैक्षिक संस्थानों, रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशनों, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों, निजी उद्यमियों तथा व्यक्तियों सहित विभिन्न अभिकरणों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन पर तकनीकी मार्गदर्शन मुहैया कराता है।

– केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन पर लोगों के बीच जन जागरूकता लाने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, देश के विभिन्न भागों में क्षमता निर्माण के उपाय के रूप में सूचना स्रोत तैयार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने नौवीं योजना के दौरान "भूजल के पुनर्भरण के अध्ययन" पर केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत विभिन्न राज्यों में 165 प्रदर्शनात्मक पुनर्भरण परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया है।

– केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को उनके क्षेत्र में आने वाले सभी अतिदोहित क्षेत्र में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण को अपनाने के सभी उपाय करने/वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने तथा भवन उपनियमों में छत के वर्षा जल संचयन के शामिल किए जाने को सुनिश्चित करने के निदेश दिए हैं।

– सरकार ने सभी दावाधारकों के बीच कृत्रिम पुनर्भरण की संकल्पना को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में कृत्रिम भूजल पुनर्भरण सलाहकार परिषद का गठन किया है। इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास, कृषि, पर्यावरण एवं वन, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों, वित्तीय संस्थानों, उद्योगों/सार्वजनिक उपक्रमों तथा गैर सरकारी संगठनों जैसे वर्षा जल संचयन से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों से प्रतिनिधि होते हैं।

– जल संसाधन मंत्रालय ने केन्द्रीय मंत्रालयों/रेल, रक्षा, डाक, दूर संचार, केन्द्रीय निर्माण विभागों एवं भारतीय, राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण विभागों से यह अनुरोध किया है कि वे अपने नियंत्रणाधीन भवनों में छत के वर्षा जल संचयन संबंधी संरचनाएं उपलब्ध कराएं।

विवरण

केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा परिचालित मॉडल बिल के अनुसार कानून के अधिनियमन पर राज्य/संघ राज्य सरकारों के उत्तर

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कानून के अधिनियमन एवं कार्यान्वयन की स्थिति
1	2	3
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिनमें कानून का अधिनियमन हो चुका है और कार्यान्वित किया जा रहा है	
1.	आंध्र प्रदेश	पूरे राज्य को शामिल करते हुए आंध्र प्रदेश जल, भूमि एवं वृक्ष अधिनियम, 2002 को दिनांक 19.04.2002 से अधिनियमित किया गया है।

1	2	3
2.	गोवा	राज्य विधायी द्वारा दिनांक 25.01.2002 को 'गोवा भूमि जल विनियमन अधिनियम', 2002 अधिनियमित कर इसे दिनांक 17.3.2003 से लागू कर दिया गया है।
3.	तमिलनाडु	तमिलनाडु सरकार ने दिनांक 4.03.2003 को तमिलनाडु भूमि जल (विकास एवं प्रबंधन) अधिनियम, 2003 पास किया जिसमें तमिलनाडु राज्य में जल विकास के विनियमन एवं नियंत्रण के लिए तमिलनाडु भूमि जल प्राधिकरण की स्थापना करने संबंधी उपबंध शामिल है। राज्य भूमि जल प्राधिकरण का गठन एवं नियम राज्य सरकार के विचाराधीन है।
4.	लक्षद्वीप	लक्षद्वीप भूमि जल (विकास एवं नियंत्रण) अधिनियम 2001 को दिनांक 1.11.2001 से अधिनियमित किया गया है।
5.	केरल	केरल भूमि जल (नियंत्रण एवं विनियमन) अधिनियम, 1997 को राज्य विधान सभा ने पारित कर दिया है।
6.	पांडिचेरी	भूमिजल के विकास के विनियमन से नियंत्रण के लिए पांडिचेरी भूमि जल (नियंत्रण एवं विनियमन) अधिनियम, 2002 को पांडिचेरी के राज पत्र में संख्या 6 दिनांक 04.03.2003 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।
7.	पश्चिम बंगाल	"पश्चिम बंगाल भूमि जल संसाधन (प्रबंधन, नियंत्रण एवं अधिनियमन) अधिनियम" 2005 को दिनांक 15 सितंबर, 2005 से लागू कर दिया गया है।
8.	हिमाचल प्रदेश	राज्य सरकार के हिमाचल प्रदेश में "हिमाचल प्रदेश भूमि जल (विकास एवं प्रबंधन का विनियमन एवं नियंत्रण) अधिनियम", 2005 (वर्ष 2005 का अधिनियम सं. 31) को अधिनियमित किया है जिसे दिनांक 28.10.2005 को अधिसूचित कर दिया गया है। इस अधिनियम के तहत नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिनमें बिल पास हो गए हैं परंतु अधिनियमन नहीं हुआ है

1	2	3
1.	महाराष्ट्र	राज्य में सार्वजनिक पेय जल स्रोतों की सुरक्षा के उद्देश्य से भूमि जल के दोहन को विनियमित करने के सीमित उद्देश्य के लिए महाराष्ट्र भूमि जल (पेय जल का स्रोत का विनियमन) अधिनियम 1993 को 16.8.1993 को अधिनियमित किया गया था। राज्य में भूजल की स्थिति अच्छी है। महाराष्ट्र भूमि जल विनियमन अधिनियम का मसौदा तैयार कर लिया गया है और उसे सभा पटल पर रखा जा रहा है।
2.	गुजरात	भू जल संसाधनों के नियंत्रण एवं विनियमन के लिए गुजरात सरकार की अधिसूचना सं. जी डब्ल्यू आर/1095/61/I-1/जे-1 दिनांक 19.09.2001 द्वारा गुजरात भूमि जल प्राधिकरण (जी.जी.डब्ल्यू.ए.) का गठन किया गया। भूमि जल विकास के विनियमन एवं नियंत्रण के लिए मॉडल बिल तैयार किया जा रहा है।

1	2	3
		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिन्होंने कानून बनाने संबंधी कार्रवाई आरंभ कर दी है
1.	असम	भूमि जल के विकास के विनियमन एवं नियंत्रण के लिए राज्य सरकार द्वारा "असम भूमि जल बिल" तैयार कर लिया गया है और इसे विधायी विभाग को टिप्पणी के लिए भेजा गया है। इसे अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
2.	बिहार	भूमि जल (नियंत्रण एवं विनियमन) बिल, 2003 तैयार कर लिया गया है और इसे स्वीकृति के लिए विधायी विभाग को भेजा गया है।
3.	हरियाणा	राज्य सरकार द्वारा बिल का मसौदा तैयार किया जा रहा है। अपर सचिव (ज.सं.) के साथ दिनांक 28.01.2005 को हुई बैठक में राज्य सरकार के प्रतिनिधि के अनुसार नई सरकार द्वारा कार्यभार संभालने के बाद इसे प्रकाशित किया जा सकेगा।
4.	जम्मू एवं कश्मीर	भूमि जल बिल राज्य सरकार के विचाराधीन है। तथापि, सीजीडब्ल्यूबी से राज्य सरकार को यह सुझाव देने का अनुरोध किया गया था कि क्या राज्य में भूजल के कम विकास के मद्देनजर इस प्रकार के कानून की आवश्यकता है अथवा नहीं।
5.	कर्नाटक	कर्नाटक भूमि जल (विनियमन एवं नियंत्रण) बिल, 2002 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे राज्य विधायिका से पारित कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।
6.	मिजोरम	मॉडल बिल के संदर्भ में भूमि जल के अधिनियमन के लिए ड्राफ्ट बिल पी एच ई डी में प्रक्रियाधीन है।
7.	उड़ीसा	उड़ीसा भूमि जल (विकास एवं प्रबंधन का विनियमन एवं नियंत्रण) बिल 2006 के नाम से ड्राफ्ट बिल को प्रशासनिक अनुमोदन के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेज दिया गया है।
8.	राजस्थान	राजस्थान सरकार ने "भूमि जल के विकास एवं प्रबंधन का विनियमन नियंत्रण बिल, 2006" को दिनांक 07.04.2006 को राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत किया जो इस समय सभा के विचाराधीन है।
9.	उत्तर प्रदेश	इस मंत्रालय द्वारा वितरित ड्राफ्ट बिल की तर्ज पर भूमि जल विनियमन पर बिल का मसौदा तैयार कर राज्य जल बोर्ड के अनुमोदन हेतु भेज दिया गया है। राज्य जल बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात् इस कानून के अधिनियमन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
10.	दमन और दीव	संघ राज्य प्रशासन की सूचना के अनुसार उन्होंने मॉडल बिल को अधिनियमित कर भूजल के अतिदोहन के विनियमन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मॉडल बिल को अंतिम रूप दिए जाने पर जल संसाधन मंत्रालय को सूचना दे दी जाएगी।
11.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	मॉडल बिल में उल्लिखित विषयों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। इस संबंध में मसौदा तैयार कर लिया गया है और यह परामर्शी चरण में है।
12.	झारखंड	इस मंत्रालय द्वारा वितरित मॉडल बिल की तर्ज पर भूमि जल के निष्कर्षण एवं उपयोग के विनियमन के लिए कानून का अधिनियमन पर राज्य सरकार द्वारा

1	2	3
		सक्रियता से विचार किया जा रहा है। इस कानून के लिए मॉडल ड्राफ्ट बिल की संकल्पना कर ली गई है और शीघ्र ही इसे अंतिम रूप दे दिया जायेगा।
13.	मेघालय	राज्य सरकार ने सूचित किया है कि भूमि जल के निष्कर्षण एवं उपयोग को विनियमित करने संबंधी कानून के अधिनियमन संबंधित विभागों से रिपोर्ट प्राप्त होते ही कार्रवाई की जाएगी।
14.	दादरा और नगर हवेली	दादरा और नगर हवेली प्रशासन ने दिनांक 16.11.2004 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि बिल का मसौदा तैयार कर लिया गया है और इसे संबंधित प्राधिकारियों के विचारार्थ एवं मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत किया गया है, और निकट भविष्य में इस पर अनुमोदन प्राप्त हो जाने की आशा है।
15.	मध्य प्रदेश	पेय जल स्रोतों की सुरक्षा के लिए "मध्य प्रदेश पेय जल परिरक्षण अधिनियम, 1986" मौजूद है। जल संसाधन मंत्रालय की तर्ज पर मॉडल बिल तैयार कर राज्य के विभिन्न विभागों की टिप्पणी के लिए वितरित कर दिया गया है और उनकी राय जानने के पश्चात् इस विषय पर आगे विचार किया जाएगा।
16.	उत्तरांचल	भूजल के विकास एवं प्रबंधन के विनियमन के लिए उत्तरांचल बिल जल संसाधन मंत्रालय की तर्ज पर सीजीडब्ल्यूबी के क्षेत्रीय कार्यालयों की सहायता से तैयार किया गया है। इसे विधान सभा में पेश करने से पूर्व राज्य मंत्रिमंडल के अनुमोदन के लिए कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि चूंकि उत्तरांचल छोटा राज्य है अत: बिल के अधिनियमन के लिए भूमि जल बोर्ड की स्थापना के बजाए भूमि जल प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी।
17.	अंडमान एवं निकोबार	अंडमान और निकोबार प्रशासन कानून के अधिनियमन संबंधी कार्रवाई की जांच एवं शुरूआत कर रही है।
18.	छत्तीसगढ़	राज्य सरकार ने भूमि जल बिल का मसौदा तैयार कर लिया है जिसे विधायी विभाग द्वारा जांच के बाद सभा पटल पर रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस समय राज्य में उपलब्ध भूमि जल के 20% का उपयोग किया जा रहा है और स्थिति नियंत्रण में है। तथापि अधिनियमन प्रक्रिया जारी है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जो कानून के अधिनियमन को आवश्यक नहीं समझते

1.	नागालैण्ड	भूमि जल में बहुत कम विकास को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार यह समझती है कि भूमि जल विनियमन एवं प्रबंधन कानून को फिलहाल आस्थगित रखा जाए।
2.	सिक्किम	भूमि जल के बहुत कम विकास को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार इस समय किसी कानून के अधिनियम को आवश्यक नहीं समझती है।
3.	त्रिपुरा	भूमि जल के बहुत कम विकास को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार इस समय किसी कानून के अधिनियम को आवश्यक नहीं समझती है।
4.	पंजाब	मॉडल बिल के आधार पर पंजाब जल (नियंत्रण एवं विनियमन अधिनियमन,

1	2	3
		1998 बनाया गया था और इसे पंजाब राज्य जल संसाधन [सचिव (ज.सं.)] समिति को प्रस्तुत किया गया था। यद्यपि, समिति ने यह पाया कि ड्राफ्ट उपभोक्ताओं के प्रति काफी कठोर है। विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् डब्ल्यूआरसी ने दिनांक 11.01.2005 को आयोजित अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि भूजल के इष्टतम उपयोग के लिए कुछ सुधारात्मक उपाय करने और इसके संवर्धन के लिए पहले इसकी मांग को नियंत्रित किया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब का एक सिंचाई प्रधान राज्य होने और भूजल पर निर्भरता के कारण मॉडल बिल का अपनाया जाना किसानों के वृहत हित में नहीं है और उन्होंने यह सुझाव दिया कि प्रोत्साहन प्रणाली ही बेहतर है।
5.	चंडीगढ़	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में, मुख्य परियोजना क्षेत्रों में भूजल निकासी के लिए चंडीगढ़ प्रशासन की अनुमति संबंधी उप नियम मौजूद है। यह मत व्यक्त किया कि कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है।
6.	मणिपुर	राज्य में भूजल संसाधनों को अतिदोहन नहीं हो रहा है। अत: इस समय ऐसे कानून की आवश्यकता नहीं है।
7.	अरुणाचल प्रदेश	भूजल के कम विकास को ध्यान में रखते हुए राज्य ने भूजल विकास का अधिनियमन नहीं किया है।

गन्ने का माइक्रो प्रोपेगेशन

1794. श्री एम. शिवन्ना :
श्री जी.एम. सिद्देश्वर :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक शुगर इंस्टीट्यूट में बड़े पैमाने पर गन्ने के माइक्रो प्रोपेगेशन की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) से (घ) जी, हां। कर्नाटक शुगर इंस्टीट्यूट ने 'बड़े पैमाने पर गन्ने के माइक्रो प्रोपेगेशन की स्थापना' के लिए चीनी विकास निधि से सहायता अनुदान के लिए अगस्त, 2006 में एक प्रस्ताव भेजा है, जिसकी अनुमानित लागत 501.80 लाख रुपये है। यह प्रस्ताव स्थायी अनुसंधान सलाहकार समिति की 28.11.2006 को हुई बैठक में प्रस्तुत किया गया था तथा समिति ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद टिप्पणी की कि स्कीम में प्रस्तावित कार्यकलाप अनुसंधान कार्यकलाप के दायरे में नहीं आते हैं, अत: इस परियोजना के लिए चीनी विकास निधि से सहायता अनुदान की अनुशंसा नहीं की जा सकती है।

असमिया समाचार बुलेटिन

1795. श्री अनवर हुसैन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन केन्द्र (डीडीके) गुवाहाटी से एक असमिया समाचार बुलेटिनउ शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरदर्शन केन्द्र (डीडीके) गुवाहाटी में असमिया समाचार की बारंबारिता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि

दूरदर्शन केंद्र, गुवाहाटी पहले ही प्रात: 9.00 बजे और सायं 7.00 बजे दो असमिया समाचार बुलेटिनों का प्रसारण कर रहा है। तथापि, पूर्वोत्तर के लिए प्रात: 7.00 बजे, 11.00 बजे, सायं 5.30 बजे और रात्रि 9.00 बजे के प्रत्येक बुलेटिन में 10 मिनट की अवधि के अतिरिक्त चार असमिया समाचार बुलेटिनों का प्रसारण शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने आगे सूचित किया है कि वे 10 मिनट अवधि के मौजूदा असमिया समाचार बुलेटिन को प्रात: 9.00 बजे की बजाए प्रात: 8.45 बजे शुरू करने पर विचार कर रहे हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कुक्कुट उत्पादन

1796. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 2004-05 के दौरान कुक्कुट उत्पादन बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष की तुलना में दर्ज किए गए उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए कुक्कुट प्रसंस्करण संयंत्रों की संख्या कितनी है;

(घ) उक्त अवधि तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को कुक्कुट उत्पादन की वृद्धि के लिए कितनी सहायता प्रदान की गई है; और

(ङ) देश में कुक्कुट पालन क्षेत्र में लगे लोगों की अनुमानित संख्या कितनी है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) 2003-04 तथा 2004-05 में कुक्कुट उत्पादन का ब्यौरा इस प्रकार है:-

उत्पादन का मद	2003-04	2004-05
अंडे (बिलियन)	40.4	45.2
कुक्कुट मीट (मिलियन मीट्रिक टन)। ये एफ ए ओ आंकड़े कलेण्डर वर्ष 2003 तथा 2004 के लिए हैं।	1.60	1.65

(ग) वर्ष 2004-05 में देश में किसी नए कुक्कुट प्रसंस्करण संयंत्र के लगाए जाने की कोई सूचना नहीं है।

(घ) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग ने संबद्ध वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान की है, जो इस प्रकार है:-

राशि करोड़ रुपए में

2004-05	2005-06	2006-07 (नवम्बर, 2006 तक)
14.37	23.18	12.86

(ङ) कुक्कुट से संबंधित कार्यों में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लगे हुए लोगों की संख्या लगभग 3 मिलियन आंकी गई है।

बल्क ड्रग्स के आयात पर प्रतिबंध

1797. श्री एल. राजगोपाल : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने भारत से बल्क ड्रग्स के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय झान्डिक) : (क) और (ख) इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा जुलाई, 2006 में उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर वर्तमान में भारत से आयातों की सार्थक सूची के आधार पर पाकिस्तान में भेषजों के आयात की अनुमति दी जाती है और यह कुछेक मदों तक ही सीमित है।

8 अक्टूबर, 2005 को हुए भूकंप के बाद पाकिस्तान सरकार ने वाघा भूमि (सड़क) सीमा के रास्ते सीमित अवधि के लिए कतिपय दवाओं सहित राहत सामग्रियों के आयात की अनुमति दी थी।

भारत और पाकिस्तान दोनों ने दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) करार पर हस्ताक्षर किए और इसकी अभिपुष्टि की। तथापि, साफ्टा को प्रभावी करने के लिए 1 जुलाई, 2006 को पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना, साफ्टा प्रशुल्क रियायतों को परिसीमित करती है जो भारत से आयातों की सार्थक सूची के मानदंडों के दायरे में

वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित आयात नीति की शर्त पर है। पाकिस्तान सरकार द्वारा 2006-2007 के लिए 17.7.2006 को घोषित व्यापार नीति में इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

कच्छ वनस्पति का संरक्षण

1798. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार को कच्छ वनस्पति के संरक्षण और विकास हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) कर्नाटक राज्य सरकार ने चार कच्छ वनस्पति स्थलों के लिए प्रत्येक स्थल के सामने दर्शायी गई राशि के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं नामत : मैंगलौर (170 लाख रु.), कारवार (19 लाख रु.), होन्नावार (20.54 लाख रु.) और कुण्डापुर (80.80 लाख रु.)।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने मैंगलोर कारवार और होन्नावार के संबंध में प्रस्तावों को अनुमोदित किया है। स्कीम के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार और बजटीय आबंटन को ध्यान में रखते हुए सभी प्रस्तावों को जांच किया गया है। शेष प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए समय-सीमा को निर्धारित करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

खेसारी दाल पर प्रतिबंध

1799. **श्री हंसराज जी. अहीर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खेसारी दाल पर प्रतिबंध की समीक्षा के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने सरकार को कोई रिपोर्ट/अनंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा खेसारी दाल से प्रतिबंध उठाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) खेसारी दाल पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने के लिए कृषि आयुक्त, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया गया है। उस समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है। परिणामस्वरूप अभी इस स्तर पर खेसारी दाल पर से प्रतिबंध उठाने का कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

उर्वरकों के उत्पादन हेतु लक्ष्य

1800. **प्रो. महादेवराव शिवनकर :**
श्रीमती प्रिया दत्त :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के पहले छह महीनों के दौरान देश में सभी उर्वरक इकाइयों द्वारा उर्वरक उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 2005-06 के दौरान उर्वरक उत्पादक इकाइयों को प्रदान की गई राजसहायता और पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2006-07 के दौरान राजसहायता में बढ़ाए गए प्रतिशत का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार देश में उर्वरकों पर और राजसहायता प्रदान करने हेतु वैकल्पिक संगणना पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय झान्डिक) : (क) और (ख) चालू वर्ष के पहले छह महीने में सभी उर्वरक इकाइयों द्वारा 57.24 लाख मी.टन नाइट्रोजनयुक्त और 23.45 लाख मी.टन नाइट्रोजन और 21.36 लाख मी.टन फास्फेट का ही उत्पादन किया जा सका। उत्पादन में कमी का मुख्य कारण गुजरात में हुइ भारी वर्षा और बाढ़ आना था जिसके कारण गैस की आपूर्ति में बाधा पड़ी। साथ ही फॉस्फोरिक एसिड की सीमित उपलब्धता तथा गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स कंपनी लिमिटेड (जीएसएफसी)-बड़ौदा में अस्थायी तौर पर उत्पादन बंद होने से भी गैस आपूर्ति बाधित हुई।

(ग) वर्ष 2005-06 में वितरित की गई कुल राजसहायता 18299 करोड़ रुपए थी जिसमें से 11749 करोड़ रुपए की राजसहायता यूरिया के लिए और 6550 करोड़ रुपए की राजसहायता नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों के लिए थी। वर्ष 2006-07 के दौरान रियायत/राजसहायता के लिए बजट आबंटन 17252.91 करोड़ रुपए था। इसके अतिरिक्त पहले पूरक अनुदान में 1500 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं जिससे निधियों के रूप में कुल 18752.91 करोड़ रुपए उपलब्ध हो गए हैं। संशोधित अनुमान के अनुसार, वर्ष 2006-07 के दौरान उर्वरकों पर राजसहायता देने के लिए कुल 32952.94 करोड़ रुपए की आवश्यकता है जिसमें पिछले वर्षों की 5913.94 करोड़ रुपए की देयताएं भी शामिल हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अवसंरचना परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति

1801. **श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कितनी खनन और अवसंरचना परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई हैं;

(ख) क्या ऐसी परियोजनाओं ने सरकार द्वारा लागू सभी शर्तों का पालन किया है और सभी सुरक्षोपायों को कार्यान्वित किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है/उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयनारायण मीना) : (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने जनवरी 2004 से अक्तूबर 2006 की अवधि के दौरान परियोजनाओं और 257 अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की है जो थर्मल और हाइड्रोपावर, राजमार्ग एयरपोर्ट औद्योगिक इस्टेट/उद्यानों, एसईजेड और आईटी उद्यानों से संबंधित है।

(ख) और (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा परियोजनाओं की नियमित मानीटरिंग की जाती है तथा कतिपय शर्तों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए परियोजना प्राधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाते हुए अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। विशिष्ट गैर अनुपालन के मामलों में, कारण बताओ नोटिस जारी किए जाना शुरू किया गया है।

सेल द्वारा फ्लैटों की खरीद

1802. **श्री किसनभाई वी. पटेल** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने एशियाड विलेज, नई दिल्ली में फ्लैट खरीदे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सेल ने हाल ही में इन फ्लैटों की मरम्मत कराई है;

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्य को पूरा करने से पूर्व ठेकेदार द्वारा अनुमानित व्यय की तुलना में वास्तव में किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सेल द्वारा मरम्मत कार्य को कराते समय सरकारी धनराशि का दुरुपयोग हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने धनराशि के उक्त दुरुपयोग हेतु जिम्मेदार अधिकारियों का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त जांच के क्या परिणाम निकले हैं; और

(छ) इस मामले में जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) जी, हां। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने 1,27,79,300 रुपए की कुल लागत पर वर्ष 1984 में एशियाड विलेज, नई दिल्ली में 7 (सात) फ्लैट और वर्ष 1986 में 2 (दो) फ्लैट खरीदे थे।

(ख) और (ग) जी, हां। इन फ्लैटों का निर्माण 26 वर्ष पहले किया गया था। 20 वर्ष के बाद सीपेज, लीकेज और फ्लोर में केविंग आदि के चलते यह फ्लैट जीर्ण-शीर्ण स्थिति में आ गए हैं। कंपनी की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने के कारण अपेक्षित प्रमुख मरम्मत/जीर्णोद्धार का कार्य पहले नहीं किया जा सका। हाल ही में अर्थात् वर्ष 2004-06

में 4 फ्लैटों नामत: फ्लैट संख्या-ए 341, बी 248, बी 249 तथा सी 15 का जीर्णोद्धार किया गया है। अपने वरिष्ठ अधिकारियों हेतु इन फ्लैटों को रहने योग्य बनाने के लिए कंपनी ने व्यय किया है। इन फ्लैटों की स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद उपयुक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए जीर्णोद्धार का कार्य एल 1 टैंडरर को सौंपा गया था।

ठेकेदार द्वारा किसी एस्टीमेट का मूल्यांकन नहीं किया गया था। प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक निरीक्षण के आधार पर प्रत्येक फ्लैट के लिए लगभग 12 लाख रुपए का एक ब्लॉक एस्टीमेट विभागीय स्तर पर तैयार किया गया था। जीर्णोद्धार कार्य के निष्पादन के दौरान फ्लैटों की स्थिति के चलते जीर्णोद्धार की प्रक्रिया में अनेक विचलन और अतिरिक्त मद सामने आए। इन 4 फ्लैटों के जीर्णोद्धार में अंतर्निहित व्यय 72.52 लाख रुपए था।

(घ) कंपनी के धन के दुरुपयोग का कोई प्रमाण नहीं है।

(ङ) चूंकि कंपनी के धन के दुरुपयोग का कोई प्रमाण नहीं है अत: कोई जांच अपेक्षित नहीं थी।

(च) अप्रयोज्य।

(छ) अप्रयोज्य।

खाद्यान्नों का स्टॉक

1803. श्री जी. करुणाकरण रेड्डी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दिनांक 31 अक्तूबर, 2006 की स्थिति के अनुसार खाद्यान्नों का वर्तमान स्टॉक कितना है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में खाद्यान्न खराब हुए/सड़ गए और इन खाद्यान्नों का मूल्य कितना है; और

(ग) देश के विभिन्न भागों में गोदामों में रखे खाद्यान्नों को गरीब व्यक्तियों को सस्ती दरों पर वितरित न करने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) 31.10.2006 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का स्टाक (गेहूं और चावल) निम्नानुसार है:–

केन्द्रीय पूल में स्टॉक	31.10.2006 की स्थिति के अनुसार
चावल	125.11
गेहूं	59.94
जोड़	185.05

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम के पास जमा क्षतिग्रस्त खाद्यान्न निम्नानुसार हैं:–

वर्ष	गेहूं	चावल	कीमत (रुपये/करोड़)
2003-04	0.22	0.54	45.5
2004-05	0.12	0.85	54.6
2005-06	0.15	0.80	57.2
जोड़	0.49	2.19	157.3

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का वितरण करना केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकारी खाद्यान्नों की वसूली, भंडारण, ढुलाई और बल्क आबंटन करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि उचित दर दुकानों के नेटवर्क के जरिए उपभोक्ताओं को इनका प्रभावी वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह सुनिश्चित करने के निदेश दिए हैं कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आबंटित खाद्यान्न (गेहूं सहित) का वितरण लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वास्तविक लाभार्थियों के बीच किया जाए।

भारतीय खाद्य निगम बहुत बड़े पैमाने पर और विभिन्न भौगोलिक तथा जलवायु परिस्थितियों में केन्द्रीय पूल के अधीन खाद्यान्नों के विभिन्न प्रचालन चला रहा है। भारतीय खाद्य निगम में इतने विशाल प्रचालनों में और प्रतिकूल परिस्थितियों में सामान्य प्रचालनों के दौरान सामान्य मात्रा में स्टाक का क्षतिग्रस्त होने से पूर्णतया इंकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य कारकों से सामान्यतया स्टाक उस समय क्षतिग्रस्त हो जाता है जब अनजाने में यह लंबी अवधि के लिए रख लिया जाता है अथवा अपरिहार्य परिस्थितियों में प्रथम-आमद-प्रथम-निर्गम के सिद्धांत का पालन सुनिश्चित नहीं हो पाता है।

रक्षित खानों के उपयोग हेतु शुल्क

1804. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार का विचार देश में रक्षित खानों से लौह अयस्क के उपयोग हेतु कतिपय शुल्क लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे सरकार को क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

मोजकेरे झील का संरक्षण

1805. श्री एम. शिवन्ना : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने बैंगलोर में मोजकेरे झील के संरक्षण और विकास हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत नई झीलों के प्रस्तावों पर उनकी प्राथमिकता, प्रदूषण की स्थिति और योजना के अंतर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाता है। कर्नाटक सरकार द्वारा स्थापित झील विकास प्राधिकरण द्वारा मंत्रालय को भेजी गई प्राथमिकता सूची में मोजकेरे झील शामिल नहीं है।

समाचार संवाददाता/रिपोर्टर

1806. श्री अनवर हुसैन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुवाहाटी के दूरदर्शन केंद्र में कोई स्थायी समाचार संवाददाता/रिपोर्टर तैनात नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गुवाहाटी के दूरदर्शन केंद्र में स्थायी समाचार संवाददाता नियुक्त करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस विचार को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ग) जी, हां। दूरदर्शन केंद्र, गुवाहाटी में कोई स्थायी समाचार संवाददाता/रिपोर्टर तैनात नहीं है। तथापि, दूरदर्शन केंद्र, गुवाहाटी में तैनात नियमित स्थायी समाचार स्टाफ जिनमें एक निदेशक (समाचार), एक समाचार संपादक और दो सहायक समाचार संपादक शामिल हैं, समय-समय पर रिपोर्टिंग का कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्र ने तीन नैमित्तिक समाचार रिपोर्टर नियुक्त किए हैं जो गुवाहाटी में किसी स्थायी समाचार संवाददाता/रिपोर्टर को नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बाल मजदूरी के उन्मूलन हेतु गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि

1807. श्री वृज किशोर त्रिपाठी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान राष्ट्रीय बाल मजदूरी परियोजनाओं के अंतर्गत राज्यवार अब तक कितने बालक लाभान्वित हुए हैं;

(ख) क्या सरकार देश में बाल मजदूरी के उन्मूलन हेतु स्वयं-सेवी संगठनों को धनराशि प्रदान करती है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान किन-किन संगठनों को राज्यवार सहायता अनुदान प्रदान किया गया है; और

(घ) देश में बाल मजदूरी रोकने के लिए कौन-कौन सी परियोजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) सरकार कार्य से हटाए गए बच्चों के पुनर्वास के लिए देश के 20 राज्यों के 250 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन सी एल पी) योजना चला रही है। इस योजना में शामिल किए गए बच्चों की संख्या विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। एन सी एल पी योजना के अलावा, सरकार द्वारा उन जिलों में कार्य से हटाए गए बच्चों के लाभार्थ, जो एन सी एल पी योजना में शामिल नहीं हैं, सहायता अनुदान की योजना चलायी जा रही है।

उन गैर-सरकारी संगठनों की सूची विवरण-II में दी गई है, जिन्हें 2005-06 और 2006-07 के दौरान सहायता अनुदान का आबंटन किया गया था।

(घ) सरकार कार्य से हटाए गए बच्चों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं और स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान नामक दो योजनाएं चला रही है। इन दो योजनाओं के अलावा, सरकार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से तीन अन्य योजनाएं अर्थात् पांच राज्यों के 21 जिलों में चलायी जा रही इन्डस, एक भारत-संयुक्त राज्य परियोजना और आंध्र प्रदेश के 3 जिलों में चलायी जा रही आंध्र प्रदेश राज्य आधारित परियोजना लागू कर रही है। तीसरी परियोजना कर्नाटक के दो जिलों में कामकाजी बच्चों के कल्याण हेतु चलायी जा रही है।

विवरण-I

एन सी एल पी योजना के अंतर्गत बाल श्रमिकों की वर्तमान संस्वीकृत कवरेज

राज्य का नाम	बच्चों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	56900
असम	4750
बिहार	49400
छत्तीसगढ़	15050
गुजरात	450
हरियाणा	
जम्मू और कश्मीर	
झारखंड	9600
कर्नाटक	18600
महाराष्ट्र	11450
मध्य प्रदेश	29000
उड़ीसा	38400
पंजाब	5350
राजस्थान	50950
तमिलनाडु	24800
उत्तरांचल	
उत्तर प्रदेश	72200
पश्चिम बंगाल	33200
कुल	420100

विवरण-II

उन गैर-सरकारी संगठनों की सूची जिन्हें वर्ष 2005-06 के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की गई है

असम

सदऊ असम ग्राम्य पुत्तीभावल संघा, नौगांव

बहुमुखी कृषि अरु समाज कल्याण समिति, नौगांव

कस्तूबा गांधी राष्ट्रीय स्मृति न्यास, गुवाहाटी

डा. अम्बेडकर मिशन, जिला कामरूप

बिहार

सिद्धार्थ ज्ञान केन्द्र, समस्तीपुर

शकुन्तला प्रभा बाल एवं महिला सेवा केन्द्र, वैशाली

झारखंड

दीप ज्योति, देवधर

ज्ञान निकेतन, साहिबगंज

छत्तीसगढ़

नवीन अंकुर महिला मंडल, रायपुर

जम्मू और कश्मीर

भारतीय समाज कल्याण

राष्ट्रीय विकास संस्थान, जम्मू

मध्य प्रदेश

ग्राम विकास संघ, जबलपुर

महिला सेवा मंडल, सतना

रविन्द्र भारद्वाज कल्याण एवं शोध संस्थान

ज्ञानपंथ शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति, भोपाल

महाराष्ट्र

मध्य भारत शिक्षा समिति, गोंदिया

बाल विकास अकादमी, औरंगाबाद

ग्रामीण विकास एस एण्ड पी संस्थान, नागपुर

सामाजिक बहु-उद्देशीय संस्था, नागपुर

सोनाली शिक्षण संस्था, नागपुर

अनुसाया माता महिला के एण्ड जी भन्डारा

उज्ज्वल गौंडवाना महिला मंडल, नागपुर

लोक कल्याण शिक्षण संस्थान, गोंदिया

वीर अर्जुन युवक मंडल, नागपुर-2005-06

बहुजन हिताय बहुजन सुखाय प्रसारक मंडल

गनपत राव निम्बालकर स्मृति मुक्ति आश्रम

मणिपुर

शहरी कल्याण संघ

अपार्ड

केवर मणिपुर

ग्रामीण स्वयं सेवी संगठन पसटोई पार्ट-II इम्फाल (प.)

संयुक्त ग्रामीण विकास सेवाएं, थाऊबल

मणिपुर राज्य बाल कल्याण परिषद, इम्फाल

ग्रामोत्थान सेवा केन्द्र, बांथाल

अवनगिरि नुपी मारूप, इम्फाल

आशुफिमेई विकास समिति

संयुक्त ग्रामीण विकास सेवाएं, बांथ

नागालैण्ड

डिजेवी समिति कोहिमा

सेनेनुओको बाल कल्याण समिति, कोहिमा

जनजातीय कल्याण विकास संघ, दीमापुर

ओल्डहोम मल्टीपरपंज को-ऑपरेटिव सोसायटी

एलॉंगमैन बहु-उद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड 2005-06

नई दिल्ली

मल्टीविजन फाउन्डेशन, नरेला

चेतना जनहित समिति, दिलशाद गार्डन

प्रगति फाउन्डेशन, पूर्वी आजाद नगर

स्पंदन, वसंत कुंज

अखिल भारतीय कोणार्क शिक्षा एवं कल्याण समिति

उड़ीसा

स्वास्थ्य शिक्षा एवं विकास संघ

शकुन्तला ग्रामोद्योग एवं सामाजिक कार्य, नयागढ़

मानव सेवा सदन, ढेंकनाल, उड़ीसा

बाल एवं महिला विकास केन्द्र (सी सी डब्ल्यू डी)

जागरूकता एवं ग्रामीण विकास परिषद (कार्ड)

गोपीनाथ ज्यू यूथ क्लब

नारायणी महिला मंडल, खुर्दा

उड़ीसा बहुउद्देशीय विकास केन्द्र, चन्द्रशेखरपुर

विश्व जीवन सेवा संघ, खुर्दा

ग्रामीण विकास एवं ऊर्जा अनुसंधान संगठन, भुवनेश्वर

ग्रामीण विकास एवं ऊर्जा अनुसंधान संगठन, भुवनेश्वर

गानिया उन्मूलन समिति, नयागढ़

श्रद्धांजलि, भुवनेश्वर

जन कल्याण सेवा संस्थान केन्द्रपाड़ा

भारत ज्योति, क्योंझर

गांधी तकनीकी संवर्धन संस्थान

हरिजन आदिवासी मंगल समिति, नयागढ़

सुभ्रदा महिला कल्याण विकास संघ, खुर्दा

ग्रामीण पुनर्निर्माण एवं सामाजिक सेवा संघ

संचार एवं विकास एक्शन संगठन

राजस्थान

समाज कल्याण धर्मार्थ न्यास, भरतपुर

कर्मा बाल विद्या निकेतन समिति, कोटा

दिव्य ज्योति विद्या मंदिर विद्यालय समिति, कोटा

नवोदय बाल विद्यालय समिति, कोटा

दीप विद्या मंदिर समिति, दौसा

कोटा शिक्षा संस्थान, कोटा

दर्शन शिक्षा समिति, कोटा

जनजाति महिला विकास संस्थान

लोक शक्ति संस्थान, जयपुर

शिवम शिक्षण समिति, करौली

महिला युवा विकास फाउन्डेशन, करौली

अकादमी ऑफ एजूकेशन सोसायटी, बारन

राधा स्वामी महिला मंडल सोसायटी, जयपुर

दयानंद सरस्वती शिक्षा समिति, बारन

हर्ष विकास संस्थान, जयपुर

उत्तर प्रदेश

संत कबीर दास सेवा संस्थान, सिद्धार्थ नगर

मानव समाजोत्थान सेवा संस्थान

जनहितकारी संस्थान, कुशीनगर

समाज कल्याण शिक्षण संस्थान, बस्ती

मदन मोहन मालवीय विकलांग सेवा संस्थान

ग्राम विकास संस्थान, गाजीपुर

राष्ट्रीय महिला एवं बाल देखरेख समिति, मऊ

हरिजन एवं निर्बल शिक्षण विकास समिति

जीवन रेखा कल्याण समिति, संत कबीर नगर

जनजातीय कल्याण समिति, श्रावस्ती

नवोदय ग्रामोद्योग समिति, जे.पी. नगर

जनप्रिय सेवा संस्था

हरिजन विकास आवास सामाजिक उत्थान समिति, इलाहाबाद

संत रविदास शिक्षा समिति, कुशीनगर

भारतीय समाजोत्थान संस्थान, देवरिया

शांति महिला एवं बाल विकास परिषद, बलिया

जाग्रति फाउन्डेशन, संत कबीर नगर

पश्चिम बंगाल

इक्षुपत्रिका समाज कल्याण संगठन, मिदनापुर

क्योराखाली जन सेवाश्रम, दक्षिणी 24 परगना

मुक्ति ग्रामीण विकास एवं जरूरतमंद बालक समिति, दक्षिणी 24 परगना

रंजपुर मिताली संघ, हुगली

गोपालपुर डा. बी.आर. अम्बेडकर किशोर सेवा संघ

बिधि चन्द्रपुर भारत संघ, झवड़ा

व्यापक क्षेत्र विकास समिति, नाडिया

स्कोटलेन निर्धनता उन्मूलन केन्द्र

कोसम्पोस, कोलकाता

बडकुल्ला सुना सिल्क खादी समिति, नाडिया

दम दम पार्क उन्नयनी सानाभाई, कोलकाता

उन गैर-सरकारी संगठनों की सूची जिन्हें वर्ष 2006-07 के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की गई है

असम

बहुमुखी कृषि और समाज कल्याण समिति नागोन

कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, गुवाहाटी

डा. अम्बेडकर मिशन, जिला कामरूप-05-06

बिहार

सिद्धार्थ ज्ञान केन्द्र, समस्तीपुर

झारखंड

दीपज्योति, देवघर

ज्ञान निकेतन, साहिबगंज

छत्तीसगढ़

नवीन अंकुर महिला मंदिर, रायपुर

मध्य प्रदेश

ग्राम विकास संघ, जबलपुर

महिला सेवा मंडल, सतना

ज्ञानपथ शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति, भोपाल

महाराष्ट्र

बाल विकास अकादमी, औरंगाबाद

ग्रामीण विकास एस एण्ड पी संस्थान, नागपुर

सामाजिक बहु-उद्देशीय संस्थान, नागपुर

सोनाली शिक्षण संस्था, नागपुर

अनुसाया माता महिला के एण्ड जी भन्डारा

उज्जवल गौंडवाना महिला मंडल नागपुर

सुयोजिनी सेवा भावी संस्था, परभनी (एम एस)

वीर अर्जुन युवक मंडल, नागपुर-2005-06

बहुतन हिताय बहुजन सुखाय प्रसारक मंडल

गनपत राव निम्बालकर स्मृति मुक्ति आश्रम

मणिपुर

शहरी कल्याण संघ

अपार्ड

केयर मणिपुर

ग्रामीण स्वयं सेवी संगठन पसटोई पार्ट-II इम्फाल (प.)

संयुक्त ग्रामीण विकास सेवाएं, थाऊबल

ग्रामोत्थान सेवा केन्द्र, वांघाल

अवनगिरि नुपी मारूप, इम्फाल

आशुफिमई विकास समिति

संयुक्त ग्रामीण विकास सेवाएं, वांग

नागालैंड

डिजेवी समिति कोहिमा

सेनेनुओको बाल कल्याण समिति, कोहिमा

जनजातीय कल्याण विकास संघ, दीमापुर

ओल्डहोम मल्टीपरपज को-ऑपरेटिव सोसायटी

नागालैंड चाय बागान संघ, कोहिमा नागालैंड

एलॉंगमैन बहु-उद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड 2005-06

नई दिल्ली

मल्टी विजन फाउन्डेशन, नरेला

चेतना जनहित समिति, दिलशाद गार्डन

प्रगति फाउन्डेशन, पूर्वी आजाद नगर

स्पंदन, वसंत कुंज

अखिल भारतीय कोणार्क शिक्षा एवं कल्याण समिति

उड़ीसा

स्वास्थ्य शिक्षा एवं विकास संघ

शकुन्तला ग्रमोद्योग एवं सामाजिक कार्य, नयागढ़

बाल एवं महिला विकास केन्द्र (सी सी डब्ल्यू डी)

जागरूकता एवं ग्रामीण विकास परिषद (कार्ड)

गोपीनाथ ज्यू यूथ क्लब

नारायणी महिला मंडल, खुर्दा

उड़ीसा बहुउद्देशीय विकास केन्द्र, चन्द्रशेखरपुर

विश्व जीवन सेवा संघ, खुर्दा

ग्रामीण विकास एवं ऊर्जा अनुसंधान संगठन, भुवनेश्वर

गानिया उन्मूलन समिति, नयागढ़

श्रद्धांजलि, भुवनेश्वर

जन कल्याण सेवा संस्थान केन्द्रपाड़ा

भारत ज्योति, क्योंझर

गांधी तकनीकी संवर्धन संस्थान

हरिजन आदिवासी मंगल समिति, नयागढ़

सुभद्रा महिला कल्याण विकास संगठन, खुर्दा

ग्रामीण पुनर्निर्माण और सामाजिक सेवा संगठन

संचार एवं विकास एक्शन संगठन 05-06

राजस्थान

समाज कल्याण धर्मार्थ न्यास, भरतपुर

कर्मा बाल विद्या निकेतन समिति, कोटा

दिव्य ज्योति विद्या मंदिर विद्यालय समिति, कोटा

नवोदय बाल विद्यालय समिति, कोटा

द्वीप विद्या मंदिर समिति, दौसा

कोटा शिक्षा संस्थान, कोटा

दर्शन शिक्षा समिति, कोटा

जनजाति महिला विकास संस्थान

लोक शक्ति संस्थान, जयपुर

शिवम शिक्षण समिति, करौली

महिला युवा विकास फाउन्डेशन, करौली

शिक्षा समिति अकादमी, बारन 2005-06

राधा स्वामी महिला मंडल समिति, जयपुर 05-06

दयानन्द सरस्वती शिक्षा समिति, बारन 2005-06

हर्ष विकास संस्थान, जयपुर

उत्तर प्रदेश

संत कबीर दास सेवा संस्थान, सिद्धार्थ नगर

मानव समाजोत्थान सेवा संस्थान

जनहितकारी संस्थान, कुशीनगर

समाज कल्याण शिक्षण संस्थान, बस्ती

मदन मोहन मालवीय विकलांग सेवा संस्थान

ग्राम विकास संस्थान, गाजीपुर

राष्ट्रीय महिला एवं बाल देखरेख समिति, मऊ

हरिजन एवं निर्बल शिक्षण विकास समिति

जीवन रेखा कल्याण समिति, संत कबीर नगर

जनजातीय कल्याण समिति, श्रावस्ती

नवोदय ग्रामोद्योग समिति, जे.पी. नगर

जनप्रिय सेवा संस्था

हरिजन विकास आवास सामाजिक उत्थान समिति, इलाहाबाद

संत रविदास शिक्षा समिति, कुशीनरग

सरदार हमीदी तालीमी व समाज मिशन, जेपी नगर (यूपी)

शांति महिला एवं बाल विकास परिषद, बलिया

जागृति फाउन्डेशन, संत कबीर नगर

पश्चिम बंगाल

रंजपुर मिताली संघ, हुगली

गोपालपुर डा. बी.आर. अम्बेडकरर किशोर सेवा संघ

विधि चन्द्रपुर भारत संघ, हावड़ा

व्यापक क्षेत्र विकास समिति, नाडिया

स्कोटलेन निर्धनता उन्मूलन केन्द्र

कोसमोस, कोलकाता

बडकुल्ला लुना सिल्क खादी समिति, नाडिया

दम दम पार्क उन्नयनी सानाभाई, कोलकाता

[हिन्दी]

कर्मचारी भविष्य निधि का निवेश

1808. **प्रो. महादेवराव शिवनकर :**
श्री शिशुपाल एन. पटले :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन निधि से संग्रहीत धनराशि का निवेश करने की अपनी योजना में संशोधन किया है जैसा कि दिनांक 18 नवंबर, 2006 के 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त धनराशि का किन-किन क्षेत्रों में निवेश किया जा रहा है;

(घ) क्या सभी कर्मचारियों हेतु कर्मचारी भविष्य निधि को आगामी वर्षों हेतु सुरक्षित रखा जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) जी, नहीं।

(ख) उक्त 'क' के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निधि से संबंधित हर पैसे का निवेश सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित निवेश पद्धति के अनुरूप केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य विकास ऋण/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, सरकार द्वारा गारंटित प्रतिभूतियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में किया जाता है।

(घ) और (ङ) जी, हां। निधियों को सरकारी प्रतिभूतियों/सरकार द्वारा गारंटित प्रतिभूतियों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बंध-पत्रों आदि जैसे संरक्षित और सुरक्षित निवेशों में लगाया जाता है।

[अनुवाद]

व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र

1809. श्री असदुद्दीन ओवेसी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 18.53 मिलियन से भी अधिक निशक्त व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केवल 17 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र (वीआरसी) कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 7 और वीआरसी की स्थापना के प्रस्ताव पर अक्षरश: पालन हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) राज्यवार उन वीआरसी का ब्यौरा क्या है जहां छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है; और

(च) निशक्त व्यक्तियों के लिए और अधिक सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अथवा उठाए जा रहे कदम क्या हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) वर्तमान में देश के 19 राज्यों में 20 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र कार्य कर रहें हैं।

(ख) से (घ) प्रस्तावित 7 नए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों में से 3 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र श्रीनगर, पांडिचेरी एवं उना (हिमाचल प्रदेश) में स्थापित किए गए हैं। शेष व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए जाने की प्रक्रिया में हैं।

(ङ) दिल्ली स्थित व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र में छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध हैं। अन्य राज्य सरकारों, प्रशिक्षण संस्थानों तथा गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, कानपुर, लुधियाना, जयपुर में कुछ छात्रावास सुविधाओं का प्रबंध किया गया है।

(च) व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, दिल्ली के भवन का निर्माण किया जा चुका है। विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) की आवश्यकताओं के अनुरूप तीन और भवन कानपुर, भुवनेश्वर तथा कोलकाता में निर्माणाधीन हैं।

प्रसारण विनियमन विधेयक, 2006

1810. श्री वृंदा किशोर त्रिपाठी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रसारण विनियमन विधेयक, 2006 में बदलाव करने का है जैसाकि दिनांक 13 नवम्बर, 2006 के 'द टाइम्स ऑफ इण्डिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में विभिन्न प्रभावित पक्षों से परामर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न प्रभावित पक्षों से प्राप्त सुझावों में से प्रत्येक पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (घ) सरकार को प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक, 2006 के प्रस्तावित मसौदे पर विभिन्न स्टेकहोल्डरों, उद्योग एवं मीडिया समूहों तथा अन्य व्यक्तियों से टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं। मसौदे में, जहां कहीं आवश्यक हो, उपयुक्त परिवर्तन करने पर विचार करने की बाबत टिप्पणियों का अध्ययन किया जा रहा है।

दिल्ली-ढाका बस आयोग की बैठक

1811. श्रीमती मिनाती सेन :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :

श्री बालेश्वर यादव :
श्री जय प्रकाश (मोहन लाल गंज) :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-ढाका जल आयोग की हाल ही में कोई मंत्रीस्तरीय बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) दोनों देशों में बहने वाली नदियों में गाद भरने के कारण भू-क्षरण सहित द्विपक्षीय जल समस्याओं को सुलझाने हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) भारत और बंगलादेश के बीच सीमा के नजदीक बहने वाली नदियों से गाद निकालने पर कितनी राशि खर्च की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) सितम्बर, 2005 में आयोजित भारत बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग (जेआरसी) की 36वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसरण में भारत और बंगलादेश के जल संसाधन मंत्रियों ने 13-21 सितम्बर, 2006 के दौरान इच्छामती नदी के एक भाग, जहां पर पश्चिम बंगाल (भारत) और बंगलादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है, सहित साझी/सीमावर्ती नदियों पर तट सुरक्षा, लघु लिफ्ट सिंचाई और पेयजल आपूर्ति स्कीमों से संबंधित कई स्थलों का संयुक्त रूप से दौरा किया। 20 सितम्बर, 2006 को आयोजित बैठक में ढाका में अंतिम रूप से चर्चा की गई किंतु कुछ तकनीकी ब्यौरों के अभाव में परस्पर स्वीकृत समाधानों पर कोई आम सहमति नहीं बन सकी।

(ग) भारत और बंगलादेश के जल संसाधन मंत्रियों की अध्यक्षता में एक स्थाई संयुक्त नदी आयोग कार्य कर रहा है जिसमें जल संसाधन क्षेत्र से संबंधित लंबित द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की जाती है। संयुक्त नदी आयोग की बैठकें दोनों ही देश में बारी-बारी से की जाती हैं।

(घ) बंगलादेश के साथ समझौते के अभाव में भारत और बंगलादेश के बीच सीमा के निकट बहने वाली नदियों में गाद हटाने पर कोई राशि खर्च नहीं की गई है।

[हिन्दी]

पी.डी.एस. कवरेज का विस्तार

1812. श्री मो. ताहिर :
श्री शिशुपाल एन. पटेल :
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले (बी.पी.एल.) परिवारों सहित बड़ी संख्या में गरीब परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के दायरे से बाहर छोड़ दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) टी.पी.डी.एस. के अंतर्गत सभी गरीब परिवारों को राज-सहायता प्राप्त खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार महापंजीयक के आबादी के अनुमानों पर प्रक्षेपित 1993-94 के लिए योजना आयोग के गरीबी अनुमानों के आधार पर अनुमानित परिवारों की संख्या अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी राशन कार्डों की संख्या, जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन करने के लिए अपनाए जा रहे वर्ष 1993-94 के लिए योजना आयोग के गरीबी अनुमानों के अनुसार 6.52 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के प्रति देश में राज्य सरकारों द्वारा लगभग 9.73 करोड़ परिवारों (7.46 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे और 2.25 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना) की पहचान की गई है और भिन्न प्रकार के राशन कार्ड जारी किए गए हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है जिसमें केन्द्र सरकार खाद्यान्नों की वसूली, भंडारण, भारतीय खाद्य निगम के प्रमुख वितरण केन्द्रों तक इनकी ढुलाई करने और राज्य सरकारें लाभार्थियों की पहचान करने, उन्हें राशन कार्ड जारी करने तथा संपूर्ण देश में फैली 4.89 लाख उचित दर दुकानों के विशाल नेटवर्क के जरिए खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए जिम्मेदार हैं।

योजना आयोग के समूचे गरीबी अनुमानों को ध्यान में रखते हुए लाभार्थियों की पहचान करने और उन्हें राशन कार्ड जारी करने का काम राज्य सरकारों के दायरे में आता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली

(नियंत्रण) आदेश, 2001 के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की समीक्षा प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों द्वारा की जानी है ताकि इस स्कीम के अधीन गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों को शामिल किया जा सकें और अपात्र परिवारों को उससे बाहर किया जा सके।

[अनुवाद]

एस.डी.एफ. से ऋण की स्वीकृति

1813. **श्री सी.एच. विजयशंकर :**
श्री रामदास आठवले :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार चीनी मिलों के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए चीनी विकास निधि (एस.डी.एफ.) से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु सरकार को प्रस्तावों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) उन चीनी मिलों के राज्य-वार नाम क्या हैं जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान आज तक उक्त निधि से सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या इन चीनी मिलों ने इन निधियों का पूरी तरह उपयोग किया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) एस.डी.एफ. से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु कितने प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं और इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार ने ऐसे प्रस्तावों के शीघ्रतापूर्वक निपटान के लिए किसी नीति को अंतिम रूप दिया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) चीनी विकास निधि से वित्तीय सहायता लेने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त हुए प्रस्तावों की राज्यवार संख्या संलग्न ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) उन चीनी मिलों के नाम (राज्यवार) का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान चीनी विकास निधि से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान किए गए 25 संवितरणों में से विवरण-II में किए गए उल्लेख के अनुसार) 16 मामलों में निधियों का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है।

(घ) स्वीकृति के बाद चीनी मिलों को सरकार के साथ एक करार करना होता है और चीनी विकास निधि के ऋण की अदायगी के लिए प्रतिभूति भी प्रदान करनी होती है। सामान्यतया ऋण का संवितरण 2 किस्तों में किया जाता है जिसमें पहली किस्त के संतोषजनक उपयोग के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही दूसरी किस्त रिलीज की जाती है। अत: सामान्यतया मंजूरी की तारीख और प्रथम संवितरण/द्वितीय किस्त और मिलों द्वारा इसके उपयोग करने के बीच समय अंतराल होता है।

(ङ) से (छ) 1.11.2006 की स्थिति के अनुसार सरकार के पास आधुनिकीकरण/विस्तार परियोजनाओं के 17 प्रस्ताव लंबित हैं। प्रस्तावों पर तभी विचार किया जा सकता है जब चीनी मिल द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए जाएं। आवेदन प्राप्त होना और ऋण मंजूर करना एक सतत प्रक्रिया है जिसमें ऋण आवेदनों की सबसे पहले उप समिति द्वारा उनकी जांच की जाती है और उसके बाद चीनी विकास निधि संबंधी स्थायी समिति द्वारा जांच की जाती है। स्थायी समिति की सिफारिशें सरकार के समक्ष रखी जाती हैं और इनके स्वीकार कर लिए जाने पर चीनी विकास निधि से ऋण की मंजूरी जारी की जाती है। ऋण आवेदन/प्रस्ताव प्राप्त होने और इसके मंजूर होने के बीच सदैव समय अंतराल होता है। तथापि, मामलों का तेजी से निपटान करने के लिए विभाग प्रत्येक माह उप समिति/स्थायी समिति की औसतन कम से कम एक बैठक आयोजित कर रहा है।

विवरण-I

चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के लिए चीनी विकास निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के प्रस्तावों की राज्यवार संख्या

राज्य का नाम	आवेदनों की संख्या			
	2003-04	2004-05	2005-05	2006-07 (31.10.2006 तक)
1	2	3	4	5
मध्य प्रदेश	1	–	–	1

1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश	1	2	5	6
उत्तरांचल	1	—	1	—
आंध्र प्रदेश	—	1	1	—
महाराष्ट्र	—	1	—	2
कर्नाटक	—	1	3	1
तमिलनाडु	—	—	3	1
बिहार	—	—	—	2
जोड़	3	5	13	13

विवरण-II

वर्ष 2003-04, 2004-05, और 2005-06 और 2006-07 (31.10.2006 तक) के दौरान उन चीनी मिलों के नाम (राज्य-वार) जिन्हें चीनी विकास निधि से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

वर्ष 2003-04

क्र.स.	चीनी मिलों के नाम	वितरित की गई राशि (लाख रुपये में)
1	2	3
उत्तर प्रदेश		
1.	मै. मवाना शुगर वर्क्स, मवाना, जिला मेरठ	381.74
2.	मै. सिम्भावली शुगर मिल्स लि., जिला गाजियाबाद	486.06
3.	मै. जे.के. शुगर लि. सिधौली रोड, मीरगंज, जिला बरेली	169.54
महाराष्ट्र		
1.	मै. जवाहर शेतकारी एस.एस.के. लि., हुपारी, जिला कोल्हापुर	795.00
2.	मै. राजारामबापु पाटील एस.एस.के. लि., राजारामपुर	1730.91
कर्नाटक		
1.	मै. दावनगेरे शुगर कं. लि., दावनगेरे जिला	608.84
2.	मै. द इंडिया शुगर एंड रिफाइनरिज लि., चितवाडगी, होसपेट, जिला बेल्लारी	264.00

1	2	3
	वर्ष 2004-05	
उत्तर प्रदेश		
1.	मै. मंसुरपुर शुगर मिल्स लि., मंसुरपुर, जिला मुजफ्फरनगर	2134.33
2.	त्रिवेणी इंजिनीयिरिंग एंड इंडस्ट्रीज लि., शुगर यूनिट देवबंद, जिला सहारनपुर	1127.40
महाराष्ट्र		
1.	मै. जवाहर शेतकारी एस.एस.के. लि., हुपारी, जिला कोल्हापुर	794.00
2.	मै. श्री सिद्देश्वर एस.एस.कें. लि., कुमाथे, जिला सोलापुर	632.23
उत्तरांचल		
1.	मै. उत्तम शुगर मिल्स, गांव लिबेरहेड़ी, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार	1664.56
कर्नाटक		
1.	मै. इंडिया शुगर एंड रिफाइनरीज लि., चित्तवाडगी, होसपेट, जिला बेल्लारी	264.00
2.	मै. एमसीएम शुगर्स लि., गांव कोप्पा, मदुर तालुक, जिला मांड्या	3164.40
3.	मै. दावनगेरे शुगर कं. लि., कुक्कुवाडा गांव, जिला दावनगेरे	608.84
	वर्ष 2005-06	
उत्तर प्रदेश		
1.	मै. त्रिवेणी इंजी. एंड इंड. लि., शुगर यूनिट देवबंद, जिला सहारनपुर	751.60
2.	मै. जे.के. शुगर लि., सिन्धौली रोड़, मीरगंज, जिला बरेली	169.54
3.	मै. त्रिवेणी इंजी, एंड इंड. लि., शुगर यूनिट खतौली, जिला मुजफ्फरनगर	1569.00
महाराष्ट्र		
1.	मै. श्री पांडुरंग एसएसके लि., श्रीपुर, मालशिरस तहसील, जिला सोलापुर	210.30
आंध्र प्रदेश		
1.	मै. जी.एस.आर. शुगर्स प्रा. लि., भाग्गी गांव, निजाम शुगर मंडल, जिला-निजामाबाद	995.80

1	2	3
	वर्ष 2006-07 (31.10.2006 तक)	
उत्तर प्रदेश		
1.	मै. टिकौला शुगर मिल्स लि., तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर	605.40
2.	मै. खिलखिड़िया शुगर मिल्स, जिला बहराइच, उ.प्र. (मै. सिम्भावली चीनी मिल्स लि. की एक यूनिट)	836.00
आंध्र प्रदेश		
1.	मै. जी.एम.आर. शुगर्स प्रा.लि., मागी गांव, निजाम शुगर मंडल, जिला-निजामाबाद	995.80
तमिलनाडु		
1.	मै. ई.आई.डी. पैरी (इंडिया) लि., कुरुमबूर गांव, अरंथांगी तालुक पुद्दुकोट्टाई	320.00
2.	मै. कोत्तारी शुगर्स एंड कैमीकल्स लि., कत्तूर, लालगुडी - तालुक, त्रिची जिला	1283.10

पी.डी.एस. के अंतर्गत योजनाएं

1814. **श्री पी.पी. हर्ष कुमार :** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न योजनाएं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के अंतर्गत आपूर्ति की कमी के कारण अकार्यात्मक हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आपूर्ति किए गए खाद्यान्नों एवं खाद्यान्नों की कमी का योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर आपूर्ति एवं मांग के अनुपात का निगरानी कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार खाद्यान्नों की उपलब्धता में सुधार के लिए खाद्यान्न नीति में परिवर्तन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी राशन कार्डों की संख्या अथवा 1993-94 के लिए योजना आयोग के गरीबी अनुमानों और 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार भारत के महापंजीयक के आबादी अनुमानों, जो भी कम हो, के आधार पर 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर से करती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपात्र परिवारों के नाम काटने और परिवारों को शामिल करने के प्रयोजनार्थ

इन सूचियों की समीक्षा करते हैं तथा तदनुसार आवंटन में संशोधन करने के लिए केन्द्र सरकार को सूचित करते हैं।

(ङ) और (च) मौजूदा नीति के अनुसार सरकारी एजेंसियां खाद्यान्न उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालन चलाती हैं। इन न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों के जरिए खरीदे गए खाद्यान्नों का उपयोग लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कल्याण योजनाओं के अधीन वितरण करने के लिए किया जाता है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा वसूल करने हेतु रबी विपणन मौसम 2006-07 में गेहूं के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर 50 रुपये प्रति क्विंटल का प्रोत्साहन बोनस और खरीफ विपणन मौसम 2006-07 (31.3.2007 तक) में चावल के लिए 40 रुपये प्रति क्विंटल का प्रोत्साहन बोनस दिया गया है।

रबी विपणन मौसम 2007-08 में गेहूं की पर्याप्त मात्रा की वसूली करने के लिए इस विभाग में एक वैकल्पिक नीति भी तैयार की गई है।

[हिन्दी]

दावानल

1815. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री कृष्णा मुरारी मोघे :
श्री गिरिधारी यादव :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्यों को दावानल की वजह से हानि उठानी पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) जी, हां। प्रति वर्ष फायर सीजन के दौरान दावानल की वजह से कई राज्यों के वनों को भारी क्षति पहुंचती है। अधिकतर दावानल जमीनी आग होती है। नुकसान की प्रकृति मुख्यत: जैव विविधता, मृदा पोषक तत्व और नमी की हानि, वायुमंडल आदि में कार्बन डाइआक्साइड (CO_2) गैस छोड़ने की होती है। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दावानल की घटनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकार द्वारा दावानल की घटनाओं को कम करने के लिए किए जा रहे प्रयास निम्नलिखित हैं:-

(i) राज्यों और संघ शासित राज्यों को दावानल के निवारण और नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने हेतु एकीकृत वन सुरक्षा स्कीम के तहत केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई जाती है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा शुरू की गई गतिविधियों में फायर लाइन्स, फायरवाचर्स, संचार तंत्र का सृजन और रखरखाव, वाच टावर्स का निर्माण, गतिशीलता आदि शामिल हैं।

(ii) फायर सीजन के दौरान, भारतीय वन सर्वेक्षण, इस मंत्रालय के अधीन एक संगठन, दिन-प्रतिदिन आधार पर दूर संवेदी डाटा का उपयोग करते हुए पूरे देश के लिए सक्रिय दावानल स्थलों की सूचना उपलब्ध कराता है।

(iii) संबंधित राज्य वन विभाग दावानल की रोकथाम और नियंत्रण के लिए स्थानीय समुदायों की सहायता प्राप्त करने सहित दावानलों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उपाय करते हैं।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	फॉयर सीजन (कैलेन्डर वर्ष)	आग लगाने की घटनाओं की संख्या	जला हुआ क्षेत्र (हैक्टयर में)
1	2	3	4	5
1.	अरुणाचल प्रदेश	2003	154	2429
		2004	274	2879
		2005	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		2006	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

1	2	3	4	5
2.	बिहार	2003	1	18
		2004	17	162
		2005	32	212
		2006	65	471
3.	छत्तीसगढ़	2003	205	2232
		2004	235	2459
		2005	118	1733
		2006	220	
4.	गुजरात	2003	695	9148
		2004	885	7836
		2005	582	5304
		2006	620	5319
5.	गोवा	2003	1	30
		2004	1	50
		2005	9	32
		2006	3	70
6.	हरियाणा	2003	25	455
		2004	46	282
		2005	67	386
		2006	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
7.	हिमाचल प्रदेश	2003	729	10993
		2004	459	7958
		2005	474	8503
		2006	132	1426
8.	जम्मू और कश्मीर	2003	23	332
		2004	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		2005	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		2006	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
9.	झारखंड	2003	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		2004	148	561
		2005	125	495
		2006	31	382
10.	कर्नाटक	2003	40	375
		2004	180	उपलब्ध नहीं
		2005	501	3007
		2006	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
11.	केरल	2003	258	3625
		2004	1119	14301
		2005	174	877
		2006	334	1121
12.	मध्य प्रदेश	2003	451	7633

1	2	3	4	5
		2004	547	9137
		2005	785	10361
		2006	752	9434
13.	महाराष्ट्र	2003	1969	41652
		2004	1178	20079
		2005	1907	33686
		2006	2769	39554
14.	उड़ीसा	2003	157	352
		2004	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		2005	205	उपलब्ध नहीं
		2006	356	उपलब्ध नहीं
15.	पंजाब	2003	455	11622
		2004	254	1837
		2005	183	1688
		2006	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
16.	राजस्थान	2003	7	167
		2004	1	40
		2005	एन.ए.	एन.ए.
		2006	एन.ए.	एन.ए.
17.	तमिलनाडु	2003	263	1274
		2004	383	1796
		2005	259	1311
		2006	450	2276
18.	उत्तर प्रदेश	2003	84	745
		2004	48	413
		2005	138	999
		2006	77	597
19.	उत्तरांचल	2003	1025	4983
		2004	1138	4850
		2005	940	3652
		2006	222	562
20.	पश्चिम बंगाल	2003	82	222
		2004	202	1010.
		2005	70	501
		2006	—	—
	पूर्वोत्तर राज्य			
1.	असम	2003	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		2004	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		2005	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		2006	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	2003	1	200
		2004	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		2005	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		2006	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
3.	मणिपुर	2003	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		2004	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		2005	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		2006	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
4.	मेघालय	2003	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		2004	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		2005	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		2006	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
5.	मिजोरम	2003	13	885
		2004	31	2154
		2005	117	8459
		2006	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
6.	नागालैंड	2003		2
		2004	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		2005	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		2006	15	7200
7.	सिक्किम	2003	18	37
		2004	25	185
		2005	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		2006	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
8.	त्रिपुरा	2003	8	60
		2004	490	4900
		2005	450	4500
		2006	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

[अनुवाद]

कृषि उत्पादों हेतु बाजार

1816. श्री ब्रह्मानन्द पंडा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि उत्पादों हेतु विपणन संबंधी मूलभूत सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने प्याज, फलों, सब्जियों, फूलों इत्यादि जैसे विभिन्न उत्पादों हेतु अनन्य बाजार उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई आरंभ की है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) कृषि मंत्रालय देश में "कृषि विपणन अवसंरचना, ग्रेडिंग व मानकीकरण का विकास/सुदृढ़ीकरण" संबंधी केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम 20.10.2004 से क्रियान्वित कर रहा है। इस स्कीम का उद्देश्य कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में विपणन अवसंरचना के त्वरित विकास को प्रोत्साहित करना, तथा उत्पादन की फसलोपरांत आवश्यकता तथा विभिन्न फार्म उत्पादों के विपणन योग्य अधिशेष की आवश्यकता पूरी करना है।

इस स्कीम के तहत मौजूदा कृषि मण्डियों के सुदृढ़ीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिये तथा कृषि उत्पादों की ग्रेडिंग, मानकीकरण तथा प्रमाणन के लिये सहित कृषि जिंसों के विपणन के लिये सामान्य या जिंस विशिष्ट अवसंरचना की पूंजी लागत पर ऋण से जुड़ी पश्चोन्मुख सब्सिडी का प्रावधान है। सब्सिडी की दर परियोजना की पूंजी लागत का 25% है। पूर्वोत्तर राज्यों, पर्वतीय तथा पहाड़ी क्षेत्रों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित उद्यमियों के मामले में, तथापि, सब्सिडी की दर 33.33% है। यह स्कीम सुधार से जुड़ी हुई है तथा उसे उन राज्यों में क्रियान्वित किया जाना है जो निजी तथा सहकारी क्षेत्रों में मण्डियों की स्थापना की अनुमति देने तथा प्रत्यक्ष विपणन और अनुबंध खेती की स्वीकृति प्रदान करने हेतु, जहां कहीं भी अपेक्षित है, कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम (ए पी एम सी अधिनियम) में संशोधन करते हैं। इस स्कीम के तहत व्यक्ति, किसानों के समूह, उत्पादक और उपभोक्ता आदि सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

(ग) और (घ) देश में किसी भी स्थान पर प्याज, फल, सब्जी फूल आदि जैसे विभिन्न उत्पादों के लिये जिंस विशिष्ट मण्डियों की स्थापना हेतु इस स्कीम के तहत सब्सिडी उपलब्ध है।

पराजीनी अनुसंधान

1817. **श्री किन्जरपु येरननायडु :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भावी भारतीय कृषि विकास हेतु पराजीनी अनुसंधान को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र मान रही है;

(ख) यदि हां, तो किन फसलों पर अनुसंधान हो रहा है;

(ग) प्रस्तावित अनुसंधान के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है;

(घ) पराजीनी बीजों को कब तक विकसित किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बहुराष्ट्रीय कंपनियों और विकसित देशों के अनुसंधान कार्यक्रम की प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार निजी क्षेत्र के साथ संयुक्त अनुसंधान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) कपास, बैंगन, बंदगोभी, अरण्ड, फूलगोभी, कॉर्न, मूंगफली, भिण्डी, आलू, चावल, टमाटर, ज्वार, चना, अरहर, सोयाबीन, ब्रेसिका, केला, पपीता एवं कसावा पर अनुसंधान कार्य चल रहा है।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा पराजीनी फसलों सहित पुराने अधिदेश के तहत आने वाली फसलों पर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। जैव-प्रौद्योगिकी सहित पराजीनी अनुसंधान के क्षेत्र में जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), भारत सरकार का एक नोडल विभाग है। उपरोक्त के अलावा, केन्द्रीय विश्वविद्यालय और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन भी पराजीनी अनुसंधान के लिए पृथक बजट निर्धारित नहीं किया गया है।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निम्नलिखित संस्थान कृषि जैव-प्रौद्योगिकी सहित पराजीनी अनुसंधान पर कार्य कर रहे हैं:–

(i) राष्ट्रीय पादप जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली।

(ii) राष्ट्रीय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में नई पहलों के साथ उपरोक्त उल्लेखित दोनों केन्द्रों के बजट का विवरण नीचे दिया गया है:-

(रु. करोड़ में)

(i)	राष्ट्रीय पादप जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली	रु. 16.435
(ii)	राष्ट्रीय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली	रु. 8.577
(iii)	पराजीनी पर नेटवर्क परियोजना, नई दिल्ली (2 वर्ष)	रु. 32.85
(iv)	आण्विक प्रजनन पर नेटवर्क परियोजना, नई दिल्ली (3 वर्ष)	रु. 2.41
(v)	फसलों में बहु-जैविक दबावों की प्रतिरोधिता के लिए जीन पिरामिडिंग पर नेटवर्क परियोजना (3 वर्ष)	रु. 1.95

(घ) 19 फसलों पर पराजीनी अनुसंधान का विकास कार्य प्रयोगात्मक स्तर पर है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति (जीईएसी), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जैविक सुरक्षा परीक्षण आदि के बाद इन्हें जारी किया जाएगा।

(ङ) बहु-राष्ट्रीय कंपनियों और विकसित राष्ट्रों के कार्यक्रम के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपनी क्षमताओं को विकसित कर रही है।

(च) निजी क्षेत्रों के साथ संयुक्त अनुसंधान शुरू करने के लिए सार्वजनिक-निजी साझेदारी को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रोत्साहित करती है।

(छ) पादप जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली ने बीटी बैंगन की खेत जांच तथा व्यावसायीकरण के लिए मैसर्स बेजो शीतल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बीटी बैंगन, सूखा सहिष्णु चावल, पछेती अंगमारी प्रतिरोधी आलू आदि की किस्मों के विकास हेतु कॉर्नेल विश्वविद्यालय, अमेरिका के एग्रीकल्चरल बायोटैक्नोलॉजी सपोर्ट प्रोग्राम (एबीएसपी) से सहयोग के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

आयातित गेहूं का संदूषित होना

1818. श्री निखिल कुमार :
श्री अधीर चौधरी :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में घटिया स्तर की पैकिंग किये जाने के कारण व्यापक स्तर पर आयातित गेहूं के प्रदूषित होने की रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयातित गेहूं की पैकिंग के काम में ली गई जूट की बोरियां भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुरूप नहीं थीं;

(ग) यदि हां, तो क्या मामला वस्त्र मंत्रालय के साथ उठाया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर वस्त्र मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) आयातित गेहूं के संरक्षण तथा उचित पैकिंग करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारतीय खाद्य निगम को कुछ ऐसी जूट की बोरियां मिली थीं जो भारतीय मानक ब्यूरो की विनिर्दिष्टियों के अनुरूप नहीं थीं।

(ग) जी, हां।

(घ) तदनुसार, वस्त्र मंत्रालय ने जूट की बोरियों की भारतीय ब्यूरो के मानकों से अनुरूपता के संबंध में जांच करने के लिए भारतीय खाद्य निगम, भारतीय जूट मिल संघ, आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय और जूट आयुक्त कार्यालय, कोलकाता

को शामिल करते हुए एक संयुक्त जांच दल का गठन किया है। जूट आयुक्त ने कथित दोषी यूनिटों के विरुद्ध कार्रवाई भी शुरू की है।

(ङ) गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के जरिए जूट के बोरियों को खरीदता रहा है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की पैकिंग हेतु जूट की बोरियों को स्वीकार करने से पूर्व आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय द्वारा इनकी जांच की जाती है।

डाटा अनन्यता

1819. **एडवोकेट सुरेश कुरूप :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औषध और भेषज की विपणन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत परीक्षण डाटा हेतु डाटा अनन्यता प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार डाटा अनन्यता के जन स्वास्थ्य निहितार्थों से अवगत है;

(घ) यदि हां, तो जन स्वास्थ्य और दवाओं हेतु पहुंच के संबंध में डाटा अनन्यता के तीन प्रमुख निहितार्थों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) डाटा अनन्यता शुरु किए जाने की स्थिति में जन स्वास्थ्य संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय झान्डिक) : (क) से (घ) सचिव, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग की अध्यक्षता में एक अंतर्मंत्रालयी समिति, एग्रोरसायनों एवं औषधों के संबंध में अप्रकट सूचना की संरक्षा के लिए ट्रिप्स समझौता के अनुच्छेद 39.3 के प्रावधानों के संदर्भ में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जांच-पड़ताल कर रही है। समिति ने अधिकतर स्टेकधारकों के विचार सुन लिए हैं।

(ङ) यदि सरकार डाटा संरक्षण प्रदान करने का निर्णय लेती है, तो समिति अपनी रिपोर्ट देते समय पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करेगी।

[हिन्दी]

गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य

1820. **श्री हरिकेवल प्रसाद :**
श्री गिरिधारी यादव :
श्री रघुनाथ झा :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने में क्या मानदंड अपनाये जाते हैं;

(ख) क्या इस मानदंड के अनुपालन में कोई अनियमितता पाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) केन्द्र सरकार गन्ने की खरीदारी नहीं करती है, इस प्रकार गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, गन्ना किसानों को चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर और राज्य सरकारों तथा चीनी फैक्ट्रियों और किसानों की एसोसिएशनों जैसे अन्य संगठनों/प्राधिकरणों, जो उचित समझे जाएं, के साथ परामर्श करने और निम्नलिखित को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है:-

(1) गन्ने की उत्पादन लागत;

(2) वैकल्पिक फसलों से उत्पादकों को होने वाला लाभ और कृषि जिंसों के मूल्यों की सामान्य प्रवृत्ति;

(3) उचित दर पर उपभोक्ताओं को चीनी की उपलब्धता;

(4) वह मूल्य जिस पर गन्ने से उत्पादित चीनी को चीनी उत्पादकों द्वारा बेचा जाता है; और

(5) गन्ने से चीनी की रिकवरी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तिलहनों का आयात

1821. **श्री अवतार सिंह भडाना :**
श्री जे.एम. आरुन रशीद :
डा. राजेश मिश्रा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल और श्रीलंका से तिलहनों का आयात करने की नीति के कारण तिलहन उद्योग बंद होने के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तिलहनों का कितनी मात्रा में आयात किया गया और देश में तिलहनों के उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, नहीं। निम्नलिखित सारिणी से यह स्पष्ट है कि विगत तीन वर्षों के दौरान नेपाल और श्रीलंका से तिलहन का आयात नगण्य रहा है।

(मात्रा मी.टन में)

तिलहन	आयात		
	2003-04	2004-05	2005-06
अलसी	918.96	550.85	973.1

(ख) वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान आयातित तिलहनों की मात्रा क्रमश: 4.7 हजार मी. टन, 4.7 हजार मी.टन और 9.9 हजार मी. टन थी। प्रमुख तिलहनों का उत्पादन 2003-04 में 25.18 मिलियन मी. टन से बढ़कर 2005-06 में 27.43 मिलियन मी. टन हो गया।

(ग) सरकार ने समेकित तिलहन, दलहन, आयलपॉम एवं मक्का स्कीम (आइसोपॉम) के तहत तिलहनों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिये बहुत से कार्यक्रम तथा हस्तक्षेप क्रियान्वित किये हैं। किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिये भारत सरकार तिलहन उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए उचित संवर्द्धन के साथ प्रत्येक वर्ष तिलहनों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है।

उपभोक्ता कानून का विफल होना

1822. **श्री सुनिल कुमार महतो :**
श्री एम. अंजन कुमार यादव :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उपभोक्ता कानून निष्प्रभावी साबित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उपभोक्ता कानून से अभी तक कितने प्रतिशत जनसंख्या अनभिज्ञ है;

(घ) सरकार द्वारा जनता को उपभोक्ता अधिकारों और कानूनों की जानकारी देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सरकार द्वारा शुरू किया गया एक सतत् मल्टी मीडिया अभियान तथा अन्य उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम देश में व्यापक उपभोक्ता जागरुकता पैदा कर रहे हैं। उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा समर्थित नेशनल कंज्यूमर हैल्प लाइन और वेब आधारित कंज्यूमर आन लाइन रिसोर्स एंड एम्पावरमेंट सेंटर द्वारा प्राप्त की जा रही कॉलें और क्वैरियां देश में बढ़ रहे उपभोक्ता जागरुकता के स्तर के सूचक हैं। तथापि, देश की जटिल सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों, देश की विशालता और समाज के विभिन्न वर्गों से संबंध रखने वाली बढ़ती हुई आबादी तथा इस तथ्य को भी देखते हुए कि प्रत्येक नागरिक किसी न किसी रूप में एक उपभोक्ता है, यह बताना संभव नहीं होगा कि अब तक कितनी प्रतिशत जनता उपभोक्ता कानूनों के बारे में अनभिज्ञ है।

[अनुवाद]

वायदा कारोबार के कारण महंगाई

1823. श्री रघुनाथ झा : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं, दालों और अन्य खाद्यान्नों में अग्रिम/वायदा कारोबार शुरू करने की अनुमति की वजह से खुदरा बाजार में कीमतों में चौतरफा वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय समिति ने खुले बाजार में कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए गेहूं और व्यापक स्तर पर उपभोग की जाने वाली अन्य आवश्यक वस्तुओं के अग्रिम/वायदा कारोबार पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो समिति की उक्त सिफारिश के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान गेहूं, दालों और अन्य खाद्यान्नों की मौजूदा दर का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं। गेहूं, दालों और अन्य खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि मुख्य रूप से मांग की तुलना में घरेलू आपूर्ति में कमी और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ोतरी के कारण हुई है।

(ख) और (ग) जी, हां। भावी सौदा व्यापार से उत्पादकों, प्रसंस्करणकर्ताओं, निर्यातकों आदि जैसे विभिन्न पणधारियों को मूल्यों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होने वाले अपने जोखिम को हैजिंग के जरिए उन लोगों को शिफ्ट करने में सहायता मिलती है जो कुछ लाभ कमाने की उम्मीद में इसको स्वीकार करने के इच्छुक होते हैं। भावी सौदा व्यापार किसानों/कृषकों को भी सेवाएं प्रदान करता है। हैजिंग की सुविधा से उन किसानों को अपनी फसलों अथवा स्टाकों को बनाए रखने, ऐसे स्टाकों की लम्बे समय तक बिक्री करने, और उससे अपने उत्पाद का बेहतर औसत मूल्य वसूल करने में सहायता मिलेगी जो वस्तुओं का भारी मात्रा में उत्पादन करते हैं। भावी सौदा बाजार किसानों को बुआई के समय विपणन अवधि के दौरान विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों के अपेक्षित स्तरों का अग्रिम संकेत देता है जिससे उचित फसल योजना बनाने में सहायता मिलती है। हालांकि छोटे किसान सामान्यत: भावी सौदा व्यापार में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते, फिर भी उनको कुशल और पारदर्शी मूल्य खोज के कारण भावी सौदा व्यापार का लाभ मिल सकता है। इसको देखते हुए सरकार ने खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति से निवेदन किया है कि गेहूं तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं में भावी सौदा व्यापार को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता नहीं है।

(घ) वर्ष 2006-2007 और 2005-2006 के दौरान चार महानगरों में महत्वपूर्ण खाद्यान्नों के प्रचलित खुदरा मूल्यों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

यूनिट : (रु./कि.ग्रा.)

वस्तु/केन्द्र	2006-07 28.11.2006 की स्थिति के अनुसार	2005-06 8.11.2005 की स्थिति के अनुसार
1	2	3
चावल		
चेन्नई	12.00	12.00
दिल्ली	14.50	13.50
कोलकाता	12.00	10.00
मुंबई	13.00	11.50
गेहूं		
चेन्नई	17.00	11.00
दिल्ली	12.00	10.00
कोलकाता	व्यापारित नहीं	व्यापारित नहीं
मुंबई	15.00	11.50
चना		
चेन्नई	41.00	30.00
दिल्ली	41.00	27.00

1	2	3
कोलकाता	40.00	25.00
मुंबई	45.00	25.00
तूर		
चेन्नई	35.00	36.00
दिल्ली	34.00	33.00
कोलकाता	30.00	31.00
मुंबई	34.00	30.00

स्रोत : राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग

राजसहायता प्राप्त दरों पर गेहूं और चावल की आपूर्ति

1824. **श्री जी.वी. हर्ष कुमार :**
श्री कीरेन रिजीजू :
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों में अनाथालयों, अंध विद्यालयों और गैर-सरकारी संगठन संचालित धर्मार्थ संस्थाओं को राजसहायता प्राप्त दरों पर गेहूं और चावल सहित खाद्यान्नों की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली और कुछेक अन्य राज्यों में इन संगठनों को राजसहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्नों की आपूर्ति रोक दी गई है, जिसके फलस्वरूप ऐसे संगठनों में रहने वालों को इन्हें खुले बाजार से खरीदना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उक्त संगठनों को राजसहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) दिल्ली सहित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर कल्याण संस्थाओं के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन करता है जो आगे इनका आवंटन अनाथालयों, नेत्रहीनों के विद्यालयों और धर्मार्थ संस्थाओं आदि जैसे विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को करते हैं।

(ख) से (घ) खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने खाद्यान्न आधारित विभिन्न कल्याण योजनाओं के अधीन किए गए आवंटन की समीक्षा की थी और सुझाव दिया था कि पिछले तीन वर्षों के उठान के आंकड़ों के आधार पर इनमें संशोधन किया जाए क्योंकि इन स्कीमों के अधीन बहुत कम उठान हुआ था। तदनुसार, इस स्कीम के अधीन आवंटन (गरीबी रेखा से नीचे के आवंटन का 5%) में संशोधन किया गया था। दिल्ली के लिए उठान के आंकड़ों का मिलान करने में कुछ समय लगा था और मिलान करने पर दिनांक 21.9.2006 तथा 16.10.2006 के पत्रों द्वारा क्रमशः 27.36 टन गेहूं और 17.45 टन चावल का प्रति माह आवंटन किया गया था।

कृषि क्षेत्र के लिए योजनाएं

1825. **श्री ए. साई प्रताप :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों के लिए कृषि क्षेत्र हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उपयोगिता रिपोर्ट/प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन राज्यों ने वर्षवार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्य असुरक्षा का खतरा

1826. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :
श्री राम कृपाल यादव :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाद्य असुरक्षा का खतरा मंडरा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी स्थिति आने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) जी, नहीं। देश में खाद्य असुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। 1.10.2006 की स्थिति के अनुसार खाद्यान्नों के 162.00 लाख टन के बफर मानदंडों के प्रति 1.11.2006 की स्थिति के अनुसार 186.49 लाख टन खाद्यान्नों का स्टॉक है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सहकारी समितियों के लिए निधियां

1827. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में सहकारी समितियों को दी गई वित्तीय सहायता के संबंध में वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसके लिए अपेक्षित निबंधन एवं शर्तों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय क्षेत्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों और निगम प्रायोजित स्कीमों के अधीन आंध्र प्रदेश में सहकारी समितियों को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन सी डी सी) द्वारा जारी की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(लाख रुपये में)

वर्ष	आंध्र प्रदेश
2003-04	699.74
2004-05	18472.84
2005-06	26075.29

एन.सी.डी.सी. द्वारा ऋण तथा सब्सिडी के रूप में, यदि लागू हो, सहायता निर्मुक्त की जाती है। ऋण उन शर्तों के आधार पर निर्मुक्त की जाती है जिनमें आवधिक ऋण पर ब्याज की दर, कार्यकारी पूंजी एवं मार्जिन राशि, आवधिक ऋण के पुनर्भुगतान की अवधि शामिल हैं।

खेती के लिए वर्षा जल का उपयोग

1828. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसानों को खेती के लिए वर्षा जल के उपयोग के संबंध में शिक्षित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस प्रयोजनार्थ किसानों को कोई वित्तीय सहायता/राजसहायता/प्रोत्साहन दे रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) राष्ट्रीय जल नीति तथा राष्ट्रीय कृषि नीति में वर्षा जल के दोहन की आवश्यकता और महत्व पर बल दिया गया है। भारत सरकार देश में पनधारा विकास के लिये बहुत सी स्कीमें क्रियान्वित कर रही है। वर्षा जल का दोहन तथा मृदा नमी संरक्षण इन स्कीमों के प्रमुख उद्देश्य हैं। भारत सरकार की प्रमुख स्कीमें निम्नलिखित हैं:-

I. कृषि मंत्रालय:

1. वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.)

2. नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदियों के आवाह क्षेत्रों में निम्नीकृत भूमियों उत्पादकता की वृद्धि हेतु मृदा संरक्षण (आर.वी.पी. एण्ड एफ.पी.आर.)

3. झूम खेती वाले क्षेत्रों के लिये पनधारा विकास कार्यक्रम (डब्ल्यू.डी.पी.एस.सी.ए.)

4. क्षारीय मृदा का सुधार (आर.ए.एस.)

5. पनधारा विकास कोष (डब्ल्यू.डी.एफ.)

II. ग्रामीण विकास मंत्रालय:

1. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)

2. मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.)

3. समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.)

इन सभी स्कीमों में किसानों को प्रशिक्षण से संबंधित घटक मौजूद हैं जिसके तहत किसानों को वर्षा जल के दोहन सहित पनधारा प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण दिया जाता है। संबंधित स्कीम के तहत प्रशिक्षण पर संपूर्ण व्यय वहन किया जाता है।

इसके अलावा, प्राकृतिक संसाधन प्रबंध/स्कीमों के विकास घटक के तहत वर्षा जल के दोहन के लिये वित्तीय तथा तकनीकी सहायता का प्रावधान किया गया है। प्रमुख पनधारा कार्यक्रमों में समुदाय से जुड़े हुये क्रियाकलापों के लिये तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिये 95% तक की सहायता और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को छोड़कर व्यक्तिगत क्रियाकलापों के लिये 90% सहायता का प्रावधान है।

आयातित गेहूं की चोरी

1829. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल और कर्नाटक में भारतीय खाद्य निगम के भाण्डागारों में तूतीकोरिन पत्तन से लाए गए आयातित गेहूं की हजारों बोरियां गायब हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इसके लिए दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) गायब बोरियों का पता लगाने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने जांच के लिए विशेष दस्ते तैनात किए हैं। इस बीच कुलियों के ठेकेदार के भुगतान न किए गए बिलों, सिक्योरिटी जमा और बैंक गारंटियों को रोक लिया गया है।

(ग) और (घ) जांच की जा रही है और उसके पूरा होने के बाद सरकार दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करेगी।

[हिन्दी]

गन्नें की खरीद की बकाया धनराशि हेतु पैकेज

1830. **श्री रघुराज सिंह शाक्य :** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ने के किसानों की बकाया धनराशि के लिए राहत पैकेज जारी किए जाने के मुद्दे के समाधान के लिए दिल्ली में वर्ष 2003 में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) गन्ना किसानों की बकाया धनराशि के समाधान के संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(घ) क्या सरकार द्वारा बकाया धनराशि के भुगतान सहित गन्ना उत्पादकों की समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति गठित की गई है अथवा किये जाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) चीनी मौसम 2002-03 के लिए गन्ना मूल्य के बकाया के संबंध में गन्ना किसानों की कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया था कि केन्द्र सरकार कुछ विहित शर्तों के पूरा करने की शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों को एक मुश्त सहायता प्रदान करेगी, यह सहायता बाजार से अतिरिक्त उधारियां लेने की अनुमति देकर की जाएंगी जिसका उपयोग केवल चीनी मौसम 2002-03 के गन्ना मूल्य बकाया का निपटान करने के लिए किया जाएगा और किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।

(ग) 15.9.2003 की स्थिति के अनुसार चीनी मौसम 2002-03 के लिए देय गन्ना मूल्य की राशि 13907 करोड़ रुपये थी। 15.9.2006 की स्थिति के अनुसार यह राशि घटकर 2005 करोड़ रुपये रह गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गन्ने का भुगतान

1831. श्री रघुनाथ झा : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मिलों के लिए गन्ने की आपूर्ति किए जाने के 14 दिनों के अंतर्गत गन्ने का भुगतान किया जाना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के उपबंधों के अनुसार गन्ने के बकाया मूल्य की ब्याज सहित वसूली करने हेतु चूककर्ता चीनी मिलों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) किसानों के हितों का संरक्षण करने एवं इन्हें प्रोत्साहन देने तथा उनके कृषि उत्पाद सुपुर्दगी पर तत्काल लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 3(1) के अधीन गन्ना किसान केन्द्रीय सरकार द्वारा गन्ने का यथानिर्धारित सांविधिक न्यूनतम मूल्य प्राप्त करने के पात्र हैं। यह न्यूनतम मूल्य है जिससे कम मूल्य पर कोई भी चीनी फैक्ट्री गन्ना किसानों से गन्ना नहीं खरीद सकती। सांविधिक न्यूनतम मूल्य के अतिरिक्त, गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 5-क के उपबंधों के अनुसार, यदि चीनी फैक्ट्री ने लाभ कमाया है तो गन्ना किसान अतिरिक्त गन्ना मूल्य प्राप्त करने के भी हकदार हैं।

गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 3(3) में यह व्यवस्था है कि जब कोई चीनी उत्पादक किसी गन्ना किसान या गन्ना किसानों की सहकारी समिति से कोई गन्ना क्रय करता है तो उत्पादक, जब तक कि दोनों पार्टियों के बीच इसके विपरीत लिखित रूप में कोई करार नहीं हो, विक्रेता को गन्ने की सुपुर्दगी की तारीख से 14 दिनों के भीतर भुगतान करेगा। उक्त आदेश के खंड 3(3-क) में यह व्यवस्था है कि जहां कोई चीनी उत्पादक अथवा उसका एजेंट क्रय किए गए गन्ने का भुगतान सुपुर्दगी की तारीख से 14 दिनों के भीतर नहीं करता है तो वह 14 दिनों के बाद ऐसी विलम्ब की अवधि के लिए बकाया राशि पर 15% वार्षिक दर पर ब्याज का भुगतान करेगा। इसके अतिरिक्त, गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के उपबंधों के तहत गन्ना मूल्य बकायों की वसूली भू-राजस्व के बकायों की वसूली के समान की जा सकती है और इस संबंध में राज्य सरकारों को प्राधिकृत किया गया है।

गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के उपर्युक्त उपबंधों से गन्ना किसानों को समय पर और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होता है।

[हिन्दी]

सरसों का उत्पादन

1832. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एवं वर्तमान वर्ष के दौरान देश में सरसों का उत्पादन बड़े पैमाने पर हुआ है।

(ख) यदि हां, तो गोदामों में उपलब्ध सरसों की मात्रा और इसका मूल्य कितना है;

(ग) क्या सरकार वनस्पति तेल के उत्पादन में सरसों के उपयोग को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विद्यमान भंडार का उपयोग करने हेतु खुले बाजार में सरसों के मूल्य में कमी करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी हां, रेपसीड एवं सरसों का उत्पादन 2004-05 में 75.93 लाख टन था। वर्ष 2005-06 (चौथे अग्रिम अनुमान) के लिए यह 78.87 लाख टन अनुमानित किया गया था।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) के अनुसार रबी 2005 तथा रबी 2006 के दौरान मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत सरसों के बीजों के प्रापण, बेची गयी मात्रा, 27.11.2006 को उपलब्ध शेष तथा इसके मूल्य के ब्यौरे नीचे की सारणी में दिए गए हैं:-

(लाख टन)

	प्रापण की गई मात्रा	बेची गयी मात्रा	शेष	मूल्य (करोड़ रुपए)
रबी 2005	20.93	20.16	0.77	141.29
रबी 2006	22.05	6.21	15.84	3033.36

(ग) वनस्पति को बनाने में 20% सरसों तेल के अनिवार्य रूप से प्रयोग के लिए सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है।

(घ) और (ङ) नैफेड द्वारा प्रापण किए गए सरसों के बीजों का निपटान सरकार द्वारा नियमित आधार पर समीक्षाधीन है। नैफेड को सामान सूची कम करने के लिए, बाजार मूल्यों पर 4 से 5 लाख टन सरसों के बीच का प्रति माह, निपटान करने के लिए सलाह दी गई है। 28 नवम्बर, 2006 तक नैफेड के पास रबी 2005 का 0.77 लाख टन तथा रबी 2006 का 15.84 लाख टन सरसों के बीजों का भंडार विद्यमान है।

सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य

1833. **श्री विजय कृष्ण :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न क्षेत्रों हेतु सरसों के विभिन्न न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न राज्यों के किसानों को सरसों न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा किसान को राहत पहुंचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी नहीं, भारतीय सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा पूरे देश में एक समान करती है। भारत सरकार ने सरसों के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2004-05 में 1700 रुपए प्रति क्विंटल पर तथा 2005-06 और 2006-07 में 1715 रुपए प्रति क्विंटल पर निर्धारित किया था।

(ख) और (ग) यह देखने के लिए किसानों को अपने उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त हों तथा उन्हें संकट बिक्री के लिए बाध्य नहीं होना पड़े, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नैफेड), नामित सरकारी एजेंसी के तौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों के बीजों का प्रापण कार्य व्यापक स्तर पर चलाती है। नैफेड ने रबी 2005-06 में रबी 2005 सरसों का 20.93 लाख मीट्रिक टन तथा 2006-07 में रबी 2006 सरसों का 22.05 लाख मीट्रिक टन प्रापण किया और प्रापण किया जा रहा है।

[अनुवाद]

उद्यान/अभयारण्य का विकास

1834. **श्री ए.के. खारवेनथन :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास नीलगिरि में मुदुमलाई वन्य जीव अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान विकसित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या अन्नामलाई, मुदुमलाई और परमबिकुलम को बाघ अभयारण्य के रूप में विकसित करने का भी प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक विकसित किया जाएगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों का संरक्षण और विकास मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। भारत सरकार केन्द्रीय प्रायोजित योजना - "राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास", के अंतर्गत राज्य को आवश्यक तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो राज्य सरकारों से प्राप्त राष्ट्रीय कार्य योजना पर आधारित है। वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान भारत सरकार ने क्रमश: 13.05 लाख रुपये और 13.72 लाख रुपये मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान विकास और संरक्षण के लिए मंजूर किए हैं।

(ग) से (ङ) बाघ परियोजना की स्टीयरिंग कमेटी द्वारा 23 जनवरी, 2006 को आयोजित 37वीं बैठक में की गई सिफारिश के अनुसार राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर केरल तमिलनाडु के दो राज्यों में फैले नए बाघ रिजर्व के रूप में अनामलाई पारम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य और मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य को घोषित करने के लिए "सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन" प्रदान किया जा चुका है।

मोरों का संरक्षण

1835. **श्री चन्द्रकांत खैरे :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पक्षी, 'मोर' के पंखों के वाणिज्यिक/धार्मिक प्रयोग की वजह से ये विलुप्त होते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मोरों को मारे जाने की घटनाओं को रोकने तथा उनकी संख्या बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ग) मोर के पंखों के वाणिज्यिक/धार्मिक प्रयोग की वजह से इनके विलुप्त होने की कोई सूचना इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है। मोर मानव बस्तियों के समीप सुरक्षित क्षेत्रों में और सुरक्षित क्षेत्रों के बाहर पाए जाते हैं। मोरों की सुरक्षा के लिए, इन्हें वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में शामिल करके उन्हें उच्चतम दर्जे की सुरक्षा प्रदान की गई है। कई वन्यजीव अभयारण्यों जैसे कर्नाटक का अदिचुंचुनागरई अभयारण्य और महाराष्ट्र में नौगांव अभयारण्य को विशेष रूप से मोरों के संरक्षण के लिए घोषित किया गया है।

[हिन्दी]

कृषि वैज्ञानिकों की कार्यशाला

1836. **श्री रघुराज सिंह शाक्य :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आधुनिक कृषि तथा लाभ कमाने वाली फसलों के संवर्धन हेतु कृषि वैज्ञानिकों की कोई राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में देश में विशेषरूप से उत्तर प्रदेश में सूरजमुखी, सोयाबीन तथा मशरूम इत्यादि के उत्पादन के संवर्द्धन के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई तथा किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में राज्यवार आधुनिक कृषि के संवर्धन में लगे वैज्ञानिकों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) अपने अधिदेश के अनुपालन के लिए कृषि की विज्ञान आधारित वृद्धि और विकास के लिए अनुसंधान संस्थाओं के एक नेटवर्क के माध्यम से कृषि योग्य अनुसंधान और मानव संसाधन विकास के सृजन में लगी हुई है। फसलों/पण्यों/उद्देश्यों में कृषि वैज्ञानिकों की राष्ट्रीय कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं जिनमें किसानों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक खेती के उन्नयन के लिए अनुसंधान नीतियों को तैयार करने हेतु संबद्ध वैज्ञानिक शामिल किए जाते हैं।

(ख) देश में सूरजमुखी, सोयाबीन तथा मशरूम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए परिषद ने सूरजमुखी सहित अनेक तिलहनी फसलों पर कार्य करने के लिए हैदराबाद में तिलहन अनुसंधान निदेशालय, इन्दौर में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र और सोलन में राष्ट्रीय खुम्बी अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की है।

इन सभी संस्थानों के राष्ट्रीय अधिदेश हैं तथा तदनुसार अनुसंधान कार्य किये जाते हैं। पिछले तीन वर्षों (2003-04 से 2005-06) के

दौरान उत्पादन क्रियाओं सहित राष्ट्रीय स्तर पर सूरजमुखी की आठ किस्में जारी की गई हैं। इसी अवधि के दौरान तिलहन अनुसंधान निदेशालय द्वारा कार्यान्वित योजना निधि के तहत 3.67 करोड़ रुपये की राशि अखिल भारतीय समन्वित सूरजमुखी परियोजना को प्रदान की गई। जिसमें मौजूदा वित्तीय वर्ष में 1.12 करोड़ रुपये का प्रावधान था।

जहां तक सोयाबीन का संबंध है इसी अवधि के दौरान छः किस्में उनकी उत्पादन क्रियाओं सहित जारी की गईं। मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान 3.61 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ 15.27 करोड़ रुपये की राशि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र को प्रदान की गई।

जहां तक मशरूम का संबंध है उन्नत सब्स्ट्रेट प्रिपेरेशन, केसिंग मैटिरियल और सस्य क्रियाओं के अलावा बटन, आयस्टर और धान पुआल मशरूम की अनेक उन्नत किस्में विकसित की गईं। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 2.26 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ पिछले तीन वर्षों के दौरान 12.50 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई।

(ग) देश में आधुनिक कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य विकास विभागों द्वारा मुख्य विस्तार प्रणाली का संचालन किया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 540 कृषि विज्ञान केन्द्रों का एक नेटवर्क स्वीकृत किया है जिसका उद्देश्य आधुनिक कृषि के प्रोत्साहन के लिए प्रौद्योगिकी/उत्पाद का प्रौद्योगिकी आकलन, परिष्करण और प्रदर्शन करना है। प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र में एक कार्यक्रम समन्वयक की अध्यक्षता में 6 विषय-वस्तु विशेषज्ञों का बहु-विषयक दल है। कृषि विज्ञान केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कृषि विज्ञान केन्द्रों का वितरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल
1	2.	3
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1
2.	आंध्र प्रदेश	22
3.	अरुणाचल प्रदेश	10
4.	असम	20
5.	बिहार	36
6.	छत्तीसगढ़	11
7.	दिल्ली	1
8.	गोवा	2
9.	गुजरात	23
10.	हरियाणा	18
11.	हिमाचल प्रदेश	12
12.	जम्मू व कश्मीर	13
13.	झारखण्ड	18
14.	कर्नाटक	26
15.	केरल	14
16.	लक्षद्वीप	1
17.	मध्य प्रदेश	44
18.	महाराष्ट्र	33
19.	मणिपुर	8
20.	मेघालय	5
21.	मिजोरम	8
22.	नागालैंड	8
23.	उड़ीसा	29
24.	पांडिचेरी	2
25.	पंजाब	17
26.	राजस्थान	32

1	2	3
27.	सिक्किम	4
28.	तमिलनाडु	28
29.	त्रिपुरा	4
30.	उत्तर प्रदेश	61
31.	उत्तरांचल	12
32.	पश्चिम बंगाल	17
	कुल	540

[अनुवाद]

खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के लिए निधियां

1837. श्री वृज किशोर त्रिपाठी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के वित्तपोषण के संबंध में भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वे कौन-कौन से राज्य हैं जहां उक्त कार्यक्रम चल रहा है;

(ग) प्रत्येक राज्य को अब तक प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विभिन्न राज्यों में इन कार्यक्रमों से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) जी, हां। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम संबंधी भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) समझौते पर 13 फरवरी, 1998 को हस्ताक्षर किये गये थे जिसमें महिला किसानों और घरेलू खाद्य सुरक्षा पर ध्यान दिया गया था। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम एक छत्रक-कार्यक्रम था जिसके तहत 6 उप कार्यक्रम थे जो सभी अब तक सम्पन्न हो चुके हैं। प्रत्येक उप कार्यक्रम के अंतर्गत जारी सहायता और लाभानुभोगियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उप कार्यक्रमों का ब्यौरा

क्रम सं.	उप कार्यक्रमों का नाम	राज्य/जिले	पूर्ण होने की तारीख	जारी कुल राशि	लाभान्वित व्यक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	भारत में व्यापक पैमाने पर अपनाने के लिये संकर चावल प्रौद्योगिकी का विकास	राष्ट्रीय तंत्र के रूप में क्रियान्वित जिसमें अनुसंधान बीज उत्पादन और प्रौद्योगिकी अंतरण घटक शामिल हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान तंत्र में समूचे देश में स्थित 12 अनुसंधान केन्द्र शामिल हैं।	31.12.2002	6.32 करोड़ रु.	11,630 किसान
2.	भारत में खाद्य सुरक्षा के लिये मक्का आधारित फसल प्रणाली	बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान	31.13.2005	6.44 करोड़ रु.	कृषक समूह, सभी परियोजना क्षेत्रों में गठित संघ

1	2	3	4	5	6
3.	महिला संघों द्वारा सतत बारानी कृषि-आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	31.12.2004	9.23 करोड़ रु.	700 फार्म महिला समूह
4.	खाद्य सुरक्षा के लिये महिलाओं की अधिकारिता-उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	31.12.2004	11.84 करोड़ रु.	582 महिला समूह
5.	(i) जनजातीय उड़ीसा में महिलाओं के लिये सतत जीविका तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबंध का सुदृढ़ीकरण	उड़ीसा	31.12.2004	11.01 करोड़ रु.	700 फार्म महिला समूह
	(ii) उड़ीसा में चक्रवात प्रभावित परिवारों को अतिरिक्त सहायता	उड़ीसा	31.12.2004	1.49 करोड़ रु.	2.24 फार्म महिला समूह
6.	खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम को प्रबंधकीय सहायता		31.12.2005	0.22 करोड़ रु.	–

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हम आपकी बात सुनेंगे।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अगर कोई गलत काम कर रहा है, तो क्या उसका विरोध नहीं होना चाहिए...*(व्यवधान)* अगर कोई राज्य सरकार गलत काम कर रही है, तो वह वैस्ट बंगाल की सरकार कर रही है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : मैं केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2006 जो 10 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 469(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[मंत्रालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5122/2006]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) नेशनल एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) नेशनल एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5123/2006]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : महोदय, श्री तस्लीमुद्दीन की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आणंद के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आणंद के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5124/2006]

(2) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 की धारा 50 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कर्मकार (नियुक्ति, वेतन और भत्ते) (कर्मकार) विनियम, 2006 जो 4 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीईएल:एनडीडीबी में प्रकाशित हुए थे तथा 24 जून, 2006 की अधिसूचना संख्या 101 में प्रकाशित उसका शुद्धि पत्र।

(दो) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिकारी (नियुक्ति, वेतन और भत्ते) (संशोधन) विनियम, 2006 जो मई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीईएल:एनडीडीबी प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5125/2006]

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत पर्यावरण (संरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 2006 जो 16 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 640 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5126/2006]

(2) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 38 के अंतर्गत पशुओं का प्रजनन और उन पर परीक्षण (नियंत्रण और पर्यवेक्षण) संशोधन नियम, 2006 जो 25 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1818 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5127/2006]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) अंडमान और निकोबार, द्वीपसमूह वन और बागान विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) अंडमान और निकोबार, द्वीपसमूह वन और बागान विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5128/2006]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) गन्ना (नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2006 जो 10 नवंबर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1940 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) गन्ना प्रेस-मड (नियंत्रण) (निरसन) आदेश, 2006 जो 7 सितंबर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1457 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5129/2006]

(2) (एक) भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उपधारा 11 के अंतर्गत केन्द्रीय भाण्डागारण निगम नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय भाण्डागारण निगम नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5130/2006]

अपराह्न 12.01 बजे

सदस्य द्वारा त्यागपत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे दिनांक 2 दिसंबर, 2006 को श्री नवजोत सिंह सिद्धू जो कि पंजाब के अमृतसर संसदीय क्षेत्र के एक निर्वाचित सांसद है से तत्काल प्रभाव से लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने संबंधी पत्र प्राप्त हुआ है।

मैं दिनांक 4 दिसंबर, 2006 से उनका त्यागपत्र स्वीकार करता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

भागलपुर के निकट तोड़े जा रहे 'ऊल्टा पुल' के मलबे के नीचे दिनांक 2.12.2006 को 3017 अप हावड़ा-जमालपुर एक्सप्रेस के यात्रियों के दबने के कारण हुई दुर्घटना

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री लालू प्रसाद बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसके अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह दुर्घटना का मामला है। मैं आपको उचित समय पर सुनूंगा। श्री लालू प्रसाद।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बीच में टोका-टाकी न करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है? देश में एक दुखद घटना घटी है। वह अपना वक्तव्य दे रहे हैं।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : महोदय, मुझे सदन को यह सूचित करते हुए अत्यंत दुःख हो रहा है कि दिनांक 2.12.2006 को सुबह लगभग 7 बजकर 45 मिनट पर जब 3071 अप हावड़ा-जमालपुर एक्सप्रेस भागलपुर स्टेशन पहुंचने ही वाली थी कि उसी समय हटाए

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5132/2006]

जा रहे "उल्टा पुल" का मलवा अचानक गिरने से ट्रेन का एस-8 कोच मलवे के नीचे दब गया। अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार इस दुर्घटना में 35 यात्रियों की मृत्यु हो गई, 12 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए और 4 यात्रियों को साधारण चोटें आईं। घायल यात्रियों को भागलपुर के जवाहर लाल नेहरु अस्पताल में तुरंत भर्ती करा दिया गया।

घटना की सूचना मिलते ही राहत एवं बचाव कार्य दल घटनास्थल के लिए रवाना हो गया। महाप्रबंधक, पूर्व रेलवे तथा मालदा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक अपने संबंधित अधिकारियों के साथ दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। दिल्ली से रेलवे बोर्ड के सदस्य, इंजीनियरिंग भी घटनास्थल पर पहुंचे। रेल प्रबंधक अपने संबंधित अधिकारियों के साथ दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। दिल्ली से रेलवे बोर्ड के सदस्य, इंजीनियरिंग भी घटनास्थल पर पहुंचे।

महोदय, मैंने स्वयं भी घटनास्थल का दौरा कर राहत एवं बचाव कार्यों का निरीक्षण किया, घायलों एवं मृतकों के परिवारजनों से मुलाकात की तथा सभी आवश्यक उपचार व्यवस्था नि:शुल्क करने के निर्देश दिये। मानव त्रासदी की गंभीरता को देखते हुए मैंने निर्णय लिया है कि मृत परिवार के निकट संबंधी को पांच लाख रुपये, गंभीर रूप से घायल यात्रियों को एक लाख रुपये और साधारण रूप से घायल यात्रियों को पच्चीस हजार रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा। उक्त अनुग्रह राशि के अलावा मृतकों के आश्रितों एवं घायलों को रेल दावा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित चार लाख रुपये तक की राशि का मुआवजा भी अलग से देय होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मृत यात्री के परिवार के एक सदस्य को रेलवे में नौकरी भी दी जाएगी। गंभीर रूप से घायल ऐसे यात्रियों को जो पर्याप्त उपचार करने के बाद भी कार्य करने में सक्षम नहीं रहेंगे उन्हें स्वयं या उनके परिवार के एक सदस्य को भी रेलवे में नौकरी दी जाएगी।

सौ साल से अधिक पुराने इस पुल के स्थान पर एक नये आरओबी का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका था। इसलिए इस पुराने पुल को तोड़कर वहां से हटाने का काम योजना के अनुसार पिछले एक सप्ताह पहले प्रारंभ किया गया था। इस दुर्घटना के दो दिन पूर्व 30 नवम्बर, 2006 को इस पुल का एक स्पैन गिराये जाने के बाद साथ वाला स्पैन ट्रैक पर अचानक गिरने की घटना हो चुकी थी। सौभाग्य उसे उस समय कोई गाड़ी पुल के नीचे से नहीं गुजर रही थी। फिर भी संबंधित ठेकेदार एवं अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और पर्याप्त कदम न उठाने के फलस्वरूप उसी तरह का हादसा फिर हो गया जिसमें रेल यात्रियों की जान माल की हानि हुई। इस घटना के लिए प्रथमदृष्टया जिम्मेदार डिप्टी चीफ इंजीनियर, निर्माण, सहायक अभियंता, निर्माण और कनिष्ठ अभियंता, निर्माण को निलंबित कर दिया गया है एवं इस कार्य के ठेकेदार मैसर्स बिजोय कुमार इंटरप्राइजेज को ब्लैक-लिस्ट करने के आदेश जारी किये गये हैं। इस घटना के संबंध में उपर्युक्त इंजीनियर्स एवं ठेकेदारों के विरुद्ध स्टेशन मैनेजर, भागलपुर द्वारा स्थानीय जीआरपी थाना में आपराधिक मामले के संबंध में भी प्राथमिकी भी दर्ज की गयी है। रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा इस दुर्घटना की वैधानिक जांच की जा रही है। सभी महाप्रबंधकों को इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए निर्धारित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पर्याप्त सावधानियां बरतने के आदेश दे दिये गये हैं। इसके अलावा राज्य के मुख्यमंत्री ने भी एक-एक लाख रुपये मृतकों के परिवार को देने की घोषणा की है। इसके लिए राज्य सरकार को भी हम धन्यवाद देते हैं।

अपराह्न 12.07 बजे

घटिया किस्म के खाद्यान्नों की खरीद के बारे में दिनांक 14.8.2006 के तारांकित प्रश्न संख्या 294 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

[हिन्दी]

***कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) :** महोदय, लोक सभा में दिनांक 14 अगस्त, 2006 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 294 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित विवरण।

(क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2003, 2004 और 2005 के दौरान खराब गुणवत्ता के गेहूं और चावल की वसूली करने के आरोप के संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कोई तलाशी नहीं ली है। तथापि, वर्तमान वर्ष के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 3 मामलों में तलाशी ली थी, जिनमें 330 प्राइवेट चावल मिल-मालिकों के अलावा भारतीय खाद्य निगम, पंजाब क्षेत्र के तत्कालीन वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक सहित 83 अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ इस आरोप पर दिनांक 7.1.06 को 3 प्राथमिकियां दर्ज की गयी थीं कि खरीफ विपणन मौसम (2004-05) के दौरान पंजाब क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों ने प्राइवेट चावल मिल-मालिकों

*[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5131/2006]

[डा. अखिलेश प्रसाद सिंह]

के साथ आपराधिक षडयंत्र करके घटिया चावल का परेषण स्वीकार किया था और उसके लिए ग्रेड-ए चावल हेतु यथाविहित दर से भुगतान रिलीज किया था, जिससे भारतीय खाद्य निगम को भारी वित्तीय हानि हुई थी।

(ख) उपर्युक्त सभी तीनों मामलों में जांच चल रही है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इनमें तेजी लाई जा रही है लेकिन मौजूदा अवस्था में इसके पूर्ण होने के संबंध में निश्चित समय सीमा नहीं बताई जा सकती है।

विभाग के ध्यान में गलती के देरी से आने के कारण सही किया गया उत्तर निर्धारित अवधि के भीतर सदन के पटल पर नहीं रखा जा सका।

अपराह्न 12.08 बजे

उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2006*

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : महोदय, मुझे श्री शिवराज वि. पाटील की ओर से उत्तरांचल राज्य के नाम का परिवर्तन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि उत्तरांचल राज्य के नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडल्या गावित : महोदय, मैं विधेयक **पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड II, दिनांक 4.12.2006 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम अविलंबनीय लोक महत्व के विषयों को लेते हैं। जब सैयद शाहनवाज़ हुसैन बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदय, हवाड़ा-जमालपुर एक्सप्रेस रेल दुर्घटना के बारे में रेल मंत्री जी ने विवरण दिया है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस दुर्घटना में 37 लोग मारे गए और यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि उनमें से 30 से ज्यादा लोग हमारे क्षेत्र के हैं। हम किसी प्रकार का आरोप-प्रत्यारोप नहीं करना चाहते हैं। मैं रेल मंत्री जी की बहुत इज्जत करता हूं। उन्होंने स्वयं कहा है कि वे एक नम्बर के मंत्री हैं। उस दिन चुनाव प्रचार के दौरान वे भी कठिहार में थे और मैं भी कठिहार में था। रेल मंत्री जी से मैं अपेक्षा करता था, क्योंकि मैं उस क्षेत्र का सांसद हूं और रेल मंत्री होने के नाते उनका कर्तव्य था कि वे दुर्घटना स्थल पर पहुंचते, लेकिन रेल मंत्री जी ने उस दिन राजनेता का धर्म ज्यादा निभाया और रेल मंत्री का धर्म कम निभाया। उस वक्त रेल मंत्री जी समय पर पहुंचते, तो बहुत से लोगों की जानें बचाई जा सकती थीं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैं रेल मंत्री जी की बहुत इज्जत करता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें बोलने की अनुमति दे रहा हूं। आपको उनके समर्थन में आने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें अनुमति दे रहा हूं। आप हस्तक्षेप करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदय, मैं भागलपुर के लोगों का दर्द आपके माध्यम से सदन के सामने रख रहा हूं। मैं वहां करीब साढ़े ग्यारह बजे पहुंच गया था। रेलवे का कोई भी अधिकारी वहां मौजूद नहीं था। रेलवे की जो बचाव कार्य के लिए ट्रेन है, वह भी तीन बजे के बाद आई। जब पूरा पुल तोड़ा जा रहा था, तब मजदूरों ने मना किया कि यहां से गाड़ी क्रास मत कराइए। लेकिन वहां जो इंजीनियर मौजूद था, उसने गाड़ी क्रास करा दी और बहुत बड़ा टुकड़ा उसके ऊपर गिर गया। यह कोई हादसा नहीं है, यह हत्या है। वहां के लोगों की हत्या हुई है। हमारे क्षेत्र के गरीब लोग, एनसीसी के केडेट और दूसरे लोग भी वहां से ट्रेन पकड़ते हैं। आज रेल मंत्री जी ने मुआवजा देने की बात कही है, लेकिन रेल के अधिकारी उनका टिकट तलाश रहे हैं। वे जरनल टिकट लेकर ट्रेन में चढ़े थे और उनका रिजर्वेशन चार्ट में नाम तलाशा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, बिहार में अस्पतालों की हालत बहुत अच्छी हो गई है। भागलपुर में बिहार सरकार का अस्पताल था, इससे लोगों को कैट स्कैन समय पर हुआ और बहुत से लोगों की जान बच गई, लेकिन वहां पर गैस कटर समय पर नहीं पहुंचा। महोदय, मैं गलत बयानी नहीं करूंगा, हम एक प्राइवेट आदमी से गैस कटर लेकर आए, जो पेट्रोल पंप के लिए उसने मंगाया था। उससे बोगी काटी गई। अगर रेल मंत्री जी समय पर गैस कटर पहुंचा देते, तो बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकती थी। मैं आपके जरिए कहना चाहता हूं कि रेल मंत्री जी वहां पहुंचे, मैं वहां का सांसद हूं, मुझे भी सूचना मिलती तो मैं भी इनके साथ घटना स्थल पर जाता। इसमें राजनीति करने का कोई इरादा नहीं है। मैं चार घंटे अस्पताल में बैठा रहा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी शाहनावज़ हुसैन बोल रहे हैं उसके अतिरिक्त कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अदब से कह रहा हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें बैठने के लिए कह रहा हूं। आप क्यों उठ रहे हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। श्री राम कृपाल यादव, आपको अपनी सीट पर बैठ जाना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अपनी सीट पर बैठ जाइए। आप अपनी सीट पर बैठेंगे या नहीं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपनी सीट पर बैठेंगे?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं तैयार हूं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस सदन की कार्यवाही स्थगित कर दूंगा। मुझे नहीं लगता...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस देश को जनता देखले कि सदन के अंदर क्या हो रहा है!

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अत्यंत प्रशंसनीय व्यवहार।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैं रेल मंत्री जी की बहुत इज्जत करता हूं। इस घटना के बाद वहां दो छोटे अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप पूरी चर्चा चाहते हैं तो मैं इसके लिए तैयार हूं। इस जैसे मामले पर आप पूरे मामले को उठाना जारी नहीं रख सकते।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैं चाहता हूं कि रेल मंत्री को इस दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हुए स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए, न कि छोटे अधिकारियों पर कार्यवाही करें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप किसी और की सीट पर बैठने जा रहे हैं। वहां खड़े मत होइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मंत्री जी बारह घंटे बाद घटना स्थल पर पहुंचे। वहां एक पुल नहीं है, 150 साल पुराने भागलपुर में 15 पुल हैं। वहां से ट्रेन बंगाल जाती है और बंगाल के बहुत से लोग रेल के माध्यम से सफर करते हैं।...*(व्यवधान)* उन पुलों को तुरंत बनाने की घोषणा करनी चाहिए और इस दुर्घटना की जिम्मेदारी खुद रेल मंत्री को लेनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं? कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए मामले को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाना चाहिए। उसके अतिरिक्त और कुछ कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अपराह्न 12.16 बजे

(इस समय श्री अशोक प्रधान और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : अध्यक्ष महोदय, कल ही हमने विश्व विकलांग दिवस मनाया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, वे हमें अपना मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं देंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : प्रति वर्ष की भांति हमेशा यह कहा जाता है कि विकलांगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। 2001 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग सवा दो करोड़ विकलांग हैं जो दृष्टिविहीन और वाणीबाधित सहित विकलांग हैं। ऐसे 75 परसेंट लोग गांवों में रहते हैं। उनको ऊपर उठाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सहायता देने की घोषणा की जाती है। आज उनकी पुनः समीक्षा करने की आवश्यकता है।...*(व्यवधान)* सरकार उनकी सहायता करने की हमेशा घोषणा करती है लेकिन आज भी उनका शोषण हो रहा है। बिना विकलांग सर्टिफिकेट के उनको कोई मदद नहीं मिलती है।...*(व्यवधान)* केन्द्र सरकार इस पर अमल करने का निर्देश देती है लेकिन बिना पैसे के उनका विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बनता है। केन्द्र सरकार हमेशा कहती है कि राज्य सरकारें बेहतर कदम

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उठाए और इसके बारे में अपील भी करती है लेकिन उनकी कोई मदद नहीं होती है।...*(व्यवधान)* सरकार यह भी कहती है कि समाज अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और उनकी सहायता के लिए आगे आए। 1982 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ था।...*(व्यवधान)* जिसमें कहा गया कि उनके पुनर्वास के लिए कार्यक्रम सुनिश्चित किए जाएं। इसी कारण प्रति वर्ष 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है।...*(व्यवधान)* आज भी इस पर अमल नहीं हुआ है। उनके लिए समय-समय पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1995, कार्य योजना 1992, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, निशक्त जन अधिनियम 1995, राष्ट्रीय विकलांग नीति 2005 बनीं लेकिन इनका ठीक से अमल नहीं हुआ।...*(व्यवधान)* मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि पूरे देश में विकलांगों के लिए रोजगारपरक शिक्षा की व्यवस्था हो, उनको पुनर्वास योजना का लाभ मिले और आरक्षण सुनिश्चित करके नौकरी दी जाए।...*(व्यवधान)* जो भी लाभकारी योजनाएं हैं, उनके माध्यम से उन्हें सही तरीके से मदद मिले। इसके साथ-साथ एएमए द्वारा समय-समय पर परीक्षण होना चाहिए ताकि उनकी मदद हो सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो. महादेव राव शिवनकर। उपस्थित नहीं। श्री भर्तृहरि महताब।

(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : जल संसाधनों के सतत उपयोग के लिए संबद्ध कार्यकलापों के साथ बाढ़, निकासी रुकावट, सिंचाई और कृषि को ध्यान में रखते हुए बेसिनों को बहु-क्षेत्रीय आधार पर विकसित करने की योजना बनाई गई है। इस संदर्भ में, महानदी बेसिन विकास योजना जल संसाधन मंत्रालय को आवश्यक स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई है। महानदी बेसिन विकास परियोजना के अंतर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के संघटकों को केंद्रीय जल आयोग को प्रस्तुत किया गया है और तकनीकी संवीक्षा की गई है...*(व्यवधान)*

राज्य स्तरीय परियोजना निगरानी समिति इस परियोजना को पहले ही स्वीकृति दे चुकी है। इस परियोजना की लागत लगभग 3555 करोड़ रुपये है परंतु मुझे यह जानकर निराशा होती है कि परियोजना में एक कारण या अन्य कारण से देरी की जा रही है...*(व्यवधान)*।

यदि यह परियोजना कार्यान्वित हो जाती है तो इससे उड़ीसा के व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन आएगा। जैसाकि उड़ीसा एक कृषि प्रधान राज्य है और खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए सिंचाई सुविधा अत्यावश्यक है इसलिए न सिर्फ सिंचाई सुविधा प्रदान करने, बाढ़ के खतरे को कम करने की आवश्यकता है बल्कि कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवनस्तर में सुधार करने की भी आवश्यकता है...*(व्यवधान)* तटीय उड़ीसा के महानदी बेसिन में आठ दोआब में तटबंधों को ऊपर उठाने और मजबूत करने, महानदी के जल प्रबंधन का विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण करने और निकासी प्रणाली का विकास करने की आवश्यकता है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करे और इस परियोजना को यथाशीघ्र स्वीकृति दे ताकि इसको वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक, और एशियाई विकास बैंक के सामने प्रस्तुत किया जा सके। धन्यवाद महोदय...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री शिशुपाल एन. पटले

प्रो. रासा सिंह रावत

श्री संतोष गंगवार

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है और इस सदन में सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए यह मुद्दा उठाना चाहता हूं। यू.एन.आई. नाम की एक समाचार एजेंसी, जो इस देश के सुदूर ग्रामीण इलाकों में समाचार पहुंचाने का काम करती है, इसे एक कारपोरेट हाऊस ने औने पौने दाम पर खरीद लिया। इससे इस देश में ग्रामीण और सुदूर इलाकों में समाचार पहुंचाने का काम बाधित होने लगेगा। यूएनआई के कर्मचारी पिछले तीन महीने से इस अन्याय और डील के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं और उनके खिलाफ अनुशासन के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। ऐसा लगता है कि समाचार की स्वतंत्रता और समाचार प्रेषित करने की आजादी पर कुठाराघात किया जा रहा है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्री इस संबंध में एक वक्तव्य इस सदन के सामने दें और इस पर पहल करें और किसी भी हालत में यूएनआई की बिक्री एक कारपोरेट हाउस के हाथ में न जाने दें। यह एक पुरानी संस्था है जिसकी अरबों की संपत्ति इस देश के बहुत से बड़े शहरों में है, इसे एक निजी क्षेत्र के मालिक औने पौने दामों में खरीदकर समाचार की उस्वतंत्रता को प्रभावित करने का काम करेगा इसलिए सरकार को इस डील में हस्तक्षेप करना चाहिए। यूएनआई की खरीदारी की डील को निरस्त कर सरकार अपनी सहायता से यूएनआई प्रेस एजेंसी को चलाने का इंतजाम करे, मैं यह मांग करता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री रामचीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : अध्यक्ष महोदय, गुजरात राज्य में वर्ष 2002 में दंगा हुआ था यह सरकार द्वारा प्रायोजित दंगा

[श्री रामजीलाल सुमन]

था। इसमें ढाई हजार अल्पसंख्यक लोग मारे गए थे, राज्य सरकार के मुताबिक लापता लोगों की संख्या 250 है जबकि गैर-सरकारी संस्थाओं के मुताबिक यह संख्या 500 है। इसमें 10,000 से ज्यादा लोग दयनीय अवस्था में जीवन-यापन कर रहे हैं। लगभग 61,000 दंगा पीड़ित लोग घरों से विस्थापित हैं और 18,000 छोटे-छोटे गांवों से मुसलमानों ने पलायन किया है।...*(व्यवधान)* गुजरात के जो पीड़ित लोग हैं, उनका पुनर्वास नहीं हुआ है।...*(व्यवधान)* हम, कुछ सांसद अहमदाबाद में गए थे, वहां मौके पर जाकर हमने स्वयं देखा है कि वहां लोगों की स्थिति बहुत खराब है। हम स्वयंसेवी संगठनों को धन्यवाद देते हैं कि जिनके प्रयासों से दंगा पीड़ितों के पुनर्वास का इंतजाम हुआ है। राज्य सरकार को अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए था लेकिन राज्य सरकार ने उस धर्म का निर्वाह नहीं किया। सबसे तकलीफ की बात यह है कि भारत सरकार ने उन लोगों के पुनर्वास के लिए 150 करोड़ रुपए राज्य सरकार के पास भेजे थे, उसमें से भी 19 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने वापिस भेज दिए। यह बहुत गंभीर मामला है। राज्य सरकार संवेदन शून्य सरकार है...*(व्यवधान)* और लोगों की जानमाल की रक्षा, पुनर्वास का इंतजाम, खाने, रहने, स्कूल और अस्पताल आदि की कोई भी व्यवस्था गुजरात में नहीं की गई है। जिन अधिकारियों ने अपने धर्म का निर्वाह किया, उन्हें हतोत्साहित करने एवं दंगों में शामिल अधिकारियों को प्रोन्नत करने का काम राज्य सरकार ने किया है।

अध्यक्ष महोदय, गुजरात की स्थिति बहुत गंभीर है और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि वहां लोगों में अभी भी भय और निराशा का वातावरण सरकार ने पैदा किया हुआ है। इसके अलावा एक आदमी जो मुसलमानों के कत्लेआम में शामिल था, दि. 10.04.05 को वडोदरा में उसकी मूर्ति का अनावरण किया गया, जिसमें स्थानीय संसद और विधायक भी शामिल हुए थे। उसकी मूर्ति के नीचे लिखा गया कि यह हिन्दुत्व की रक्षा के लिए शहीद हो गया। गुजरात राज्य में अल्पसंख्यकों की जान-माल की सुरक्षा नहीं हो सकती। वहां की सरकार दंगा पीड़ितों के पुनर्वास का कोई इंतजाम नहीं कर पाई। इसलिए हमारी मांग है कि भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, जिससे लोगों को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर) : अध्यक्ष महोदय, सेक्युलर पार्टीज के नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 30 तारीख को गुजरात के अहमदाबाद और आसपास के इलाकों में बसे दंगा पीड़ितों के कैम्पों का दौरा किया। इस दौरे में मैं भी एक सदस्य था और श्री लालू प्रसाद जी ने इस दौरे के लिए मुझे भेजा था। हम लोगों ने लगभग आठ शरणार्थी कैम्पों का दौरा किया, जो विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं एवं ट्रस्टों द्वारा निर्मित और संचालित थे तथा जो अपने सीमित संसाधनों के साथ ट्रस्टों और संस्थाओं के साथ इंतजामों में लगे हुए थे। वहां चंद लोगों को पांच सौ से सात हजार रुपये अनुग्रह राशि देकर राज्य सरकार ने अपना हाथ छुड़ा लिया और जिन परिवारों के लोग मारे गये, उन्होंने पांच सौ से लेकर 6-7 हजार रुपये के चैकों की फोटो स्टेट कापियां हमें दिखाईं। वहां केवल 15 प्रतिशत लोगों को किसी न किसी रूप से सहायता मिल सकी। वहां ट्रस्टों को शिविर बनाने के लिए ऐसी जमीनें दी गईं कि जहां पूरे शहर का कचरा फेंका जाता है। प्रदूषित जल का सेवन करने के कारण लोग बीमार हो रहे हैं। वहां माताओं के दूध सूख रहे हैं और बच्चे विकलांग हो रहे हैं। वहां कोई स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी वहां दहशत का वातावरण बनाया हुआ है। वहां तमाम विक्टिम्स अभी भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और वे अपने घरों को वापस जाने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास की यह सबसे शर्मनाक बात है कि ढाई वर्ष के बाद भी पुनर्वास के कोई उपाय नहीं किये गये। ऐसे में केन्द्र सरकार की ओर से दंगा पीड़ितों की सहायता के लिए 150 करोड़ रुपये भेजे गये थे, उसमें से 19 करोड़ रुपये राज्य सरकार केन्द्र सरकार को वापस भेज रही है। हमारी टीम ने सत्य नगर, किफायत नगर, मुहाजिर नगर, सिटीजन नगर, सिद्दिकाबाद और सर्वाधिक दंगापीड़ित सरदारपुर का दौरा किया। वहां दंगा पीड़ितों की कहानियां सुनकर हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमारी आंखों से आंसू बाहर निकल आयेंगे। अभी भी वहां पांच सौ लोग गायब हैं, जिनके बारे में कुछ भी पता करने की कोशिश अभी भी नहीं हो रही है। इसलिए हम केन्द्र सरकार से मांग करते हैं कि वह इस दिशा में पहल करे और जल्द से जल्द दंगा पीड़ितों की सहायतार्थ पुनर्वास का इंतजाम करे और उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्रदान करे, यही हमारी मांग है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप राज्य सरकार से संबंधित मामले पर चर्चा नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जानबूझ कर सभा के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने तो नोटिस भी नहीं दिया है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, नौ संसद सदस्यों वाले शिष्टमंडल ने गुरुवार, 30 नवम्बर, 2006 को गुजरात में नरसंहार से प्रभावित लोगों की स्थिति और पुनर्वास को देखने के लिए गुजरात का दौरा किया था...*(व्यवधान)* लगभग चार वर्ष बीत जाने के बावजूद भी, प्रभावित लोगों का ठीक से पुनर्वास नहीं हो पाया है ...*(व्यवधान)*

दो लाख लोगों के घर नष्ट कर दिये गए थे। हमने देखा कि गुजरात राज्य सरकार ने उन लोगों के पुनर्वास के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं किया है। केवल स्वैच्छिक संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों आदि ने कुछ घरों का निर्माण किया है। इन लोगों को कोई भी नागरिक सुविधाएं प्रदान नहीं की जा रही थी। वहां न तो कोई सड़क है न विद्यालय है, न कोई चिकित्सा सुविधा है और न ही पेयजल की कोई व्यवस्था है। वे लोग बहुत ही दयनीय और अमानवीय हालातों में रह रहे हैं।*..... पुनर्वास के लिए जो भी धनराशि केन्द्र सरकार ने भेजी थी वो भी वापस आ रही है। उन्होंने 19 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार को वापस कर दिए हैं। वे पेयजल सुविधा, स्वच्छता, विद्यालयों के निर्माण और चिकित्सीय सुविधाओं को प्रदान करने के लिए यह 19 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च कर सकते थे। मैं यह मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए।

न्यायमूर्ति नानावती आयोग ने 1984 के दंगों के पीड़ितों के लिए मुआवजे की सिफारिश की है। मैं यह मांग करता हूं कि इसी प्रकार का मुआवजा इस नरसंहार में मारे गए अल्पसंख्यक समुदाय के पीड़ितों को भी दिया जाए। जिन लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हे केवल 2000-3000 रु. मिले हैं। उन्हे उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए और गुजरात सरकार को उन्हें मूलभूत नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कहा जाये। मैं यह मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए जिससे कि मूलभूत नागरिक सुविधाएं प्रदान की जा सकें...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान गुजरात के दंगा पीड़ितों की ओर केन्द्रित करना चाहता हूं। जो लोग इन दंगों में मारे गये या जो लोग बेघर हुए, वैसे लोगों के लिए 150 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार ने दिये थे लेकिन मुझे कहते हुए दुख होता है कि इनके नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के निर्वाचन क्षेत्र में 150 करोड़ रुपये के अंदर गुजरात की सरकार ने 19 करोड़ दस लाख रुपये वापस लौटाए। इतना ही नहीं, जो लोग बेघर हुए थे और जो घायल हुए थे, उनको गुजरात की सरकार ने उसके पैसे में से एक भी पैसा नहीं दिया। केन्द्र के पैसे में से खर्च किये गये। इतना ही नहीं, सिर्फ 1150 लोगों को ही यह मुआवजा दिया गया है।...*(व्यवधान)* मुझे कहते हुए शर्म आती है कि इनके जो मुसलमान एमपीज हैं, उन मुसलमान एमपीज को यहां से इस्तीफा दे देना चाहिए जो गुजरात को रीहैबिलिटेशन बराबर नहीं करा सके। ...*(व्यवधान)* गुजरात *... की सरकार सिर्फ भेदभाव कर रही है। मैं जानता हूं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी उनको कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि श्री लाल कृष्ण आडवाणी उनकी सहायता के बिना वहां से चुनाव जीत नहीं सकते। *...*(व्यवधान)* राज्य के पैसे में से कुछ भी नहीं देते। मेरी मांग है कि इस रीहैबिलिटेशन को केन्द्र के स्तर तक लिया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुआवजा दिया जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उसे हटा दिया जायेगा। अन्य माननीय सदस्य श्री हन्नान मोल्लाह, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव और श्री सी.के. चन्द्रप्पन—जिन्होंने इस मुद्दे को उठाने के लिए नोटिस दिए हैं—वे स्वयं को इससे संबद्ध कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : हम सरकार से प्रतिक्रिया चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.33 बजे

नियम 377 के अधीन मामले**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अंतर्गत मामलो को सभापटल पर रखा माना जायेगा।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**सभापटल पर माने गए।

(एक) घरेलू उत्पादित प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण हेतु सांविधिक विनियामक की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता

श्री डी. विट्टल राव (महबूब नगर) : मैं सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हाल ही में जीएआईएल (गेल) ने यह सूचित किया है कि ओएनजीसी 4.6 अमेरिकी डालर प्रति एमएमबीटीयू की दर पर बाजार मूल्य वसूल करेगी। हाल ही में, रीवा क्षेत्र से उत्पादित प्राकृतिक गैस के मूल्यों में भी 4.5 अमेरिकी डालर प्रति एमएमबीटीयू से वृद्धि हुई थी। इससे आंध्र प्रदेश की विद्युत कीमतों पर पर्याप्त अर्थापत्रि हो गई और विद्युत संबंधी शुल्कों में अनुचित वृद्धि भी हुई। इस प्रकार की वृद्धि देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है और इससे केवल एकाधिकार वाले उत्पादक और वितरक को ही लाभ होता है।

इसलिए, मैं देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण के लिए सांविधिक विनियामक की नियुक्ति और गैस के 3.3 अमेरिकन डालर प्रति एमएमबीटीयू की वर्तमान कीमतें कोई वृद्धि न करने का अनुरोध करता हूं।

(दो) 'ओड राजपूत' समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री के.सी. सिंह 'बाबा' (नैनीताल) : महोदय, उत्तरांचल एवं उत्तर प्रदेश के पाकिस्तान के मुलतान क्षेत्र से विस्थापित ओड राजपूत समुदाय के लोगों को अनुसूचित जाति की सूची में अभी तक शामिल नहीं किया गया है जबकि देश के अन्य राज्य जैसे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब एवं दिल्ली में अनुसूचित जाति की सूची में इस जाति को शामिल किया गया है। हमारे संविधान में सभी नागरिकों के लिए समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है लेकिन यह विडम्बना है कि उत्तरांचल एवं उत्तर प्रदेश में रह रहे ओड जाति को आज तक अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है जबकि इसी जाति के लोग अन्य राज्यों में अनुसूचित जाति की सूची में शामिल हैं। इस विसंगति को शीघ्र दूर किये जाने की आवश्यकता है।

महोदय, ओड राजपूत उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लगभग 40 गांवों में हैं। ये लोग कुड़ावली, विरपाली, कछलिया, सरवण, मांगल, मुंडाई गलगट भगत, मजोका आदि उपनामों से निवास करते हैं। आज इनकी आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति दयनीय है। ओड जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की मांग काफी वर्षों से चली आ रही है तथा कई वर्षों से ओड राजपूत उत्थान समिति ओड जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के लिए विभिन्न स्तरों पर अनुरोध कर रही है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में रहने वाली ओड जाति के लोगों के समग्र विकास के लिए इस जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र एक संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश संशोधन विधेयक संसद में पारित किया जाए जिससे ये भेदभाव खत्म हो सके।

(तीन) गुजरात में केसर आम उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिए जाने और कृषि-आधारित उद्योगों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री जसुभाई धनाभाई बारड (जूनागढ़) : महोदय, गुजरात राज्य में केसर आम का उत्पादन काफी अधिक होता है। पिछले तीन साल के आंकड़ों के अनुसार पूरे गुजरात राज्य में लगभग निम्नलिखित उत्पादन हुआ है:-

वर्ष	उत्पादन (मिट्रिक टन लाखों में)
2003-04	5.95
2004-05	7.29
2005-06	7.72

केसर आम का लगभग 70 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक का उत्पादन केवल सौराष्ट्र क्षेत्र में होता है। इतनी अधिक मात्रा में उत्पादन होने के बाद भी वहां के किसानों को सही मूल्य नहीं मिलता है तथा निजी एजेन्सियों द्वारा आम के मूल्यों को लेकर किसानों का शोषण भी किया जाता है।

किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिलने से किसान अपने आम के बागों को खत्म कर रहे हैं।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि गुजरात में केसर आम के उत्पादन को ध्यान में रखते हुए इस फसल का एक्सपोर्ट कराया जाए तथा एग्रो इंडस्ट्रीज स्थापित करने का प्रावधान किया जाए और इस फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तथा किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य प्राप्त हो, इसके लिए उचित कार्यवाही की जाए। यह सरकार और किसानों के हित के लिए काफी महत्वपूर्ण है।

(चार) जामनगर और नई दिल्ली के बीच सुपरफास्ट ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम (जामनगर) : महोदय, हमारे क्षेत्र से आने-जाने के लिए जामनगर से नई दिल्ली के लिए आश्रम एक्सप्रैस जैसी सुपरफास्ट एक्सप्रैस 12 डिब्बों वाली या उससे अधिक कोच वाली प्रतिदिन चलाने के लिए मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है। जो ट्रेन जामनगर, राजकोट, सुरेन्द्रनगर, विरमगाम, महेसाणा, पालनपुर, आबूरोड होकर नई दिल्ली तक जाए तथा यह ट्रेन वाया अहमदाबाद होकर न जाए जिससे लोगों के समय की बचत होगी और देश के डीजल की बचत होगी। रेलवे जल्दी से जल्दी ट्रेन दे, ऐसी मैं मांग करता हूं। रेलवे के पास पैसेंजर कोच नहीं है तो उसकी भी फैक्ट्री डालने की मेरी मांग है।

(पांच) 'कुडुक' भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

डा. रामेश्वर उरांव (लोहरदगा) : महोदय, भारत में अनेक जनजातियां हैं, जिनकी अपनी भाषा है। इन भाषाओं की उन्नति, समृद्धि नहीं हो पा रही है, क्योंकि इन्हें सरकारी संरक्षण प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जैसा कि अन्य भाषाओं को मिल रहा है।

भारत की प्रमुख जनजाति में उरांव अनुसूचित जनजाति का स्थान है। इनकी भाषा कुडुख भाषा है। इसकी गिनती द्रविड़ फैमिली की भाषा में होती है। यह झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, असम, महाराष्ट्र आदि राज्यों में बसे उरांव जनजाति के लगभग एक करोड़ लोगों की भाषा है। इसकी अपनी लिपि नहीं है, लेकिन इस भाषा के लोग इसके लिखने के लिए देवनागरी भाषा का उपयोग करते हैं। इस भाषा का संरक्षण, संवर्धन आवश्यक है, अन्यथा यह लुप्त हो जायेगी।

अत: भारत सरकार से अनुरोध है कि इसे संविधान की अनुसूची आठ में शामिल किया जाये।

(छह) गुजरात में जेतलसर और ढसा के बीच छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदले जाने की आवश्यकता

श्री वी.के. ठुम्मर (अमरेली) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली जिले को जोड़ने वाली जेतलसर से ढसा के बीच मीटर गेज रेलवे लाइन है, जहां से कई व्यापारिक गतिविधियां चल रही हैं और पिपावाव पोर्टस भी पास में है, जिसके कारण इस मीटर गेज लाइन को ब्रॉड गेज लाइन में बदलना अति आवश्यक है। ब्रॉड गेज लाइन के बनने से सौराष्ट्र के कई हिस्सों से देश के अन्य दूर क्षेत्रों के लिए नयी रेलवे सेवा भी शुरू की जा सकती है। जब तक इस मीटर रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज लाइन में नहीं बदला जाएगा, तब तक सौराष्ट्र के लोगों को आधुनिक रेल सेवा की सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती है। इस संबंध में मैंने कई बार रेल मंत्री जी को अनुरोध किया है। माननीय मंत्री जी ने सदन के माध्यम से बताया कि इसके सर्वे का कार्य हो रहा है, परंतु इस कार्य में नाहक देरी की जा रही है।

सदन के माध्यम से अनुरोध है कि इस मीटर गेज लाइन को ब्रॉड गेज लाइन में सर्वे का कार्य शीर्ष करवाकर इस कार्य का आने वाले बजट में प्रावधान किया जाए।

(सात) 1962 के चीनी आक्रमण के बाद गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित उत्तरांचल के युवकों को रोजगार और अन्य लाभ दिए जाने की आवश्यकता

श्री बची सिंह रावत 'बच्चदा' (अल्मोड़ा) : महोदय, सन् 1962 के चीनी आक्रमण के बाद गृह मंत्रालय के अधीन सिविल डिफैंस विभाग के अंतर्गत देश के सीमावर्ती क्षेत्र के युवकों को गुरिल्ला स्वयंसेवक का प्रशिक्षण दिया गया था। उत्तरांचल के सीमांत पर्वतीय क्षेत्र के युवकों को भी 45 दिन का गुरिल्ला प्रशिक्षण शिमला में दिया गया था। इन्हें समय-समय पर छद्मयुद्ध का भी प्रशिक्षण दिया गया था। इन गुरिल्लाओं को आश्वासन दिया गया था कि भविष्य में विभाग में भर्ती होने पर इन्हें भर्ती कर लिया जाएगा।

इस बीच आसाम, मेघालय आदि राज्यों में इन गुरिल्लाओं को एस.एस.बी., में भर्ती किया गया है। परंतु उत्तरांचल के इन गुरिल्लाओं को किसी भी भर्ती में कोई स्थान नहीं दिया गया है और किसी प्रकार का मानदेय या लाभ भी प्रदान नहीं किया गया है। उत्तरांचल के सीमांत क्षेत्रों में ये गुरिल्ला स्वयंसेवक भर्ती किए जाने, विशेष छूट व लाभ प्रदान किए जाने हेतु लम्बे समय से आंदोलन कर रहे हैं।

अत: मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि उत्तरांचल के गुरिल्ला स्वयंसेवकों को भर्ती करने, अन्य छूट व लाभ प्रदान करने की कार्यवाही करें।

(आठ) नागपुर में एम्स की तर्ज पर उच्च विशेषज्ञता (सुपर स्पेशियलिटी) वाला अस्पताल स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर) : महोदय, मैं जिस निर्वाचन

[श्री हंसराज जी. अहीर]

क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, वह आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र से जुड़ा है तथा इन क्षेत्रों में भी गरीब जनजातीय लोगों का प्रतिशत अधिक है। ज्ञात हो, महाराष्ट्र राज्य में मुंबई के जे.जे. अस्पताल को उन्नत करने का निर्णय लिया गया है। लेकिन सनद रहे कि मेरे क्षेत्र से मुंबई की दूरी करीब 1000-1200 कि.मी. है तथा दिल्ली तो 1300 से 1450 कि.मी. है। इतनी लंबी दूरी तय करके अति विशिष्ट रोगों के उपचार हेतु आना-जाना आर्थिक रूप से खर्चीला तथा समय की बर्बादी होती है। विदर्भ के गडचिरोली, अमरावती, चन्द्रपुर तथा गोंदिया जिलों में जनजातीय लोग बहुतायत संख्या में रहते हैं। यहां पर स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में कुपोषण से मरने वालों का प्रतिशत बहुत है। उसी तरह यह कि भौगोलिक रचना के कारण भू-जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा होने से यहां पर लोग नाहक फ्लोरोसीस से मरते या विकलांग हो रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे यहां मलेरिया का संक्रमण होने के कारण रुग्णों की संख्या देश में सबसे अधिक है। मध्य भारत में सिकलसेल जैसी आनुवांशिक बीमारी से मरने वालों की संख्या भी अधिक है।

अगर नागपुर को एम्स की स्थापना के लिए चयन किया गया तो विदर्भ, छत्तीसगढ़, म.प्र. तथा आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती जिले के नागरिकों को भारी सुविधा हो सकती है। जम्मू-कश्मीर में जिस तरह आतंकी गतिविधियों के कारण उपचार हेतु दो संस्थानों को उन्नत करने का निर्णय लिया गया है। उसी तरह विदर्भ के चन्द्रपुर, गडचिरोली और गोंदिया जिले नक्सल प्रभावित हैं। यहां पर आतंकी गतिविधियों के कारण हरदम बम विस्फोट हमला आदि में बड़ी संख्या में लोग तथा सुरक्षाकर्मी मारे जाते हैं। लेकिन अति विशिष्ट स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण इन हताहत लोगों की जान नहीं बचाई जा सकती। अति विशिष्ट सेवाओं का फायदा मध्य भारत के लोगों को मिलने हेतू नागपुर में एम्स की स्थापना होनी ही चाहिए। ज्ञात हो कि नागपुर देश का भी हृदय स्थल है और मध्य भारत के सभी राज्यों के सीमावर्ती जिलों को सुविधाजनक है। वहां जाने के लिए रेल तथा सड़क सम्पर्क भी आसान है।

अत: आपसे अनुरोध है कि मध्य भारत के लोगों को अति विशिष्ट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नागपुर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा करें।

(नौ) बेरोजगार युवकों को रोजगार तथा अर्ध-व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने हेतु विशेष उपाय किए जाने की आवश्यकता

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : महोदय, वैश्वीकरण के परिवेश में देशीय कौशल और रोजगार के अवसरों का निरन्तर ह्रास हो रहा है। इसके कारण जहां रोजगार के अभाव में गरीबी और राजसहायता की विषम स्थिति बनी हुई है, वहीं सामाजिक-आर्थिक विसंगतियां भी बढ़ रही हैं।

अतएव केन्द्र सरकार शिक्षित-अशिक्षित लोगों को रोजगार सुनिश्चित करने हेतु विशेष उपाय करे और वर्षभर रोजगार के अवसर जुटाए जाएं तथा संपूर्ण रोजगार न मिलने तक बेरोजगारी भत्ता देने का प्रबंध करे।

(दस) उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में बी.एस.एन.एल. की प्री-पेड सिमकार्ड उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज, उ.प्र.) : मेरे संसदीय क्षेत्र के जनपद महाराजगंज (उ.प्र.) में बी.एस.एन.एल. प्री-पेड मोबाइल सेवा के सिम कार्ड नहीं मिल रहे हैं। उसके परिणामस्वरूप लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस जनपद के अनेक स्थानों पर मोबाइल टॉवर बाद में लगाए गए थे तथा रजिस्ट्रेशन पहले किए गए थे, जिससे नवतनवां, सिसवा, निचलौल के लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। बाद में टॉवर लगने से इन क्षेत्र के लोगों द्वारा प्री-पेड सिम कार्ड की भारी मांग है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जनपद महाराजगंज के लोगों को भारत संचार निगम लिमिटेड के प्री-पेड सिम कार्ड जारी करने के लिए निर्देश जारी करें, जिससे यहां के लोगों की कठिनाइयां दूर हो सकें।

(ग्यारह) मध्य प्रदेश के किसानों को पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्रीमती नीता पटैरिया (सिवनी) : महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान देश के विभिन्न राज्यों, विशेष कर मध्य प्रदेश के किसानों की समस्या की ओर दिलाना चाहती हूं। मध्य प्रदेश में उर्वरकों की भारी कमी के कारण किसानों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के किसान आंदोलन कर रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र सिवनी में किसानों को समय पर खाद न मिलने के कारण, किसानों में ओओभारी आक्रोश है। किसान अपनी फसलों की बुवाई समय पर नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण इसका असर आने वाली फसल की पैदावार पर भी पड़ेगा। देश में खाद की कमी के कारण किसानों की समस्या बहुत गंभीर हो गयी है।

मेरा केन्द्रीय मंत्री जी से अनुरोध है कि देश के किसानों की

इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान देने की कृपा करें और किसानों को खाद वितरण के लिए उचित कदम उठाने के आदेश दें।

(बारह) विदेशों में विशेष रूप से खाड़ी देशों में स्थित इंडियन मिशन द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र देने के लिए लिए जा रहे शुल्क को घटाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री टी.के. हमजा (मंजेरी) : यह बहुत ही दुखद बात है कि विदेशों में विशेषकर खाड़ी देशों में स्थित भारतीय मिशन द्वारा मृत भारतीय नागरिकों के लिए मृत्यु संबंधी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए बहुत अधिक और अनुचित धनराशि वसूल कर रहे हैं। इस विसंगति को तत्काल दूर करने हेतु ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि ये प्रभार केवल भारतीय प्राधिकरणों द्वारा वसूले जा रहे हैं।

(तेरह) केरल में चाय और कॉफी बागानों को अर्थक्षम बनाए जाने तथा श्रमिकों को बकाया मजदूरी का भुगतान किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड) : मैं केरल में बागान बंद किए जाने से उत्पन्न गंभीर समस्या की चर्चा करना चाहूंगा।

केरल में, विशेष रूप से इडुक्की जिले में, लगभग 22 चाय एवं काफी बागान बंद किए गए हैं। इससे लगभग 25,000 मजदूर बेरोजगार हो गए तथा उनकी स्थिति काफी दयनीय हो गई है जिससे वे आत्महत्याएं कर रहे हैं। मजदूरी तथा प्रोत्साहन के रूप में करोड़ों रुपया प्रबंधन के पास बकाया है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि बागानों को पुन: शुरू करने तथा मजदूरों के मुद्दे को शीघ्र सुलझाया जाए ताकि गरीब मजदूरों को तत्काल राहत दी जाए।

(चौदह) जौनपुर रेलवे स्टेशन को फिर से चालू किए जाने तथा रेलगाड़ियों के लिए ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री पारसनाथ यादव (जौनपुर) : महोदय, स्वतंत्रता से पूर्व सन् 1925 में ब्रिटिश शासन के दौरान जौनपुर कचहरी के नाम से जौनपुर में रेलवे स्टेशन की स्थापना की गई, जिसे विगत कुछ वर्ष पूर्व तोड़ दिया गया तथा 21 जुलाई, 2006 से वहां एकमात्र रुकने वाली पैसेन्जर ट्रेन का ठहराव भी समाप्त कर दिया गया। जौनपुर कचहरी रेलवे स्टेशन कलेक्टरेट कार्यालय, न्यायालय, दीवानी न्यायालय एवं बैंक इत्यादि जौनपुर कचहरी स्टेशन के पास ही हैं। जौनपुर जिला होने के कारण अन्य जिलों एवं दूरदराज के स्थानों से प्रतिदिन लाखों व्यक्ति अपनी दिनचर्या एवं जीविका के लिए यहां आते हैं। उक्त स्टेशन के टूटने से जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस कारण अधिवक्ता, वादकारी, छात्र, अध्यापक एवं कर्मचारी वर्ग आंदोलन करने पर उतारू हैं। जनता में व्यापक रोष को देखते हुए तथा जौनपुर कचहरी रेलवे स्टेशन की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में पैसेन्जर ट्रेनों का ठहराव, टिकट वितरण एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं को बहाल किया जाना आवश्यक है।

अत: सदन के माध्यम से जनहित में केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि जनता की व्यापक मांग को देखते हुए जौनपुर कचहरी स्टेशन को बहाल किया जाए तथा उस पर रुकने वाली गाड़ियों का ठहराव कराया जाए।

(पन्द्रह) देश में के.स.स्व.यो. औषधालयों के कार्यकरण की जांच किए जाने की आवश्यकता

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद) : महोदय, केंद्रीय सरकार की डिस्पैंसरियों में दवाओं की उपलब्धतता में सुधार की आवश्यकता है। एक और पैरास्टिमोल या अन्य कुछ एंटीबायोटिक दवाओं के आगे सरकारी डिस्पैंसरियों में कुछ और नहीं मिलता। दूसरी और डायबिटीज के रोगियों के लिए प्राइमरी दवा डायनिल जैसी दवाओं के भी विकल्प खरीदने को संबंधित अधिकारी तत्पर रहते हैं।

यूनानी डिस्पैंसरियों में और भी बुरा हाल है। एक तो दवाएं समय पर उपलब्ध नहीं करायी जाती और दूसरा परचेज कमेटी के काम में पारदर्शिता नहीं है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में उचित जांच के आदेश जारी करे ताकि दवाइयां समय पर मिल सके।

(सोलह) बिहार में दानापुर में जमालुद्दीन मज़ार और जमालुद्दीन चक के बीच रेलमार्ग पर रेल पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सन् 1990 में दानापुर यार्ड में विस्तारीकरण में जमालुद्दीन चक (बड़ी खगौल), गोरगामा, सरारी, कोढीया, बाबूचक, नौरत्नपुर गांवों के किसानों की जमीन अधिग्रहण रेलवे द्वारा की गई थी। उसी समय में यह घोषणा हुई थी कि वहां रेलवे एक पुल बनवाएगा और वहां जल निकासी और अन्य समस्याओं

[श्री राम कृपाल यादव]

का निदान रेलवे द्वारा किया जाएगा। किंतु पिछले 15 वर्षों से किसानों को काफी कठिनाई हो रही है। स्थानीय लोगों में काफी असंतोष है। रेलवे अपने पहले की घोषणा को अमल नहीं कर रहा है।

अत: मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और आग्रह करता हूं कि दानापुर में जमालुद्दीन चक मजार से जमालुद्दीन चक तक रेलवे पुल का निर्माण और वहां जल निकासी की पक्की व्यवस्था के लिए अविलम्ब कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें।

(सत्रह) उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे केन्द्रीय प्रायोजित विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : महोदय, उत्तर प्रदेश में केन्द्रपोषित विकास योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को नहीं मिल पा रहा है, बल्कि बड़े पैमाने पर पात्र लाभार्थी लाभ से वंचित और योजनाओं का दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए कि गरीबी रेखा, बी.पी.एल. कार्डधारक तथा अत्यंत गरीब अंत्योदय कार्डधारक और सबसे गरीब अन्नपूर्णा कार्डधारक की जो श्रेणियां पात्र लाभार्थियों की निर्धारित की गई हैं, उन्हें सरकार कार्ड ही उपलब्ध नहीं करा पा रही है, जिससे प्रभावशाली लोगों को ही अनुचित लाभ मिल रहा है, जिससे ग्रामीण अंचल के गरीबों में गहरा असंतोष व्याप्त है, अपितु अप्रिय घटनाएं भी घट रही हैं।

अतएव केन्द्र सरकार से विनम्र अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश में केन्द्र पोषित विकास एवं गरीबी उन्मूलन योजनाओं की समीक्षा कर व्याप्त गंभीर अनियमितता पर अंकुश लगाया जाए तथा योजना के पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करने और अनियमितता के दोषी लोगों के विरुद्ध समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाए और पात्र लाभार्थियों को कार्ड उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

(अठारह) महाराष्ट्र में मराठवाड़ा क्षेत्र में कपास आधारित उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील (परभनी) : महोदय, महाराष्ट्र का मराठवाड का पूरा क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा है। यहां पर कपास की फसल विशेष रूप से बोई जाती है और यहां का किसान परिवार पूरी तरह से कपास की खेती पर निर्भर करता है। कड़ी मेहनत एवं प्राकृतिक आपदा का सामना करने के बाद भी कपास पैदा करने वाले किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण किसान आत्महत्या की ओर प्रेरित हो रहे हैं और कई किसानों ने आत्महत्या भी की है। अगर मराठवाड में कपास पर आधारित उद्योगों की स्थापना में सहायता करने का कोई अभियान शुरू किया जाए और केन्द्र स्तर पर कोई मदद और पैकेज दिया जाए तो कपास का मूल्य किसानों को अच्छा मिल पाएगा और किसान आत्महत्या के लिए मजबूर भी नहीं होगा। साथ ही साथ इस पिछड़े क्षेत्र में उद्योग लगने से बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिलने में मदद मिलेगी।

सदन के माध्यम से सरकार के अनुरोध है कि मराठवाड क्षेत्र में कपास पर आधारित उद्योग की स्थापना करने हेतु केन्द्र स्तर पर प्रयास और सहायता की जाए।

(उन्नीस) आंध्र प्रदेश के रचकोंडा में फील्ड फायरिंग रेंज बनाए जाने संबंधी प्रस्ताव वापस लिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगोंडा) : वर्तमान में हैदराबाद के निकट मडचल गांव में एक डिफेंस फील्ड फायरिंग रेंज है। चूंकि शहर का विकास हो गया है, अत: गांव का शहर में लगभग विलय हो गया है। इस परिदृश्य में फील्ड फायरिंग रेंज को स्थानांतरित किए जाने की संभावना है। बताया गया है कि उन्होंने भोंगीर राजस्व डिवीजन के नारायणपुर मंडल के रचकोंडा क्षेत्र को चुना है। रंगारेड्डी जिले के इब्राहिम निर्वाचन क्षेत्र के कुछ भाग को भी इसमें शामिल किया गया है। यह पूरा क्षेत्र मेरे संसदीय क्षेत्र का भाग है। ऐसा पता चला है कि इस प्रयोजन हेतु कुछ सरकारी भूमि और निजी भूमि की खरीद की जानी है। प्रस्तावित भूमि पर अधिकांशत: स्थानीय आदिवासी तथा गरीब लोग खेती करते हैं। सभी स्थानीय लोग, स्थानीय पंचायत, स्थानीय लोक प्रतिनिधि, सांसद, विधायक, सर्वदलीय संयुक्त कार्य समिति इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं।

जेएनयूआरएम के अंतर्गत सरकार शहर के आसपास 100 कि.मी. तक आधारभूत अवसंरचना का विकास करने पर विचार कर रही है। चूंकि रचकोंडा 35-40 कि.मी. में आता है, इस पूरे क्षेत्र का विकास अगले 15-20 सालों में किए जाने की संभावना है। उस समय सरकार को पुन: नई फायरिंग रेंज ढूंढनी होगी। और जैसा कि पिछला अनुभव है नडचल फायरिंग रेंज, जो अधिक आवाजाही वाले क्षेत्र में है, में फायरिंग रेंज से बाहर आने वाली गोलियों से कई लोग तथा घरेलू जानवर मारे गए। अत: बढ़ती आवाजाही के कारण रचकोंडा में यह

लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। इन सभी तथ्यों के मद्देनज़र रचकोंडा में फील्ड फायरिंग रेंज की स्थापना के प्रस्ताव को वापस लिया जाना चाहिए।

(बीस) आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जांच किए जाने की आवश्यकता

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : भारत सरकार राज्य सरकारों तथा अन्य गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कई स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम चला रही है। ये सभी संगठन शहरी क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। वे ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोगों के समक्ष आ रही समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे। समाचारपत्रों तथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में एच आई वी, आर सी एच तथा पोलियो आदि संबंधी विज्ञापन आते हैं। परंतु दूरदराज के क्षेत्रों में रह रहे लोगो की जान बचाने के लिए कोई उपचारात्मक उपाय नहीं किए जा रहे।

महोदय जैसा कि आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम जिला देश का काफी पिछड़ा जिला है। हालांकि सरकार ने बुनियादी सुविधाएं जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, औषधालय, एम.एम. यूनिट, जी एलसी यूनिट तथा उपकेन्द्र आदि, प्रदान की हैं, इन सभी उद्देश्य उपचारक तथा निवारक पहलू हैं परंतु सच तो यह है कि श्रीकाकुलम जिले के ग्रामीण क्षेत्र में लोग कई जानलेवा रोगों से पीड़ित हैं। राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा कोई उचित निवारक उपाय नहीं किए जा रहे। ग्रामीण क्षेत्रों के मुख्य स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों, दवाइयों, प्रशासनिक नियंत्रण तथा उचित वित्तपोषण की कमी है। इसके फलस्वरूप लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वे उचित देख-रेख तथा दवाइयों के अभाव में मर रहे हैं। मैं सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे गरीब लोगों की समस्याओं पर ध्यान देने तथा उनका जीवन बचाने का अनुरोध करता हूं।

अपराह्न 12.34 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

(एक) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अधीन मूल्यों में वृद्धि के संबंध में चर्चा को पुन: आरम्भ करेंगे।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'—उपस्थित नहीं।

प्रो. रामदास — उपस्थित नहीं।

अब चौधरी लाल सिंह।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि डा. चिंता मोहन नियम 193 के तहत आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के बारे में डिसकशन लाये हैं। कहा गया कि जरूरी चीजों के मूल्यों में रेट्स बढ़े हैं। उसके लिये भारत सरकार ने काफी प्रयास किये हैं और काफी कोशिशें भी हुई हैं। मेरा भी यही कहना है कि आज मूल्यों पर कंट्रोल किया जाये।

अध्यक्ष जी, मैं कुछ कमियों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस महंगाई का मेन रीज़न रहा कि किसानों को उसके गेहूं का पिछली बार ठीक रेट नहीं दिया गया। सरकार ने गेहूं का रेट 650 रुपये क्विंटल निकाला था। इससे किसानों के साथ बेइन्साफी हुई थी ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मूल्य वृद्धि पर चर्चा की जा रही है। मंत्री जी को उत्तर देना है। यदि सदस्य इसे सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, तो जो भी हो रहा है उसे पूरे देश को देखने दें। मैं कुछ नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह : सरकार गेहूं के बारे में जो पौलिसी लाई, उसमें किसानों को उसके गन्दम यील्ड का ठीक रेट दिया जाना चाहिये था। मुझे उम्मीद थी कि इस साल किसानों को उसकी पैडी और गन्दम के सोइंग सीजन के लिये मदद मिलती लेकिन वह सरकार नहीं कर पाई। किसानों के लिये बुवाई का सीजन अक्तूबर और नवम्बर में शुरू होता है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं विभिन्न दलों के नेताओं सहित सभी सदस्यों

से सभा चलने देने का अनुरोध करूंगा। हम मूल्य वृद्धि की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। मंत्री जी उत्तर देंगे। 3 बजे से अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया जाएगा। स्थगन का कोई सवाल ही नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह : अगर सरकार सीजन में मदद करती तो ऐसा न होता। मेरी सरकार से रिक्वैस्ट है कि गन्दम का रेट बढ़ना चाहिये था। इसी कारण से दूसरी कंपनियां प्रोक्योरमेंट करती रहीं। आज आम आदमी को तकलीफ हो रही है। इसलिये आटा, और दालें सस्ती होनी चाहियें। लोगों को पेट्रोल और डीजल से कुछ नहीं लेना है, उसे आटा और दालें सस्ती मिलनी चाहिये। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है लोगों के पास पर्चेजिंग पावर नहीं रही है। मेरा सबमिशन है कि आज आटे का भाव कम से कम 4 रुपये किलो कम होना चाहिये। आप देखेंगे कि गन्दम का रेट 650 रुपये तय किया गया तो आटे का भाव 9-10 रुपये किलो कैसा हो सकता है? जहां तक मैंने समझा है कि आज आटा बेचकर व्यापारी मुनाफा कमा रहा है जबकि किसान को उसका मूल्य नहीं दिया गया। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि किसान को रेट ज्यादा मिले और आम आदमी के लिये आटा और दाल का रेट कम किया जाये। यह बहुत ही जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, सरकार फूड सिक्योरिटी करती है लेकिन राशन स्टोर में सड़ता रहता है। महंगाई का एक कारण यह भी है कि हमने अंत्योदय योजना, बी.पी.एल. योजना, ए.पी.एल. योजना, आंगनवाड़ी और मिड-डे-मील योजना चालू कर रखी है। यहां देखा गया है कि खाना आधा कच्चा और आधा पक्का होता है, खाने लायक नहीं होने से फैंक दिया जाता है। इससे खाने की बेकद्री होती है। ये स्कीम सरकार लाई है लेकिन कामयाब नहीं हो पायी हैं। इससे महंग आटा और चावल महंगे हुये हैं। सरकार और कुछ करे या न करे, आटा और चावल सस्ता करे। जितने होर्डर्स और ब्लैकमार्केटियर्स हैं, उनके लिये एक क्वांटिटी रखने के लिये कह सकती है लेकिन उन्होंने हद से ज्यादा अनलिमिटेड स्टॉक रखा हुआ है। जब अनलिमिटेड माल है तो उसको संभालने के लिए और उसको रोकने के लिए वहां छापा मारा जाए। बीजेपी वालों ने इंस्पैक्टर राज हटा दिया। इन्होंने बरबादी की। इनकी वजह से महंगाई हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि इस पर खास ध्यान दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रो. महेदवराव शिवनकर।

श्रीमती नीता पटैरिया।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.41 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 2006-07

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा अब मद सं. 8 और 9 को लेगी। रेल मंत्री।

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : महोदय, मैं वर्ष 2006-07 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांग को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5132ए/2006]

अपराह्न 12.42 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 2004-05

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : महोदय, मैं वर्ष 2004-05 के लिए बजट (रेलवे) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5132बी/2006]

अपराह्न 12.43 बजे

नियम 193 के अंतर्गत चर्चा

(i) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के बारे में—जारी

[हिन्दी]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण

मंत्री (श्री शरद पवार) : अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने देश की आम जनता की समस्या है। जो लोग गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं और गरीब मज़दूर हैं, उनकी समस्या है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया मंत्री जी को बोलने दीजिए। वे एक महत्वपूर्ण मामले पर उत्तर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद पवार : इससे एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई है। ...*(व्यवधान)* आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि यूपीए की हुकूमत आने के बाद देश का आर्थिक विकास तेजी से हुआ है और विकास की दर आठ प्रतिशत के आस-पास आ गई है। मगर साथ-साथ इनफ्लेशन का रेट 2006-2007 में 6.29 प्रतिशत तक पहुंचा है। इसमें अत्यावश्यक चीजों का लाइसैन्स नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह हिन्दुस्तान की परंपरा है। ऐसे ही चलने की परंपरा है।

(व्यवधान)

श्री शरद पवार : सभी देशवासियों को मालूम है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गेहूं, पल्सेज़ चीनी आदि प्रोडक्ट्स के दामों पर कुछ समय तक नियंत्रण नहीं रहा। पेट्रोल का उत्पादन करने वाले कई देशों ने जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाई हैं, इसका असर भारत जैसे विकासशील देशों पर हुआ है।...*(व्यवधान)* 2003-04 में जिस पेट्रोल की कीमत 25 डालर प्रति बैरल थी, वह 2004-05 में 48.97 डालर प्रति बैरल हो गई। 2005-06 में वह 55.77 डालर प्रति बैरल हो गई और 2006-07 में 17 नवंबर तक 65.24 डालर प्रति बैरल हो गई। 17.11.06 तक 187 प्रतिशत प्राइस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बढ़ गई है, डीज़ल की कीमत में 234 प्रतिशत की वृद्धि हो गई, कैरोसीन की कीमत में 240 प्रतिशत वृद्धि हो गई और एल.पी.जी. की कीमत में 154 प्रतिशत तक वृद्धि हो गई।...*(व्यवधान)* मगर एक बात मुझे कहनी है कि इतने बड़े पैमाने पर इस वृद्धि होने के बाद इसका बोझ आम जनता के ऊपर कैसे पड़ सकता है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है।...*(व्यवधान)* इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है। आपको ताज्जुब होगा कि पेट्रोल में जो वृद्धि हुई, उसमें 2723 करोड़ रुपए की जिम्मेदारी सन् 2005-06 में ऑयल कंपनी ने स्वीकार की है। अप्रैल तथा सितम्बर 2005 में पेट्रोल में जो वृद्धि हुई, उसमें 2808 करोड़ रुपए की जिम्मेदारी ऑयल कंपनी ने स्वीकार की है। जहां तक डीजल की बात है, सन् 2005-06 में इसमें जो कीमत बढ़ी, इसमें 12,636 करोड़ की जिम्मेदारी ऑयल कंपनी ने ले ली है और अप्रैल से सितम्बर, 2000 तक 15,502 करोड़ की जिम्मेदारी ऑयल कंपनी ने ली है। जहां तक पीडीएस, कैरोसीन का रेट है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, जो थोड़ा-बहुत बदलाव हुआ है, वह सिर्फ कमीशन के बारे में हुआ है, उसमें सरकार ने जिम्मेदारी ली है।

अपराह्न 12.46 बजे

[श्री मोहन सिंह *पीठासीन हुए*]

जहां तक कैरोसीन की बात है, सन् 2005-06 में भारत सरकार ने 976 करोड़ रुपए की जिम्मेदारी ली और ऑयल इंडस्ट्री ने 14,314 करोड़ रुपए की जिम्मेदारी ली है। यह 15,360 करोड़ रुपए का बोझ जनता के ऊपर नहीं आएगा, इस पर ध्यान दिया गया है। अप्रैल या सितम्बर, 2006 तक कैरोसिन में जो वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के आधार पर हुई, उसमें से 483 करोड़ रुपए की जिम्मेदारी भारत सरकार ने ली और ऑयल इंडस्ट्री ने 9845 करोड़ रुपए, यानी कुल 10,328 करोड़ रुपए की जिम्मेदारी ली है। जहां तक एलपीजी का सवाल है, जहां पिछले साल भारत सरकार ने 1520 करोड़ रुपए की जिम्मेदारी ले ली है और ऑयल कंपनी ने 10,246 करोड़ रुपए की जिम्मेदारी ली और टोटल 11,766 करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी हो गई, जिसका बोझ आम जनता के ऊपर पड़ सकता था, मगर वह बोझ जनता के ऊपर नहीं पड़ेगा, इस पर ध्यान दिया गया है। अप्रैल से सितम्बर, 2000 तक भारत सरकार ने डोमेस्टिक एलपीजी की जो इंटरनेशनल मार्केट में वृद्धि हुई, इसमें से 738 करोड़ रुपए की जिम्मेदारी भारत सरकार ने ली और 5030 करोड़ रुपए की जिम्मेदारी ऑयल इंडस्ट्री ने ली, यानी 5768 करोड़ रुपए की जिम्मेदारी इन दोनों ने ली, जिसका बोझ आम जनता के ऊपर नहीं पड़ा और टोटल अमाउंट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि करीब 34 हजार करोड़ की जो वृद्धि हुई, उसका बोझ आम जनता के ऊपर नहीं डाला गया। यह जिम्मेदारी भारत सरकार ने और ऑयल कंपनी ने अपने ऊपर ले ली, जो एक बहुत बड़ा बोझ आम जनता के ऊपर आ सकता था, इससे छुटकारा पाने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। मगर यह हम नजरअंदाज नहीं करते कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमत होती है, उसका प्रभाव समाज की कई चीजों पर हो सकता है और कई चीजों या ट्रांसपोर्ट कास्ट बढ़ने से, डीजल बढ़ने से, चाहे

[श्री शरद पवार]

कास्ट कॉफ कल्टीवेशन हो या ट्रांसपोर्ट कास्ट हो, इसके ऊपर कुछ न कुछ असर पड़ा, यह मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी जिस आइटम की कीमत ऊपर गई, वह पल्सेज की कीमत थी। जहां तक चना दाल है, 24 नवम्बर, 2004 को दिल्ली मार्केट में चने दाल की कीमत 41 रुपए प्रति किलो थी, वह पिछली 24 मई को 30 रुपए प्रति किलो थी और 30.11.06 से यह 42 रुपए प्रति किलो से 41 रुपए हो गई। यह छोटा-सा डिकलाइन ट्रेंड इसमें दिखाई दे रहा है। तुअर की जो दाल है, इसमें 24 नवम्बर को दिल्ली मार्केट में 34 रुपए प्रति किलो का रेट था, इसका रेट भी 25 मई को कम हो गया।

...*(व्यवधान)* उसके पहले 35 रुपए थी, उससे अब थोड़ी सी कम हो गई है।...*(व्यवधान)* दिल्ली मार्केट में उसकी कीमत 54 रुपए पर के.जी. थी जो 30 नवम्बर, 2006 को 50 रुपए हो गई।...*(व्यवधान)* जहां तक मसूर की दाल की बात है, वह 29 रुपए तक पहुंची। उससे पहले 30 रुपए किलो थी।...*(व्यवधान)* स्थिति संतोषजनक नहीं है इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। पिछले 23 सालों में यदि देखें तो वर्ष 2001-2002 में 13 प्रतिशत, 2002-03 में 13.5 प्रतिशत और वर्ष 2003-04 में 14.91 प्रतिशत ज्यादा उत्पादन हुआ।...*(व्यवधान)* जैसा सभी को ज्ञात है कि यह डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। हम इसे अन्य देशों से इम्पोर्ट करते हैं। जिन देशों से हम ज्यादा इम्पोर्ट करते थे उनमें मियानमार, पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं। इन देशों में मौसम खराब होने के कारण उत्पादन कम हुआ और जो हम वहां से इम्पोर्ट करते थे, वह नहीं कर सके। इस साल केवल 20.4 लाख टन ही हम इम्पोर्ट कर सके जिसका असर डॉमैस्टिक मार्केट पर हुआ। ...*(व्यवधान)* जहां तक एडीबल ऑयल सीड्स की बात है, इसके ज्यादा उत्पादन पर हमें जोर देना पड़ेगा। इनकी कमी के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिससे रेट बढ़े।

[अनुवाद]

2005-06 के दौरान दालों का समग्र उत्पादन 13.11 मिलियन टन हुआ, जो कि 2004-05 में 13.13 मिलियन टन और 2003-04 में 14.91 मिलियन टन के उत्पादन की तुलना में कम है...*(व्यवधान)*

दालों में उड़द को छोड़कर निरन्तरता है और इसके परिणामस्वरूप दाल की एक किस्म के मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप अन्य किस्मों के लिए मांग बढ़ती है...*(व्यवधान)*

दालों का उत्पादन मुख्यतया सीमांत एवं उप-सीमांत भूमि पर वर्षासिंचित दशाओं के अंतर्गत निम्न निविष्ट उपयोग के साथ की जाती है। सिंचित दशाओं के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र मात्र 15 प्रतिशत है, जिसके परिणामस्वरूप ये फसलें मौसम संबंधित उत्पादन जोखिमों के अधीन होते हैं। परिणामस्वरूप, भारत में दाल उत्पादन की विशेषता उत्पादन में उतार-चढ़ाव और कम पैदावार है...*(व्यवधान)*

संगठित प्रयासों के बावजूद दाल उत्पादन प्रौद्योगिकी में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि तथा अधिक पैदावार वाले जर्म प्लाज्म में सुधार संभव नहीं हो सका है जिसका कारण आनुवांशिक समस्याएं तथा दालों की विकसित किस्मों में निम्न अनुकूलनशीलता है...*(व्यवधान)*

बीज उपलब्धता भी अपर्याप्त है और बीज प्रतिस्थापन की दर मात्र 2 प्रतिशत से 5 प्रतिशत है।

देश में दालों की प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि हो रही है। मांग और पूर्ति के बीच अंतराल को प्रतिवर्ष 1.5-2.0 मिलियन टन आयात के द्वारा पूरा किया जाता है। इस वर्ष पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी फसल प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है जिसके परिणामस्वरूप उड़द और चना की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में काफी वृद्धि हुई है जिनका आयात मुख्य रूप से म्यान्मार से किया जाता है (2005-06 में 16.08 लाख टन दालों का आयात किया गया। 2006-07 में अगस्त 2006 तक मात्र 5.89 लाख टन दालों का आयात हुआ है।

अनाजों और तिलहनों की तुलना में दालें आनुवांशिक रूप से कम पैदावार वाली तथा निविष्टि के प्रति कम अनुक्रियाशील होती हैं ...*(व्यवधान)*

गत दस वर्षों में दालों का उत्पादन क्षेत्र 20 और 24 मिलियन हेक्टेयर के बीच घटता-बढ़ता रहा है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अगर किसानों को अन्य विकल्प उपलब्ध होने पर दालों की खेती उनके लिए पंसदीदा विकल्प नहीं है...*(व्यवधान)*

दालों की खेती के अंतर्गत भूमि के लिए सिंचाई में वृद्धि (यहां तक कि फसल जीवन रक्षक सिंचाई) की ओर अपर्याप्त ध्यान दिया जाता है। चूंकि सिंचाई में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है, अत: उत्पादकता में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की संभावना नहीं है। इसकी तुलना गुजरात जैसे राज्यों के साथ किए जाने की आवश्यकता है जहां सिंचाई में वृद्धि के कारण मूंगफली (तिलहन) और कपास (वाणिज्यिक फसल) की उत्पादकता में भारी वृद्धि हुई है...*(व्यवधान)*

दालों की उत्पादकता एक दशक से अधिक अवधि के लिए 550

और 600 किग्रा प्रति हेक्टेयर के बीच स्थिर रही है। राज्यों के अंदर तथा विभिन्न राज्यों के बीच उपज का अंतराल है...*(व्यवधान)*

दलहनें कीट और रोगों के प्रति अधिक प्रवण होती हैं। दलहनों के लिए एकीकृत कीट प्रबंध कार्यों में अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है क्योंकि दलहनों की खेती मुख्य फसलों के रूप में करने वाले किसान संसाधनों के मामले में गरीब हैं।

अब मैं दालों की कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों पर आता हूं। सरकार को आवश्यक वस्तुओं यथा दालों के मूल्यों में वृद्धि की जानकारी है और इसने इसके लिए कई उपाय किए है। किए गए महत्वपूर्ण उपाय नीचे दिए गए हैं:-

1. दालों के आयात पर सीमाशुल्क को 8 जून, 2006 को घटाकर शून्य कर दिया गया है तथा 27 जून, 2006 से दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

2. सरकार की पहल पर नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नैफेड) ने 49,300 एम.टी. दालों के आयात के लिए एक अनुबंध किया, जिसमें 35,168 एमटी उड़द और 12,893 एमटी मूंग सहित 48,061 एमटी दालों को 21.11.2006 को भेजा जा चुका है। अन्य एजेंसियों द्वारा कदम उठाए गए हैं...*(व्यवधान)*

3. राज्य सरकारों के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत स्टॉक सीमाएं तथा लाइसेंसिंग अपेक्षाएं (अगस्त, 2006 में) निर्दिष्ट करने के लिए समर्थकारी प्रावधानों की शुरूआत।

4. 2006-07 में अगस्त 2006 तक 5.89 लाख टन दालों का आयात...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

चीनी की परिस्थिति यह थी कि चीनी का...*(व्यवधान)* इसमें इसलिए सुधार की स्थिति हमें देखने को मिली। जहां तक गेहूं की स्थिति है इस साल गेहूं का उत्पादन कम हुआ है। इसके प्रक्योरमेंट में थोड़ी समस्या आई है। हम कई प्रदेश सरकारों के सहयोग न किए जाने के कारण 9 मिलियन प्रक्योरमेंट नहीं कर सके और सिर्फ 5.5 मिलियन टन ही प्रक्योर कर सके।...*(व्यवधान)* यह स्थिति बड़ी गंभीर है। एसैंशियल कमोडिटीज एक्ट के आधार पर कई कदम उठाए जाने की कोशिश की है।...*(व्यवधान)* पिछले साल का गेहूं का पुराना अनुभव हमारे सामने आ रहा है।...*(व्यवधान)* इस साल 15 प्रतिशत से ज्यादा सोइंग ऑपरेशन पूरे देश में हुआ है, जमीन में मोएस्चर अच्छा है और मुझे विश्वास है कि पैडी और व्हीट का उत्पादन इस देश में बढ़ेगा और खाद्य समस्या में इससे कुछ न कुछ राहत मिलेगी।...*(व्यवधान)*

यह जो स्थिति है, यह स्थिति ऐसे समय पर पैदा हुई, जब हमारे यहां उत्पादन कम हुआ, लेकिन इसमें कोई रास्ता निकालने के लिए इस सरकार की हमेशा कोशिश है और कोशिश रहेगी।...*(व्यवधान)* मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करके हम किस तरह से अनाज की समस्या हल कर सकते हैं, इस पर सबसे ज्यादा हमारा ध्यान रहेगा और इस सरकार की इसके ऊपर प्रायोरिटी रहेगी।...*(व्यवधान)* आम जनता को इससे जो यातना होती है, इससे छुटकारा दिलाने के लिए सरकार कोशिश करेगी। ...*(व्यवधान)*

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब मुझे लगता है कि माननीय सदस्यों को काफी भूख लग गई है, इसलिए खाना खाने के लिए हम दो बजे तक उठते हैं।

अपराह्न 12.55 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.03 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.03 बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह जो कुछ हाउस में हुआ, हम एक...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति दी है। कृपया सुनें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, सिंगूर में किसानों पर जो अत्याचार हुआ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया, हम इस बात को सदन में उठाना चाहते थे। हम वेल में नहीं आना चाहते थे, परंतु आज हमें बोलने नहीं दिया गया। यूपीए की सरकार, कांग्रेस पार्टी...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, आपको हमें अनुमति देनी होगी...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार : महोदय, ये अध्यक्षपीठ की बात पर प्रश्न-चिह्न कैसे लगा सकते हैं?...*(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, कुछ भी नहीं हुआ है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह सरकार ऑपोजीशन का गला दबाना चाहती है, बुलडोज करना चाहती है। आप जब हाउस आर्डर में नहीं था...*(व्यवधान)* इन्होंने हाउस आर्डर में न होने के बावजूद यहां...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, आप उन्हें किस नियम के अंतर्गत बोलने की अनुमति दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति दी है। कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : महोदय, वे इस प्रकार यह मुद्दा नहीं उठा सकते हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सबसे पहले, आप अपना आसन ग्रहण करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मल्होत्रा के भाषण के सिवाय कार्रवाई वृत्तांत में अन्य कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर गोली चली, वहिशयाना लाठीचार्ज हुआ, किसानों पर अत्याचार हुआ।... *(व्यवधान)* हमें यहां इस बात को उठाने नहीं दिया। अगर कल कहीं श्रीमती सोनिया गांधी गिरफ्तार हो जाएं, तो इनका रवैया कैसा होगा? ...*(व्यवधान)* जैसे हरियाणा में हुआ था।...*(व्यवधान)* यहां हाउस को एडजर्न कर दिया गया।...*(व्यवधान)* आज इन्होंने जैसा किया है, उसके खिलाफ हम प्रोटैस्ट करना चाहते हैं। यदि सरकार यह चाहती है कि ऑपोजीशन सदन की कार्यवाही में भाग न ले, तो आज हम कार्यवाही में भाग नहीं लेना चाहते। हम इनको खुली छूट देते हैं कि यह ऑपोजीशन को बुलडोज करें, ब्रैश करें और जो बहस करना चाहते हैं, करें। हम आज सारे दिन के लिए हाउस का बहिष्कार करते हैं।

अपराह्न 2.06 बजे

(तत्पश्चात् श्री विजय कुमार मल्होत्रा और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है। कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, इस बिल के बाद आपका ही आइटम है।

(व्यवधान)

अपराह्न 2.07 बजे

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश संशोधन विधेयक, 2006

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मद सं. 12 पर विचार करेगी। श्री पी.आर. किन्डिया।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय के भाषण के सिवाय कार्रवाई वृत्तांत में अन्य कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्दिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश 1950 का बिहार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची को उपांतरित करते हुए और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय, विचाराधीन विषय अनिवार्य रूप से बिहार में अनुसूचित जनजातियों की सूची के हिंदी संस्करण में लोहरा समुदाय को लोहार लिखे जाने का संशोधन करके उसके स्थान पर लोहारा प्रतिस्थापित किए जाने के बारे में है।

यह त्रुटि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 पारित करते वक्त उजागर हुई।

महोदय, बिहार में अनुसूचित जनजातियों की सूची सर्वप्रथम संविधान (अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950 के माध्यम से अधिसूचित की गई। तत्पश्चात्, इस सूची में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1956 के साथ संशोधन किया गया। दोनों ही स्थितियों में, विचाराधीन विषय का बिहार में अनुसूचित जनजातियों की सूची में मद सं. 20 पर लोहारा अथवा लोहार के रूप में उल्लेख हुआ। 1976 के अधिनियम में केवल हिन्दी संस्करण में परिवर्तन हुआ न कि अंग्रेजी संस्करण में। किसी भी प्रकार का उपांतरण करने के लिए जानबूझकर कर लिए गए निर्णय के तौर पर कुछ भी शामिल नहीं किया गया।

तत्कालीन कल्याण मंत्रालय ने 6.1.1995 को एक शुद्धिपत्र जारी किया था जिसमें हिन्दी संस्करण में लोहार शब्द के स्थान पर लोहारा शब्द प्रतिस्थापित किए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण अधिसूचित किया गया था। यह मामला उच्चतम न्यायालय में आया। बहस के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि लोहार समुदाय के बारे में मंत्रालय अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 के हिन्दी संस्करण में उपयुक्त संशोधन लाएगा।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदय, लोहार एक भिन्न वर्ग है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आता है और लोहारों द्वारा लगातार यह प्रयास किया जाता रहा है कि उन्हें अनुसूचित जाति के रूप में जाना जाए और उन्हें अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित संवैधानिक लाभ प्राप्त होते रहें।

इसलिए, यह आवश्यक हो गया कि 1976 की हिन्दी अधिसूचना संख्या 108, दिनांक 18.9.1976 (1.10.1979 को प्रकाशित) में विद्यमान आदेश में संशोधन किया जाए और इसे लोहारा पढ़ा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव किया गया :

"कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का बिहार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची को उपांतरित करते हुए और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : डा. टोकचोम मैन्या।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : यह मुझे पता है कि एलाठ करना है या नहीं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्यों बोल रहे हैं, यह रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है।

(व्यवधान)·

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, इसे रिकॉर्ड में जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इस बिल के बाद मैं आपको दो मिनट का समय दूंगा, तब आप अपनी बात कह लेना।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति प्रदान की है। अनुमति देना अथवा अनुमति न देना अध्यक्षपीठ का विशेषाधिकार है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

डा. टोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा यथापारित बिहार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में उपांतरण करने संबंधी संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने के लिए माननीय मंत्री महोदय श्री पी.आर. किन्डिया द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक का समर्थन करता हूं।

यह विधेयक अत्यंत साधारण है और इसकी व्याख्या स्पष्ट है। इसका आशय केवल "लोहार" शब्द को सही शब्द "लोहरा" से प्रतिस्थापित करना है। लोहार और लोहरा नामक दो जनजातियों के नाम की वर्तनी गलत लिखे जाने का यह मामला है। मंत्री महोदय ने इस गलती को सुधारने और इस अस्पष्टता को दूर करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया है और लोहार जनजाति को इससे अलग करना है जो अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में है।

इस गलत वर्तनी वाले शब्द के कारण, इन दो जनजातियों के बीच अंतर को गलत समझने का कुछ प्रयास हुआ है। हमारा देश बहुत ही व्यापक है। इसमें अनेकों जनजातियां हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों में, भिन्न-भिन्न बोलियां बोली जाती हैं। हम जब इन बोलियों को अंग्रेजी या हिंदी में लिखते हैं – इसका अंग्रेजी अथवा हिंदी में अनुवाद करते समय इसकी वर्तनी में हमेशा ही कुछेक गलतियां हो जाती हैं और इनमें सुधार किया जाए ताकि अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों में भी सूचीबद्ध मदों का उल्लेख करते वक्त कोई दुविधा की स्थिति न रहे। इसमें सुधार किया जाना चाहिए और इस विधेयक में यही साधारण सुधार करने का प्रस्ताव है। यह विधेयक पारित कर हम बिहार के अपने भाइयों के लिए अच्छा कार्य करेंगे जिनके बारे में अभी कुछ गलतफहमियां हैं।

इन कुछेक शब्दों के साथ मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने सही कदम उठाया है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश संशोधन विधेयक, 2006 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 के बिहार राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में परिवर्तन और संशोधन करने के संबंध में यह विधेयक है। जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक को संशोधन के रूप में रखा है। लोहार शब्द को इसमें संशोधित करके लोहारा करने के लिए यह विधेयक आया है। जहां तक लोहार जाति के बारे में हमारी जानकारी है, हमारे उत्तर प्रदेश में जो लोहे का व्यापार करते हैं, विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, उनको लोहार कहा जाता है और लोहारा जनजाति हो सकता है कि कोई जनजाति हो। मान लीजिए कि गलत तरीके से लोहार जाति को यह सुविधा मिली हो तो अगर इसे परिवर्तित करके लोहारा किया जाएगा तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। यह बात सत्य है कि सभी माननीय सदस्यों के क्षेत्रों में लोहार कामगार हैं, जिनकी माली हालत खराब है। लोहे का सामान बनाकर अपना जीवनयापन करने के अतिरिक्त उनके पास कोई अन्य रोजगार नहीं है। ऐसे लोगों को भी इसका लाभ देना चाहिए और लोहारा जनजाति जो आदिवासी हैं, जो संशोधित किया जा रहा है, उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए ताकि इन दोनों जातियों को ठेस न पहुंचे और उनका जीवन सुधरे। माननीय मंत्री जी को यह देखना चाहिए कि इन दोनों जातियों को इसकी सुविधा मिले।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. किन्डिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 को पारित करते समय हुई गलती का स्पष्ट मामला है। यह विधेयक आवश्यक रूप से इसी गलती को सुधारने के लिए है। हम माननीय सदस्य के साथ हैं और हम लोहार समुदाय के प्रति सम्मान का भाव रखते है। इस समय वे 'अन्य पिछड़ा वर्ग' की श्रेणी में आते हैं। यदि आज लोहार समुदाय अनुसूचित जनजाति बनना चाहता है या शायद उन्हें ऐसा लगता है तो वे हमें आवेदन कर सकते हैं। यह मुद्दा हमारे पास खुला है। किन्तु, इस समय हम केवल छपाई में हुई गलती को सुधार रहे हैं।

यहां तक कि उच्चतम न्यायालय ने भी इस पर विवेचना करते समय हमें संशोधन करने का कुछ समय दिया है क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमने इसे 1996 में सामान्य तौर पर कर दिया था और वह पर्याप्त नहीं था। इसके परिणामस्वरूप उच्चतम न्यायालय ने स्वयं हमें

इसके लिए सभा के समक्ष जाने के लिए कहा है। यही कारण है कि हम आज इस विधेयक के साथ आए हैं।

मैं माननीय सदस्यों से इस विधेयक को पारित करने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि बिहार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पी.आर. किन्डिया : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : महोदय, अब आप कृपया मुझे अनुमति दीजिए। आपने कहा है कि आप मुझे अनुमति देंगे... *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, प्रो. मल्होत्रा ने जो कुछ भी यहां कहा है, वह असत्य है। न तो श्री राजनाथ सिंह को गिरफ्तार किया है न ही किसानों पर किसी तरह की पुलिस फायरिंग की गई है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग पहले तय कर लें कि आप दोनों में से किसने बोलना है।

श्री सौमित्र चटर्जी (डायमंड हार्बर) : दोनों बोलेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : एक सदस्य बोलेगा। आचार्य जी, आप फैसला कर लें कि कौन बोलेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद],

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इस सभा को 30 नवंबर, 2006 को पश्चिम बंगाल विधान सभा में जो कुछ हुआ। उसकी निन्दा करनी चाहिए। इस सभा के एक सदस्य विधान सभा के अन्दर गए थे। *...उन्होंने फर्नीचर नष्ट कर दिया। उन्होंने विधान सभा सदस्यों पर हमला किया और छह सदस्य घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया एलीगेशन न लगाएं।

[अनुवाद]

कोई भी आरोप कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, उन्होंने फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री बसुदेव आचार्य]

यह हमारे देश की लोकतांत्रिक संस्था पर हमले के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।...*(व्यवधान)*

डा. सुजान चक्रवर्ती (जादवपुर) : महोदय, यह सत्य है। इसमें एलीगेशन क्या है?...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह आरोप नहीं है। हमने इसे टेलीविजन पर देखा है। उनकी उपस्थिति में यह तोड़फोड़ की गई और गुंडागर्दी की गई। राज्य विधानसभा में 30 नवंबर को जो कुछ हुआ उसकी इस सभा को निन्दा करनी चाहिए। यह हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक काला दिवस था। महोदय, वहां पर जो कुछ हुआ, उसकी हमें निन्दा करनी चाहिए।*... अतः हम इस घटना की निन्दा करते हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आपकी बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित हो गई है। अब, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदया गुंडागर्दी हुई है। यह हमारे देश की लोकतांत्रिक संस्था पर हमले के अलावा और कुछ नहीं है। इस सभा को उसकी निन्दा करनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री सुधांशु सील (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : महोदया, हमारे नाम भी संबद्ध किए जाने चाहिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : जिस-जिस ने एसोसिएट करना है वह अपने नाम की स्लिप दे दें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य ने जो कुछ भी इस मुद्दे पर कहा है, उसके साथ श्री सुधांशु सील, श्री सुनील खां, श्री प्रबोध पाण्डा और श्री हितेन बर्मन के नाम भी संबद्ध किए जाएं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 2.21 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा—*(जारी)*

(दो) पंचायतों की स्थिति संबंधी रिपोर्ट—मध्यावधि समीक्षा और मूल्यांकन-2006

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब मद संख्या 19 पर विचार करेगी— नियम 193 के अधीन चर्चा — श्री बसुदेव आचार्य।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, 1992 में 72वें 73वें संशोधन विधेयकों को इस सभा द्वारा अधिनियमित तथा पारित किए जाने के बाद मैं समझता हूं, कि यह पहली बार होगा जब यह सभा पंचायती राज संस्थाओं की भूमिकाओं तथा जिम्मेवारियों पर चर्चा कर रही है।

मैं पंचायती राज के माननीय मंत्री को बधाई देना चाहूंगा क्योंकि उनके द्वारा पंचायती राज का प्रभार लेने के पश्चात् पहली बार पंचायती राज के लिए एक पृथक मंत्रालय बनाया गया है। इसके पहले पंचायती राज संस्थाओं के लिए कोई पृथक मंत्रालय नहीं था।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में यह प्रतिबद्धता की गई थी कि पंचायती राज संस्थाओं को ज्यादा से ज्यादा शक्तियां दी जाएंगी तथा पंचायती राज संस्थाएं हमारे उन ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के वास्तविक केन्द्र होंगे जहां 70 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या रहती है।

महोदय, आज तक ग्रामीण तथा शहरी भारत में बहुत ज्यादा अंतर तथा विभेद है। 2001 की जनगणना के अनुसार, शहरी भारत में पक्का घरों का प्रतिशत 70.70 है जबकि ग्रामीण भारत में यह केवल 29.20 है। उसी प्रकार शहरी भारत में 63.85 परिवारों के पास शौचालय सुविधा हैं जबकि ग्रामीण भारत में केवल 9.48 प्रतिशत परिवारों के पास ही शौचालय सुविधा है। फिर, 81.38 प्रतिशत शहरी परिवारों के पास सुरक्षित पेयजल की सुविधा है जबकि केवल 55.40 ग्रामीण परिवारों के पास सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है। उसी प्रकार, 75.78 प्रतिशत शहरी परिवारों के पास विद्युत कनेक्शन है जबकि 30.54 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास ही विद्युत कनेक्शन है। ये आंकड़े 2001 की जनगणना के अनुसार हैं। इन आंकड़ों में इन पांच छह वर्षों के दौरान मामूली वृद्धि हुई है।

शहरी साक्षरता का 80.00 प्रतिशत है जबकि ग्रामीण साक्षरता दर 59.21 प्रतिशत है। जन्म के समय जीवन संभावित शहरी भारत के लिए 60.3 प्रतिशत है जबकि ग्रामीण भारत के लिए 59.4 प्रतिशत है। नवजात मृत्य दर शहरी भारत में प्रति हजार 51 है। जबकि ग्रामीण भारत में प्रति हजार 84 है। महोदय, शहरी क्षेत्र में 73.3 प्रतिशत शिशु जन्म के समय प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे जबकि ग्रामीण भारत के लिए यह आंकड़ा 33.5 प्रतिशत है।

लिंग अनुपात को छोड़कर एक भी सामाजिक आर्थिक सूचक शहरी भारत की तुलना में ग्रामीण भारत के पक्ष में नहीं है। यह आश्चर्यजनक बात नहीं है। हमें अंतत: इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा जब हम ग्रामीण भारत में शहरी सुविधाएं प्रदान करने जा रहे हैं। अवसंरचना की कमी है। छिपी हुई राजसहायता जो शहरी भारत में दी जाती हैं, गांवों से शहरों की ओर पलायन को बढ़ावा देती हैं। यहां, पंचायती राज प्रणाली, पंचायती राज संस्थाओं के महत्व है।

ग्रामीण तथा शहरी भारत के बीच अंतर को कम करना चाहिए। भारत उदय की बात हो रही है। ग्रामीण लोगों के लिए यह उदय नहीं है। बल्कि केवल देश के दस प्रतिशत लोगों के लिए यह उदय है।

हमारे देश में पंचायती राज संस्था का लंबा इतिहास है। स्वतंत्रता के पूर्व भी, पंचायती राज संस्थाओं को स्थापित करने के प्रयास किए गए थे। महात्मा गांधी का स्वप्न अभी पूरा नहीं हुआ है। महात्मा जी ने कहा था कि पूर्ण स्वराज तब तक नहीं आ सकता है जब तक ग्राम स्वराज नहीं जाए। बिना ग्राम स्वराज के हम पूर्ण स्वराज नहीं प्राप्त कर सकते हैं। एक जगह पर बैठकर 20 लोग देश के लाखों लोगों के लिए कार्य नहीं कर सकते हैं। यद्यपि इसका लंबा इतिहास है, हमने विगत में देखा है कि 1992 के पूर्व जब संसद की सभा में संशोधन अधिनियम अधिनियमित किया गया था, कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था।

मैं आपको अपने राज्य के बारे में बता सकता हूं। पहले वहां 14 साल तक पंचायती चुनाव नहीं कराए गए थे। यह 1963 में कराया गया था। जब वाम मोर्चा 1977 में सत्ता में आई तो वाम मोर्चा सरकार के कार्यक्रम में, पहले नंबर पर यह कार्यक्रम था कि वाम मोर्चा सरकार के एक वर्ष के भीतर पंचायत के चुनाव कराए जायेंगे तथा पंचायत जो देश के लोगों के प्रतिनिधि हैं को शक्तियां दी जायेंगी। ठीक एक वर्ष के भीतर, पंचायती चुनाव कराए गए थे। पहली बार गरीब लोग, आदिवासी, अनुसूचित जाति के लोग तथा कृषि श्रमिक ग्राम पंचायत में चुने गए। कृषि श्रमिक ग्राम प्रधान बने। हम उन्हें ग्राम प्रधान कहते हैं। वे पंचायत समितियों, माध्यस्थ निकायों के अध्यक्ष बने।

जनजातीय और आदिवासी लोग अध्यक्ष बनें जबकि उस समय कोई आरक्षण नहीं था। आरक्षण 73वें तथा 74वें संशोधन के बाद ही आए।

यह उनका विचार था। वे उस विधेयक के पीछे थे, यद्यपि वे उस समय मंत्री नहीं थे। लेकिन उन्होंने सक्रिय रूप से इसमें भाग लिया, इस विधेयक को लाने में मेहनत की तथा पंचायती राज संस्था को वास्तविक संस्था बनाने का प्रयास किया। दूसरा श्रेय श्री मणिशंकर अय्यर को जाता है। मैंने पहले ही उन्हें इतनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए बधाई दी है। मैंने इसका थोड़ा-बहुत देखा भी है। मैंने देखा कि कितने परिश्रम से उन्होंने इसका संकलन किया। आप रिपोर्ट के तीन अंकों में सबकुछ प्राप्त कर सकते हैं।

इस तथ्य के बावजूद कि पंचायती राज प्रणाली हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था तब भी कृषि श्रमिक आदिवासी सत्ता में आए। आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि पंचायती राज चुनावों के छह माह के भीतर हमारे राज्य में बाढ़ आई थी। 1978 में छह से आठ जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। हमने देखा है कि लोगों के प्रतिनिधियों ने किस प्रकार बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद की। यहां तक कि कुछ जन प्रतिनिधि बाढ़ प्रभावित लोगों को बचाने में अपनी जान गंवा बैठे।

यह मध्यावधि समीक्षा – पुनरीक्षा, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सत्ता में आने के ठीक ढाई साल बाद सभा के सम्मुख प्रस्तुत की गई है। यह रिपोर्ट लोगों के अनुभवों का संकलन हैं जो पंचायती राज संस्था को एक वास्तविक संस्था बनाने में शामिल थे। सात गोलमेज बैठकें हुईं। उन्होंने सात विषयों का पता लगाया। राज्यों के सभी पंचायती राज मंत्रियों ने बैठक में हिस्सा लिया तथा उन्होंने इस पर विचार किया। विशेषज्ञों को अनुभव, समस्याओं को जानने के लिए बुलाया गया तथा केवल जानने के लिए ही नहीं बल्कि इसलिए भी कि इन समस्याओं से कैसे निपटा जाये। इन सभी अनुभवों को संकलित किया गया तथा इस विस्तृत रिपोर्ट में शामिल किया गया।

वास्तविक समस्याएं क्या हैं? एक समस्या शक्तियों का प्रत्यायोजन है। कोई भी अपनी शक्ति दूसरे के साथ बांटना नहीं चाहता है। केन्द्र सरकार के बाद, राज्य सरकार तथा इसके बाद पंचायती राज संस्थाएं आती हैं। 'क्षेत्राधिकार' का क्या होगा यदि आप उन्हें शक्तियां देंगे। कुछ राज्यों ने इसे कुशलतापूर्वक किया है तथा कुछ

[श्री वसुदेव आचार्य]

राज्य अब इसे कर रहे हैं तथा कुछ राज्य इसे भविष्य में करेंगे। पंचायती राज प्रणाली या संस्था के समक्ष आज कौन सी वास्तविक समस्या है?

शक्तियों के प्रत्यायोजन से, यदि वित्त का प्रत्यायोजन नहीं होता है, तो पंचायत द्वारा विकास कार्य किस प्रकार क्रियान्वित किए जायेंगे? पश्चिम बंगाल में 1978 में चुनाव 1974 के अधिनियम के आधार पर किए गए थे। वह अधिनियम तब पारित किया गया था जब कांग्रेस सत्ता में थी।

उस समय, वाम मोर्चा सरकार ने यह नहीं सोचा कि कांग्रेस अधिनियमित इस अधिनियम को बिना संशोधित किए वे चुनाव नहीं करा पाएंगे क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोगों से यह प्रतिबद्धता की गई थी कि एक वर्ष के भीतर पंचायत चुनाव कराए जायेंगे। उस अधिनियम के आधार पर जो 1974 में अधिनियमित किया गया था जब कांग्रेस सत्ता में थी, चुनाव कराए गए।

अब हमारे पास अनुभव है। मैं भी उस समय जिला परिषद में चुना गया था। मैंने जीवन में पहली बार चुनाव लड़ा तथा निर्वाचित हुआ। मैं जिला परिषद का एक सदस्य बना। मैं जिला परिषद की स्थाई समिति का कर्माध्यक्ष बना। यह एक जिला पंचायत है। हमारा अनुभव क्या था? उस समय, लोग अपने प्रतिनिधि को अपने गांव में पाते थे। उस समय, कोई ग्राम सभा या ग्राम संसद जैसी सामाजिक लेखापरीक्षा जिसपर हम जोर दे रहे हैं नहीं थी। आज हमारे पास ग्राम उन्नयन समिति है। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कांउसिल है जहां विपक्ष के प्रतिनिधि जिला परिषद में सभापति हैं। यहां, यह सुझाव दिया गया है कि लोक लेखा समिति जैसा कोई निकाय होना चाहिए लेकिन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को लोक लेखा समिति समझा जा सकता है जिसके सभापति जिला परिषद में विपक्ष के नेता हैं। आज, जब हमने अनुभव प्राप्त कर लिया तथा हमने कठिनाइयों को समझ लिया, हमारे पास ग्राम उन्नयन समिति है। शुरुआत में हमारे पास इन सभी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कोई निधि नहीं थी। लोगों की आकांक्षाएं थी क्योंकि वहां पर सड़क, पानी, पेयजल, सिंचाई प्रणाली इत्यादि की कोई व्यवस्था नहीं थी।

महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस संबंध में तीन भारी भरकम रिपोर्टें हैं। इसलिए मैं कुछ समय लूंगा।

महोदय, गांवों में पेयजल, सिंचाई प्रणाली और प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं। इसलिए इन सभी चीजों को पूरा करने के लिए हमारे सामने धन की समस्या उत्पन्न हुई। मैं मानव जीवन के लिए जरूरी नागरिक सुविधाओं की बात कर रहा हूं। धीरे-धीरे राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया और पंचायती राज संस्थाओं को धनराशि मिलनी शुरू हुई।

महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमने कि अत्यंत निर्धन, जनजातीय, आदिवासियों, अनुसूचित जातियों और कृषि मजदूरों को अपनी जिम्मेदारियों को बिना किसी भ्रष्टाचार के कुशलतापूर्वक करते हुए पाया है। यह हमारा अनुभव है।

24 वर्ष बाद आज भी हम प्रत्यायोजन, शक्तियों को सौंपने और विभिन्न विभागों और विभिन्न विषयों को सौंपने के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले 24 वर्षों में हमारे अनुभव क्या रहे हैं? इन 24 वर्षों के बाद भी हम इन कार्यों को पूरा क्यों नहीं कर पाए हैं जो संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में उल्लिखित है?

अत: हमारे मंत्री को पूरे देश का भ्रमण करना पड़ा। वह लगभग सभी राज्यों में गये। वह ग्राम सभा की बैठकों में गये। पंचायती राज व्यवस्था किस तरह काम करती है यह देखने के लिए वह गांवों में गये। लेकिन 24 वर्ष के बाद आज भी हम शक्तियों के प्रत्यायोजन की बात कर रहे हैं। मेरा कहना है कि ज्यादा से ज्यादा शक्तियों को प्रत्यायोजित करना चाहिए। अन्यथा महात्मा गांधी का यह सपना कभी भी पूरा नहीं होगा कि देश के निर्धन लोगों को ही वास्तविक शक्तियां दी जाए।

आज हम कृषि संकट का सामना कर रहे हैं क्योंकि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्या हमारी पंचायती राज व्यवस्था इन किसानों की सहायता नहीं कर सकती? प्रधान मंत्री ने मुख्य मंत्रियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए एक नया विचार अथवा अच्छी अवधारणा दी थी कि इस अंतर को पाटने के लिए हमें लोगों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना होगा। उन्होंने कहा था कि "गांवों को व्यवसाय का केन्द्र बनाना चाहिए जो एक चाइनीज मॉडल है।" यदि लोगों को वित्तीय रूप से सशक्त नहीं बनाया जाएगा तो औद्योगिकीकरण केवल शहरी क्षेत्रों में ही होगा।

1976 में उद्योगों के प्रसार के लिए एक समिति का गठन किया गया था और उस समिति की सिफारिशों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि देश में उद्योगों का प्रसार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं किया गया। रिपोर्ट में निजी और

सार्वजनिक भागीदारी का उल्लेख किया गया था। चीन ने क्या किया है? चीन ने न केवल बड़े और मॉडल उद्योगों की स्थापना की है अपितु चीन ने अपने परंपरागत ग्रामीण उद्योगों का भी पुनरुद्धार किया है जहां पर अधिक से अधिक रोजगार दिया जा सकता है। हमारे पास भी परंपरागत उद्योग और ग्रामीण उद्योग हैं। पंचायती राज प्रणाली उन ग्रामीण उद्योगों के पुनरुद्धार में सहायता कर सकती है। नीति संबंधी नजरिये में बदलाव और सरकार के रुख से यह काम संभव है। हमारे ग्रामीण उद्योगों का आधुनिकीकरण किया जा सकता है और इसका पुनरुद्धार भी किया जा सकता है और प्रौद्योगिकीय और वैज्ञानिक सहायता से अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सकता है।

आज बेरोजगारी बढ़ती जा रही है लेकिन शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की वृद्धि दर काफी कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की वृद्धि दर केवल 0.95 प्रतिशत है जबकि जनसंख्या वृद्धि दर 1.87 प्रतिशत है। इसलिए बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसलिए वास्तविक मुद्दा लोगों को वित्तीय और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना है। राजनीतिक सशक्तता से अभिप्राय है कि उन्हें पंचायती राज व्यवस्था के लिए निर्वाचित किया जाए और उन्हें रोजगार देने के लिए वित्तीय रूप से सशक्त किया जाये। एक पंचायत समिति या एक विकास खंड में जहां पर परम्परागत उद्योग मौजूद है, एक केन्द्र अथवा हब को सृजन करके, उन्हें राजनीतिक रूप से सशक्त बना सकते हैं। मैं इसके लिए आपको उदाहरण दे सकता हूं। पुरुलिया लाख के लिए प्रसिद्ध है जिसे वे लोग मेरे क्षेत्र में बेचते हैं। वहां पर बहुत अच्छे कुटीर उद्योग हैं और वहां पर लाख का उत्पादन करने वाले भी हैं। वहां पर लगभग एक लाख परिवार लाख उगाने का काम करते हैं। क्या पंचायती राज व्यवस्था इन लोगों की सहायता नहीं कर सकती जोकि परम्परागत कृषि और परंपरागत उद्योग में लगे हुए हैं।

मैं पश्चिम बंगाल के बांकुरा संसदीय क्षेत्र से हूं। बांकुरा एक जिला है जहां पर सबसे ज्यादा ग्रामीण शिल्पकार हैं जो मिट्टी के बर्तन, बैल मैटल (घंटी निर्माण कार्य), पीतल और टैराकोटा इत्यादि का काम करते हैं। हमारे टैराकोटा अश्व विश्व प्रसिद्ध हैं। रेल मंत्री ने उन हस्तशिल्पों को देखा है।

[हिन्दी]

आपको हमने वह राम जी का घोड़ा और गिलास दिया है। बहुत बढ़िया है।...*(व्यवधान)* लालू जी वहां जाएंगे। वह हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं। मणि शंकर अय्यरजी भी जाएंगे।

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : राम जी का घोड़ा इनको भी दीजिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य जी कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, बांकुरा एक ऐसा जिला है जिसमें सबसे अधिक ग्रामीण शिल्पकार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप आधे घंटे से अधिक समय ले चुके हैं। कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इन ग्रामीण शिल्पकारों को मदद की आवश्यकता है। इन ग्रामीण शिल्पकारों की आशाएं अवधारणा पत्र पर टिकी हैं जोकि एक वर्ष बाद भी अवधारणात्मक स्तर पर ही है। प्रधानमंत्री ने जून माह में कहा था और तत्पश्चात् दिसम्बर में उन्होंने इस बात को दोहराया था लेकिन आज की तारीख तक इसे मूर्त रूप देने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। हमारे मंत्री महोदय व्यस्त हो सकते हैं वह इस रिपोर्ट को तैयार करने और देश में भ्रमण करने में व्यस्त हैं, लेकिन यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? हमें ग्रामीण लोगों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना होगा। इसके माध्यम से हम स्वसहायता समूहों की सहायता कर सकते हैं। आज पश्चिम बंगाल में लाखों स्व-सहायता समूहों का सृजन किया गया है। वहां 4 लाख से अधिक स्व-सहायता समूह हैं। वे विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। जब लालूजी पश्चिम बंगाल में थे तो मैंने उनसे अनुरोध किया था कि स्व-सहायता समूहों के उत्पादों को महिलाओं का जो स्व-सहायता ग्रुप है और उनका जो प्रोडक्ट है, वह हमने रेलवे को खरीदने के लिए कहा है।...*(व्यवधान)*

अत: यह ग्रामीण व्यवसाय हमारे स्व-सहायता समूहों की मदद कर सकता है। लाखो स्व-सहायता समूहों की स्थापना की गई है। वे विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। वहां पर विपणन (मार्केटिंग) की समस्या है। इससे स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन में सहायता मिलेगी।

पंचायतो में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उप-योजना है लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए कोई उप-योजना नहीं है। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है जिसमें सरकारिया आयोग ने अल्पसंख्यकों के लिए उप-योजना संबंधी सुझाव दिया है। मंत्री महोदय

[श्री वसुदेव आचार्य]

ने यह रिपोर्ट पढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों की स्थिति बहुत खराब है। इनकी स्थिति दलितों के समान है।

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : आपका मतलब सच्चर समिति से है।

श्री वसुदेव आचार्य : हां मेरा अभिप्राय सच्चर समिति से है मुझे क्षमा करें। मैंने पूर्व में सरकारिया आयोग कहा था। अत: जब वहां पर उप-योजना है और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ प्रतिशत धनराशि निर्धारित की जा सकती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि अल्पसंख्यकों के लिए भी उप योजना होनी चाहिए और अल्पसंख्यक के विकास के लिए भी कुछ प्रतिशत धनराशि निर्धारित की जानी चाहिए।

मैंने डा. रघुवंश प्रसाद सिंह का वक्तव्य देखा है। जब वह रोजगार गारंटी योजना का उल्लेख कर रहे थे तो अल्पसंख्यकों विशेषकर मुस्लिमों के विकास के लिए भी कुछ प्रतिशत धनराशि निर्धारित किए जाने का विचार उनके जहन में था।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : माइन्स से निकाल गये।

श्री वसुदेव आचार्य : आप निकालियेगा।

[अनुवाद]

ग्राम सभा और ग्राम संसद में पारदर्शिता अपेक्षित है। भ्रष्टाचार वास्तव में एक समस्या है लेकिन यह एक बड़ी समस्या नहीं है। यदि वहां पर एक प्रतिशत भी भ्रष्टाचार है तो हमें इसके बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। एक बार जब कोलकाता में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी पंचायतों की बैठक का शुभारंभ कर रहे थे तो उस अवसर पर उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली से एक रुपया भेजते हैं लेकिन लोगों तक केवल 25 पैसे ही पहुंचते हैं। *[हिन्दी]* बीच में सब खा जाते हैं। *[अनुवाद]* अत: भ्रष्टाचार को कम करने के लिए अथवा भ्रष्टाचार का समूल नाश करने के लिए पंचायतों के कार्यकरण में पारदर्शिता की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके दल के कुछ अन्य सदस्य भी चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। अत: कृपया समाप्त कीजिए। अन्यथा, हम चर्चा पूरी नहीं कर पाएंगे।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : मैं अपने दल की ओर से नहीं बोल रहा हूं। मेरे दल का समय अन्य वक्ताओं को दिया जाएगा। मैं इस बारे में सचेत हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। चार घंटे का समय नियत है। हमें इस वाद-विवाद को चार घंटों के भीतर पूरा करना है।

श्री वसुदेव आचार्य : यह निर्णय किया गया है कि इस पर वाद-विवाद 10 बजे तक चलेगा। बैठक में आप भी उपस्थित थे। चर्चा के अंत में माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे। हम उनका उत्तर सुनने के लिए यहां पर होंगे।

पारदर्शिता की आवश्यकता है। हम यह पारदर्शिता कैसे ला सकते हैं? वहां एक प्रणाली लागू की जा सकती है जहां व्यक्ति यह जान लेंगे कि कितना अधिक कार्य है, कितनी धनराशि आबंटित की गई है, कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, और कितने श्रम-दिवसों का सृजन किया जाएगा? अब ग्राम संसद की बैठक की बारंबारता में वृद्धि की जानी चाहिए। नियमानुसार ग्राम संसद की बैठक वर्ष में दो बार होनी चाहिए। एक बैठक जून के महीने में और दूसरी बैठक नवंबर के महीने में होगी। नवंबर के महीने में बैठक करना फसल की कटाई का समय होने के कारण एक समस्या है। अत: मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस विषय पर निश्चित ही विचार करेंगे। फसल की कटाई के दौरान, लोगों के पास बैठक में भाग लेने का समय नहीं मिल पाता। अब जब ग्राम संसद की बैठक होती है तो वहां सोशल ऑडिट किया जाता है क्योंकि ग्राम सभा की बैठक में प्रधान को व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करना होता है कि – उनके द्वारा कितनी धनराशि प्राप्त की गई है, कितना व्यय किया गया है, कितनी परियोजनाएं शुरू की गई हैं। वाउचर भी प्रस्तुत किए जाते हैं।

अत: ये बैठकें जल्दी-जल्दी होनी चाहिए। इसलिए, पंचायत संसद, जिला परिषद संसद और ग्रामीण समिति का भी संस्थान का रूप दिया जाना चाहिए। जहां लोग पंचायतों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं।

आज पंचायत सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में नहीं लगी है। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पहले ही शुरू किया जा चुका है; इसका अपना उत्तरदायित्व है परंतु अवसंरचना और कर्मचारियों के अभाव के कारण इस उत्तरदायित्व का निर्वहन कैसे किया जा सकता है? हमें इस पर विचार करना होगा। जब तक जनता की भागीदारी नहीं होगी—जनता की भागीदारी पंचायतों के माध्यम से कराई जा सकती है—तब तक हम पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मैंने पहले ही कहा है कि केवल 6.89 प्रतिशत ग्रामीण जनता के पास ही शौचालयों की सुविधा है।

आज के समय में शिक्षा भी पंचायती राज संस्थाओं का उत्तरदायित्व है। जनता की वास्तविक भागीदारी की आवश्यकता है। आज स्थानीय परिसंपत्तियों का उपयोग कैसे किया जा सकता है? अधिक वित्तीय और अन्य शक्तियां दिए बिना पंचायती राज संस्थाएं अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर पाएंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए। आप पर्याप्त समय से अधिक समय ले चुके हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : अब, गत 24 वर्षों के दौरान अपने-अनुभव के साथ हमें कठिनाइयों और समस्याओं पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और हमें पंचायती राज संस्थाओं को वास्तविक संस्था बनाना होगा।

अपराह्न 2.58 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए]

इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही जनता के जीवन में परिवर्तन आएगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा अंतर है और इस अंतर को पाटना होगा। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं और हम इस अंतर को पाटने में कैसे सफल होंगे? मूलभूत सुविधाएं, आधारभूत अवसंरचना, सिंचाई सुविधा, कृषि उत्पादन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा—इन सभी कार्यकलापों को पंचायती राज संस्थाओं द्वारा समुचित रूप से किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए राजनीतिक इच्छा की आवश्यकता है। जब तक राजनीतिक इच्छा नहीं होगी तब तक हम इन पंचायती राज संस्थाओं को वास्तविक संस्था नहीं बना पाएंगे। हमने बीते हुए समय में क्या देखा है? पंचायतें हमारे देश के कतिपय वर्गों के व्यक्तियों के नियंत्रण में थी जिनकी रुचि ग्रामीण क्षेत्रों के थोड़े से व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने में थी।

अपराह्न 3.00 बजे

73वें और 74वें संशोधनों के बाद आरक्षण दिया गया था और ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति संतुलन में परिवर्तन हुआ था। इसे वास्तविक रूप दिए जाने की आवश्यकता है अन्यथा पंचायती राज संस्थान अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। इन्हें ग्रामीण क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लक्ष्य के साथ सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता है।

मैं जनता के सशक्तिकरण की बात कर रहा था इसके लिए भूमि-सुधार की आवश्यकता है। आज, दो या तीन राज्यों को छोड़कर शेष राज्यों में भूमि-सुधारों को कार्यान्वित नहीं किया गया है। कृषि उत्पादन क्षेत्र में संकट होने के कारण कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। कृषि उत्पादन घट रहा है। पश्चिम बंगाल में कई जिलों में हमने देखा है कि पंचायती राज संस्थान के इन 30 वर्षों के दौरान कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पूर्ण परिवर्तन आया है। जब तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन नहीं होता है तब तक हम यह नहीं कह सकते कि हम या हमारी अर्थव्यवस्था प्रगति कर रही है। यहीं पंचायती राज संस्था की भूमिका सामने आती है। मै आशा करता हूं कि सात गोलमेज बैठकों विस्तृत विचार-विमर्श, बड़ी रिपोर्टें को तैयार किए जाने और प्राप्त हुए सुझावों के बाद सरकार पंचायती राज प्रणाली को हमारे देश की ग्रामीण जनता की एक वास्तविक संस्था के बनाने के लिए गंभीरतापूर्वक विचार करेगी।

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : माननीय सभापति महोदय, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, मैं भी पंचायतों की स्थिति के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम और आप सभी जानते हैं कि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 80 फीसदी हिस्सा ग्रामीण अंचलों का है। जहां ग्रामीण जनता रहती है, मैं उस परिप्रेक्ष्य की बात करना चाहता हूं। जब भारतवर्ष में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आजादी का आंदोलन लड़ा तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य का नारा दिया। उन्होंने आजादी का आंदोलन लड़ने से पहले ग्रामों में भ्रमण किया और जिस गरीब को दो वक्त की ठीक से रोटी नसीब नहीं होती थी, वहां जाकर देखा कि वास्तव में भारतवर्ष के ग्रामीण अंचलों की क्या स्थिति है।

सभापति महोदय, तभी से ग्रामीण अंचलों के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, ग्राम सभाओं के विकास के लिए मंथन और अध्ययन चलता रहा है। आजादी के बाद, प्रथम बार इस देश के पूर्व प्रधान मंत्री

[कुंवर मानवेन्द्र सिंह]

स्व. राजीव गांधी जी ने इस बारे में प्रयास किया। मेरा सौभाग्य है कि मैं उस समय भी मथुरा से संसद का सदस्य चुनकर आया था। उन्होंने पहला पंचायतीराज कानून इस सदन में पारित कराया और उसके साथ प्रथम बार यह हुआ कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेशों की ग्राम सभाओं को जो पैसा दिया जाता था वह जिले के माध्यम से दिया जाता था, लेकिन इस कानून के पास होने के बाद वह सीधा ग्राम सभाओं को दिया जाने लगा। ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्राम प्रधान, जहां प्रधानों को सरपंच बोला जाता है, वहां सरपंच अथवा पंचायतों की जो भी जिम्मेदार इलैक्टेड बॉडी थी, उसके साथ बैठकर विचार किया जाता था और प्रस्ताव के अनुसार काम होता था। आज भी वही व्यवस्था है। उसके माध्यम से वह पैसा गांव के विकास में लगाया जाता रहा है। उसके बाद जैसे-जैसे अध्ययन हुआ, जैसे-जैसे गांव की मांग बढ़ी, जैसे-जैसे इस सम्मानित सदन में विचार किया गया और लोगों के विचार आए, वैसे-वैसे सुधार होता रहा।

बड़े हर्ष की बात है और मैं यू.पी.ए. सरकार के प्रधान मंत्री तथा यू.पी.ए. की चेयरमैन और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष माननीया सोनिया गांधी जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने देश में सर्वप्रथम एक योजना बनाई जिसके अंतर्गत ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का प्रस्ताव किया गया। इसके साथ-साथ एक दूसरी योजना और बनाई गई जिसके अंतर्गत बैकवर्ड रीजन डैवलपमेंट फंड बनाया गया जिसके अंतर्गत लगभग 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इसे पंचायतीराज मंत्रालय के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। इससे हमारे पंचायतराज मंत्री श्री मणि शंकर अय्यर जी की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। वैसे भी वे एक योग्य, कुशल एवं विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। मैं समझता हूं कि उनके नेतृत्व में ग्राम पंचायतों को और अधिक मजबूती मिलेगी तथा माननीय सदन में ग्रामीण विकास के लिए जो चिन्ताएं जाहिर की जा रही हैं, वे दूर होंगी और ग्राम पंचायतों को और मदद मिलेगी। मुझे विश्वास है कि मंत्री जी के नेतृत्व में उनके मंत्रालय द्वारा देश के प्रत्येक ग्राम सभा को चाहे वह किसी भी प्रान्त में हो, उसके विकास हेतु पूरा प्रयास किया जाएगा।

महोदय, हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं। वहां क्या स्थिति है, यह हमसे छिपी नहीं है। सदन के सभी माननीय सदस्य ग्रामीण विकास से अच्छी तरह परिचित हैं क्योंकि प्राय: प्रत्येक सदस्य के चुनाव क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र आते हैं। आज आवश्यकता है कि ग्राम पंचायतों के डैवलपमेंट के लिए उन्हें और अधिक अधिकार तथा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। देखने में आता है कि भारत सरकार की ओर से अनेक योजनाएं देशभर में चलाई जाती हैं जिनके लिए केन्द्र सरकार से पैसा जिलों में जाता है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत पंचायतों के माध्यम से कार्य कराने हेतु जो पैसा पंचायतों को दिया जाता है उससे पंचायतों के अंतर्गत काम कराया जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं और आग्रह करना चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों को जो एमाउंट दिया जाता है उसमें जनसंख्या का आधार लिया गया है। अगर किन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या जहां अधिक है, वहां पर पैसा अधिक दिया जाता है, जहां पर जनसंख्या कम है, वहां पैसा कम दिया जाता है, मगर जिन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर आबादी क्षेत्रों में क्षेत्रफल ज्यादा है, वहां विकास की आवश्यकता ज्यादा होती है। वहां सड़कों की आवश्यकता होती है, वहां पर अन्य सुविधाओं की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि जनसंख्या के साथ-साथ गांव के क्षेत्रफल का भी ध्यान करें। इसके अलावा जो राज्य वित्त निगम है, उसमें उन्होंने कुछ मापदण्ड तय किये हुए हैं कि उसके द्वारा खड़ंजे, नाली, पुलिया या कोढ़ी बहुत बिल्डिंग बनवाएंगे, लेकिन इसके साथ-साथ ग्रामसभाओं की बहुत सी आवश्यकताएं ऐसी होती हैं, जिनके लिए ग्रामसभा स्वयं प्रस्ताव वहां पर पारित करे और मैं इसके लिए भी माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उन प्रस्तावों के आधार पर राज्य वित्त निगम को पैसे का आवंटन करना चाहिए, जिससे कि लिमिटेड साधनों में लिमिटेड विकास कार्यों को न लिया जाये। उसके साथ-साथ विकास कार्यों का दायरा और अधिक बढ़ाया जाये। इसके साथ सम्पूर्ण स्वच्छता एक अभियान इस सरकार के माध्यम से गांवों में योजना जाती है, उसमें भारत सरकार ने 1500 रुपये एक टायलेट बनाने के लिए रखा है, ताकि प्रत्येक ग्रामीण अपने घर में उस टायलेट को बनवा सकता है। मगर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि वहां पर गांव में बहुत से लोग रह जाते हैं, जो गरीब लोग हैं, क्योंकि पूरे गांव को हम उसमें कवर नहीं कर पाते। अधिकतर हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, ग्रामीणजन खेतों पर जाकर शौच करते हैं, जिससे गंदगी भी होती है और आज के इस बढ़ते हुए समाज में यह एक शर्म की बात भी है, इसलिए यह आवश्यक है कि गांवों में कम्युनिटी टायलेट महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग बनाये जायें और सरकार जो मजदूरी 58 रुपये रोज देती है, उस पर उन टायलेट्स में आदमियों को रखा जाये, जिससे कि वे उसकी सफाई और देख-रेख करें और ग्रामीण अंचलों में जो ग्रामसभा की जो जमीनें हैं, ग्रामसभा के प्रस्ताव के अनुसार कम्युनिटी टायलेट्स की स्थापना अवश्य की जाये। यह जो 1500 रुपये का धनराशि है, इसको बढ़ाया जाये, क्योंकि हम जो मीटिंग अपने जिलों

में लेते हैं, उसमें यह मांग आती है कि यह धनराशि कम है, यह पर्याप्त नहीं है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि अच्छे टायलेट्स वे अपने घर में बना सकें।

इसके साथ-साथ इन्दिरा आवास की जो योजना है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो उसमें आपने धनराशि 25 हजार रुपये रखी है, जो गरीब लोग होते हैं या जैसा ग्रामीण विकास मंत्री जी ने यहां कहा था कि आगजनी की घटना होती हैं, बाढ़ आती है, उससे जो तमाम मकान ध्वस्त हो जाते हैं, उनको बीस हजार रुपया दिया जाता है, इसमें मेरा आपसे यह अनुरोध होगा, यह पहले था कि वहां पर एक कमरे का प्रावधान था, उसके साथ एक टायलेट था, उसके साथ एक रसोईघर था और उसके साथ बरामदा था। बाद में पता नहीं, शासन के द्वारा इस योजना को समाप्त करके एक लमसम धनराशि दी गई, जो करीब 20 हजार रुपये है। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा कि उस पैसे को बढ़ाकर, क्योंकि आज महंगाई भी बढ़ी है, हर चीज के रेट बढ़े हैं, ईंटों का रेट बढ़ा है, मजदूरी बढ़ी है, सीमेंट के पैसे बढ़े हैं, हर चीज की कीमत बढ़ी है, इसलिए इसको कम से कम 35 हजार रुपये करना चाहिए और इसे 50 हजार रुपये करने की माननीय सांसदों की मांग है कि इसे 50 हजार रुपये किया जाना चाहिए।

इसके साथ उसमें एक यूनिट, एक कमरा, एक टायलेट, किचेन और बरांडा का प्रावधान अवश्य किया जाना चाहिए। हमारी योजना है कि हम भारतवर्ष को ग्रीन रिवोल्यूशन में बदलें। पहले यह व्यवस्था थी कि ग्राम सभाओं की जो जमीनें हैं, उनमें फारेस्ट्री लगायी जाए। ग्राम सभाओं में प्रस्ताव किया जाए और उन जमीनों में प्लांटेशन हो। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि पहले यह व्यवस्था थी कि ग्राम सभाओं के विकास के लिए जो पैसा जाएगा, उसका पन्द्रह प्रतिशत उसमें खर्च होगा, मगर अब वह बंद कर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उसका प्रावधान भी रखा जाए, क्योंकि वन कटते जा रहे हैं। पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है कि प्लांटेशन अधिक हों, इसके लिए ग्राम सभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा, उन्हें पैसा मिलेगा, तो वे इस पर भी अपना ध्यान देंगी। इसके अलावा ग्राम सभाओं में प्राइमरी और जुनियर स्कूलों की हालत बेहद खराब है। पैसा जा रहा है, मगर उसके बावजूद जब हम अपने क्षेत्रों में जाते हैं, तो देखते हैं कि वह पैसा पर्याप्त नहीं है। जो स्कूल हैं, वे खंडहर हो गए हैं, इमारतें गिर गयी हैं, बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ते हैं। ऐसा बहुत सी जगहों में, हर जिले में होगा और मैं समझता हूं कि इस ओर आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं। जो प्राइमरी एजुकेशन है, वह बहुत महत्वपूर्ण एजुकेशन है, इसलिए उनको पूरी सुविधाओं के साथ शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके अलावा हेल्थ केयर की भी बहुत कमी है। मैं आपसे आग्रह करूंगा और मैंने कई बार इस सम्मानित सदन में अपने विचार रखे हैं, क्योंकि यह आम-शिकायत आती है, चाहे तहसील स्तर पर या ब्लाक स्तर पर, जो तीस शैय्या अस्पताल बने थे या जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, वहां डाक्टर्स नहीं जाते। वे कहते हैं कि हम गांव में नहीं जाएंगे, जिससे गांव के लोग हेल्थ केयर से आज भी वंचित रहते हैं। महिलाओं के लिए प्रसव के समय वहां लेडीज डाक्टर्स नहीं पहुंचतीं, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप रूरल मेडिकल हेल्थ सर्विसेज की स्थापना करें, जिसके अंतर्गत डाक्टर्स की जो इनरोलमेंट हो, उनकी जो नौकरियां लगें, वह रूरल हेल्थ सर्विस के अंतर्गत हों, जिससे उनको गांवों में जाकर ही रूरल हेल्थ केयर की नौकरी करनी पड़े, यह भी मेरा आपसे आग्रह है।

मेरा सुझाव है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो भारत सरकार ने चलायी है, उसमें पहले हाफ में करीब दो सौ जिले लिए हैं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, मथुरा भगवान राधाकृष्ण की जन्म स्थली है, मैं मांग करूंगा कि उस योजना के अंतर्गत अन्य जिलों के साथ दूसरे फेज में मथुरा को भी शामिल किया जाए। मैं भारत सरकार, यूपीए सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने स्कूल के बच्चों के लिए मिड डे मील का प्रावधान रखा है, मगर बहुत सी जगह ऐसी हैं, जहां से शिकायतें आती हैं, जिससे कि वहां पर मिड-डे-मील का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि मथुरा में एक अक्षय पात्र नामक संस्था है, मैं वहां कई बार गया हूं। मैं यहां सदन के माध्यम से उनकी सराहना भी करना चाहूंगा, उन्होंने मथुरा के जिलों में, शायद उन्होंने और भी जिले लिए हों, मुझे इसका पता नहीं है, साठ हजार स्कूली बच्चों को वे भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। उस भोजन में एक दाल, सब्जियां और रोटी दे रहे हैं, उनके पास बड़े-बड़े हाट केसेज हैं, बड़े-बड़े पात्र हैं, अपनी मोबाइल वैंस से वे स्कूलों में भोजन पहुंचाते हैं। उसके साथ हफ्ते में एक दिन हलवा या खीर भी जाती है। इससे दो चीजें बढ़ी हैं - एक, स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ी है क्योंकि जिन गरीब छात्रों को एक समय की रोटी भी उपलब्ध नहीं होती, उनको अच्छा और शुद्ध भोजन मिलता है। वह भोजन मैंने भी खाया है। उन्होंने यह कार्य अक्षय पार्क, वृंदावन में प्रारंभ किया है।...*(व्यवधान)* उन्होंने बताया कि हम अगले वर्ष करीब एक लाख बच्चों को शुद्ध भोजन उपलब्ध करवाएंगे। मेरा आग्रह है कि उसमें इसी तरह की संस्थाओं को इन्वॉल्व करें जिससे जो पैसा दिया जा रहा है, उसका उपयोग हो सके।

[कुंवर मानवेन्द्र सिंह]

इसके साथ-साथ मेरा आग्रह होगा कि आज कम्प्यूटर और इलैक्ट्रॉनिक की दुनिया में ग्राम सभाओं को, यदि ग्राम सभा न हो तो ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर कम्प्यूटर, इंटरनेट और टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। गांवों में टेलीफोन सुविधाएं जा रही हैं लेकिन पर्याप्त नहीं हैं, उन्हें और अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिए।

माननीय मंत्री जी, मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण आग्रह है कि हम अर्बन डैवलपमैंट करते हैं। उसमें डैवलपमैंट अथॉरिटी हैं जो वहां घरों का निर्माण करती हैं। उन्हें बैंक से लोन मिलता है।...*(व्यवधान)* क्या गांव में रहने वाला व्यक्ति जो भारतवर्ष का सिटीजन है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह : कृपया मुझे दो मिनट और दिए जाएं।

क्या हम ग्रामीण डैवलपमैंट अथॉरिटी की स्थापना नहीं कर सकते जिसके माध्यम से ग्रामीण लोगों को बैंक से लोन दिलाकर अच्छे मकान उपलब्ध करवा सकें।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आपकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी। श्री शैलेन्द्र कुमार, आप बोलिए।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह : मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी से दस माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार, आप बोलना शुरू कीजिए। आपकी बात के अलावा और कुछ रिकार्ड में नहीं जाएगा।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, वहां उन्हें घरों की सुविधा उपलब्ध करवाएं।

समय का अभाव है, इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे श्रीमती सी.एस. सुजाता 23.11.2006 को लोक सभा के पटल पर रखे गए पंचायतों की स्थिति – मध्यावधि समीक्षा एवं आकलन-2006 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। पंचायती राज हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है। यह बात सत्य है कि आज पूरे देश की कम से कम 75 प्रतिशत जनता ग्रामीण स्तर पर वास करती है। जैसे सम्मानित सदस्यों ने कहा, यह बात भी सत्य है कि महात्मा गांधी जी ने पंचायतों को आर्थिक तौर पर मजबूत देखने का सपना संजोया था, जिसे कार्यरूप में परिणीत करने का कार्य पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी को जाता है, जिन्होंने यह सोचा था कि देश में सत्ता का विकेन्द्रीयकरण करने से ही हमारा लोकतंत्र मजबूत हो सकता है। यह उनकी परिकल्पना थी। मैं यह कहते हुए अपने को गौरवान्वित समझूंगा कि उत्तर प्रदेश में जब पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, तो उसमें आरक्षण देने का कार्य माननीय मुलायम सिंह यादव, मुख्य मंत्री ने किया था। उसके अंतर्गत सभी अनुसूचित जाति, बैकवर्ड क्लास या मुस्लिम महिलाओं को भी तमाम जगहों पर सम्मान मिला चाहे जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में हो, ब्लाक प्रमुख के रूप में हों, जिला पंचायत के सदस्य हों या बीडीसी या प्रधान चुने गये लोग हों। इसमें उन लोगों को बराबर सहभागिता और स्थान मिला है। पंचायती राज मंत्रालय का गठन 27 मई 2004 को हुआ। इसके पहले यह मंत्रालय ग्रामीण मंत्रालय में आता था। 27-28 जनवरी, 2003 को ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय के स्टेट मिनिस्टरों का एक सम्मेलन हुआ था। इसमें गरीबी उन्मूलन तथा ग्रामीण समृद्धशाली और गांव के विकास को बल देना एक मुख्य मुद्दा था कि किस प्रकार से गांव में समृद्धशाली आये, गरीबी उन्मूलन हो और गांव का विकास हो। इस सम्मेलन में 150 बिन्दुओं पर विचार हुआ था। इसे 14 राज्यों और दो संघीय प्रदेशों में लागू करने का बीड़ा उठाया गया था। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों, निधियों और कार्यकर्ताओं का हस्तांतरण करना प्रमुखता थी। इसके साथ-साथ पंचायतों को भी अधिकार दिया गया था जिसमें पंचायत स्तर पर लगभग 30 हजार अध्यापकों की नियुक्ति की गयी थी। उसी के साथ-साथ इस पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कार्यों को प्रभावी, सुपुर्दगी, वित्त, कार्यकर्ता आयोजन, ग्रामसभाएं, महिलाएं, अनुसूचित जाति-जनजाति एवं आरक्षण, अनुसूचित जाति-जनजाति की विशेष समस्याएं, चुनाव लेखा परीक्षा सामांतर निकाय क्षमता निर्माण और परीक्षण, पंचायत रिपोर्ट तथा न्याय प्रक्रिया आदि सभी बिन्दु इसमें प्रमुखता से शामिल किये गये थे।

यहां पर माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं। न्याय पंचायत स्तर पर एक बिल लाने का प्रावधान इस संसद में लाने के लिए वे सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से यह आपका बहुत ही क्रांतिकारी कदम होगा। गांवों में आपसी विवादों को निपटाने के मकसद से न्याय पंचायत का गठन होना अति आवश्यक है। बहुत छोटे-छोटे ऐसे मामले होते हैं, जो कचहरी, तहसील स्तर पर या थानों में पहुंचते हैं, इससे वहां पर

समस्या बढ़ जाती है। इसलिए पंचायती राज लागू होने में ये विशेष महत्व रखेगा। मंत्री जी न्याय पंचायत के गठन का जो बिल लाने जा रहे हैं, वह स्वागत योग्य है।

जहां तक आपने चिंता व्यक्त की है कि पूरे देश में इस पंचायती राज को लागू करने में चाहे नक्सलवाद हो या आतंकवाद हो, बाधा बन रहा है, वह तभी संभव हो पायेगा जब तमाम नक्स्लाइट्स या विरोध करने वाले लोग हैं, जैसे ग्रामीण स्तर या जंगलों में आदिवासी लोगों को आप देख लीजिए जिन्हें समाज में आज पंचायत के नाम पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिएं, वे नहीं मिलीं। यही कारण था कि वे समाज की मुख्य धारा से अलग हो गये। आज जरूरत इस बात की है कि उन्हें समाज की मुख्य धारा में कैसे लाया जाये। इस समस्या का हल आपसी बातचीत से ही हो सकता है। न्याय पंचायतों का मकसद ग्रामीण स्तर पर आपसी विवाद को सुलझाने से जो समस्या हमारे सामने विकराल रूप में खड़ी है, उसका निस्तारण अवश्य होगा। अब बहुत से मामले ऐसे हैं जिसमें बहुत बड़े-बड़े अपराध होते हैं। जब पंचायत को आप सशक्त करेंगे, उनको अधिकार देंगे, तो मेरे ख्याल से वे अपराध भी रुकेंगे। माननीय मंत्री जी ने इस पंचायती व्यवस्था को मजबूत करने के लिए युवा शक्ति का भी आह्वान किया है। ग्रामीण स्तर पर तमाम नौजवान इस पंचायती राज व्यवस्था में चुनकर आये हैं। उनको भी आपने आह्वान किया गया है कि वे ग्रामीणों को जागरूक करें और ग्रामीण विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।

जहां तक पंचायतों के अधिकार की बात है, यह बात सही है कि धन के अभाव से तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हमारी पंचायतों में हैं जिसकी वजह से अधिकारी आज भी कुछ सुनते नहीं फिर वे चाहे आपके पंचायत सैक्रेट्री ही क्यों न हो। सबसे ज्यादा ताकत उनको पंचायतों में दी गयी है। वे मनमानी करते हैं।

यह भी सत्य है कि गांव स्तर पर हमारे बहुत से प्रतिनिधि ऐसे चुने गए हैं जो बेचारे गरीब हैं और यहां तक कि निराश्रित लोग भी चुने गए हैं। उनको गांव के दबंग लोगों ने पैसा देकर किसी तरीके से चुनवा दिया है, लेकिन उनकी स्थिति एक तरह से बंधुआ मजदूर जैसी है। वे अपने आप निर्णय नहीं ले सकते हैं, जिस शोषण, अत्याचार से वे गुजरे हैं, उसकी लड़ाई वे नहीं लड़ सकते हैं। इसके बारे में मेरा सुझाव है कि हमें ऐसी जगहों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और इसकी समय-समय पर निगरानी होनी चाहिए। देश में पंचायतों व जिला परिषदों में कम से कम 32 लाख प्रतिनिधि चुनकर आए हैं जिसमें से करीब 12 लाख महिलाएं चुनी गयी हैं। यह भी सत्य है कि इतनी बड़ी बड़ी संख्या किसी भी क्रान्तिकारी बदलाव के लिए बहुत अच्छी संख्या है और अगर इसे सही रूप में सशक्त किया जाएगा तो मेरे ख्याल से हमें ग्रामीण स्तर पर विकास करने में बहुत सहूलियत होगी। जहां तक जिला पंचायत को प्रशासनिक सेवा के रूप में गठित करने की एक परिकल्पना केन्द्र सरकार के पास है जिसमें 22 से 55 वर्ष के स्थानीय लोगों को उस सेवा में रखने की सोच रखी गयी है। यह बहुत अच्छा विचार है, इससे एक बड़ी क्रान्ति, एक आन्दोलन आएगा। इससे केन्द्र सरकार सीधे ग्रामीण पंचायत से सम्पर्क रख सकेगी, वहां कितना पैसा जा रहा है, कितना विकास हुआ है, यह सूचना आपके पास आ सकेगी। डायरेक्ट ग्राम पंचायत और केन्द्र सरकार कि बीच जो सम्पर्क सूत्र बनेगा वह अपने आप में विकास के लिए बहुत अच्छा काम होगा। इससे यह फायदा होगा कि ग्राम स्तर पर चलाए जाने वाले जितने भी कार्यक्रम हैं, वे प्रभावी ढंग से लागू हो सकेंगे और उनकी उचित मॉनिटरिंग हो पाएगी, ग्राम स्तर पर वह पैसा पहुंच सकेगा। अभी तक यह पैसा यहां से राज्य सरकार को जाता है, राज्य सरकार से जिले में जाता है और जिले से पंचायत तक पहुंचता है। होता यह है कि भ्रष्ट अधिकारीतंत्र और दलाल-बिचौलियों के कारण, जैसा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम यहां से अगर एक रुपया भेजते हैं तो केवल 10 पैसा ही पंचायत तक पहुंचता है और 90 पैसा बीच में ही खा लिया जाता है। जब देश के प्रधानमंत्री की अगर यह सोच रही हो तो मेरे ख्याल से यह बात काफी हद तक सत्य होगी। इस पर रोक लगाने के लिए हमें कदम उठाने होंगे। प्रतिवर्ष के बजट में यहां 55 हजार से 60 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। यह सत्य है कि हजारों-करोड़ों रुपए की धनराशि का दुरुपयोग होता है जिसका सही ढंग से उपयोग नहीं होता है, इसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा।

दूसरी बात यह है कि ग्राम स्तर पर स्कूली शिक्षा पर, लड़कियों की शिक्षा पर, बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के पोषण, विधवा एवं विकलांग पेंशन, शौचालयों के निर्माण तथा ग्राम स्तर के जो जच्चा-बच्चा केन्द्र हैं, उनमें सुधार करने की बहुत सख्त जरूरत है। इसमें केन्द्र सरकार की तरफ से कई सहूलियतें भी दी गयी हैं, आपने पेंशन को भी बढ़ाया है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि धनराशियों को कुछ बढ़ाने की जरूरत है। यह बात सत्य है कि आज के महंगाई के दौर में एक परिवार के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था इतने पैसों में कर पाना संभव नहीं है। इसलिए धनराशि को बढ़ाने की जरूरत है। यह भी सही है कि महिलाओं में जागरूकता आई है। आज गांव अगर कोई शराब की दुकान खुलने की बात आती है तो महिलाएं आज इतनी सशक्त और संगठित हैं कि वे उसका पुरजोर विरोध करती हैं। इससे एक तस्वीर यह उभर कर आई है कि पंचायतों

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

में महिलाओं के बड़ी संख्या में निर्वाचित होकर आने से, महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से एक क्रान्ति आई है, जिससे हमारे विकास के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। मैं दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि पंचायतों को संवैधानिक रुपए से जो वित्तीय अधिकार दिए जाने चाहिए, वह हम अभी तक नहीं दे पाए हैं। उस ओर हमें विशेष ध्यान देना होगा। जब तक पंचायतों को वित्तीय अधिकार नहीं देंगे, तब तक पंचायतें मजबूत नहीं होंगी, उनका विकास नहीं होगा और लोकतंत्र भी मजबूत नहीं होगा। जहां तक 72,000 करोड़ रुपए का बजट है, उसमें करीब 39 हजार 73 करोड़ 18 लाख रुपए आपने ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए और 3828 करोड़ 72 लाख रुपए पंचायती राज के लिए अलग से रखे हैं। इस रकम को और बढ़ाने की जरूरत है और इसे बढ़ाया भी जा सकता है। जैसा कि संसद की स्थाई समिति की भी रिपोर्ट में कहा गया है कि 39 विषयों के लिए निर्धारित 72,000 करोड़ रुपए की धनराशि के सापेक्ष में 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंत्रालय को देने का प्रावधान किया जाए। इस सिफारिश को मानकर अगर आप यह राशि बढ़ा दें तो उससे काफी सुविधा हो सकती है। ग्रामीण विकास के लिए प्रति वर्ष करीब छः खरब रुपए खर्च होते हैं। यह रकम केन्द्र से चलकर जिला प्रशासन और अंत में पंचायतों के पास पहुंचती है। इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की हमारी कोशिश है। आपने जो परिकल्पना की है कि केन्द्र सरकार यहां से सीधे पंचायतों को पैसा दे, तो उसकी सीधी मानिटरिंग यहां से ग्रामीण स्तर पर होनी चाहिए। इससे काफी विकास हो सकता है। जहां तक बिचौलियों का दखल है, वह भी इस तरह से खत्म हो जाएगा। तब देश विकास करेगा और लोकतंत्र भी मजबूत होगा।

इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करते हुए यह कहना चाहता हूं कि इस चर्चा में जो सुझाव दिए जा रहे हैं, उन पर पुरजोर बल देकर उन पर विचार किया जाए, जिससे देश विकास करे।

श्री गणेश प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : माननीय सभापति जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे पंचायतों की स्थिति—मध्यावधि समीक्षा एवं आकलन—2006 संबंधी प्रतिवेदन पर चर्चा करने के लिए अवसर प्रदान किया।

महोदय, मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी बातें कही हैं। उससे ऐसा लगता है कि वास्तव में पंचायती राज कायम करने में और इस पर पूरा ध्यान देने में वर्षों से लापरवाही बरती गई। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारी आर्थिक समृद्धि तभी होगी, जब गांवों में समृद्धि होगी और गांवों में समृद्धि के लिए उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था का सपना देखा था। बाद में भी डा. राम मनोहर लोहिया जी ने वही सपना देखा था। वह बराबर सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात किया करते थे। आगे चलकर तत्कालीन प्रधान मंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने भी ऐसा सपना देखा था कि असली भारत गांवों में बसता है। इन गांवों का जब तक विकास नहीं होगा, तब तक असली भारत नहीं बन पाएगा। गांव जब तक समृद्ध नहीं होंगे, भारत समृद्ध नहीं होगा।

आजादी के बाद से देश में यह धारणा बनी कि हमें पंचायती राज कायम करना है। उसके लिए कई समितियां गठित की गईं। उन समितियों के प्रतिवेदनों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए कानून भी बनाया गया। उसके बाद बीच-बीच में उसमें संशोधन भी किए गए। उन संशोधनों के बाद ऐसा लगा कि अब पंचायतों को सुदृढ़ किया जा सकेगा। 1988-1989 में उस वक्त के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया कि पंचायतों को सीधे अधिकार प्राप्त कराया जाए। उसके लिए एक कानून बनाया गया। उनका यह भी फैसला था कि जो भी राशि सरकार द्वारा आबंटित की जाती है, वह सीधे पंचायत को जाए। अभी जो धारणा है, यह काफी अव्यावहारिक है, क्योंकि जो हमारे पंचायत प्रतिनिधि होते हैं, वे गांव के रहने वाले होते हैं।

महोदय, गावों के विकास का बुनियादी काम क्या हो सकता है, गांव के लोगों की कठिनाइयों को कौन समझ सकता है, इन्हें पंचायत के लोग नौकरशाह से ज्यादा समझ सकते हैं। कहीं कोई प्राकृतिक विपदा आ जाए, कोई आपातकालीन बात हो जाए, तो उसकी जानकारी इन्हें तत्क्षण हो जाती है और बाद में किसी पदाधिकारी या प्रशासन के उच्च अधिकारियों को पता चलती है।

मैं कहना चाहता हूं कि पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र की आधारशिला है। अगर यह व्यवस्था किसी देश की आधारशिला होगी तो वह देश खुशहाल होगा। किसी भी देश को मजबूत रखने के लिए इस व्यवस्था को अपनाना और लागू करके रखना आवश्यक है। बीच-बीच में पंचायत के लिए चुनाव भी कराए गए, लेकिन वे पूर्ण तरीके से, पूरे व्यवस्थित ढंग से नहीं हो पाए। कहीं मुखिया का चुनाव हुआ, तो सरपंच का चुनाव नहीं हुआ। कहीं मुखिया, सरपंच का चुनाव हुआ तो प्रमुख का चुनाव नहीं हो पाया। प्रमुख का चुनाव हुआ तो अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। सालों तक यही प्रक्रिया चलती रही। इसके पीछे शासन करने वालों की मंशा यही रही होगी कि हम सत्ता का विकेंद्रीकरण न करें। फिर हमारे पुरखों, चिंतकों ने और समाजवादी नेताओं ने जो सपना देखा था, उसे कैसे पूरा किया जा सकता है?

आज भी हमारे पूर्ववक्ता श्री शैलेन्द्र जी बोल रहे थे कि पंचायतों को और अधिक धन दिया जाए। पंचायतों के बारे में कहा गया कि पंचायतों में सुशासन ही जरूरी नहीं है, बलिक स्वशासन भी जरूरी है। स्वशासन ज्यादा जरूरी है। इसके माध्यमर से पंचायतों को शासन करने के लिए एक तंत्र प्राप्त हो। तंत्र में क्या होगा, इस बारे में भी कानून में प्रावधान बना दिए गए हैं कि पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों का सरकार के कई विभागों पर नियंत्रण रहेगा और जो छोटे-मोटे मुकदमे होंगे, उन्हें सरपंच को हल करने का अधिकार होगा। लेकिन न आज पंचायत में कोई तंत्र विकसित किया गया है और न ही उन्हें किसी प्रकार के साधन मुहैया कराए गए हैं। फिर यह व्यवस्था कैसे देश के विकास के लिए अपना योगदान कर सकती है? पहले भी यह बात कही जाती रही है और हमारे प्रेमचंद जी ने भी कहा है कि पंच परमेश्वर होते हैं, लेकिन उनके बैठने के लिए कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। आज देश में पूरी तरह से पंचायत न्यायपालिका का गठन नहीं हो पाया है। जब पंचायती राज व्यवस्था का काम पूरा हो जाएगा तो मैं नहीं समझता कि गांव के जो छोटे-छोटे मामले मुकदमें होते हैं और थाने तथा कचहरियों में जाना पड़ता है और वकीलों को फीस देनी पड़ती हैं, इसके लिए आम आदमी को आने जाने में समय नष्ट करने का कोई कारण न रहेगा और इन मुकदमों से जो आर्थिक नुकसान होता है, उससे बचाव हो जाएगा। हमारी सरकार की, हमारे पूर्वजों की इस व्यवस्था को लागू करने की जो मंशा थी, उस आधार पर पूरी तरह से त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन नहीं हुआ है। उस त्रिस्तरीय पंचायत को पूरे-पूरे साधन मुहैया होना चाहिए।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पंचायतों के चुनाव कराए गए, सभी वर्गों के लोगों को प्रतिनिधित्व भी दिया गया, लेकिन वह किस काम का है। आपको भी पता होगा कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी ने पंचायतों के चुनाव कराने का फैसला किया था। चुनाव सम्पन्न हुए, उस समय ग्राम सभा के चुने हुए प्रतिनिधियों को अपदस्थ करने का अधिकार था। ये अधिकार अगर नौकरशाही को दे दिए जाएं, तो कैसे काम चलेगा? जब नौकरशाही को यह अधिकार दे दिया जाएगा, तो नौकरशाही अपने स्वार्थ या रिश्वत के लिए, जो गलत काम न करता हो, उसके विरुद्ध प्रतिवेदन देकर अपदस्त करने का काम करेगी। बिहार में चुनाव सम्पन्न हुए। श्री नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्रित्व काल में अभी नियम बनाया कि सारे के सारे मामले एसडीओ, कलैक्टर, कमीश्नर देखेंगे और वे चाहें तो अभ्यस्त कर सकते हैं। उनको जो वित्तीय अधिकार दिया गया है, उसके बारे में मैं बिहार का उदाहरण देना चाहता हूं। उनको कुछ भी वित्तीय अधिकार नहीं हैं। जो मुखिया हैं, जिला परिषद अध्यक्ष हैं, उनको अधिकार था लेकिन आज उनसे वे अधिकार छीन लिए गए हैं। प्रमुख एवं मुखिया की जगह बीडीओ और जिला परिषद की जगह डीएम को अधिकार दे दिए गए हैं।

आज हिन्दुस्तान के गांवों में काफी गरीबी है और काफी बुनियादी चीजों की कमी है। गांवों के विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, सड़क की आवश्यकता है, पीने के पानी की आवश्यकता है। इन तमाम चीजों के बारे में हमारे साथी मानवेन्द्र जी कह रहे थे। वहां शौचालय की व्यवस्था नहीं है। हम गांव के रहने वाले हैं। गांवों में संध्या होते ही हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। आखिर कैसे इनकी व्यवस्था होगी? केन्द्र सरकार राज्य सरकार को राशि देती है, राज्य सरकार कलैक्टर को देती है और कलैक्टर बीडीओ को भेजता है। इन प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद भी राशि को खर्च नहीं की जाती है। मेरा सुझाव है कि सीधे राशि पंचायतों को भेजी जाए। केन्द्र जो राशि देता है, उसका सदुपयोग होता है या नहीं, उसे देखने और नियंत्रण करने के लिए अलग से तंत्र गठित किया जाए तभी पंचायती राज की कल्पना सही और स्वीकार्य होगी।

[अनुवाद]

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी) : महोदय, मैं पी.एम.के. की ओर से विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, डा. मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में और सुश्री सोनिया गांधी के मार्गदर्शन वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार को इस देश में पंचायती राज संस्थानों को प्राथमिकता देने के लिए बधाई देता हूं और इसकी प्रशंसा करता हूं। इस कथवत में विश्वास करते हुए कि जनता के विकास में ही राष्ट्र का विकास निहित होता है, इस सरकार ने देश के ग्रामीण और पश्च प्रदेशों में जीवन स्तर में सुधार के लिए बहुत से सामाजिक उपाय किये हैं। यह तथ्य इस बात से सिद्ध होता है कि इस सरकार ने देश के इतिहास में पहली बार एक पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन किया है। पंचायती राज संस्थानों के समक्ष आ रही समस्याओं, जटिलताओं और चुनौतियों को समझते हुए, सरकार ने यह महसूस किया कि उन्हें एक पृथक मंत्रालय का गठन करना चाहिए और उन्होंने ऐसा कर दिया। न केवल यही, अपितु इस मंत्रालय के लिए एक प्रतिबद्ध और समर्पित व्यक्ति को इस मंत्रालय का कार्यभार सौंप दिया और इसके लिए माननीय, श्री मणि शंकर अय्यर से बेहतर कोई अन्य नहीं हो सकता था जिन्हें पंचायती राज के बुनियादी संस्थानों का स्वरूप प्रदान करने, उन्हें साकार करने तथा उनके विकास का कार्य सौंपा गया। इसलिए, मैं एक पंचायती राज मंत्रालय के गठन के लिए सरकार की प्रशंसा करता हूं।

[प्रो. एम. रामदास]

द्वितीय, मैं माननीय पंचायती राज मंत्री और उनके कर्मठ अधिकारी समूह का हार्दिक रूप से अभिनन्दन करता हूं जिन्होंने तीन वृहत दस्तावेज तैयार किये हैं जिसमें आज की स्थिति के अनुसार पंचायतों की यथास्थिति का उल्लेख और व्याख्या की गई है। इस रिपोर्ट की इन तीन किताबों को तैयार करने में हुए कठिन परिश्रम; कल्पना शक्ति और प्रबुद्ध लोग और उनकी बुद्धिमता का कोई भी अंदाजा लगा सकता है।

मुझे इन तीनों किताबों का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रथमा किताब में नौ अध्याय और 126 पृष्ठ हैं और यह हमारे राष्ट्रपिता की टिप्पणियों से आरम्भ करते हुए पंचायतों का आरम्भिक अवलोकन प्रदान करती है। इसमें चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। द्वितीय पुस्तक में 438 पृष्ठ हैं, जिसमें 24 राज्यों और 6 संघशासित राज्यों की रूपरेखा दी गई है। तीसरी किताब में 993 पृष्ठ हैं और इसमें पंचायतों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान; उनके प्रतिवेदन; पत्र और पंचायती राज संस्थानों की क्षमताओं पर भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों और वर्तमान प्रधानमंत्री के भाषण हैं। मैं इसे प्रथम अनुसंधान रिपोर्टों में एक कहूंगा जो यू.पी.ए. सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में तैयार की है। कोई भी अनुसंधानकर्ता – चाहे वह पी.एच.डी. का छात्र अथवा किसी संस्थान में अनुसंधान करने वाला हो – पंचायती राज कार्यों संबंधी इन आंकड़ों पर पूर्णत: भरोसा कर सकता है। इसीलिए, मैं मंत्री जी और अनेक समर्पित अधिकारियों के समूह, जिन्होंने ये दस्तावेज तैयार किये हैं, की प्रशंसा करता हूं।

इस सराहना के साथ, अब मैं अपने राज्य के मुद्दे को लेता हूं। मेरे विचार में, माननीय मंत्री जी और यूपीए सरकार को इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। जब हम भारत में पंचायतों की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं तो ऐसे समय में, मेरा यह कर्त्तव्य है कि मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूं। पुदुच्चेरी संघशासित राज्य इस देश का एक अंग है और यहां पिछले 38 वर्षों से पंचायतों के चुनाव नहीं हुए हैं। संसद सदस्य के रूप में मैंने जब यह मुद्दा उठाया, केवल तभी 2004 के बाद, पंचायती राज मंत्री ने इस मुद्दे को पुदुच्चेरी सरकार के साथ गंभीरतापूर्वक लिया और वहां चुनाव कराए गए। चुनावों के बाद 1338 स्थानीय जन-प्रतिनिधी चुने गए। आज चुनावों के 141 दिनों के बाद भी, कार्यों, कार्यपालकों अथवा धनराशि का अंतरण नहीं हुआ है जिसके बारे में सब बातें करते हैं।

माननीय प्रधानमंत्री ने इस माह की 22 तारीख को विज्ञान भवन में पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री जी का भाषण इतना प्रेरक था कि जैसे भारत की सड़कों पर दूध और शहद बहेगा और मैं सोचता हूं कि ऐसा ही हो। किंतु, दुर्भाग्यवश, 141 दिनों बाद भी पुदुच्चेरी का शक्तियों का अंतरण नहीं हुआ है। मैं यहां से वहां भटक रहा हूं। मैं इस सरकार के सबसे ऊंचे पद पर विराजमान व्यक्ति से भी मिल चुका हूं किंतु कुछ भी नहीं हुआ। यदि पंचायतों का स्तर एक निश्चित बिन्दु तक लाना है, तो हमें सभी पंचायतों को बराबर बनाना होगा।

मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री पुदुच्चेरी संघशासित राज्य को शक्तियों के अंतरण के लिए बहुत प्रतिबद्ध है। वह, अनेक सचिव और वे सब चुनावों के तत्काल पश्चात् पुदुच्चेरी संघशासित राज्य आए थे; वे लोगो से मिले; और उन्होंने प्रत्यक्षरूप से देखा कि पुदुच्चेरी में पंचायती राज संस्थाओं के गठन से लोग कितने उत्साहित हैं। मैं समझता हूं कि उन्होंने पुदुच्चेरी सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किये थे किंतु इन सभी उपायों के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। हमें कहां जाना चाहिए, यदि मैं इस मुद्दे को इस सम्माननीय सभा में भी नहीं उठा सकता?

मैं माननीय मंत्री जी से अपील करता हूं कि आज ही बिना समय खोये वे पुदुच्चेरी के मुख्यमंत्री से बात करें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं माननीय मंत्रीजी को सूचित करना चाहता हूं कि इस माह की 12 तारीख को पंचायतों के प्रतिनिधि 'बंद' रखेंगे और उन्होंने अपने घरों पर काले झण्डे फहराने की भी धमकी दी है। क्या एक संघशासित राज्य में ऐसा होना चाहिए – जबकि हमने पंचायती राज की स्थिति के बारे में रिपोर्ट की तीन किताबें तैयार की हैं– जिसका लाभ 38 वर्षों तक चुनाव नहीं करके मिला है? यह एक महत्वपूर्ण बिन्दु है जिस पर मैं माननीय मंत्री जी से उत्तर चाहता हूं।

जहां तक अन्य सामान्य मुद्दों का मामला है, मैं माननीय मंत्री जी को केवल कुछ सुझाव देना चाहूंगा जो देश में सुदृढ़ पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। इन प्रतिवेदनों की समीक्षा से मुझे यह पता चलता है कि आज सभी पंचायतें एक समान स्तर पर नहीं है। हम स्वयं कहते हैं कि केरल की पंचायतें सर्वोत्तम हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि बेहतर पंचायतें हैं; अच्छी पंचायतें हैं; घटिया पंचायतें हैं और सबसे घटिया पंचायतें भी हैं।

यह सच है कि सरकार ने लोगों को जनतान्त्रिक प्रक्रिया से शक्तियां प्रदान करने का मन बना लिया है। वर्ष 1992 से पहले, 72वें और 73वें संशोधनों से पहले सम्पूर्ण देश में केवल 5000 प्रतिनिधि थे। आज देश की 32 लाख पंचायतों में 2,40,288 प्रतिनिधि हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर : वास्तव में इसमें तथ्य विपरीत हैं।

प्रो. एम. रामदास : मुझे खेद है। लगभग 2.5 लाख पंचायतें और लगभग 32 लाख चुने हुए प्रतिनिधि हैं। संतोषजनक यह है कि इसमें 37.5 प्रतिशत महिला उम्मीदवार हैं। ऐसे समय में जब हम भारतीय संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रहे हैं, पंचायतों में 37.5 प्रतिशत महिलाएं हैं। मुझे आशा है कि इस दर से तो अगले 10 वर्षों में पंचायतों में कम से कम 50 प्रतिशत महिलाएं होंगी। यूपीए सरकार के लिए यह सराहनीय उपलब्धि होगी।

एक सामाजिक क्रान्ति हो रही है। यद्यपि देश की जनसंख्या में अनुसूचित जाति 16 प्रतिशत है, फिर भी पंचायतों में अनुसूचित जाति समुदाय के चुने हुए प्रतिनिधि 19% हैं और अनुसूचित जनजाति समुदाय के 12% व्यक्ति हैं। सामाजिक क्रान्ति का इससे बेहतर प्रमाण क्या होगा। यदि महात्मा गांधी आज जीवित होते, यदि राजीव गांधी आज जीवित होते तो वे इस बात से खुशी से उछल रहे होते कि उनके स्वप्न इस देश में मूर्त रूप ले रहे हैं। यह सब सुश्री सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह और माननीय श्री मणि शंकर अय्यर की यूपीए सरकार की वजह से ही सबसे बड़ी मूक क्रान्ति हो रही है।

मेरा पहला सुझाव यह है कि सभी पंचायतों को एक समान स्तर पर लाया जाए। भारतीय संविधान यह कहता है कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायतों के रूप में त्रिस्तरीय सरकार होनी चाहिए। आज भारतीय संविधान केन्द्र सूची और राज्य सूची की बात करता है। मैं नहीं जानता - यदि मैं गलत हूं तो मंत्री जी तो मुझे सही कर दें - स्थानीय निकायों की सूची कहां है। यह नहीं है। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि स्थानीय निकायों की सूची को सुनिश्चित करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन किया जाए। सरकार अनुसूची 12 को स्थानीय निकायों की सूची में वापस लाए और सरकार के लिए इसे कानूनी प्रावधान बनाए जिससे कि सब कुछ स्वचालित हो जाए।

तीसरा सुझाव यह है कि मैं इसमें लोगों की भागीदारी चाहता हूं। हमारे यहां लगभग 32 लाख प्रतिनिधि हैं किंतु इनमें से वास्तव में कितने लोग रूचिपूर्वक भागीदारी करते हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

अत: मैं यह कहूंगा कि आपके क्षमता निर्माण कार्यक्रम को इन लोगों के लिए लागू किया जाना चाहिए। उन्हें उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, उन्हें उनके कार्य बताए जाने चाहिए, उनकी भूमिका बताई जानी चाहिए तथा यह बताया जाना चाहिए कि वे पंचायतों के विचार-विमर्श में किस प्रकार सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। इस पर भी विचार करना होगा।

आयोजना के विकेन्द्रीकरण में हमारा लक्ष्य योजना निर्माण के लिए पंचायतों को अधिक से अधिक शक्तियां देने का है। पिछले दस पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान हमारा अनुभव यह रहा है कि हमने केन्द्रीय योजना की प्रक्रिया शुरू की है। यहां तक कि एक गांवों के लिए भी केन्द्रीय योजना निर्माताओं ने सोचा कि वह उपचार जानते हैं तथा वे हल जानते हैं और इसलिए वे योजना बना रहे हैं। इसीलिए आयोजना के कई वर्षों बाद भी देश में गरीबी है।

अपराह्न 3.59

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन* हुए]

हमने दस पंचवर्षीय योजनाएं बनाई हैं तथा कई वार्षिक योजनाएं भी बनाई हैं। इसके बावजूद हमारे सामने इतनी गरीबी है, बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है तथा अज्ञान कम नहीं हुआ है। अत: केन्द्रित योजना प्रणाली के कारण हमारे समक्ष सारी समस्याएं हैं। निचले स्तर पर लोगों को पता होना चाहिए कि उन्हें किस चीज की आवश्यकता है। यदि उन्हें एक सड़क पर रोशनी चाहिए तो उन्हें इसके लिए योजना बनानी चाहिए। यदि जल आपूर्ति की आवश्यकता है तो इसकी योजना बनाई जानी चाहिए। अत: विकेन्द्रित योजना वास्तव में जरूरी है।

मेरा सुझाव है कि भारत सरकार की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना इस देश की सभी जिला योजनाओं का निचोड़ होना चाहिए। यदि देश में 6,400 जिले हैं तो इन सभी 6,400 जिला योजनाओं का निचोड़ केन्द्रीय योजना होनी चाहिए। मुझे अंतर-क्षेत्रीय संबंधों के बारे में पता है। सरकार के कृषि, उद्योग, पर्यावरण तथा अन्य चीजों के बीच के संबंधों पर पूर्णत: विचार करना होगा। परंतु अंतर-क्षेत्रीय संबंधों से ज्यादा योजनाकारों को यह सुनना तथा समझना चाहिए कि केन्द्रीय योजना आयोग की प्रधानता में गांवों से आती निचले स्तर की योजना को भी स्थान मिलना चाहिए।

अपराह्न 4.00 बजे

अत: मैं माननीय मंत्री से इस मुद्दे पर विचार करने का अनुरोध करूंगा।

वित्तीय विकेन्द्रीकरण के संबंध में ज्यादातर स्थानीय निकायों में धन का अभाव है। हालांकि कई राज्य सरकारें अपने कर राजस्व से

[प्रो. एम. रामदास]

20 प्रतिशत पंचायतों के लिए देने के लिए राज़ी हैं, परंतु कई राज्यों में पंचायतों का या तो वित्तपोषण नहीं किया जाता या कम वित्तपोषण किया जाता है। अत: हमें इस पर ध्यान देना चाहिए।

जहां तक केन्द्र का सवाल है, मेरा विचार है कि केन्द्र सरकार अब केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की धनराशि पंचायतों को भेज रही है तथा पंचायतों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता भी दी जाती है। सरकार द्वारा गठित अरविन्द समिति ने कहा है कि इन्हें 207 से घटाकर 25 कर दिया जाना चाहिए। मैं यह कहूंगा कि बारहवें वित्त आयोग की भी एक सिफारिश है। अत: इन सभी बातों का समन्वयन किया जाना चाहिए। योजना आयोग अथवा वित्त आयोग अथवा वित्त विभाग अथवा पंचायती राज मंत्रालय अथवा ग्रामीण विकास मंत्रालय से इन सभी निधियों को समेकित करके उन्हें विभिन्न पंचायतों को दिया जाना चाहिए।

साथ ही वित्तीय उत्तरदायित्व पर भी बल देना चाहिए। निगरानी किए जाने की बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अधिकांश पंचायतों के पास धन नहीं है, स्टाफ नहीं है; उनके पास पदाधिकारी नहीं हैं। कार्य हस्तांतरित कर दिए गए हैं परंतु पदाधिकारी स्थानांतरित नहीं किए गए हैं। अत: यदि इन उपायों पर ध्यान किया जाता है तो मै महसूस करता हूं कि पंचायतों का दर्जा और बढ़ेगा।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं आधुनिक भारत के निर्माता तथा हमारे पहले प्रधान मंत्री ज्वाहरलाल नेहरु के उस कथन को उद्धृत करूंगा जो उन्होंने स्वतंत्रता के समय कहा था। लाल किले पर झण्डा फहराने के बाद वे नीचे उतरे जो किसी ने उनसे पूछा 'स्वतंत्रता का लक्ष्य क्या है तथा आप सबने इतनी संख्या में कुर्बानी क्यों दी?' उन्होंने उत्तर दिया कि इसका उद्देश्य प्रत्येक भारतीय आंख से प्रत्येक आंसू पोछना है। यह शायद हमारे बस में न हो परंतु जब तक आंखों में आंसू रहेंगे, तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। मेरे विचार में पंचायतीराज इस देश में भारतीयों के आंसू पोछने का सुनिश्चित उपकरण है।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया और पंचायत राज मंत्री को मैं उनकी योग्यता और सोच के बारे में धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस प्रकार से पंचायतों के लिए समानान्तर प्रशासनिक सेवा शुरू करने का विचार बनाया है क्योंकि यह विचार समय की मांग है और पंचायती राज मंत्रालय और योजना आयोग ने इस सुझाव पर सहमति दी है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है लेकिन आप देखेंगे कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यानी किसी चीज की जब जरूरत हुई, तब उसके बारे में उसका इलाज सोचा गया और उसकी आवश्यकता के अनुसार उसका उद्देश्य बनाया गया।

पंचायतों की आवश्कयता क्यों पड़ी? पंचायतों की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी जी ने जो सोच बनाई कि देश में स्वराज्य हो तो फिर ग्राम राज्य हो। ग्राम राज्य का सपना क्यों हुआ? वह इसलिए हुआ कि हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक विषमता इतनी ज्यादा है कि उसे समाप्त करने के लिए हम आदर्शवादी भाषण भले करते रहें और हमारे योग्य माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं लेकिन जब जड़ में पानी नहीं पड़ेगा तो ऊपर से पानी देने से फसल पैदा नहीं होती। पंचायती राज व्यवस्था में दुर्गुण क्या है? कारण क्या है कि गांव अमन, चैन, और सुख-शांति की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि गांवों में बुराइयां पैदा हो रही हैं। इसके मूल कारणों को जब तक आप नहीं समझेंगे और उन्हें जब तक दूर करने की कोशिश नहीं की जाएगी तब तक सही समाधान नहीं हो सकता क्योंकि बीमारी का इलाज तभी हो सकता है जब बीमारी की डायग्नोसिस सही हो। हमारे ग्रामीण पंचायतों की जो सोच महात्मा गांधी ने दी, वह किस जमाने की है? वह सोच किसी राज तंत्र के जमाने की नहीं थी। वह वैदिक काल की थी और वैदिक काल में किस प्रकार की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी? वह आज की तरह सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था नहीं थी बल्कि धर्म और धर्म के बाद जाति, जाति के बाद कुजाति, छूत और अछूत, ऐसी सामाजिक व्यवस्था नहीं थी। दुनिया में हिन्दुस्तान पहला ऐसा मुल्क है जहां हमारे देश की 80 प्रतिशत जनता हमारे देश की आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था तथा प्रशासनिक व्यवस्था से भी सहमत नहीं है और जब तक इस मूल ढांचे में परिवर्तन का हमारा उद्देश्य नहीं बनता तब तक हम इस समस्या को हल नहीं कर सकते।

इसलिये, ग्राम पंचायतों के विकास के लिये धन जाना चाहिये, ग्राम पंचायतों के सभी क्षेत्रों में विकास करने और समृद्धि लाने के लिये जो संसाधन दिये जाने चाहिये, उसमें कहीं गड़बड़ी होती है। अर्थ सबसे बड़ा कारण है क्योंकि जो सशक्त है, वह आपके ओर हमारे धन का अपहरण कर लेता है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी प्रशासनिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं, उसमें सुधार हो सकता है। लेकिन जब तक सरकार अर्थतंत्र पर नियंत्रण नहीं करेगी, तब तक इस देश के अंदर सार्वजनिक सम्पति की लूट होती रहेगी और जिसकी कोई सीमा नहीं है। बड़े-बड़े अधिकारी सरकारी मकानों में रहते हैं और

अनुचित कमाई से दर्जनों मकान विभिन्न जिलों में बनाकर लाखों रुपये कमाते हैं। लेकिन गांव का जो गरीब आदमी दिनभर पैसा कमाने के लिए अपना पसीना बहाता है, धरती मां की सेवा करता है, उसके बच्चे की लाश के लिये एक चप्पा जमीन नहीं होती है। बड़े लोगों के पास लाखों बीघे जमीन है। जिस देश में अमीरी-गरीबी की खाई नहीं पटेगी, वह देश तरक्की नहीं कर सकता है। उस देश का सुधार भी नहीं हो सकता है। दलित वर्ग समाज का ऐसा अंग है जिसने ग्रामीण धरती पर अपना खून-पसीना बहाया, उस हाथ को काम नहीं और न पेट के लिये रोटी है। आज हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या जिस तरह से बढ़ती जा रही है, उसकी कोई सीमा नहीं है। पंचायती राज में जितने भी सुधार लाये जा रहे हैं, अगर मंत्री महोदय देखना चाहें तो हमारे ख्याल से वे पूरे नहीं हो सकते हैं। हमारे देश में ग्रामीण पंचायतों के विकास के लिये प्रतिवर्ष 6 खरब रुपये दिये जाते हैं। उनमें से कितना खर्च होता है? हमारे देश के अलावा दुनिया के और देश भी हैं जिनका उदाहरण दिया जा सकता है। वहां गांवों की स्थिति क्या है? ऐसे कौन से कारण हैं जिससे हमारे यहां के गांवों का विकास नहीं हो पाता जबकि वहां विकास हो रहा है। हमारी सरकार भी विकास कार्यों के लिये पैसा देती है और दुनिया के अन्य देशों में ग्रामों के विकास के लिये रुपया दिया जाता होगा। वहां के गांवों में समाज की क्या व्यवस्था है, आर्थिक-व्यवस्था क्या है, वहां गरीबी पाटने के क्या तरीके हैं और विकास का रास्ता क्या है, हमारे देश में विकास के रास्ते दूसरे हैं।

सभापति जी, गांव में जो लोग रहते हैं, जो गरीब हैं, जिनमें आर्थिक विषमता है, उसके कारण पंचायती राज कानून सबके लिये समान सुविधा उपलब्ध नहीं कराता है कुछ लोग उससे अनुचित लाभ उठाते हैं और लोगों के झोले में कुछ नहीं पड़ता है।

सभापति जी, सरकार ने रोजगार गारंटी योजना चलायी, जो बहुत अच्छी है। गांव में जिसके पास खाने के लिये कुछ नहीं है, उसे रोजगार दिया जा सकता है। लेकिन उस पैसे का कितना दुरुपयोग हो रहा है, क्या सरकार ने उस पैसे की समीक्षा कराई? इस पैसे की पूरी लूट हो रही है। अगर आपने राजनैतिक हस्तक्षेप से गांव में जिस प्रकार के पंचायती राज व्यवस्था के ध्वस्त करने या उसमें अपनी राजनीति सीपित करने का जिस प्रकार का काम हो रहा है, उस तरीके की ग्राम पंचायत स्थापित करने का मकसद आपका पूरा नहीं होगा। इसलिये आपसे गुज़ारिश है कि आप पंचायती राज व्यवस्था को मज़बूत करने के लिये, जो लोकतंत्र की प्रथम सीढ़ी है, लोकतंत्र की आधारशिला है, जिस बिना पर हम यहां बैठे हुये हैं, अगर इस बुनियाद को मज़बूत करना चाहते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था को जितना निष्कलंक, सुदृढ़ बनाने के लिये सारी बुराइयों से उसे बचाने के लिये सरकार जो कुछ भी कर सकती है, वह कानून बनावे तो हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। इस कानून की आवश्यकता है।

सभापति जी, गांवों में पीने के लिये पानी नहीं है, बिजली नहीं, रास्ता नहीं, लोगों के हाथों को काम नहीं है, स्कूल नहीं और स्वास्थ्य सुविधायें नहीं हैं जिनकी बहुत जरूरत है। एक अजीब सी स्थिति गांवों में है। जो लोग दुनिया के दूसरे देशों को अन्न खिलाते हैं, उन लोगों के लिये पानी नहीं है। जो लोग शहरों में शराब बेचते हैं, उन लोगों को सरकार ने सारी सुविधायें दे रखी हैं।

जब बच्चा पैदा होता है तो उसे पहले दूध पिलाया जाता है। जब आदमी मरने लगता है तो उसे दूध पिलाया जाता है। जो आदमी दूध रूपी अमृत बेचता है, उसको कुत्ते की नज़र से देखा जाता है और जो शहरों में बैठकर शराब बेचता है, उसे लखपति माना जाता है। जिस देश के अंदर अमृत बेचने वालों को कुत्ता-बिल्ली समझा जाएगा, देश के लाखों ऐसे लोगों को दलित समझा जाएगा और जिस देश में लूटने वालों को राजा माना जाएगा, उस देश में कभी पंचायती राज व्यवस्था कामयाब नहीं हो सकती। वह जो विषमता है, हमारे देश की, सरकार को उसको भी देखना चाहिए। उसी दृष्टिकोण से पंचायती राज में इंप्लीमैंटेशन का जो रास्ता बनाया गया है, जो सरकारी तंत्र बनाने की कोशिश की है, यह बड़ी अच्छी बात है। साथ-साथ केन्द्रीय सरकार का पैसा सीधे पंचायतों में जाना चाहिए। राज्य सरकारों में जगह-जगह पर पक्ष और विपक्ष की पार्टियां सरकारों में हैं। वे अपने मतलब के लिए पंचायती राज व्यवस्था को दूषित करते हैं। केन्द्र सरकार का पैसा सीधे पंचायतों को जाना चाहिए और उसके सही उपयोग के लिए कोई तंत्र बनाना चाहिए जिसके ज़रिये उसकी समीक्षा होनी चाहिए। तभी सही मायनों में पंचायतों के विकास के ज़रिये ग्रामीण जनता में जो गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है, उसके ज़रिये बेकारी से निजात दिलाई जा सकती है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रद्योत पाण्डा (मिदनापुर) : सबसे पहले मैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए अध्यक्ष पीठ को धन्यवाद देता हूं। मेरे विचार से पहली बार माननीय मंत्री ने पंचायती राज के मध्यावधि मूल्यांकन अथवा समीक्षा के रूप से एक काफी बड़ी रिपोर्ट दी है। हमने संप्रग से न्यूनतम साझा कार्यक्रम के मध्यावधि मूल्यांकन तथा

[श्री प्रबोध पाण्डा]

इस संदर्भ में विभिन्न विभागों से समीक्षा की मांग की थी। सर्वप्रथम हमारे पंचायती राज मंत्री आगे आए हैं और पंचायती राज संस्थानों का मध्यावधि मूल्यांकन पेश किया है तथा इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं क्योंकि वे काफी कुशल, सक्षम तथा प्रगतिशील मंत्री हैं।

महात्मा गांधी से लेकर श्री राजीव गांधी तक देश के सभी महापुरुषों, राष्ट्रीय नेताओं ने पंचायती प्रणाली के बारे में बहुत कुछ कहा है। ऐसा कहा जाता है कि भारत गांवों में बसता है। इसलिए गांवों में उचित प्रजातंत्र लाये बिना प्रजातंत्र का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। यदि प्रजातंत्र निचले स्तर तक नहीं पहुंचता, तो भारत में प्रजातंत्र का उचित विकास नहीं हो सकता।

पंचायती राज राज्य अनुसूची में शामिल है परंतु फिर भी केन्द्र सरकार,-संसद के दोनों सदनों, ने पंचायती राज अधिनियम पारित किया और 26 मई 2004 को एक नया मंत्रालय बनाया गया था। इससे पहले यह ग्रामीण विकास विभाग में शामिल था। अत: हमें आशा है कि पंचायतों से संबंधित प्रशासनिक तथा अन्य समस्याएं सुलझा दी जाएंगी और वर्तमान स्तर पर इस पर उचित बल दिया जाएगा। मैं पंचायती राज प्रणाली के मूल्यांकन के संबंध में कुछ विशेष क्षेत्रों की चर्चा करूंगा।

सर्वप्रथम मैं पंचायत विकास एवं प्रशिक्षण के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के बारे में बात करूंगा। पहले के वक्ताओं द्वारा यहां यह उल्लेख किया गया है कि पूरे देश में पंचायतों के लगभग 30 लाख प्रतिनिधि हैं। कई राज्यों, विशेष रूप से मेरे पश्चिम बंगाल राज्य में अधिकांश प्रतिनिधि गरीब परिवारों तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों से हैं।

उन्हें थोड़ा भी प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। इनमें से अधिकांश पंचायत को चलाना नहीं जानते तथा वे इसके लिए तैयार नहीं हैं। इसके साथ ही मेरे विचार से पंचायतों में लगभग 8 लाख प्रमुख कर्मचारी कार्यरत हैं। उन्हें ठीक से प्रशिक्षित नहीं किया जाता। बात यह है कि उन्हें कैसे प्रशिक्षण दिया जाए। पंचायती राज मंत्रालय इसके लिए तैयार है और वे उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए सहायता देने की स्थिति में है तथा स्थायी समिति के प्रतिवेदन के अनुसार अब तक केवल 6 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जा सका है। अत: काफी संख्या में अभी इन लोगों को प्रशिक्षण नहीं मिला है। उन्हें दिया गया प्रशिक्षण उनके लिए पर्याप्त नहीं है। हमारे संविधान में सामाजिक कार्य तथा अन्य आर्थिक कार्यकलापों जैसे विभिन्न प्रकार के कार्यों का दायित्व ग्राम पंचायतों को सौंपा गया है। इतना ही नहीं। कई विकासात्मक तथा सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं और स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, तथा पेयजल कार्यक्रम भी दिए गए हैं। अब एन आर ई जी पी जैसी योजनाएं आ गई है और पंचायतों को प्रत्येक योजना में उचित रूप से कार्य करने का दायित्व दिया जाता है। अत: बड़े दायित्व दिए गए हैं। परंतु दायित्व पूरा करने के लिए केवल सीमित लोगों को ही प्रशिक्षण दिया गया है। इस स्थिति में हम अपेक्षित विकास कैसे कर सकते हैं?

अत: मेरा पहला मुद्दा यह है कि प्रशिक्षण आधारभूत आवश्यकता है और यह आवश्यकता केन्द्र सरकार नामत: पंचायती राज मंत्रालय द्वारा उचित रूप से पूरी की जानी चाहिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय भी मौजूद है। परंतु यह अब बंट गए हैं और उन्होंने एन आर आई डी, एस आई आर डी, आदि जैसी योजनाओं के लिए धनराशि ही आबंटित कर दी है, ये योजनाएं पंचायती राज संस्थानों पर ध्यान देती हैं। उन योजनाओं का क्या हुआ? इनकी दो शाखा बनाएं जाने के बाद जहां तक प्रशिक्षण का सवाल है उचित समन्वय की आवश्यकता है। इस तरह का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। समन्वय के संबंध में हमें मंत्रालय द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

दूसरी बात अधिकार अंतरण की है। पंचायतों के नियमित चुनावों का अर्थ जैसा हम चाहते हैं लोकतन्त्रीकरण नहीं है। अधिकार अंतरण मुख्य विषय है। संविधान के 73वें संशोधन के बाद संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में यह स्पष्ट किया गया कि 29 विषय पंचायती राज संस्थानों को हस्तांतरित किए जाने चाहिएं। परंतु इस संबंध में काफी कम प्रगति की गई है। अब तक कितने राज्यों ने उचित रूप से अधिकार अंतरण किया है? क्या उन्होंने ये 29 विषय पंचायत प्रणाली को हस्तांतरित कर दिए हैं? अत: काफी कम तथा अपर्याप्त प्रगति हुई है।

पंचायती राज मंत्रालय इस पहलू को किस प्रकार देख रही है और राज्यों को किस प्रकार सहायता कर रही है ताकि एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार शक्ति का उचित हस्तांतरण हो जाए? ऐसा नहीं है कि यह असीमित तरीके से चलता रहे।

एक समय-सीमा होनी चाहिए ताकि हस्तांतरण समयबद्ध कार्यक्रम में पूरा हो जाए।

महोदय, राज्यों की संचित निधि के विस्तार के लिए सहायता अनुदान के तौर पर धनराशि आबंटित की गई है। 10वें वित्त आयोग के संबंध में राज्यों द्वारा दिए गए समान अंशदान के बारे में क्या हुआ? पंचायती राज अधिनियम के अधिनियमन से ही नवें वित्त आयोग से लेकर 12वें

वित्त आयोग तक हमें बहुत सारे संशोधन प्राप्त हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार ने इन सभी का अनुपालन किया है या नहीं। संविधान का 73वां संशोधन अधिनियमित हुआ था। किंतु उन्होंने इस पर कहां तक प्रतिक्रिया व्यक्त की है?...*(व्यवधान)* महोदय, मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

अब मैं डीपीसी पर आता हूं। यह एक अतिमहत्वपूर्ण क्षेत्र है। पंचायतों द्वारा उचित रूप से योजनाओं को समेकित करने के लिए प्रत्येक राज्य में इसका गठन होना चाहिए। इसके लिए कितने जिले सामने आए हैं? उन्होंने जिला नियोजन समिति का गठन नहीं किया है। इस बाबत योजना आयोग का क्या रुख है? राज्यों के साथ बैठक में योजना आयोग द्वारा इस संबंध में उन्हें क्या अनुदेश दिए गए हैं? ...*(व्यवधान)*

जैसा कि ग्रामीण व्यवसाय केन्द्रों की स्थापना की अवधारणा में अभिकल्पित किया गया है, पंचायत और उद्योग के बीच भागीदारी कैसी है उसके बारे में क्या प्रगति है?...*(व्यवधान)*

महोदय, अब मैं पंचायती राज के संबंध में एक अतिमहत्वपूर्ण क्षेत्र पर आता हूं। स्थानीय स्व-शासन को जनता के शासन में बदलना चाहिए। लेकिन भूमि-सुधारों के बिना वह संभव नहीं है। अत: भूमि सुधारों के बिना पंचायतों के विकास के बारे में कुछ भी कहना ऐसा है मानो प्रिंस ऑफ डेनमार्क के बिना हैमलेट। अत: भूमि सुधारों के बिना पंचायती राज सफल नहीं हो सकता। इसे अनदेखा किया जा रहा है। यह न्यूनतम साझा कार्यक्रम में पहले से है। किंतु अब ढाई वर्ष बीत चुके हैं, किंतु उस ओर कुछ भी नहीं कहा गया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री पाण्डा, आपका एक मिनट समाप्त हो चुका है। आप 12 मिनट ले चुके हैं।

श्री प्रबोध पाण्डा : महोदय, कृपया मुझे एक मिनट और दीजिए। मेरा अंतिम मुद्दा, पंचायतों को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कृत करने से संबंधित है। यह एक बड़ी अच्छी चीज है। किंतु यह जनसंचार में उचित रूप से नहीं आ रही है। अत: इस पर उचित बल दिया जाना चाहिए और इसका उचित प्रचार-प्रसार होना चाहिए।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश (हिसार) : सभापति महोदय, मुझे समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति जी, जब आप चेयर पर होते हैं, तो मुझे वैसे ही डर लगता है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन जब आप बोलते हैं, तो किसी की नहीं सुनते हैं।

सभापति महोदय, यह बात सही है कि आज सदन में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है। ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होते समय एन.डी.ए. के सारे साथी बहिष्कार कर गए, यह अच्छी बात नहीं है। यह खेद का विषय है। इससे उनका जो रवैया है, उनकी जो मंशा है, वह देश की जनता के सामने आ गई है। एन.डी.ए. ग्रामीण-विरोधी और देहात-विरोधी रही है। उन्होंने इस बहस में हिस्सा न लेकर अपने आपको गांव विरोधी होना साबित कर दिया है।

मैं माननीय पंचायती राज मंत्री, माननीय श्रीमती सोनिया गांधी और डा. मनमोहन सिंह जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने बहुत ही अच्छा मुद्दा इस देश की जनता के सामने लाया है। मुझसे पहले कई साथी एक बात ठीक कह रहे थे कि महात्मा गांधी ने इस बात को माना कि हिन्दुस्तान गांवों में बसता है और तक गांवों का विकास नहीं होगा, तब तक हिन्दुस्तान की तरक्की नहीं हो सकती, हिन्दुस्तान खुशहाल नहीं हो सकता। उसके बाद श्रीमान् राजीव गांधी ने पंचायती राज संशोधन विधेयक इस देश की लोक सभा में पास करके इस बात को प्रमाणित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी ही असली मानों में ग्रामीण लोगों की सुरक्षा का काम करती है, कांग्रेस पार्टी ही पंचायती राज को लागू करने में प्रयत्नशील रहती है और आज फिर एक बार यही प्रयत्न हो रहा है।

हमारे कई साथियों की ओर से चर्चा आई कि गांवों में पंचायत आयेगी। इस संबंध में मेरे 2-4 सुझाव हैं। मंत्री जी यहां बैठे हैं। पहली बात यह है कि पूरे हिन्दुस्तान में जितनी पंचायतें हैं, उनमें पंचायत घर बनने बहुत जरूरी है। पंचायत घर होते नहीं हैं। सरपंच और उसके जो सदस्य हैं, वे कभी कहीं मीटिंग बुलाते हैं, कभी कहीं मीटिंग बुलाते हैं, इसलिए पूरे देश के हर गांव में एक पंचायत घर होना चाहिए। दूसरे आज पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था बहुत खराब है। केन्द्र सरकार जो पैसा देती है, उसमें मेरा पंचायती राज मंत्री जी को सुझाव है कि कई गांव ऐसे हैं, जैसे मैं हिसार से आता हूं, हिसार मेरा क्षेत्र है, उसके लिए एल.ए.डी.टी. की ग्राण्ट है, एस.जे.आर.वाई. की ग्राण्ट है, डिस्ट्रिक्ट प्लान की ग्राण्ट होती है। जैसे एल.ए.डी.टी. में नालियां बनानी हैं, नालियां तो आप बना देंगे, लेकिन उनके रख-रखाव के लिए हर गांव की सफाई के लिए, जैसे लोकल बॉडीज एक्ट में है कि शहर में स्वीपर्स रखे जाते हैं, इसी तरह से गांव में गलियों की, नालियों की सफाई की व्यवस्था के लिए भी, केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकारों को या सीधे पंचायतों को धन देकर उसी तरह लोगों को परमानेंट एम्प्लायमेंट देना चाहिए या पक्की नौकरी में स्वीपर्स वहां पर लगाये

[श्री जय प्रकाश]

जाने चाहिए। सफाई कर्मचारी हर गांव में होने चाहिए। वरना आप पैसा देते रहिये, वहां सफाई की व्यवस्था नहीं है। जो नालियां आपने बनाई हैं, सारी बंद हो जाती हैं और नालियों का पानी, क्योंकि वहां सीवरेज सिस्टम नहीं है, गली में आ जाता है और गली में जो पैसा आप खर्च करते हैं, वह सारा बर्बाद हो जाता है, वह टूट जाती है, इसलिए गांवों में सफाई व्यवस्था का प्रबंध होना चाहिए।

एक तरफ आप कहते हैं कि 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं, लेकिन इसमें मेरा हाउस के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जैसे शहरी विकास मंत्रालय है, ऐसे ही ग्रामीण विकास मंत्रालय है। शहरों में अर्बन डैवलपमेंट एथारिटीज़ बनी हुई हैं। उसी तरह हिन्दुस्तान के गांवों के लिए भी रूरल डैवलपमेंट एथारिटीज़ बननी चाहिए और गांव के लोगों को भी वही सुख-सुविधाए मिलनी चाहिए। आप नई कालोनी गांव में बसाते हैं, इन्दिरा आवास योजना का पैसा आप मात्र 15 हजार रुपये देते हैं। 15 हजार रुपये में किसी गरीब आदमी का मकान बनाना, आज के इस महंगाई के युग में सम्भव नहीं हो सकता। उसके लिए यह पैसा पूरा नहीं है। मेरा पंचायती राज मंत्री जी से निवेदन है कि इन्दिरा आवास योजना की आपने जो योजना बनाई है, यह बहुत बढ़िया योजना है। इसमें पहले तो आप तादाद बढ़ाइये, वरना 6 महीने में एक गांव में दो मकान नहीं बनते तो गरीब व्यक्ति के लिए कहां से मकान की व्यवस्था होगी। इसमें ज्यादा लोगों के लिए मकान बनाने चाहिए और 15 हजार के बजाय 50 हजार रुपये, जिसे आप इन्दिरा आवास योजना के तहत मकान दे रहे हैं, उसे 50 हजार रुपये से कम नहीं मिलने चाहिए। आपने दिल्ली में बैठकर योजनाएं तो बना दीं, जिसे हम ब्यूरोक्रेसी या अफसरशाही कहते हैं, लेकिन उन्हें असली गांव का नक्शा मालूम नहीं होता है। आपने यहां से तय कर दिया कि सुलभ शौचालय या व्यक्तिगत जो शौचालय बनते हैं, उनके लिए 1500 रुपये फिक्स हैं, 1500 रुपये में आज हरियाणा प्रदेश के गांव में आप चले जाओ, आज मैं कहता हूं कि चाहे कोई हरिजन पक्के मकान में रहता है, जो व्यवस्था हरियाणा प्रदेश में हरिजन भाईयों के लिए की गई है और वे आर्थिक तौर पर भी मजबूत हैं, लेकिन उनके घरों में भी आप जाओगे तो वहां टायलेट बनाने की जगह नहीं है। आज 1500 रुपये में तो टायलेट का ढक्कन भी नहीं आता, कुई तक नहीं खुदती तो बाकी पैसा कहां से आयेगा? मैं आपके माध्यम से पंचायती राज मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि कम से कम हम यह नहीं मानते कि 1500 रुपये दे दो, वहां पर तो शौचालय बनाकर दो, चाहे उसमें कितना ही पैसा लगे। आप सुलभ शौचालय बनाइए। ग्रामीण विकास मंत्री जी ने घोषणा भी की थी कि आप हिंदुस्तान के हर गांव में सुलभ शौचालय बनाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सिस्टम में बनी, यानी जो शामलात की जमीन थी, वह दिन-प्रतिदिन खत्म होती जा रही है। जंगल नहीं हैं, पंचायत की भूमि नहीं है, वहां शौच जाने के लिए ठीक से व्यवस्था नहीं है। पंचायती राज तब इस देश में कायम होगा, जब गांव-गांव में सुलभ शौचालय या शौच का प्रबंध किया जाएगा। आज पीने के पानी का प्रबंध नहीं हैं। कहीं पीने का पानी है, तो कहीं नाली नहीं है, कहीं सफाई नहीं है। ऐसी जो व्यवस्थायें हैं, इस संबंध में मेरा पंचायती राज मंत्री जी से निवेदन है कि गांवों के विकास के लिए अलग रूरल डेवलपमेंट एजेंसी बनानी चाहिए, ताकि गांव के लोगों को भी वही सुख-सुविधाएं मुहैया करायी जा सकें, जो शहरी भाइयों को दी जाती हैं। हम शहरी भाइयों के खिलाफ नहीं हैं। हम गांव के लोगों के पक्ष की चर्चा जरूर करते हैं, क्योंकि हम गांव में पैदा हुए हैं और गांव के रहने वाले हैं। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज से लगभग छः महीने पहले एक योजना बनायी थी। मैं पंचायती मंत्री जी से कहूंगा कि इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए और उसकी सारी व्यवस्था का खर्च केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। हमारे हरियाणा प्रदेश ने हर सरपंच को एक हजार रुपए जेब खर्च दिया है। मेरे से पहले एक सपा के साथी कह रहे थे कि सरपंच को जाना पड़ेगा, गांव में कोई झगड़ा है, पंचायती जमीन का दूसरा झगड़ा है, अदालतों में जाएंगे, लेकिन आपने उसके लिए कोई वित्तीय प्रबंध नहीं किया है, कोई टीएडीए नहीं है। इसके लिए एक हजार रुपए हरियाणा सरकार ने दिया है, हर मेंबर पंचायत को दो सौ रुपए दिए है।...*(व्यवधान)* इसी तरीके से हमने जिला पार्षदों को दिए हैं, नंबरदार को और चौकीदार को दिए हैं, चौकीदार दलित समुदाय से संबंध रखता है। हमारी सरकार ने बारह सौ रुपए प्रतिमाह उसको दिए हैं। ऐसे वित्तीय प्रबंध पूरे हिंदुस्तान के हर गांव में होने चाहिए, ताकि गांव के लोगों को यह पता चले कि हिन्दुस्तान की जो यूपीए सरकार है, चाहे वह किसान, कर्मचारी, व्यापारी या मजदूर हैं, वह सब की सुध लेती है। गांवों की सुध भी इसे लेनी चाहिए। जैसे बुढ़ापा पैंशन में पचास प्रतिशत केंद्र सरकार देती है और पचास प्रतिशत राज्य सरकार देती है, इसी प्रकार वित्तीय व्यवस्था में जो सरपंच की तनख्वाह है, मैंबर पंचायत, जिला पार्षद, ब्लाक समिति आदि में फोर्थ क्लास इंप्लाइज का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करे और जो दूसरे भत्ते सरकार ने दिए हैं, वे पूरे देश में लागू किए जाएं। उसका आधा प्रबंध केंद्र सरकार करे और आधा प्रदेश सरकार करे, यह मेरा मंत्री जी को सुझाव है।

ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल देश में लागू किया गया है। माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी जब चर्चा के लिए खड़ी हुईं, तो पूरा हिन्दुस्तान

उनको देख रहा था। इस संबंध में मेरा एक सुझाव है। हरियाणा में दो जिलो में यह लागू है। मैं कहना चाहता हूं कि उसमें भी पंचायतों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं, वे अपनी मनमर्जी से किस-किस को देते हैं, यानी ट्राली को उसमें शामिल नहीं किया, ऊंट, रेहड़ा को भी इसमें शामिल करना है। जो गांव के प्रतिनिधि हैं, इसमें उनको भी शामिल किया जाए, ताकि जब पैसे का बंटवारा हो, तो उनकी हिस्सेदारी हो। जैसे केंद्र सरकार मिड डे मील का पैसा देती है, गांव में भोजन बनता है, लेकिन उसके लिए भी पैसा कम है, उस योजना का पैसा बढ़ाया जाए और जो जन प्रतिनिधि, जो पंचायत स्तर के हैं, जिला स्तर के हैं, उसमें उनको शामिल किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज पूरा देश यह कहता है कि गांव की तरक्की हो, ये तीन-चार मंत्रालय अलग-अलग हैं, स्वास्थ्य विभाग अलग है, इस विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, गांव में नर्स बच्चा पैदा कराने में सहायक होती है, उसे जो शहरों में भत्ता दिया जाता है, ऐसे ही गांवों में जो अधिकारी हैं, उनको भी भत्ता मिले।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री जयप्रकाश, नौ वक्ता और इस वाद-विवाद में भाग लेना चाहते हैं। अतः कृपया अब समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश : इसलिए पंचायती राज की जो व्यवस्था है, चाहे वह शिक्षा है, चाहे चिकित्सा है, चाहे रेवेन्यू का माल का प्रबंधन करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर संपूर्ण नियंत्रण पंचायतों का हो। तब संपूर्ण पंचायती राज लागू होगा, वर्ना पंचायत के सरपंचों को आप पूछते नहीं हैं। डिप्टी कमिश्नर, जो एक अधिकारी है, सरपंच गांव का चुना हुआ है, जनप्रतिनिधि है, उसको सस्पैंड कर देता है, टर्मिनेट कर देता है। मैं पंचायती राज मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस कानून को भी हटाया जाए। डिप्टी कमिश्नर सरपंच को सस्पैंड नहीं करे, यदि गांव के लोग उसके खिलाफ हैं, तो वह सस्पैंड करे, वर्ना आज ऐसा है कि अगर मेरा कोई विरोधी सरपंच है, मैं जिला अधीक्षक से कहूंगा कि उन्हें सस्पैंड कर दें और वह सस्पैंड कर देगा। यह व्यवस्था गलत है, इसमें सुधार की आवश्यकता है।

मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आपकी पंचायती राज में बहुत दिलचस्पी है। दूसरे विभागों से जो पैसा आता है, उसकी मौनीटरिंग करने के लिए, जैसे जिले में आपने सांसदों की कमेटी बनाई है, उसमें भी डीआरडीओ के लोग बहुत मनमानी की जाती है, कहते हैं कि एमपीज़ फैसला करेंगे लेकिन सारी ग्रांट वे खुद बांट देते हैं, हमें कोई पूछता नहीं है। आप इस पर पूर्णरूप से नियंत्रण करें और यदि पूर्णरूप से पंचायती राज लागू करना है तो गांवों की पंचायतों का पूरा वित्तीय प्रबंध करें और उसे खर्च करने का अधिकार भी पंचायती राज संस्थाओं को हो न कि ब्यूरोक्रेट्स को।

[अनुवाद]

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्द्रीरन (रामनाथपुरम) : सभापति महोदय, पंचायती राज प्रणाली के संबंध में वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

हम सभी भली-भांति जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ठीक ही कहा था कि भारत गांवों में बसता है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से पूरा हुआ है। हमारे देश के बहुत सारे नेताओं ने ग्रामीण लोगों के जीवन के विकास के लिए कठोर संघर्ष किया। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री राजीव गांधी ने यह लक्ष्य पंचायती राज प्रणाली शुरू करके प्राप्त किया। हमारी केन्द्र सरकार में सबसे समर्थ और सर्वाधिक अनुभवी माननीय मंत्री श्री मणि शंकर अय्यर इस मंत्रालय के प्रभारी हैं। हम सब यह भली-भांति जानते हैं कि वह बहुत अच्छे तरीके से और मेहनत से कार्य कर रहे हैं।

हमारी संप्रग सरकार अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के लिए काफी प्रसिद्ध है। अतः, हमारी केन्द्र सरकार को पंचायती राज मंत्रालय की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह अत्यधिक प्रशंसनीय प्रणाली है क्योंकि यह लोगों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करती है।

यह एक त्रि-स्तरीय प्रणाली है जिनके नाम क्रमशः ग्राम पंचायत, केन्द्र पंचायत और जिला पंचायत हैं। अब, महिलाओं और अनुसूचित जाति समुदाय से संबंध रखने वाले लोगों सहित कुछ लाख लोग इस पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं। मैं भी राजनीति में पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से ही प्रविष्ट हुई हूं। अपने अनुभव के आधार पर मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारे माननीय सदस्य पहले ही इस विषय की व्याख्या कर चुके हैं। अतः मैं केवल कुछ सुझाव देना चाहूंगी।

बहुत सारे लोग, विशेषकर महिलाएं, अबोध होती हैं और वे नहीं जानती कि इस पंचायती राज प्रणाली से क्या करना है। हमें निर्वाचित

[श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन]

प्रतिनिधियों को उचित प्रशिक्षण देना चाहिए और अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। उन्हें और शक्तियां भी दी जानी चाहिएं। जब हम उन्हें और वित्तीय सहायता तथा शक्तियां दे रहे हैं, तो उसके लिए एक निगरानी तंत्र भी होनी चाहिए। तभी पंचायती राज प्रणाली सफल हो पाएगी।

महोदय, तमिलनाडु राज्य में हमारे माननीय मुख्यमंत्री डा. कलैगनार करुणानिधि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तमिलनाडु राज्य पंचायती राज प्रणाली योजनाओं के कार्यान्वयन में पहले स्थान पर है। वह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जब वह चौथी बार मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने ''नमक्कुनमे थिट्टम'' और ''अन्ना मुरुमलार्ची थिट्टम'' शुरु किए। ये बहुत प्रसिद्ध योजनाएं हैं और इन योजनाओं के माध्यम से उन्होंने ग्राम स्तर पर निर्वाचित लोगों को और शक्तियां तथा सुखी सम्पन्न बनाया। अब, इन योजनाओं के माध्यम से उन ग्रामों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। अब, उन्होंने जिला कलक्टरों को पंचायती राज प्रणाली में योजनाओं की समीक्षा के लिए कम से कम छह माह में एक बार बैठक करने का आदेश दिया है।

अब, मैं एक सुझाव देना चाहती हूं कि संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों को बैठक में भाग लेने का मौका दिया जाए और उनके मत पर भी विचार किया जाए। यह तभी एक अत्यधिक सफल योजना बनेगी।

हमारी पीयूआरए योजना भी एक प्रसिद्ध योजना है। यह माननीय राष्ट्रपति द्वारा शुरू की गई थी। तमिलनाडु में, डा. करुणानिधि हमारे राष्ट्रपति का सपना पूरा कर रहे हैं क्योंकि वे पंचायती राज संस्थानों को अधिक शक्तियां दे रहे हैं और वे सभी अच्छा काम कर रहे हैं। माननीय एम.के. स्टालिन तमिलनाडु राज्य सरकार में मंत्री हैं और वे पंचायती राज प्रणाली में सभी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बड़ी मेहनत से कार्य कर रहे हैं।

मैं एक बार पुन: कहना चाहूंगी कि तमिलनाडु पूरी मेहनत और उचित योजनाओं के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली के क्रियान्वयन में पहले स्थान पर है। मैं उम्मीद करती हूं कि केन्द्र सरकार के माध्यम से सभी राज्यों में इसे शुरू किया जाएगा। निसंदेह, केन्द्र सरकार ग्रामीण लोगों की ओर अधिक ध्यान दे रही है और यह पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से ग्राम निर्वाचित निकायों को शक्ति और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए और कदम उठाएगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

सभापति महोदय : वणक्कम थिरुमति।

अब, श्रीमती सी.एस. सुजाता।

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा) : सभापति महोदय, प्रारंभ में मैं आपको मुझे इस महत्वपूर्ण विषय, ''पंचायतों की स्थिति पर मध्यावधि समीक्षा तथा पुनरीक्षा'' पर बोलने के लिए धन्यवाद देती हूं।

महोदय, 73वें तथा 74वें संवैधानिक संशोधनों को अपनाने के बाद देश ने हमारी प्रजातंत्र को बेहतर तथा सार्थक रूप देने का निर्णय लिया तथा उस प्रजातंत्र को सभी स्तरों पर महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण प्रदान करके जमीनी स्तर पर ले जाने का प्रयास किया। विकासात्मक प्रक्रिया में तथा जनतांत्रिक प्रक्रिया में भी मूक बहुमत को सक्रिय भागीदार बना दिया गया है।

मुझे अपने आपको इस ऐतिहासिक प्रक्रिया में गंभीरतापूर्वक संबद्ध करते हुए तथा केरल के अलाप्पुजा जिले की जिला पंचायत की प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में गौरवान्वित अनुभव कर रही हूं।

जब मैं इस मध्यावधि पुनरीक्षा रिपोर्ट की बहस में भाग लेती हूं तो मेरे विचार ज्यादातर मेरे वास्तविक अनुभव के आधार पर रूप लेते हैं। मैंने ये विचार पंचायत संस्थाओं की क्रियान्वयन कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेकर प्राप्त किया है। जमीनी स्तर पर संवैधानिक संशोधनों की आत्मा को लागू करने का कार्य बिल्कुल एक नया अनुभव था।

मुझे यह नोट करते हुए प्रसन्नता होती है कि केरल पंचायती राज के क्षेत्र में एक अग्रणी नाम है। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि केरल ने किस प्रकार यह दर्जा प्राप्त किया। राज्य ने पंचायतों तथा नगरपालिकाओं को अपनी शक्तियां हस्तांतरण करने में मजबूत राजनीतिक प्रतिबद्धता दर्शाई। राजकोषीय दबाव के दौरान भी राज्य ने अपने नियंत्रण वाली निधियों को देने का गंभीर निर्णय लिया तथा अपने संसाधन इस विश्वास तथा आशा के साथ उदारतापूर्वक हस्तांतरित किए कि लोग तथा जमीनी स्तर के प्रतिनिधि विकास प्राथमिकताओं पर बेहतर निर्णय ले सकते हैं। केरल का अनुभव यह भी सिद्ध करता है कि विकेन्द्रीकरण केवल असफरशाही प्रक्रिया मात्र से प्राप्त नहीं की जा सकती है। आशा तथा उमंग का वातावरण बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों को एकजुट करने की आवश्यकता है। 'पीपुल्स प्लान' अभियान इसी उद्देश्य से शुरू किया गया था।

केरल का गुणगान करने की ही आवश्यकता नहीं है; विकेन्द्रीकरण को संस्थागत करने पर समर्थन देने की आवश्यकता है। तथा इसके बेहतर अनुभवों से सीखने का ईमानदार प्रयास होना चाहिए।

केरल जो विकेन्द्रीकरण पर प्रयोग करने की प्रयोगशाला थी, अब राष्ट्रीय कक्षा हो सकती है। भारत सरकार को इस अवसर का उपयोग करना चाहिए।

केरल के विकेन्द्रीकरण की मुख्य बातें थीं : केरल ने कार्य, शक्तियों तथा संसाधनों को एकबार में हस्तांतरण करने की प्रक्रिया अपनाई तथा क्षमता का विकास करके सीखा। शायद यही तरीका है विकेन्द्रीकरण को वास्तविक बनाने का।

द्वितीयतः, राज्य ने विकेन्द्रीकरण के संबंध में स्पष्ट कार्य का अंतरण करके प्राचीन सिद्धांत का पालन किया। कार्य का निष्पादन करने वाले अधिकारियों को भी स्थनीय शासन के नियंत्रण में रखकर कार्य तथा कार्य करने वाले एक साथ चलने के सिद्धांत का पालन किया।

केरल के विकेन्द्रीकरण की मुख्य बात है स्थानीय सरकार को वास्तविक रूप में एकमुश्त धनराशि का बड़े पैमाने पर हस्तांतरण करना ताकि वे अपनी योजनाएं स्थानीय आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार तैयार कर सकें। चालू वर्ष के दौरान, तीन हिस्सों में – विकास निधि, रख-रखाव तथा साधारण उद्देश्य निधि – में 2,200 करोड़ रु. रखे गए हैं।

केरल के विकेन्द्रीकरण की सबसे आविष्कारी पहलू है: सहभागिता योजना। इसका श्रेय केरल को जाता है कि योजना आयोग ने कमोबेश इस पद्धति को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए स्वीकार कर लिया है।

केरल के विकेन्द्रीकरण की अन्य महत्वपूर्ण बात, मजबूत स्वतंत्र संस्थाएं, संवैधानिक मान्यताप्राप्त संस्थाएं यथा, राज्य चुनाव आयोग, राज्य वित्त निगम तथा जिला योजना समितियां, तथा विशेष संस्थाएं यथा, लोकपाल, अपीलीय अधिकरण तथा यहां तक कि राष्ट्रीय विकास परिषद की लाइन पर राज्य विकास परिषद हैं। ये संस्थाएं पंचायतों की स्वायत्तता सुनिश्चित करने तथा उनका स्तर स्थानीय स्वशासन तक बढ़ाने में काफी मदद करती हैं।

महिलाओं के साथ न्याय को केरल में विकेन्द्रीकृत योजना में विशेष महत्व दिया गया है। स्थानीय शासन को दी गई धनराशि का दस प्रतिशत आवश्यक रूप से महिला संघटक योजना पर खर्च की जानी है। अब सरकार ने प्रत्येक पंचायत को महिलाओं की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए सहायता देने का निर्णय लिया है। ग्रामीण पंचायत में महिलाओं के हितों के संरक्षण के लिएं जागृत समितियां स्थापित की गई हैं। 'कुदम्बश्री', जो अब एक राष्ट्रीय मॉडल जाना जाता है वह पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जबकि महिलाओं का सशक्तीकरण किया तथा गरीबी घटाई। अब तक, 1.77 लाख महिलाओं के पड़ोसी समूहों के गरीबी रेखा के नीचे महिलाओं का नेटवर्क बनाकर 37.25 लाख परिवारों को 'कुदम्बश्री' कार्यक्रम के अंदर लाया गया है। अन्य राज्यों से भिन्न, 'कुदम्बश्री' पंचायती राज के अंग के रूप में विकसित हुई। पंचायतों की सहायता से दो लाख से ऊपर अति लघु उपक्रम .स्थापित किए गए हैं।

भारत सरकार को केरल को सहायता देने की आवश्यकता है क्योंकि यह अग्रणी है तथा समूचा देश इसकी पहल से लाभान्वित होगा। सहायता के महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्नवत हैं।

निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों का क्षमता निर्माण एक खर्चीला कार्य है। राज्य को उदारतापूर्ण सहायता देने की आवश्यकता है। संयोगवश, केरल इंस्टीच्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पूरे देश में ऐसी सबसे अच्छी संस्था है जो श्रीलंका, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान से तथा देश के सभी राज्यों से प्रशिक्षु प्राप्त कर रहा है। भारत सरकार को इस संस्था में अवश्य निवेश करना चाहिए तथा इसे स्थानीय शासन के उच्चतर अध्ययन तथा अनुसंधान केन्द्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था के स्तर तक बढ़ाए।

केरल ने हाल में योजना, सांख्यिकी तथा शहर योजना विभागों के जिला स्तर के कार्यालयों को जिला योजना समितियों को हस्तांतरित करके इसे और मजबूत बनाने का निर्णय लिया है। योजना आयोग इस महत्वपूर्ण पहले में सहायता कर सकती है।

कई कार्यों के विकेन्द्रीकरण को संस्थागत बनाने के लिए कई क्षेत्रों में अनुसंधान की आवश्यकता है। यह राष्ट्रीय स्तर की उत्कृष्ट संस्थान जैसे आई.आई.एम्स, आई.आई.टीज तथा अन्य राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के माध्यम से किया जा सकता है।

इसे देखते हुए कि केरल गत दस वर्षों में राजकोषीय विकेन्द्रीकरण के मामले में गंभीर प्रतिकूल राजकोषीय दबावों के बावजूद प्रतिबद्ध रहा है, राज्य को संवैधानिक प्रतिबद्धताओं को निपटाने तथा पूरे देश के लिए एक मॉडल विकसित करने के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए। यह अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, बाह्य समर्पित परियोजना पर प्राथमिक आबंटन, एन.आर.ई.जी.ए. तथा बी.आर.जी.एफ. के अंतर्गत और

[श्रीमती सी.एस. सुजाता]

जिलों को शामिल करके तथा पंचायत के क्षेत्राधिकार में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के आवंटन में ज्यादा महत्व देकर किया जा सकता है।

अब जबकि भारत सरकार देश में पंचायती राज की विस्तृत स्थिति पर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज लाई है, समय आ गया है कि विकेन्द्रीकरण को और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएं।

सुझाव इस प्रकार हैं। बी.आर.जी.एफ. का उपयोग विकेन्द्रीकृत योजना विशेषरूप से जिला योजना समितियों को मजबूत बनाने के लिए किया जाना चाहिए।

पंचायतों के क्षेत्राधिकार में प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं यथा, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्वशिक्षा अभियान, दोपहर भोजन कार्यक्रम, आई.सी.डी.एस., स्वजलधारा, पी.एम.जी.एस.वाई., एन.डब्ल्यू. डी.पी.आर.ए., इत्यादि को पुनर्गठित करके इन सभी योजनाओं का तथा उनके मिलन को सामान्य विकेन्द्रीकृत योजना के अंतर्गत लाना चाहिए।

पंचायती राज मंत्रालय की योजनाओं को विशेषरूप से क्षमता निर्माण के लिए और संसाधन देने चाहिए तथा कार्य-निष्पादन के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए। भारत सरकार को पहल करते हुए अन्य देशों से स्थानीय शासन में बेहतर अनुभवों का पता लगाना चाहिए तथा एक डाटाबेस तैयार करना चाहिए जिस तक सभी राज्यों की पहुंच हो।

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा तैयार की गई 150 सूत्री कार्य योजना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसमें 'मणि शंकर अय्यर' की झलक देखती हूं। यह अपेक्षित होगा यदि इस पर राष्ट्रीय विकास परिषद की विशेष बैठक में चर्चा की जाये तथा मील के पत्थरों तथा समय सीमा के साथ एक क्रियान्वयन योजना तैयार की जाये। मैं माननीय मंत्री से इसे प्रचलन में विकसित करने में रुचि दिखलाने के लिए व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करती हूं।

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर) : माननीय सभापति जी, आज सदन में पंचायतों की स्थिति - मध्यावधि समीक्षा एवं आकलन - 2006 संबंधी प्रस्तुत प्रतिवेदन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम महात्मा गांधी के उस सपने को याद कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने ग्राम स्वराज को ही अल्टीमेट गोल मानकर इस देश का स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया और देश ने आजादी हासिल की। उस ग्राम स्वराज के सपने को पूरा करने की दिशा में 60 के दशक में देश के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने नागौर के अंदर एक विशाल जनसभा करके पंचायती राज की शुरुआत की थी। इस पंचायती राज के सपने में गांव के आम आदमी को सीधे सत्ता देने के लिए देश में प्रक्रिया शुरू हुई। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से देश में सामाजिक क्रांति का दौर चालू किया, जिसमें गांव के आदमी को ही नहीं, बल्कि गांव के पिछड़े, दलित और कुचले हुए व्यक्ति को भी सत्ता में शामिल होने का अवसर मिला। इसके अलावा देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं और पिछड़े वर्ग के लोगों को पंचायती राज में आरक्षण के माध्यम से अधिकार दिए गए।

धीरे-धीरे ये संस्थाएं मजबूत होने लगीं। हमारे आज के पंचायती राज मंत्री उस समय भी राजीव गांधी जी के साथ थे, जब संविधान में 73वां और 74वां संशोधन पारित हुआ। तब से लेकर आज तक पंचायती राज की विभिन्न संस्थाओं से वह जुड़े हुए हैं। उन्होंने इस संबंध में इतना वृहद काम करके तीन वाल्यूम्स निकाले हैं, वह किसी भी संसद सदस्य के लिए गर्व का विषय है। आज उनका पंचायती राज विभाग किस तरह से मुस्तैदी से इसका आकलन कर रहा है, किस तरह से पंचायती संस्थाओं का विकास हो रहा है, यह हम सब जानते हैं।

मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने दिल्ली में बैठकर ही नहीं, बल्कि देश के विभिन्न भागों में जाकर पंचायती राज संस्थाओं का आकलन किया। आप राजस्थान में गत वर्ष दिसम्बर में चूरू और जयपुर भी पधारे थे। वहां आपने पंचायत समितियों के बीच गांव के लोगों और पंचों के बीच बैठकर जमीनी हकीकत को देखा था।

सभापति महोदय, मैं राजस्थान के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। आपका जो सपना और सिद्धांत है कि फंड्स और फंक्शनरी पंचायतों को ट्रांसफर कर दिया जाए और आपने जो विषय चुने, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सेनिटेशन, फारेस्टेशन आदि, उनका ग्राम स्वराज से गहरा नाता है। आज गांव वाले खुद इन चीजों के मालिक हैं। राजस्थान में पिछली सरकार के समय मुख्य मंत्री, अशोक गेहलोत जी के समय यह काम कार्यान्वित हुआ था और बहुत सारे अधिकार जिला परिषदों और पंचायत समितियों को दिए गए थे। पंचायती राज में प्रमुख प्राइमरी शिक्षा है, जो सारी की सारी उन्हें दे दी गई। उसके साथ ही एलिमेंट्री एजुकेशन भी लगभग पंचायतों को दे दी गई थी।

महोदय, मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज जो सरकार राजस्थान में सत्ता में है, जिस प्रकार की सामंती सोच की वह सरकार है, वहां पंचायती राज संस्थाएं आज केवल एक ढांचा बन कर रह गई हैं। पंचायत राज संस्थाओं के पास अपने कोई अधिकार नहीं रह गए हैं। श्री गहलोत जी के समय में आपकी जो अपेक्षाएं थीं कि गांव का सरपंच, गांव का पटवारी, गांव पंचायत का सैक्रेटरी, गांव का टीचर, गांव का पैरा टीचर गांव के संरपच को हाजरी देगा, सरपंच को अपने काम की जानकारी देगा, वे सारे के सारे अधिकार आज छीन लिए गए हैं। आपके द्वारा दिए गए कागजों में मैंने पढ़ा और लिखा है कि शिक्षा विभाग और कई दूसरे कार्यों को करने का अधिकार सरपंचों को दिया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत है कि राजस्थान में प्राइमरी शिक्षा, सैकेंडरी की तो बात छोड़िए, प्राइमरी शिक्षा भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा संचालित होती है। किसी गांव के अंदर बीच बच्चे हैं, वहां तीन टीचर हो सकते हैं, लेकिन किसी गांव में तीन सौ बच्चे हो सकते हैं और एक टीचर हो सकता है। इस बारे में सरपंच को कोई अधिकार नहीं है। अभी शिक्षकों की ट्रांसफर पर बैन लगा हुआ है। ऊपर के स्तर पर सोचने वाला कोई अधिकारी नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपको राज्य सरकारों के साथ में और खास कर सामंती सोच रखने वाली राजस्थान सरकार के साथ मिल-बैठ कर पुनः आकलन करना पड़ेगा कि 73वें और 74वें संशोधन में देश की पंचायतों को जो अधिकार दिए, क्या उनका क्रियान्वयन हो रहा है अथवा नहीं। मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहूंगा कि राजस्थान वह राज्य है, जहां आपने जो 29 फंक्शंस दिए हैं, उनमें से केवल एक-आध को ही कार्य रूप में लागू किया गया है। आपने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर पैसा दिया, वहां माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी फोटो लगा कर स्वास्थ्य रथ निकाल दिया गया, पानी के लिए जल चेतना रथ निकाल दिया गया। वहां की जनता इस बात से त्रस्त है कि केंद्र सरकार की योजना का इतना पैसा जो सरपंचों के माध्यम से गांवों में लगना चाहिए, वह पैसा नौकरशाह माननीय मुख्यमंत्री जी को खुश करने के लिए बड़ी-बड़ी रथ यात्राएं निकाल कर खर्च कर रहे हैं।

मैं सुझाव रूप में माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जिला परिषदों और पंचायत समिति के जो प्रधान हैं, उनके चुनावों के बारे में बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। आज आप कहीं भी जा कर पूछ लीजिए, इंडिपेंडेंट सर्वे करवा लीजिए, कोई भी प्रधान ईमानदारी और जनतांत्रिक पद्धति से वोट प्राप्त करके चुन कर नहीं आया है। वहां वोट खरीदा जाता है। जो सत्ताधारी लोग हैं, वे पंचायत समिति के सदस्य चुन कर आते हैं। पंचायत समिति के सदस्य की, जिला परिषद के सदस्य की केवल यही भूमिका रहती है कि किसी तरीके से व्यक्ति विशेष को प्रधान बना दें। प्रमुख बनने में करोड़ों रुपए लग जाते हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि अलवर जिले से मैं सांसद का चुनाव कम खर्चे में जीतकर आया हूं, लेकिन अलवर का जिला प्रमुख, मैं समझता हूं कि लगभग करोड़ रुपया खर्च करके जिला प्रमुख बना है। इसलिए हमें विचार करना होगा, हम मिड टर्म अप्रेजल कर रहे हैं, आपको सोचना होगा कि यदि हम पंचायत समिति के प्रधान का और जिला प्रमुख का चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन से कराएं तो मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार खत्म होगा। लोग कहते हैं कि इससे तो पहले वाली व्यवस्था, जिसमें गांवों के लोग, पंच या सरपंच ही गांव का प्रमुख चुनते थे, वही बेहतर थी। लेकिन आज जो डायरेक्टर्स वोट देते हैं, जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्य वोट देते हैं, यह पैसों का चुनाव है, भ्रष्टाचार का चुनाव है। जब प्रधान और प्रमुख वोटर को लाख रुपया या दो लाख रुपया दे कर बनते हैं, तो वहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है और कामों में दलाली चालू हो जाती है। जो पैसा आप गांवों के विकास के लिए भेजते हैं, उसका केवल 40 या 50 प्रतिशत पैसा ही गांवों के विकास के लिए खर्च हो पाता है।

अपराह्न 5.00 बजे

उससे अधिक पैसा खर्च नहीं हो पाता है। आप इस मामले में गंभीरता से विचार करें।...*(व्यवधान)* पंचायत समिति और जिला परिषद के मैम्बर्स की हैसियत बढ़ाने की बात होती है। जिस तरह आपने सांसदों के लिए कोटा फिक्स करके काम करवाने की हैसियत बढ़ायी है, ठीक इसी तरह कुछ पैसा खर्च करने का अधिकार पंचायत समिति और जिला परिषद के मैम्बर्स को भी होना चाहिए। आज यह हो रहा है कि सरपंच के पास सीधे पैसा जाता है। गांवों में सरपंच बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और होना भी चाहिए। पंचायत समिति और जिला परिषद के मैम्बर्स सिर्फ निर्वाचन तक सीमित रहते हैं। दो साल के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश चालू हो जाती है। मुश्किल से दो साल के लिए ही किसी ने प्रधानी या प्रमुखी की होगी। दो साल का पीरियड होने के बाद एक लहर दौड़नी शुरू हो जाती है और पैसों के जरिए खरीदारी शुरू हो जाती है तथा कहा जाता है कि दूसरा प्रधान और सरपंच बनाओ। मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आप इस पर पुनर्विचार करें। क्या प्रधान या प्रमुख का इलैक्शन डायरैक्ट करवा सकते हैं या नहीं? कहने को बहुत सी बातें थीं, क्योंकि बहुत लंबा-चौड़ा विषय है। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि वह सदन में यह चर्चा लेकर आए।

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मणिशंकर अय्यर जी को बधाई दूंगा कि वह ढाई साल का एग्रेजल स्लेक सभा में लाए। सभी ने कहा है कि भारत गांवों में बसता है। महात्मा गांधी जी का भी यही सपना था कि आजादी के बाद देश के गांवों में स्वराज लागू हो। वैसे सदियों से देश की यह परम्परा रही है और गांवों में पंचायतों का अपना अलग स्वावलम्बन है। हम 57 साल की आजादी के बाद आकलन करें कि 73वें-74वें संशोधन के बाद आज क्या वस्तु स्थिति है, क्या कमी है और उसे कैसे सुधारा जाए जिससे सही मायने में गांवों में स्वराज आ सके। अभी 12 लाख महिला सरपंच या सदस्य चुनी गई हैं। निःसंदेह यह बड़ी संख्या है और एक शुरूआत है। इसलिए शुरूआत है कि आरक्षण द्वारा दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को यह अधिकार मिला है। क्या यह सही ढंग से लागू हो रहा है या नहीं, यह देखना हमारा कर्तव्य है।

अभी राजस्थान के एक माननीय सदस्य बोल रहे थे। मैं उनकी बात से सहमत हूं कि आज भी 72वें-73वें संशोधन के बाद बहुत सी कमियां हैं। मेयर का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। जैसा उन्होंने बताया और मुझे भी यह समझ नहीं आती है कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव 57 साल की आजादी के बाद भी जनता से करवाने के लिए आप क्यों तैयार नहीं हैं? कहा जाता है कि बहुत बड़ा चुनाव हो जाएगा। यदि आप सही जन प्रतिनिधि चाहते हैं तो इसमें बदलाव लाना होगा। जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा कि ब्लॉक्स में माफिया लोगों का कब्जा हो जाता है। मंत्री जी यहां बैठे हैं। मालूम नहीं, वह इससे अवगत हैं या नहीं? माफिया लोगों का पैसा होना चाहिए और बंदूक की ताकत होनी चाहिए। कोई भी ब्लॉक प्रमुख जीत जाएगा, कोई भी जिला पंचायत का अध्यक्ष जीत जाएगा। यह व्यवस्था क्यों लागू है जबकि आज तक आपने इतना सुधार किया है तब इसे क्यों नहीं लागू कर सकते हैं? जो कार्यक्रम बनाए गए हैं, उनको क्या वे लोग लागू कर सकेंगे? एक बार बीडीसी का सदस्य ब्लॉक प्रमुख चुनता है और उसके बाद उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। उसे विकास कार्यों में हिस्सा नहीं मिलता, मुझे समझ में नहीं आता कि ग्राम प्रधान को बीडीसी के सदस्य कि साथ क्यों रखते हैं? वह अधिकार बीडीसी सदस्य को मिलना चाहिए ग्राम प्रधान को नहीं मिलना चाहिए। उन्हें अलग से फंड मिलता है, उनका अधिकार क्षेत्र अलग है। क्या कभी आपने आकलन किया है कि बीडीसी के सदस्य ने वोट दे दिया फिर उसका काम खत्म हो जाता है उसके पांच साल बाद उसकी जरूरत पड़ेगी अगर वह दोबारा चुनकर आएगा। आप इस पर पुनर्विचार करें। इसी तरह से जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के हाथ में पंचायतों का अधिकार केंद्रित हो गया है और बाकी मैम्बरों का कार्य क्षेत्र और अधिकार नगण्य हो गए हैं। अभी यूपीए सरकार डंका पीट रही है कि हमने रोजगार गारंटी स्कीम को लागू कर दिया। यह स्कीम क्या है? इस स्कीम में सौ दिन का काम गांव में हाथ से करने का दिया गया। क्या कभी आपने विचार किया कि मजदूर केवल मजदूरी करता रहेगा या उसे दूसरा कोई विकल्प भी मिलेगा?

मान्यवर, आप देखें कि गांवों से शहरों की तरफ पलायन हो रहा है। रोजगार की तलाश में लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं। आप क्यों नहीं गांव में फैक्ट्री लगवाते, चाहे वहां छोटा कारखाना ही लगवाइए? आप एक तहसील में एक, दो या तीन कारखाने लगवाइए, कुछ तो कीजिए ताकि गांव के लोग गांव में ही रहें। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष मोहम्मद युनूस को महिला सशक्तिकरण के लिए नोबल पुरस्कार मिला है। यह इतनी अच्छी स्कीम है जिसमें गांव की गरीब महिलाओं का बीस-पच्चीस का छोटा ग्रुप बनाकर बैंकों द्वारा ऋण दिया गया जो आज वहां गरीबी को दूर करने में बहुत सहायक सिद्ध हो रहा है और इसलिए उनको नोबल पुरस्कार मिला है। हम इसे अपने देश में लागू क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं गरीब महिलाओं का ग्रुप बनाकर बैंकों द्वारा ऋण देकर उनका सशक्तिकरण कर सकते? हम क्यों नहीं दूध के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी करके आगे बढ़ सकते?

फिशरीज के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश ने नमूना पूरे देश के सामने पेश किया है। आज पूरे देश में आंध्र प्रदेश की मछलियां बिकती हैं। हमारे देश में बहुत मछुआरे हैं, जो अत्यंत गरीब हैं, उनके लिए आप ऐसी स्कीम क्यों नहीं लाते? उनके लिए कोल्ड स्टोरेज क्यों नहीं बनवाते जिससे वे अपनी मछलियों को पकड़कर कोल्ड स्टोरेज कर सकें और इसके माध्यम से पूरे देश में भेज सकें। इससे उन्हें रोजगार और धन मिलेगा।

इसी तरह से एक तहसील में एक मिनी आईटीआई, मिनी पॉलिटेक्नीक खोल दें तो तमाम नौजवानों को गांवों में ही ट्रेनिंग मिल जाएगी और जो आज बड़े कलकारखाने आ रहे हैं, उनमें रोजगार मिल जाएगा। इसमें आप आरक्षण कर सकते हैं जिससे हर गरीब आदमी को उसका हक मिल जाएगा। लेकिन आप वह नहीं करेंगे, आपने कह दिया ग्रामीण रोजगार स्कीम लागू कर दी है और इसमें फावड़ा चलाओ। माननीय अय्यर जी, इससे गरीबी दूर नहीं होगी। गरीबी दूर होगी जब लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर आप गांवों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो रोजगार के अवसर गांवों में खोजने पड़ेंगे और खोलने पड़ेंगे। आज गांव में तमाम कारीगर हैं जो अपना सामान बनाते हैं, उनको वे कहां

बेचें? उनके पास बेचने के लिए कोई बाजार नहीं है, वे अपना सामान नहीं बेच सकते इस तरह से धीरे-धीरे कारोबार खत्म होता जाता है। यदि आप उसे मजबूत कर दें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आपका समय समाप्त हो चुका है। आप नौ मिनट से ज्यादा ले चुके हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : परंतु आप कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं। यह दलों के बीच की बात है। यह मेरा कार्य नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रेवती रमन सिंह : जी नहीं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मै इस मामले में नहीं पड़ना चाहता।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह : बहुत-बहुत धन्यवाद।* मैने कोई आरोप नहीं लगाए हैं।*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ऐसा है, मैं भी इस मुद्दे पर चर्चा का इच्छुक हूं। मुझमें गलती नहीं ढूंढिए। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। आप जानते हैं कि 53 वर्ष पूर्व मैं वयस्क मताधिकार के आधार पर पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था। इस क्षेत्र में मेरे जितना लंबा रिकार्ड और अनुभव रखने वाला कोई नहीं है। 54 वर्ष पूर्व मैं पंचायत अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुआ था। और मैं बहुत लंबे समय तक अध्यक्ष रहा क्योंकि उस अवधि में कोई चुनाव नहीं हुआ। मैं एक दशक से ज्यादा अध्यक्ष बना रहा। बाद में, पंचायत नगरपालिका बन गई। मुझमें गलती न ढूंढें।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री, श्री मणिशंकर अय्यर जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ढाई वर्ष का अपने विभाग का लेखा-जोखा आज सदन में प्रस्तुत किया, जिसके ऊपर हम माननीय सदस्य विचार कर रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि सम्पूर्ण विपक्ष के लोग इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर सदन में नहीं है, जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने जीवनकाल में आरम्भ से ही ग्राम स्वराज, डा. लोहिया का चौखंभा राज, लोक नायक जय प्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति इसी से जुड़े हुए सवाल है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि जब तक गांवों का विकास नहीं होगा, गांव आगे नहीं बढ़ेंगे, गांव खुशहाल और संपन्न नहीं होंगे, देश सुखी और सम्पन्न नहीं...

अपराह्न 5.13 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव पीठासीन हुए]

हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। इसी कारण से वह बराबर कहा करते थे कि गांवों में लघु और कुटीर उद्योग की स्थापना करें, लोगों को शिक्षित और साक्षर बनाएं, सफाई रखें और स्वस्थ रहें, इस तरह से गांव का विकास संभव है।

महोदय, हम बिहार राज्य से आते हैं। जब जननायक, कर्पूरी ठाकुर 1977 में बिहार के मुख्य मंत्री बने तो पहली बार उन्होंने बिहार में विधिवत पंचायतों के चुनाव कराये थे। उनके पंचायत चुनाव कराने के बाद 1982 में दूसरी सरकार आई, लेकिन उसके बाद पंचायत चुनाव का काम लगभग बंद हो गया। जब स्वर्गीय राजीव गांधी ने संविधान में संशोधन किया तो राज्यों पर पंचायत चुनाव कराने का दबाव पड़ा। जब श्रीमती राबड़ी देवी बिहार की मुख्य मंत्री थी, बिहार में पंचायत के चुनाव कराये गये और गांवों तो छूने वाले 33 विभाग, जिनमें प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, सहकारिता, पीने का पानी जैसे 33 विभागों का हस्तांतरण पंचायतों को किया गया। आज हम अच्छी तरह से जान रहे हैं कि उस चुनाव के बाद वर्तमान सरकार ने इस समय चुनाव कराये हैं। पंचायत चुनाव कराने के अलावा इस सरकार ने 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने में महारत हासिल करने का काम किया है। इसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं और साधुवाद करते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आपने क्या काम दिया है। जो अधिकार उन्हें पहले से मिला हुआ था, उस पर भी पंचायतों के अधिकार नहीं रहे। हमारे यहां लोग मुखिया पति कहते हैं। मुखिया को लोग नहीं खोजते बल्कि मुखिया के पति को खोजते हैं, उसे मुखिया पति कहते हैं और उनसे जो काम हमें लेना चाहिए, यानी उसे काम, अधिकार मिला ही नहीं है तो काम क्या लेंगे। हम माननीय पंचायत मंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों से पूछना चाहते हैं कि लोक सभा का जो चुनाव होता

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री रघुनाथ झा]

है, हम लोग चुनकर आते हैं तो क्या हमें माननीय प्रधान मंत्री जी का प्रिंसिपल सैक्रेटरी हटा देगा क्या? विधान सभा का चुनाव होता है, तो क्या मुख्य मंत्री का प्रिंसिपल सैक्रेटरी चुने हुए विधायक को हटा देगा। मुखिया चुना जाता है, प्रमुख चुना जाता है, उसे हटाने का अधिकार किसी अधिकारी को देना यह सर्वथा संविधान के प्रतिकूल बात है। सरपंच गलती करता है, मुखिया गलती करता है या प्रमुख गलती करता है तो आपके पास कानून की शक्ति है और आप उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं और जेल भेज सकते हैं। लेकिन जो संविधान में है, अब जैसे इंदिरा आवास का मकान बनाने का अधिकार उसे मिला है और अब वह अधिकार उससे छीना जा रहा है। हमारे साथी ने ठीक ही कहा है कि किसी को किसी से मतभेद होगा, हमें किसी से मतभेद होगा, हमारी इच्छा के खिलाफ वहां से मुखिया चुना जाएगा, सरपंच चुना जाएगा, प्रमुख चुना जाएगा। हम चाहे तो अपनी एप्लीकेशन उसके खिलाफ लिखकर दे देंगे। जांच बीडीओ से आप करवाएंगे और उसे कमिश्नर साहब डिसमिस कर देंगे। अगर एक तरीका होगा तो यह काम नहीं चलेगा। एक तो पंचायती राज को जो मॉडल कानून है, यह कानून सारे देश के सभी राज्यों को अपनाना चाहिए। मुनासिब बात यही है कि एक तरह का कानून सारे देश में हो। कहीं कुछ है और कहीं कुछ है। आज भी छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से पंचायती राज का काम पूरा नहीं किया जा रहा है। आप ही का इस सदन में जवाब है।

अब सवाल है कि पैसे आप भेज रहे हैं और हम यह देख रहे हैं कि चाहे पंचायत समिति हो चाहे जिला परिषद हो, हम अन्यथा किसी दुर्भावना से नहीं कह रहे हैं, पैसे का बंटवारा हो रहा है, काम का बंटवारा नहीं हो रहा है। पैसा, जैसे बीस लाख रुपया भेजा। अगर जिला परिषद के बीस सदस्य हैं तो एक-एक लाख रुपया दे दिया और कह दिया कि आप अपने-अपने क्षेत्र में काम करिए। एक लाख रुपये में क्या काम होगा? विकास क्या होगा और हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप पंचायत, प्रखंड और जिले की योजना समिति बनाएंगे, आप सभी स्तर पर मास्टर प्लान बनवाइए। जैसे-जैसे पैसा मिलता जाए, उस इलाके से उसका प्रतिनिधि खर्च तथा विकास का काम करे। अभी पैसे का बंटवारा हो रहा है और आप दो-चार जगह जांच करा दीजिएगा तो आपको इस बारे में अच्छी तरह से सब बातों की जानकारी मिल जाएगी। हम आपको बताना चाहते हैं कि आज राजकीय कोष को जो सुपुर्द करना था, जो पंचायतों को आपको राजकीय कोष देना है, आज तक नहीं मिला। पंचायतों की द्वितीय जवाबदेही क्या है, आज तक कोई नहीं जान रहा है। आज तक पंचायतों के कार्य-निष्पादन के लिए उनके प्रशिक्षण का काम नहीं हो पाया है। हमारे यहां पंचायती राज विधानों के साथ-साथ राज्य के लिए कानून का सामंजस्य क्या है, आपके पंचायती राज का कानून, आपके कानून का क्या तात्पर्य है, दोनों का सामंजस्य क्या है, यह नहीं हो पा रहा है और पंचायतों का अधिसूचित क्षेत्र तक विस्तार, अधिनियम का कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। ये सारे काम हैं जिनके बारे में करने के लिए जवाबदेही देनी चाहिए। लेकिन जवाबदेही नहीं दी गई है। बहुत जगह सरपंच को मुखिया कहते हैं। बिहार में हम लोग मुखिया कहते हैं और हमारे यहां न्याय प्रशासन है। न्याय प्रशासन का चुनाव हो गया और सिविल नेचर के केस को वे देखते हैं लेकिन उनका जो सब-लॉ, कानून बनना चाहिए, वह पटना हाईकोर्ट में अभी राज्य सरकार ने एक महीना पहले, वहां के सरपंचों ने मिलकर पटना हाइकोर्ट में अपना पीआईएल दायर किया और उसमें सरकार ने जवाब दिया जबकि अभी इसका कानून ही नहीं बना है। जैसा हमारे दूसरे साथियों ने कहा कि चाहे भारत सरकार फंडिंग करें या राज्य सरकार फंडिंग करे, पंचायत को स्टैंडिंग ऑर्डर देना चाहिये कि उसका अपना भवन होना चाहिये और न्याय प्रशासन के लिये स्थान होना चाहिये।

सभापति जी, स्वच्छता की बात कही गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली बार बिहार में बाढ़ के कारण 9 लाख लोगों के मकान गिर गये, उन्हें किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली। वे आज भी उसी गरीबी में बिना मकान के पड़े हुये हैं। अधिकतर लोग भूमिहीन, गरीब और दलित हैं जिन्हें देखने वाला कोई नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान में आंख मूंदकर पैसा जा रहा है जिसका उपयोग शिक्षक बहाली में हो रहा है लेकिन बिहार में वह भी नहीं हो रहा है। नियमानुसार जो पार्टिसिपेशन होना चाहिये, वह नहीं हो रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा गरीबों को अनाज दिया जाना चाहिये लेकिन यह मुखिया के अधिकार से बाहर है। जब तक बैठकर एक ठोस कार्यक्रम नहीं बनेगा, आपका पंचायती राज का यह सपना अधूरा रह जायेगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि नियम बनाकर पंचायत का चुनाव करायें जोकि समय पर होना चाहिये। हमारे कई साथियों ने कहा कि उन्हें इस बात पर कोई एतराज नहीं है। इस चुनाव में भी भ्रष्टाचार होता है। हम लोग अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। जिस प्रकार पार्लियामेंट या असैम्बली के सदस्य का चुनाव होता है, उसका चुनाव भी उसी तरह से हो। मुखिया का भी चुनाव होता है। सरपंच जनता द्वारा चुना जाता है लेकिन प्रमुख प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जायेगा। मैं चाहूंगा कि जिला परिषद् के प्रमुख का चुनाव डायरेक्ट होना चाहिये। वह शक्तिशाली होगा, जो पॉवर्स उसे देनी हैं, उसे दिलवाने का काम कीजिये। उसे मकान बनाने के लिये इंजीनियर्स चाहिये। हमारे एक साथी कह रहे थे कि केवल कुछ पैसे में एक शौचालय कैसे बनाया जा सकता है? जहां तक स्वास्थ्य

सुविधाओं का सवाल है, आज माताओं और बहनों को बाहर जाने के लिये मजबूर होना पड़ता है। ये सारी चीजें तभी संभव है जब आप उसमें सक्रिय सहयोग करें।

सभापति जी, राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्री से सरकार बात करे। हम लोगों ने देखा है कि कागज ही पर आम सभा का कार्य हो जाता है। एक सांसद को भी प्रतिनिधित्व देना चाहिये। पंचायत की आम सभा में एम.एल.ए. का प्रतिनिधि रहेगा लेकिन एक सांसद का नहीं होगा। हमारे यहां सम विकास योजना के लिये पैसा जाता है, सी.एम. सेतु बन रहा है, सड़क बन रही है, उसमें एक एम.एल.ए. को पूछा जाता है लेकिन एम.पी. को नहीं पूछा जाता। हम भी तो जन-प्रतिनिधि हैं। हम भी तो नाम दे सकते हैं, हमारे नाम को मत मानिये लेकिन हम लोगों का भी तो प्रतिनिधित्व होना चाहिये। हम उस इलाके से चुनकर आते हैं। हम भी 6 विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन हमें उसमें स्थान नहीं दिया जाता है। जो व्यक्ति एक विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि है, उसे स्थान दिया जा रहा है। जब भी आप पुल या सड़क बनायें, हमें भी प्रतिनिधित्व दीजिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहमपुर, पश्चिम बंगाल) : माननीय पंचायती राज मंत्री, श्री मणि शंकर अय्यर जी इस सभा में और हमारे देश की जनता के समक्ष काफी शोध करने के उपरांत तैयार किए गए दस्तावेज को रखने के लिए खूब प्रशंसा के पात्र हैं। यह एक व्यापक दस्तावेज है जिसे कुछ सप्ताह तक पढ़े जाने की आवश्यकता है। यह न केवल व्यापक है बल्कि विस्तृत और व्याख्यात्मक भी है।

तथापि, मैं इस महत्वपूर्ण वाद-विवाद में भाग लेना चाहता हूं जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। मैं संप्रग सरकार की अवश्य प्रशंसा करूंगा क्योंकि यह अबतक की सबसे पहली सरकार है जिसने हमारे देश के पंचायती राज संस्थाओं की देख-भाल करने हेतु पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना की।

महोदय, पंचायती राज हमारे देश की वर्षों पुरानी संस्था है। यह हमारी संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं से जुड़ी हुई है। तथापि, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने उन सभी ग्रामीण संस्थाओं को नष्ट कर दिया था जिन्हें पूर्व में पंचायत कहा जाता था। 'पंचायत' शब्द मूलत: स्थानीय स्तर के समुदाय के बीच विधि-व्यवस्था के प्रवर्तक प्राधिकार को निहित करता है और जो भारत में स्थानीय समुदाय की समस्याओं को दूर करने के समझौताकारी और यादृच्छिक अभिगम के रूप में काम करता है। हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, राष्ट्रीय नेतागण भारत में पंचायती राज प्रणाली की पुनर्स्थापना और इनको फिर से पुनर्जीवित करने पर विचार कर रहे थे। वर्ष 1931 में, करांची कांग्रेस के दौरान, कांग्रेस पार्टी ने सबसे निचले स्तर पर लोकतांत्रिक शासन प्रदान करने हेतु कुछ उपाय किए थे और बाद में वे कई कानूनों और संशोधनों को लागू किए जाने के पश्चात् सफल हुए थे। वर्ष 1959 में, राजस्थान राज्य के नागौर जिले ने पंडित जवाहर लाल नेहरु के नेतृत्व में पंचायती राज सम्मेलन का पहली बार आयोजन किया। परंतु पंचायती राज संस्थाओं में वास्तविक सुधारवादी परिवर्त्तन हमारे संविधान में 73वें एवं 74 संशोधन के पश्चात् हुए।

पंचायती राज संस्थानों का प्रमुख उद्देश्य सबसे निचले स्तर पर सत्ता का विकास करना है। 73वां संशोधन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कानून था जिसने विकेन्द्रीकृत शासन और इसकी योजना और विकास के युग का सूत्रपात किया। इसमें महिलाओं और हमारे समाज के उस वंचित वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है जिन्हें हमारे समाज के प्रभुत्व वाली सत्ता के द्वारा लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था से बाहर कर दिया गया था। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग थे जिन्हें अछूत समझा जाता था और जिन्हें हमारे देश के किसी भी प्रकार के लोकतांत्रिक शासन में भाग लेने से वंचित किया गया था। अतएव, 73वें संशोधन ने पहली बार हमारे समाज के उन वंचित और दलित वर्ग के अधिकारों को प्रतिष्ठापित किया और इससे भी महत्वपूर्ण हमारी जनसंख्या में 49 प्रतिशत हिस्सा रखने वाली महिला वर्ग की हमारे देश के लोकतांत्रिक शासन ने भागीदारी सुनिश्चित की।

इसपर गौर करना विस्मयकारी है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या 36 लाख से अधिक है और ये नगर पालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं में उत्तरदायित्व का पद धारण किए हुए हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि हमारे देश में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या नार्वे की पूरी जनसंख्या से भी अधिक है।

73वें संशोधन की प्रमुख विशेषता ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का गठन किया जाना था। ग्राम, प्रखंड एवं जिला स्तर पर एक समान त्रि-स्तरीय प्रणाली की व्यवस्था की गई थी जिसमें दो मिलियन से कम की जनसंख्या वाले स्थानों पर मध्य स्तर की संस्था का गठन नहीं किए जाने की छूट थी। सभी स्तरों पर सभी सदस्यों का सभी सीटों पर प्रत्यक्ष निर्वाचन करने की व्यवस्था थी। मध्यवर्ती एवं उच्चतम स्तरों पर अध्यक्षों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होना था। सबसे निचले स्तर पर निर्वाचन का तरीका राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया था और

[श्री अधीर चौधरी]

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जनसंख्या के अनुपात में चक्रानुक्रम आधार पर आरक्षण दिया गया था। पुनः, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के अध्यक्ष का पद भी महिलाओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित है। महिलाओं के लिए एक तिहाई से अधिक पद और कार्यालय रखे गए हैं। प्रत्येक चुनाव के लिए पांच वर्ष की अवधि रखी गई है।

महोदय, अधिनियम की 11वीं अनुसूचि के अनुसार आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय हेतु योजनाओं को तैयार करने और इनको क्रियान्वित करने के लिए राज्य द्वारा शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों के अंतरण को अच्छी तरह से शामिल किया गया है। आगे यह कहा गया है कि ग्यारहवीं अनुसूचि में 29 विषयों को शामिल किया जाना है। परंतु अभी भी, मेरे विचार से अधिकतर राज्य 29 विषयों की शक्तियों की नीचले स्तर पर अंतरित करने के प्रति या तो आनच्छुक हैं या उदासीन हैं। इस प्रकार, कागजों में तो हमारे यहां पंचायती राज संस्था थी परंतु वस्तुतः पंचायती राज संस्थाओं के मूल तत्व को लागू करने के लिए हमें लंबा रास्ता तय करना है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री का ध्यान एक महत्वपूर्ण मामले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं क्योंकि मै पश्चिम बंगाल राज्य का निवासी हूं। वहां राज्य सरकार द्वारा कानून के अंतर्गत ग्राम विकास समिति का गठन किया गया है।

महोदय, 73वें संशोधन में ग्राम सभा का पहले ही गठन किया गया था। पुनः, कानून में ग्राम विकास समिति का प्रस्ताव किया गया है। मेरे विचार से यह और कुछ नहीं बल्कि विद्यमान पंचायती राज प्रणाली को लादा जाना है। परंतु इस विधान में, ग्राम विकास पंचायत को योजना का प्रस्ताव करने का अधिकार है जो ग्राम सभा और पंचायतों के लिए बाध्यकारी है। इसका तात्पर्य यह है कि विचारक निकाय और कार्यपालिका निकाय के बीच विरोधाभास है। जैसा कि हम जानते हैं, ग्राम पंचायत को कार्यपालिका का अंग माना जाता है, परंतु ग्राम विकास समिति के नाम पर, कार्यपालिका निकाय की शक्तियां जानबूझ कर कम की गई है और मेरे विचार से यह पंचायती राज संस्था के मूल तत्व के विरुद्ध है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से केन्द्रीय विधान के मूल तत्व का ध्यान रखने का अनुरोध करता हूं ताकि यह राज्यों के लिए बाध्यकारी हो क्योंकि केन्द्रीय विधान में कई 'संभावनाएं' अंतर्ग्रस्त हैं। अब, राज्य सरकारों को केन्द्रीय विधान की गलत व्याख्या करने की छूट है। यदि इस खामियों को ठीक नहीं किया जाता है तो पंचायती राज संस्था के संबंध में माननीय मंत्री के अभिगम को साकार नहीं किया जा सकेगा। मेरे विचार से, हमें पंचायती राज प्रणाली के प्रति समग्र अभिगम अपनाना चाहिए।

*डा. टोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर) : सभापति महोदय, आज हम इस महान सभा में 'पंचायती राज संबंधी मध्यावधि समीक्षा और मूल्यांकन प्रतिवेदन 2006' के संबंध में बसुदेव आचार्य और श्रीमती सी.एस. सुजाता द्वारा उठाए गए विषय पर अति महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। महोदय, मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। आरंभ में मैं सच्चे मन से माननीय पंचायती राज मंत्री श्री मणि शंकर की प्रशंसा करना चाहूंगा जिन्होंने देश में पंचायती राज संस्थाओं की संरचना और कार्यकरण संबंधी विस्तृत प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया है और जो इस चर्चा में सहयोग भी कर रहे हैं। यह प्रतिवेदन निश्चय ही गत ढाई वर्षों में संप्रग सरकार के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली में की गई प्रगति को प्रतिबिंबित करता है। प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह, संप्रग अध्यक्षा महोदया सोनिया गांधी और पंचायती राज मंत्री श्री मणि शंकर के कुशल नेतृत्व में देश में पंचायती राज आंदोलन निरंतर प्रगति कर रहा है।

माननीय मंत्री श्री मणि शंकर हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के घनिष्ठ मित्र रहे हैं जिनका इरादा व्यक्ति को ग्राम स्तर पर प्रत्यायोजित करके देश में पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करना था। तदनुसार पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने के लिए संविधान में संशोधन किए गए थे।

महोदय, भारत गांवों का देश है और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का विश्वास था कि भारत का विकास तभी होगा जब गांवों का विकास किया जाए। 73वें और 74वें संशोधनों ने स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों को और अधिकार दिए हैं। हमने स्थानीय निकायों और पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण ही नहीं किया है परंतु बल्कि हमने स्थानीय और ग्राम स्तर पर निर्णय लेने में महिलाओं की अधिक भागीदारी भी सुनिश्चित की है जिससे सचमुच हमारा लोकतंत्र सशक्त बनेगा।

राजाओं, महाराजाओं और ब्रिटिश राज के काल में बहुत अधिक कठिन समय का अनुभव करने के बावजूद हमारा देश महान लोकतांत्रिक देश है। अब 50 वर्षों से हमारे यहां निर्वाचित प्रतिनिधि और निर्वाचित सरकार है। वास्तव में, हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तथापि, बुनियादी शिक्षा के अभाव के कारण ग्राम और पंचायत स्तर पर स्थानीय

*मूलतः मणिपुरी में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

प्रतिनिधियों का निर्वाचन एक प्रमुख अड़चन है। शिक्षित व्यक्तियों की संख्या अब तक बहुत कम है। हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को जमीनी स्तर पर व्यापक और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है ताकि हमें सुपात्र और शिक्षित प्रतिनिधि मिलें।

ग्राम और ग्राम पंचायत स्तर पर प्रधानों को प्रत्यक्ष निर्वाचित किया जाता है और यह वास्तव में अच्छी बात है। जिला परिषद के अध्यक्ष को निर्वाचित प्रतिनिधियों में से चुना जाता है। यहां अध्यक्ष के विरुद्ध बारंबार अविश्वास प्रस्ताव के कारण व्यावहारिक कठिनाई है। फलस्वरूप, अध्यक्ष को समय-समय पर बदला जाता है और इस प्रकार यह प्रशासन को चलाने में एक बड़ी बाधा बना हुआ है। यदि हम प्रधान की तरह अध्यक्ष का प्रत्यक्ष निर्वाचन करा सकें तो यह इस प्रणाली में स्थिरता लाने के लिए बहुत बेहतर होगा।

हमारे स्थानीय निकायों और पंचायतों में महिला आरक्षण से निसंदेह अनुकूल परिणाम मिल रहे हैं। परंतु जमीनी स्तर पर हमारी प्रासंगिक समस्या है। महिला प्रतिनिधियों के परिवार के सदस्य सामान्यत: स्थानीय निकायों के कार्यकरण में हस्तक्षेप करते हैं। महिला प्रतिनिधियों के पति या परिवार के सदस्य परोक्ष रूप में शक्ति का प्रयोग करते हैं। यह खतरनाक प्रवृत्ति है। हमें इस प्रवृत्ति को रोकना होगा। महिला प्रतिनिधियों के परिवार के सदस्यों द्वारा उनके अधिकार और कार्यों का दुरूपयोग नहीं किया जाना चाहिए। हमें इस संबंध में कुछ करना होगा।

मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि हमारे प्रधानों और स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों को बहुत कम मानदेय मिल रहा है। मंत्री जी से मेरी विनती है कि इन्हें सांसदों और विधायकों की तरह सम्मानजनक वेतन दिया जाना चाहिए। इससे निश्चय ही हमारी पंचायती राज प्रणाली मजबूत होगी।

महोदय, हमारे देश में एक जीवंत बहु-दलीय लोकतंत्र है और हमें दलीय आधार पर प्रधानों जिला अध्यक्षों के चुनाव कराने को प्रोत्साहन देना चाहिए। यही मेरा सुझाव है।

माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस प्रतिवेदन से हमें पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं की संरचना और कार्यकरण के बारे में पता चलता है। महोदय, मेरे मणिपुर राज्य में तीनस्तरीय प्रणाली के बजाय दो-स्तरीय प्रणाली है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार हमारा राज्य बीस लाख की जनसंख्या पार कर चुका है और हम तीन-स्तरीय प्रणाली के हकदार हैं। माननीय मंत्री श्री मणि शंकर जी ने हाल ही में मणिपुर की यात्रा के दौरान घोषणा की थी कि दो-स्तरीय प्रणाली को तीन-स्तरीय प्रणाली में बदला जाएगा। मुझे पक्का विश्वास है कि माननीय मंत्री जी निश्चित रूप से अपने आश्वासन को निभाएंगे। मैं स्वयं अपनी ओर से तथा अपने राज्य की ओर से पंचायती राज संस्थाओं में सुधार करने के लिए पंचायती और ग्रामीण प्रतिनिधियों के साथ रचनात्मक बातचीत करने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री भी भविष्य में भी ऐसा ही सहयोग देते रहेंगे और हमें प्रोत्साहित करते रहेंगे।

महोदय, पूरे देश में पंचायती राज प्रणाली के कार्यकरण संबंधी विस्तृत मध्यावधि समीक्षा और मूल्यांकन प्रतिवेदन सचमुच प्रशंसनीय है। इस चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपको पुन: धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया समय सीमा का ध्यान रखें। आपका समय 5 मिनट है।

श्री राम कृपाल यादव : मैं तुरंत अपनी बात बताऊंगा। मगर साथ ही साथ मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, बसुदेव आचार्य जी का, कि जिन्होंने चर्चा का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया, जिसमें हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं। पंचायती राज, जिस पर लगातार कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, इसके संदर्भ में आज विशेष गहरी रुचि लेकर माननीय सदस्यों ने चर्चा की। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस कमिटमेंट के साथ हैं कि पंचायती राज व्यवस्था की जो सोच हमारे पूज्य महात्मा गांधी जी की थी, जो सोच हमारे राजीव जी की थी, उस सोच को पंचायती राज के माध्यम से सरजमीं पर लाना चाहते हैं। निश्चित तौर पर बहुत सारे प्रयास भी इसके लिए किये जा रहे हैं।

इसके लिए प्रयास हुए हैं, मगर मैं समझता हूं कि इतने सारे प्रयासों के बाद भी, पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत पंचायती राज विभाग था, लेकिन जब यह एहसास किया गया, जब शक्ति प्रदान की गई और संविधान में एक नया संशोधन कर दिया गया तो मैं समझता हूं कि यह विभाग भी अलग हुआ। विभाग इसलिए अलग हुआ, क्योंकि कारगर ढंग से विशेष तौर पर जो पंचायती राज की जो हमारे नेताओं का सपना है, वह सपना पंचायती राज के माध्यम

[श्री राम कृपाल यादव]

से गांव और गरीब तक पहुंचे, लेकिन मैं समझता हूं कि वे कारगर कदम इतने सालों के प्रयास के बाद भी निचले स्तर पर नहीं उठाये जा रहे हैं, जिसकी वजह से पंचायती राज की जो परिकल्पना सरजमीं पर आये और गांव के गरीब और गांव के जो आम लोग हैं, उनको उसका फायदा पहुंचे।

इसमें कई तरह की खामियों की चर्चा की गई। मैं भी कुछ खामियों की चर्चा करूंगा और माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा ताकि उन खामियों को दूर करके पंचायती राज की जो परिकल्पना यू.पी.ए. सरकार में है और आपकी है, उसमें आप कारगर कदम उठाकर उस तक पहुंचाने का काम करें। यू.पी.ए. सरकार ने जो कदम उठाये हैं, उसमें पंचायती राज विकास के लिए अलग से 3835 सौ करोड़ रुपये के लगभग राशि आबंटित की गई है, लेकिन इतनी सारी राशि आबंटित करने के बाद भी जब हम सरजमीं पर देखते हैं तो स्थिति कुछ स्पष्ट नहीं हो पाती है। आज भी आप गांव के गरीब आदमी के यहां चले जाइये, आज भी जबकि बहुत बड़े पैमाने पर इतनी राशि देने के बावजूद भी विकास से वे लोग वंचित हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कई तरह की कमियां हैं। जो पंचायती राज व्यवस्था है, उसमें अधिकारी पावर्स को तिकड़मित कर लेते हैं या जो व्यवस्था है, जो चुने हुए पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से भी कमियां की जाती हैं। आम लोग, जिनको लाभ पहुंचाना है, वह उन तक नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए सही ढंग से उनका विकास नहीं हो पा रहा है। नियम कानून बन जाए और नियम कानून सरजमीं पर नहीं आए और सिर्फ कागजों तक रहे, तो मैं समझता हूं कि सही मायने में जो सपना है वह साकार नहीं हो पा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन सपनों को साकार कीजिए, जो गांधी जी ने देखा था, जो राजीव गांधी जी ने देखा और उसके तहत संविधान व्यापक संशोधन हुआ था। आज बड़े पैमाने पर चुनाव हो रहे हैं। मैं अपने राज्य की भी बात करूंगा, मगर उन चुनाव का कई माननीय सदस्यों ने जो बिहार से हैं, चर्चा करने का काम किया और मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। आप एक नीति निर्देशित करने का काम करें। जो कानून आपने बनाया है, उसे राज्य सरकार सही ढंग से पालन करे, उस पर नियंत्रण करने का काम करिए। किसी राज्य में कुछ कानून और किसी राज्य में कुछ कानून है। जो चुने हुए पंचायत के मुखिया या सरपंच हैं, वे आम सभा नहीं करते हैं। आम सभा के माध्यम से योजनाओं का चयन करना है। मैं समझता हूं कि आम सभा नहीं होती है, सिर्फ कागज पर हो जाती है। ये बहुत सारी कमियां हैं। यहां बहुत से माननीय सदस्यों ने इन खामियों की चर्चा की है। इन कमियों को दूर करने का आप काम करिए। मैं समझता हूं कि जब तक गांवों का विकास नहीं होगा, हमारी आबादी के पचहत्तर प्रतिशत से अधिक लोग गांवों पर निर्भर करते हैं। गांवों के लिए हर पालिटिकल पार्टी के लोग और हर व्यक्ति जो समाज सेवा कर रहे हैं या जनप्रतिनिधि हैं, वह इस कमिटमेंट के साथ गया है कि हम गांवों का विकास करेंगे, पर मैं समझता हूं कि इस मामले में सिर्फ बोलने की बात होती है, काम करने की बात जब आती है, तब हम पीछे रह जाते हैं। आजादी के अट्ठावन साल के बाद भी गांवों का विकास नहीं हो रहा है। गांव में सड़कें नहीं हैं, गांवों में चापाकल नहीं हैं, गांव में शौच की व्यवस्था नहीं है, गलियों में व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप ठोस कारगर कदम उठाएं, एक सख्त कानून बनाएं और इस कानून का पालन करायें। पंचायती राज के माध्यम से गांव स्वराज की बात जैसा कि गांधी जी ने कही थी, गांव का स्वराज जब तक नहीं मिलेगा, जब तक कि पंचायती राज व्यवस्था को सरजमीं पर उतारने का काम नहीं करेंगे। विकास की धारा आगे नहीं बह पायेगी। यही पंचायती राज व्यवस्था है, जिसके माध्यम से आप गांव के गरीब लोगों को न्याय भी दिलवा सकते हैं। गांवों के गरीब लोगों को और गांवों के विकास के लिए भी आप पूरी तौर पर भूमिका अदा करके, गांव और देश का विकास कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि जब तक गांवों का विकास नहीं होगा, देश के विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। गांव के लोग जब तक दुखी रहेंगे, गांवों में अशिक्षा रहेगी, गांवों के माध्यम से आपने पंचायती राज के व्यवस्था की है, टीचरों को आपने नियंत्रण करने का अधिकार दिया है। कई गांवों में स्कूलों में टीचर नहीं आ रहे हैं, बड़े पैमाने पर वहां टीचर गायब हैं। आपने वहां के मुखिया के रिपोर्ट करने की जो शक्ति प्रदत्त की है, वहां वह मुखिया रिपोर्ट करता है, पर कोई कार्यवाही नहीं होती। आप पूरे तौर पर उसको शक्ति दीजिए और पंचायतों को अधिकार दीजिए। आपने स्वास्थ्य सेवा, पानी, चापाकल की भी व्यवस्था पंचायती राज में की है। करीब एक सौ पचास ऐसे बिंदु हैं। पिछले दिनों आपने ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से आपने मंत्रियों का सम्मेलन कराया था और उसमें आपने डिस्कशन किया था। उस डिस्कशन में एक सौ पचास बिंदुओं को टच करने का आपने काम किया। अगर इन बिंदुओं को आप सही रूप से सरजमीं पर उतार देंगे और छोटी-छोटी समस्याओं का निदान का अधिकार भी पंचायती राज को है तो मैं समझता हूं कि सही मायने में आप गांव स्वराज की जो कल्पना गांधी जी ने देखी थी, राजीव गांधी जी ने देखी थी, वह स्वराज आ पाएगा। मैं समझता हूं कि आगे गांव की तरक्की होगी।

इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रदर्शित करता हूं।

इस विश्वास के साथ कि माननीय मंत्री जी इस चर्चा के बाद निश्चित तौर पर एक ठोस कदम उठाएंगे और ठोस प्रयास करेंगे, ताकि गांवों की जो पचहत्तर प्रतिशत आबादी है, वह खुशहाल हो सके और उसकी समस्याओं का समाधान हो सके।

श्री बापू हरी चौरे (धुले) : सभपति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। राजीव जी इस सदन में इस विषय पर बहुत चिन्तित रहते थे कि केन्द्र की तरफ से ग्रामीण विकास के लिए जो फंड दिया जाता है, उसका सिर्फ 15 प्रतिशत फंड ही वहां तक पहुंच पाता है। इस कमी को दूर करने के लिए और महात्मा गांधी जी का सपना पूरा करने के लिए राजीव जी की जो सोच थी, उसे पूरा करने के लिए संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के जरिए पंचायती राज विधेयक को दुरुस्त किया गया। उसमें जो सुधार किए गए हैं, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस मायने में, 1992 से जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से गांवों के विकास के लिए सही मायने में पैसे दिए गए। पहले गांवों के लागों को दीया-बत्ती के लिए भी पैसे नहीं मिलते थे, मगर इस योजना के माध्यम से गांवों के विकास के छोटे-छोटे कामों के लिए भी पैसे दिए जाने लगे। बाद में ग्राम सभा के माध्यम से गांवों के मुखिया को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए गए। आज गांवों के सब प्लान ग्राम सभा के माध्यम से निष्पादित किए जाते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है।

मैं आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा कहना है कि सरकार के 33 विभागों को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। उनके जरिए इम्प्लीमैंटेशन का काम ग्राम पंचायतों के माध्यम से, ग्राम सभा में विचार-विमर्श करके किया जाता है और पूरा किया जाता है। मगर ट्राइबल सब-प्लान का जो एरिया है, उसके लिए मैं सरकार का आभार मानता हूं। उसके लिए पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम 1996 बनाया गया। उसमें आदिवासियों को विशेष तौर पर अधिकार दिए गए - चाहे जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो या गांव पंचायत हो, पंचायती राज विधेयक त्रिस्तरीय इम्प्लीमैंट होता है - जिला पंचायत, ताल्लुका पंचायत और गांव पंचायत। गांव पंचायतों के अंतर्गत ट्राइबल सब-प्लान के एरिया में जो विलेज आते हैं, वहां की ग्राम पंचायत का सरपंच चाहे कोई भी हो, उसे विशेष अधिकार दिए गए हैं कि चेयरपर्सन शैडयूल्ड ट्राइब्स का ही हो। उसे सब प्लान बनाने के अधिकार दिए गए हैं। महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं, लेकिन यह चिन्ता की बात है कि ट्राइबल सब-प्लान के अंदर ट्राइबल्स के विकास के लिए केन्द्र सरकार में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है। उसकी तरफ से धारा 275(1) के तहत कुछ फंड स्पैशल सैंट्रल असिस्टैंस के माध्यम से राज्यों को दिया जाता है। धारा 275(1) ट्राइबल सब-प्लान के माध्यम से कुछ फंड जिला नियोजन विकास परिषद को दिया जाता है। उसके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट के जो भी प्लान हैं, ट्राइबल एरिया में हरेक हैड्स ऑफ डिपार्टमैंट को वह पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसका इम्प्लीमैंटेशन गांवों के स्तर पर किया जाता है। जो ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमैंट स्टेट लेवल पर है, हमारे महाराष्ट्र में ट्राइबल डैवलमैंट डिपार्टमैंट की तरफ से मानव विकास के लिए व्यक्तिगत लाभ के तौर पर, मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि विद्युत पंप सेट, इंजन आदि खरीदने के लिए आदिवासी कृषकों को शत-प्रतिशत सबसिडी देकर ऐसी कुछ स्कीम्स हैं जो सौ प्रतिशत सबसिडी से ट्राइबल सब-प्लान में से दी जाती हैं, इंदिरा आवास में पैसे दिए जाते हैं। ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमैंट की तरफ से गैस सिलैंडर देने की बात करते हैं, घर दिए जाते हैं, ऐसे 37 आइटम्स हैं जो ट्राईबल अफेयर्स डिपार्टमैंट की तरफ से इनडिवीजुअल व्यक्ति के विकास के स्तर को ऊपर लाने के लिए दिए जाते हैं। मगर ये सभी स्कीमें ठीक ढंग से इम्प्लीमैंट होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां जो नैशनल शैड्यूल ट्राइब्स डेवलपमैंट फाइनैंस कार्पोरेशन है, उसकी तरफ से लोगों को ट्रक टैम्पो, आटो दिये जाते हैं। ऐसे जो इंडीविजुअल बेनीफिशरीज हैं, उनका चुनाव आफिसर्स करते हैं। ये सब चिंता करने की बात है। उन आफिसर्स को क्या मालमू है कि सही मायने में किस गरीब आदमी को लाभ मिला है?

महाराष्ट्र में ट्राईबल्स अफेयर्स डिपार्टमैंट, सभी ट्राइबल एडीशनल कमीशनर प्रौजेक्ट आफिसर्स एंड लिटीगेटिव ट्राईबल डेवलपमैंट प्रौजेक्ट आदि ये सभी लोग लाभार्थियों की लिस्ट चुनते हैं। पहले पंचायत एक्सटैंशन टू दी शैड्यूल एरिया एक्ट 1996 बना जिसमें ग्राम सभा को लाभार्थियों को चुनने का पूरी तरह से अधिकार दिया गया था। मैं आपसे विनती करता हूं कि यहां से आदेश हो, कि वहां पर ट्राईबल डेवलपमैंट डिपार्टमैंट की जितनी भी स्कीम्स इम्प्लीमैंट होती हैं, उनके लाभार्थियों की लिस्ट ग्राम सभा और पंचायत समिति के माध्यम से ट्राईबल डिपार्टमैंट को जाये और वहां से फंड्स का आवंटन किया जाये।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप कन्कलूड कीजिए।

श्री बापू हरी चौरे : सभापति महोदय, मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन आपने मुझे बैठने का इशारा किया है। मैं केवल एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। इम्प्लायमैंट गारंटी बिल के माध्यम से जिन गरीब मजदूरों को काम देने के लिए पैसा दिया जाता है, उसका 50 टका पैसा ग्राम पंचायत को दिया जाता है। मेरे जिले में यहां से 28 करोड़ रुपये दिये गये हैं जिसमें से 14 करोड़ रुपये डायरेक्ट ग्राम पंचायत को गये। हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आज भी

[श्री बापू हरी चौर]

बिचौलिये वहां काम करते हैं। अब बीच में बिचौलिये न आये, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

मैं कहना चाहता हूं कि सम्पूर्ण ग्रामीण विकास के अंतर्गत जिला परिषद की तरफ से जो भी स्कीमें इम्प्लीमैंट की जाती हैं, उसमें अनाज भी शामिल है। मेरे जिले में दो साल से अभी तक अनाज नहीं दिया गया है। वहां अनाज देना बाकी है। इस परिस्थिति में वहां के बारे में भी विचार करना चाहिए। इम्प्लायमैंट गारंटी स्कीम के अंतर्गत जिन प्रखंडों को फंड्स दिये जाते हैं, उनके बारे में विचार करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहता हूं कि हरेक गांव में पेयजल मुहैया कराने के लिए एक समिति नियुक्त की गयी है। गांव में पेयजल की जो योजना बनायी जाती है, उसमें समिति के चेयरमैन, सेक्रेटरी होते हैं। उनके द्वारा वह स्कीम बनायी जाती है। मगर मुझे देखने में यह आया है कि सही मायने में पंचायतों को पैसा एलाट किया जाता है, लेकिन वहां बिचौलिये काम करते हैं। बिचौलियों का काम करने का सिलसिला आज भी जारी है। इस बारे में राजीव जी ने चिन्ता व्यक्त की थी। इन बिचौलियों को हटाने के लिए पंचायत राज विधेयक में प्रावधान किया गया है। लेकिन आज भी वहां से बिचौलिये हटे नहीं है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि वह इस बारे में विचार करके कोई व्यवस्था करे।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : सभापति महोदय, मेरा बोलने का कोई इरादा नहीं था। चूंकि इस विषय पर मुझे बोलने को कहा गया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

पंचायत का गठन, एक प्रकार से मेरे सार्वजनिक जीवन का निर्माण ही है। 1953 में मुझे पंचायत का अध्यक्ष चुना गया था। 15 अगस्त 1953 को व्यस्क मताधिकार के आधार पर पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद मैंने कार्यभार संभाला। उस समय केरल राज्य नहीं था। उसके पश्चात् केरल राज्य का गठन हुआ। मैं पंचायत का अध्यक्ष बना रहा। देश में पंचायती राज संस्थाओं के विकास के संबंध में, मैं बहुत से आयोगों के समक्ष उपस्थित हो चुका हूं। सर्वप्रथम, मैं श्री आर.के. सिदवा आयोग के समक्ष उपस्थित हुआ था। श्री सिदवा की एक स्थानीय वित्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। मैं उनके समक्ष अध्यक्ष के रूप में उपस्थित हुआ और मैंने त्रावनकोर कोचिन राज्य में पंचायत का प्रतिनिधित्व भी किया। तत्पश्चात्, डा. जोन मथाई की स्थानीय वित्त जांच आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मैं वहां भी उपस्थित हुआ और साक्ष्य दिया।

सायं 6.00 बजे

देश में पंचायती राज के विकास के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्रत्येक पंचायत को एक पृथक अथवा आय अथवा ब्याज का एक भाग देना।

अब पहला सुझाव यह है कि केन्द्र सरकार को पंचायत से लिए जाने वाले आय कर को बरकरार रखना चाहिए। इसे पंचायत हेतु अलग रखा जाना चाहिए। पंचायत के भीतर क्षेत्रों से आप जो बिक्री कर तथा अन्य कर वसूल रहे हैं, उन्हें पंचायत के कार्यकरण के विकास हेतु अलग रखा जाना चाहिए। इस बारे में प्रयास भी किया जा चुका है।

अंत में एक अन्य आयोग था – न्यायमूर्ति वर्मा आयोग उसने भी साक्ष्य लिए और कतिपय निष्कर्षों तक पहुंचा। अब, कुल परिणाम यह निकला कि पंचायतें बहुत अधिक शक्ति के बिना चलती रहीं। हम सभी जानते हैं कि संविधान में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में एक प्रावधान यह है कि राज्य को राज्य में पंचायतों के गठन का प्रयास करना चाहिए। किसी सांविधिक प्रावधान द्वारा ऐसा नहीं या केवल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कहा गया है कि राज्य को राज्य में पंचायतों के गठन का प्रयास करना चाहिए। इसके कारण ही पंचायतों के गठन में इतनी कठिनाई आई है।

अब, मैं बताना चाहूंगा कि मैं दशकों तक पंचायत का अध्यक्ष बना रहा क्योंकि उन दिनों में चुनाव नहीं कराए जाते थे। संविधान में पंचायतों के चुनाव का कोई प्रावधान नहीं है।

सभापति महोदय : एक मिनट। अब शाम के 6 बज चुके हैं। माननीय सदस्यों, इस समय 6 बज चुके हैं इसलिए अगर सदन की सहमति हो तो सदन का समय मंत्री जी के जवाब देने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री प्रबोध पाण्डा : महोदय, मेरा निवेदन है कि यह चर्चा आज पूरी की जा सकती है परंतु मंत्री महोदय कल इसका उत्तर दे सकते हैं।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय खान्डिक) : नहीं...*(व्यवधान)*

श्री प्रबोध पाण्डा : कृपया सभा में उपस्थिति देखिए। यह बहुत कम है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए, मेरा अनुरोध है कि उत्तर कल दिया जा सकता है...*(व्यवधान)*

कई माननीय सदस्य : हां, उत्तर कल दिया जा सकता है... *(व्यवधान)*

श्री विजय हान्डिक : कल हमें दूसरे महत्वपूर्ण कार्य करने हैं और हमारे पास समय पहले ही कम है। इसलिए उत्तर, आज ही दिया जा सकता है...*(व्यवधान)*

श्री प्रबोध पाण्डा : और तो और गणपूर्ति भी नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट) : केवल यही नहीं, यह बहुत ही गंभीर मामला है। माननीय मंत्री महोदय कल इसका उत्तर दे सकते हैं जब सदन में पूरी उपस्थिति होगी...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाइए। माननीय मंत्री महोदय की बात सुनिए।

[हिन्दी]

पंचायती राज मंत्री, क्या आप कल जवाब देने के लिए तैयार हैं? अगर आप कल के लिए तैयार हों तो इसे कल कर दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मैं तो सभा का सेवक हूं, यदि आप का निदेश होगा तो मैं कल उत्तर दे दूंगा। यदि आप मुझे आज उत्तर देने का निदेश दें तो मैं आज उत्तर दूंगा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : सदन की क्या सहमति है?

[अनुवाद]

कई माननीय सदस्य : इस वाद-विवाद का उत्तर कल दिया जा सकता है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस वाद-विवाद का उत्तर कल दिया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर पूरी सभा चिंतित है, प्रैस चिंतित है और पूरा देश चिंतित है...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, माननीय मंत्री महोदय का उत्तर कल होने दीजिए...*(व्यवधान)*

श्री विजय हान्डिक : महोदय, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, हमारे पास समय पहले ही बहुत कम है। हमें कई कार्य करने हैं। उत्तर आज ही देने दीजिए...*(व्यवधान)* मुझे लगता है कि वाद-विवाद का उत्तर देने में माननीय मंत्री महोदय को एक घंटे से अधिक समय लगेगा। इसलिए कल ऐसा करने में बहुत कठिनाई होगी ...*(व्यवधान)*

श्री प्रबोध पाण्डा : आज गणपूर्ति भी नहीं है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सभा की भावना को समझना चाहिए। सदन की क्या सहमति है?

श्री प्रबोध पाण्डा : सभा की भावना यही है कि माननीय मंत्री महोदय को इस वाद-विवाद का उत्तर कल देना चाहिए... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है। हम चर्चा आज समाप्त करेंगे और उत्तर कल दिया जाएगा।

श्री विजय हान्डिक : कल हमें रेलवे की अनुदान की अनुपूरक मांगें भी लेनी हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप यह किसी और दिन भी कर सकते हैं। मैंने आपको विकल्प दिया हुआ है।

श्री राधाकृष्णन आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रेवती रमण सिंह : सभापति महोदय, कृपया पार्लियामैंटरी अफेयर्स मिनिस्टर को यह कह दीजिए कि जहां रूलिंग बैंचेज को देख लें। एनडीए ने तो वाक-आउट किया है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रेवती रमण सिंह जी, आप सीनियर मेम्बर हैं, आप समझ सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण विषय है।

[अनुवाद]

श्री राधाकृष्णन, कृपया अपना भाषण समाप्त करने का प्रयास करें।

श्री वरकला राधाकृष्णन : पंचायतों को प्रशासन की एक इकाई के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियां नहीं दी गई थीं। राज्यों में बनाए गए कानूनों में भी पंचायतों की शक्तियां नहीं दी गई हैं।

मुझे याद है कि जब मैं पंचायत अध्यक्ष था तो कार्यालय चलाने के लिए भी शक्तियां पर्याप्त नहीं थीं क्योंकि राज्य पंचायतों की शक्तियां तथा वित्तीय स्वतंत्रता देने में कोई रुचि नहीं लेता था। अध्यक्ष को कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाता था। उसे अपनी पंचायत से दूसरे स्थान तक की यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाता था। हमें अपनी जेब से खर्च करना पड़ता था और बिना यात्रा भत्ता (टी.ए.) प्राप्त किए राज्य की राजधानी जाना पड़ता था। अत: उन दिनों, पंचायतों की इतनी खराब स्थिति थी।

मैं वहां कार्य कर चुका हूं। पंचायतों का मुख्य कार्य होता था गांवों की सफाई की स्थिति को बना कर रखना। पंचायतें यह कार्य बहुत अच्छे तरीके से करती थीं। इस तथ्य के बावजूद कि पंचायत का अध्यक्ष जबरदस्त मुकाबले के बाद चुना जाता था, वह केवल अनुरोध करने वाला प्राधिकारी होता था। मुझे एक ग्राम विशेष की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संबंधित मंत्रालय अथवा संबंधित सरकारी अधिकारी को याचिकाएं देनी पड़ी थीं। स्थिति बहुत शोचनीय थी।

चुनावों के बारे में कोई निश्चितता नहीं थी। जब एक राज्य विशेष में सत्तारूढ़ दल चुनाव लड़ने के पक्ष में होता था, तो तभी स्थानीय चुनाव होते थे। अन्यथा, यदि राजनीतिक स्थिति अनुकूल नहीं होती थी, तो सत्तारूढ़ दल चुनाव नहीं कराता था। अतएव, कुछ हद तक पंचायत अध्यक्ष एक चौथाई शतक तक बने रहे।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री वरकला राधाकृष्णन : यह परिस्थिति थी। अब प्रत्येक व्यक्ति जो स्थानीय शासन के प्रति चिंतित थे, ने पंचायतों को और ज्यादा शक्तियां देने की आवश्यकता महसूस की, तथ इसपर सहमति हुई। सौभाग्यवश, श्री राजीव गांधी ने पहल की फलस्वरूप अभी हमारे पास तीन-स्तरीय पंचायत प्रणाली है।

सायं 6.07 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

अतएव, अपने अनुभवों से, मैं निवेदन करता हूं कि पंचायतों को और ज्यादा शक्तियां दी जायें। यह एक तथ्य है कि कोई सरकार सत्ता में आए तथा वह पिछली सरकार द्वारा पंचायतों को दी गई शक्तियां वापस ले लें। उदाहरण के तौर पर, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास के मामले में पंचायतों को शक्तियां दी गई थीं। बाद में, सरकार ने खुद पहल की तथा पंचायतों को दी गई शक्तियां वापस ले लीं। अतएव, इन सभी पहलुओं के मद्देनजर, पंचायत प्रशासन में राजनीतिक स्वार्थ आड़े नहीं आने देने चाहिए। यह हमारा कटु अनुभव है।

इस परिस्थिति की पुनरावृत्ति रोकने के लिए, मैं सुझाव दूंगा कि कुछ विधान अवश्य बनाए जाने चाहिए। पंचायतों को शक्तियां अवश्य प्रदान की जानी चाहिए। यदि सरकार कतिपय गतिविधियों में संलग्न होती है तो क्या स्थिति होगी? हमारे पास जनता के लिए कार्यक्रम था लेकिन यह ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा था। राज्य सरकार पंचायतों को शक्तियां प्रदान करने के लिए तैयार नहीं थी। अत: पंचायत कार्य नहीं कर सके। अतएव, पंचायतों का कार्य करने का सुस्पष्ट आधार होना चाहिए।

मेरे विचार से उन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया है यद्यपि यह एक विस्तृत विषय है...*(व्यवधान)* विषय काफी विस्तृत है। मैं श्री मणि शंकर अय्यर को पूरी परिस्थिति की पुनरीक्षा करने तथा ठोस प्रस्ताव देने के लिए बधाई देता हूं। उनका कार्य राष्ट्र के पंचायत के विकास के इतिहास में एक प्रशंसनीय कार्य माना जाएगा। श्री मणि शंकर अय्यर को उनके पंचायत प्रशासन के प्रति कठिन कार्य तथा प्रतिबद्ध दृष्टिकोण के लिए लंबे समय तक जाना जाएगा। यद्यपि उनका दूसरा प्रभार जल्दबाजी में लिया गया तथा उन्हें इस मंत्रालय में लाया गया, उन्होंने काफी प्रशंसनीय कार्य किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं उनकी प्रशंसा करता हूं तथा उन्हें प्रोत्साहन देता हूं। मैं उन्हें देश में पंचायती राज संस्था के विकास के लिए यह कठिन बीड़ा उठाने के लिए याद करूंगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री एल. राजगोपाल अपना भाषण देंगे। कृपया संक्षेप में कहें क्योंकि हमारे पास तीन और व्यक्ति बोलने वाले हैं।

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाड़ा) : मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं। मैं

काफी संक्षेप में बोलूंगा तथा मैं पांच मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा और उससे ज्यादा समय नहीं लूंगा।

मैं यहां पर महात्मा गांधीजी के शब्दों को याद करूंगा—यदि स्वतंत्रता के पात्र व्यक्तियों के सामूहिक संदार द्वारा स्वतंत्रता की कीमत चुकाई जाएं तो स्वतंत्रता के उद्देश्य का मखौल बन जाता है। महात्माजी लोगों की सरकार चाहते थे। इसलिए हमने प्रजांतत्र चुना जिसमें हमारे पास विभिन्न प्रकार की राजनीतिक प्रणाली है तथा शासन के विभिन्न स्वरूप हैं। हमारे पास पंचायत हैं—माध्यमिक स्तर के पंचायत तथा जिला स्तर के पंचायत हैं तथा हमारे पास राज्य तथा केन्द्र सरकार हैं। इन सभी प्रकार की शासन के पास कार्य करने की शक्तियां होनी चाहिएं ताकि प्रशासन की सुविधा घर-घर तक पहुंचे और यही कारण है कि हमने कहा कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए होता है। लेकिन आगे चलकर इसमें परिवर्तन हो गया। 'जनता के द्वारा', 'जनता को खरीद कर', 'जनता के लिए', 'जनता से दूर' तथा 'जनता का', 'जनता के बिना' हो गया। अतएव, हम लोगों से दूर जाते रहे हैं तथा महात्मा गांधी का सपना पूरा नहीं हो पाया है।

वह समय था जब हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने महसूस किया कि हमारे 85 प्रतिशत संसाधन बर्बाद हो जाते है; वास्तव में, 85 प्रतिशत प्रशासनिक लागत के रूप में खर्च किया जाता है तथा केवल 15 प्रतिशत ही गांव के लोगों तक पहुंच पाता है। तत्पश्चात् उन्होंने वह कहा जो वास्तविक समस्या थी। उन्होंने कहा—हमें विकेन्द्रीकरण करने की आवश्यकता है ताकि शक्तियां प्रत्यायोजित की जा सकें तथा पंचायत प्रणाली को सशक्त बनाया जा सके तथा वहां पर निधियों का संग्रहण हों तथा व्यय भी वहीं पर हो ताकि भारत में एक वास्तविक शासन स्थापित है जो ज्यादा कुशल हो तथा ढील वाली न हो। इसीलिए स्वर्गीय राजीव गांधीजी ने संविधान का संशोधन करके पंचायती राज प्रणाली को लाए, इसे शक्तियां दीं तथा पूरी पंचायती राज प्रणाली को और मजबूत बनाया।

यहां मैं यह टिप्पणी करना चाहूंगा कि मेरे सार्वजनिक जीवन के गत ढाई साल में विशेषरूप से संसद सदस्य के रूप में ही मैंने देखा कि पंचायती राज प्रणाली किस प्रकार से कार्य करती है। वास्तव में, मेरे लिए एक सम्मान की बात है कि हमारे माननीय मंत्री यहां उपस्थित हैं। वे विजयवाड़ा, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आए जहां हमने विजयवाड़ा के बाहरी इलाके के परिताला गांव में ग्राम सभा लगाई जहां हजारों लोगों ने शिरकत की। पंचायत अध्यक्ष शामिल हुए। सदस्य शामिल हुए। वास्तव में, माननीय मंत्री यह पाकर आश्चर्यचकित हुए कि पंचायत प्रणाली एक-व्यक्ति-प्रणाली है; सदस्य चर्चा में भाग नहीं ले रहे हैं, कार्यसूची पर समुचित चर्चा नहीं हो रही है। उन्होंने पाया कि देश के अधिकांश हिस्सों में यही स्थिति है।

वास्तव में, उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिए कि पंचायतों को किस प्रकार कार्य करना चाहिए। माननीय मंत्री साल में या पांच साल में एक बार आ सकते हैं। लेकिन वह प्रत्येक पंचायत में नहीं जा सकते हैं। वास्तव में, हमें पंचायत का सशक्तीकरण करना है तथा कानून द्वारा हमें और शक्ति देनी है ताकि उचित तंत्र विकसित हो जिसमें शक्तियां केवल अध्यक्ष को ही नहीं दी जायें बल्कि यह पंचायत के सभी सदस्यों तथा पंचायत प्रणाली को मिले।

इसी प्रकार मध्य स्तर पर या जिला स्तर पर, सभी सदस्यों को पर्याप्त शक्तियां मिलनी चाहिएं। वास्तव में, कुछ राज्यों ने पंचायत प्रणाली को विभिन्न विभाग हस्तांतरित कर दिए हैं। लेकिन अभी भी ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ऐसा नहीं किया है। हाल में, आंध्र प्रदेश सरकार ने माननीय मंत्री के साथ एक समझौता ज्ञापन किया, जब वे अप्रैल, 2006 में वहां के दौरे पर थे। इसके अनुसार दस विभाग पंचायती राज प्रणाली को तत्काल हस्तांतरित किए गए हैं, तथा एक क्रमिक प्रक्रिया के अनुसार, अगले दो से तीन वर्षों में सभी 29 विभाग पंचायती राज प्रणाली को सौंप दिए जायेंगे।

यहां मैं कतिपय महत्वपूर्ण खामियां बताना चाहूंगा। पंचायती राज प्रणाली ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा आबंटित राशि तथा स्वयं इनके द्वारा स्थानीय रूप से जुटाए गए संसाधनों पर निर्भर कर रहे हैं। हमें ऐसी प्रणाली की आवश्यकता होगी जिसके प्रत्येक विभाग के प्रत्येक राजस्व संग्रहण में ग्राम स्तर से माध्यमिक स्तर तथा जिला स्तर पर और तथा राज्य सरकार के साथ तथा केन्द्र सरकार के साथ साझेदारी होगी। उन सबों को राजस्व साझीदारी पर कार्य करना है ताकि पैसा निम्नतम स्तर से एकत्र होकर दिल्ली तक न जाये तथा यह ऊपर से नीचे पुन: आबंटित नहीं हो। हमें यह प्रणाली नहीं चाहिए।

हमारे पास एक समुचित व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें यह संभव हो सके कि सभी धनराशियों को एकत्र किया जाए और पंचायती व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर बांटा जाए और उन्हें किसी से भी धनराशि मांगनी न पड़े। उनके पास स्वयं वित्तीय शक्तियां होनी चाहिए और अपने कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए स्वयं के संसाधन होने चाहिए।

जब तक हम उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त नहीं करते हैं तब तक इस व्यवस्था का कोई अर्थ नहीं है। वास्तव में, वे लोग चुनाव केवल सत्ता और अपने पदों को बनाए रखने के लिए लड़ते हैं। वास्तविक

[श्री एल. राजगोपाल]

क्रियान्वयन के संदर्भ में लोग अभी भी सांसद अथवा विधायक की ओर देखते हैं। जब भी कोई विधायक अथवा सांसद आता है तो वह महसूस करता है कि उसे कुछ धनराशि मिलेगी। वह चाहता है कि मुख्यमंत्री जी आए क्योंकि वह महसूस करता है कि यदि मुख्यमंत्री आयेंगे तो उसे कुछ धनराशि प्राप्त हो सकती है।

वे किसी की दया पर क्यों निर्भर रहें चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री या संसद सदस्य हो? उनके पास संसाधनों की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए जिससे वे अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें। न केवल यह, अपितु हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में कैसे लोग आन्दोलन करते हैं जब भी उद्योगों के लिए भूमि अधिग्रहण की जाती है। हां, हमें कृषि के अलावा उद्योगों की भी आवश्यकता है क्योंकि उद्योग कृषि के लिए मूल्य संवर्धन है। जब तक उद्योग नहीं होंगे, तो हमारे पास रोजगार के अवसर नहीं होंगे और हम कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन नहीं कर पायेंगे। एक बार यदि पंचायतों के साथ राजस्व की भागदारी हो जाती है तो पंचायतें आगे आयेंगी और कहेंगी, "हमारी जमीन लो और उस पर उद्योगों की स्थापना कीजिए जिससे कि हम बिक्री कर, उत्पाद शुल्क और आयकर से प्राप्त राजस्व से अपना हिस्सा ले सके।" इससे यह सुनिश्चित हो जायेगा कि उन्हें धनराशि के लिए किसी के पास भी अथवा कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। अब, वे सोचते हैं कि यह वह उद्योग नहीं है जिससे उन्हें धनराशि प्राप्त होगी; वे सोचते हैं कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं जो उन्हें धनराशि प्रदान करते हैं। वास्तव में, हमारे लोकतंत्र में यह व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। लोगों को किसी नेता अथवा किसी पर भी आश्रित नहीं होना चाहिए। उनके पास स्वयं की शक्ति और स्वयं के संसाधन होने चाहिए – वित्तीय और अन्य भी–जिससे कि वे स्वयं की दुनिया का निर्माण कर सकें और शान्तिपूर्वक रह सकें।

मुझे आशा है कि हमारे माननीय मंत्री जी इस देश के राज्यों और अधिकतर जिलों का व्यापक दौरा करेंगे और यह देखने का प्रयास करेंगे और स्वर्गीय राजीव गांधी और महात्मा गांधी के सच्चे स्वप्न को मूर्त रूप देने का प्रयास करेंगे कि ग्राम पंचायत को सुदृढ़ करें। संपूर्ण स्वराज, ग्राम स्वराज के बिना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): महोदय, मैं आपकी इजाजत से श्री वसुदेव आचार्य द्वारा पंचायती राज विषय पर चलाई जा रही महत्वपूर्ण चर्चा का स्वागत करता हूं। मैं कह सकता हूं कि इस मुल्क में पंचायती राज व्यवस्था अन्य मंत्रालयों की तुलना में सबसे महत्वपूर्ण है और यही एक ऐसी संस्था है जो किसी भी व्यक्ति को इंसाफ दिला सकती है। अगर जमीनी सतह पर लोकतंत्र की कोई कसौटी है तो वह सिर्फ पंचायती राज ही है।

हिंदुस्तान गांव में रहता है, जहां पंचायत होती है। पंचायती व्यवस्था केवल आज से ही नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही है, लेकिन समय-समय पर इसका नाम जरूर बदलता जा रहा है। हजारों वर्ष पहले गांव के लोग कुनबों में, कबीलों में रहते थे, उस समय भी पंचायत थी। आज की पंचायत का आधुनिकीकरण हुआ है। लेकिन समय के साथ बदलाव के कारण अच्छाइयों के साथ-साथ कुछ खराबियां भी इस व्यवस्था में आ गई हैं। इस व्यवस्था में अच्छाई के साथ बुराई यह आ गई है कि इसमें भ्रष्टाचार आ गया है, बेईमानी आ गई है, जबकि पिछले जमाने में ऐसी कोई बात नहीं थी।

पहले गांवों में जितनी भी तरक्की होती थी, चाहे स्कूल हों, पक्की गलियां हों या किसी सार्वजनिक जगह पर एक कमरा ही क्यों न बनाना हो, पंचायत स्वयं सारा काम कराती थी। गांव की टूटी-फूटी गलियों की मरम्मत, पीने के पानी की व्यवस्था, प्याऊ और जितने भी बड़े-बड़े तालाब या सार्वजनिक स्थल मिले हैं, उन्हें कौन बनवाता था, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पंचायतों ने ही बनाया, जिनके पास न सरकार थी और न ही पर्याप्त मात्रा में धन होता था, लेकिन एक सोच थी, सच्चाई थी, ईमानदारी थी। सिर्फ सोच को विकसित करने का सवाल है। सवाल है कि हम सोचें कि कैसे गांवों का विकास किया जा सकता है, कैसे लोकतंत्र के प्रति आस्था पैदा की जाए? आज बहुत सी योजनाएं बनाई जाती हैं, काफी योजनाओं का काम पूर्ण हो गया है, इन योजनाओं में कमीशन की चोरी होती है, कितनी ज्यादा चोरी होती है, इस बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। गांवों में बीडीओज हैं, बीएलडब्ल्यू हैं, लेकिन बेचारे सरपंच को कोई नहीं पूछता है। बीएलडब्ल्यू सरपंच का सैक्रेटरी होता है, लेकिन आप प्रैक्टिकली देखें तो सरपंच बीएलडब्ल्यू का सैक्रेटरी होता है। इस तरीके से बीडीओ की बात करें यह किस का सैक्रेटरी होता है? ब्लाक समिति का होता है। आस्था और उम्मीद के साथ आप लोगों ने, बुजुर्गों ने चाहे महात्मा गांधी जी हों, उनके बाद राजीव गांधी जी हों, सब ने इसका विस्तार करने की कोशिश की जो बहुत अच्छी बात है। मंत्री जी इसमें बहुत इंटरस्ट ले रहे हैं और हमें उनसे बहुत उम्मीद है। अगर आप प्लानिंग से और ईमानदारी से पंचायतों को मजबूत कर दें तो बहुत अच्छा होगा। हमारे यहां इसके इलैक्शन को 6 महीने हो गए हैं। इसके पहले एक हजार पंचायतों का इलैक्शन नहीं हुआ था। यह स्थिति है। अगर इलैक्शन ही नहीं होंगे और सरपंच नहीं बनेंगे तो लोगों को कैसे न्याय मिलेगा?

जब किसी के बीच जमीन का झगड़ा होता है तो वह पंचायत में जाता है। झगड़ा सास-बहू के बीच होता है तो पंचायतों में जाता है। झगड़ा किसी पेड़ को लेकर होता है कि वह उसके यहां है तो उसे पंचायत सुलझाती है। चाहे कोई भी झगड़ा होता है तो वह पंचायतों में जाता है। गांवा में 90 परसेंट केस अदालतों में नहीं जाते हैं। मैं यह बात लिख कर दे सकता हूं। ये झगड़े पंचायतों के माध्यम से निपटाए जाते हैं। अगर सरपंच नहीं होते तो ऐसे सारे मामले अदालतों में जाते। मेरी रिकवैस्ट है कि इसे मजबूत किया जाए। आपने वहां जो स्कीम्स भेजी हैं चाहे सैंट्रल स्पौन्सर्ड स्कीम हों, चाहे स्टेट की हों, उनकी तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। आप देखें कि जमीनी सतह में क्या हो रहा है? अगर कोई सरपंच के घर जाता है तो वह उनको चाय पिलाता है। गांव के बाहर का कोई आदमी आता है तो वह पूछता है कि सरपंच का घर कहां है? नम्बरदार और सरपंच दो ही गांवों में खास होते हैं। हम सरपंच को कोई ऑनरेरियम नहीं देते हैं। हमारी स्टेट ने उनको कुछ नहीं दिया। मै। यही बात कह रहा हूं। वहां एक पैसा सरपंच को नहीं मिलता है। वहां म्युनिसिपल कमेटियां हैं। नोटिफाइड एरियाज हैं। वहां सब को तनख्वाहें मिलती हैं। उनका ऑनरेरियम लगा है। वह सरपंच को नहीं मिलता है क्योंकि वह गांवों में रहता है, वह सीधा है और वह वहां के लोगों की सेवा कर रहा है। मेरा अनुरोध है कि सरपंच को कम से कम पांच हजार रुपया ऑनरेरियम मिलना चाहिए और एक हजार रुपया पंचों को मिलना चाहिए ताकि गांव की ठीक ढंग से तरक्की हो। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। एनजीओ की कोई फाइल दिल्ली से चलती है तो उसके बीच में बहुत लूट होती है।...*(व्यवधान)*

मेरा आखिर में यह कहना है कि सरपंच को पूरी पावर्स दी जाएं। जितने स्कूल, डिस्पैंसरियां हैं या एनिमल हजबैंडरी है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है या जितनी चीजें हैं, कहा गया है कि उसकी सारी पावर्स उनके पास हैं लेकिन वह कहीं नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि उनको सारी पावर्स दी जाएं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत मेहरबानी। मैं मणिशंकर अय्यर जी का शुक्रिया अदा करता हूं। वह बहुत मेहनत कर रहे हैं, डटकर करें ताकि पूरी पंचायतें उनका गुणगान करें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अगले वक्ता श्री के. फ्रांसिस जार्ज हैं। कृपया इस मुद्दे पर संक्षेप में बोलें और अपने भाषण को तीन-चार मिनट में समाप्त करें।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इडुक्की) : जी हां, महोदय। पंचायती राज संस्थानों की मध्य अवधि समीक्षा के मुद्दे पर बोलने का अवसर देने के लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। इस मुद्दे पर कई वक्ताओं ने बोला और उन सभी ने हमारे देश के पंचायती राज संस्थानों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं पर प्रकाश डाला।

सात गोल मेज सम्मेलन हुए जिनमें पंचायती राज संस्थानों की समस्याओं और भावी कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुझे यह देख कर हर्ष होता है कि माननीय मंत्री जी ने पंचायती राज संस्थानों के कार्यकरण में इतनी अधिक रुचि ली है। उन्होंने हमारे राज्य और कई अन्य राज्यों का भी दौरा किया। वे केरल भी गए जहां के पंचायती राज संस्थान संपूर्ण देश के लिए एक आदर्श की तरह कार्य करते हैं। देशभर में केरल लगभग पहला राज्य था जिसने 1991 में सत्ता को जिला स्तर पर वापस हस्तांतरित कर दिया था। बाद में, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अनुसार हमने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की और हमने जनता के योजना कार्यक्रम को लागू किया।

मुख्य बात जिसकी ओर मैं संकेत करना चाहता हूं यह है कि चाहे कोई भी दल अथवा गठबंधन सत्ता में हो, पंचायती राज संस्थानों को धनराशि अवश्य प्रदान की जाए। कई बार हम देखते हैं कि राजनैतिक कारणों से ये संस्थान धनराशि से वंचित रह जाते हैं। उन्हें प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करना ही पर्याप्त नहीं है, हमें उन्हें धनराशि भी अंतरित करनी होगी। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, धनराशि का एक निश्चित हिस्सा स्वत: ही पंचायती राज संस्थानों तक पहुंच जाए। जो कि अभी नहीं होता है। धनराशि का अंतरण राज्य की तत्कालीन सरकार की मनमर्जी के अनुसार होता है। इससे पंचायती राज संस्थानों के दक्ष कार्यकरण में कोई सहायता नहीं मिलेगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वप्न को मूर्त रूप देने और ग्राम स्वराज की प्राप्ति के लिए यह अनिवार्य है कि हम अपने पंचायती राज संस्थानों को शक्तियों और पर्याप्त धनराशि से सज्जित करें।

बारहवें वित्त आयोग ने संपूर्ण देश के पंचायती राज संस्थानों को एक निश्चित अवधि के दौरान 20,000 करोड़ रुपये जारी करने की सिफारिश की है। मेरे विचार में केन्द्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक राज्य सरकार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बिना किसी चूक के त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को यह धनराशि हस्तांतरित करनी चाहिए। तभी ये संस्थान कार्य कर सकते हैं। तभी बुनियादी स्तर पर जनता की आकांक्षाएं इन पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से पूर्ण हो सकती हैं।

100 करोड़ की जनसंख्या वाले हमारे जैसे देश में हम केवल

[श्री के. फ्रांसिस जार्ज]

पंचायती राज संस्थानों, स्थानीय स्वशासन के माध्यम से लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए, इन संस्थानों को शक्ति संपन्न बनाना हमारा मुख्य मानदण्ड होना चाहिए चाहे सत्ता में कोई भी हो। हमारी व्यवस्था में, दल अथवा गठबंधन प्रत्येक पांच वर्ष में बदलते रहते हैं। ये चुनाव एक साथ नहीं होते हैं। इसलिए, अधिकतर पंचायती राज संस्थान एक दल विशेष अथवा गठबंधन द्वारा शासित होते हैं तो कई राज्यों में हम देखते हैं कि जब भी राज्य स्तर पर प्रशासन में बदलाव होता है तो ये संस्थान धनराशियों से वंचित हो जाते हैं। केन्द्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रक्रिया को अब बन्द कर देना चाहिए।

मैं यहां यह संकेत करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय विकास परिषद में लिये गए निर्णयों के अनुसार हमें इन संस्थानों को और शक्ति प्रदान करनी चाहिए। अब हमारे पास मध्य अवधि समीक्षा है। हमें देश में ग्राम स्वराज के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन संस्थानों को और शक्ति प्रदान करनी चाहिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : संसद सदस्य अपनी स्पीच सभा पटल पर ले कर सकते हैं, उसे प्रोसीडिंग्स का पार्ट माना जाएगा।

श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल (दमन और दीव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस एरिया से आता हूं वह दमन और दीव यूनियन टेरिटरी है। हम लोग आजादी से 14 साल पीछे हैं क्योंकि 450 साल पुर्तगालियों की गुलामी में थे और 19 दिसम्बर, 1961 में हमें आजादी मिली थी। उसके बाद गोवा, दमन एवं दीव हमारे साथ में थे। वहां हम जो पंचायतें चलाते थे, उनके लिए कोई ग्रांट नहीं मिलती थी। 1987 के बाद हम गोवा से अलग हुए, जब गोवा को स्टेटहुड मिला। उसके बाद हमारी पंचायतों को थोड़ा सा लाभ मिलने लगा। 1973-1974 के अमैन्डमैन्ट के मुताबिक हमें 29 सब्जैक्ट्स दिये गये थे। लेकिन उन सब्जैक्ट्स को देने के बाद हमें जो पावर्स दी जानी चाहिए थी, वे पावर्स अब तक नहीं दी गई है। हमें ये सब्जैक्ट्स सिर्फ नाम के लिए दिये गये हैं, उनकी पावर्स नहीं दी गई हैं। 1994 के बाद जिला पंचायतें बनाई गईं और पंचायत राज बनाने के बाद हमें थोड़ी सी पावर्स मिली हैं। लेकिन जो पावर्स मिली हैं, उसमें जिस तरह पंचायत राज चलाना चाहिए, वह हम नहीं चला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने फंड्स नहीं हैं। 1995-1996 में फाइनैंस मिनिस्ट्री से एक कमीशन वहां गया था। उस समय से सिलवासा और दमन हम दोनों मिलकर सरकार को सात हजार करोड़ रुपये देते हैं, जिसमें से 28 परसेन्ट पैसा हमें देने का वायदा किया गया था। लेकिन वह पैसा हमें अब तक नहीं मिला है। उसी ग्रांट से हम लोग काम चलाते हैं, उसमें तीन लाख रुपये हर पंचायत को हर साल देते हैं। उसके पहले हम लोग जो हाउस टैक्स की रिकवरी करते थे, उसमें से सौ परसैन्ट मैचिंग ग्रांट मिलती थी, लेकिन अब ग्रांट अब बंद कर दी गई है। सिर्फ तीन लाख रुपये देते हैं। तीन लाख रुपये से हम छोटा सा काम नहीं कर सकते और पंचायतों को नहीं चला सकते। हमारी मांग है कि हमें जो पावर्स दी गई हैं, उन पावर्स को बढ़ाया जाए। 29 सब्जैक्ट्स में जैसे प्राइमरी एजूकेशन को 104 धोरण दिया है। लेकिन हमारी बाजू की स्टेट गुजरात और यूनियन टैरिटरी सिलवासा को 107 धोरण और दमन एवं दीव को 104 धोरण दिया है। यह क्या है। मेरा निवेदन है कि 107 धोरण प्राइमरी एजूकेशन को देने की जरूरत है। 1994 के अमैन्डमैंट के पहले हमें जितनी भी ग्रांट मिलती थी, वह मैटिंग ग्रांट मिलने के बाद हम काम चला सकते थे। लेकिन अब वह काम नहीं चल पा रहा है। जब जिला पंचायतें बनाई गईं तो उन्हें थोड़ी पावर्स दी गई, लेकिन फुल पावर्स नहीं दी गई। क्योंकि वहां जो आई. ए.एस. ऑफिसर्स हैं, वे पावर्स देना नहीं चाहते, क्योंकि उन लोगों के पास से पावर्स पंचायतों को चली जाएं, यह उन्हें अच्छा नहीं लगता है। इसलिए वे लोग पावर्स नहीं देते हैं। मेरा निवेदन है कि पंचायतों और जिला पंचायतों को फुल पावर्स दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने 44 पोस्ट्स क्रिएट करने के लिए पत्र लिखा है। लेकिन अब तक एक भी पोस्ट क्रिएट करने की परमीशन नहीं मिली है। मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी वे पोस्ट्स हमें दी जाए। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री एस.के. खादवेनचन** (पलानी) : महोदय, इस देश में पंचायतें तथा नगरपालिकाएं काफी समय से अस्तित्व में हैं। परंतु दुर्भाग्यवश इनकी उपेक्षा के बाद से ये संस्थाएं संतोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रही थी। महात्मा गांधी पंचायती राज संस्थाओं को पंसद करते थे तथा गांधी जी के विचारों पर ही हमारे संविधान में राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों पर अप्रवर्तनीय भाग-IV के अंतर्गत अनुच्छेद 40 शामिल किया गया था। इसमें कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतें आयोजित करवाने के लिए कदम उठाएगा तथा उन्हें स्व-शासन इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक प्राधिकार देगा। अनुच्छेद 40 पर किसी ने गौर नहीं किया जब तक प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने इसमें

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

रुचि नहीं दिखाई और उन्होंने संवैधानिक संशोधन लाने की पहल की। तथापि इसका इस आधार पर विरोध किया गया कि यह राज्यों को नजरअंदाज सीधे पंचायतों तक पहुंचने का प्रयास है। अंतत: श्री नरसिंह राव जी के शासनकाल में संशोधन किया गया। तेहत्तरवें तथा चौहत्तरवें संशोधन में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं को कुछ संरक्षण दिया गया। प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय प्रणाली की परिकल्पना की गई है (i) पंचायतें अधिक समय तक उपेक्षा नहीं की जा सकती (ii) सभी पंचायतों में महिलाओं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित होगीं (iii) सभी पंचायतों के लिए पांच वर्ष की अवधि निर्धारित होगी। उनका अपना बजट, कराधान शक्तियां होंगी तथा उनके क्षेत्राधिकार में मद सूची होगी।

हमारे देश में 2,33,669 ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतों से चुने हुए प्रतिनिधि इस प्रकार हैं:-

अनुसूचित जाति	=	493255 (18.9 प्रतिशत)
अनुसूचित जनजाति	=	319701 (12.3 प्रतिशत)
महिलाएं	=	977298 (37.5 प्रतिशत)
सामान्य	=	1795852
पंचायत समिति :		
कुल	=	6085
अनुसूचित जाति	=	33123 (21.2 प्रतिशत)
अनुसूचित जनजाति	=	11598 (7.4 प्रतिशत)
महिलाएं	=	58347 (37.4 प्रतिशत)
सामान्य	=	111239
जिला परिषद :		
कुल	=	534
अनुसूचित जाति	=	2774 (18.3 प्रतिशत)
अनुसूचित जनजाति	=	1680 (11.1 प्रतिशत)
महिलाएं	=	5785 (38.2 प्रतिशत)
सामान्य	=	10684

संविधान के अनुच्छेद 243(छ) में पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व दिए गए हैं। अनुच्छेद 243 की ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 मामले सूचीबद्ध किए गए हैं:-

1. कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार भी है।
2. भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण।
3. लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जलविभाजक क्षेत्र का विकास।
4. पशुपालन, डेरी उद्योग और कुक्कुट पालन।
5. मत्स्य उद्योग।
6. सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी।
7. लघु वन उपज।
8. लघु उद्योग, जिनके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी हैं।
9. खादी ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग।
10. ग्रामीण आवासन।
11. पेय जल।
12. ईंधन और चारा।
13. सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन।
14. ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण है।
15. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत।
16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
17. शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं।
18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा।
19. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा।

[श्री एस.के. खारवेनथन]

20. पुस्तकालय।

21. सांस्कृतिक क्रियाकलाप।

22. बाजार और मेले।

23. स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिनके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय भी हैं।

24. परिवार कल्याण।

25. महिला और बाल विकास।

26. समाज कल्याण, जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है।

27. दुर्बल वर्गों का और विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण।

28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली।

29. सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण।

उक्त 29 मामलों में से पूरे देश में केवल कुछेक ही पंचायतों को दिए गए हैं। अधिकांश राज्य में अधिकार पंचायतों को देने को तैयार नहीं हैं। अंतरिम प्रतिवेदन के अनुसार तमिलनाडु में केवल ग्रामीण सड़कें, जलापूर्ति, स्वच्छता तथा ग्रामीण आवास योजनाएं पंचायतों को दी गई हैं और शेष 25 मामले केवल कागजों पर ही हैं। ग्राम पंचायतों की दशा बहुत खराब है। पंचायत प्रमुखों को सरकारी कार्य हेतु निदेशालय जाने के लिए अपना पैसा खर्च करना पड़ता है क्योंकि उन्हें कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाता। पंचायतों के पास कोई अधिकार नहीं है तथा कोई निधि नहीं है। पूरे देश में ग्राम पंचायतों में चयनित प्रतिनिधि के रूप में 977298 महिलाएं हैं। परंतु इनमें से किसी के पास किसी योजना को कार्यान्वित करने के लिए कोई निधि नहीं है। वे योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निधि सांसदों तथा विधायकों से मांग रही हैं। भारत सरकार को सभी 29 मामलों को लागू करने के लिए सभी राज्य सरकारों को निदेश देना होगा। (1) भूमि विकास, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, चकबंदी तथा भूमि संरक्षण।

(2) लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल विभाजक क्षेत्र का विकास कृषि इंजीनियरिंग विभाग तथा जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के हाथ में हैं। मेरा डिंडीगुल जिला देश के पिछड़े जिलों में शामिल है और यहां आर.एस.वाई.वी. योजना कार्यान्वित की गई है और करोड़ों रुपये आबंटित किए गए हैं। उपर्युक्त इन दोनों योजनाओं के लिए भारी रकम आबंटित की गई थी। परंतु पूरी राशि कृषि इंजीनियरिंग के कर्मचारियों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा हड़प ली गई हैं। यदि इन योजनाओं का कार्यान्वयन पंचायतों के माध्यम से किया जाता तो निश्चित रूप से इनके लाभ गरीबों तक पहुंचते।

साथ ही त्रिस्तरीय प्रणाली में अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाना चाहिए अन्यथा इससे इस प्रणाली में अधिक भ्रष्टाचार आ जाएगा। मैं पुन: भारत सरकार से पंचायतों के लिए पर्याप्त निधियां आबंटित करने तथा सीधे पंचायत प्रमुखों को भेजने का अनुरोध करता हूं।

इसी तरह नगर पंचायत और नगरपालिकाएं भी वित्तीय संकट के कारण किसी योजना का कार्यान्वयन नहीं कर पाती हैं। भारत सरकार की नगर पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के लिए कतिपय निधि निर्धारित करनी होगी। इनकी स्थिति ग्राम पंचायतों से भी बदतर है। वे स्ट्रीट लाईट, सार्वजनिक शौचालय, सड़कों तथा स्वच्छता भी नहीं रख पा रही हैं। अधिकांश नगर पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के पास पर्याप्त स्टाफ भी नहीं है। उनके पास मैला ढोने वाले भी नहीं हैं। जब तक इस स्थिति में बदलाव नहीं आएगा, स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि सड़कों पर भी नहीं चल सकते। हमने उन्हें नाम के अधिकार दिए हैं परंतु वास्तविक अधिकार नहीं दिए गए हैं।

हमारे माननीय पंचायती राज मंत्री श्री मणि शंकर अय्यर ने पूरे देश का दौरा किया था और उन्हें इन सभी बातों की जानकारी है। अत: मैं उनसे राजीव जी के सपने को सफलतापूर्वक साकार करने हेतु उचित कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

इसके अतिरिक्त, मैं पंचायती राज के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने के लिए माननीय प्रधान मंत्री तथा मैडम सोनियाजी को धन्यवाद देता हूं। यह मंत्रालय 27.5.04 को अस्तित्व में आया है। 30 मिनट में हमारे माननीय मंत्री श्री मणि शंकर अय्यर पूरे देश का भ्रमण कर आये और पंचायती राज संस्थाओं के चयनित प्रतिनिधियों से मिले और यह अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह हमारे माननीय मंत्री श्री मणि शंकर अय्यर तथा उनकी टीम द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

मैं, पुन: महात्माजी के सपने को दोहरा रहा हूं।

"ग्राम स्वराज के माध्यम से पूर्ण स्वराज"।

[हिन्दी]

*डा. अरविन्द शर्मा (करनाल) : महोदय, देश में लोकतांत्रिक प्रणाली को विकसित करने के लिए पंचायती राज का जो स्वप्न महात्मा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी एवं स्व. श्री राजीव गांधी जी ने संजोया था, आज उस स्वप्न को पूरा करने के लिए यूपीए सरकार श्रीमती सोनिया गांधी एवं माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सभी सहयोगी दलों के सहयोग से पूरे देश में विकसित करने के लिए पूर्णरूप से प्रयासरत है। स्व. राजीव गांधी का 3 टायर पंचायती राज का सिस्टम जो उन्होंने अपने दिल में संजोया था, आज हमारी सरकार पुरजोर कोशिश से उसको पूरा करने में लगी हुई है। ग्राम स्तर पर पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं। ब्लॉक स्तर से सभी ब्लॉक समितियों को एवं जिला स्तर पर सभी जिला परिषदों को एवं अन्य सहकारी समितियों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं, जिससे देश के हर कोने का विकास होता जा रहा है। हिंदुस्तान गांवों में बसा है, इसकी 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है। पंचायती राज को और ज्यादा अहम बनाने के लिए सरकार द्वारा कारगर कदम उठाने चाहिए जैसे कि:-

शिक्षा का विकास – सभी गांवों में पंचायतों को राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार द्वारा ज्यादा से ज्यादा धन आबंटित करना चाहिए और सभी गांवों में सरकारी स्कूल खोलने चाहिए ताकि वहां के गरीब युवा शिक्षा ग्रहण कर सकें और ग्रामीण क्षेत्र से जो भी युवक इन स्कूलों से शिक्षा ग्रहण करता है, हरियाणा सरकार की तरह उनको नौकरियों में ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य एवं स्वच्छता – केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा गांवों में स्वास्थ्य कैंप लगवाने चाहिए ताकि गांवों के गरीब लोग इन फस्ट एड सेंटरों में अपना प्राथमिक उपचार करवा सकें और स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ावा दे कर वहां के शिक्षित युवकों को स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। पल्स पोलियो जैसे कार्यक्रमों को और बढ़ावा देना चाहिए तथा गांवों में प्रशिक्षित ए.एन.एम. तथा स्टाफ नर्सों की नियुक्तियां भी होनी चाहिए।

पीने के पानी की व्यवस्था – आजकल हमारे देश में स्वच्छ पेयजल की कमी है और सरकार द्वारा अपनी विभिन्न स्कीमों द्वारा सर्वप्रथम सभी गांवों एवं शहरों में पीने के पानी की उपलब्धता करानी चाहिए।

इंदिरा आवास योजना – इस योजना के तहत गरीबों को आबंटित धनराशि 15000 से बढ़ाकर 20000 तक करनी चाहिए ताकि वहां की गरीब महिलाएं एवं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिल सके।

सुलभ शौचालय – सभी गांवों एवं शहर के गरीब कस्बों में सरकार द्वारा अधिक से अधिक सुलभ शौचालय खुलवाने चाहिए ताकि वहां की महिलाएं जंगल में शौच इत्यादि के लिए नहीं जाएं। मेरे संसदीय क्षेत्र के पानीपत शहर में इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 14 गांवों को निर्मल घोषित किया गया है।

पंचायती राज के अधीन सभाएं – जिला प्रशासन के द्वारा सभी गांवों में, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर सभी निर्वाचित पंचों, सरपंचों एवं सदस्यों की महीने में मीटिंग बुलानी चाहिए तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों की सूची तैयार करके उनको पूर्णरूप से असलीजामा पहनाना चाहिए। लोक कष्ट निवारण समितियों एवं जिला मोनिटरिंग एंड विजीलेंस कमेटियों को और ज्यादा अधिकार दिए जाने चाहिए, ताकि सरकार की उपलब्धियों की जानकारी को लोगों तक पहुंचाया जा सके।

लघु उद्योगों की स्थापना – सरकार द्वारा सभी गांवों में शिक्षित युवकों के लिए और महिलाओं के लिए छोटे-छोटे घरेलू एवं कुटीर उद्योगों को लगाने के लिए धनराशि आबंटित करनी चाहिए और इनको समय-समय पर प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि ये आत्मनिर्भर हो सकें। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना को और ज्यादा कारगर तरीके से बढ़ावा देना चाहिए।

खेलों को बढ़ावा – सरकार द्वारा ब्लॉक स्तर पर एवं जिला स्तर पर खेलों के लिए स्टेडियम बनवाने चाहिए और समय-समय पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए टूर्नामेंट करवाने चाहिए तथा सरकारों द्वारा खेलों के विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा धनराशि उपलब्ध करवानी चाहिए ताकि खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार का आर्थिक बोझ वहन न करना पड़े। सभी प्रकार के खेलों का प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षित कोचों की व्यवस्था समय पर करनी चाहिए।

अत: महोदय जी के माध्यम से मेरी माननीय मंत्री, भारत सरकार से गुजारिश है कि पंचायती राज को पूर्ण रूप से लागू करें ताकि लोकतंत्र प्रणाली और मजबूत हो सके।

---

[1]भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[अनुवाद]

श्री ए.वी. वेल्लारमिन (नागरकोइल) : सर्वप्रथम मैं माननीय पंचायती राज मंत्री का मध्यावधि समीक्षा एवं मूल्यांकन संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने और इस पर स्वस्थ चर्चा शुरू करने के लिए धन्यवाद करता हूं।

इसका उद्देश्य है पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण ताकि वह आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय हेतु नियोजन एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में विकसित हो सके, जैसा कि संविधान में परिकल्पना की गई है।

लक्ष्यों को हासिल करने के स्तर का आकलन करने के लिए क्रियाकलापों की समीक्षा हेतु इस विषय पर गोलमेज सम्मेलनों और मूल्यांकनों के कई दौर आयोजित हुए, जिससे कतिपय तथ्य उद्घाटित हुए जो कि उम्मीदों के अनुसार नहीं थे। ये प्रत्येक राज्य में भिन्न भी हैं। ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्यों से धनराशि, कार्यों और कार्यकर्ताओं के त्वरित हस्तांतरण का आग्रह किया जाना चाहिए। विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत परिकल्पित परियोजनाओं और कार्यक्रमों के वास्तविक क्रियान्वयन की रिपोर्ट एक दुखद गाथा कहती है। अतएव, केन्द्र, राज्य तथा जिला स्तरों पर और यदि संभव हो तो ब्लॉक स्तरों पर भी लोगों के प्रतिनिधियों को शामिल करके सख्त निगरानी और सतर्कता ही केवल स्थिति को उबारने में मदद कर सकती है।

पंचायतों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए सभी राज्यों द्वारा समान एवं पर्याप्त मात्रा में धनराशि निर्धारित करने से उद्देश्य काफी हद तक पूरे हो सकेंगे। अनेक राज्य, पंचायतों के लिए मामूली सी धनराशि आबंटित कर रहे हैं। उन्हें यथेष्ट शक्ति प्रदान नहीं की गई हैं और कार्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। विभिन्न राज्यों के इन सभी असंगत कार्यों से पंचायती राज प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में सहायता नहीं मिलेगी।

स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के निर्वाचन की परोक्ष रीति अनेक और अस्वस्थ कार्यों हेतु मार्ग प्रशस्त करती है। हाल ही में तमिलनाडु में हुए स्थानीय निकायों के चुनावों में हमारा अनुभव इसका साक्ष्य रहा है। अतएव भविष्य में ऐसी अवांछित स्थितियों से बचने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।

अत: सरकार से अनुरोध है कि वह सभी राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय निकायों को समान एवं पर्याप्त धनराशि का आबंटन एवं शक्तियों का प्रत्यायोजन सुनिश्चित करे ताकि वे हमारे महान नेताओं द्वारा परिकल्पित और हमारे संविधान में प्रतिष्ठापित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने प्रशासनिक कौशल को सुदृढ़ करने में समर्थ हो सकें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर चर्चा समाप्त हुई।

[हिन्दी]

अगर माननीय सदस्यों की सहमति हो तो अब हम जीरो-ऑवर लेते हैं।

कई माननीय सदस्य : जी, हां।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, आजकल पत्रकारों पर हमला बहुत आम बात हो गई है। हाल ही में, लगभग दो दिन पहले एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार जो कि 25-30 साल से पत्रकार हैं, पर हमला किया गया। वे मेरे निर्वाचन क्षेत्र से संबंध रखते हैं किन्तु दिल्ली में कार्य करते है। वे 'द टाइम्स ऑफ इंडिया', 'द इंडियन एक्सप्रेस' और कुछ अन्य प्रमुख समाचार-पत्रों में काम करते रहे हैं। अब वे जीवन टी.वी. में, जो कि मलयालम चैनल है, चीफ ऑफ ब्यूरो के तौर पर काम कर रहे हैं।

दो दिन पहले, वे कैमरा मैन के साथ कुछ सरकारी कार्य कवर करके ब्यूरो लौट रहे थे, तो उन पर उनके परिचित एक व्यक्ति ने दो अन्य गुंडो के साथ हमला किया। उन पर बहुत क्रूरतापूर्वक हमला किया गया और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। मुझे पता चला है कि उन्होंने अस्पताल में बयान दिया किंतु कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। मुझे यह भी पता चला है कि जिस व्यक्ति ने उन पर हमला किया उसे किसी न किसी तरह से कुछ ऊंचे लोगों का वरदहस्त प्राप्त है। हम देख रहे हैं कि ऐसी घटनाएं बार-बार हो रही हैं। अत: पत्रकार सामान्य तौर पर और विशेषकर इस मामले में बड़ी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अतएव, मैं सरकार से सामान्य तौर पर ऐसे मामलों में और विशेषकर इस मामले में तुरंत कठोर कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं। धन्यवाद।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इडुक्की) : महोदय, उन्होंने जो कुछ भी कहा, मैं उससे स्वयं के संबद्ध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री फ्रांसिस जार्ज को इस मुद्दे से संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : मैं केन्द्र सरकार का ध्यान सेना अधिनियम में विशेष उपबंधों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कल प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि जहां तक मणिपुर का संबंध है, ये उपबंध वापस लिए जाएंगे। राज्य में मानवाधिकार उल्लंघन हुआ था और कानून व्यवस्था भी बद से बदतर हो गई थी।

इन सभी पहलुओं पर विचार करके, विशेषकर लोकतंत्र के हित में और मानवाधिकारों के अनुरक्षण के लिए यही उचित और संगत होगा कि मणिपुर राज्य के संबंध में सेना अधिनियम से विशेष उपबंध हटा लिए जाएं और इसी सत्र के दौरान बिना देरी के सभा के समक्ष उपयुक्त संशोधन लाए जाएं। यह अविलंबनीय लोक महत्व का मामला है और राष्ट्र ने स्वयं स्थिति का अवलोकन किया है। अपनी भावनाओं को मणिपुर के लोगों की भावनाओं से संबद्ध करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि इस कठोर कानून को बदला जाए।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं हाउस का ध्यान एक अर्जेंट मैटर की तरफ खींचना चाहता हूं। हमारी स्टेट में पिछले कई सालों से मिलिटैंट्स अटैक होते रहे हैं, हो रहे हैं और आगे भी अनुमान है कि होते रहेंगे। अब सर्दियां शुरु हो चुकी हैं। इस समय स्नोफॉल भी शुरू हो चुकी है। हमारी आर्मी जो हायर रीचेज पर बैठी रहती है, उसकी वापसी नीचे शुरू हो जाती है। उसके नीचे चले जाने से ऊपर का एरिया असुरक्षित हो जाता है। इस कारण वहां मिलिटैंट्स अटैक होते हैं और लूट होती है।

उपाध्यक्ष जी, पिछले दिनों मेरी कांस्टीटुवेंसी के लोग मुझसे मिले थे और मुझे बताया कि आर्मी नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है। जब आर्मी ऊपर रहती है तो मिलिटैंट्स डरकर वहां नहीं आते हैं, उस कारण हमारे गांव सुरक्षित रहते हैं। यह मसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। हालांकि आर्मी सियाचिन में भी रहती है और वहां पूरे इंतजामात होते हैं लेकिन पिछले दिनों तीन अटैक हुये हैं। पहला कुलहान में हुआ, उसके बाद दूसरा डुडु वसंतगढ़ में हुआ और उसके पहले प्राणकोट में अटैक हुआ था। इसके पहले सरकार ने वायदा किया था कि जब श्री एल.के. आडवाणी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे। मैडम सोनिया ने भी वहां दौरा किया था और कहा गया था कि वे हम लोगों को कनैक्टिविटी देंगे लेकिन आज तक नहीं हो पायी है। जब डुडु वसंतगढ़ और कुलहान में हमला किया गया तो यही कहा गया था लेकिन मुझे अफसोस है कि चाहे वहां सरकार कहे या दूसरा कोई कहे, वायदा करके मुकर जाते हैं। मेरी रिक्वैस्ट है कि विलेज डिफैंस कमेटी की हालत बहुत खराब है, उनके पास वर्दी नहीं है, जूते नहीं है और हथियार भी सोफैस्टीकेटेड नहीं हैं। मेरी मांग है कि उन लोगों को सुरक्षित रखने के लिये सरकार कार्यवाही करे ताकि लोग मिलिटैंट्स के अटैक से बच सकें।

श्री मो. ताहिर (सुल्तानपुर) : उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये शुक्रिया। मुझे वरिष्ठता के आधार पर सुलतानपुर जिले की सतर्कता और निगरानी कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। मैंने नियमानुसार बैठकों का संचालन किया है जिसकी रिपोर्ट अधिकारी बराबर सरकार को भेजते रहे हैं। मुझे अधिकारियों द्वारा बताया गया कि जिला सतर्कता एवं निगरानी कमेटी के गठन होने के बाद उसकी प्रथम बैठक 15.07.05 को जिलाधिकारी श्रीमती कामिनी चौहान के साथ बुलाई गई थी, जो मेरी अध्यक्षता में हुई थी। उसके बाद द्वितीय बैठक 4-5 बार बुलाई गई और उसका प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेजा गया था। प्रदेश शासन और जिला प्रशासन की मिलीभगत से बैठक टालते रहे। जब 2006 में बैठक होने वाली थी, जब मैं सुलतानपुर पहुंचा तो मेरे बैठक में पहुंचने से पहले ही बैठक स्थगित कर दी गई। उसके बाद 10.06.06 को मेरी अध्यक्षता में तत्कालीन जिलाधिकारी श्रीमती वीणा कुमारी एवं तमाम सदस्यों के साथ बैठक की समीक्षा की। उसके अलावा ग्रासरूट लैवल के विकास कार्यों की समीक्षा भी की गई। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुझे उपरोक्त पद से हटाकर श्री राहुल गांधी को उस समिति का चेयरमैन बना दिया गया है।

यह भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के विपरीत है। यह मेरे साथ बहुजन पार्टी के सदस्य होने के नाते किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, हम सदस्यों को संरक्षण देना आपका काम है। मैं चाहता हूं कि आप इस घटना की जांच कराएं और उक्त पद पर बने रहने का निर्देश भारत सरकार को दें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 5 दिसंबर, 2006 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.45 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 5 दिसंबर, 2006/ 14 अग्रहायण 1928 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री जी. करुणाकर रेड्डी श्री किसनभाई वी. पटेल	162
2.	श्री ब्रजेश पाठक	163
3.	श्री तूफानी सरोज श्री कैलाश नाथ सिंह यादव	164
4.	सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड श्री पी.सी. थामस	165
5.	श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली श्री महेश कनोडीया	166
6.	श्री विजय कृष्ण	167
7.	श्री रामदास आठवले श्री कृष्णा मुरारी मोघे	168
8.	श्री सुग्रीव सिंह	169
9.	श्री प्रभुनाथ सिंह	170
10.	श्री जुएल ओराम	171
11.	श्री संतोष गंगवार	172
12.	श्री रवि प्रकाश वर्मा श्री आनंदराव विठोबा अडसुल	173
13.	श्री एम. शिवन्ना	174
14.	श्री मनोरंजन भक्त श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार	175
15.	डा. चिन्ता मोहन श्री रामजीलाल सुमन	176
16.	श्रीमती मनोरमा माधवराज	177
17.	श्री अनवर हुसैन	178
18.	श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'	179
19.	श्री एन.एस.वी. चित्तन श्री चंद्रकांत खैरे	180
20.	श्री प्रशान्त प्रधान	181

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, जे.एम.	1705, 1756, 1821
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	1756, 1793, 1804, 1829
3.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	1715, 1717, 1774
4.	अहीर, श्री हंसराज जी.	1674, 1753, 1799

1	2	3
5.	आठवले, श्री रामदास	1757, 1791, 1813
6.	'बाबा', श्री के.सी. सिंह	1690, 1777
7.	बर्मन, श्री हितेन	1673, 1754
8.	बखला, श्री जोवाकिम	1672
9.	भडाना, श्री अवतार सिंह	1705, 1754, 1756, 1821
10.	भक्त, श्री मनोरंजन	1756, 1761
11.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	1679, 1779
12.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	1677, 1678, 1719, 1745
13.	बोस, श्री सुब्रत	1682
14.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	1707
15.	चटर्जी, श्री सातांश्री	1729
16.	चौरे, श्री बापू हरि	1742, 1785
17.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	1711, 1712
18.	चिन्ता मोहन, डा.	1762
19.	चिन्तन, श्री एन.एस.वी.	1710
20.	चौधरी, श्री अधीर	1761, 1818
21.	देवरा, श्री मिलिन्द	1685, 1746, 1749
22.	धनराजू, डा. के.	1704, 1732
23.	धोत्रे, श्री संजय	1742, 1785
24.	दत्त, श्रीमती प्रिया	1686, 1800
25.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	1683, 1812
26.	गढ़वी, श्री पी.एस.	1735

1	2	3
27.	गायकवाड, श्री एकनाथ महोदव	1709, 1770
28.	गंगवार, श्री संतोष	1793
29.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	1742, 1785
30.	गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	1700
31.	गुढ़े, श्री अनंत	1692, 1772
32.	हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	1814, 1824
33.	हसन, श्री अनवर	1766, 1795, 1806
34.	जय प्रकाश, श्री	1811
35.	झा, श्री रघुनाथ	1751, 1820, 1823, 1831
36.	जिन्दल, श्री नवीन	1705, 1722, 1754
37.	खैरे, श्री चंद्रकांत	1665, 1767, 1835
38.	खां, श्री सुनील	1681
39.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	1714
40.	खारवेनथन, श्री एस.के.	1676, 1744, 1789, 1834
41.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	1688,
42.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	1772
43.	कृष्ण, श्री विजय	1781, 1833
44.	कुरूप, एडवोकेट सुरेश	1819
45.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	1739, 1784
46.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	1764
47.	मझजन, श्रीमती सुमित्रा	1731
48.	महतो, श्री सुनिल कुमार	1695, 1711, 1715, 1822

1	2	3
49.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	1824
50.	माने, श्रीमती निवेदिता	1709, 1770
51.	मनोज, डा. के.एस.	1737
52.	मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड	1756
53.	मेघवाल, श्री कैलाश	1708, 1790
54.	मेहता, श्री आलोक कुमार	1704, 1735
55.	मिश्रा, डा. राजेश	1705, 1754, 1756, 1821
56.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	1699
57.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	1714, 1815
58.	मो. ताहिर, श्री	1812
59.	मोहिते, श्री सुबोध	1675
60.	मूर्ति, श्री ए.के.	1707
61.	मुर्मू, श्री हेमलाल	1704
62.	नायक, श्री अनन्त	1667
63.	नायक, श्रीमती अर्चना	1733
64.	निखिल, कुमार, श्री	1761, 1818
65.	निज़ामुद्दीन, श्री गुंडलूर	1738, 1783
66.	ओराम, श्री जुएल	1701
67.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	1740, 1756, 1788, 1809
68.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	1668, 1720
69.	पंडा, श्री ब्रह्मानन्द	1816
70.	पाण्डा, श्री प्रबोध	1728, 1778

1	2	3
71.	[illegible], श्री [illegible] सिंह	1684, 1746
72.	पटेल, श्री दाह्याभाई वल्लभभाई	1689
73.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	1702
74.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	1750, 1758, 1786, 1802
75.	पटैरिया, श्रीमती नीता	1713
76.	पाठक, श्री ब्रजेश	1754
77.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	1716
78.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	1726
79.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	1808, 1812
80.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	1687, 1754, 1761, 1768, 1801
81.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	1695, 1754, 1820
82.	राजगोपाल, श्री एल.	1671, 1773, 1797
83.	राजेन्द्रन, श्री पी.	1691, 1748
84.	रामदास, प्रो. एम.	1721
85.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	1670, 1702, 1769
86.	राव, श्री के.एस.	1723, 1810
87.	राव, श्री रायपति सांबासिवा	1694
88.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	1703
89.	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	1706
90.	रावले, श्री मोहन	1669, 1760
91.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	1743, 1790, 1803
92.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	1680, 1756, 1765

1	2	3
93.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	1702
94.	रिजीजू, श्री किरेन	1824
95.	साई प्रताप, श्री ए.	1725, 1825
96.	सज्जन कुमार, श्री	1705, 1754, 1756
97.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	1708
98.	सरोज, श्री तूफानी	1755
99.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	1718, 1780
100.	सेन, श्रीमती मिनाती	1811
101.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	1754, 1761
102.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	1715, 1772, 1830, 1836
103.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	1756, 1793, 1804, 1818, 1829
104.	शिवन्ना, श्री एम.	1759, 1794, 1805
105.	शिवनकर, प्रो. महोदवराव	1776, 1782, 1800, 1808, 1811
106.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	1666, 1775, 1794, 1798
107.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	1717, 1815
108.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	1696
109.	सिंह, श्री दुष्यंत	1724
110.	सिंह, श्री गणेश	1754
111.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	1770
112.	सिंह, श्री राकेश	1693
113.	सिंह, श्री रेवती रमन	1736
114.	सिंह, श्री सुग्रीव	1750, 1758, 1786, 1792

1	2	3
115.	सुब्बारायन, श्री के.	1730, 1765
116.	सुरावनम, श्री ई.जी.	1668, 1720, 1734, 1828
117.	शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन	1754, 1771
118.	सुमन, श्री रामजीलाल	1762
119.	थामस, श्री पी.सी.	1763
120.	तुम्मर, श्री वी.के.	1754, 1774
121.	थुपस्तन, श्री छेवांग	1698
122.	त्रिपाठी, श्री ब्रज किशोर	1752, 1796, 1807, 1810, 1837
123.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	1727, 1826
124.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	1741, 1787
125.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	1747, 1754, 1793, 1804
126.	विजयशंकर, श्री सी.एच.	1813
127.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	1712, 1738, 1822
128.	यादव, श्री बालेश्वर	1811
129.	यादव, श्री गिरिधारी	1815, 1820
130.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	1782, 1812, 1832
131.	यादव, श्री राम कृपाल	1697, 1826
132.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	1817, 1827

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	164, 165, 166, 173, 176
रसायन और उर्वरक	:	177
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	174, 178, 179
पर्यावरण और वन	:	167, 168, 170, 171, 180
सूचना और प्रसारण	:	
श्रम और रोजगार	:	162, 163, 172, 175
संसदीय कार्य	:	
इस्पात	:	
जल संसाधन	:	169, 181.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	1666, 1667, 1674, 1675, 1677, 1680, 1682, 1688, 1690, 1691, 1692, 1698, 1700, 1703, 1704, 1705, 1710, 1713, 1715, 1716, 1718, 1720, 1723, 1725, 1737, 1758, 1762, 1764, 1765, 1769, 1772, 1775, 1776, 1778, 1780, 1781, 1784, 1787, 1796, 1799, 1816, 1817, 1821, 1825, 1827, 1828, 1832, 1833, 1836, 1837
रसायन और उर्वरक		1672, 1673, 1676, 1681, 1693, 1694, 1734, 1789, 1797, 1800, 1819
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण		1671, 1696, 1697, 1702, 1719, 1730, 1732, 1735, 1739, 1740, 1755, 1759, 1768, 1771, 1773, 1786, 1790, 1794, 1803, 1812, 1813, 1814, 1818, 1820, 1822, 1823, 1824, 1826, 1829, 1830, 1831
पर्यावरण और वन	:	1684, 1685, 1686, 1687, 1689, 1706, 1707, 1714, 1726, 1728, 1731, 1741, 1746, 1747, 1748, 1752, 1753, 1754, 1756, 1761, 1763, 1777, 1779, 1783, 1788, 1798, 1801, 1805, 1815, 1834, 1835

सूचना और प्रसारण	:	1670, 1678, 1679, 1683, 1711, 1712, 1736, 1738, 1745, 1750, 1766, 1770, 1774, 1785, 1795, 1806, 1810
श्रम और रोजगार	:	1665, 1669, 1695, 1709, 1722, 1729, 1742, 1743, 1751, 1782, 1791, 1807, 1808, 1809
संसदीय कार्य	:	
इस्पात	:	1668, 1724, 1727, 1744, 1749, 1792, 1802, 1804
जल संसाधन	:	1699, 1701, 1708, 1717, 1721, 1733, 1757, 1760, 1767, 1793, 1811.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2006 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।